

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम



Canara Bank

A Government of India Undertaking
Together We Can

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2015-16



विश्व भर के ग्राहकों के साथ जुड़ते हुए
Bonding with Customers across the Globe

डिजीटली आपका...

Digitally yours...

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



श्री टी.एन. मनोहरन
अध्यक्ष
Shri T.N. Manoharan
Chairman



श्री राकेश शर्मा
प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Shri Rakesh Sharma
Managing Director and Chief Executive Officer



श्री प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक
(31-5-16 तक)
Shri Pradyuman Singh Rawat
Executive Director
(upto 31-5-2016)



श्री हरिदीश कुमार बी.
कार्यपालक निदेशक
Shri Harideesh Kumar B.
Executive Director



श्री दीनबंधु महापात्र
कार्यपालक निदेशक
Shri Dinabandhu Mohapatra
Executive Director



श्री. पंकज जैन
भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक (1-5-16 तक)
Shri Pankaj Jain
Director Representing Government of India
(upto 1-5-2016)



श्रीमती उमा शंकर
भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि निदेशक
Smt Uma Shankar
Director Representing Reserve Bank of India



श्री जी. वी. मणिमरान
अधिकारी कर्मचारी निदेशक
Shri G. V. Manimaran
Officer Employee Director



श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा
अंशकालिक अनधिकारिक निदेशक
Shri Sunil Hukumchand Kocheta
Part-time Non-Official Director



श्री साईराम बी. मोचरोला
अंशकालिक अनधिकारिक निदेशक
Shri Sairam B. Mocherla
Part-time Non-Official Director



श्री राजेन्द्र कुमार गोयल
शेयरधारक निदेशक
Shri Rajinder Kumar Goel
Shareholder Director



श्री संजय जैन
शेयरधारक निदेशक
Shri Sanjay Jain
Shareholder Director



वार्षिक रिपोर्ट
2015-2016
ANNUAL REPORT

वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016

विषयवस्तु

1. नोटिस	3
2. प्रगति की एक झलक	39
3. निदेशकों की रिपोर्ट 2015-2016	40
• प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण	41
• केनरा बैंक वर्ष 2015-2016 में	45
• निदेशक मंडल में परिवर्तन	93
• निदेशकों के दायित्व वक्तव्य	96
4. कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	97
5. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	123
6. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	145
7. एकल वित्तीय विवरण	
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	147
• तुलन पत्र	151
• लाभ व हानि खाता	152
• तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	153
• लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	161
• लेखांकन नीतियाँ	163
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	172
• स्तंभ 3 (बासेल III) प्रकटन	226
• नकद प्रवाह विवरण	334
8. समेकित वित्तीय विवरण	
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	338
• समेकित तुलन पत्र	342
• समेकित लाभ व हानि खाता	343
• समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	349
• समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	351
• लेखांकन नीतियाँ	353
• समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	366
• समेकित नकद प्रवाह विवरण	383
9. प्रबंध निदेशक और सीईओ का शेरधारकों को संबोधन	385
10. निक्षेपागार (डीपी) सेवा केन्द्रों की सूची	386
11. नामांकन पत्र	390
12. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास	401
13. प्रॉक्सी फार्म	403

ANNUAL REPORT 2015-2016

CONTENTS

1. NOTICE	3
2. PROGRESS AT A GLANCE	39
3. DIRECTORS' REPORT 2015-2016	40
• MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	41
• CANARA BANK IN 2015-2016	45
• CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS	93
• DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT	96
4. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT	97
5. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE	123
6. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE	145
7. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS	
• AUDITORS' REPORT	147
• BALANCE SHEET	151
• PROFIT AND LOSS ACCOUNT	152
• SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET	153
• SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT	161
• ACCOUNTING POLICIES	163
• NOTES ON ACCOUNTS	172
• PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES	227
• CASH FLOW STATEMENT	334
8. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	
• AUDITORS' REPORT	338
• CONSOLIDATED BALANCE SHEET	342
• CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	343
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET	349
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	351
• ACCOUNTING POLICIES	353
• NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	366
• CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT	383
9. MANAGING DIRECTOR AND CEO'S ADDRESS TO SHARE HOLDERS	385
10. LIST OF DP SERVICE CENTRES	387
11. NOMINATION FORM	391
12. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	402
13. PROXY FORM	404

नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की चौदहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, मंगलवार, 26 2016 को प्रातः 10.30 बजे ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बंगलूर - 560 001 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

1. यथा 31 मार्च, 2016 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, वर्ष समापन 31 मार्च, 2016 हेतु लाभ व हानि लेखा, बैलेंस शीट व लेखा पर लेखा व ऑडिटर के रिपोर्ट द्वारा कवर अवधि हेतु बैंक की कार्रवाई व गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर परिचर्चा करना, उसे अनुमोदित करना व अंगीकृत करना।
2. इसे विचारार्थ लेना एवं यदि सही पाया गया तो संशोधन सहित या संशोधन के बिना, निम्न विशेष संकल्पों को पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि" बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और समय-समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ("आर बी आई"), भारत सरकार ("जी ओ आई"), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड ("सेबी") और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 (आई सी डी आर विनियमावली)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी संबद्ध प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद **"निदेशक मंडल"** कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को पक्का/प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तों एवं निबंधनों

NOTICE

Notice is hereby given that the Fourteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Tuesday, the 26 July 2016 at 10.30 A.M. at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru - 560 001, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2016, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"the Board"** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative

जिनके अधीन अधिमान श्रेयों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं तथा / या अन्य अनुमत प्रतिभूतियाँ जो ईक्विटी में अंतरण के लिए सक्षम हो, ₹ 2000 करोड़ तक (यथा बोर्ड या बोर्ड की समिति द्वारा निर्धारितानुसार) जो वर्तमान ₹ 542.99 करोड़ की चुकता ईक्विटी श्रेय पूंजी के साथ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार बैंक की निर्धारित प्राधिकृत पूंजी सीमा ₹ 3000 करोड़ के भीतर होगी या किसी संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार प्राधिकृत पूंजी की संवर्धित मात्रा तक जिसे भविष्य में इस प्रकार अधिनियमित किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार के पास हमेशा बैंक की चुकता पूंजी 52% से कम नहीं होगी, जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ("एन आर आई"), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यू आई बी") जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफ आई आई") या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी श्रेयों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बढ़ा या प्रीमियम सहित होगी"

"संकल्प लिया जाता है कि" कि ऐसे इश्यू प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना, निजी प्लेसमेंट / अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) या भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2009 (आई सी डी आर विनियमावली) एवं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।"

"संकल्प लिया जाता है कि" जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हामीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य विनियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली

or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, upto ₹ 2000 Crore (as decided by the Board or Committee of the Board of the Bank) which together with the existing Paid-up Equity share capital of ₹ 542.99 crore will be within ₹3000 Crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, **whether at a discount or premium to the market price**, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, rights issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) or any other mode approved by GOI/RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and / or underwriters and /or other advisors or otherwise on

और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आई सी डी आर नियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।”

"संकल्प लिया जाता है कि" कि तत्संबंधी सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, केनरा बैंक (शेयर और बौद्धिक) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से "समुचित प्राधिकारी" कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और या/ मंजूरी के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों को छोड़कर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां, जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनियम योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली में परिभाषित है) की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी पूंजी का 52% से कम धारित न करता हो।”

"संकल्प लिया जाता है कि" कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के अनुसरण में

क) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।

such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.”

ख) बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हो, पर शेयर आर्बटिट करने के लिए प्राधिकृत है।

ग) आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी।

"संकल्प लिया जाता है कि" अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।"

"संकल्प लिया जाता है कि" अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आर्बटिट करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।"

"संकल्प लिया जाता है कि" जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।"

"संकल्प लिया जाता है कि" किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या इक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को आर्बटिट करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आर्बटिट की जानी है, प्रत्येक श्रृंखला में आर्बटिट किए जाने वाले शेयर / प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलों और चीजों और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करें जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आर्बटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।"

b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/preference shares/securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"संकल्प लिया जाता है कि" बोर्ड को किसी भी बुक रनर, लीड प्रबंधकों, बैंकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, जमाकर्ताओं, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से, जो इस प्रकार के इक्विटी/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"संकल्प लिया जाता है कि" उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त लीड प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आबंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि/प्रतिभूतियों के रूपांतरण/अधिपत्रों का प्रयोग/प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर/अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त या बट्टा/प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अवधि, रिकॉर्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकॉर्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"संकल्प लिया जाता है कि" अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।"

"संकल्प लिया जाता है कि" इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन माँगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा।"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."


"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"संकल्प लिया जाता है कि" निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़रिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक/कों या निदेशकों की समिति या ऐसे अन्य अधिकारी/(रियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

3. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक [प्रबंधन और विविध प्रावधान] योजना, 1970 (इसे आगे "योजना" कहा गया) और केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2000 (इसे आगे "विनियम" कहा गया) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 (इसे आगे "अधिनियम" कहा गया) की धारा 9(3) (i) के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना - डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011, के साथ पठित डीबीओडी.सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007 और भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं एफ. सं. 16/83/2013-बीओ-आई दिनांक 03.09.2013 व एफ. सं. 16/51/2012 - बीओ-आई, दिनांक 28.04.2015 के अनुसार विधिमान्य नामांकन प्राप्त, केन्द्र सरकार से अन्य, बैंक के शेयरधारकों में से 3 निदेशकों को चुनकर निम्न संकल्प पारित करने के लिए।

"संकल्प लिया जाता है कि" भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिसूचना व भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन के तहत निहित योजना, विनियमों और अधिसूचनाओं के साथ पठित धारा 9(3) (i) के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार से अन्य बैंक के शेयरधारकों में से तीन निदेशक चुने गये और 27 जुलाई, 2016 से कार्यभार ग्रहण करके ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि समाप्त होने तक (अर्थात 26 जुलाई, 2019) कार्यभार ग्रहण करने के लिए नियुक्त किये जायें।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा



राकेश शर्मा

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूर
तिथि : 03-06-2016

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman or to the Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions."

3. To elect three Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations have been received, in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 and Nationalised Banks {Management & Miscellaneous Provisions} Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the "Regulations") and Notifications No. DBOD.No. BC.No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with No. DBOD.BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification"), Office Memorandum ref no. F.No. 16/83/2013-BO-I dated 03.09.2013 & F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 of Government of India (GOI) by passing the following resolution: -

"RESOLVED THAT three Directors elected from amongst shareholders other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations and Notifications made thereunder, RBI Notifications and Office Memoranda of GOI, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 27th July, 2016 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption (i.e., up to 26th July, 2019)"

By Order of the Board of Directors



RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 03-06-2016

टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक वक्तव्य:

प्रदत्त पूँजी जुटाने से संबंधित मद संख्या 2 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को स्थापित करने वाले व्याख्यात्मक विवरणी और निदेशकों के चुनाव के संबंध में नोटिस की मद संख्या 3 के बारे में वास्तविक तथ्यों को दर्शानेवाला व्याख्यात्मक वक्तव्य नीचे दिया गया है।

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रतिनिधि बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधित्व फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक आम बैठक की तारीख की समाप्ति से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 21 जुलाई 2016 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा / दर्ज किया जाए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कॉर्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में व संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 21 जुलाई 2016 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में दर्ज की जाती है।

4. पंजीकरण:

बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बैठक स्थान में दिनांक 26 जुलाई 2016 को प्रातः 9.00 बजे से शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थिति रहें।

5. उपस्थिति पर्ची:

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची – सह प्रविष्टि पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों / प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 2 of the Notice regarding Raising of Paid up Capital and Item No. 3 of the Notice regarding Election of Directors are annexed below..

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.
The Proxy Form in order to be effective must be lodged at the Head Office of the Bank, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Thursday, the 21st July, 2016.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Thursday, the 21st July, 2016..

4. REGISTRATION:

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on Tuesday, the 26th July, 2016. at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

5. ATTENDANCE SLIP:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state

प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि पर "प्रतिनिधि" या " प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो उसका उल्लेख उपस्थिति पर्ची में करें। शेरधारक / प्रॉक्सीधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश, जहाँ आवश्यक हो, सत्यापन / जाँच के अधीन होगा और उन्हें सूचना दी जाती है कि वे अपने साथ पहचान के मान्य सबूत लाएं मसलन – मतदाता पहचान कार्ड / नियोक्ता पहचान कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि। बैठक स्थान में प्रवेश की अनुमति केवल उपस्थिति वैध पर्ची – सह – प्रविष्टि पास के आधार पर दी जायेगी।

6. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें।

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : केनरा बैंक

कार्वी सेलीनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31-32

गाचीबौली, वित्तीय जिला, नानाकरामगुडा

हैदराबाद- 500 032

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई-मेल पता शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित/पंजीकृत करें।

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन सूचित करें।

7. बहियों को बंद करना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियों को वार्षिक सामान्य बैठक तथा बैंक द्वारा घोषित चुनाव में भाग लेने एवं लाभांश की प्राप्ति के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने हेतु शनिवार, 16 जुलाई 2016 से मंगलवार 26 जुलाई 2016 तक (दोनों दिन सहित) बंद रखा जाएगा।

8. फोलियो का समेकन

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारण का एक खाते में समेकन किया जा सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे।

on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. **Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.**

6. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Karvy Computershare Pvt. Ltd

Unit : Canara Bank

Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

HYDERABAD – 500 032

Further, the shareholders are advised to inform/register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

7. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Saturday, the 16th July, 2016. to Tuesday, the 26th July, 2016. (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

8. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

9. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है यथा, वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक, उनसे अनुरोध है कि वे पुनर्मूल्यांकन / डूप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंक ने शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक के hosecretarial@canarabank.com साथ में दावे करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण इनके वेबसाइट www.canarabank.com में पोस्ट किया है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में नये रूप से अतर्विष्ट धारा 10बी के अनुसार सात साल से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उसके बाद बैंक या आईईपीएफ के नाम भुगतान के लिए कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। बैंक 21 अगस्त, 2016 को कथित निधि में अदावाकृत / अप्रदत्त लाभांश राशि को वर्ष 2008-09 हेतु अंतरित करने की प्रक्रिया में है।

10. वार्षिक रिपोर्ट

शेयरधारक / प्रतिनिधित्वधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ। कृपया यह नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की संपूर्ण प्रति बैंक के वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोडेड है। शेयरधारक वेबसाइट से इसके पठनीय संस्करण को डाउनलोड कर सकते हैं।

11. शेयरधारकों का मतदान अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

12. ई-वोटिंग : {सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार}

बैंक को प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दिए गए मद्दों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने

9. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods i.e., for the years from 2008-09 to 2014-15, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants.

The Bank has posted the details of the Unclaimed / Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed / Unpaid Dividend amount for the year 2008-09 to the said fund on 21st August, 2016.

10. ANNUAL REPORT:

Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. Please note that the full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download the readable version of the same from the website.

11. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

12. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide Remote e-Voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items

में सक्षम बनाने के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के संबंध में सभी शेयरधारकों को एक अलग संसूचना/नोटिस भेजा जा रहा है।

13. बैठक में मतदान

कार्यसूची के सभी मदों पर चर्चा होने के बाद अध्यक्ष सभी मदों के लिए मतदान करने का आदेश देंगे। इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए जाँचकर्ताओं द्वारा मतदान का आयोजन व पर्यवेक्षण किया जाएगा। अपराह्न 1.30 बजे तक मतदान जारी रहेगा एवं मतदान के नतीजों के बाद अध्यक्ष बैठक को समाप्त घोषित करेंगे। ई-वोटिंग के नतीजों के साथ मतदान के नतीजों की घोषणा बैंक द्वारा उसकी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

{नोट: (i) नोटिस में एजेन्डा मद 1 व 2 हेतु कट-ऑफ / विनिर्दिष्ट तिथि 19.07.2016 है एवं (ii) एजेन्डा मद 3 हेतु आंतरिक कट-ऑफ तिथि 24.06.2016 है}

नोटिस की मद संख्या 2 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य

1. प्राथमिक रूप से दीर्घावधि संसाधनों को संवर्धित करने हेतु एवं लगभग 12% के पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अनुरक्षित रखने हेतु नवम्बर 2002 में बैंक ने सफलतापूर्वक अपना आईपीओ पूरा किया है एवं ₹25 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹10 के प्रत्येक 11 करोड़ के ईक्विटी शेयर के निर्गमन द्वारा ₹385 करोड़ जुटाया है।
2. मार्च, 2011 के दौरान बैंक ने अपने पूंजी आधार को संवर्धित करने एवं भविष्य के कारोबार प्रगति को वित्तपोषित करने के लिये सफलतापूर्वक प्रति शेयर ₹594 के प्रीमियम पर ₹10/- के 3.30 करोड़ ईक्विटी शेयर के निर्गमन द्वारा क्यूआईपी मार्ग के माध्यम से ₹1993.20 करोड़ जुटाया है। इस क्यूआईपी निर्गमन के पश्चात बैंक का ईक्विटी पूंजी ₹ 443 करोड़ रहा।
3. दिसम्बर, 2013 के दौरान बैंक ने अधिमानी तौर पर भारत सरकार को ₹263.84 प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- का 1,82,58,837 ईक्विटी शेयर जारी/आबंटित किया है। इसके साथ ही, बैंक का ईक्विटी पूंजी ₹461.26 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया है।
4. मार्च, 2015 के दौरान बैंक ने अधिमानी तौर पर भारत सरकार को ₹398.95 प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- का 1,39,38,134 ईक्विटी शेयर निर्गत / आबंटित किया है। इसके साथ ही, बैंक का ईक्विटी पूंजी ₹475.20 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया है।

mentioned in the notice. A separate communication/ Notice is being sent to all the shareholders to enable them to cast their votes through e-Voting.

13. POLL AT THE MEETING:

After all the agenda items have been discussed, the Chairman will order Poll in respect of all the items. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. Poll will continue up to 1.30PM and after conclusion of the Poll, the Chairman may declare the meeting as closed. The Results of the Poll aggregated with the Results of e-Voting will be announced by the Bank on its Website and also informed to the Stock Exchanges.

{Note: (i) For Agenda Items 1 and 2 in the notice, the cut-off / specified date is 19.07.2016 and (ii) For Agenda Item 3, the internal cut-off date is 24.06.2016}

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 2 OF THE NOTICE:

1. In November 2002, the Bank successfully completed its IPO and raised ₹ 385 Crores by the issue of 11 Crore equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹25 per share, primarily to augment long term resources and maintain a capital adequacy ratio of around 12 per cent.
2. During March, 2011, the Bank successfully raised ₹1993.20 Crores through QIP route by the issue of 3.30 Crore equity shares of ₹10/- each at a premium of ₹594 per share to shore up its capital base and to fund future business growth. After this QIP issue, the Equity Capital of the Bank stood at ₹ 443 Crore.
3. During December, 2013, the Bank had issued / allotted 1,82,58,837 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 263.84 per share to the Government of India on Preferential Basis. With this, the Equity Capital of the Bank reached a level of ₹461.26 Crore.
4. During March, 2015, the Bank had issued / allotted 1,39,38,134 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹398.95 per share to the Government of India on Preferential Basis. With this, the Equity Capital of the Bank reached a level of ₹475.20 Crore.

5. मई, 2015 के दौरान बैंक ने अधिमानी तौर पर भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹370.08 प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- का 4.00 करोड़ ईक्विटी शेयर निर्गत / आबंटित किया है। इसके साथ ही, बैंक का ईक्विटी पूंजी ₹515.20 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया है।
6. सितम्बर, 2015 के दौरान बैंक ने अधिमानी तौर पर भारत सरकार को ₹330.72 प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- का 2,77,94,083 ईक्विटी शेयर निर्गत / आबंटित किया है। इसके साथ ही, बैंक का ईक्विटी पूंजी ₹542.99 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया है।
7. 31 मार्च, 2016 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.08% है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% से कहीं अधिक है। यद्यपि, बैंक के कुछ विस्तारण योजनाओं, बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन व अनुवर्ती पूंजी प्रभार के परिदृश्य में पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सशक्त करने हेतु पूंजी को संवर्धित करने की आवश्यकता नहीं है।
8. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) अनुसार बैंक प्रदत्त पूंजी को संवर्धित करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यद्यपि, केन्द्र सरकार किसी भी समय में बैंक की प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 52% अनुरक्षित रखेगा।
9. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) यह उपलब्ध कराता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई इश्यू या प्रस्ताव दिया जाए तो मौजूदा शेयरधारकों को तब तक यही आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये जब तक कि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न ले। कथित संकल्प यदि पारित होता है तो बैंक की ओर से बोर्ड को यह अनुमति प्रदान करेगा कि मौजूदा शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करें।
10. संकल्प, बैंक को जन इश्यू पर अनुसरण द्वारा, अधिकार इश्यू और / या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार / भा. रि.बै. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम द्वारा ईक्विटी शेयर/ अधिमानी शेयर / प्रतिभूति निर्मित, प्रदान व आबंटित करने हेतु सक्षम करने की मांग करता है। इश्यू आगम बैंक को समय-समय पर भा.रि.बै. द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को सशक्त करने में सक्षम करेगा।
5. During May, 2015, the Bank had issued / allotted 4.00 Crore equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹370.08 per share to the Life Insurance Corporation of India on Preferential Basis. With this, the Equity Capital of the Bank reached a level of ₹515.20 Crore.
6. During September, 2015, the Bank had issued/ allotted 2,77,94,083 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 330.72 per share to the Government of India on Preferential Basis. With this, the Equity Capital of the Bank reached a level of ₹542.99 Crore.
7. The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2016 is 11.08 %, and well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.
8. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid – up equity capital of the Bank.
9. The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.
10. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/securities by way of Follow on public issue, rights issue and/or on a private placement basis or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

11. आगे, आईसीडीआर विनियमनों द्वारा परिभाषित अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत प्लेसमेंट करने हेतु संकल्प निदेशक मंडल को सशक्त करने की मांग करता है। निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में शेयरधारकों से नए अनुमोदन की मांग किये बगैर बैंक हेतु निधि उगाही के लिये आईसीडीआर विनियमनों के पाठ VIII के तहत निर्धारित अनुसार इस तंत्र को अपना सकता है।

आईसीडीआर विनियमनों के पाठ VIII अनुसार क्यूआईपी इश्यू के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी की जा सकती है, जिसका मूल्य “प्रासंगिक तिथि” के बाद के दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च व निम्न के औसत से कम न हो। “प्रासंगिक तिथि” का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी इश्यू खोलने का निर्णय लेती है।

12. क्यूआईपी व क्यूआईबी सहित विभिन्न विकल्पों के तहत पूंजी उगाही हेतु बैंक के 13वें वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान सामान्य इकाई का अनुमोदन प्राप्त किया गया। दिशानिर्देशों अनुसार ऐसे क्यूआईपी हेतु संकल्प की वैधता एक वर्ष तक ही होगी। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए (उपरोक्त पैरा 7 में इंगित अनुसार) सामान्य इकाई के अनुमोदन की पुनः मांग की गई है।

13. प्रस्ताव हेतु विस्तृत नियम व शर्तें प्रचलित बाजार परिस्थिति व अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकार, लीड प्रबन्धकों व हामीदार व ऐसे अन्य प्राधिकरण व आवश्यकता अनुसार प्राधिकरण के साथ परामर्श में निर्धारित की जायेंगी।

14. चूकि प्रस्ताव का मूल्य-निर्धारण बाद के स्तर के अलावा अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अतः यह संभव नहीं है कि जारी होने वाले शेयर का मूल्य उद्धृत किया जा सके। यद्यपि, यह आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 व समय-समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2000 एवं लागू या आवश्यक अनुसार किसी अन्य दिशानिर्देशों / विनियमनों / सहमति अनुसार होगा।

15. उपरोक्त कथित कारणों हेतु मुद्दे के शर्तों को अंतिम रूप देने के लिये बोर्ड को उचित लचीलापन व विवेकाधिकार देने के क्रम में एक सक्षमकर्ता संकल्प पारित करना प्रस्तावित किया गया है।

16. आबंटित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयर के साथ सभी संबंधों में समगति में है।

11. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the “Relevant Date”. “Relevant Date” shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

12. The approval of the General Body at the 13th Annual General Meeting of the bank for raising capital under various options including QIPs with QIBs was obtained. As per the guidelines, the validity of the resolutions is restricted to one year for such QIPs. Keeping in view the future requirements (as denoted in para 7 above), the approval of the General Body is sought once again.

13. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

14. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

15. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

16. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

इस उद्देश्य हेतु बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारक की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव हेतु आपके सहमति का अनुरोध किया गया है।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखित अनुसार विशेष संकल्प पारित करने हेतु सिफारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक का उपरोक्त उल्लिखित संकल्प में कोई रुचि या जुड़ाव नहीं है, सिवाय बैंक में उनके शेयरधारण के, यदि है तो।

नोटिस के मद संख्या 3 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य

शेयरधारक निदेशकों का चुनाव

बैंक ने बैंक के शेयरधारकों के 11वीं आम बैठक के दौरान शेयरधारकों में से तीन शेयरधारक निदेशकों को, केन्द्र सरकार के अलावा, चुनने के लिए चुनाव आयोजित किया और तीन प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया। निदेशकों की कार्यकाल निर्वाचन के पश्चात कार्यभार ग्रहण तारीख से 3 वर्ष है, अर्थात् 27.07.2013 और उक्त कार्यकाल दिनांक 26.07.2016 को समाप्त हो रही है।

तथापि, निर्वाचित एक निदेशक ने भारत सरकार के शेयरधारण में संवृद्धि एवं सार्वजनिक शेयरधारण 32% के स्तर से कम होने के कारण 31.12.2013 को पदत्याग दिया है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार यदि जनता को जारी की गई प्रदत्त पूँजी 32% से ज्यादा है तो, शेयरधारकों द्वारा तीन निदेशकों को निर्वाचित किया जाना है, जो भारत सरकार के अलावा उनमें से ही होंगे। वर्ष 2015-16 में भारतीय जीवन बीमा निगम को किये गये अधिमानी आबंटन के अनुसार शेयर के जारीकरण के अनुवर्ती, जनता द्वारा धारित बैंक की प्रदत्त पूँजी 33.70% हो गई है और तदनुसार शेयरधारक बैंक के तीन निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए अर्ह है।

अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अनुसार, बैंक ने बैंक के शेयरधारकों के चौदहवीं वार्षिक आम बैठक के हिस्से के रूप में केन्द्र सरकार से अन्य बैंक के शेयरधारकों में से तीन निदेशकों को चुनने के लिए चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया है।

समझा जाएगा कि ऐसे निर्वाचित निदेशक ने 27 जुलाई, 2016 को कार्यग्रहण कर लिया है और ऐसे कार्यग्रहण की तिथि से तीन वर्षों तक अधिकार में रहेगा।

विधिक प्रावधान :

इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों / योजनाओं / विनियमों / अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों के संकेत निम्न सारणी में दिये गये हैं:

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 3 OF THE NOTICE:

ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTORS

The Bank, as part of the Eleventh Annual General Meeting of shareholders of the Bank, conducted the election for three Shareholder Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government and three candidates were declared elected. Their term of office is 3 years from the date of assuming office after election i.e., on 27.07.2013 and the said term is expiring on 26.07.2016.

However, one of the Directors elected, had demitted his office on 31.12.2013, due to increase in the shareholdings of Government of India and reduction of public shareholdings below the level of 32 %.

As per the Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, if the paid up capital issued to Public is more than 32 %, three (3) Directors are to be elected by the Shareholders, other than the Central Government from amongst themselves. Consequent to the issue of shares pursuant to the Preferential Allotment made to LIC of India in 2015-16, the paid-up capital held by Public has gone up to 33.70 % and accordingly the shareholders are entitled to elect 3 Directors of the Bank.

In line with Section 9 (3) (i) of the Act, the Bank has as a part of Fourteenth Annual General Meeting of shareholders of the Bank, decided to conduct the election of three Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government.

A Director so elected shall be deemed to have assumed office from 27th July, 2016 and shall hold office for a period of three years from the date of such assumption of office.

LEGAL PROVISIONS :

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme/ Regulations/ Notifications applicable in this regard:

अधिनियम, योजना, विनियम, अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949	धारा 16 (1) धारा 20 धारा 5 (एनई)	किसी निदेशकों को या किसी निदेशकों की ओर से ऋण व अग्रिमों की मंजूरी के लिए सामान्य निदेशक प्रतिबंध का निषेध पर्याप्त हित
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(त) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3ई) व धारा 9(3एबी) धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	निर्वाचन अधिकारों पर प्रतिबंध शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो टैक रिकॉर्ड तथा अखंडता के आधार पर योग्य व उचित नहीं हो, वह निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) व 9(3एए) के प्रावधानों को पूरा नहीं करनेवाले निर्वाचित निदेशकों को हटाने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक को होगा। सत्य के रूप में निष्ठा व गोपनीयता की बाध्यता
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11 ए खंड 11 बी खंड 12(8)	निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्य ठहराया जाना निदेशक के पद को रिक्त किया जाना निर्वाचित निदेशक को पदच्युत किया जाना निर्वाचित निदेशक के पद में रिक्तियों को भरना अपने हितानुसार कुछ व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा हित का प्रकटन
केनरा बैंक (शेयर व अंतरण) विनियम, 2000 (यथा संशोधित)	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग आम बैठकों में मतदान आम बैठकों में निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक शेयरधारकों की सूची निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों का नामांकन नामांकनों की संवीक्षा निर्वाचन विवाद
भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना- डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी. बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एए) तथा धारा 9(3एबी) की अनुवर्ती	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए योग्य व उचित मानदंड
बैंक के बोर्ड में अंशकालिक अनाधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति पर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. सं.16/83/2013-बीओ-आई दिनांकित 03.09.2013 व पत्र एफ.सं.16/51/2012-बीओ-आई, दिनांकित 28.04.2015 (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश)		पूर्ण पारदर्शिता व जनहित में बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य उन्मोचित करने हेतु शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिये अभ्यर्थी की "उचित व सही" निर्धारण करते समय अंशकालिक अनाधिकारिक निदेशक की नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देश दिनांकित 01.06.2011 व दिनांकित 28.04.2015 (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश) को भी ध्यान में रखा जाना है।
सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015		विनियमन 44(1) - सूचीबद्ध इकाई सभी शेयरधारकों के संकल्प के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-मतदान की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
19.03.2015 को संशोधित अनुसार कंपनी (प्रबन्धन व प्रशासन) नियम, 2014		नियम 20 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान हेतु प्रक्रिया को प्रगणित करता है। नियम 20(ii) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान हेतु पात्रता निर्धारण के लिये या पोल के माध्यम से सामान्य बैठक में कट-ऑफ तिथि (विनिर्दिष्ट तिथि) वह तिथि होगी जो सामान्य बैठक से 7 दिन से पहले न हो।

ACT, SCHEME, REGULATIONS, NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1) Section 20 Section 5(ne)	Prohibition of Common Director Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors Substantial Interest
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	Restriction on voting rights No. of directors to be elected by the shareholders Special knowledge in certain fields No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	Term of office of elected directors Disqualifications from being elected as a Director of the Bank Vacation of office of Director Removal from office of an elected Director Filling of vacancy in the office of an elected director Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (as amended)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	Exercise of rights of joint holders Voting at General Meetings Directors to be elected at General Meetings List of Shareholders Nomination of candidates for election Scrutiny of nominations Election disputes Determination of voting rights Voting by duly authorized representative Proxies
RBI Notification No. DBOD. No. BC.No.46 and 47/29/39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the Board of nationalized banks
Office Memorandum ref no. F. No. 16/83/2013-BO-I dated 03.09.2013 and Letter F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India on Appointment of Part-time Non-Official Directors on the Boards of the Banks.		To elect the Shareholder Directors to discharge their duties as Directors on the Board of the Bank with greatest transparency and in public interest, the guidelines dated 01.06.2011 and dated 28.04.2015 (the extant Government of India guidelines) regarding appointment of Part-Time Non-Official Director also to be kept in mind while carrying out determination of "Fit and Proper" status of the Candidates.
SEBI (LODR) Regulations, 2015		Regulation 44(1) – the listed entity shall provide the facility of Remote e-Voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders resolutions.
The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended on 19.03.2015		Rule 20 enumerates the procedure for voting through electronic means. In terms of Rule 20(ii), cut-off date (specified date) for determining the eligibility to vote by electronic means or the in the General Meeting through POLL shall be a date not earlier than 7 days before the General Meeting.

संबद्ध अधिनियमों / योजनाओं / विनियमों / अधिसूचनाओं आदि के उद्धरण

शेयरधारकों के सुविधार्थ संबद्ध अधिनियमों, योजनाओं, विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिसूचना डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी. बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संदर्भ संख्या एफ. सं.16/83/2013-बीओ-आई दिनांकित 03.09.2013 व पत्र एफ.सं.16/51/2012-बीओ-आई, दिनांकित 28.04.2015 (भारत सरकार का मौजूदा दिशानिर्देश) के उद्धरण इस नोटिस के अंत में पुनः दिया गया है। ऐसे उद्धरण बैंक के सचिवीय प्रभाग को प्रत्याशियों से नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि को या उसके पहले, अर्थात् 11 जुलाई 2016 तक अनुरोध की प्राप्ति पर ई-मेल द्वारा प्रेषित किया जाएगा।

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अपेक्षित योग्यता :

- क. अधिनियम की धारा 9(3-ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक होने वाला प्रत्याशी जो अधिनियम की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने को इच्छुक है को:
- क) निम्न विषयों में से एक या अधिक में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए
- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग
 - सहकारिता
 - अर्थशास्त्र
 - वित्त
 - विधि
 - लघु उद्योग
 - किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार में बैंक के लिए उपयोगी होगा।
- ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हों ; या
- ग) किसानों, श्रमिकों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो
- ख. अधिनियम की धारा (3-ए ए) की उपधारा (3 ए) के प्रावधानों की पूर्वाधारणा के बिना और इस अधिनियम या संप्रति प्रवर्तन में रहने वाली किसी अन्य विधि में निहित किसी विषय के विरुद्ध होने वाले से कोई संबंध नहीं रखते हुए पूर्व अभिलेख, अखंडता और इस दिशा में समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार कोई अन्य मानकों के आधार पर कोई व्यक्ति योग्य

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS ETC.

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation, the Act, the Scheme as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29/.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 & No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011, Office Memorandum ref no. F.No. 16/83/2013-BO-I dated 03.09.2013 and Letter F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India are reproduced at the end this Notice / and also posted on the bank's website www.canarabank.com. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Secretarial Department of the Bank, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 11th July, 2016.

QUALIFICATION REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK :

- a) In terms of Section 9(3-A) of the Act, a candidate being a Shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director under the clause (i) of Sub section (3) of the Act shall-
- A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-
- agriculture and rural economy
 - banking
 - co-operation
 - economics
 - finance
 - law
 - small-scale industry
 - any other matter the special knowledge of and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank be useful for the Bank.
- B) represents the interest of depositors; or
- C) represent the interest of farmers, workers and artisans.
- b) In terms of Section (3-AA) of the Act, without prejudice to the provisions of sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub-section (3) unless he

और उचित हैसियत वाला न हो तो उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा। आगे चुने गये निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस दिशा में निर्धारित वार्षिक घोषणाएं करनी होंगी।

- ग. अधिनियम की धारा (3-ए बी) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक उपधारा (3ए) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना में योग्य और उचित हैसियत निर्धारित करने के प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण के तौर तरीके, ऐसे निर्धारण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसके लिए आवश्यक या प्रासंगिक माने जाने वाले मामलों के बारे में भी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कर सकता है।
- घ. आगे, निर्वाचित निदेशकों को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना चाहिये एवं इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्य ठहराया जाना :

- क. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार व्यक्ति विशेष को निम्न कारणों से निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य ठहराया जाएगा
- क. यदि उसे कभी दिवालिया घोषित किया गया हो या उसके लेन दारों को चुकता नहीं किया हो या
- ख. उसे विक्षुब्धमना पाया गया हो या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो
- ग. यदि उसे नैतिक उल्लंघन के अंतर्गत किसी अपराध के तहत अपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहरा गया हो।
- घ. बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड ई) और (एफ) के अंतर्गत नामित निदेशकों और प्रबंध निदेशक शामिल करके पूर्णकालिक निदेशक का पद धरने को छोड़कर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की धारा 3 में परिभाषित अनुसार किसी अनुषंगी बैंक में किसी प्रकार का लाभदायक अधिकार में हो

और

- ख. भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना- डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007, डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के साथ पठित व वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संदर्भ संख्या एफ.

is a person having 'fit and proper status' based on track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard. Further the elected director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

- c) In terms of Section (3-AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section (3AA), the authority to determine the 'fit and proper status', the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.
- d) Further, the elected directors should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

- A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
- a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude or
- d) if he holds any office of profit under any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

And

- B. In terms of Notification of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 & 47 / 29.39.001 / 2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD.BC.No.95 / 29.39.001 / 2010-11 dated

सं.16/83/2013-बीओ-आई दिनांकित 03.09.2013 व पत्र एफ.सं.16/51/2012-बीओ-आई, दिनांकित 28.04.2015 (भारत सरकार का मौजूदा दिशानिर्देश) के अनुसार बैंक के निदेशकों के नामांकन समिति द्वारा उसे योग्य और उचित नहीं पाया गया

शेयरधारकों की सूची की उपलब्धता

चुनाव लड़ने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 के विनियम 64 में बतायी गयी शेयरधारकों की सूची मंगलवार, 5 जुलाई 2016 से लेकर बैंक के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध कराई जायेगी ताकि बेंगलूर में संदेय केनरा बैंक के पक्ष में माँगड्राफ्ट द्वारा ₹50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) अदा करके खरीदे जा सकें।

शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों के रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्यदिवसों पर (रविवार तथा बैंक अवकाश को छोड़कर), अर्थात् सोमवार से शनिवार तक अपराह्न 03.00 बजे से 05.00 तक (द्वितीय व चौथे शनिवार के अलावा) निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। यदि कोई शेयरधारक को रजिस्टर की प्रति या रजिस्टर के हिस्से की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट आउट की आवश्यकता है तो प्रति 1000 शब्द या उसके हिस्से के लिए ₹5/- के पूर्वभुगतान पर आपूर्त किया जाएगा।

चुनाव में प्रतिभागिता / आंतरिक कट-ऑफ तिथि :

तिथि पर कारोबार समय के समापन पर यथा, शुक्रवार, 24 जून 2016 (आगे आंतरिक कट-ऑफ तिथि लिखा जाएगा) के एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा दिये गये अनुसार सदस्यों / लाभार्थी स्वामी के शेयरधारकों के रजिस्टर / रजिस्टर पर प्रदर्शित नाम वाले शेयरधारक चुनाव में प्रतिभागिता, अर्थात् नामांकन करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तथा केन्द्र सरकार के अलावा तीन निदेशकों को चुनने के लिए मतदान देने के लिए पात्र होंगे।

कट-ऑफ तिथि / ई-मतदान हेतु निर्दिष्ट तिथि

कंपनी (प्रबन्धन व प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 अनुसार कट-ऑफ तिथि (निर्दिष्ट तिथि) यथा, मंगलवार, 19 जुलाई 2016 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक के पास वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के अलावा रिमोट ई-मतदान / एजेंडा मदों पर पोल के माध्यम से हेतु उसके / उसकी द्वारा अनुरक्षित प्रत्येक शेयर हेतु एक मत होगा।

{नोट: (i) नोटिस में एजेंडा मद 1 व 2 हेतु कट-ऑफ तिथि / निर्दिष्ट तिथि 19.07.2016 होगी एवं (ii) एजेंडा मद 3 हेतु आंतरिक कट-ऑफ तिथि 24.06.2016 होगी।}

23rd May, 2011 read with Office Memorandum ref no. F. No. 16/83/2013-BO-I dated 03.09.2013 and Letter F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, he is not found to be 'fit and proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

AVAILABILITY OF LIST OF SHAREHOLDERS:

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the list of shareholders as mentioned in Regulation 64 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000 will be made available at the Head office of the Bank, from Tuesday, the 5th July, 2016 onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹50,000/- [Rupees Fifty Thousand Only] by Demand Draft in favour of Canara Bank payable at Bengaluru.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays and Bank holidays) i.e., Monday to Saturday between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. (except 2nd and 4th Saturdays). If any shareholder requires a copy or computer print outs of the register or of any part thereof, the same shall be supplied to him/her on pre-payment at the rate of ₹ 5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied/printed.

PARTICIPATION IN ELECTION/INTERNAL CUT-OFF DATE:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Register of Members / Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as at the close of business hours on the date i.e., Friday, the 24th June, 2016 (hereinafter referred to as the Internal Cut-Off Date) shall be entitled to participate in the election i.e. nominate, contest and vote in election of three directors from amongst Shareholders other than Central Government.

CUT-OFF DATE / SPECIFIED DATE FOR e-VOTING:

As per the Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015, each shareholder who has been registered as a shareholder as on the Cut-Off Date (Specified Date) i.e., Tuesday, 19th July, 2016, shall have one vote for each share held by him/her for exercising through Remote e-Voting / Poll on agenda items other than election of Shareholder Directors at the Annual General Meeting.

{Note: (i) For Agenda Items 1 and 2 in the notice, the cut-off / specified date is 19.07.2016 and (ii) For Agenda Item 3 the internal cut-off date is 24.06.2016}

चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन

निदेशक के पद के लिए प्रत्याशी का नामांकन तब वैध होगा, जब

- क) चुनाव में भाग की गणना करने लेने के लिए आंतरिक कट-ऑफ तिथि / चुनाव में भाग लेने के लिए गणना की जा रही तारीख मंगलवार, 26 जुलाई को केनरा बैंक के 100 शेयर नहीं रखता हो।
- ख) उसे अधिनियम या योजना के तहत नामांकन प्राप्त करने की आखिरी तारीख सोमवार, 11 जुलाई 2016 को निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया हो।
- ग) निदेशकों को चुनने के लिए पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों या उनके विधिवत गठित मुख्तार द्वारा लिखित रूप में नामांकन हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। बशर्ते कि कंपनी होने वाले शेयर धारक द्वारा नामांकन कथित कंपनी के निदेशकों के प्रस्ताव द्वारा किया जाये और ऐसे किये जाने पर इस बैठक में संकल्प पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा सही सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति महा प्रबंधक, केनरा बैंक, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का सचिवालय, प्रधान कार्यालय, 112 जे सी रोड, बंगलूर-560 002 को संबोधित करके केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाये और ऐसी प्रति को कंपनी की तरफ से किया गया नामांकन समझा जायेगा।
- घ) नामांकन के साथ या उसमें न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट या आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा होगी की वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है और वह निदेशक बनने के लिए अधिनियम या योजना या इन विनियमों द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया। विधिवत हस्ताक्षरित और इस बात को पुष्ट करने वाले उसके व्यक्तिगत ब्यौरे (बायो-डाटा), उसकी जानकारी और विश्वास के हद तक सही है और घोषणा के बाद सूचना से संबंधित कोई घटना घटी है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसके बारे में बैंक को पूर्णतः सूचित करने का वचन देता है।
- ड) उसे बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 या केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचनाएं डीबीओडी सं.बीसी सं.46/29.39.001/ 2007-08, दिनांक

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,

- a) contestant is a shareholder holding not less than 100 shares in Canara Bank as on Friday, the 24th June, 2016, being the Internal Cut-Off Date/Date of reckoning for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of General Meeting i.e., Tuesday, 26th July, 2016.
- b) contestant is as on Monday, the 11th July, 2016, being the last date for receipt of nomination not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme / Regulation or RBI Notification;
- c) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Canara Bank addressed to the Deputy General Manager, Canara Bank, MD&CEO's Secretariat, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru – 560002 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;
- d) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he/she is not disqualified either under the Act or the scheme or these regulations/ RBI Notification or GOI guidelines from being a Director. His/her personal details (bio-data) duly signed and affirming that details furnished are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- e) contestant is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949, or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and Notification No. DBOD No. BC No.

01.11.2007 व डीबीओडी सं. बीसी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी सं. बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ सं. 16/83/2013-बीओ-आई दिनांक 03.09.2013 व पत्र एफ.सं. 16/51/2012-बीओ-आई दिनांक 28.04.2015 (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों) के अधीन उसे निदेशक रहने से अयोग्य नहीं किया गया।

- च) प्रत्याशी किसी भी क्षेत्र में स्नातक होना चाहिये अधिमानित रूप से कारोबार प्रबन्धन, जोखिम प्रबन्धन, वित्त, मानव संसाधन व आईटी में विशेषज्ञता के साथ।
- छ) प्रत्याशी की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- ज) प्रत्याशी के पास उसके स्वयं के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिये।
- झ) प्रत्याशी किसी भी वर्ग के तहत किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान (एफआई)/ भा.रि.बै. / बीमा कंपनी में पहले से निदेशक नहीं होना चाहिये।
- ञ) प्रत्याशी किसी भी वर्ग के तहत निरंतर या मध्यस्थ रूप से 6 वर्षों हेतु किसी भी अन्य बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिये।

नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण :

केंद्र सरकार से अन्य श्रेयधारकों में से बैंक के निदेशकों के रूप में चुनाव लड़ने को इच्छुक श्रेयधारकों को अपने नामांकन पत्र (न्यूनतम 100) घोषणा और संबंधित दस्तावेज जैसे बायोडाटा, योग्यता प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, पैन की प्रति, नवीनतम आय कर विवरणी आदि के साथ

उप महा प्रबंधक

सचिवीय प्रभाग

प्रबंध निदेशक व मु.का.अ. का सचिवालय

केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय,

112, जे सी रोड, बेंगलूर-560 002

को वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख के पहले कम से कम 14 दिनों के पहले अर्थात् सोमवार को सायं 5.00 बजे 11 जुलाई 2016 को बैंक कार्य समय के समाप्त होने के पहले किसी कार्यदिवस को प्रस्तुत करना चाहिये। उक्त नामांकन पत्र सारे पहलुओं से पूरे होने चाहिए और इस नोटिस से संलग्न प्रारूप में न्यूनतम 100 श्रेयधारकों द्वारा विधिवत भरे जाने चाहिए अन्यथा नामांकन अस्वीकार कर दिये जाएंगे।

46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 & DBOD No. BC No. 47/29.39.001/2007-08, dated 01.11.2007 and DBOD BC No. 95/29.39.001/2010-11, dated 23.05.2011 of Reserve Bank of India, Office Memorandum ref no. F.No. 16/83/2013-BO-I dated 03.09.2013 and Letter F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, from being a director.

- f) contestant should atleast be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT;
- g) The age of the contestant should not be more than 67 years;
- h) contestant should ordinarily have 20 years of work experience, in their particular field.
- i) Contestant should not be already a Director on any other Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category.
- j) contestant should not have served as a Director on the Board of any other Bank /FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently, under any category.

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of Directors of the Bank from amongst the Shareholders other than the Central Government should submit their nomination forms [a minimum of 100] along with a declaration and the connected documents such as testimonials viz., Bio-data, qualification certificates, experience certificates, copy of PAN, latest Income Tax Return (all self attested) etc., to

Deputy General Manager

Secretarial Department,

MD&CEO's Secretariat

Canara Bank, Head Office,

112, J C Road, Bengaluru -560 002

on a working day not less than fourteen days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before closing hours of the Bank i.e., 5.00 p. m. on Monday, the 11th July, 2016. The said nomination forms should be complete in all respects and should be duly filled in by a minimum of 100 Shareholders in the format annexed to this notice failing which, the nominations are liable to be rejected.

नामांकनों की समीक्षा :

- क) नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत तारीख के परवर्ती कार्यदिवस मंगलवार को 12 जुलाई 2016, को उनकी समीक्षा की जाएगी और किसी नामांकन को विधिन्मान्य नहीं पाया गया है तो उसके कारण उल्लिखित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 01 नवंबर, 2007 तथा 23 मई, 2011 को जारी संवीक्षा के योग्य व उचित मार्गनिर्देश के अनुसार और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में अनाधिकारिक निदेशकों के नामांकन के लिए सामान्य नीतियों के अनुसार नामांकनों की समीक्षा बोर्ड नामांकन समिति द्वारा भी की जाएगी।
- ग) चुनाव द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए तीन ही नामांकन हैं तो ऐसे नामांकित प्रत्याशियों को तत्काल चुना गया समझा जाएगा और तदनुसार उनके नाम और पते प्रकाशित किये जाएंगे। ऐसी स्थिति में बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा। यद्यपि, निर्वाचित शेयरधारक निदेशक केवल 27 जुलाई, 2016 को कार्यालय संभालेगा।
- घ) चुनाव आयोजित की जानी वाली स्थिति में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या की तुलना में विधिमान्य अधिक हैं तो बहुमत प्राप्त होने वाले प्रत्याशी चुना गया समझा जायेगा और उनके नाम समाचार पत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।
- ङ) ऐसे चुने गये निदेशकों के बारे में समझा जायेगा कि उन्होंने 27 जुलाई, 2016 को कार्यग्रहण कर लिया है।
- च) कोई विवाद है तो उसे केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2000 के विनियम के 67 के अनुसार निपटा दिया जायेगा।

निदेशकों का कार्यकाल:

योजना के खंड 9(4) के परिणाम स्वरूप चुना गया निदेशक तीन वर्षों के लिए पद का धारण करेगा और पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि ऐसा निदेशक निरंतर 6 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण नहीं करता हो।

उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और (3 ए ए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाले, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (i) के तहत ऐसे चुने गये निदेशक को हटाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार पर अधिनियम की धारा 9(3 बी) की ओर शेयरधारकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

SCRUTINY OF NOMINATIONS:

- a) Nominations shall be scrutinized on Tuesday, the 12th July, 2016 the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the Fit and Proper Guidelines dated 01st November, 2007 and 23rd May, 2011 issued by the Reserve Bank of India as well as the General Policies for nomination of Non Official Directors in Banks and Financial Institutions as issued by Ministry of Finance, Government of India from time to time.
- c) If there are only three valid nominations for the vacancies to be filled by election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event there shall be no election at the meeting. However, the elected shareholder directors shall assume office only on 27th July, 2016.
- d) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected and their names will be published in newspapers.
- e) The directors so elected shall be deemed to have assumed office from 27th July, 2016.
- f) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000.

TENURE OF DIRECTORS:

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Attention of Shareholders is invited to Section 9 (3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9 (3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) & (3AA) of the said Act.

नामांकनों का वापस लिया जाना:

कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह शुक्रवार, सायं 5.00 बजे 22 जुलाई 2016 को बैंक के कार्यसमय के समाप्त होने के पहले ऐसा कर सकता है।

अतिरिक्त निर्वाचित निदेशकों के सेवानिवृत्ति के तरीके

क) बैंक में गैर सरकारी धारण बैंक के प्रदत्त पूँजी के 16% व 32% से कम है तो बैंक बोर्ड में केवल एक / दो निदेशक को निर्वाचित करने के लिए अर्ह होंगे।


ख) योजना के खंड 4ए के अनुसार अतिरिक्त निदेशकों की संख्या का निर्धारण बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (i) के अनुसार किया जाता है तथा ऐसे शोयरधारकों (केन्द्र सरकार से अन्य) द्वारा निर्वाचित निदेशक के तुल्य निदेशक सेवानिवृत्त होंगे और सेवानिवृत्ति का क्रम सबसे अधिक कार्यकाल समाप्त निदेशक से शुरू होगा;

बशर्ते कि, यदि दो या दो से अधिक निदेशक के कार्यकाल तुल्य है तो, उन निदेशकों में से अधिक आयुवाले निदेशक पहले सेवानिवृत्त होंगे।

निदेशकों के हित:

बैंक के निदेशक यदि चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे समझा जाएगा कि वे उपर्युक्त कारोबारी मदों में हित रखेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा



राकेश शर्मा

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूर

तिथि : 03-06-2016

WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on i.e., 5.00 p.m. on Friday, the 22nd July, 2016.

MANNER OF RETIREMENT OF EXCESS ELECTED DIRECTOR :

- In the event of the non-governmental holding in the Bank reducing below 16 % & / 32% of the paid-up capital of the Bank, the Bank will be entitled to have only one / two Directors on the Board of the Bank.
- In terms of Clause 4A of the Scheme the number of excess director(s) shall be determined under the second proviso to clause (i) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and such number of directors elected by the shareholders (other than the Central Government) equal to the number so determined shall retire, and the order in which the directors shall retire, will begin with the longest serving director;

Provided that, if two or more directors have served for the same period of time, the older among the said directors shall retire first.

INTEREST OF DIRECTORS:

Directors of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the election.

By Order of the Board of Directors



RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru

Date : 03-06-2016

निदेशकों का निर्वाचन – संबद्ध अधिनियमों, योजना और विनियमों आदि का सारांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (i) के अनुरूप धारा 3 की उपधारा 2(बी) के खंड (सी) के तहत जारी की गई पूंजी की व्याप्ति के आधार पर शेयरधारक निदेशकों को नियुक्त किया जाना है। बैंकिंग कंपनी विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 की संबद्ध धाराओं और केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 की संबद्ध विनियमों को शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुनः उद्धृत किया गया है।

बैंकिंग कंपनी विनियम अधिनियम, 1949

पर्याप्तता हित – धारा 5 (एनई)

- कंपनी के संबंध में अर्थ है कि व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे द्वारा शेयर में लाभार्थी हित का धारण, चाहे वह अकेले लिया गया हो या संयुक्त रूप से, प्रदत्त राशि जो पाँच लाख रुपये से अधिक हो या कंपनी के प्रदत्त पूंजी के 10% से अधिक हो, इनमें से जो भी कम हो ;
- फर्म के संबंध में अर्थ है कि व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी हित का धारण, चाहे वह अकेले लिया गया हो या संयुक्त रूप से, जो कि कथित फर्म के सभी सहभागियों द्वारा लिये गये कुल पूंजी के 10% से अधिक है ;

सामान्य निदेशकों पर निषेध: धारा 16 (1)

भारत में निगमित कोई बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में किसी अन्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक को अपने निदेशक के रूप में नहीं लेगी।

ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध:

धारा 20 :

- कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में निहित किसी बात के विरुद्ध होते हुए कोई भी बैंकिंग कंपनी-
 - अपने खुद के शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं करेगी।
 - निम्नों को या उनके पक्ष में ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए किसी प्रकार की प्रतिबद्धता में प्रविष्ट नहीं होगी
 - उनके किसी निदेशक
 - कोई फर्म जिसमें साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में उसका कोई निदेशक हित रखता हो, या

ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME, REGULATIONS ETC.,

In terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under Clause (c) of Sub-Section 2 (B) of Section 3. The relevant Sections of The Banking Companies Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and relevant regulations of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest – Section 5(ne)

- in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid upon which exceeds five lakhs of rupees or ten per cent of the paid-up capital of the company, whichever is less;
- in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;

Prohibition of Common Directors: Section 16 (1)

No banking company incorporated in India shall have as a Director in its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on loans and advances:

Section 20:

- Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no banking company shall –
 - grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of
 - any of its directors
 - any firm in which any of its directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or

- iii) बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं होने वाली कोई कंपनी या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी, या किसी सरकारी कंपनी जिसकी अनुषंगी या धारक कंपनी जिसका बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधन एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर हो या जिसमें पर्याप्त हित रखता हो या
- iv) कोई व्यक्ति जिसके संबंध में निदेशक, साझेदार या गारंटर हो।
2. जहाँ बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया ऋण या अग्रिम इस प्रकार का हो, जिस की तारीख को ऋण या अग्रिम दिया गया है, उस तारीख को उपधारा (1) का खंड (ख) प्रवर्तन में हो तो उसकी मंजूरी जाने के लिए कोई वादा नहीं किया हुआ होगा या बैंकिंग विधि (आशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के आरंभ होने के बाद किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया हो, लेकिन ऐसे आरंभ किये जाने के पहले किये गये वादा के परिणामस्वरूप ऋण या अग्रिम के कारण बैंकिंग कंपनी को देय राशियाँ ब्याज के साथ ऋण या अग्रिम के मंजूर किये जाने के समय अनुबद्ध अवधि के अंदर या ऐसी अवधि अनुबद्ध नहीं की गई है तो कथित धारा 5 के आरंभ होने से एक वर्ष के समाप्त होने के पहले वसूल करने के कदम उठाये जाएंगे।
- बशर्त कि किसी संदर्भ में इस मामले में बैंकिंग कंपनी द्वारा लिखित रूप से आवेदन दिये जाने पर ऋण या अग्रिम की वसूली की अवधि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों के अधीन ऐसी तारीख तक बढ़ायेगा जो कथित धारा 5 के आरंभ होने से 3 वर्षों की अवधि के परे न हो।
- बशर्त और की संबंधित निदेशक मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्यथा बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद को रिक्त कर देता है तो यह उपधारा लागू नहीं होगी।
3. उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम या उसका कोई भाग भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषित शून्य और निष्प्रभावी होगा।
4. किसी व्यक्ति द्वारा संदेय उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर बैंकिंग कंपनी को चुकता नहीं किया हो तब ऐसा व्यक्ति कथित अवधि के समाप्त होने की तारीख को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो तो समझा
- iii) any company not being a subsidiary of the banking company or a company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the directors of the banking company is a director, managing agent, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
- iv) any individual in respect of whom any of its directors is a partner or guarantor.
2. Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-Section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the banking company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5.
- Provided that the Reserve Bank may, in any case on any application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions as the Reserve Bank may deem fit.
- Provided further that this Sub-Section shall not apply if and when the director concerned vacates the office of the director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.
3. No loan or advance, referred to in Sub-Section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
4. Where any loan or advance referred to in Sub-Section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that Sub-Section, then such person shall, if he is a director of such banking company on the date of the expiry of

जायेगा कि उसने कथित तारीख को अपने पद को रिक्त कर दिया है।

स्पष्टीकरण – इस धारा में

- क) “ऋण या अग्रिम” में ऐसा कोई संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे संव्यवहार के स्वभाव, जिस अवधि के अंदर और ऐसी परिस्थितियों जहाँ संव्यवहार के कारण देय राशि के वसूल किये जाने की संभावना है, जमाकर्ताओं के हित और अन्य संबद्ध पहलुओं के मद्देनजर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस धारा के लिए ऋण या अग्रिम के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं करेगा।
- ख) “निदेशक” में बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में गठित किसी बोर्ड या समिति का सदस्य शामिल होगा, जिसका गठन उसके प्रबंधन, या उसके प्रबंधन तंत्र को इस दिशा में परामर्श देने के लिए किया गया हो।
5. इस धारा के लिए कोई संव्यवहार ऋण होता है या अग्रिम इस बारे में कोई प्रश्न पृष्ठता है तो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित करना है उस पर जिनका निर्णय अंतिम होगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970

मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध:

धारा 3 (2 ई)– केंद्र सरकार के श्रेयधारक को छोड़कर नये बैंक का कोई भी श्रेयधारक नये बैंक के सारे श्रेयधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत के परे उसके द्वारा धरे गये श्रेयों के मामले में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन:

धारा 9 (3) (i): जहाँ धारा 3 की उपधारा 2(बी) के खंड सी में निर्गत पूँजी:

- I) कुल प्रदत्त पूँजी के 16% से अधिक न हो तो एक निदेशक
- II) कुल प्रदत्त पूँजी के 16% से अधिक लेकिन 32% से अधिक न हो तो दो निदेशक ।
- III) कुल प्रदत्त पूँजी के 32% से अधिक हो तो तीन निदेशकों को अपने में से केंद्र सरकार के श्रेयधारकों को छोड़कर चुना जाना है ।

बशर्ते है कि इस खंड के तहत ऐसे किसी निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण किये जाने पर खंड (एच) के तहत नामित निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट तरीके के सम संख्या में सेवानिवृत्त होंगे।

the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation – In this Section

- a) “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this section.
 - b) “Director” includes a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
5. If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restriction on Voting Rights:

Section 3 (2E) – No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors:

Section 9 (3) (i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:

- I) Not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one Director.
- II) More than sixteen per cent but not more than thirtytwo percent of the total paid-up capital, two Directors.
- III) More than thirty two percent of the total paid-up capital, three Directors.

to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause, equal number of Directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the scheme.

विश्वसनीयता और गोपनीयता के रूप में दायित्व:

धारा 13 (2): नये बैंक का प्रत्येक निदेशक, स्थानीक बोर्ड या समिति का सदस्य या लेखा परीक्षक, परामर्शदाता, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों में प्रविष्ट होने के पहले तीसरी सूची में रूपायित पत्र में विश्वसनीयता और गोपनीयता की घोषणा करें।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970

खंड 11: निदेशक आदि के पद रिक्त करना

- i) कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट अयोग्यता के दौर से गुजरता हो या बोर्ड की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होता हो तो समझा जाता है कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है और उसका पद रिक्त हो जायेगा।
- ii) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड बी या खंड सी में संदर्भित प्रबंध निदेशक को शामिल करके अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक केंद्र सरकार को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद से त्यागपत्र देता हो और उस सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र के स्वीकारे जाने पर समझा जाता है कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है; और केन्द्र सरकार को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद से कोई अन्य निदेशक त्यागपत्र देता हो तो ऐसा त्यागपत्र केंद्र सरकार द्वारा उसके प्राप्त होने पर प्रभावी होगा।
- iii) उपर्युक्त उपखंडों के प्रावधान की पूर्वधारणा के बिना अधिनियम 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद जिसका वह निदेशक है, उस राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार से अन्य को छोड़कर कामगार या कर्मचारी नहीं रह जाता हो तो संदर्भित निदेशक का पद रिक्त हो जाता है।
- iv) निर्वाचित निदेशक से अन्य जहाँ निदेशक के पद में रिक्ती उद्भूत होती है तो अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के अनुरूप उसे भरा जायेगा।

खंड 11 ए: निर्वाचित निदेशक को पद से हटा देना:

केन्द्र सरकार से अन्य शेयरधारक ऐसे शेयरधारकों द्वारा भरी गई शेयर पूँजी के एक / आधे से कम नहीं होने वाली शेयर पूँजी का धारण करने वाले शेयरधारकों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ए) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटाकर उस रिक्ती को भरने के लिए उसके बदले में अन्य व्यक्तियों को चुन सकते हैं।

Obligation as a Fidelity and Secrecy:

Section 13 (2): Every Director, member of a local board or a committee, or auditor, advisor, officer or other employee of a corresponding new bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Clause 11: Vacation of Office of Director, etc.

- i) If a Director becomes subject to any of the disqualification as specified in Clause 10, or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- ii) The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in Clause (b) or Clause (c) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- iii) Without prejudice to the provision of the foregoing Sub-Clauses, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
- iv) Where any vacancy occurs in the office of a Director, other than an elected director, it shall be filled in accordance with Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.

Clause 11A: Removal from Office of an Elected Director:

The Shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of votes of such Shareholders holding in aggregate, not less than one-half of the share capital held by all such Shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 and elect instead of another person to fill the vacancy.

खंड 11 बी: निर्वाचित निदेशक के पद में रिक्ती को भरना:

1. निर्वाचित निदेशक के पद के कार्यकाल समाप्त हो जाने के पहले कोई रिक्ती उद्भूत होती है तो उसे निर्वाचन द्वारा भरा जायेगा; बशर्ते कि रिक्ती अवधि छः महीनों से कम होने की संभावना है तो उसे शेष निदेशकों द्वारा भरा जाये।
2. जैसी भी स्थिति हो उपखंड (1) में निर्वाचित या शामिल किया गया व्यक्ति उसके पूर्ववर्ती निदेशक की शेष अवधि तक पद संभालेगा।

निदेशकों द्वारा हितधारण का प्रकट किया जाना:

खंड 12(8): राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसके पक्ष में प्रविष्ट किसी संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित रखने वाला निदेशक संबद्ध परिस्थितियों के बारे में उसकी जानकारी में आने के बाद जितना शीघ्र हो सके बोर्ड को अपने हित के स्वभाव के बारे में प्रकट करेगा। और जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाती तो ऐसी, संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव पर चर्चा की जाने वाली बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और उपस्थित होना अपेक्षित कोई भी निदेशक ऐसी संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि निम्न कारण द्वारा ऐसे निदेशक पर उप-धारा में समाहित कुछ भी इन पर लागू नहीं होगा

- i) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी में प्रदत्त पूँजी की दो प्रतिशत से अधिक धारण करने वाला शोयरधारक (निदेशक से अन्य) या भारत में संप्रति प्रवर्तन किसी विधि के तहत स्थापित किसी निगम या सहकारी संस्था इसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव में प्रविष्ट हुआ हो या प्रस्ताव करता हो।
- ii) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक हो तो राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो तो ऐसे निदेशक पर ऐसे उपखंड में निहित कोई तथ्य लागू नहीं होगा।

केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) अधिनियम, 2000

अध्याय II

शेयर व शेयर पंजियाँ

10. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

कोई शेयर एक या अधिक व्यक्तियों के नाम से रहे हों तो रजिस्टर में पहले नाम दर्ज किये गये व्यक्ति को समझा जाएगा कि वह शेयरों के अंतरण को छोड़कर मतदान, लाभांश प्राप्त करना, सूचना प्रेषण और केनरा बैंक से संबद्ध कोई और मामलों में एकल शेयरधारक है।

Clause 11 B: Filling of Vacancy in the Office of an Elected Director:

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of a elected Director, the vacancy shall be filled in by election;
Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.
2. A person elected or co-opted as the case may be, under Sub-Clause (1) shall hold office for the un-expired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of Interest by Directors:

Clause 12 (8): A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal.

Provided that nothing contained in this Sub-Clause shall apply to such Director by reason of his being:

- i) A shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative Society, with which or to which the nationalized Bank has entered into or made or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal, or
- ii) An officer or other employee of the nationalized bank, if he is a Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.

CANARA BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2000

CHAPTER II

SHARES AND SHARE REGISTER

10. Exercise of Rights of Joint Holders:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Canara Bank except the transfer of shares, be deemed to be sole holder thereof.

अध्याय IV

शेयरधारकों की बैठक

61. सामान्य बैठक में मतदान

- i) किसी सामान्य बैठक में मतदान के लिए प्रस्तुत किये गये संकल्प पर, मतदान अपेक्षित नहीं हो तो हाथ दिखाने के द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- ii) अधिनियम के प्रावधान के अन्यथा सामान्य बैठक के सामने प्रस्तुत किये गये हर मामले पर बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- iii) उप विनियम (1) के तहत मतदान अपेक्षित नहीं होता तो बैठक के अध्यक्ष के इस आशय की घोषणा की हाथ दिखाने के द्वारा संकल्प विशेष को एकमत से या बहुमत विशेष के साथ अपनाया गया है या अपनाया नहीं गया है और ऐसे संकल्प के पक्ष में या विरुद्ध प्राप्त मतों की संख्या और अनुपात के साक्ष्य के बिना कार्रवाही का कार्यवृत्त रहने वाली बहियों में इस आशय की प्रविष्टि उस तथ्य का निष्कर्षात्मक साक्ष्य होगा।
- iv) हाथ दिखाकर किसी संकल्प पर किये गये मतदान के परिणाम की घोषणा के पहले या किये जाने पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा मतदान का आदेश दिया जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित किसी शेयरधारक या शेयरधारकों द्वारा उस आशय से की गई माँग पर मतदान प्राप्त करने के लिए आदिष्ट होगा।
- v) मतदान की माँग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान की माँग कभी भी वापस ली जा सकती है।
- vi) बैठक के आस्थगन या अध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न पर माँगा गया चुनाव तत्काल होगा।
- vii) किसी अन्य प्रश्न पर माँगा गया मतदान बैठक के अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार लिया जायेगा, जो माँग किये समय से 48 घंटों के बाद न हो।
- viii) मतदान करने के लिए व्यक्ति विशेष की योग्यता और मतदान अपनाये जाने के संदर्भ में भी व्यक्ति विशेष कितने मत देने के लिए सक्षम होगा, इन पर बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

CHAPTER IV

MEETING OF SHAREHOLDERS

61. Voting at General Meeting.

- i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to the general meeting shall be decided by a majority of votes.
- iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against such resolution.
- iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

अध्याय V

निदेशकों का निर्वाचन

63. सामान्य बैठक में निर्वाचित किये जाने वाले निदेशक :

- i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत केंद्र सरकार को छोड़कर रजिस्टर पर रहने वाले उनके द्वारा शेयरधारकों में से केनरा बैंक की सामान्य बैठक में निदेशक को चुना जायेगा।
- ii) किसी सामान्य बैठक में निदेशक का निर्वाचन किया जाना है तो उसकी सूचना बैठक आयोजित करने की सूचना में शामिल की जायेगी। ऐसी प्रत्येक सूचना निर्वाचित किये जाने वाले निदेशकों की संख्या और जिन रक्तियों के लिए चुनाव किया जा रहा है, उनका ब्यौरा भी विनिर्दिष्ट करें।

64. शेयरधारकों की सूची:

- i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (1) के तहत निदेशक को निर्वाचित करने के लिए उन शेयरधारकों की सूची बनाई जायेगी, जिनके द्वारा निदेशक को चुना जाना है।
- ii) सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, शेयरों को पंजीकृत करने की तारीखों के साथ उनके द्वारा धरे गये शेयरों की संख्या और विशिष्ट संख्याएं और निर्वाचन आयोजित की जाने वाली बैठक के लिए नियत तारीख पर वे कितने मतों के लिए पात्र होंगे, उसकी संख्याएं होंगी। और सूची की प्रतियाँ बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा नियत मूल्य पर बैठक के लिए नियत तारीख के पहले कम से कम तीन हफ्तों के पहले प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होंगी।

67. निर्वाचन संबंधी विवाद:

- i) निर्वाचित समझे या निर्वाचित घोषित किये जानेवाले व्यक्ति विशेष की योग्यता या अयोग्यता के बारे में, या निदेशक के निर्वाचन की विधिमान्यता के बारे में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र प्रत्याशी या शेयरधारक होने वाला कोई इच्छुक व्यक्ति, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा तिथि के सात दिनों के अंदर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक को लिखित रूप से सूचित करेगा

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

63. Directors to be elected at General Meeting:

- i) A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of Canara Bank.
- ii) Where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of Shareholders:

- i) For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

67. Election Disputes:

- i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing

और कथित सूचना में जिन बातों के आधार पर निर्वाचन की विधिमान्यता पर वह संदेह कर रहा है या विवाद खड़ा कर रहा है।

- ii) उप विनियम (1) के तहत सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक ऐसी समिति के निर्णय के लिए ऐसे संदेह या विवाद को संदर्भित करेगा, जिसमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) या (एफ) या (जी) या (एच) के तहत नामित कोई दो निदेशक होंगे।
- iii) उप विनियम 2 में संदर्भित समिति उसके द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली पूछ-ताछ करेगी और यदि वह यह महसूस करे कि चुनाव विधिमान्य है, तो वह निर्वाचन के परिणाम घोषित करेगी या चुनाव को विधिमान्य नहीं महसूस करता है तो वह जाँच-पड़ताल के शुरू के 30 दिनों के अंदर उसे संगत लगने वाली परिस्थितियों में नये सिरे से निर्वाचन आयोजित करने के साथ-साथ ऐसे आदेश और निर्देश दे सकती है।
- iv) इस विनियम के परिणामतः ऐसी समिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे।

अध्याय VI

शेयरधारकों के मतदान अधिकार

68. मतदान अधिकारों का निर्धारण:

- i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन सामान्य बैठक की तिथि के पहले रजिस्टर बंद कर दिये जाने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को ऐसी बैठक में हाथ दिखाने पर एक मत प्राप्त होगा और मतदान आयोजित किये जाने पर उसके द्वारा धरे गये प्रत्येक शेयर के लिए एकमत होगा।
- ii) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन उपर्युक्त अनुसार मत देने के लिए पात्र प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी न हो, जो व्यक्तिशः या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो या कंपनी हो तो विधिवत प्रधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो को हाथ दिखाने पर एक मत प्राप्त होगा और मतदान आयोजित किये जाने पर उसके द्वारा धरे गये प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा। जैसे उपर्युक्त उपविनियम (1) में बताया गया है।

स्पष्टीकरण-इस अध्याय के लिए "कंपनी" का अर्थ किसी भी नयगम निकाय से है।

thereof to the Chairman and Managing Director of Canara Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

- ii) On receipt of an intimation under Sub-Regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Canara Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (e) or (f) or (g) or (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of Voting Rights:

- i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i).

Explanation – for this Chapter, “Company” means any body corporate.

कृपया नोट करें कि शेयरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में मतदान केवल ई-मतदान व पोल के माध्यम से ही किया जाएगा।

iii) सामान्य बैठक में उपस्थित होकर मत देने के लिए पात्र बैंक के शेयरधारक उनके बदले में उपस्थित होकर मत देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में अन्य व्यक्ति (शेयरधारक हो या न हो) नियुक्त करने के लिए पात्र होगा और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं होगा।

69. विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान:

- केंद्र सरकार या कंपनी होने वाला शेयरधारक जैसी भी स्थिति हो प्रस्ताव द्वारा शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी अधिकारी को या अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि कहा गया)। प्राधिकृत व्यक्ति केंद्र सरकार या जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी तरफ से उन्हीं अधिकारों का उपयोग करने के लिए पात्र होगा, जैसे वह केनरा बैंक का व्यष्टी शेयरधारक हो। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्पतः दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार या कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि की भूमिका निभा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में विधिवत नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की प्रति पर जिस बैठक में उसे पारित किया गया है, उसके अध्यक्ष द्वारा उसके सत्य प्रतिलिपि होने के आशय के प्रमाणन के बिना और उसे बैठक की नियत तारीख के चार दिन पहले केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में केनरा बैंक के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित नहीं होगा या मत देगा।

70. प्रॉक्सियाँ:

- व्यष्टी शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत अटर्नी या संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम शेयरधारक के रूप में नाम लिखे गये शेयरधारक या उसके विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा या नयगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया हो तो कोई भी प्रॉक्सी पत्र विधिमान्य नहीं होगा।

बशर्ते कि कोई प्रॉक्सी पत्र किसी शेयरधारक, जो किसी कारणवश, अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, द्वारा पर्याप्त: हस्ताक्षरित होगा, यदि उसका चिन्ह उस पर अंकित होकर किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, एड्यूरेंस के रजिस्ट्रार या

PLEASE NOTE THAT THE VOTING IN RESPECT OF ELECTING SHAREHOLDER DIRECTOR SHALL ONLY BE DONE BY REMOTE e-VOTING AND POLL.

- Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by Duly Authorised Representative:

- A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a 'duly authorized representative' in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of Canara Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government / Company.
- No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Canara Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Proxies:

- No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorized in writing or in the case of joint holders, it is signed by the Shareholder first named in the register or his attorney duly authorized in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing;

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a

उप-रजिस्ट्रार, अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाता हो।

- ii) विधिवत स्टैम्प होकर उसकी प्रति बैठक के लिए नियत तारीख से चार दिन पहले ऐसे मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि है तो) पहले ही केनरा बैंक में जमा और पंजीकृत नहीं किया गया है तो, जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किये गये हैं उस मुख्तारनामे या प्राधिकार की प्रति जिसे सत्य प्रतिलिपि होने के आशय से नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया हो, के साथ केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं की जाती तो कोई भी प्रॉक्सी विधिमान्य नहीं होगी।
- iii) फॉर्म 'बी' में न हो तो कोई भी प्रॉक्सी पत्र विधिमान्य नहीं होगा।
- iv) केनरा बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी पत्र वापस नहीं होगा और अंतिम होगा।
- v) विकल्पतः दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर किया गया है तो एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं होंगे।
- vi) इस विनियम के तहत प्रॉक्सी पत्र देने वाला वह पत्र जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिः मत देने के लिए पात्र नहीं होगा।
- vii) केनरा बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना – डीबीओडी सं. 46/29.39.001/2007-08 और डीबीओडी सं. 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01 नवम्बर 2007 और डीबीओडी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नगत अधिसूचित किया है:

इसके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त नामांकन समिति द्वारा योग्य और उचित हैसियत नहीं दी जाती तो कोई भी नामांकन विधिमान्य नहीं होगा। नामांकनों के साथ शिक्षा योग्यता, अनुभव और विशेष ज्ञानता क्षेत्र और प्रत्याशियों की विश्वसनीयता के मामले में योग्य और उचित हैसियत निर्धारित करने के लिए नामांकन समिति को समर्थ बनाने के लिए प्रत्याशियों के बारे में अतिरिक्त सूचना होनी चाहिए। किसी प्राधिकार या नियंत्रक एजेंसी के प्रतीप अवलोकन या किसी बैंक या वित्त संस्था के ऋण की चूक या दिवालिया संबंधित प्रत्याशी को बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य और अनुचित बनायेगा।

Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.

- ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority, certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Canara Bank.
- iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'.
- iv) An instrument of proxy deposited with Canara Bank shall be irrevocable and final.
- v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- vii) No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.

Notification of Reserve Bank of India – DBOD No. BC No. 46/29.39.001/2007-08 & DBOD No. 47/29.39.001/2007-08, dated 01st November, 2007 and DBOD No. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 :

The Reserve Bank of India has notified as under:

NO nomination shall be valid unless "Fit and Proper" status is accorded by the Nomination Committee appointed by the Board of Directors of the Bank for this purpose. The Nominations should accompany additional information about the candidates to enable the Nomination committee to decide on the Fit and Proper status with regard to educational qualification, experience and field of expertise, track record and integrity of the candidates. Adverse notice of any authority / regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the respective candidate unfit and improper to be elected as a director on the Board.

अधिसूचना की प्रमुख विशेषताएं:

“योग्य व उचित” स्थिति के निर्धारण हेतु प्राधिकरण, व्यवस्था / प्रक्रिया व मानदंड निम्न अनुसार है:

क) प्राधिकरण:

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेशक मंडल में से न्यूनतम तीन निदेशकों (सभी स्वतंत्र / गैर-कार्यपालक निदेशक) वाले “नामांकन समिति” का गठन करने की आवश्यकता है। निदेशक मंडल को स्वयं में से एक को नामांकन समिति का अध्यक्ष भी चुनना चाहिये। अपेक्षित कोरम तीन है, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं। पहले से नामांकित किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति में निदेशक मंडल बैठक हेतु किसी भी अन्य स्वतंत्र निदेशक को उसके स्थान पर नामांकित कर सकता है। नामांकन समिति के गठन के समय बोर्ड उसके कार्यकाल पर विचार कर सकता है।

ख) व्यवस्था व प्रक्रिया:

नामांकन समिति को मौजूदा निर्वाचित निदेशक / कथित अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के तहत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के ‘उचित व योग्य’ स्थिति के निर्धारण हेतु समुचित सावधानी बरतनी चाहिये। इस उद्देश्य हेतु बैंक को चुनाव हेतु नामांकन दायर करने वाले मौजूदा निर्वाचित निदेशकों / व्यक्तियों से संलग्नित प्रारूप (अनुबन्ध-1) में आवश्यक सूचना व घोषणा प्राप्त करनी चाहिये। नामांकन समिति को निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के मामले में नामांकन की स्वीकार्यता के अंतिम तिथि से पूर्व बैठक आयोजित करनी चाहिये एवं तत्पश्चात यह निर्णय लेना चाहिये कि निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर उस व्यक्ति का अभ्यावेदन स्वीकार करना या नहीं। समिति की परिचर्चा बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में उचित रूप से रिकॉर्ड किया जाना चाहिये एवं यदि मतदान होता है तो, मौजूदा व प्रस्तावित निदेशकों, दोनों के मामले में ही उचित रूप से नोट किया जाना चाहिये। हस्ताक्षरित घोषणा में उपलब्ध सूचना के आधार पर नामांकन समिति को अभ्यर्थी के स्वीकार्यता या अन्यथा पर निर्णय लेना चाहिये एवं जहाँ आवश्यक लगे, वहाँ इंगित आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्राधिकरण / व्यक्ति को संदर्भित किया जाना चाहिये।

क) मानदंड:

नामांकन समिति को निम्नलिखित अनुसार व्यापक मानदंडों के आधार पर मौजूदा निर्वाचित निदेशक / प्रस्तावित अभ्यर्थी के ‘योग्य व उचित’ स्थिति का निर्धारण करना चाहिये :

- शैक्षणिक योग्यता
- अनुभव व विशेषज्ञता का क्षेत्र

SALIENT FEATURES OF THE NOTIFICATION/S :

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the “Fit and Proper” status etc., are as under:

a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a “nomination committee” consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

b) Manner and procedure:

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the ‘fit and proper’ status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act *ibid*. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure-1), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person’s candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee’s discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

c) Criteria

The nomination committee should determine the ‘fit and proper’ status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- Educational Qualification
- Experience and field of expertise

(iii) ट्रैक रिकॉर्ड व अखंडता

(उपरोक्त सूची केवल दृष्टांत है एवं संपूर्ण नहीं है)

नामांकन समिति को यह देखना चाहिये कि उपरोक्त मानदंडों में से किसी का भी गैर-अनुपालन मौजूदा निर्वाचित निदेशक / प्रस्तावित प्रत्याशी को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में दायित्व उन्मोचित करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है या नहीं। आगे, किसी भी प्राधिकरण / विनियामक एजेंसी से प्रतिकूल नोटिस के अंतर्गत आए प्रत्याशी या किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण के मामले में चूककर्ता या दिवालियापन वाले व्यक्ति बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अयोग्य व अनुचित होंगे।

ख) अन्य मामले:

यह वांछित है कि जनहित में यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्वाचित निदेशक प्रत्येक वर्ष यथा 31 मार्च को प्रसविदा विलेख निष्पादित कर रहे हैं (डॉ. गांगुली ग्रुप द्वारा भा.रि.बै. परिपत्र डीबीओडी संख्या बीसी. 116/08.139.001/ 2001-02 दिनांक 20.06.2002 द्वारा किए गए सिफारिशानुसार)

यह भी अनिवार्य है कि सभी निर्वाचित निदेशकों को प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को एक साधारण घोषणा देनी है कि उनके द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है एवं जहाँ भी परिवर्तन हुआ है, वहाँ निदेशक द्वारा अपेक्षित जानकारी दी गई है। यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो नामांकन समिति को फिर से समुचित सावधानी बरतनी चाहिये एवं निदेशक के 'योग्य व उचित' स्थिति की फिर से जाँच करनी चाहिये।

अशकालिक अनाधिकारिक निदेशकों के चयन हेतु दिशानिर्देश – भारत सरकार दिशानिर्देश दिनांकित 01.06.2011, जिसे कि भारत सरकार कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 03.09.2013 द्वारा लागू किया गया है एवं एमओएफ पत्र संख्या 16/51-2012-बीओ-आई दिनांकित 28.04.2015 (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश) द्वारा संशोधित किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक / वित्तीय संस्थान आदि के निदेशक मंडल में अशकालिक अनाधिकारिक निदेशक (एनओडी) के नामांकन हेतु निम्न मानदंडों को अपनाया जा सकता है।

सामान्य

1. प्रासंगिक अधिनियमों / नियमों के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए नामांकन किया जाएगा।

अर्हता व अनुभव, ट्रैक रिकॉर्ड, विश्वसनीयता आदि अनुसार नामित की उपयुक्तता को मूल्यांकित किया जा सकता है। विश्वसनीयता व उपयुक्तता मूल्यांकित करने हेतु आपराधिक रिकॉर्ड पर जानकारी, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋण वसूली हेतु किये गये सिविल कार्य, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश करने से मना या निष्कासन, नियामकों और इसी तरह के निकायों द्वारा लागू प्रतिबंधों, पिछले संदिग्ध कारोबार अभ्यास आदि पर पर विचार किया जाएगा।

(iii) Track record and integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive.)

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank

d) Other matters

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr.Ganguly Group) vide RBI circular DBOD. No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTORS – GOI GUIDELINES DATED 01.06.2011 as made applicable vide GOI Office Memorandum dated 03rd September, 2013 and revised vide MOF Letter No, 16/51-2012-BO-I dated 28.04.2015 (the extant guidelines of GOI):

The following criteria may be adopted for nomination of Part-Time Non-Official Directors (NOD) on the boards of public sector banks / financial institutions etc.,

GENERAL

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.

The suitability of nominees may be assessed in terms of qualification and expertise, track record, integrity etc., For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

अनुभव

- क) कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहयोग, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट नियम, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्र में श्रेष्ठ विशेष शैक्षिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को सामान्यतः विचारार्थ लिया जाएगा। एक उच्च पद पर 20 वर्षों का उद्योग अनुभव, संबंधित क्षेत्रों (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया, एक असफल संगठन में बदलाव लाया) में स्थापित विशेषज्ञता को अधिमान्यता दिया जाएगा।
- ख) कुल 20 वर्षों के अनुभव के साथ सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जिनका संयुक्त सचिव व ऊपर के पद पर न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से सेवानिवृत्त सीएमडी / ईडी। पूर्व-सीएमडी / ईडी को उस पीएसबी के बोर्ड में अनाधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा, जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। पीएसबी के सेवारत सीएमडी / ईडी को किसी अन्य पीएसबी के बोर्ड में अनाधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
- ग) 20 वर्षों से अधिक के अनुभव युक्त प्रमुख बैंकिंग प्रबन्धन संस्थान के शिक्षाविद निदेशक व प्रोफेसर
- घ) 20 वर्षों के अनुभव युक्त सनदी लेखाकार (ऑडिट अनुभव के अलावा) को अधिमान्यता दिया जाएगा।
- ङ) यद्यपि, मामले के मेरिट के आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंडों में रियायत दी जा सकती है।
- च) जहाँ तक संभव हो, महिला व अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. समुदाय से संबद्ध व्यक्ति को भी अभ्यावेदन दिया जा सकता है।

शिक्षा

अनाधिकारिक निदेशक कम से कम किसी भी क्षेत्र में, अधिमानित रूप से कारोबार प्रबन्धन, जोखिम प्रबन्धन, वित्त, मानव संसाधन व आईटी में विशेषज्ञता के साथ स्नातक होना चाहिये।

आयु

सर्च समिति द्वारा सिफारिश की तिथि पर निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

कार्य अनुभव

पेशेवरों / शिक्षाविदों के पास आमतौर पर उनके विशेष क्षेत्र में 20 वर्षों का कार्य-अनुभव होना चाहिए।

अयोग्यता

- क) किसी भी वर्ग के तहत बैंक / वित्तीय संस्थान (एफआई) / भा. रि.बै. / बीमा कंपनी में पहले से निदेशक को किसी भी अन्य

EXPERIENCE

- a) Persons with eminence special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
- b) Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.
- c) Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
- d) Chartered Accountants with 20 years experience (excluding audit experience) would also be preferred.
- e) However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.
- f) As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC / ST / OBC community.

EDUCATION

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

AGE

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

WORK EXPERIENCE

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

DISQUALIFICATIONS

- a) A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category,

बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

- ख) अवक्रम, वित्तपोषण निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से संबद्ध व्यक्ति, एमपी, एमएलए, एमएलसी व स्टॉक ब्रोकर को बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी के बोर्ड में अनाधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। अवक्रम, वित्तपोषण निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में लिप्त निवेशक, यदि उसके पास ऐसी कंपनी में प्रबन्धकीय नियंत्रण नहीं है तो, अनाधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु अयोग्य होगा।
- ग) व्यक्ति जिसने दो अवधि या 6 वर्षों हेतु, इनमें से जो भी दीर्घ है, किसी भी वर्ग के तहत पूर्व में निदेशक के रूप में कार्य किया है तो, उसे बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी के बोर्ड में अनाधिकारिक निदेशक के रूप में पुनःनामित नहीं किया जाएगा।

कार्यकाल

यदि ऐसा निदेशक पहले से ही निरंतर या मध्यस्थ आधार पर 6 वर्षों हेतु किसी भी अन्य बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी के बोर्ड में अनाधिकारिक निदेशक / शेरधारक निदेशक रहा है तो बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

व्यावसायिक प्रतिबन्ध

व्यावसायिक प्रतिबन्ध के मुद्दे को यथा, राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबन्धन व विविध) प्रावधान योजना, 1970 की धारा 10(डी) के तहत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में लाभ युक्त पद, को अलग से जाँचा जाना चाहिये।

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के बोर्ड पर देश के सभी 6 क्षेत्रों – उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, केन्द्रीय व उत्तरी-पूर्व से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिये।

may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.

- b) Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
- c) No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

TENURE

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

PROFESSIONAL RESTRICTION

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalised Banks Scheme (Management and Miscellaneous) Provision Scheme, 1970 may be separately examined.

REGIONAL REPRESENTATION

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

प्रगति की झलक / PROGRESS AT A GLANCE

(राशि ₹ करोड़ / Amt. ₹ Crore)

	2013-14	2014-15	2015-16
शाखाओं की संख्या / Number of Branches	4755	5682	5849
एटीएम की संख्या / Number of ATMs	6312	8533	9251
प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital	461	475	543
आरक्षित निधियाँ / Reserves	29159	31384	31060
कुल जमाएं / Aggregate Deposits	420723	473840	479792
वृद्धि (%) / Growth (%)	18.23	12.63	1.26
अनिवासी जमाएं / Non-Resident Deposits	22984	28829	34286
विदेशी कारोबार / Foreign Business Turnover	166036	176274	201860
अग्रिम (निवल) / Advances (Net)	301067	330036	324715
वृद्धि (%) / Growth (%)	24.32	9.62	(1.61)
खुदरा अग्रिम / Retail Advances	33529	42298	54069
वृद्धि (%) / Growth (%)	45.25	26.15	27.83
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances	97762	118234	145558
वृद्धि (%) / Growth (%)	23.75	20.94	23.11
कृषि / Agriculture	48797	58868	67176
वृद्धि (%) / Growth (%)	19.64	20.64	14.11
कृषि (संवितरण) / Agriculture(Disbursal)	41667	45232	57018
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम / Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)	50040	60604	66689
वृद्धि (%) / Growth (%)	35.18	21.11	10.04
डीआरआई योजना के तहत अग्रिम / Advances under DRI Scheme	145	173	177
अनु.जा./अनु.जन.जा. ग्राहकों को अग्रिम / Advances to SC/ST Clients	6102	6466	6886
निर्यात साख / Export Credit	11854	11785	10761
कुल आय / Total Income	43480	48300	48897
कुल व्यय / Total Expenditure	36684	41350	41751
परिचालन लाभ / Operating Profit	6796	6950	7147
निवल लाभ / Net Profit / Net Loss	2438	2703	(2813)
ग्राहक आधार (करोड़ में) / Clientele (In Crore)	5.55	6.58	7.24
कुल कर्मचारियों की संख्या / Total Number of Staff	48794	53984	54008
नकद वसूली / Cash Recovery	5494	5993	4758
मुख्य कार्यनिष्पादन अनुपात (%) / Key Performance Ratios (%)			
पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	10.63	10.56	11.08
सकल एनपीए अनुपात / Gross NPA Ratio	2.49	3.89	9.40
निवल एनपीए अनुपात / Net NPA Ratio	1.98	2.65	6.42
औसत आस्तियों पर प्रतिफल / Return on Average Assets	0.54	0.55	(0.52)
इक्विटी पर प्रतिफल / Return on Equity	10.59	11.06	(10.69)
बही मूल्य (₹) / Book Value (₹)	522.76	552.54	477.19
निवल ब्याज मार्जिन / Net Interest Margin	2.27	2.25	2.19



निदेशकों की रिपोर्ट

2015-2016

DIRECTORS' REPORT

निदेशकों की रिपोर्ट: 2015-16

निदेशक मंडल द्वारा यथा 31 मार्च, 2016 की अवधि के लिए तुलनपत्र व यथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा सहित 47वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण

I. आर्थिक परिवेश

वर्ष के दौरान विश्व की मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में कमजोर वृद्धि के बावजूद भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी की गई अनंतिम अनुमानों के अनुसार 2014-15 की 7.2% की तुलना में वर्ष 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.6% तक सुधार हुआ है। कृषि व सहायक गतिविधियों में पिछले वर्ष की 0.2% की हास की तुलना में 1.2% की वृद्धि दर्ज हुई है। खनन व उत्खनन क्रमशः पिछले वर्ष के 10.8% की तुलना में 7.4% रही। विनिर्माण क्षेत्र में पिछले वर्ष के 5.5% की तुलना में 9.3% की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई। निर्माण क्षेत्र में पिछले वर्ष के 4.4% की तुलना में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई। बिजली, गैस, जल आपूर्ति व अन्य उपयोगिता सेवाएं पिछले वर्ष के 8% की तुलना में बढ़कर 6.6% रही। सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल, परिवहन व संचार तथा प्रसारण से संबंधित सेवाओं में 9% (9.8% विगत वर्ष) की वृद्धि दर्ज की। वित्तीय, बीमा, स्थावर संपदा व व्यावसायिक सेवाओं ने 10.3% (10.6%) की वृद्धि दर्ज की तथा लोक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाओं में 6.6% (10.7%) की वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति दर अस्थिर रहा। वर्ष के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2016 के दौरान अपने उच्चतम स्तर 5.69% रहा तथा मार्च 2016 के दौरान कम होकर 4.83% हो गया। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) वर्ष भर नकारात्मक स्तर पर रही।

2015-16 के दौरान मुख्य रूप से वैश्विक व्यापार में मंदी, उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में गिरावट और कमजोर वैश्विक मांग के कारण बाह्य क्षेत्र की वृद्धि में गिरावट आई। वाणिज्यिक आसूचना व सांख्यिकी महा निदेशालय (डीजीसीआईएस) द्वारा जारी किए गए अनंतिम डाटा के अनुसार व्यापारिक निर्यात 2014-15 की 310 बिलियन यूएस डालर से 15.8% घटकर 2015-16 में 261 बिलियन यूएस डालर रहा। वर्ष के दौरान मुख्य रूप से तेल व गैर-तेल आयात में गिरावट के कारण, आयात विगत वर्ष की 448 बिलियन यूएस डालर की तुलना में 15.2% घटकर 380 बिलियन यूएस डालर रहा। उपरोक्त के कारण 2014-15 में 138 बिलियन यूएस डालर के व्यापार घाटा की तुलना में 2015-16 में घटकर 118 बिलियन यूएस डालर हो गया। वर्ष 2015-16 के लिए चालू खाता घाटा (सीएडी) सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% तक रहने का अनुमान है।

DIRECTORS' REPORT: 2015-16

The Board of Directors have pleasure in presenting the 47th Annual Report together with the Balance Sheet as on 31st March, 2016 and Profit & Loss Account for the financial year ended March 31, 2016.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

I. Economic Environment

India has emerged as the fastest growing economy in the world during the year, amidst weak growth in several major economies. As per the provisional estimates released by the Central Statistical Organization (CSO), India's Gross Domestic Product (GDP) improved to 7.6% growth in 2015-16 compared to 7.2% in 2014-15. Agriculture and allied activities recorded a growth of 1.2% compared to a decline of 0.2% last year. Mining & quarrying grew by 7.4% compared to 10.8% last year. Manufacturing sector grew higher by 9.3% compared to 5.5% in the previous year. Construction grew by 3.9% against 4.4% last year. Electricity, gas, water and other utility services grew by 6.6% compared to 8.0% last year. In the services segments, trade, hotels, transport and communication and services related to broadcasting grew by 9% (9.8% last year), financial, insurance, real estate and professional services grew by 10.3% (10.6%) and public administration, defence and other services grew by 6.6% (10.7%).

The inflation rate remained volatile during the year. The retail inflation measured by Consumer Price Index (CPI) peaked to 5.69% in the month of January 2016, which subsequently moderated to 4.83% in March 2016. Wholesale Price Index (WPI) remained in the negative territory throughout the year.

External sector growth declined during 2015-16, mainly on account of slowdown in global trade, decline in commodity prices and weak global demand. As per the provisional data released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), during 2015-16, merchandise exports of India declined by 15.8% to US \$261 billion compared to US \$310 billion in 2014-15. Imports declined by 15.2% to US \$380 billion compared to US \$448 billion last year, mainly owing to lower oil and non-oil imports during the year. On account of the above, trade deficit narrowed to US \$118 billion in 2015-16 compared to US \$138 billion in 2014-15. Current Account Deficit (CAD) reduced to 1.1% of GDP in 2015-16 compared to 1.3% last year.

वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार व भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की वजह से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। भारत की सतत विकास गाथा में घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों का ध्यान आकृष्ट व विश्वास हासिल करते हुए कारोबार के मनोभाव में सुधार हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पिछले साल की 33.66 बिलियन यूएस डालर की तुलना में 2015-16 में 45.19 बिलियन यूएस डालर की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक बैंक को पुनः जीवित और दवाबमुक्त करने के लिए पुनर्पूँजीकरण समर्थन सहित 'इंद्रधनुष' नाम के तहत एक व्यापक सुधार योजना की घोषणा की है।

कर्नाटक में आर्थिक परिवेश

कर्नाटक के आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में गिरावट के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में वृद्धि वर्ष 2014-15 की 7.8% तुलना में 6.2% रही। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कर्नाटक का योगदान 7% है।

केनरा बैंक, मूल रूप से कर्नाटक राज्य में आरम्भ होने के कारण राज्य में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति को बनाए रखा है। बैंक राज्य भर में फैली हुई अपनी 964 शाखाओं और 2,138 एटीएम, के माध्यम से राज्य में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बैंक के कुल घरेलू कारोबार में 18% से अधिक का योगदान राज्य से है। यथा 31 मार्च 2016 को 71.34% ऋण जमा अनुपात के साथ राज्य में बैंक का कुल कारोबार ₹137528 करोड़ रहा जिसमें ₹80266 करोड़ जमा के तहत तथा ₹57262 करोड़ अग्रिम के रूप में शामिल है।

II. मौद्रिक व बैंकिंग विकास

वर्ष 2015-16 में प्रमुख मौद्रिक समग्रों और नकद आपूर्ति में हुई वृद्धि ने देशी व वैश्विक वित्तीय परिवेश से उत्पन्न होनेवाली परिवर्तनशील नकदी परिस्थितियों को प्रतिबिंबित किया है। वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य मुद्रा स्फीति को रोकना और तरलता प्रबंधन है। व्यापक धन (एम3) वृद्धि जो वित्त वर्ष के आरंभ में 12.0% था, मार्च 2016 की समाप्ति तक 10.3% रहा।

वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल जमा की वृद्धि पिछले वर्ष की 11.4% की तुलना में 9.9% रही। ऋण की वृद्धि पिछले वर्ष की 9.5% से बढ़कर 11.3% रही। यथा 18 मार्च, 2016 को ऋण-जमा अनुपात पिछले वर्ष की 76.46% के तुलना में 77.76% रहा।

Economic conditions have improved during the year, with the numerous measures undertaken by both the Central Government and Reserve Bank of India (RBI). Business sentiments have improved, drawing attention and confidence of both domestic and overseas investors on India's sustainable growth story. Foreign Direct Investments (FDI) inflows have significantly increased to US \$45.19 billion in 2015-16 compared to US \$33.66 billion last year. Government of India announced a comprehensive revamp plan under the name of 'Indradhanush' during the year for revitalizing and de-stressing public sector banks, including recapitalization support.

Economic Environment in Karnataka

As per the Economic Survey of Karnataka, 2015-16, the Gross State Domestic Product (GSDP) grew by 6.2% compared to 7.8% registered in 2014-15, due to decline in growth rate of agriculture sector. Karnataka contributes 7% to the national GDP.

Canara Bank, owing its origin to the State, is continuing its key position in the State. The Bank has been playing a leading role in the State through its 964 branches and 2138 ATMs, spread across the State. The State contributes more than 18% to total domestic business of the Bank. The total business of the Bank in the State stood at ₹137528 crore, comprising ₹80266 crore under deposits and ₹57262 crore under advances as at March 2016, with a Credit to Deposit (C-D) ratio of 71.34%.

II. MONETARY AND BANKING DEVELOPMENTS

Growth in key monetary aggregates and money supply in 2015-16 reflected the changing liquidity conditions arising from domestic and global financial environment. The monetary policy stance during the year was primarily to contain inflation and manage liquidity. Broad money (M₃) growth, which was 12.0% at the beginning of the financial year, moderated to 10.3% by end-March 2016.

During the year, Scheduled Commercial Banks' (SCBs) aggregate deposits grew by 9.9% and gross credit grew by 11.3% as on March 18, 2016, compared to last year's growth of 11.4% in deposits and 9.5% in gross credit. The C-D ratio improved to 77.76% as at March 18, 2016 compared to 76.46% last year.

वर्ष 2015-16 के दौरान जारी किए गए अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में निम्नवत कमी की है।

- रेपो दर और प्रतिवर्ती रेपो दर में 75 आधार बिंदुओं(बीपीएस) की कमी करके क्रमशः 6.75% और 5.75% किया है।
- तदनुसार, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) दर व बैंक दर को रेपो दर के साथ 100 आधार बिंदुओं के साथ समायोजित करते हुए 7.75% किया गया।
- वर्ष के दौरान आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनके निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) के 4% पर अपरिवर्तित रखा गया।
- वर्ष के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को 21.50% पर अपरिवर्तित रखा गया।

वर्ष के दौरान रेपो दर और एमएसएफ दर में परिवर्तन

से प्रभावी	रेपो दर %	प्रति रेपो दर (%)	एन डी टी एल का आरक्षित नकद अनुपात (सीआरआर) (%)	सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) (%)	एम एस एफ अनुपात (%)
04 अप्रैल, 2015	7.50	6.50	4.00	21.50	8.50
02 जून, 2015	7.25	6.25	4.00	21.50	8.25
04 अगस्त, 2015	7.25	6.25	4.00	21.50	8.25
29 सितंबर, 2015	6.75	5.75	4.00	21.50	7.75
01 दिसंबर, 2015	6.75	5.75	4.00	21.50	7.75
02 फरवरी, 2016	6.75	5.75	4.00	21.50	7.75

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुख्य नीति/ पर्यवेक्षकीय समीक्षा संबंधी निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई।

- खराब ऋणों पर बढ़ रही चिंताओं को सम्बोधित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक व्यापक आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यूआर) शुरू की है।
- एमएसएमई खाते में दबाव का त्वरित समाधान सक्षम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने ₹25 करोड़ तक की ऋण सीमावाले एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए संशोधित नियमों के साथ हर बैंक को दबावग्रस्त एमएसएमई हेतु समिति बनाने की सलाह दी है।

In its bi-monthly monetary policy statements issued during 2015-16, the RBI reduced the policy rates as under.

- Repo rate and Reverse Repo rate reduced by 75 basis points (bps) to 6.75% and 5.75% respectively.
- Marginal Standing Facility (MSF) Rate and Bank Rate was aligned 100 bps above the repo rate at 7.75%.
- Cash Reserve Ratio (CRR) was kept unchanged at 4% of Net Demand and Time Liabilities (NDTL) during the year.
- Statutory Liquidity Ratio (SLR) was kept unchanged at 21.50% during the year.

Changes in Repo Rate and MSF Rate during the year

Effective Since	Repo Rate (%)	Reverse Repo rate (%)	Cash Reserve Ratio (CRR) (% of NDTL)	Statutory liquidity ratio (SLR) (%)	MSF Rate (%)
April 04, 2015	7.50	6.50	4.00	21.50	8.50
June 02, 2015	7.25	6.25	4.00	21.50	8.25
August 04, 2015	7.25	6.25	4.00	21.50	8.25
September 29, 2015	6.75	5.75	4.00	21.50	7.75
December 01, 2015	6.75	5.75	4.00	21.50	7.75
February 02, 2016	6.75	5.75	4.00	21.50	7.75

RBI made the following major policy announcements/ supervisory review during the year.

- In a bid to address concerns over growing bad loans, RBI initiated a comprehensive Asset Quality Review (AQR) in banks.
- In order to enable faster resolution of stress in an MSME account, RBI advised every bank to form Committees for Stressed MSME with revised rules for revival and rehabilitation of MSMEs having loan limits up to ₹25 crore.

- बैलेंस शीट की कुछ मदों में कार्रवाई की अनुमति, अन्य मदों, जैसे, 55% की छूट पर पुनर्मूल्यांकन रिजर्व और 25% की छूट पर विदेशी मुद्रा रिजर्व और सीईटी 1 पूंजी के रूप में आस्थगित कर संपत्ति।
- बैंकों के नीतिगत दरों को उधारी दरों में परिवर्तन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल, 2016 से सीमांत लागत फंड आधारित उधार दर (एमसीएल आर) हेतु दिशा-निर्देश जारी किया।
- 1 जनवरी, 2018 से बेसल III की रूपरेखा के तहत बैंकों के लिए चलनिधि मानकों के तहत निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) हेतु कार्यक्रम के अनुरूप कार्यान्वयन।
- बेसल III के तहत कुछ मानकों में संशोधन करते हुए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के अनुरक्षण हेतु अधिक लचीलापन।
- भारतीय लेखा मानक को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप करने हेतु बैंकों को नए निर्देश जारी किए गए हैं। बैंकों को 30 सितंबर 2016 को समाप्त अर्धवार्षिक से भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली वित्तीय विवरणी भारतीय लेखा मानक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
- कारोबार सुलभ करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 02 फरवरी, 2016 को, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत अद्यतन नियमावली लाया गया है।
- सुलभ कारोबार की सरकार की पहल को सुगम बनाने के लिए 'स्टार्ट अप' हेतु विनियामक छूट।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त, 2015 को 11 भुगतान बैंकों और 16 सितंबर 2015 को 10 लघु वित्त बैंकों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
- बैंकों द्वारा आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एआरसी) को खराब ऋणों की बिक्री हेतु मानदंडों में छूट।
- बैंकों को "समग्र आंतरिक लेखा परीक्षा" करने और संबंधित बैंकों के बोर्ड की लेखा समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा निष्कर्षों का सारांश भारतीय रिजर्व बैंक को अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है।
- Permitted treatment of certain balance sheet items, among others, like, revaluation reserves at a discount of 55% and foreign currency translation reserves at a discount of 25% and deferred tax assets as CET 1 capital.
- To improve the transmission of policy rates into the lending rates of banks, RBI released the guidelines for implementing the Marginal Cost of Fund Based Lending Rates (MCLR) w.e.f April 1, 2016.
- Scheduled implementation of Net Stable Funding Ratio (NSFR) under Basel III Framework on Liquidity Standards for banks from January 1, 2018.
- More flexibility in maintenance of Liquidity Coverage Ratio (LCR) was permitted under Basel III, by modifying certain norms.
- Issued new directives to banks on implementation of International Financial Reporting Standards-converged Indian Accounting Standards (Ind AS). Banks have been asked to submit pro forma Ind AS financial statements to the RBI from the half year ended September 30, 2016 onwards.
- With an aim to promote ease of doing business, the RBI on February 2, 2016, came out with updated regulations under Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999.
- Regulatory Relaxations for 'Start Ups' issued to facilitate Government's initiatives to promote ease of doing business
- On 19th August, 2015, RBI granted in-principle approval for 11 Payments Banks and on 16, September 2015, granted in-principle approval for 10 small finance banks.
- Relaxed norms for sale of bad loans to Asset Reconstruction Companies (ARCs) by banks.
- Advised banks to conduct "Thorough Internal Audit" and place the report before Audit Committee of the Board of the respective banks and forward the summary of findings to RBI.

वर्ष 2016-17 के लिए दृष्टिकोण

वैश्विक विकास 2015 की 3.1% की तुलना में 2016 में 3.2% अनुमानित है, जो उन्नत अर्थव्यवस्था हेतु विकास की गति में सतत वृद्धि के साथ उभरती अर्थव्यवस्था विकास की असमान गति तथा चीन की धीमी अर्थव्यवस्था को प्रतिबिम्बित करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य अप्रैल 2016 में, वर्ष 2017 के लिए वैश्विक विकास दर 3.5 का अनुमान लगाया है, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में उछाल को दर्शाती है। यूएसए 2016 में मुख्य रूप से उपभोक्ता वर्धित व्यय, व्यापार गतिविधि, गिरती बेरोज़गारी दर व निवेशकों की उन्नत धारणा के कारण विकास की गति को बनाए रखा है।

भारत के विकास की संभावना पिछले वर्ष की तेजी के बाद 2016-17 में विकास की गति को बनाए रखने की आशा की जाती है। भार.रि.बैं. ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण में अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.6% का अनुमान किया है। सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए जा रहे उपायों, ब्याज दर और मुद्रास्फीति परिदृश्य, अनुमानित सामान्य मॉनसून, वर्धित औद्योगिक उत्पादन, पूंजी प्रवाह और वित्तीय बाजार की स्थिति में सुधार के द्वारा विकास को बल मिलने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में उछाल सहित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि विकास के नकारात्मक पक्ष को उजागर कर सकते हैं।

वर्ष 2016-17 में बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर निर्भर होगा। तथापि, वर्ष के दौरान आस्ति गुणवत्ता व वसूली, पूंजी जुटाना, वित्तीय समावेशन तथा ऋण वृद्धि निधीयन के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना बैंकों के सामने रहनेवाली मुख्य चुनौतियाँ होंगी।

III वर्ष 2015-16 में केनरा बैंक

केनरा बैंक ने वर्ष के दौरान अपनी महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट क्षेत्रों अर्थात्, कासा सहित खुदरा जमा और कृषि सहित खुदरा आस्तियों का विस्तार, एमएसएमई, आवास और अन्य खुदरा खंडों में तालमेल के साथ बेहतर प्रदर्शन किया।

वित्तीय निष्पादन

मार्च 2015 की ₹6950 करोड़ की तुलना में बैंक का परिचालन लाभ ₹7147 करोड़ तक बढ़ गया।

OUTLOOK FOR 2016-17

Global growth is projected at 3.2% in 2016 compared to 3.1% in 2015, reflecting a gradual recovery in the pace of growth for advanced economies, uneven pace of growth in the emerging market economies (EMEs) and slowing Chinese economy. The International Monetary Fund (IMF), in its latest World Economic Outlook, April 2016, projected global growth at 3.5 in 2017, reflecting a pickup in advanced economies and EMEs. The U.S.A is carrying the growth momentum in 2016 mainly on account of increased consumer spending, trade activity, falling unemployment rate and improved investors' sentiment.

India is expected to maintain its growth momentum in 2016-17, after showing pick up last year. The RBI, in its Bi-monthly Monetary Policy Statement projected the growth of the economy at 7.6%. Growth is expected to be boosted by the ongoing measures being taken by Government and RBI, easing interest rate and inflation scenario, projected normal monsoon, improving industrial production and investments, improving capital flows and financial market conditions. Downside risks to growth may emerge from spike in commodity prices, including international crude oil prices.

The performance of the banking sector in 2016-17 would largely depend on the overall growth of the economy. Major challenges, however, before the banks during the year would be to address issues of asset quality and recovery, mobilizing capital, financial inclusion and resource mobilization to fund credit growth.

III CANARA BANK IN 2015-16

Canara Bank performed better during the year in sync with its major corporate thrust areas, viz., Retail Deposits, including CASA and expanding Retail Assets, including Agriculture, MSMEs, Housing and other retail segments.

FINANCIAL PERFORMANCE

Operating profit of the Bank increased to ₹7147 crore compared to ₹6950 crore last year.

खराब ऋणों के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं में तेजी से वृद्धि के कारण 31 मार्च, 2015 के ₹2,703 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ की तुलना में वर्ष 2015-16 में ₹2813 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

मुख्य वित्तीय अनुपात (%)	मार्च 2015	मार्च 2016
निधियों का लागत	6.84	6.31
निधियों पर प्रतिफल	8.78	8.11
जमाओं पर लागत	7.38	6.94
अग्रिमों पर प्रतिफल	10.75	9.71
निवेश पर प्रतिफल	8.00	7.92
ब्याज अंतर	1.94	1.80
निवल ब्याज मार्जिन (निम)	2.25	2.19
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओएए)	0.55	(0.52)
इक्विटी पर प्रतिफल	11.06	(10.69)
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	14.35	14.45
बही मूल्य (₹)	552.54	477.19
प्रति शेयर अर्जन (₹)	58.59	(53.61)

ए डब्ल्यू एफ – औसत कार्यशील निधि

आय व व्यय विश्लेषण

पिछले साल की बैंक की ब्याज आय ₹43,750 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹44022 करोड़ हो गई जिसमें ऋण व अग्रिमों से ब्याज ₹31,377 करोड़ रुपये और निवेश से ब्याज ₹11,408 करोड़ शामिल है।




Due to sharp increase in provisions & contingencies on account of bad loans, the Bank reported a net loss of ₹2813 crore in 2015-16 compared to net profit of ₹2703 crore last year.

Key Financial Ratios (%)	March 2015	March 2016
Cost of Funds	6.84	6.31
Yield on Funds	8.78	8.11
Cost of Deposits	7.38	6.94
Yield on Advances	10.75	9.71
Yield on Investments	8.00	7.92
Interest Spread	1.94	1.80
Net-Interest Margin (NIM)	2.25	2.19
Return on Avg. Assets (RoAA)	0.55	(0.52)
Return on Equity	11.06	(10.69)
Business per Employee (Crore)	14.35	14.45
Book Value (₹)	552.54	477.19
Earnings per Share (₹)	58.59	(53.61)

AWF - Average Working Funds



Income and Expenditure Analysis

The Bank's interest income increased to ₹44022 crore compared to ₹43750 crore last year comprising interest from loans and advances at ₹31377 crore and interest from investments at ₹11408 crore.



बैंक की मुख्य क्षेत्र के अनुकूल ब्याजेतर आय वर्ष 2014-15 की ₹4550 करोड़ की तुलना में ₹4875 करोड़ तक बढ़ी। कोषागार के व्यापारिक लाभ को छोड़कर, गैर-ब्याज आय पिछले वर्ष की ₹3402 करोड़ की तुलना में 14.20% की वृद्धि के साथ ₹3885 करोड़ हो गई। ब्याजेतर आय के मुख्य क्षेत्र जैसे, सेवा प्रभार व अन्य विविध आय पिछले वर्ष की ₹1096 करोड़ की तुलना में 40.97% बढ़कर ₹1545 करोड़ हो गई, बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली में वृद्धि 59.58% (₹608 करोड़) और कार्ड गतिविधि से आय 45.80% बढ़कर ₹328 करोड़ रही। ब्याजेतर आय की हिस्सेदारी कुल आय की पिछले वर्ष की 9.42% की तुलना में बढ़कर 9.96% रही।

In line with the thrust areas for the Bank, non-interest income increased to ₹4875 crore compared to ₹4550 crore in 2014-15. Excluding treasury trading profit, non-interest income rose by 14.20% to ₹3885 crore compared to ₹3402 crore last year. Major segments of the non-interest income, like, service charges & other miscellaneous income grew by 40.97% to ₹1545 crore compared to ₹1096 crore last year, recovery from written off accounts grew by 59.58% to ₹608 crore and income from card activity increased by 45.80% to ₹328 crore. The share of non-interest income in total income increased to 9.96% from 9.42% last year.



वर्ष के दौरान ब्याज व गैर ब्याज लागत को कम करने पर बल दिया गया। बैंक की ब्याज खर्च विगत वर्ष की 11.38% के तुलना में 0.51% की न्यूनतम वृद्धि के साथ ₹34,259 करोड़ तक पहुंच गई। परिचालन व्यय पिछले वर्ष की 19.45% की तुलना में 3.14% की कमी कर ₹7492 करोड़ कर दिया गया। नियंत्रणीय अन्य प्रमुख परिचालन खर्च की पहचान की गई और बैंक में लागत को कम करने हेतु निगरानी रखी गई।

During the year, major emphasis was accorded on containing cost both interest and non-interest expenses. The Bank's interest expenses increase was marginal at 0.51% to reach ₹34259 crore vis-a-vis an increase of 11.38% last year. The operating expenses increase was curtailed to 3.14% to ₹7492 crore compared to an increase of 19.45% in the previous year. Major heads of controllable other operating expenditure were identified and monitored for reducing the cost across the Bank.

जमा पर ब्याज लागत को कम करने के प्रति जागरूक प्रयासों के कारण यथा मार्च 2015 की 7.38% की तुलना में जमा लागत में 44 बी पी एस की कमी के साथ 6.94% रही। उद्योग संबंधी प्रवृत्तियों के अनुरूप आधार दर में गिरावट के कारण, अग्रिमों पर प्रतिफल मार्च 2015 के 10.75% की तुलना में मार्च 2016 को 9.71% की कमी आई। ब्याज अंतर, निधि पर कीमत लागत अंतर 1.80% रहा।

Due to conscious efforts to reduce interest cost on deposits, cost of deposits was reduced by 44 bps to 6.94% compared to 7.38% as at March 2015. In line with the industry trends and downward revision in the base rate, the yield on advances declined to 9.71% as at March 2016 compared to 10.75% as at March 2015. Interest spread, the difference between cost of funds and yield on funds stood at 1.80%.

निवल ब्याज आय, प्रदत्त व्याज व बैंक द्वारा अर्जित ब्याज बढ़कर ₹9763 करोड़ हो गई, जिससे निवल ब्याज मार्जिन (निम) क्रमशः दिसम्बर व मार्च 2015 की 2.16% व 2.25% की तुलना में 31 मार्च 2016 को 2.19% रहा।

The net interest income, the difference between interest earned and interest paid by the Bank, increased to ₹9763 crore, resulting in Net Interest Margin (NIM) to stay at 2.19% as at March 31, 2016 compared to 2.16% in the December 2015 and 2.25% as at March 2015.

पूँजी तथा आरक्षित निधियाँ

यथा मार्च 2016 को बैंक की निवल मालियत ₹25911 करोड़ रही। जबकि बैंक की प्रदत्त पूँजी ₹542.99 करोड़, आरक्षित निधियाँ और अधिशेष ₹31060 करोड़ रही।

(राशि ₹ करोड़ में)

पूँजी संरचना बेसल III	मार्च 2015	मार्च 2016
जोखिम भारित आस्तियाँ	342248	333869
सीईटी I	25222	27308
सीईटी I (%)	7.37	8.18
एटी I	2238	2064
एटी I (%)	0.65	0.62
टीयर I पूँजी	27459	29372
सीआरएआर (%) (टीयर I)	8.02%	8.80%
टीयर II पूँजी	8678	7633
सीआरएआर (%) (टीयर II)	2.54	2.28
कुल पूँजी	36137	37005
सीआरएआर (%)	10.56	11.08

यथा मार्च 2016 को पूँजी संरक्षण बफर सहित पूँजी पर्याप्तता अनुपात, विनियामक आवश्यकता 9.625% के मुकाबले 11.08% रही। पूँजी पर्याप्तता अनुपात के तहत सीईटी I अनुपात 5.5% की आवश्यकता के मुकाबले 8.18% तथा टीयर I पूँजी अनुपात 7% की आवश्यकता के मुकाबले 8.80% रहा। कारोबार में वृद्धि की गति में तेजी लाने के लिए टीयर-1 और टीयर -II विकल्प के तहत पूँजी जुटाने हेतु बैंक के पास अब भी पर्याप्त गुंजाइश है।

वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम को अप्रैल 2015 में 4 करोड़ इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन द्वारा बैंक में ₹1520 करोड़ की पूँजी जुटाई। भारत सरकार ने सितंबर 2015 में 2.78 करोड़ इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के जरिए बैंक में ₹947 करोड़ की इक्विटी पूँजी लगाई। इसके अलावा, बैंक ने दो चरणों यथा दिसंबर 2015 और जनवरी 2016 में बेसल III अनुरूप टीयर II बांड के जरिये ₹2400 करोड़ जुटाया। वर्ष 2015-16 में बैंक ने कुल ₹4867 करोड़ की पूँजी जुटाई। यथा मार्च 2016 को बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता 66.30% हो गई।

Capital and Reserves

Networth of the Bank, stood at ₹25911 crore as at March 2016. While total paid-up capital of the Bank was ₹542.99 crore, reserves and surplus stood at ₹31060 crore.

(Amt. ₹ Crore)

Composition of Capital	March 2015 Basel III	March 2016 Basel III
Risk Weighted Assets	342248	333869
CET I	25222	27308
CET I (%)	7.37	8.18
AT I	2238	2064
AT I (%)	0.65	0.62
Tier I Capital	27459	29372
CRAR %(Tier I)	8.02%	8.80%
Tier II Capital	8678	7633
CRAR %(Tier II)	2.54	2.28
Total Capital	36137	37005
CRAR (%)	10.56	11.08

Capital Adequacy Ratio as at March 2016 stood at 11.08% against regulatory requirement of 9.625%, including Capital Conservation Buffer. Within the capital adequacy ratio, CET 1 ratio stood at 8.18% against requirement of 5.5% and Tier I capital ratio was at 8.80% against the requirement of 7%. Adequate headroom is available under both Tier-I and Tier-II options for the Bank to raise capital in order to support business growth momentum.

During the year, the Bank also raised ₹1520 crore equity capital by way of preferential allotment of 4 crore shares to LIC of India in April, 2015. Government of India infused ₹947 crore equity capital in the Bank by way of preferential allotment of 2.78 crore equity shares in September 2015. Further, the Bank raised ₹2400 crore BASEL III compliant Tier II Bonds in December 2015 and January 2016 in two tranches. In total, the Bank raised ₹4867 crore capital in 2015-16. The Government of India's shareholding in the Bank stood at 66.30% as at March 2016.

कारोबार संवृद्धि

जमा

पिछले वर्ष की ₹473840 करोड़ की तुलना में यथा मार्च 2016 को बैंक के कुल जमा में ₹47972 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई।

अधिक खुदरा सावधि जमा जुटाने पर जोर को ध्यान में रखते हुए बैंक के खुदरा सावधि जमा, जमा राशियों प्रमाण पत्र को छोड़कर, घरेलू सावधि जमा में हिस्सेदारी पिछले वर्ष की 48.5% की तुलना में 56.5% की वृद्धि हुई।


बैंक की कासा जमाएं 8.82% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ यथा मार्च 2016 को ₹123542 करोड़ हुए। देशी जमाओं में कासा का हिस्सा विगत वर्ष के 25.47% से बढ़कर 27.38% हो गया। यथा मार्च 2016 को बचत जमा 10.70% बढ़कर ₹103715 करोड़ हुए। वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने कासा जमाएं जुटाने के लिए देशभर में अभियान चलाए तथा बचत बैंक, ऑन लाइन ट्रेडिंग, इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग, बीमा, कार्ड सेवाएं, ऑन लाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा शामिल करते हुए केनरा गैलेक्सी, एक संयुक्त उत्पाद का शुभारम्भ किया गया। वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने 56 लाख नए कासा ग्राहक तथा इन नए खाते में ₹10554 करोड़ जमा जुटाए।

जमा ग्राहकवर्ग के आधार को बढ़ाई जाने वाली नीति का अनुवर्तन करते हुए, बैंक ने कुल 59 लाख से अधिक जमा खातों को जोड़ा, जिससे कुल जमा खातों की संख्या 6.44 करोड़ तक पहुंच गयी।

अग्रिम (निवल)

बैंक ने अर्थव्यवस्था की विविधीकृत क्षेत्रों जैसे आवास, शिक्षा, वाहन व अन्य उत्पादन खंडों सहित खुदरा ऋण, कृषि एवं सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम के लिए अच्छी तरह से अपनी संपत्ति आधार का विस्तारण किया है। यथा मार्च 2016 को बैंक का निवल अग्रिम ₹ 324715 करोड़ रहा।

यथा मार्च 2016 को बैंक का उधार ग्राहक खाता पिछले वर्ष की 72 लाख से बढ़कर 81 लाख हो गया।



BUSINESS GROWTH

Deposits

Total Deposits increased to ₹479720 crore as at March 2016 compared to ₹473840 crore a year ago.

Keeping the thrust on mobilizing more retail term deposits, the Bank's retail term deposits, excluding Certificate of Deposits, share in domestic term deposits increased to 56.5% from 48.5% a year ago.

Current and Savings Bank (CASA) deposits of the Bank increased by 8.82% y-o-y to ₹123542 crore as at March 2016. The Bank's CASA deposits to domestic deposits

improved to 27.38% as at March 2016 from 25.47% last year. Savings deposits grew by 10.70% to ₹103715 crore as at March 2016. To increase CASA deposits, the Bank launched nationwide campaigns and introduced new products/services, like, Canara Galaxy, a combo product launched, comprising SB, Demat, OLT, Internet & Mobile Banking, Insurance, card services and Online Savings Bank account opening facility. During the financial year, the Bank added about 56 lakhs CASA accounts.

Pursuing a strategy of expanding deposit clientele, the Bank added 59 lakhs deposit accounts during the year, taking the total number of deposit accounts to 6.44 crore.

Advances (net)

The Bank expanded its asset base to a well diversified segments of the economy, like, Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Retail, including Housing, Education, Vehicle and other productive segments. Advances (Net) of the Bank stood at ₹324715 crore as at March 2016.

As at March 2016, the number of borrowal clientele accounts increased to 81 lakhs from 72 lakhs last year.



यथा मार्च 2016 को बैंक का कुल कारोबार पिछले वर्ष की ₹803876 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹804506 करोड़ तक पहुँच गया।

प्रति कर्मचारी व्यापार के रूप में मापी जानेवाली उत्पादकता, एक साल पहले की ₹14.35 करोड़ से बढ़कर ₹14.45 करोड़ हो गई।

वर्ष के दौरान बैंक का कुल ग्राहक आधार 68 लाख बढ़कर पिछले वर्ष के 6.57 करोड़ की तुलना में 7.25 करोड़ तक जा पहुँचा।

खुदरा ऋण परिचालन

बैंक के लिए निर्धारित मुख्य क्षेत्र के अनुकूल खुदरा उधारी परिचालन ने वर्ष-दर-वर्ष मजबूत विकास दर्ज किया।

(राशि ₹ करोड़ में)

खुदरा क्षेत्र	यथा मार्च		वृद्धि	
	2015	2016	प्रमात्रा	(%)
आवास प्रत्यक्ष	22352	30975	8623	38.58
वाहन	3770	4307	537	14.24
अन्य वैयक्तिक	10540	12049	1509	14.32
शिक्षा	5636	6738	1102	19.55
कुल खुदरा ऋण	42298	54069	11771	27.83

बकाया खुदरा ऋण संविभाग वर्ष-दर-वर्ष 27.83% की वृद्धि दर्ज करते हुए यथा मार्च 2016 को ₹54069 करोड़ रहा। विभिन्न खुदरा उधारी योजनाओं के तहत सवितरित राशि ₹24279 करोड़ रहा। बकाया आवास ऋण संविभाग वर्ष-दर-वर्ष 38.58% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹30975 करोड़ तक बढ़े जो कुल खुदरा ऋण संविभाग की 57% है। बैंक के वाहन ऋण व अन्य वैयक्तिक ऋण में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 14.24% व 14.32% की वृद्धि हुई।

शिक्षा ऋण

बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाखों प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित किया है। बैंक का शिक्षा ऋण संविभाग को और बढ़ाकर ₹6738 करोड़ किया गया है। यथा मार्च 2016 को बैंक ने 2.9 लाख छात्रों को ऋण प्रदान किया।

शिक्षा ऋणों पर ब्याज अनुदान के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत अनुदान अनुप्रयुक्त करने के लिए बैंक को नोडल बैंक के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने आवास ऋण और कार ऋण, प्रधानमंत्री



Total business of the Bank increased to ₹804506 crore as at March 2016 compared to ₹803876 crore last year.

Productivity, as measured by business per employee, increased to ₹14.45 crore from ₹14.35 crore a year ago.

During the year, the Bank's total clientele accounts increased by 68 lakhs to 7.25 crore from 6.57 crore last year.

Retail Lending Operations

In line with the thrust areas set for the year, the Bank's retail lending operations recorded robust y-o-y growth.

(Amt. ₹ Crore)

Retail Segments	As at March		Growth	
	2015	2016	Quantum	(%)
Housing	22352	30975	8623	38.58
Vehicle Loan	3770	4307	537	14.24
Other Personal	10540	12049	1509	14.32
Education Loan	5636	6738	1102	19.55
Total Retail Loans	42298	54069	11771	27.83

Outstanding retail loans portfolio grew by 27.83% y-o-y to ₹54069 crore as at March 2016. The disbursements under various retail lending schemes amounted to ₹24279 crore. The outstanding housing loan portfolio rose to ₹30975 crore, with a y-o-y growth of 38.58% and accounted for 57% of the total retail lending portfolio. The Bank's vehicle loans and other personal loans increased by 14.24% and 14.32% y-o-y respectively.

Education Loans

Over the years, the Bank has assisted lakhs of promising students to pursue higher education in India and abroad.

The Bank's education loan portfolio increased to ₹6738 crore. The Bank has financed around 2.9 lakh students as at March 2016.

The Bank is designated as the nodal bank for administering subsidy under the Central Sector Scheme for Interest Subsidy on education loans. During the year 2015-16, the Bank launched

आवास योजना और आवास सह सौर ऋण के लिए तत्काल ऑनलाइन सैद्धांतिक स्वीकृति आरम्भ किया है।

बैंक ने छात्रों के लिए तत्काल ऑनलाइन ऋण मंजूरी की सुविधा विद्या तुरंत और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) के परामर्श अधिकारियों के समक्ष चयन और परामर्श के दौरान भुगतान करने हेतु विद्या सहाय नामक पूरक ऋण योजना का शुभारम्भ किया है।

खुदरा ऋण को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा कई पहल किए गए। इसमें नए खुदरा ऋण उत्पाद जैसे उच्च मालियत वाले व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों तथा कृषकों के लिए आवास ऋण शामिल हैं। देश भर में अभियानों का आयोजन, एक्सपो का संचालन, प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर उपलब्ध कराना, ख्याति प्राप्त बिल्डरों व कार डीलरों के साथ गठजोड़ व्यवस्था व निष्पादन की निगरानी तथा शाखाओं के साथ नियमित विचार विमर्श बैंक के खुदरा ऋण संविभाग को बढ़ाने में सफल सिद्ध हुए।

वर्ष के दौरान पाँच नए खुदरा आस्ति केन्द्र खोले गए तथा तीन केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू) का खुदरा आस्ति केन्द्र के रूप में उन्नयन किया गया जिससे देशभर के मुख्य शहरों में खुदरा आस्ति केन्द्रों की कुल संख्या 66 हो गई है। बैंक ने कई तकनीकी आधारित पहल जैसे खुदरा उधारी योजनाओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा, आवास ऋणों की देय तिथि व ईएमआई राशि सूचित किया जाना तथा वेब आधारित लीड सृजन प्रणाली आदि लागू की।

कोषागार

यथा मार्च 2016 को बैंक का सकल निवेश (निवल) ₹1,42,309 करोड़ रहा। यथा मार्च 2016 को संविभाग संशोधित अवधि पिछले वर्ष के 4.37 से बढ़कर 4.71 हो गया। बिक्री के लिए उपलब्ध संविभाग संशोधित अवधि यथा मार्च 2015 की 3.58 से बढ़कर 4.45 हो गई। उपरोक्त वृद्धि मुख्य रूप से उदय योजना के तहत आबंटित ₹8581 करोड़ विशेष राज्य ऋण के कारण है। यद्यपि जनवरी 2015 से नीति दर 125 बी पी एस कम किया गया था तथापि 31 मार्च 2016 को निवेशों पर प्रतिफल मार्च 2015 की 8.00% की तुलना में 7.92% रहा। घरेलू कोषागार परिचालन के तहत वर्ष के लिए व्यापारिक लाभ ₹990 करोड़ रहा।

बैंक सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रधान व्यापारी के रूप में सक्रिय भाग लेता रहा। वर्ष के दौरान हामीदारी वचनबद्धताओं की कुल राशि ₹56,554 करोड़ थी, जिसमें से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हामीदारी के लिए स्वीकृत वचनबद्धता राशि ₹23,950 करोड़ थी। राजकोषी बिलों

Online Instant in-Principle Sanction for Housing Loan and Car Loan, Pradhan Mantri Awaas Yojana and Housing cum Solar Loan.

The Bank has also launched “Vidya Turant’, an online instant loan sanction facility to students and ‘Vidya Sahay’ – a bridge loan scheme for making down payment for Common Entrance Test (CET), counseling authorities at the time of selection and counseling.

Several initiatives were undertaken by the Bank to expand retail credit. These include new retail loan products, viz., Housing Loans to High Net worth Individuals, Non-Resident Indians (NRIs) and Agriculturists. Nationwide launching of Campaigns, conduct of Expos, offering competitive interest rates, tie-ups with reputed Builders, Car Dealers and monitoring the performance and regular interaction with branches, boosted Bank’s retail loan portfolio.

Five new Retail Asset Hubs were opened and three Central Processing Units (CPUs) were upgraded as Retail Asset Hubs (RAHs) during the year, taking total number of RAHs to 66 across major centres in the country. The Bank also undertook several tech-based initiatives, like, missed call facility for retail lending Schemes, informing due dates and amount of EMIs for housing loans and introduction of web-based lead generation system.

INTEGRATED TREASURY

Aggregate investments (net) of the Bank as at March 2016 were of the order of ₹142309 crore. Portfolio modified duration has increased to 4.71 as at March 2016 from 4.37 as at March 2015. Modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio has increased to 4.45 as at March 2016 from 3.58 as at March 2015. The above increase is mainly on account of allotment of Special State Loans under UDAY Scheme to the tune of ₹8581 crore. The yield on investments was 7.92% as at March 31, 2016 compared to 8.00% as at March 31, 2015, even though RBI Policy rate was reduced by 125 bps since January 2015. The trading profit under domestic treasury operations stood at ₹990 crore during the year.

The Bank continues to be an active player in the Government Securities market as a Primary Dealer. During the year, the aggregate amount of underwriting bids submitted was ₹56554 crore, out of which the

के संबंध में प्रधान व्यापारी कारोबार के तहत प्रत्येक अर्ध वार्षिक के दौरान न्यूनतम सफलता अनुपात 40% के विरुद्ध सितंबर 2015 को समाप्त प्रथम अर्ध वर्ष के दौरान बैंक का सफलता अनुपात 65.63% रहा तथा मार्च 2016 को समाप्त द्वितीय अर्ध वर्ष के दौरान प्रधान व्यापारी के रूप में बैंक का सफलता अनुपात 43.14% रहा।

2015-16 के लिए बैंक का विदेशी कारोबार की कुल राशि ₹201860 करोड़ रहा जिसमें ₹98767 करोड़ निर्यात तथा ₹49046 करोड़ आयात के तहत विप्रेषण शामिल है। वर्ष के दौरान बैंक का विनिमय लाभ ₹669 करोड़ रहा।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

यथा 31 मार्च 2016 को बैंक का समुद्रपारीय परिचालन लंदन व लीसेस्टर (यू.के.), हाँगकाँग व शंघाई (चीन), मनामा (बहरीन), दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र (डीआईएफसी), (यूईई), जोहांसबर्ग (दक्षिण आफ्रीका) और न्यू यॉर्क (यूएसए) में एक-एक शाखा तथा शारजाह (यूईई) में प्रतिनिधि कार्यालय तथा माँस्को(रूस) में कॉमर्शियल इंडो बैंक एल.एल.सी. के नाम से भारतीय स्टेट बैंक के साथ संयुक्त उद्यम के साथ बैंक 8 देशों को प्रावरित करती है।

बैंक को तंजानिया के विनियामकों से दार-ई-सलाम में एक पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग अनुषंगी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हुई है। अनुषंगी को 02 नवंबर 2015 को तंजानिया में निगमित किया गया है और 9 मई 2016 से वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ कर दिया है।

मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के विदेशी शाखाओं का सकल कारोबार ₹50,868 करोड़ रहा। बैंक के कुल कारोबार में विदेशी शाखाओं का हिस्सा 6.32% रहा।

वर्ष के दौरान, बैंक ने 28 जनवरी 2016 को दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र (डीआईएफसी) में एक शाखा खोली। बैंक को अन्य 5 अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों जैसे, फ्रैंकफर्ट (जर्मनी), साओ पाउलो (ब्राजील), टोक्यो (जापान), जेद्दा (सऊदी अरब) और जकार्ता (इंडोनेशिया) में विस्तार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त है।

बैंक ने, मैक्सिको सिटी (मेक्सिको), किगाली (रवांडा), सिंगापुर, ऑकलैंड (न्यूजीलैंड), सिडनी (ऑस्ट्रेलिया), ऑटारियो (कनाडा) और डरबन (दक्षिण आफ्रीका) को प्रावरित करते हुए 7 और अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों में विस्तार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन की मांग की है।

underwriting commitment accepted by RBI was ₹23950 crore. With regard to Treasury Bills under PD business, as against the minimum success ratio of 40% to be achieved in each half year, the Bank has achieved 65.63% for the first half year ended September 2015 and 43.14% for the second half year ended March 2016.

Foreign business turnover of the Bank for 2015-16 aggregated to ₹201860 crore, comprising ₹98767 crore under exports, ₹54047 crore under imports and ₹49046 crore under remittances. Exchange profit during the year stood at ₹669 crore.

INTERNATIONAL OPERATIONS

The Bank's overseas operations as at 31st March 2016 covered 8 countries, which include branches in London and Leicester (U.K), Hong Kong, Shanghai (China), Manama (Bahrain), Dubai International Financial Centre (DIFC) (U.A.E), Johannesburg (South Africa) and New York (U.S.A); a Representative Office at Sharjah (U.A.E) and a Joint Venture Bank, viz., Commercial Indo Bank LLC in Moscow (Russia) in association with State Bank of India.

The Bank has received approval from the Bank of Tanzania, the Regulators of Tanzania for establishing a wholly owned banking subsidiary at Dar-es-Salaam in Tanzania. The subsidiary has been incorporated in Tanzania on 2nd November, 2015 and has commenced the commercial operations from 9th May, 2016.

Total business of the Bank from the overseas branches aggregated to ₹50868 crore for the financial year ending March 2016. Overseas business constituted 6.32% of the Bank's total business.

During the year, the Bank opened a branch at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai on 28th January, 2016. The Bank has approval from the RBI for expansion in another 5 international centres, such as, Frankfurt (Germany), Sao Paulo (Brazil), Tokyo (Japan), Jeddah (Saudi Arabia) and Jakarta (Indonesia).

The Bank has sought RBI's approval for expansion in 7 more international centres, covering Mexico City (Mexico), Kigali (Rwanda), Singapore, Auckland (New Zealand), Sydney (Australia), Ontario (Canada) and Durban (South Africa).

बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को 385 संपर्ककर्ता बैंकों के विस्तृत तंत्र का अच्छा समर्थन प्राप्त है जो 78 देशों और बैंक के विदेशी शाखाओं व कार्यालयों में फैले हुए हैं। अनिवासी भारतीयों के विप्रेषणों को चैनलीकृत करने हेतु 36 विनिमय प्रतिष्ठानों तथा 25 विदेशी बैंकों के साथ रुपये आहरण व्यवस्था की गई है। बैंक द्वारा सेकंडमेंट तथा प्रबंधन करार के तहत क्रमशः दो विनिमय प्रतिष्ठानों जैसे, अल रज़ौकी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कंपनी, दुबई तथा ईस्टर्न एक्सचेंज प्रतिष्ठान, कतर का कार्य संभाला जा रहा है।

बैंक ने 'रेमिट मनी' नामक वेब आधारित त्वरित विप्रेषण उत्पाद को 35 विनिमय प्रतिष्ठानों तथा 4 समुद्रपारीय शाखाओं जैसे लंदन, लीसेस्टर, शंघाई और हांग काँग में कार्यान्वित किया है। वर्ष के दौरान भारत में केनरा बैंक के लाभार्थियों के लिए त्वरित और निर्बाध विप्रेषण की सुविधा के लिए बैंक ने मेसर्स यूएई एक्सचेंज, अबु धाबी के साथ 'फ्लैशरेमिट' नामक एक तत्काल ऋण सुविधा तथा मेसर्स अल रज़ौकी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कंपनी, दुबई, मेसर्स ईस्टर्न एक्सचेंज प्रतिष्ठान, कतर तथा मेसर्स अंसारी एक्सचेंज एलएलसी, यूएई के साथ मिलकर 'इंस्टन्ट रेमिटमनी' नामक एक त्वरित ऋण सुविधा जारी है।

अन्य सेवाएं

बैंक के व्यापारी बैंकिंग प्रभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड (आरईसी) के प्राइवेट प्लेसमेंट कैपिटल गेन बांड निर्गम कार्य का निर्वाहन किया। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड (आरईसी) के प्राइवेट प्लेसमेंट कैपिटल गेन बांडों से संग्रहित राशि ₹92.80 करोड़ रही।

बैंक ने आरईसी व एनएचएआई के निजी प्लेसमेंट कैपिटल बांड के लिए संग्रहकर्ता बैंकर के रूप में कार्य किया जिसकी कुल राशि ₹1048.39 करोड़ है। नामोद्दिष्ट शाखाओं द्वारा ब्लॉक की हुई राशि (एएसबीए) से समर्थित आवेदन के तहत निर्गत किये गये सार्वजनिक व ऋण निर्गमों की कुल संख्या 93 रही और ब्लॉक की हुई राशि ₹880.51 करोड़ रही। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा 'इक्विटी का निष्पक्ष मूल्यांकन' की तीन विशेष कार्य का निर्वाह किया गया था।

वर्ष के दौरान समूहन समूह ने परियोजनाओं का निर्वाह किया जिसकी परियोजना लागत ₹3230 करोड़ रही और इसका कुल ऋण आकार ₹2093 करोड़ रहा। समूह ने समूहन परिचालनों से ₹3 करोड़ का शुल्क-आधारित आय अर्जित किया। विभिन्न संवर्गों में परियोजनाओं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर (बंदरगाह व रेलवे) तथा अक्षय उर्जा (सौर) के लिए निधियों की व्यवस्था की गई।

The Bank's international operations are well supported by a wide network of 385 Correspondent Banks, spread across 78 countries and the Bank's overseas branches and offices. Rupee Drawing Arrangement has been made with 36 Exchange Houses and 25 overseas banks for channelizing the remittances of Non-Resident Indians (NRIs). The Bank has been managing two Exchange Houses viz., Al Razouki International Exchange Company, Dubai and Eastern Exchange Est., Qatar under Secondment and Management Agreement respectively.

'Remit Money', a web-based speed remittance product has been extended to 35 Exchange Houses and to the Bank's 4 overseas branches, viz., London, Leicester, Shanghai and Hong Kong. To facilitate instant and hassle free remittances to the beneficiaries of Canara Bank in India, the 'Flashremit', an instant credit facility in association with M/s. UAE Exchange, Abu Dhabi, UAE and 'Instant Remitmoney' an instant credit facility with M/s. Al Razouki International Exchange Company, Dubai, M/s. Eastern Exchange Est., Qatar and M/s. Al Ansari Exchange LLC, UAE continued during the year.

OTHER SERVICES

The Bank's Merchant Banking Division handled Private Placement Capital Gain Bond Issues of National Highways Authority of India (NHAI) and Rural Electrification Corporation Ltd (REC) as Arrangers. The amount mobilized in respect of Capital Gain Bonds Issue of NHAI and REC during the year was ₹92.80 crore.

The Bank acted as Collecting Banker for the Private Placement Capital Gain Bond Issues of REC & NHAI, involving an amount of ₹1048.38 crore. 93 Public and Debt Issues handled under Application Supported by Blocked Amount (ASBA) and the amount blocked was ₹880.51 crore. Three specialized assignments of 'Fair Valuation of Equity' were also handled by the Division during the year.

The Syndication Group handled projects, involving project cost of ₹3230 crore during the year, with a total debt size of ₹2093 crore. The Group generated a fee-based income of ₹3 crore from the syndication operations. The funds were arranged for projects in various segments, like, infrastructure (Port & Railway) and renewable energy (solar).

बैंक के 'बैंकएश्यूरेन्स' अंग के तहत जीवन तथा गैर - जीवन बीमा संवर्गों में बैंक की गठ-जोड़ व्यवस्था है। बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम यानी केनरा एचएसबीसी ओबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड से कमीशन के रूप में ₹26.20 करोड़ का आय अर्जित किया है। म्यूचुअल फंड कारोबार के तहत, बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम यानी केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड से ₹10.07 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है। मेसर्स युनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड (युआईआईसीएल) के साथ अपनी गठजोड़ व्यवस्था के ज़रिए गैर जीवन (सामान्य) बीमा कारोबार के तहत बैंक ने कमीशन के रूप में ₹17.16 करोड़ का आय अर्जन किया है। अपने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के विपणन के लिए बैंक ने मेसर्स अपोलो म्यूनिह स्वास्थ्य बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी करार किया जिसके परिणामस्वरूप ₹10.67 करोड़ का कमीशन अर्जित हुआ। पूरे भारत में फैली अपनी शाखाओं के ज़रिए निर्यात नीतियों के विपणन के लिए मेसर्स एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आफ इंडिया के साथ बैंक ने कॉर्पोरेट एजेन्सी का करार भी किया है।

कार्ड कारोबार के तहत, क्रेडिट व डेबिट-सह-एटीएम कार्ड आधार बढ़ाने के लिए बैंक ने कई पहल किये। यथा मार्च 2016 को बैंक का कुल डेबिट कार्ड आधार बढ़कर 3.19 करोड़ तथा क्रेडिट कार्ड आधार बढ़कर 2 लाख हो गया। वर्ष के दौरान कार्ड कारोबार के तहत लाभ ₹55.42 करोड़ रहा।

बैंक, देशभर के मुख्य 34 स्थानों में फैले 47 निक्षेपागार सेवा केन्द्रों के ज़रिए 'निक्षेपागार सेवाएं' प्रदान करता है। इन केन्द्रों के माध्यम से बैंक अपने दलाली अनुषंगी मेसर्स केनरा बैंक सेक्युरिटीज़ लिमिटेड, मुंबई के ज़रिए डी पी ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान कर रहा है।

बैंक की 'निष्पादक, न्यासी व कराधान सेवाएं' इकाई द्वारा डिबेंचर/प्रतिभूति न्यासधारिता, वसीयतनामा व निष्पादककर्ता, न्यासधारिता, वैयक्तिक कर सहायता तथा मुख्तारनामा जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष के दौरान बैंक ने उक्त सेवाओं से ₹1.13 करोड़ का शुल्क आय अर्जित किया तथा केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) से ₹91.33 करोड़ अर्जित किया। बैंक ने विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) / सामान्य रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (सीआरएस) के तहत रिपोर्टिंग प्रणाली के कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मेसर्स केपीएमजी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रथम रिपोर्ट दिनांक 10.09.2015 को दायर किया गया था।

बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी कारोबार उत्पादों, जिनमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर वसूली, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की पेंशन का भुगतान, पोस्टल लेनदेनों व राज्य सरकार के राजकोषीय लेनदेनों का संचालन, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना व वरिष्ठ नागरिक बचत योजना व भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति सूचीबद्ध बांडों के निर्गम

The Bank has tie-up arrangements in both life and non-life insurance segments under its 'Bancassurance' arm. The Bank earned a commission income of ₹26.20 crore from its joint venture, viz., Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. Under the Mutual Fund business, the Bank earned a commission of ₹10.07 crore from its joint venture, viz., Canara Robeco Asset Management Company Ltd. A commission income of ₹17.16 crore was earned under Non-Life (General) Insurance business from its tie-up arrangement with M/s United India Insurance Company Ltd (UIICL). The tie-up arrangement with M/s Apollo Munich Health Insurance Co. Ltd for marketing their health insurance products, resulted in a commission income of ₹10.67 crore. The Bank also has Corporate Agency Agreement with M/s Export Credit Guarantee Corporation of India for marketing export policies through its branches across India.

Under Card Business, the Bank took several initiatives to expand credit and debit card base. The total debit card base of the Bank increased to 3.19 crore and credit card base increased to 2 lakh as at March 2016. Profit under card business during the year stood at ₹55.42 crore.

The Bank offers its 'Depository Services' from 47 DP Service Centres spread across 34 locations in the country. Through these Centres, the Bank is extending Online Trading Facility to DP clients from its own broking subsidiary M/s Canara Bank Securities Limited, Mumbai.

Executor, Trustee and Taxation Services outfit of the Bank provides services, like, Debenture/Security Trusteeship, Will & Executorships, Endowment Trusteeship, Personal Tax Assistance and Power of Attorney services. During the year, it generated a fee income of ₹1.13 crore and availed Central Value Added Taxes (CENVAT) credit of ₹91.33 crore against the service tax paid during the year. The Bank has appointed M/s KPMG as consultant for implementation of Reporting System and ensuring compliance under Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)/ Common Reporting Standard (CRS). As per Central Board of Direct Taxes, Government of India (CBDT) guidelines, the first report was filed on 10.09.2015.

The Bank handles various Government Business products comprising Direct and Indirect Tax collections, payment of pensions of Central Government and State Government, Handling of Postal Transactions and State Government Treasury Transactions, Public Provident Fund Scheme and Senior Citizens' Saving Scheme and issue of Inflation Indexed Bonds of RBI. During the year, the Bank implemented Sukanya Samriddhi Account Scheme, Atal

शामिल हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि खाता योजना, अटल पेंशन योजना और सॉवरन गोल्ड बांड योजनाएं कार्यान्वित की। इन उत्पादों से कासा में सुधार दर्ज होते हुए ₹121 करोड़ का शुल्क आय अर्जित हुआ।

बैंक द्वारा कई ऑनलाइन भुगतान सेवाएं, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा व नागर हवेली, ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल व दिल्ली में विक्रय कर / वाणिज्य कर का ई-भुगतान, महाराष्ट्र में वर्चुअल ट्रेजरी पैकेज, तमिलनाडु में परिवहन विभाग को करों का ई-भुगतान, तमिलनाडु में चेन्नई तथा कर्नाटक में बेंगलूर में कॉर्पोरेशन के लिए संपत्ति कर की वसूली, सार्वजनिक भविष्य निधि खातों का ऑनलाइन खाता खोलना तथा झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक में ई-स्टाम्प परियोजना, आदि प्रदान की जाती है।

बैंक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), संस्कृति मंत्रालय, युवा मामले व खेल मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा युआईडीएआई, नई दिल्ली के आधिकारिक बैंकर के रूप में प्राधिकृत किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने स्वावलंबन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवरेज विस्तारित किया है।

बैंक का कृषि नवोन्मेषण केन्द्र (एआईसी) अंग ने कुल 72 कार्यों का निर्वहन किया। इन 72 कार्यों में 48 मूल्यांकन, 5 व्यवहार्यता अध्ययन, 18 पुनरीक्षण व प्रशिक्षण तथा 01 मूल्यांकन सह परियोजना निर्माण शामिल थे। इन कार्यों का कुल परिव्यय, मीयादी ऋण घटक के तौर पर ₹396 करोड़ रहा तथा इससे बैंक ने ₹2.05 करोड़ का शुल्क आय भी अर्जित किया।

आस्ति गुणवत्ता

उद्योग स्तर पर आस्ति गुणवत्ता में जारी दबाव के कारण बैंक की सकल अनर्जक आस्ति विगत वर्ष की ₹13040 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹31638 करोड़ हो गई। तदनुसार, यथा मार्च 2016 को सकल अनर्जक अनुपात 3.99% से बढ़कर 9.40% हो गया। ₹20833 करोड़ के निवल एनपीए के साथ, निवल एनपीए अनुपात पिछले वर्ष के 2.65% से बढ़कर 6.42% हो गया।

बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान के ₹4758 करोड़ की सकल वसूली की। तकनीकी तौर पर बट्टे खाते में डाले गये खातों से ₹617 करोड़ अर्जित हुआ और यह बकाया राशि का 8.31% रहा जिसमें हानि आस्तियों से वसूली गई ₹461 करोड़ भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों) को ₹34 करोड़ के लिए 07 एनपीए खातों की बिक्री भी की। वर्ष के दौरान कुल ₹1460 करोड़ का स्तरोन्नयन किया गया।

Pension Yojana and Sovereign Gold Bonds Schemes of Government of India. These products contributed to improvement of CASA and also earned a fee income of ₹121 crore during the year.

The Bank provides several online payment services, viz., E-payment of Sales Tax/ Commercial Tax in Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Bihar, Dadra & Nagar Haveli, Odisha, Punjab, West Bengal and Delhi, Virtual Treasury Package in Maharashtra, E-payment of Taxes to Transport Department in Tamil Nadu, Collection of Property Tax for the Corporation of Chennai in Tamil Nadu and Bengaluru in Karnataka, Online opening of PPF Accounts and E-Stamping project in Jharkhand, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka.

The Bank has been authorized as the accredited banker for Ministry of Human Resources Development (MHRD), Ministry of Culture, Ministry of Youth Affairs & Sports, Archeological Survey of India and Unique Identification Authority of India (UIDAI), New Delhi. The Bank extended the coverage under National Pension System for Unorganised Sectors under Swavalamban Scheme during 2015-16.

Agricultural Innovation Center (AIC) outfit of the Bank handled 72 assignments. These 72 assignments consisted of 48 appraisals, 5 viability studies, 18 vetting and trainings and 1 appraisal cum project formulation. The total outlay of the assignments worked out to a term loan component of ₹396 crore and non-interest income derived by the Bank in the form of processing fee was ₹2.05 crore.

ASSET QUALITY

With the continued stress in the asset quality at the industry level, the Gross NPA of the Bank has increased to ₹31638 crore as at March 2016 compared to ₹13040 crore in the last year. Accordingly, the gross NPA ratio has increased to 9.40% from 3.89% as at March 2015. With a Net NPA of ₹20833 crore, the net NPA ratio has gone up to 6.42% from 2.65% a year ago.

Cash Recovery during 2015-16 aggregated to ₹4758 crore. Recovery from technically written off accounts amounted to ₹617 crore, accounting for 8.31% to outstanding amount, including recovery from loss assets at ₹461 crore. During the year, the Bank also sold 7 NPA Accounts to Asset Reconstruction Companies (ARCs) for consideration of ₹34 crore. During the year, an amount of ₹1460 crore was upgraded.

वर्ष के दौरान, सरफेसी अधिनियम के तहत कुल ₹816 करोड़ की वसूली की गयी। बैंक ने 13,159 वसूली बैठकों का आयोजन किया जिसके परिणामस्वरूप ₹546 करोड़ राशि वसूल की गयी। वर्ष के दौरान 47157 मामले लोक अदालत को भेजे गये, जिनमें से 25132 मामले का निपटान किया गया, जिसकी कुल राशि ₹264 करोड़ रही। बैंक ने खातों को एनपीए में फिसलन से रोकने के लिए और अतिदेय ऋण खातों से वसूली में बढोत्तरी लाने के लिए कई पहल की। इनमें, समय पर दबावग्रस्त खातों की पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण करने हेतु खातों की पहचान करना, एकमुश्त निपटान(ओटीएस) के लिए शाखा स्तर पर केन अदालतों और अंचल स्तर पर मेगा अदालतों का आयोजन, जिला स्तर पर लोकअदालतों का आयोजन, कॉल सेन्टर के ज़रिए ऋण खातों में अतिदेय राशि का नियमित अनुवर्तन और अभिग्रहित आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी, इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ सख्त वसूली उपाय करना, आदि शामिल हैं। बैंक ने (₹10 लाख तक के) छोटी एनपीए के निपटान के लिए एक विशेष योजना भी रूपायित की जिसमें शिक्षा ऋण/ट्रैक्टर ऋण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया।

यथा मार्च 2016 को बैंक की बकाया पुनर्संरचित आस्ति संविभाग(पुनर्संरचित एनपीए खाते सहित) ₹23227 करोड़ रहा जो सकल अग्रिमों का 6.90% है।

जोखिम प्रबंधन

बासेल III पूंजी पर्याप्तता ढांचा और भावी रणनीतियाँ

प्रधान कार्यालय में बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन पहल के समग्र कार्यान्वयन के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग स्वतंत्र रूप से नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। सभी 47 अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन अनुभाग कार्यरत हैं जोकि जोखिम प्रबंधन विभाग के ही विस्तारित अंग हैं।

बैंक में, भौगोलिक स्तर पर और संपूर्ण जोखिम रूपरेखा से प्रावरित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ हैं। इनमें, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालन जोखिम प्रबंधन, बाज़ार जोखिम प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन और समूह जोखिम प्रबंधन शामिल हैं।

बैंक में, और बासेल III के स्तंभ 2 के तहत आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) उपलब्ध है। आईसीएएपी प्रक्रिया बैंक के घरेलू और विदेशी परिचालन, अनुषंगियाँ, संयुक्त उद्यम, प्रायोजित इकाइयाँ और सहयोगी संस्था को प्रावरित करती हैं। आईसीएएपी प्रलेख में दबाव परीक्षण संबंधी चित्रण शामिल हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल द्वारा आईसीएएपी प्रलेख की समीक्षा की जाती है और अनुमोदित की जाती है।

During the year, recovery amounting to Rs.816 crore was made under SARFAESI Act. The Bank conducted 13159 recovery meets, which resulted in a recovery of Rs.546 crore. During the year, 47157 cases were referred to Lokadalat, out of which, 25132 cases were settled, covering an amount of Rs.264 crore. Besides, the Bank took several initiatives to contain slippages and speed up recovery from overdue loan accounts. These include, identification of stressed accounts for restructuring/ rephasing in time, conduct of Canadalats at branch level and mega adalats at Circle level for one time settlements (OTS), Lokadalats at district levels and regular follow-up of overdues in loan accounts through Call Centre and conducting e-auctions for sale of seized assets, initiation of stringent recovery measures against Wilful Defaulters. The Bank also formulated a special Scheme for settlement of small NPAs (upto Rs.10 lakh), with a special focus on Education Loan/ Tractor Loan.

As at March 2016, the outstanding restructured assets portfolio (including restructured NPA) of the Bank stood at ₹23227 crore, accounting for 6.90% of gross advances.

Risk Management

BASEL III Capital Adequacy Framework and Future Strategies

An independent Risk Management Wing at the Head Office is functioning as a nodal centre for overall implementation of various risk management initiatives across the Bank. Risk Management Sections are functioning at all the 47 Circle Offices of the Bank as an extended arm of the Risk Management Wing.

The Bank has in place risk management policies across geographies and across all risks, encompassing the entire gamut of risk profile. These include policies on Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Asset Liability Management and Group Risk Management.

The Bank has in place an Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) under Pillar 2 of Basel III norms. The ICAAP exercise covers the domestic and overseas operations of the Bank, the Subsidiaries, Joint Ventures, Sponsored Entities and Associates. Linkages to Stress Test Scenarios are also documented in ICAAP. The ICAAP document is reviewed and approved by the Risk Management Committee of the Board and the Board of Directors.

बैंक में पूँजी योजना समिति कार्यरत है। समिति, बैंक की पूँजी अपेक्षाओं और कारोबारी रणनीतियों की तुलना में समष्टि आर्थिक नीति का सुस्पष्ट चित्रण प्रदान करती है। वर्ष के दौरान बैंक ने पूँजी आयोजना प्रक्रिया के लिए बोर्ड स्तरीय एक उप-समिति का गठन किया है। ये समिति, जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी के उपयुक्त स्तर का अनुपात बनाये रखने की बात सुनिश्चित करती है और पूँजी जुटाने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करती है।

उन्नत दृष्टिकोण अपनाना

ऋण, बाज़ार और परिचालन जोखिम के संबंध में पूँजी के परिकलन हेतु बासेल III के तहत उन्नत दृष्टिकोण ढांचे की ओर बढ़ने के अपने प्रयास में एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान के माध्यम से उद्यम का क्रियान्वयन के उद्देश्य से बैंक ने स्वयं तथा समूह इकाइयों के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की ताकि अपेक्षित जोखिम प्रबंधन ढांचे का निर्माण किया जा सके।

उद्यम-व्यापक एकीकृत जोखिम प्रबंधन स्थापत्य के कार्यान्वयन की पूर्वापेक्षा के रूप में बैंक ने जोखिम समाधान प्राप्त किया है जिससे कि वह उन्नत मापन दृष्टिकोण की अपेक्षाओं की पूर्ति कर सके।

ऋण जोखिम के लिए पूँजी भार के परिकलन हेतु आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) दृष्टिकोण अपनाने के लिए, बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी भार के परिकलन हेतु आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण और परिचालन संबंधी जोखिम के लिए पूँजी भार के परिकलन हेतु उन्नत माप दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

बासेल III के लिए तैयारी

बासेल III पूँजी विनियमावली संबंधी अंतिम दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बासेल III पूँजी विनियमावली का पूर्ण क्रियान्वयन की परिवर्ती अवधि को 31.03.2019 तक बढ़ा दिया गया है। मार्च 2019 के अंत तक भारत में स्थित बैंकों को 5.50% की न्यूनतम समान ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूँजी, 7.00% की टियर 1 पूँजी, कुल पूँजी 9% और 2.50% पूँजी परिरक्षण बफर (सीसीबी) को बनाये रखने की आवश्यकता है। बैंकों को जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षाओं के लिहाज से विश्वसनीय प्रतिपूरक उपाय के रूप में पैरेलल रन के दौरान 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2017 तक 4.5% का न्यूनतम टियर 1 लीवरेज अनुपात भी बनाये रखना है।

बैंक पर्याप्त रूप से पूँजीकृत रहने के लिए प्रयास कर रही है तथा संक्रमण दौर के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पूँजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना तैयार की है। भारत सरकार

A Capital Planning Committee is in place. The Committee articulates macroeconomic scenarios vis-à-vis capital requirements of the Bank, in tune with the business strategies. During the year, the Bank has also formed a Board Level Sub-Committee for Capital Planning Process. These Committees ensures maintenance of appropriate level of Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) and evaluates various options for raising the capital.

Adoption of Advanced Approaches

In an endeavour to move towards Advanced Approaches under Basel III for computation of capital for Credit, Market and Operational Risk, the Bank has engaged the services of a Consultant for implementation of Enterprise-wide Integrated Risk Management solution for itself and the group entities so as to build requisite risk management framework.

As a pre-requisite for the implementation of Enterprise-wide Integrated Risk Management architecture, the Bank has procured a Risk Solution that would enable it to meet requirements of Advanced Measurement Approaches.

The Bank has submitted Letters of Intent to RBI for adoption of Internal Rating Based (IRB) Approach for calculation of capital charge for Credit Risk, Internal Models Approach for calculation of capital charge for Market Risk and Advanced Measurement Approach for calculation of capital charge for Operational Risk.

Preparedness for Basel III

The final guidelines on Basel III Capital Regulations became effective from 1st April, 2013. As per RBI guidelines, the transitional period for full implementation of Basel III Capital Regulations is extended up to 31.03.2019. The banks in India need to maintain a minimum Common Equity Tier 1 (CET1) capital of 5.50%, Tier 1 capital of 7.00%, Total Capital of 9% and Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% at the end of March 2019. The banks also have to maintain a minimum Tier 1 Leverage Ratio of 4.5% during parallel run from 1st January, 2013 to 1st January, 2017, as a credible supplementary measure to the risk based capital requirements.

The Bank endeavours to remain adequately capitalized and has drawn plans to meet the capital requirements stipulated by the RBI in transitory phase. The Bank has adequate headroom to raise capital from the market,

से पुनःपूँजीकरण समर्थन प्राप्त करने सहित बाजार से पूँजी जुटाने के लिए बैंक के पास पर्याप्त गुंजाइश है। आगे बढ़ते हुए, बैंक की पूँजी संबंधी अपेक्षा की पूर्ति – नयी ईक्विटी पूँजी लगाने, लाभ बरकरार रखने, कारोबार को इष्टतम स्तरों तक ले जाने और पूँजी संबंधी योजना व प्रबंधन के ज़रिए की जाएगी।

ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम का प्रबंध करने के लिए बैंक के पास विभिन्न जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ, व्यापक नीतियाँ व कार्यविधियाँ नियत हैं। ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में निम्नलिखित के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं:

- मूल्यांकन व निर्णय लेने हेतु ऋण मानदंड
- वित्त पोषण हेतु एक्सपोजर सीमा एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों को परिभाषित करना।
- उधारकर्ताओं की आंतरिक जोखिम रेटिंग के आधार पर विभिन्न प्राधिकारियों / ऋण अनुमोदन समितियों को मंजूरी अधिकारों का प्रत्यायोजन।
- जोखिम रेटिंग के आधार पर शुरुआती अवरोध
- जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण
- ऋण समीक्षा तंत्र

एक विशेष जोखिम निगरानी नीति निर्धारित की गयी है। ऋण निगरानी नीति में उल्लिखित ऋण समीक्षा तंत्र में समीक्षा व निगरानी संबंधी पूर्ण जानकारी प्रावृति की गयी है जिससे कि ऋण पुस्तिका का लगातार रूप से मूल्यांकन किया जा सके। इसका उद्देश्य, ऋण प्रशासन व निगरानी विभाग द्वारा विधिवत रूप से निर्धारित ऋण लेखापरीक्षा / जारी पूर्व लेखापरीक्षा सहित ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार लाना है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन

बैंक के बाज़ार जोखिम ढांचे का उद्देश्य, सभी प्रकार के बाज़ार जोखिमों को कम करना तथा विभिन्न बाज़ार जोखिम कारकों के लिए सीमा संरचना व उत्प्रेरक स्थापित करना है।

एक्सपोजर लिमिट, जैसे स्टॉप लॉस लिमिट ऑन ट्रेडिंग बुक, विभिन्न मुद्राओं की स्थिति के बारे में इंटरडे व ओवरनाइट सीमा, डीलर-वार सीमा, सकल अंतर सीमा, मुद्रा बाज़ार परिचालनों की सीमाएं, निवेश संविभाग के लिए संशोधित अवधि सीमा और जोखिम निवारक / उत्प्रेरक के लिए वीएआर सीमा निर्धारित किये गये हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग का मिड ऑफिस दैनिक आधार पर अन्य उत्प्रेरक के साथ इन सीमाओं पर निगरानी रखता है। बाज़ार जोखिम सीमा व उत्प्रेरक के प्रभावी व समयबद्ध निगरानी हेतु एक सुदृढ रिपोर्टिंग प्रणाली है।

including recapitalization support from the Government of India. Moving ahead, the Bank's capital requirement shall be met by injecting fresh equity capital, retention of profit, optimization of business levers, proactive capital planning and management.

Credit Risk Management

The Bank has various risk management systems for managing Credit Risk with comprehensive policies and procedures in place. The Credit Risk Management Policy articulates, among others, the guidelines on:

- Lending norms for appraisal and decision making
- Defining Exposure Limits and thrust areas for financing
- Delegation of credit sanctioning powers to various authorities/Credit Approval Committees based on internal risk rating of the borrowers
- Entry barriers based on risk rating
- Risk Based Pricing
- Loan Review Mechanism

An exclusive Credit Monitoring Policy has been put in place. The loan review mechanism articulated in the Credit Monitoring Policy covers the entire gamut of review and monitoring as an effective tool for evaluating the loan book continuously. It also intends to bring out qualitative improvements in credit administration, including Credit Audit/ Pre-release Audit, duly administered by the Credit Administration and Monitoring Wing.

Market Risk Management

The Market Risk framework of the Bank aims at restricting loss from all types of market risk loss events and also to establish limit structure and triggers for various market risk factors.

Exposure limits, such as, Stop Loss limits on Trading Book, intraday and overnight limit for various Currency Positions, Dealer-wise limits, Aggregate Gap limit, limits on Money Market Operations, Modified Duration limits for investment portfolio and VaR limits are fixed to act as risk mitigants/triggers. Mid Office of Risk Management Wing monitors these limits, along with other triggers, on a daily basis. A reporting framework has been put in place for effective and timely monitoring of Market Risk limits and triggers.

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन का ढांचा, नैतिक मूल्यों, संगठनात्मक संस्कृति और सशक्त परिचालन कार्यविधियों पर आधारित है जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिक आयोजना समाहित हैं।

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन हेतु नीतियों को अपनाया है जिसमें, परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा, ऑटोसोर्सिंग गतिविधियां और सतत कारोबार योजना जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं।

वर्तमान में बैंक 'बेसिक इंडिकेटर एप्रोच' (बीआईए) से बासेल III ढांचे के उन्नत दृष्टिकोण को अपनाने की प्रक्रिया में है। बैंक ने उन्नत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन तथा परिचालन जोखिम के पूंजी भार के परिकलन के लिए घटना प्रबंधन, मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई), जोखिम नियंत्रण व स्व मूल्यांकन (आरसीएसए), परिदृश्य विश्लेषण निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया / गतिविधियां प्रारंभ कर दी है।

आस्ति देयता प्रबंधन

आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएलएम) चलनिधि और ब्याज दर जोखिम संबंधी मामलों को सुलझाती है ताकि आस्ति व देयताओं की परिपक्वता / पुनः मूल्य निर्धारण के बीच बेहतर संतुलन बनाये रखा जा सके। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नीतिगत ढांचे के भीतर, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएल सी ओ) का गठन किया गया है, जिसे निधीयन रणनीति और इसकी संरचना, उत्पाद मूल्य निर्धारण, तनाव परीक्षण आकस्मिक कार्य योजना सहित आस्ति व देयताएं प्रबंधन की भूमिका सौंपी गई है। एक संतुलित एएलएम संरचना बैंक की लाभ हानि अंतर (स्प्रेड), लाभप्रदता और दीर्घकालिक अर्थक्षमता को बनाए रखने में मदद करता है।

बैंक ने दिनांक 01.01.2015 से तरलता प्रावरण अनुपात (एलसीआर) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है। यथा 31.03.2016 को बैंक का एलसीआर न्यूनतम विनियामक निर्धारित 70% से अधिक है।

समूह जोखिम

बैंक की विभिन्न अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व प्रायोजित इकाइयां हैं, जो बहुआयामी गतिविधियों में लगे हुए हैं। बैंक की इन सामूहिक इकाइयों में पर्याप्त हिस्सेदारी होने के कारण बैंक ने समूह जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया है ताकि अंतर समूह संव्यवहारों की जोखिमों की पहचान करते हुए उनका उचित प्रबंधन किया जा सके और सामूहिक इकाइयों के बीच हितों के टकराव से बचते हुए / कम करते हुए, कॉर्पोरेट अभिशासन के स्तर को उठाया जा सके और व्यापार मानदण्डों के संबंध में इन इकाइयों के बीच "स्वतंत्र संव्यवहार का सिद्धांत" सुनिश्चित किया जा सके।

Operational Risk Management

Operational Risk Management framework in the Bank is based on ethics, organization culture and strong operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning.

The Bank has adopted policies for management of Operational Risk, which covers various aspects, such as, Operational Risk Management Structure, Outsourcing Activities and Business Continuity Plan.

At present, the Bank is in the process of migration to Advanced Approaches of Basel III framework from Basic Indicator Approach (BIA). The Bank has initiated process/activities for implementation of Advanced Approaches and to put in place Incident Management, Key Risk Indicators (KRI), Risk Control & Self Assessment (RCSA), Scenario Analysis to compute capital charge for Operational Risk.

Asset Liability Management

The ALM Policy of the Bank aims at maintaining an appropriate balance in the maturity/re-pricing profile of assets and liabilities so as to reduce liquidity risk and manage interest rate risk. Within the policy framework, the Board of the Bank has set up the Asset Liability Management Committee (ALCO), which is entrusted with the role of management of assets and liabilities, including the funding strategy and its composition, product pricing, stress test and contingency action plan, among others. A balanced ALM structure helps to sustain the spreads, profitability and long-term viability of the Bank.

The Bank has implemented the RBI guidelines with respect to Liquidity Coverage Ratio (LCR) with effect from 01.01.2015. As on 31.03.2016, LCR of the Bank is above the stipulated regulatory minimum of 70%.

Group Risk

The Bank has various Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Entities, which are engaged in diversified activities. As the Bank has considerable stake in these Group Entities, it has adopted a Group Risk Management Policy to identify and manage risk in intra Group transactions and exposures to raise the standard of Corporate Governance by reducing /avoiding conflicts of interest between the Group Entities and also to ensure 'Arms Length Principle' among Entities, in regard to business parameters.

राष्ट्रीय प्राथमिकताएं

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक, कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, शिक्षा, आवास, सूक्ष्म ऋण, कमजोर वर्गों और विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति को महत्व देता आ रहा है।

यथा मार्च 2016 को बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 23.11% का वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए ₹145558 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 40% के अनिवार्य मानदंड की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण (ए एन बी सी) के प्रति 49.29% हासिल किया गया।

(राशि ₹ करोड़ में)

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	मार्च तक		वृद्धि	
	2015	2016	राशि	%
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	118234	145558	27324	23.11
कृषि	58868	67176	8308	14.11

कृषि लक्षित साख संवितरण के तहत बैंक का अग्रिम 14.11% बढ़कर ₹67176 करोड़ तक पहुंच गया है जिसमें 59 लाख से अधिक किसान प्रावरित हुए हैं। कृषि क्षेत्र ऋणों के तहत बैंक ने 18% अनिवार्य मानदंड की तुलना में 22.75% प्राप्त किया है। वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक का कृषि क्षेत्र को साख संवितरण 26.06% की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹57018 करोड़ हो गया है।

बैंक ने सभी किसानों को फसल ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया।

वर्ष के दौरान बैंक ने ₹10393 करोड़ के 07 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किये हैं। यथा मार्च 2016 तक किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बैंक की बकाया ऋण राशि ₹12675 करोड़ थी। बैंक ने 6.69 लाख पात्र खातों में से 6.36 लाख को किसान रूपे कार्ड जारी करके 95% की उपलब्धि हासिल की है।

बैंक ने सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), सफाई कर्मचारियों की मुक्ति एवं पुनर्वास योजना (एसएलआरएस), तथा विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना में सक्रिय रूप से भाग लिया।

यथा मार्च 2016 तक निम्नलिखित सरकारी योजनाओं के तहत करीब 2.39 लाख लाभार्थियों पर कुल बकाया अग्रिम ₹1016 करोड़ रहा।

NATIONAL PRIORITIES

Priority Sector Advances

The Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities, including agriculture, micro and small enterprises, education, housing, micro-credit, credit to weaker sections and specified minority communities.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2016 reached ₹145558 crore, recording a y-o-y growth of 23.11% and achieved 49.29% to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 40% mandated norm.

(Amt. ₹ Crore)

Priority Sector Advances	As at March		Growth	
	2015	2016	Amount	%
Total Priority Sector	118234	145558	27324	23.11
Agriculture	58868	67176	8308	14.11

With a focus on credit delivery to Agriculture, the Bank's advances under agriculture portfolio increased by 14.11% to ₹67176 crore, covering over 59 lakh farmers. Under agriculture lending, the Bank achieved 22.75% to ANBC against 18% mandated norm. During 2015-16, the Bank's agriculture credit disbursal increased to ₹57018 crore, with a growth of 26.06% over the previous year.

The Bank undertook special campaigns for extending Crop Loans facility to all farmers.

During the year, the Bank issued 7 lakh Kisan Credit Cards (KCCs), amounting to ₹10393 crore. The credit outstanding under KCCs was at ₹12675 crore as at March 2016. 6.36 lakhs Kisan RuPay Cards were issued against the eligible accounts of 6.69 lakhs, with an achievement of 95%.

The Bank actively participated in various Government Sponsored Schemes, such as, Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), National Rural Livelihood Mission (NRLM), Swarnajayanthi Shahri Rozgar Yojana (SJSRY), Scheme for Liberation and Rehabilitation of Scavengers (SLRS) and Differential Rate of Interest (DRI) Scheme.

As at March 2016, the outstanding advances under the following Government Schemes, aggregated to ₹1016 crore, involving around 2.39 lakh beneficiaries.

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत निष्पादन

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	मार्च 2016	
	खाता	राशि
प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)	9472	148
स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)	11630	90
स्वर्णजयंती ग्राम स्व रोजगार योजना (एसजीएसवाई)	22528	148
मैला ढोने वालों की मुक्ति एवं पुनर्वास योजना (एसएलआरएस)	259	1.24
विभेदक ब्याज दर (डीआरआई)	181911	177
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	12989	452
कुल	238789	1016

विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) के तहत 1.82 लाभार्थियों को ₹177 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया जिसमें से ग्रामीण व अर्ध-ग्रामीण शाखाओं को दिया गया अग्रिम ₹138 करोड़ रहा।

समाज के सुविधारहित वर्ग के समर्थन में यथा मार्च 2016 को 5.62 लाख अजा / अजजा लाभार्थियों को बैंक ने ₹6886 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया। अजा / अजजा को दिया गया अग्रिम कुल प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये अग्रिम का 4.73% रहा।

समाज के कमजोर वर्ग को दिया गया कुल अग्रिम 12.55% वृद्धि के साथ ₹43498 करोड़ रहा जो 10% के अनिवार्य मानदंड की तुलना में एनबीसी का 14.73% रहा।

यथा मार्च 2016 को कमजोर वर्ग को दिये गये अग्रिम का विभिन्न घटक

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	बकाया	
	खाते	राशि
लघु व मार्जिन कृषक, भूमिहीन श्रमिक, काश्तकार, व बैटाईदार	3922913	38208
कारीगार, ग्राम और कुटीर उद्योग	48083	862
अ जा / अ ज जा लाभार्थी	564536	6886
डी आर आई ऋण	181911	177
एसजीएसवाई लाभार्थी	22528	148
एसजेएसआरवाई लाभार्थी	11630	90
एसजीएच/एमजीओ /एमएफआई	121808	2344
एसएलआरएस / एसआरएमएस को अग्रिम	259	1.24

Performance under various Government Sponsored Schemes

(Amt. ₹ Crore)

Scheme	MARCH 2016	
	Accounts	Amount
Prime Minister Rojgar Yojana (PMRY)	9472	148
Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY)	11630	90
Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY)	22528	148
Scheme for Liberation and Rehabilitation of Scavengers (SLRS)	259	1.24
Differential Rate of Interest (DRI)	181911	177
Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)	12989	452
Total	238789	1016

Advances to DRI stood at ₹177 crore, consisting of 1.82 lakh beneficiaries, of which, advances by rural and semi-urban branches amounted to ₹138 crore.

In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's advances to SCs/STs beneficiaries amounted to ₹6886 crore as at March 2016, covering 5.62 lakh borrowers. The advances to SCs/STs comprised 4.73% of total priority sector advances.

Advances to weaker sections grew by 12.55% to ₹43498 crore, constituting 14.73% to ANBC against mandated norm of 10%.

Various components of advances to Weaker Sections as at March 2016

(Amt. ₹ Crore)

Sectors	Outstanding	
	Accounts	Amount
Small & Marginal Farmers, Landless Labourers, Tenant Farmers and Share Croppers	3922913	38208
Artisans, Village and Cottage Industries	48083	862
SC/ST Beneficiaries	564536	6886
DRI Loans	181911	177
SGSY Beneficiaries	22528	148
SJSRY Beneficiaries	11630	90
SHGs/NGOs/MFIs	121808	2344
Advances to SLRS/SRMS (Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers)	259	1.24

यथा मार्च 2016 को विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को दिया गया कुल अग्रिम ₹25849 करोड़ रहा जो 15% के निर्धारित मानक की तुलना में कुल प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये अग्रिम का 17.76% रहा।

राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित आजीविका (राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन) के तहत यथा 01.04.2013 के बाद ऋण सहबद्ध महिला स्वयं सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) को ₹3.00 लाख तक की राशि के लिए 7% की दर से ऋण सुविधा मुहैया करायी जाएगी। आगे, त्वरित रूप से ऋण की चुकौती करने वाले महिला स्वयं सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) को 3% की अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान की जाएगी। वर्तमान में 150 वर्ग - 1 जिलों में योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केनरा बैंक का नोडल बैंक के रूप में चयन किया गया और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ऑनलाइन माध्यम से सदस्य बैंकों द्वारा दावों की प्रस्तुति के लिए एक अलग वेब पोर्टल विकसित किया गया।

राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन (एनआरएलएम) ने दिनांक 01.04.2013 से वर्तमान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को प्रतिस्थापित किया है। हमारे बैंक को विषयगत योजना के अनुदान के प्रशासन के लिए नोडल बैंक के रूप में चयनित किया है।

एनआरएलएम के तहत संचालित केनरा बैंक सहित सभी सदस्य बैंकों के कुल दावे संबंधी जानकारी निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खातों की संख्या (वास्तविक)	दावा की गई अनुदान राशि
2014-15	500829	304.30
2015-16	534718	305.89
कुल	1035547	610.19

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उधार

यथा मार्च 2016 को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रदान किया गया अग्रिम 10.04% वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹66689 करोड़ हो गया। मध्यम व लघु उद्यम (एम व एस ई) वर्गों को दिया गया अग्रिम 9.92% वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹50898 करोड़ रहा। सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में अनिवार्य 10% की तुलना में 24.21% की वृद्धि हुई।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत, बैंक ने 7.90 लाख खातों को प्रावृरित करते हुए ₹7701 करोड़, संवितरित की और निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया। मुद्रा योजना की विभिन्न योजनाओं के तहत संवितरण निम्नवत था:

As at March 2016, advances to specified minority communities aggregated to ₹25849 crore, accounting for 17.76% of the total priority sector advances against the stipulated 15% norm.

National Rural Livelihood Mission (NRLM)

Under the Scheme 'Aajeevika' (National Rural Livelihood Mission) implemented by Ministry of Rural Development, Women Self-Help Groups (WSHGs) credit linked after 01.04.2013 would be provided credit facilities at 7% upto ₹3 lakh. Further, prompt repaying WSHGs will get additional interest subvention at 3%. Presently, the Scheme is being implemented in 150 Category-I Districts. Canara Bank was selected to act as the nodal bank for implementation of the Scheme and MoU was signed with Ministry of Rural Development, Government of India. An exclusive web portal was developed for submission of claims by member banks through online mode.

NRLM has replaced the existing SGSY Scheme with effect from 01.04.2013 and the Bank is selected as Nodal Bank for administration of the subsidy for the subject scheme.

The consolidated claims handled under NRLM for all member banks, including Canara Bank, are as under.

(Amt. ₹ Crore)

Year	No of Accounts (Actual)	Amount of Subsidy claimed
2014-15	500829	304.30
2015-16	534718	305.89
Total	1035547	610.19

Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) Lending

Advances to MSMEs increased to ₹66689 crore as at March 2016, with a y-o-y growth of 10.04%. Credit to M&SE segments rose to ₹50898 crore, with a 9.92% growth. The number of Micro Enterprises Accounts recorded a growth of 24.21% against the mandated norm of 10%.

Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), the Bank disbursed ₹7701 crore, covering 7.90 lakhs accounts and achieved the set target. The disbursement under different Schemes of the Mudra Yojana was as under:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रगति			
श्रेणी	यथा 31.03.2016 (राशि ₹ करोड़ में)		
	खाते की संख्या	स्वीकृत राशि	बकाया राशि
शिशु ($< ₹50,000$)	546051	965	874
किशोर ($₹50,000 - ₹5$ लाख तक)	211849	4248	3564
तरुण ($₹5$ लाख - $₹10$ लाख तक)	32454	2488	2065
कुल	790354	7701	6503

पिछले एक साल में बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ाने और उठाए गए कदमों के प्रति निरंतर जागरूकता लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

- ऋण प्रस्तावों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए देश भर में 165 विशेषीकृत एसएमई शाखाएं तथा 45 एसएमई सुलभ (विशेषीकृत एसएमई प्रसंस्करण केन्द्र) कार्यरत है।
- सूक्ष्म व लघु उद्यमों को कोई संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना तथा सरलीकृत ऋण शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टर्स च्वाइस (संशोधित संस्करण) एमएसई स्मार्ट, एमएसएमई कैप, एमएसएमई वाहन, एमएसई विजेता, केनरा कॉन्ट्रैक्टर योजना, केनरा कारवां, फ्लेवर तथा एमएसएमई एक्सपो जैसे खंड विशेष योजनाओं का शुभारम्भ किया है।
- विशेष क्लस्टरों तथा गतिविधियों को प्रदान की जानेवाली ऋण को बढ़ाने के लिए नए क्षेत्र / क्लस्टर विशेष योजनाओं जैसे अनाज शेलर योजना, दाल मिल योजना, काजू प्रोसेसर योजना आदि शुरु किया गया और जारी रखा गया।
- जागरूकता पैदा करने के लिए मेगा साख शिविरों का आयोजन किया गया तथा एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए स्रोतों का अपूर्ण किया गया।
- सफल उद्यमिता के लिए सही मार्गदर्शन व आवश्यक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी विभागों तथा स्थानीय संगठनों के अधिकारियों को शामिल करते हुए नए उद्यमियों के लिए शिखर (सम्मिट) सम्मेलनों का आयोजन किया गया।
- परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए, मूल्यांकन के लिए तथा एमएसएमई उद्यमियों को परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पाँच मुख्य केन्द्रों में एमएसएमई परामर्शदात्री सेवा कक्ष का गठन किया गया।

Progress Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)			
Category	As on 31.03.2016 (Amt. in ₹ Crore)		
	No of Accounts	Sanction Amount	Outstanding Amount
Shishu ($< ₹50,000$)	546051	965	874
Kishor (Above $₹50,000 - ₹5$ lakh)	211849	4248	3564
Tarun (Above $₹5$ lakh to $₹10$ lakh)	32454	2488	2065
Total	790354	7701	6503

In the past one year the Bank has taken following initiatives to increase the flow of credit to MSME sector and also brought about continued awareness about the steps taken.

- 165 specialized SME branches are functioning throughout India and for faster processing credit proposals, 45 SME Sulabhs (Specialised SME Processing Centres) are functioning across the country.
- To extend financial assistance to micro and small enterprises without offering any collateral security and with relaxed lending terms, new segment specific schemes have been launched, such as, Doctors' Choice (improved version), MSE SMART, MSME CAP, MSME Vahan, MSE Vijeta and Canara Contractors' Scheme, Canara CARAVAN, Flavour and MSME Expo.
- To increase the Bank's exposure to specific clusters and activities, new area/cluster specific schemes have been launched and continued, such as, Rice Shellers' Scheme, Dal Mills Scheme and Cashew Processors Scheme.
- Mega Credit camps were conducted to create awareness and pool sources for increased credit flow to MSME sector.
- Summits were arranged for start-up entrepreneurs, inviting distinguished guests from Government Departments and local industrial bodies/organization, for necessary inputs and guidance for successful entrepreneurship.
- MSME Consultancy Services Cells were functioning in five major centres for project report preparation, appraisal and other consultancy services to MSME entrepreneurs.

- अंचल / क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म उद्यम कारोबार केन्द्रों की स्थापना की गई।
- एमएसएमई उद्यमियों के विपणन प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए बैंक ने www.CanbankEmart.com नाम से वेबसाइट व उनके उत्पादों के प्रदर्शन के लिए ई-स्टोर शुरू किया।
- बैंक ने एमएसएमई के तहत बैंक के विभिन्न पहलों के संबंध में उचित जानकारी के लिए www.canaramsme.com वेबसाइट शुरू की है।
- एमएसएमई ग्राहकों द्वारा एमएसएमई आवेदनों का प्रस्तुतीकरण व ट्रेकिंग व्यापक तौर पर किया जाता है।
- पहली बार बैंक से ऋण आवेदन करने वाले एमएसएमई उद्यमियों का मूल्यांकन करने के लिए एक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल शुरू किया है।
- उभरते उद्यमियों के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे एमएसएमई के तहत चुनौतियों व अवसरों से संबंधित जानकारियों को आत्मसात करना, संगोष्ठियों का आयोजन, प्रशिक्षण पहल, संबंधित संगठनों के साथ विचार-विमर्श आदि तथा नियमित पत्रिकाओं के माध्यम से उक्त के प्रचार-प्रसार के लिए विभाग में उद्यमी विकास केन्द्र का गठन किया गया है।
- सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई इकाइयों की निगरानी व फिसलन प्रबंधन संबंधी पहलुओं पर गौर करने के लिए तथा एमएसएमई इकाइयों के पुनर्वास व पुनर्गठन के माध्यम से मदद करने हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर विशेष व्यवस्था की गई है।
- युवाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा अनुकरणीय बनाने के लिए राज्य स्तर पर सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन करनेवाले एमएसएमई उद्यमियों के लिए पुरस्कार योजना रूपायित की गई है।
- Micro Enterprises Business Centres were established at Circle Offices for handholding Micro Enterprises.
- In order to support the marketing efforts of the MSME entrepreneurs, the Bank has a website www.CanbankEmart.com and also e-store to display their products.
- The Bank has an exclusive website www.canaramsme.com for easy access and understanding of MSME initiatives.
- The online submission of MSME applications and tracking thereof by the customers is facilitated and used extensively by the MSME clientele.
- The Bank has introduced a Credit Scoring Model to evaluate the MSME entrepreneurs who apply loan from the Bank for the first time.
- Entrepreneur Development Centre at Head Office have been catering to the needs of budding entrepreneurs by way of assimilation of information regarding the challenges and opportunities under MSME, conducting of seminars, training initiatives, interaction with the concerned organizations and propagation of the same through regular bulletins.
- An exclusive set up at Head Office has been looking into the aspects of monitoring, slippage management and handholding in times of stress by way of rehabilitation and restructuring of MSME units as per Government guidelines.
- The Bank has instituted awards for best performing MSME Entrepreneurs at State level to promote and encourage entrepreneurship amongst the youth.

साख संबद्ध पूँजी आर्थिक सहायता योजना (सीएलसीएसएस) के तहत एमएसएमई के तकनीकी स्तरोन्नयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में बैंक ने वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम, भारत सरकार से ₹7.56 करोड़ की राशि प्राप्त की और वर्ष के दौरान इस पूरी राशि का उपयोग किया गया।

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधान कार्यालय, बंगलूर में महिला सशक्तिकरण प्रभाग और 47 अंचल कार्यालय में महिला उद्यमिता विकास केन्द्र (सीईडीडीडब्ल्यू) कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान 30545 महिलाओं को लाभ पहुंचाते हुए 362 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिनमें 171 सामान्य /कौशल उद्यमिता विकास कार्यक्रम

The Bank received an amount of ₹7.56 crore from the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, during the year as a Nodal Agency for Technology Upgradation of MSMEs under Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) and fully utilized the amount during the year.

Empowering Women

Department of Women Empowerment at Head Office and Centre for Entrepreneurship Development for Women (CEDW) at 47 Circle Offices across the country are working towards economic empowerment of women. These CEDWs reach the potential entrepreneurs, undertake counseling, support training needs, finance adequately and provide marketing support. These centres have

(ईडीपी), 90 उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम और 49 संगोष्ठियां/ कैरियर गाइडेंस और 52 केनरा उत्सव /केनरा बाजार मेला कार्यक्रम शामिल है।

इन केन्द्रों ने इन्हें स्वयं सहायता समूह निर्माण व क्रेडिट लिंकेज में सहायता की है। विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं को ईडीपी / कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तथा उन्हें सक्षम स्वरोजगार उपक्रम अपनाने के लिए कर्नाटक के हारोहल्ली में एक विशेष ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। स्थापना के बाद संस्थान द्वारा 19874 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 1305 महिलाओं को वर्ष 2015-16 के दौरान प्रशिक्षित किया गया है। बैंक द्वारा समर्थित 65 प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 3.40 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें से 32,731 महिलाओं को 2015-16 में प्रशिक्षित किया गया है। महिला ग्राहकों पर ध्यान देने के लिए तथा महिलाओं की बैंकिंग जरूरतों की पूर्ति के लिए बैंक ने 2 विशेष महिला बैंकिंग शाखाओं के अलावा देश भर में 14 शाखाओं को 'पूर्ण महिला कर्मचारी शाखा' में परिवर्तित कर दिया है। 19 सूक्ष्म वित्त शाखाएं, सूक्ष्म व लघु महिला उद्यमियों तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। बैंक ने यथा मार्च 2016 को ₹42066 करोड़ की ऋण बकाया के साथ 27.46 लाख महिलाओं की सहायता की है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के एएनबीसी के 5% की अधिमानी आवश्यकता के एवज में 14.25 प्राप्त किया है।

महिलाओं को अनेक रियायते दी गयी है जिसमें छात्राओं को शिक्षा ऋण में पात्रता नियमों में छूट के साथ 0.50% ब्याज दर में रियायत, सूक्ष्म व लघु उद्यम के तहत महिला लाभार्थियों के लिए ₹2 करोड़ तक के ऋण के लिए एक विशेष ऋण योजना "एमएसई विजेता" लागू की गयी है। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा महिलाओं के लिए अनेक छूट व सुविधाओं के साथ एक विशेष बचत बैंक उत्पाद केनरा महिला बचत योजना भी लागू की गयी है।

वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर "केनरा बैंक सर्वोत्तम महिला उद्यमी पुरस्कार 2014-15" के तहत 07 सफल महिला उद्यमियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। विपणन सहायता के तहत बैंक महिला उद्यमी/स्वयं सहायता समूह के लिए बिना लागत के बेंगलुरु शहर में बाजार में अपने उत्पाद का प्रदर्शन सक्षम करने के लिए, एक अनूठा कस्टम निर्मित, उच्च तकनीक, सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल बिक्री वैन "केनरा वाहिनी" उपलब्ध कराई है जिसमें कंप्यूटरीकृत बिलिंग और कार्ड स्वाइप सुविधा उपलब्ध है। हाल ही में इस तरह के 4 और मोबाइल बिक्री वैन अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), कोयम्बटूर (तमिलनाडु), शिमोगा (कर्नाटक) और त्रिशूर (केरल) में पेश किया गया है।

अग्रणी बैंक योजना

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 03 मेट्रो जिले में बैंक को अतिरिक्त अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व दिया गया है। इसके साथ ही बैंक का अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व की संख्या बढ़कर देश के 29 जिलों में हो गई है,

conducted a total of 362 training programmes during the year, benefitting 30,545 women, which covered 171 General / Skill EDPs, 90 Awareness Programmes, 49 Seminars / Career Guidance Programmes / Follow-up-Meets and 52 Canara Utsav Marketing Melas.

These centres have also assisted in the formation of Self Help Groups and Credit Linkages. An exclusive Rural Self Employment Training Institute has been set up at Harohalli, Karnataka to provide EDP/ skill trainings to women in various vocations, enabling them to take up self employment ventures. Through this Institute 19,874 women have been trained since inception, out of which 1305 women have been trained during 2015-16. Through 65 Training Institutes supported by the Bank, 3.40 lakh women have been trained in self employment ventures since inception, of which 32731 have been trained in 2015-16. Apart from 2 exclusive Mahila Banking Branches, catering to the banking needs of women, the Bank has converted 14 branches into 'All Women Employee Branches' across the country to give a focus to women clientele. 19 Micro finance branches are supporting the financial needs of Micro & Small Women Entrepreneurs and SHG members. The Bank has assisted 27.46 lakhs women, with credit outstanding to the tune of ₹ 42066 crore as at March 2016 and achieved 14.25% to ANBC against the RBI's requirement of 5%.

Several concessions have been given to women, including relaxation in eligibility norms and 0.5% interest concession on educational loans to girl students, a special loan Scheme 'MSE Vijeta' for granting loans up to ₹ 2 crore to women entrepreneurs under Micro & Small Enterprises. Canara Mahila Savings Scheme, a special Savings Bank product was introduced, with many concessions.

During the year, 7 successful Women Entrepreneurs were given cash awards on the occasion of International Women's Day under "Canara Bank Best Woman Entrepreneur Awards, 2014-15". Under the marketing support, Bank has provided a unique custom built, high tech, solar powered mobile sales van "Canara Vahini" with computerized billing and card swiping facility to enable women entrepreneurs and SHGs to exhibit/market their products at Bengaluru city free of cost. 4 more such mobile sales vans have been introduced recently at Aligarh (Uttar Pradesh), Coimbatore (Tamil Nadu), Shivamogga (Karnataka) and Thrissur (Kerala).

Lead Bank Responsibility

The Bank has been assigned additional lead bank responsibilities in 3 Metro Districts of Delhi National Capital Territory. With this, the Bank's lead bank

जिनमें से कर्नाटक में 08 , तमिलनाडु में 07 केरल व उत्तरप्रदेश में 05, दिल्ली में 03 और बिहार में 01 जिले में है। केरल में यह बैंक राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति(एस बी एसल सी) का संयोजक है। केरल प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सर्वेक्षण पूरा होने और बीएसबीडी खाता खोलने के सम्बन्ध में संतुष्टि हासिल करने वाला पहला राज्य था।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन के प्रति समग्र दृष्टिकोण

बैंकिंग सेवा के दायरे से बाहर रह गयी जनता को बैंकिंग की मुख्यधारा के अंतर्गत लाने के मूल उद्देश्य से वित्तीय दायरे से बाहर व विशेष रूप से समाज के सीमित वर्गों को वित्तीय उत्पादों व सेवाओं को मुहैया कराने के लिए बैंक प्रयासरत है। भारत सरकार व भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक वित्तीय समावेशन की एजेंडा को विभिन्न समूहों में चार महत्वपूर्ण उपायों, जैसे बैंकिंग संरचना का विस्तारण, उचित वित्तीय उत्पादों की पेशकश, प्रौद्योगिकी के व्यापक और गहन उपयोग और हितधारक सहभागिता के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं।

वर्ष के दौरान बैंकिंग सुविधा रहित गाँवों में 42 वित्तीय समावेशन शाखाएं खोलीं जिससे वित्तीय समावेशन की कुल शाखाएं बढ़कर 848 हो गईं। बैंक ने कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के तहत 2459 कारोबार प्रतिनिधि एजेंटों (बीसीए) को नियुक्त किया है। इसके अलावा 477 अति लघु शाखाएं (यूएसबी) भी कार्यरत हैं। आ

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य देश के 7.50 करोड़ बैंकिंग रहित घरों में कम से कम एक बैंक खाता होना था। 06 माह तक संतोषजनक कारोबार के बाद पीएमजेडीवाई योजना के तहत खोले गए खाते के साथ रूपे डेबिट कार्ड ₹1 लाख तक दुर्घटना बीमा प्रावरण, ₹30000 तक का जीवन बीमा प्रावरण (31.01.2015 तक खोले गए खाते के लिए) तथा 6 महिनों के लिए संतोषजनक परिचालन करने पर ₹5000 तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा है।

पी एम जे डी वाई कार्यान्वित करने के लिए बैंक को 3962 उप सेवा क्षेत्र व 3371 शहरी वार्ड आबंटित किया गया था।

responsibilities increased to 29 districts in the country, viz., 8 in Karnataka, 7 in Tamil Nadu, 5 in Kerala, 5 in Uttar Pradesh, 3 in Delhi and 1 in Bihar. The Bank is the Convenor of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in Kerala. The State of Kerala was first major state to announce completion of Survey under PMJDY and achieved saturation in terms of opening BSBD accounts.

Financial Inclusion

A Holistic Approach to Financial Inclusion

With the basic objective of bringing the large unserved population under the banking mainstream, the Bank is striving towards a more inclusive growth by making financial products and services available to financially excluded and marginalized sections of society in particular. As per the Government of India and the Reserve Bank of India directions, the Bank has been actively pursuing the agenda of Financial Inclusion (FI), with key interventions in four groups, viz., expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making extensive and intensive use of technology and through advocacy and stakeholder participation.

The Bank has opened 42 Financial Inclusion (FI) Branches during the year in unbanked villages, taking the tally of FI branches to 848 under branch model. The Bank has also engaged 2459 Business Correspondents Agents (BCAs) under Business Correspondents (BC) model. In addition, 477 Ultra Small Branches (USBs) were also operational in the Bank.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

The Ministry of Finance, Government of India, launched the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) on 28th August 2014, which aimed at covering 7.50 crore unbanked households in the country with at least one bank account per household. Accounts opened under PMJDY are issued with Rupay Debit card, accidental Insurance coverage to the extent of ₹1 lakh, life insurance cover of ₹30,000/- (for accounts opened upto 31.01.2015) and overdraft upto ₹ 5000/- after six months of satisfactory dealing.

The Bank was allotted 3962 Sub Service Area (SSAs) and 3371 Urban Wards for implementation of PMJDY.

पी एम जे डी वार्ड के तहत निष्पादन की झलक

- पीएमजेडीवार्ड के तहत 74.31 लाख खाते खोलकर ₹ 1317 करोड़ कासा जमा जुटाया है।
- 848 पारंपरिक शाखाएं खोलकर तथा 2459 कारोबार प्रतिनिधि, एजेंटों शेष स्थानों पर (बैंक मित्रों) को शामिल कर आबंटित सभी 3962 एसएसए और 3371 वार्ड कवर किया।
- बैंक मित्रों के माध्यम से भुगतान सुविधा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रदत्त हस्तधारित मशीनों को रूपे कार्ड स्वीकार करने हेतु समर्थित किया गया है।
- यथा मार्च 2016 को शून्य शेष खातों को 36.83% से 14.95% लाया गया।
- बैंक ने पीएमजेडीवार्ड के तहत टॉल फ्री नंबर (1800 425 11 222) प्रदान करते हुए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है तथा उसे राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित किया गया है।
- ₹5000 तक पीएमजेडीवार्ड ओवरड्राफ्ट की सुविधा – सभी पात्र खाता धारकों के लिए बैंक में लागू किया गया था। 2.51 लाख पीएमजेडीवार्ड खाता धारकों को ₹47.74 करोड़ की राशि की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराए गए थे।

सामाजिक सुरक्षा योजना

वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा आरम्भ किए गए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत निम्नवत नामांकन किए गए हैं।

योजना नामांकन	यथा मार्च 2016
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएम एस बी वार्ड)	46.15 लाख
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएम जे जे बी वार्ड)	20.04 लाख
अटल पेंशन योजना (एपीवार्ड)	0.67 लाख

सुरक्षा समृद्धि योजना के तहत भी बैंक ने 10768 खाते जुटाए।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन संबंधी गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है।

Highlights of performance under PMJDY

- Opened 74.31 lakh accounts under PMJDY and mobilized a CASA deposit of ₹1317 crore.
- Covered all allotted 3962 SSAs and 3371 Wards by opening of 848 Brick & Mortar Branches and engaging 2459 Business Correspondent Agents (Bank Mitras) at remaining locations.
- To provide the facility of payments through the Bank Mitras, handheld devices provided to them, which are enabled for accepting RuPay Cards.
- Zero balance accounts were brought down from 36.83% to 14.95% as at March 2016.
- A Grievance Redressal Mechanism was put in place by providing a toll free No <1800 425 11 222> for PMJDY and the same has been published in national dailies.
- PMJDY overdraft facility upto ₹5000/- for all eligible account holders was implemented in the Bank. 2.51 lakh PMJDY account holders were provided with overdraft facility, amounting to ₹47.74 crore.

Social Security Schemes

Under various social security schemes launched by the Government of India during the year, the following enrolments have been made.

Scheme Enrolments	As at March 2016
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)	46.15 lakhs
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)	20.04 lakhs
Atal Pension Yojana (APY)	0.67 lakhs

Under Sukanya Samridhi Yojana, the Bank has also mobilized 10768 accounts.

Apart from the above, the Bank has also made significant progress in the Financial Inclusion related activities during the year as under.

वित्तीय समावेशन शाखाओं में कारोबार जुटाया जाना

यथा मार्च 2016 को वि.स. शाखाओं का कारोबार ₹12219 करोड़ के स्तर तक पहुँचा। इन शाखाओं की जमाएं कुल जमाओं के 53% के साथ 2912 करोड़ रहा।

मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों की स्थिति

बैंक ने वर्ष के दौरान 17.13 लाख बीएसबीडी खाते खोले जिससे मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों की संख्या यथा मार्च 2016 को ₹ 3303 करोड़ की कुल जमा के साथ 1.55 करोड़ तक जा पहुँची।

एसएचजी निर्माण व साख संबद्धता

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)को वित्तीयन, गरीबी उन्मूलन व ग्रामीण गरीब के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने 932 करोड़ तक का 44027 एसएचजी और 46668 साख संबद्ध एसएचजी निर्माण किया है। वर्ष के अंत तक 2344 करोड़ जमा के साथ 1.22 लाख एसएचजी खाते थे।

किसान क्लब

बैंक के पास किसान क्लब बनाने का नेक अवधारणा है जो क्रेडिट के माध्यम से स्वेच्छा से विकास के सिद्धांतों का प्रसार, बेहतर चुकौती नैतिकता, और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने 724 किसान क्लबों का निर्माण किया है।

सूक्ष्म वित्त शाखाएं

बैंक ने शहरी केन्द्रों में 18 सूक्ष्म वित्त शाखाएं खोली हैं। इन शाखाओं ने यथा मार्च 2016 को कुल ₹519 करोड़ का कारोबार जुटाया है।

केनरा ग्रामोदय योजना

पूरे भारत में व्यापक विकास के लिए गांव गोद लेने की योजना 63 गांवों और 3 झुग्गी बस्तियों में लागू की जा रही है। विकास कार्यक्रम के अलावा, बैंकिंग कार्यक्रम, जैसे सभी परिवारों के लिए खाता खोलना और ऋण की सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। योजना का उद्देश्य विभिन्न विकास एजेंसियों को शामिल कर स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि प्रौद्योगिकी और आजीविका गतिविधियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है।

वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी)

बैंक की वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) तथा बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्रियाकलाप की देखभाल के लिए “केनरा वित्तीय सलाहकार न्यास” की स्थापना की गई है। संपूर्ण भारत में बैंक की 70 वित्तीय साक्षरता केन्द्र हैं, जिनका प्रबन्धन परामर्शदाता (सेवानिवृत्त बैंकर्स) द्वारा किया जाता है।

Business canvassed in the FI Branches

The business of FI branches reached a level of ₹12219 crore as at March 2016. The CASA deposits of these branches stood at ₹2912 crore, constituting 53% of total Deposits.

Position of Basic Savings Bank Deposit (BSBD) Accounts

The Bank opened 17.13 lakh BSBD accounts during the year, taking the tally of BSBD accounts as at March 2016 to 1.55 crore, with an outstanding deposits of ₹3303 crore.

Formation and Credit Linkage of SHGs

Financing to Self Help Groups has played pivotal role for poverty alleviation and financial inclusion of rural poor. The Bank has formed 44027 SHGs and credit linked 46668 SHGs to the extent of ₹932 crore during the current financial year. There were 1.22 lakhs SHG accounts at the end of the year, with an amount outstanding at ₹2344 crore.

Farmers Clubs

The Bank has a noble concept of forming farmers clubs, who volunteered to disseminate the principles of development through credit, better repayment ethics and promote peoples' participation. During the current financial year, Bank has formed 724 farmers clubs.

Micro Finance Branches

The Bank has opened 18 Micro Finance branches in urban centres. These branches mobilized a total business of ₹519 crore as at March 2016.

Canara Gramodaya Scheme

The village adoption scheme is being implemented in 63 villages and 3 slums pan India for comprehensive development. Apart from developmental activities, banking activities, like, opening of accounts and extension of credit facilities to all households were taken up. The Scheme also aims at providing health, sanitation, agricultural technology and inputs about livelihood activities, involving various development agencies.

Financial Literacy Centres (FLCs)

Formed 'Canara Financial Advisory Trust' to take care of the affairs of the Financial Literacy Centers (FLCs) of the Bank as well as by RRBs sponsored by the Bank. Pan India, the Bank has 70 FLCs, managed by the counsellors (retired bankers).

वित्तीय साक्षरता पहल

- वित्तीय साक्षरता केन्द्रों ने वर्ष के दौरान 13 लाख लोगों और स्थापना से लेकर अबतक 32 लाख लोगों को शिक्षित किया है।
- लोगों को डीबीटीएल व आधार सीडिंग की आवश्यकता व महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए डी बीटीएल व आधार सीडिंग के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पर साक्षात्कार आधारित कार्यक्रम, दूरदर्शन त्रिवेन्द्रम द्वारा तीन बार प्रसारण किया गया था।
- पश्चिम बंगाल व ओडिशा के लोगों को समाचार पत्र में विज्ञापनों के जरिए पैसे सुरक्षित रखने पर शिक्षित किया गया।
- एफ एम रेडियो के माध्यम से पी एम जे डी वाई तथा सामाजिक सुरक्षा योजना की लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए रेडियो वार्तालाप व विचार विमर्श कार्यक्रम प्रसारित किया गया था।
- बैंक मित्र को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में स्वयं शामिल करने हेतु प्रेरित करने और अपने उप सेवा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोगों को और अधिक लेन-देन करने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु उन पर निगरानी के लिए वित्तीय साक्षरता समन्वयक की नियुक्ति की गई है।
- भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान तथा इफ्रास्ट्रक्चर लिजिंग व फाइनेंसियल सर्विसेज संस्थान के माध्यम से बैंक मित्रों को प्रशिक्षित किया गया। उन्हें बैंक व कॉर्पोरेट बीसी द्वारा बैंकिंग व प्रौद्योगिकी पहलू पर गहन प्रशिक्षण भी दिया गया।
- अपने शाखाओं व सेवा क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शाखा प्रबन्धकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
- पीएमजेडीवाई तथा सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में एक लघु चलचित्र बनाई गई। यह चलचित्र 137 सिनेमा हॉलों तथा बैंक की सभी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में दिखाई गई।
- नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि कार्यक्रम के तहत 2530 वित्तीय साक्षरता कैम्प का आयोजन किया गया।

आधार नामांकन

बैंक ने 7 आधार नामांकन एजेंसियों को पैनलबद्ध किया है। अब तक कुल 161 लाख नामांकन किए जा चुके हैं। 28 लाख खाते में आधार संख्या की सिडिंग हो चुकी है और ये सभी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) मैपर पर है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना का कार्यान्वयन

बैंक ने संशोधित डीबीटीएल का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है। संशोधित डीबीटी/ईबीटीएल के तहत ₹1216 करोड़ की राशि का 428 लाख लेनदेन प्रसंस्कृत किया गया है।

Financial Literacy Initiatives

- Financial Literacy Centers have educated 13 lakh persons during the year and 32 Lakh persons since inception.
- An interview based programme on Financial Literacy programme on DBTL and Aadhaar seeding was telecast thrice through DD, Trivandrum to educate the people on the need and importance of DBTL and Aadhaar Seeding.
- Educated the people of West Bengal and Orissa on safe parking of their funds through the paper advertisements.
- A Radio talk and interaction programme was aired through FM Radio giving all the benefits and details of PMJDY and social security schemes.
- Engaged Financial Literacy Coordinators to monitor and motivate the Bank Mitras to involve themselves in Financial Literacy in a big way in their sub service areas and encourage the people to do more transactions.
- Trained Bank Mitras through Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) and Infrastructure Leasing & Finance Services (IL&FS). They were also provided with extensive training on Banking and Technology aspects by the Bank and the Corporate BCs.
- Special training was given to Branch Managers for conducting financial literacy programmes at their branches and in their service area.
- A short film about PMJDY & Social Security Schemes was made. This film was screened on 137 cinema halls and in all Financial Literacy programmes of the Bank.
- Conducted 2530 financial literacy camps under Financial Inclusion Fund Scheme from the NABARD.

AADHAAR Enrolments

The Bank has empanelled 7 Aadhaar Enrolment Agencies. A total of 161 lakh enrolments have been done. Aadhaar has been seeded in 128 lakh accounts and are on National Payments Corporation of India (NPCI) mapper.

Implementation of Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme

The Bank has successfully launched modified DBTL. 428 lakh transactions, amounting to ₹1216 crore, were processed under modified DBT/DBTL during the year.

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

सीएसआर गतिविधियों में कीर्तिमान स्थापित करना

बैंक संस्थापक सिद्धांतों व सदियों पुरानी परम्परा का पालन करते हुए विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में लगा हुआ है। बैंक का कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पहल बहुआयामी है जिसमें बेरोजगार ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल, सामुदायिक विकास, महिला सशक्तिकरण व अन्य सामाजिक पहल शामिल है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता विकास व स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केनरा बैंक शाताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट (सीबीसीआरडीटी) के माध्यम से बैंक ने 26 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, 05 सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान व 03 शिल्पकार प्रशिक्षण संस्थान सहित 34 विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया है। वर्ष 2015-16 के दौरान इन संस्थानों द्वारा 30,387 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के साथ ही 73% की प्रभावशाली रोजगार दर से शुरुआत से आज तक बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करने की संख्या 2.57 लाख हो गई है।

बैंक ने स्वरोजगार कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने में लगे हुए 17 राज्यों में अन्य 27 ग्रामीण विकास और स्वनियोजित प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटि) को सह-प्रायोजित किया है। वर्ष 2015-16 के दौरान इन संस्थानों द्वारा 26,909 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के साथ ही 72% की रोजगार दर से बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करने की संख्या 3.96 लाख हो गई है।

बैंक ने हैदराबाद में ग्रामीण व उद्यमी विकास हेतु आन्ध्र प्रदेश बैंकर्स संस्थान (एपीबीआईआईडी); हलियाल, कर्नाटक में केनरा बैंक देशपांडे आरएसईटीआई; बागलकोट, कर्नाटक में कर्नाटक किसान संसाधन केन्द्र (के एफ आर सी) व बेंगलूर में भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया प्रशिक्षण संस्थान को सह प्रायोजित किया है।

सम्यक रूप से बैंक ने 65 प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित / सह प्रायोजित किया है, जहां 72% की रोजगार दर के साथ अब तक 6.78 लाख बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित किया गया है।

बैंक ने महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह व शिल्पकार को उनके उत्पादों के विपणन हेतु 04 हाई टेक, कस्टम निर्मित, सौर उर्जा चालित 'खुदरा मोबाईल विपणन वैन' दान किया है।

वर्ष के दौरान बैंक ने सीएसआर कार्यक्रमों के तहत समुदायों के लाभ हेतु कई गतिविधियाँ की है।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Setting Examples in CSR Activities

Following founding principles and century old tradition, the Bank is engaged in varied Corporate Social Responsibility (CSR) activities. CSR initiatives of the Bank are multifarious, covering activities, like, training unemployed rural youth, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women and other social initiatives.

Rural Development

The Bank, through its Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRDT), has established 34 exclusive training institutes, including 26 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs), 5 Institutes of Information Technology and 3 Artisan Training Institutes to promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them to take up self employment activities. During 2015-16, these Institutes trained 30,387 candidates, taking the tally to 2.57 lakhs unemployed youth since inception, with an impressive settlement rate of 73%.

The Bank has co-sponsored another 27 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) across 17 States, engaged in training of rural youth for taking up self-employment programmes. During 2015-16, these Institutes trained 26,909 candidates, taking the tally to 3.96 lakhs unemployed youth since inception, with a settlement rate of 72%.

The Bank has co-sponsored Andhra Pradesh Bankers Institute for Rural and Entrepreneurship Development (APBIRED) at Hyderabad, Canara Bank Deshpande RSETI at Haliyal, Karnataka, Karnataka Farmers Resource Centre (KFRC) at Bagalkot, Karnataka and Bharat Ratna Shri M Visvesvaraya Training Institute at Bengaluru.

Cumulatively, the Bank's sponsored/ co-sponsored 65 training institutes have trained 6.78 lakhs unemployed youth, with a settlement rate of 72%.

The Bank has 4 donated a hi-tech, custom built, solar powered 'Retail Mobile Marketing Van' to assist women entrepreneurs, SHGs and artisans to market their products.

During the year, the Bank undertook a number of activities for the benefit of the communities as part of CSR programmes.

अल्प सुविधाप्राप्त के लिए स्वास्थ्य देखभाल

श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम श्रृंगेरी, कर्नाटक की एक इकाई श्री रंगदोरे मेमोरियल अस्पताल, के लिए "पूरी तरह से स्वचालित रसायन विज्ञान और इलेक्ट्रोलाइट विश्लेषक" मेसर्स सेंट स्कोलस्टिका कॉन्वेंट, तोंडरनाडु, कालीकट, केरल, के लिए विंगर एम्बुलेंस, मेसर्स आवर लेडी ऑफ लूर्ड्स चैरिटेबल अस्पताल, धारवाड़, कर्नाटक के लिए एम्बुलेंस की खरीद, कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुरगी के लिए एम्बुलेंस, श्री रामकृष्ण चैरिटेबल अस्पताल, त्रिवेन्द्रम, केरल के लिए एम्बुलेंस, पार्वती महाबला शेटी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए फैंको नेत्र देखभाल मशीन, ब्रह्मकुमारीज् एजुकेशनल सोसायटी, लातूर के लिए एम्बुलेंस, कांची कामकोटि मेडिकल ट्रस्ट - शंकर नेत्र फाउंडेशन, कोयम्बतूर रोगियों के आवागमन हेतु बस की खरीद, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल के मॉडल ब्लड बैंक व रक्त घटक केंद्र के लिए रक्त संग्रहण उपकरण, जन कल्याण स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र, दिल्ली के लिए फैंको नेत्र उपचार मशीन की खरीद हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन

शिक्षा, सीएसआर के मुख्य कारक और व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण, बैंक ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान की है।

सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन करनेवाले प्रतिभावान एससी/एसटी छात्राओं के लिए विद्याज्योति छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरे सफल वर्ष के लिए कार्यावयन किया गया और इससे 9390 छात्राओं को लाभ प्राप्त हुआ जिसमें ₹3.68 करोड़ व्यय किया गया।

मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, देहरादून, उत्तराखंड के मोहिनी व अडबोडा गाँव में विद्यालय के लिए सौर्य प्रकाश, राजपुरा सारस्वत समाज, बंगलूरु के लिए हॉस्टल के एक भाग का निर्माण, विशाखापट्टणम, आन्ध्र प्रदेश के विद्यालय हेतु बेंच की आपूर्ति, बाले राम बृज भूषण सरस्वती शिशु मन्दिर इंटर कॉलेज, मेरठ उत्तर प्रदेश के लिए स्कूल बस, स्वर्ण गौरी प्रौढ़शाला व सरकारी उच्चतर विद्यालय, येरेहल्ली, कर्नाटक के लिए कम्प्यूटर एसेसरीज उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने मेसर्स स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट (एसवीवाईएम) मैसूर के साथ भागीदारी की है।

बैंक ने केनरा बैंक जुबिली शिक्षा कोष, बंगलूरु के पुस्तक बैंक के उन्नयन / स्वचालन और छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए सहायता प्रदान की है।

अग्रणी ज़िले के सरकारी विद्यालयों में छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण।

बैंक ने अग्रणी जिले के 78 विद्यालयों में सी एस आर के तहत कुल ₹2 करोड़ की लागत से शौचालय का निर्माण कार्य आरम्भ किया है।

Health care for the underprivileged

Financial assistance provided to Sri Rangadore Memorial Hospital, a unit of Sri Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasansthanam, Sringeri, Karnataka, for procuring "Fully Automated Chemistry & Electrolyte Analyser" equipment, M/s St. Scholastics Convent, Thondernadu, Calicut, Kerala, for Winger Ambulance, M/s Our Lady of Lourds Charitable Hospital, Dharwad, Karnataka, for procuring Ambulance, Central University of Karnataka, Gulbarga for an Ambulance, Sri Ramakrishna Ashrama Charitable Hospital, Trivandrum, Kerala, for an Ambulance, Parvathi Mahabala Shetty Charitable Trust, for a Phaco Eye care machine, Brahma Kumaris Educational Society, Latur for Ambulance, Kanchi Kamakoti Medical Trust - Sankara Eye Foundation, Coimbatore for procuring Bus for conveyance of patients, Model Blood Bank & Blood Component Centre - Gandhi Medical College, Bhopal for Blood storage equipment, Jan Kalyan Health Care Centre, Delhi, for Eye care Phaco machine.

Direct and Indirect support to Education

Education being one of the prime sectors of CSR and a vital part of personality development, the Bank has assisted various educational institutions.

Canara Vidya Jyothi Scholarship scheme to meritorious SC/ST girl students studying in Government/Government aided schools has been implemented for the third successive year and as many as 9390 students have been benefitted utilizing a total amount of ₹3.68 crore.

The Bank has partnered with M/s Swami Vivekananda Youth Movement (SVYM) Mysuru, Karnataka, sponsored students under Mid Day Meals, scholarship, Solar lights to Schools at Mohani & Adboda villages in Dehradun, Uttarakhand, construction of a portion of Hostel building for Rajapura Saraswatha Samaja, Bengaluru, supply of benches to schools at Vishakapatnam, Andhra Pradesh, School Bus to Bale Ram Brij Bhushan Saraswati Shishu Mandir Inter College, Meerut, Uttar Pradesh, computer accessories to Swarna Gowri Prouda Shaale and Govt. Higher school Yerehalli, Karnataka.

The Bank has assisted Canara Bank Jubilee Education Fund, Bengaluru for upgradation/automation of the Book bank and extending scholarships to students.

Construction of Toilets for Girls in Government schools in Lead Districts.

The Bank has undertaken construction of toilets for girls in 78 schools in the Lead Districts at a total cost of ₹2 crore under CSR.

स्वच्छ विद्यालय अभियान

बैंक ने भारत सरकार द्वारा आरम्भ किए गए स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत तमिलनाडु राज्य के डिंडिगल व मदुरै जिलों में शौचालयों के निर्माण हेतु 200 स्कूलों की पहचान की है।

गांवों में डिफ्लोरिडेशन – रिवर्स ऑस्मोसिस पेय जल प्लांट :

बैंक ने चिकबल्लापुर व कोलार जिले की 217 गांवों में शुद्ध पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डिफ्लोरिडेशन – रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है। 156 गांवों में स्थापना कार्य पूरा हो चुका है और चालू कर दिया गया है।

छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन का विस्तार करने के लिए समर्थन

बैंक द्वारा मेसर्स मरिकम्बा देवस्थानम, सिरसी कर्नाटक और अक्षय पात्र फाउंडेशन, गुवाहाटी, असम में छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन की आपूर्ति के लिए वाहन उपलब्ध कराई गई है।

संकट में लोगों की सहायता

वर्ष के दौरान, चेन्नई को अभूतपूर्व भारी बारिश और अचानक बाढ़ का सामना करना पड़ा। लोगों को पीने के पानी, भोजन, कपड़े, दवाई एवं अन्य आवश्यक आवश्यकताओं की सख्त जरूरत थी। बैंक ने अवसरोचित कदम उठाया और उन्हें भोजन के पैकेट, कंबल, दवाइयों व अन्य बुनियादी सामग्री के साथ सहायता की।

विकलांग व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने के लिए सहायता

विकलांग व्यक्ति को सहायता पहुंचाने के लिए समान विचार वाले एजेंसियों; जैसे मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए खेल का मैदान उपकरणों के लिए मेसर्स श्री वैष्णवी विशेष शैक्षिक अकादमी, रामनगर, कर्नाटक के लिए सहायता, मेसर्स सेठ आनंदी लाल पोद्दार बधिर मूक संस्था व बधिर सहायता सोसायटी, बेंगलुरु के छात्रावास शौचालयों और भवनों का जीर्णोद्धार व मरम्मत, मेसर्स कर्नाटक वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, मेसर्स स्नेहदीप ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड बेंगलुरु तथा ओडिशा सरकार, सामाजिक सुरक्षा व सशक्तिकरण विभाग द्वारा मोटरयुक्त तिपहिया साइकल व व्हील चेयर वितरित किया गया।

पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल

बैंक ने पर्यावरण संरक्षण और विद्युतीकरण परियोजनाओं, जैसे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के भूपसिंह गांव में सौर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराने, तमिलनाडु ले कोडाईकनल तालुक के मूंगिलपलियम गांव के 28 आदिवासी परिवारों और कर्नाटक के उत्तर कन्नडा जिले

Swachh Vidyalaya Campaign

The Bank has identified 200 schools in the districts of Dindigul and Madurai, Tamil Nadu for construction of toilets under the Swachh Vidyalaya campaign launched by Government of India.

De-fluoridation – Reverse Osmosis drinking water plants in villages

The Bank has undertaken an ambitious project of providing De-fluoridation – RO plants for pure drinking water facility in fluoride affected 217 villages of Kolar and Chikkaballapur districts, Karnataka. Installation work has been completed in 156 villages and made operational.

Support to extend Mid Day Meals to students

The Bank has provided vehicles to M/s Marikamba Devasthanam, Sirsi, Karnataka and Akshaya Patra Foundation, Guwahati, Assam for supplying mid-day meals to students.

Assisting the people in distress

During the year, Chennai faced unprecedented heavy rains and flash floods. The people were in dire need of food, drinking water, clothing, medicine and other essential requirements. The Bank rose to the occasion and assisted them with food packets, blankets, medicines and other basic materials.

Support to persons with disability to lead a better life

A number of programmes in association with like-minded agencies have been taken up by the Bank to support persons with disability, such as, assistance to M/s Sri Vaishnavi Special Educational Academy, Ramanagara, Karnataka for play ground equipments for mentally challenged children, M/s Seth Anand Lal Poddar Institutes of Deaf & Blind Boys Hostel and Deaf Aid Society, Bengaluru for repairs and renovation of toilets and hostel building, Vehicles to M/s Karnataka Welfare Association for the Blind, M/s Snehadeepa Trust for blind, Bengaluru and distributed Motorized Tricycles & Wheel Chairs through Department of Social Security & Empowerment, Government of Odisha.

Initiatives for environment protection

Bank has participated in environment protection and energization projects, like, providing solar street lights in Bhupsingh village in Philibhit district, Uttara Pradesh, distribution of solar lanterns to 28 tribal families at

के 2000 जनजातीय परिवारों को सौर लालटेन के वितरण में भाग लिया है।

इसके अलावा, बैंक ने पोर्ट ब्लेयर के दक्षिण अंडमान जिला परिषद में पैदल पथ, शौचालयों के निर्माण, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मुल्की गांव में सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए मेसर्स मुल्की सुंदर राम शेट्टी ट्रस्ट और लेपाक्षी वीरभद्र स्वामी मंदिर, लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश में पानी संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

संसदीय समिति द्वारा निरीक्षण

वर्ष के दौरान वाणिज्य, मानव संसाधन विकास, शहरी विकास, उद्योग, राजभाषा, परिवहन, पर्यटन व संस्कृति तथा भ्रष्टाचार निवारक (संशोधन) बिल, 2013 से संबन्धित संसदीय समिति ने बैंक का निरीक्षण किया।

संगठन और सहायता सेवाएं

शाखा नेटवर्क

सम्पूर्ण भारत में उपस्थिति का विस्तार

वर्ष के दौरान बैंक ने नई 175 घरेलू शाखाएं जोड़ी हैं तथा दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र, दुबई में 1 विदेशी शाखा भी खोली है। यथा मार्च 2016 को बैंक की 8 विदेशी शाखाएं सहित 5849 शाखाएं हैं।

शाखा नेटवर्क की संरचना

श्रेणी	शाखाओं की संख्या		वर्ष के दौरान खोले गए
	31.03.2015	31.03.2016	
महानगरीय	1004	1019	21
शहरी	1111	1142	30
अर्ध शहरी	1756	1815	62
ग्रामीण	1804	1865	62
विदेशी	7	8	1
कुल शाखाएं	5682	5849	176*

* वर्ष के दौरान 9 शाखाओं का विलय कर दिया गया।

Moongilpalam village, Kodaikanal Taluk, Tamil Nadu and 2000 tribal families in Uttara Kannada district, Karnataka.

Besides, the Bank has also extended financial assistance to South Andaman Zilla Parishath, Port Blair for construction of foot path, toilets; M/s Mulki Sunder Ram Shetty Trust for construction of Community centre in Mulki village, Dakshina Kannada district, Karnataka and installed RO drinking water plant at Lepakshi Veerabhadra swamy Temple, Lepakshi, Andhra Pradesh for the benefit of the public.

Visits by Parliamentary Committees

During the year, Parliamentary Committees relating to Commerce, Human Resources Development, Urban Development, Industry, Official Language, Transport, Tourism & Culture and prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 visited the Bank.

ORGANISATION AND SUPPORT SERVICES

Branch Network

Expanding Pan India Presence

The Bank has further expanded its branch network in 2015-16 by adding 175 domestic branches and one foreign branch in Dubai International Financial Centre, Dubai. As at March 2016, the Bank had 5849 branches, including 8 overseas branches.

Composition of Branch Network

Category	No. of Branches		Opened during the year
	31.03.2015	31.03.2016	
Metropolitan	1004	1019	21
Urban	1111	1142	30
Semi-urban	1756	1815	62
Rural	1804	1865	62
Overseas	7	8	1
Total Branches	5682	5849	176*

* 9 branches merged/closed during the year.

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मार्च 2016 तक विशेष शाखाओं की कुल संख्या 282 थी :

विशेषीकृत शाखाओं की श्रेणी	31.03.2016
1. एस एम ई	165
2. मिड कॉर्पोरेट शाखाएं	26
3. सूक्ष्म वित्त	18
4. आस्ति वसूली प्रबन्धन	16
5. प्राइम कॉर्पोरेट	12
6. विदेशी	11
7. कृषि वित्त	10
8. अनिवासी भारतीय	6
9. बचत	5
10. औद्योगिक वित्त	3
11. स्टॉक एक्सचेंज	2
12. पूंजी बाजार	1
13. महिला बैंकिंग	2
14. दिव्यांग के लिए शाखाएं	1
15. विशेष सरकारी कारोबार शाखा	4
कुल	282

वैकल्पिक डिलीवरी चैनल में प्रगति

2015-16 के दौरान बैंक ने 718 एटीएम खोले जिससे एटीएम की कुल संख्या 9251 हो गई है। बैंक की डेबिट कार्ड आधार मार्च 2015 की तुलना में 2.54 करोड़ से बढ़कर 3.19 करोड़ हो गई है।

बैंक के चयनित शाखाओं में एटीएम, आवाज़ निर्देशन सुविधा युक्त नकद जमा कियोस्क, चेक जमा कियोस्क, पासबुक स्वमुद्रण कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग टर्मिनल, ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट एक्सेस सुविधा वाले 170 हाई टेक ई-लॉन्ज खोले हैं। चयनित ई-लॉन्ज में इंटरैक्टिव वीडियो सम्मेलन सुविधा भी उपलब्ध कराया गया है। पासबुक स्वतः मुद्रण कियोस्क से 1398 शाखाओं को सक्षम किया गया।

बैंक द्वारा अपनाए गए विभिन्न वैकल्पिक वितरण चैनलों के परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष के 50.21% की तुलना में यथा मार्च 2016 को ई-लेनदेन 54.21% तक बढ़ गया।

There were 282 Specialized Branches as at March 2016 in various categories as under:

Categories of Specialized Branches	31.03.2016
1. SME	165
2. Mid Corporate	26
3. Micro Finance	18
4. Asset Recovery Management	16
5. Prime Corporate	12
6. Overseas	11
7. Agri-Finance	10
8. NRI	6
9. Savings	5
10. Industrial Finance	3
11. Stock Exchange	2
12. Capital Market	1
13. Mahila Banking	2
14. Branch for Physically Challenged	1
15. Specialized Govt Business Branch	4
TOTAL	282

Progress in Alternate Delivery Channels

During 2015-16, the Bank added 718 ATMs, taking the total number of ATMs to 9251. The Bank's debit card base rose to 3.19 crore compared to 2.54 crore as at March 2015.

The Bank opened 170 hi-tech E-lounges in select branches with facilities like ATM, Cash Deposit Kiosk with voice guided system, Cheque Deposit Kiosk, Self Printing Passbook Kiosk, Internet Banking Terminal, Online Trading Terminal and Corporate Website Access. Interactive Video Conference System is configured at select e-Lounges. Pass-Book Self-Printing Kiosks has been enabled in 1398 branches.

As a result of various alternate delivery measures adopted by the Bank, e-transaction ratio increased to 54.21% as at March 2016 compared to 50.21% last year.

ग्राहक के अनुकूल सूचना तकनीकी पहल

वर्ष के दौरान बैंक ने ग्राहकों के सुविधार्थ कई तकनीकी उत्पाद / सेवा उपलब्ध कराए।

- ग्राहकों को ज्यादा सहूलियत और सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाइल अनुप्रयोगों जैसे कि केनमोबाइल, केनरा ई- इन्फोबुक और केनरा एम वॉलेट में सुधार किया गया। अब ग्राहक बिना शाखा गए केनमोबाइल को डाउनलोड, पंजीकृत और सक्रिय कर सकते हैं।
- कई नई विशेषताओं, बेहतर नेविगेशन और नई छवि को उपलब्ध कराकर इंटरनेट बैंकिंग का उन्नयन किया गया।
- ग्राहकों को भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कई माध्यमों जैसे शाखाएं, ए टी एम, इंटरनेट बैंकिंग से उठाने की व्यवस्था द्वारा, योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया।
- पेंशनधारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (जीवन प्रमाण) का कार्यान्वयन। अब पेंशनधारकों को इसके लिए शाखाओं में स्वतः उपस्थित नहीं होना होगा।
- इन माध्यमों से लेनदेन के लिए सुरक्षा और मजबूत करने के लिए ए टी एम और पी ओ एस माध्यमों के लिए सक्रिय जोखिम प्रबंधक प्रणाली को लागू किया।
- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अवधि जमा को बन्द करने की सुविधा से समर्थित किया गया। ग्राहक अब बिना शाखा गए ही अवधि जमा खाता खोल और जमा कर सकते हैं।
- शाखाओं में ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध कराई। जिन ग्राहकों के पास आधार संख्या है तो उसे केवाईसी के लिए कोई और दस्तावेज लाने की जरूरत नहीं है और वह केवाईसी को उस शाखा में उपलब्ध बायोमेट्रिक उपकरण में दर्ज करके कर सकते हैं। ग्राहकों का विवरण यू आई डी ए आई से सत्यापित हो जाएगा।
- आ एम पी एस के माध्यम से विदेशी आवक विप्रेषण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- ऑनलाइन आवास और कार ऋण के लिए ऑनलाइन तुरंत ऋण पोर्टल को जारी किया गया। जहां आवेदकों को उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तुरंत इन प्रिंसिपल स्वीकृति पत्र प्राप्त होगी।

बैंक ग्राहक सुविधा व बेहतर सेवा हेतु भारी संख्या में डिजिटल पहल कार्यावित करने की प्रक्रिया में है।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन

बैंक ने सूचना सुरक्षा, ईलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबन्धन व साइबर धोखाधड़ी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कार्यकारी समूह (अध्यक्ष-श्री जी गोपालकृष्ण) की सिफारिश को पूर्णरूपेण लागू किया है। बैंक ने 12.04.2014 को आईएसओ 27001:2013 प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है।

Customer-friendly InfoTech Initiatives

During the year, the Bank introduced and improved upon several tech-products / services for the convenience of the customers.

- Improved Mobile Applications, such as, CanMobile, Canara e-InfoBook and Canara m-Wallet to provide more convenience and facilities to customers. Customers can now download, register and activate CanMobile without visiting a Branch or ATM.
- Upgraded Internet Banking by providing a number of new features, better navigation and refreshed look.
- Implemented Social Security Schemes of Govt. of India. Facility to subscribe these schemes provided to the customers through multiple channels. viz., Branches, ATMs and Internet Banking.
- Implemented Digital Life Certificate (Jeevan Praman) for Pensioners. Pensioners need not to be physically required to be present in the Branch for this purpose.
- Implemented Proactive Risk Manager system for ATM and POS channels with more robust security for transactions through these channels.
- Enabled the facility of closure of Term Deposit through Internet Banking. Customers can now open and close term deposits without visiting Branches.
- Provided e-KYC facility at its Branches. The Customers with Aadhaar number need not bring any KYC document and can get their KYC formalities done by just swiping their Finger on Biometric Device in a Branch. The Customer details are verified from UIDAI.
- Provided facility of Foreign Inward Remittance through IMPS.
- Released Online Instant Loan portal for Housing and Car Loan where applicants will get instant in-principle sanction letter based on the information provided.

Bank is in the process of implementing a number of digital initiatives for customer convenience and better service.

Compliance to International Standards

The Bank has fully implemented the recommendations of the RBI Working Group (Chairman, Shri G Gopalakrishna) on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds. The Bank obtained the ISO 27001: 2013 Certification on 12.04.2014.

जनशक्ति प्रोफाइल

यथा मार्च, 2016 को बैंक में 54008 कर्मचारी थे।

	मार्च 2015	मार्च 2016
कर्मचारियों की कुल संख्या	53984	54008
अधिकारी	23372	24174
क्लर्क	20268	20194
अधीनस्थ कर्मचारी*	10344	9640

*अंशकालिक कर्मचारी सहित (पीटीई)

बैंक के कर्मचारियों में 45% अधिकारी, 37% लिपिक व 18% अधीनस्थ कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारी 15729 हैं, जो कि बैंक के कुल कर्मचारियों की 29% है। मार्च 2016 को भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की कुल संख्या 3499 है। बैंक के रोल पर दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या 1175 है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने 3747 व्यक्तियों को विभिन्न कैडरों में नियुक्त किया है, जिसमें से 634 अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित है व 309 अनुसूचित जन जाति (एसटी) से संबंधित हैं। इसमें वर्ष के दौरान विभिन्न कैडरों में नियुक्त हुए 344 भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं।

वर्ष के दौरान विभिन्न कैडरों के तहत 1178 महिला कर्मचारी नियुक्त हुईं और 622 महिला कर्मचारी पदोन्नत हुईं।

एससी व एसटी के संबंध में आरक्षण नीति

मार्च 2016 को, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की कुल संख्या बैंक के कुल कर्मचारी संख्या का 26.99% है। मार्च 2016 को बैंक के कर्मचारियों में एससी / एसटी का संयोजन निम्नलिखित है:

कैडर	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
अधिकारी	4282	1783
क्लर्क	3832	1236
अधीनस्थ कर्मचारी + पीटीई	2921	521
कुल	11035	3540

भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के संबंध में बैंक आरक्षण नीति का सख्ती से अनुपालन करता है।

(क) आरक्षण नीति पद आधारित रोस्टर्स के तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित हुआ है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने सभी कैडरों हेतु पद आधारित रोस्टर्स के तंत्र पर स्विच ओवर कर लिया है।

(ख) सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित

Manpower Profile

As at March 2016, the Bank had 54008 employees on its rolls.

	March 2015	March 2016
Total No. of Employees	53984	54008
Officers	23372	24174
Clerks	20268	20194
Sub-Staff*	10344	9640

* includes part-time employees (PTEs)

The Bank's staff comprised 45% Officers, 37% Clerks and 18% Sub-Staff. Women employees comprising 15729 constituted 29% of the Bank's total staff. The total number of ex-servicemen staff as at March 2016 stood at 3499. There were 1175 Physically Challenged Employees on the rolls of the Bank.

During the year, the Bank recruited 3747 persons in various cadres, out of which, 634 belonged to Scheduled Castes (SCs) and 309 to Scheduled Tribes (STs) categories. 344 ex-servicemen were recruited in various cadres during the year.

1178 women employees were recruited and 622 women employees were promoted under various cadres during the year.

Reservation Policy in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

As at March 2016, the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes together constituted 26.99% of total staff strength of the Bank. The composition of SCs/STs employees in the Bank as at March 2016 was as under:

Cadre	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
Officers	4282	1783
Clerks	3832	1236
Sub-staff + PTEs	2921	521
Total	11035	3540

The Bank has been strictly adhering to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Govt. of India guidelines.

(a) Reservation Policy is implemented through mechanism of Post Based Rosters. In terms of the directives of the Ministry of Finance, Government of India, Bank has switched over to Post Based Rosters for all cadres.

(b) The Bank has been extending Reservation/Relaxations/Concessions in Direct Recruitment as

जन जाति वाले अभ्यर्थियों के संबंध में सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति हेतु भी बैंक ने आरक्षण / रियायत / छूट प्रदान की है।

(ग) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वाले अभ्यर्थियों को पूर्व-नियुक्ति व पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण दिया जाता है। लिपिक व अधिकारी संवर्ग में भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगनेवाले विज्ञापन में एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/अल्पसंख्यक समुदाय/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को पूर्व-नियुक्ति प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में एक विशेष संदर्भ दिया जाता है। इनमें से वे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्वनियुक्ति प्रशिक्षण का विकल्प चुना है, को लिखित परीक्षा व साक्षात्कार दोनों के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि करीब 2 हफ्ते हैं। अध्ययन सामग्री, नोटबुक, स्टेशनरी सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क दिया जाता है। जहाँ भी संभव हो, संबंधित राज्य सरकार भी सरकारी / पिछड़े वर्ग के हॉस्टल में रहने की सुविधा उपलब्ध कराती है।

(घ) बैंक ने रोस्टर के अनुसूचित को व आरक्षण नीति के अन्य पहलुओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधान कार्यालय में और साथ ही अंचल कार्यालयों में भी एससी / एसटी कक्ष स्थापित किया है।

(ङ) आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधान कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी को नामांकित किया है और अंचल कार्यालय में भी संपर्क अधिकारी को नामांकित किया गया है। आगे, प्रत्यक्ष रूप से या तो एससी/एसटी संघ के माध्यम से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से प्राप्त अभ्यावेदनों पर मुख्य संपर्क अधिकारी/संपर्क अधिकारी द्वारा ध्यान दिया जायेगा। जहाँ भी आवश्यक हो, आवश्यक पूछताछ की जायेगी व उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के रिकॉर्डिंग हेतु एक अलग से रजिस्टर रखा जाता है और की गयी कार्यवाही को भी रजिस्टर में नोट किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति कर्मचारी के प्रतिनिधियों को बैंक के मुख्य कार्यपालक के साथ तिमाही बैठक हेतु बुलाया जाता है, जहाँ आरक्षण नीति पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर परिचर्चा की जाती है। अंचल कार्यालयों में भी तिमाही बैठक की जाती है, जहाँ रोस्टर रखा जाता है व यदि कोई शिकायत हो तो संपर्क अधिकारी द्वारा उसका निवारण किया जाता है।

(च) बैंक के निदेशक मंडल भी आरक्षण नीति में हुए कार्यान्वयन पर अर्द्ध वार्षिक व वार्षिक आधार पर समीक्षा करते हैं।

well as in promotions to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Govt. of India guidelines.

(c) Pre-recruitment and pre-promotion training is given to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In the Advertisement inviting application from the eligible candidates for recruitment to Clerical cadre, a specific reference is made with regard to imparting of pre-recruitment training to candidates belonging to SC / ST / PWD/ Minority Communities / Ex-SM. Pre-recruitment training for Officer Cadre is provided to candidates belonging to SC / ST & Minority Communities. Such of those candidates, who opt for pre-recruitment training, will be given training to prepare themselves for written test as well as interview. The duration of the training is for a week. Study materials, note books, stationeries are provided free of cost to all the participants.

(d) The Bank has setup SC/ST Cell at the Head Office and also at Circle Offices to ensure maintenance of Rosters and proper implementation of other aspects of Reservation Policy.

(e) Chief Liaison Officer has been nominated at Head Office and Liaison Officers have been nominated at Circle Offices for ensuring implementation of Reservation Policy.

Further, representations received from Scheduled Caste / Scheduled Tribe employees, either directly or through the SC/ST Associations, are looked into by the Liaison Officers/Chief Liaison Officer. Wherever required, necessary enquiries are conducted and appropriate action is taken. A separate register is maintained for recording various representations received from Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees and the action taken is also recorded in the register.

In addition to the above, the representatives of majority Scheduled Caste / Scheduled Tribe Employees' Association are invited for Quarterly Meeting with the Chief Executive of the Bank to discuss on the implementation of guidelines on reservation policy. Quarterly Meetings are also held at Circle Offices, where Rosters are maintained and grievances, if any, are redressed by the Liaison Officer.

(f) The Board of Directors of the Bank also review the progress made in the implementation of Reservation Policy, half yearly and yearly.

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) गतिविधियाँ

बदलते बैंकिंग परिदृश्य के अनुकूल होने हेतु बैंक की मानव संसाधन नीतियों को परिवर्तित किया गया है। फ्रंट लाइन कर्मचारियों में व्यवहारिक परिवर्तन लाने हेतु एचआर पहल जैसे सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कार्यपालकों को संवारना तथा अन्य महत्वपूर्ण एचआर टूल्स जैसे स्टडी सर्किल, कर्मचारी बैठक व मस्तिष्क मंथन सत्र को प्रभावी टीम निर्माण और सामूहिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया गया। कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं से शिक्षित करने के लिये विभिन्न कॉर्पोरेट संप्रेषणों को लाया गया है।

बैंक ने विस्तृत प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को उजागर किया है जो कि आंतरिक प्रशिक्षण, बाह्य प्रशिक्षण, इन-कंपनी प्रशिक्षण व विदेशी प्रशिक्षण को कवर करता है। आंतरिक रूप से, बैंक का बंगलूर में कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय और 23 क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय है।

वर्ष के दौरान बैंक ने साख अभिमुखीकरण, विपणन कौशल, अधिकारियों, कृषि विस्तारण अधिकारियों व विशेषज्ञ अधिकारियों हेतु प्रवेश कार्यक्रम को कवर करते हुए 77455 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षित कर्मचारियों में से 15352 व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं, 5220 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं। कुल प्रशिक्षित कर्मचारियों में से 24943 महिला कर्मचारी हैं। बैंक ने कई नये प्रशिक्षण कार्यक्रम रूपायित व कार्यान्वित किये हैं जैसे धोखाधड़ी जागरूकता व निवारण, अनुपालन व कोर बैंकिंग से परे – आदि।

बैंक ने एक नए कार्यक्रम की कल्पना की यथा, प्रतिभा बैंक (टैलेंट बैंक) जो कि पहचान किये गये 10 क्षेत्रों में काम करने हेतु सामान्य अधिकारियों को सक्षम बनानेवाली कार्यक्रम है। आने वाले वर्षों में बैंक का ध्यान उपयुक्त प्रतिभा प्रबन्धन व प्रतिफल प्रणाली की स्थापना करना होगा। संभावित नेताओं को पहचानने व उच्चतम दायित्व लेने हेतु उनको संवारने के लिये ठोस प्रयास किये जायेंगे।

आगे, विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि आईआईएम, जेएनआईबीएफ, आईएसबी, आईएमआई, एक्सएलआरआई व एनआईबीएम पर केन्द्रित ध्यान व आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यबल की दक्षता बढ़ाने के लिए बैंक की खोज जारी है। स्वनिर्धारित कार्यक्रम भी आयोजित किये गये हैं ताकि कुछ आला क्षेत्रों में यथा, साख, जोखिम प्रबन्धन, कोष परिचालन व सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता का विकास किया जा सके।

वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर / उच्चतम प्रबन्धन स्तर के कार्यपालकों हेतु आवश्यकता के आधार पर विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बैंक अपने अधिकारियों के कौशल स्तर में प्रशिक्षण हस्तक्षेप व उन्हें नवीकृत ताकत व उत्साह के साथ निष्पादन करने के लिये प्रोत्साहित करने के माध्यम से काफी हद तक योगदान करने में सफल रहा है।

Human Resource Development (HRD) Activities

The HR policies of the Bank have been revisited to suit the changing banking scenario. HR initiatives, like, 'Soft skill training programme' for bringing attitudinal change among frontline staff and Executives grooming through reputed institutes and other significant HR tools, like, Study Circles, Staff Meetings and Brain Storming Sessions have been implemented for effective team building and fostering collective excellence. Various Corporate Communications were brought out to boost the morale of the employees and educate them in various facets of banking.

The Bank has in place an exhaustive training process that cover Internal Training, External Training, In Company Training and Foreign Training. Internally, the Bank has Staff Training College at Bengaluru and 23 Regional Staff Training Colleges across the country.

The Bank trained 77455 employees during the year, covering a wide range of functional areas, including Credit Orientation, Marketing Skills, Induction Programme for Officers, AEOs and Specialist Officers. Out of the trained staff, 15352 personnel belonged to the Scheduled Caste category and 5220 belonged to the Scheduled Tribe category. The total employees trained include 24943 women employees. The Bank designed and implemented several new training programmes, including Fraud Awareness and Prevention, Compliance and beyond Core banking.

Under a novel programme, viz., Talent Bank, the Bank is providing opportunities for generalist officers to assume the role of specialists in 10 identified streams. Establishing a proper Talent Management and Reward System will be the Bank's focus in the coming years. There will be concerted efforts to identify potential leaders and groom them to take up higher responsibilities.

Further, the Bank's quest to enhance the competencies of the workforce continued through focused and need based trainings at various institutes of repute, like, IIMs, JNIBF, ISB, XLRI and NIBM, etc. Customized programmes are also organized to develop expertise in certain niche areas, like, Credit, Risk Management, Treasury Operations and IT.

Specialized trainings to the Senior Management Level/ Top Management Level Executives were conducted based on the requirement. The Bank has been able to add substantially to the skill level of its officials through training intervention and motivating them to perform with renewed vigour and enthusiasm.

मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की उप समिति को, मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा व सुधार करने हेतु और कर्मचारियों के कार्य पहल को संवर्द्धित करने हेतु सुझाव देने के लिये, गठित किया गया है।

संगठनात्मक रूपरेखा में प्रभावित परिवर्तन

बढ़ते हुए कारोबार की जटिलता तथा कुछ प्रमुख कार्यकारी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधान कार्यालयों के विभागों व अंचलों के पुनर्गठन / पुनर्निर्माण कार्यों को किया गया। पुनर्गठन के पश्चात प्रधान कार्यालय में 22 विभाग हैं।

पिछले वर्ष, बैंक शाखाओं व ग्राहक सेवा को स्फूर्तिदायक बनाकर, शाखाओं से बिक्री बढ़ाकर, रोबस्ट आस्ति आधार की वृद्धि करके व परिचालन मॉडल में सुधार जैसे कई विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा बैंक का कायाकल्प करने के उद्देश्य से बैंक ने परियोजना 'शिखर' का शुभारंभ किया है। इस परिवर्तन में ग्लोबल प्रबन्धन परामर्शदात्री फर्म यथा, मेसर्स बोस्टन परामर्शदात्री समूह (भारत) प्राइवेट लिमिटेड (बीसीजी) द्वारा बैंक की सहायता की गई है।

शाखाओं को कायाकल्प करने की यात्रा के दौरान बैंक की 700 शाखाओं को 'शिखर शाखाओं' के रूप में कायाकल्प किया गया जिसमें 75 शाखाएं 5 सितारा श्रेणी के अंतर्गत और 38 शाखाएं 4 सितारा श्रेणी के अंतर्गत मार्च 2016 तक किया गया।

विपणन और प्रचार

विपणन ने कासा हिस्से में सुधार, सहयोगी पार्टी व्यापार से शुल्क आय, वॉलेट अधिकतम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्राहकों की सुविधा के लिए विविध प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं का प्रचार किया गया।

बैंक ने विपणन को और मजबूत बनाने के लिए वर्ष के दौरान कई विशेषज्ञ कर्मिकों को संगठन से जोड़ा और एक प्रभावी अग्रणी प्रबंधन प्रणाली के साथ, सभी अंचल कार्यालयों में विशेष विपणन कार्यपालकों द्वारा पर्यवेक्षित विपणन अनुभाग का गठन किया। वर्ष के दौरान कई अभियानों के माध्यम से बैंक के उत्पादों की विक्रय व प्रति विक्रय करने के लिए विपणन ढांचा ने कई पहल की।

बैंक ने अपनी ब्रांड छवि को और बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान कई नए उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रचार अभियानों का शुभारंभ किया और विज्ञापन, सामाजिक मीडिया और विपणन संपार्श्विकों जैसे सभी साधनों का प्रभावी इस्तेमाल किया।

A Sub-Committee of the Board of Directors on HR is in place to review and improvise the existing HR policies and make suggestions to accelerate the employee engagement initiatives.

Changes brought about in the organizational set up

Further keeping in view the increased business complexities and the need for imparting more focus on certain key functional areas, the reorganization/realigning functions of Wings at Head Office and Circles was undertaken. Post re-organization, there were 22 Wings at Head Office, apart from Compliance Department and Corporate Communications Department.

In the previous year, the Bank had launched Project 'Shikhar' aimed at rejuvenating the Bank by focusing on several themes, like, energizing branches and customer service, increasing sales from branches, growing a robust asset base and revamping the operating model. Global Management Consulting firm viz., M/s Boston Consulting Group (India) Private Limited (BCG) assisted the Bank in this transformation.

In the journey of transformation of branches, 700 branches of the Bank were transformed as 'Shikhar Branches', with 75 branches under star 5 category and 38 under star 4 category as at March 2016.

Marketing and Publicity

The Marketing Vertical played a significant role in improving the CASA share, Fee Income from Associate Party Business, wallet maximization and propagating the multifarious technological products and services for the benefit of the customers.

The Bank further strengthened marketing vertical during the year by inducting specialized personnel into the setup, with the support of marketing sections in all Circle Offices overseen by dedicated Marketing Executives and lead management system. Marketing set up has taken initiatives in cross selling and up selling of Bank's products by launching several campaigns during the year.

The Bank also launched publicity campaigns for its several new products and services introduced during the year and used effectively all channels of communication, including advertising, social media and marketing collaterals to enhance its brand image.

ग्राहकोन्मुखता

त्वरित सेवा उपलब्ध कराने, विविध उत्पादों / सेवाओं देने, ग्राहकों की पूछ-ताछ का जवाब व ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के द्वारा बैंक ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुरूप कदम उठाता है। बीसीएसबीआई द्वारा जारी की गई "ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता" और "संशोधित नागरिक चार्टर" बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारतीय बैंक संघ और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुरूप बैंक ने नये रूपयित "भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक अधिकार नीति" को जुलाई 2015 से स्वीकार किया है जो ग्राहकों के अधिकार और बैंक की जिम्मेदारी को परिभाषित करती है। शाखाओं द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा का मूल्यांकन करने और उसकी प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट <www.canarabank.com> में एक 'ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण प्रपत्र' उपलब्ध कराई गई है। आगे, वर्ष के दौरान, देश भर में बैंक द्वारा बाह्य एजेंसी के माध्यम से ग्राहक सेवा और ग्राहक संतुष्टि को परखने के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वे का आयोजन किया गया। ग्राहकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए वर्ष के दौरान 16.11.2015 से 30.11.2015 तक ग्राहक पखावाड़े का आयोजन किया गया।

वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए ग्राहक केन्द्रित पहल जैसे स्वागत डेस्क, कतार प्रबंधन प्रणाली, एकल खिड़की परिचालन और ग्राहकों द्वारा प्रतीक्षारत होने पर बैठने के लिए 'ग्राहक प्रतीक्षालय क्षेत्र' नाम से बड़े क्षेत्र का आबंटन से सुसज्जित 'प्रोजेक्ट शिखर' नाम से शाखाओं का कायाकल्प किया गया।

दामोदरन समिति की अनुशंसा के अनुसार बैंक ने मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) को नियुक्त किया है जो बैंक के आंतरिक लोकपाल की तरह काम करेंगे।

कॉल सेंटर, एकल संपर्क संख्या <18004250018> के साथ हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के अलावा 6 क्षेत्रीय भाषाओं यानि बंगला, कन्नड, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलगु में ग्राहकों को शिकायत निवारण सेवाएं उपलब्ध कराता है। वर्ष के दौरान प्राप्त कॉल लगभग 23.10 लाख थे और ग्राहक शिकायत निवारण का प्रतिशत 100% रहा।

बैंक ने केनरा सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल के तहत वेबसाइट में शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा कार्यान्वित की है। कॉल सेंटर में प्राप्त शिकायतों को भी सीपीजीआरएस पैकेज के साथ एकीकृत किया गया। वर्ष के दौरान 4432 शिकायतें सीपीजीआरएस में पंजीकृत किए गए तथा सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के अंदर निवारण भी किया गया। पेंशन संचालन के लिए तथा पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए केन्द्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण कक्ष का गठन किया गया है। खाता खोलने के लिए भी चुनिंदा जगहों पर 41 केन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की है।

Customer Orientation

Several initiatives were taken to remain customer focussed through providing fast service, bringing in diversified products/services, responding to customers' queries and redressal of customer complaints. The 'Code of Commitment to Customers' issued by Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and 'Revised Citizen's Charter' of IBA is available in Bank's website. As per the instructions of IBA and RBI, the Bank has adopted the newly formulated 'Customer Rights Policy of RBI' since July 2015, which spells out the Rights of the Customers and also responsibilities of the Banker. To assess the quality of customer service rendered by the branches and to get the feedback, "Customer Satisfaction Survey Form" is available in the Bank's website <www.canarabank.com>. Further, during the year, the Bank has undertaken the customer satisfaction survey through an External Agency to assess the level of customer service and customer satisfaction across the Country. Customers' fortnight was conducted from 16.11.2015 to 30.11.2015 to invite suggestions.

In order to enhance customer focus, 'Project Shikhar' for branch transformation was implemented during the year, with various customer centric initiatives introduced, like, Welcome Desk, Queue Management System, Single Window Operation and allocation of larger space for 'Customer Waiting Area' along with self-service kiosks were put in place.

As per Damodaran Committee Recommendations, the Bank has appointed the Chief Customer Service Officer (CCSO), who acts as an Internal Ombudsman of the Bank.

Call centre with single point contact toll free number <18004250018> is functioning to cater to customers in 6 regional languages, such as, Bengali, Kannada, Malayalam, Marathi, Tamil and Telugu, besides Hindi and English for redressal of grievances. The number of calls received by the Call Centre during the year was 23.10 lakhs and percentage of complaint redressal is 100%.

The Bank has implemented online grievance redressal facility of customers in the website for lodging grievances online under the portal "Canara Public Grievance Redressal System" (CPGRS). The complaints received at Call Centre were also integrated with CPGRS package. During the year, Call Centre registered 4432 grievances in CPGRS and all grievances were redressed as per prescribed time norms. Centralized Pension Processing Cell has been functioning exclusively for handling pensions and resolving pension related grievances. 41 Central Processing Centres were established at selected places for account opening purposes.

वर्ष के दौरान, भोपाल, मध्य प्रदेश और सकलेशपुर, बेलूर और चिकबल्लापुर (कर्नाटक) में भारतीय रिज़र्व बैंक व बीसीएसबीआई बैंकिंग लोकपाल के संयोजन में 'टाउन हॉल ग्राहक बैठक' का आयोजन किया गया।

पद्धति एवं प्रक्रियाएं

वर्ष के दौरान, ऑन साइट आर.बी.आई.ए. के लिए चयनित 4162 शाखाओं / इकाइयों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आर.बी.आई. ए.) संपन्न की गयी। आर.बी.आई.ए. के साथ-साथ सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा भी संपन्न की गयी। 825 चयनित शाखाओं / इकाइयों में संगामी / अविराम लेखापरीक्षा संपन्न की गयी जिसमें से 275 इकाइयाँ आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा संगामी / अविराम लेखापरीक्षा के अधीन है तथा 650 शाखाएं / इकाइयाँ बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा संगामी लेखापरीक्षा के अधीन है जिसमें बैंक का 70% कारोबार शामिल है। 2321 शाखाएं आय / राजस्व लेखापरीक्षा के अधीन है जिसमें तिमाही आधार पर आय लेखापरीक्षा के लिए चयनित शाखाएं भी शामिल है।

आर.बी.आई.ए. के लिए वेब आधारित पैकेज का नया वर्जन समर्थित करके मजबूती प्रदान की गई है। शाखाओं / कार्यालयों में निकट भविष्य में समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए कम्प्यूटीकृत करने की योजना है।

श्री बसंत सेठ की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आंतरिक व संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली पर गठित समिति की सिफारिशों का बैंक ने पूर्ण रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया।

बैंक ने एक अनूठा लेखा परीक्षा प्रणाली जिसे "दवाबग्रस्त लेखा परीक्षा" की शुरुआत की है जिसमें खतरे को शीघ्र पहचानने और सुधारात्मक उपाय करने के लिए मानक परिसंपत्ति श्रेणी के अंतर्गत बड़े देनदारी खाते को शामिल किया गया है। भारतीय बैंकिंग उद्योग में पहली बार दवाबग्रस्त लेखा परीक्षा एक अपनी तरह का प्रयोग है। बैंक द्वारा विशेषीकृत विषयों जैसे कि पूरे भारत में खुदरा आस्ति हब का कार्य पद्धति और बेहतर ग्राहक सेवा के लिए इसकी दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए भी लेखा परीक्षा का आयोजन किया गया है। तत्काल आधार पर संव्यवहारों के निरीक्षण हेतु ऑफसाइट निगरानी को और भी सशक्त किया गया है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आर बी एस)

वित्तीय वर्ष 2014-15 से वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (ए एफ आई) के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आर बी एस) व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया है। वर्तमान में इसने आर बी एस का द्वितीय चरण पूरा कर लिया है। आर बी एस रूपरेखा को जोखिम और पूंजी का मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एस पी ए आर सी) नाम दिया गया है। जोखिम और पूंजी का मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एस पी ए आर सी) के अंतर्गत ऑफसाइट और ऑनसाइट जोखिम खोज प्रक्रिया (आर डी वाई) के माध्यम से क्रमिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का एक विस्तृत गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाता है।

During the year, 'Town Hall Customers Meets' were conducted at Bhopal, Madhya Pradesh and Sakleshpur, Belur and Chickballapur in Karnataka in association with the Banking Ombudsman, RBI and Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI).

Systems and Procedures

Risk based Internal Audit (RBIA) was conducted in 4162 branches / units programmed for onsite RBIA during the year. Information Security audit was conducted along with RBIA. Concurrent/continuous audit was conducted in 825 branches/service units, of which 275 branches / units were subjected to concurrent/continuous audit by internal auditors and 650 branches / service units were subjected to concurrent audit by external auditors, covering 70% of the total business of the Bank. 2321 branches were subjected to income/revenue audit, which included branches identified for income audit on quarterly basis.

The web based package for RBIA was further strengthened with enhanced new version. Plan for computerization of Concurrent Audit of branches and Offices is on the offing.

The Bank ensured full implementation of the recommendations of the Committee on Internal and Concurrent Audit Systems in Public Sector Banks under the Chairmanship of Shri Basant Seth.

The Bank introduced a unique audit system called "Stress Audit", covering Large Borrowal Accounts under Standard Asset Category to identify early warning signals and to take remedial measures. The Stress Audit is first of its kind in Indian banking industry. The Bank also conducted Audit on specific themes, like, functioning of Retail Asset Hubs pan India to evaluate their efficacy towards better customer service. Offsite monitoring has been further strengthened to have an oversight over the transactions on a near real time basis.

Risk Based Supervision (RBS)

The Bank has been brought under Risk Based Supervision (RBS) regime by the RBI, in lieu of Annual Financial Inspection (AFI) from the Financial Year 2014-15. Presently, it has completed the 2nd cycle of RBS. RBS framework is named as Supervisory Program for Assessment of Risk and Capital (SPARC). Under SPARC, a detailed qualitative and quantitative assessment of the Bank's risks is made by the RBI on an on-going basis through a combination of Offsite and onsite Risk Discovery process (RDY).

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.)

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.), धन शोधन निवारक (ए.एम.एल.), और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने (सी.एफ.टी.) के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न उपाय किये गये।

कुछ प्रमुख उपलब्धियां एवं किये गये पहल निम्नानुसार हैं:

- केवाईसी / एएमएल / सीएफटी दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली जाँच / संवर्धन उपलब्ध है।
- दिशानिर्देशों को जारी करके तथा सामयिक प्रशिक्षणों के माध्यम से शाखा कर्मचारियों को उक्त के संबंध में अवगत कराया गया।
- अंचल कार्यालयों में कार्यरत केवाईसी / एएमएल / सीएफटी के नोडल कार्यपालकों को शाखाओं में उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यशालाओं के माध्यम से दिशानिर्देशों को अवगत कराया गया।
- वर्ष के दौरान लगभग तीन करोड़ चेतावनी प्रसंस्कृत किया गया।
- एक सुदृढ़ ऑफ साइट अनुप्रवर्तन प्रणाली (तीसरी पक्ष द्वारा पर्यवेक्षण) की शुरुआत की गयी ताकि सी.बी.एस. का उपयोग करते हुए डेस्कटॉप लेखापरीक्षा के माध्यम से लगभग तत्काल आधार पर ऑफ साईट लेनदेनों का अनुप्रवर्तन किया जा सके।

सतर्कता व्यवस्था

बैंक के सतर्कता विभाग का नेतृत्व महा प्रबंधक श्रेणी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है और उनका समर्थन प्रधान कार्यालय, सभी अंचलों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और बैंक के अनुषंगियों के सतर्कता अधिकारियों द्वारा किया जाता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी, सतर्कता से संबंधित सभी मामलों के लिए मुख्य कार्यपालकों के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। वह एक तरफ तो बैंक और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मध्य, वहीं दूसरी ओर बैंक और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मध्य सेतु का काम करता है।

सतर्कता विभाग के कार्यों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है अर्थात् (1) निवारक सतर्कता (2) दंडात्मक सतर्कता और (3) निगरानी और निरोध। ये सभी कार्यकलाप बैंक के सतत और न्यायोचित वृद्धि से संबद्ध हैं। सतर्कता का मुख्य उद्देश्य बैंक में भ्रष्टाचार मुक्त, निष्पक्ष और स्वस्थ काम के माहौल को प्रवर्तित और पोषित करना है। ये सभी लक्ष्य वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के माध्यम से प्रवर्तित और प्राप्त किया गया है।

Know Your Customers (KYC)

The Bank took various measures for the effective implementation of guidelines on Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) and Combating Financing of Terrorism (CFT).

Some of the major achievements and initiatives taken were as under:

- System checks/enhancements are put in place to ensure compliance to guidelines on KYC/AML/CFT.
- Branch staff were sensitized by way of issuance of guidelines and periodical training.
- Nodal Executives for KYC/AML/CFT at the Bank's Circle Offices were sensitized on guidelines by arranging workshops.
- Around 3 crores alerts were processed during the year.
- A robust Offsite Transaction Monitoring System (the third eye supervision) introduced, which monitors the transactions off-site on a near real time basis through desktop audit by leveraging Core Banking Solution (CBS).

Vigilance Setup

The Vigilance Wing of the Bank is headed by Chief Vigilance officer (CVO) in the rank of General Manager. The CVO is assisted by Executives and other Officials in the Wing at HO and Vigilance Officers stationed at Head Office, all Circle Offices, RRBs sponsored by Bank and Subsidiaries of the Bank. The CVO acts as an advisor to the Chief Executive in all matters pertaining to vigilance. He also provides a link between the Bank and the Central Vigilance Commission on one hand and the Bank and the Central Bureau of Investigation on the other.

Vigilance functions in the Bank can broadly be divided into three parts, viz. (i) Preventive vigilance; (ii) Punitive vigilance; and (iii) Surveillance and detection. These functions are interlinked with the objective of the Bank to achieve sustainable and equitable growth. Vigilance functions are primarily aimed at achieving the objective of nurturing and promoting corruption-free, fair and healthy work environment in the Bank. These goals are pursued and promoted through various initiatives taken by the Vigilance Wing throughout the year.

सतर्कता जागरूकता अभियान के अंश के रूप में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशों के अनुसार, बैंक द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2015 से 31 अक्टूबर 2015 तक अधिक ध्यान के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान अंचलों और शाखाओं द्वारा चिह्नित केन्द्रों और विद्यालय और महा विद्यालयों में धरातल स्तर पर सतर्कता जागरूकता को प्रवर्तित करने और वर्ष के सतर्कता थीम “निवारक सतर्कता सुशासन के लिए एक साधन” अन्य शाखाओं और अंचलों द्वारा पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रधान कार्यालय में दिनांक 31 अक्टूबर 2015 को समापन समारोह का आयोजन किया गया। श्री टी एम भसीन, सतर्कता आयुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रधान कार्यालय में सभा को संबोधित किया गया।

सभी केन्द्रीय और राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक और अन्य वित्तीय संस्था में सतर्कता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रवर्तित करने के लिए मेसर्स सार्वजनिक उपक्रम संस्था, हैदराबाद द्वारा संस्था के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान बैंक को लगातार तीसरी बार “सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार” से सम्मानित किया गया।

सुरक्षा व्यवस्था

कुल 47 अंचल कार्यालयों की 5841 शाखाओं और 99 मुद्रा तिजोरियों में से बैंक ने 54 शाखाओं को उच्च जोखिम, 1583 शाखाओं को मध्यम जोखिम और 4204 शाखाओं को कम जोखिम वाली शाखाओं के रूप में पहचान की है। सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों द्वारा इन शाखाओं का दौरा किया गया। वर्ष के दौरान सभी संवेदनशील करेंसी चेस्ट का दौरा मुख्य सुरक्षा अधिकारी/ अंचल सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया गया।

भा.रि.बैं. व राज्य पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त अनुदेशों के आधार पर निम्न उपाय आरंभ किये गये हैं:

- सभी शाखाओं में सी.सी.टी.वी. लगाये गये हैं। उपकरण में अंतर्निहित सीसीटीवी के अतिरिक्त 7858 ए टी एम में स्टैंड अलोन सी सी टी वी लगाए गए हैं।
- देशभर के 1729 ए.टी.एम पर खतरे की संभावना और स्थानीय पुलिस के दिशा-निर्देश के मद्देनजर निजी सुरक्षा गार्डों को रखा गया है।

परिवेश में सुधार

‘शिखर परियोजना’ के तहत 700 शाखाओं के अभिन्यास और वातावरण को कतार प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से एकल खिड़की सेवा में प्रवर्तित किया गया है।

A special campaign of disseminating awareness on vigilance matters was undertaken during “Vigilance Awareness Week” celebrated by Bank from 26th October 2015 to 31st October 2015. Various functions at school/ colleges were organised by Circles and Branches at identified centres during the week to promote vigilance awareness at grass-root level and highlight the vigilance theme of the year “Preventive Vigilance as a Tool of Good Governance”. Other Branches and Circles of the Bank organised various functions during the week long campaign.

In concluding function at HO a talk was organised on 31st October 2015. Sri T M Bhasin, Vigilance Commissioner, CVC, addressed the gathering at Head Office.

The Bank was conferred with “Vigilance Excellence Award” for consecutively 3rd year, instituted by M/s Institute of Public Enterprise, Hyderabad, in commemoration of celebrating the Golden Jubilee year of the Institute with a view to promote excellence in the field of Vigilance in all the Central and State Level Public Sector Enterprises, nationalised Banks and other Financial Institutions.

Security Arrangements

Out of 5841 branches, and 99 currency chests in 47 Circles, the Bank identified 54 Branches as High Risk, 1583 Branches as Medium Risk and 4204 as Low Risk. These Branches were periodically visited by Security Officers as per statutory guidelines. All the sensitive currency chests were visited by the Chief Security Officer/Circle Security Officers during the year.

The following measures were initiated based on the instruction from RBI and State Police Authorities.

- All branches are provided with CCTVs. 7858 ATMs are provided with standalone CCTV in addition to the inbuilt CCTV in the equipment.
- 1729 ATMs are guarded with private Security Guards based on the threat perception and local police directions.

Ambience Improvement

Under ‘Project Shikhar’, layout and ambience of 700 branches (Shikhar Branches) transformed for single window service, implemented through Queue Management System.

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, बैंक ने सूचना देने तथा पारदर्शिता लाने के लिए एक अनन्य सूचना का अधिकार अधिनियम केन्द्र की स्थापना की है। सूचना का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए केनरा बैंक ने अपने सभी 47 अंचलों में जन सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय प्राधिकारियों को नामित किया है। वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने 2938 सूचना का अधिकार आवेदन, 527 प्रथम अपील तथा 113 द्वितीय अपीलों प्राप्त कीं।

राजभाषा का कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत सराहनीय प्रगति की है और विभिन्न स्तरों पर कई पुरस्कार प्राप्त किए।

यथा मार्च 2016 को लगभग 98% कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान हासिल किया है और राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अधीन 3300 शाखाओं को बैंक ने अधिसूचित किया है। हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त बैंक के सभी कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कर्मचारियों के लिए 384 से अधिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजभाषा को अमल करने हेतु बैंक ने “यूनिकोड” का प्रयोग बढ़ाया और बैंक के ए.टी.एम. स्क्रीनों में 10 भारतीय भाषाओं में लेनदेन का प्रावधान जारी रखा – टेलीफोन बैंकिंग की सुविधा हिन्दी और अंग्रेजी के साथ 6 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान की जा चुकी है। बैंक का कॉर्पोरेट वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी है। बैंक विशेष अवसरों पर अपने सभी ग्राहकों को हिन्दी में एस.एम.एस. भी भेजता है।

बैंक ने 1 जुलाई 2011 से कोर बैंकिंग प्रणाली में हिन्दी का विकल्प उपलब्ध कराया है। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल, एटीएम लेनदेन रिपोर्ट व ई-इंफोबुक में भी हिन्दी विकल्प उपलब्ध कराया गया है। हमारे बैंक की इलेक्ट्रॉनिक द्विभाषी पता पुस्तिका “केनपता” सभी शाखाओं के कार्यालयों में उपलब्ध है।

राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक द्वारा “केनरा बैंक राजभाषा अक्षय योजना” के तहत अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों, शाखाओं व कार्यालयों के

Right to Information

Under the Right to Information Act, 2005, an exclusive Right to Information Act outfit is functioning to provide information and bring transparency. As per the requirement of the RTI Act, the Bank has nominated Public Information Officers and Appellate Authorities at Head Office and in all its 47 Circle Offices to provide information to the applicants. During the year, the Bank received 2938 RTI applications, 527 First Appeals and 113 Second Appeals as per the provisions of RTI Act, 2005.

Implementation of Official Language

The Bank made noteworthy progress under the implementation of official language and won many prizes at various levels during the year under review.

As at March 2016 around 98% of employees have obtained working knowledge in Hindi and the Bank has notified 3300 Branches under Rule 10(4) of OL Rules 1976. All the employees of the Bank possessing working knowledge of Hindi have been trained in functional Hindi through Hindi workshops. During the year under review, Bank has conducted 384 refresher training programmes for such employees.

In the sphere of using Information Technology in the Official Language, the Bank has furthered the use of Unicode package for word processing and also made provision in ATM screens of the Bank for carrying transaction in 10 Indian languages. Apart from Hindi and English, transaction slips can be obtained in Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Punjabi and Marathi from ATMs (Transactions done in concerned language). Tele-banking facility has also been provided in Hindi and English and other 6 major regional languages. The Bank's corporate website is in bilingual. The Bank is also giving SMSs in Hindi to all its customers on special occasions.

With effect from 1st July 2011, Bank has provided Hindi option in Core Banking System. The Bank's bilingual address booklet CANPATHA is made available to all branches and offices in electronic form. Hindi option provided in Mobile Banking platform, e-Infobook and Internet Banking portal.

To encourage effective implementation of Official Language in the Bank, 238 prizes were given to Branches, Circles, Staff Training Colleges and Sections of Head Office under the award Scheme formulated by the Bank

अनुभागों को 238 पुरस्कार प्रदान किए गए। “केनरा बैंक राजभाषा पुरस्कार योजना” के तहत 148 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक “अखिल भारतीय हिन्दी निबंध प्रतियोगिता” भी आयोजित की और विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए।

हमारी अर्ध वार्षिक हिन्दी पत्रिका केनराज्योति – 15 वां एवं 16 वां अंक जारी की गई। प्रधान कार्यालय, बेंगलूर में हिन्दी दिवस समारोह 2015 के दौरान हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राकेश शर्मा द्वारा 15वें अंक का विमोचन किया गया तथा 16वें अंक का विमोचन श्री वी के मल्होत्रा, निदेशक (सेवानिवृत्त), राजभाषा विभाग, रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। केनराज्योति हिन्दी में मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रकाशित की जाती है। इसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा लिखित बैंकिंग संबंधी लेख, कविता, लघु कथा, यात्रावृत्तांत आदि शामिल हैं।

बैंक ने राजभाषा अधिकारियों का 33वां अखिल भारतीय सम्मेलन भी 10 व 11 मार्च 2016 को क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, गुडगांव में आयोजित किया गया।

वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने बैंक की कुल्लू शाखा (अंचल कार्यालय शिमला), खजुराहो शाखा (अंचल कार्यालय भोपाल) और अजमेर मुख्य शाखा (अंचल कार्यालय जयपुर) का दौरा किया। इसके अलावा, राजभाषा पर संसदीय समिति की साक्ष्य व आलेख उप समिति द्वारा दिल्ली अंचल कार्यालय और प्रधान कार्यालय का दौरा किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक के प्रयासों की सराहना की गई। बेंगलूर, कोयंबतूर, आगरा और तिरुवनंतपुरम में बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजक है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने व मार्गदर्शन देने के लिए बैंक की सभी शाखाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बैंक को निम्नलिखित महत्वपूर्ण पुरस्कारों से नवाजा गया है:

- वर्ष 2014-15 के लिए “ग” क्षेत्र के तहत उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत केनरा बैंक को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनांक 14.09.2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति के कर-कमलों से हमारे कार्यपालक निदेशक श्री प्रद्युमन सिंह रावत ने पुरस्कार प्राप्त किया।

viz., Canara Bank Rajbhasha Akshay Yojana and 148 employees were awarded under Rajbhasha Puraskar Yojana. Bank has also conducted Annual “All India Hindi Essay Competition” for its employees and cash prizes were given to prize winners.

Half Yearly Hindi journal “Canarajyoti” – 15th & 16th issues were brought out during the year. The 15th issue was released by MD&CEO, Shri Rakesh Sharma during Hindi Day Celebration 2015 at Head Office, Bengaluru and 16th issue was released by Dr. V. K. Malhotra, Director (Rtd), Dept. Of OL, Ministry of Railways, GOI. Canarajyoti is brought out to encourage original writing in Hindi. This publication contains articles on banking related subjects as well as Poetry, Short Stories, Travelogues written in Hindi by employees of the Bank.

The 33rd All India Conference of OL Officers of the Bank was held at Regional Staff Training College, Gurgaon on 10th and 11th March 2016.

During the year, the Third Sub Committee of Parliamentary Committee on Official Languages had inspected the Bank’s Kullu Branch (Shimla Circle Office), Khajuraho Branch (Bhopal Circle Office) and Ajmer Main Branch (Jaipur Circle Office). Besides this, the Drafting and Evidence Sub-Committee of the Parliamentary Committee on Official Language had inspected our Delhi Circle Office and Head Office, Bengaluru. The Committee lauded the efforts put in by the Bank in the field of Official Language implementation. The Bank is convening the Town Official Language Implementation Committees of Bengaluru, Agra, Coimbatore and Thiruvananthapuram. Official Language Implementation Committees are constituted in all the branches of the Bank as per the Government guidelines to propagate the progressive use of Hindi.

The Bank received the following important awards / accolades in recognition of the implementation of the official language.

- IInd prize under Rajbhasha Kirti Puraskar Yojana for effective implementation of Official Language in Region “C” for the year 2014-15. The award received by our Executive Director Sri P S Rawat from Honble President of India on 14.09.2015 at Vigyan Bhavan, New Delhi.

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा “ग” क्षेत्र के लिए केनरा बैंक को प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- दिनांक 14.09.2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति के कर-कमलों से वर्ष 2014-15 के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के अंतर्गत श्री जी अशोक कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक, बंगलूरु, अंचल कार्यालय ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया।

खेलकूद का प्रवर्तन

केनरा बैंक टूर्नामेंट आदि को प्रायोजित करने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप प्रदान करके हमेशा खेलकूद को प्रोत्साहित व समर्थन कर रहा है और देश भर में खेल गतिविधियों के लिए उदारता से योगदान दिया है। वर्ष 1982 में बैंक में खेलकूद के अनुप्रवर्तन व प्रोत्साहन के लिए प्रधान कार्यालय में एक खेलकूद काउंसिल का गठन किया गया –

बैंक के 6 क्षेत्र में टीम हैं, जो निम्नवत है:-

अथलेटिक्स	महिला	4 सदस्य
बॉल बैडमिंटन	पुरुष	3 सदस्य
क्रिकेट	पुरुष	16 सदस्य
हॉकी	पुरुष	13 सदस्य
शटल बैडमिंटन	पुरुष	2 सदस्य
टेबल टेनिस	पुरुष	3 सदस्य

अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों जैसे श्री बी के वेंकटेश प्रसाद व श्री सुनिल जोशी (क्रिकेट), श्रीमती एम के आशा, श्रीमती सुमा गोपालकृष्णा व श्रीमती एच एम ज्योती (वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट), श्री पी शम्भुखम, श्री भरत कुमार छेत्री(कप्तान, भारतीय हॉकी टीम, लंदन ओलिंपिक्स-2012) व श्री के एम सोमण्णा (हॉकी-सीनियर), श्री के पी दिनेश (हॉकी-जूनियर), श्री डी गुरुप्रसाद, श्री विनित मैनुअल (शटल बैडमिंटन) एवं श्री नितिन वी तिरुवेंगादम (अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी) वर्तमान में बैंक में कार्यरत है। उक्त खिलाड़ियों ने राज्य / राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट / प्रतियोगिताओं में बैंक का प्रतिनिधित्व करके बैंक का नाम रोशन किया है।

वर्ष के दौरान श्रीमती एच एम ज्योती ने चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलीट चैंपियनशिप में 100 मीटर एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलीट चैंपियनशिप में 100 मीटर एकल स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एथलीट में से अकेली हैं जिनका नाम देश के सबसे तीन तेज धावकों में आता है। बैंक का क्रिकेट टीम मैसूर में आयोजित राज्य स्तरीय टी 20 क्रिकेट प्रतियोगिता की उप विजेता रही। श्री डी शिव कुमार ने रणजी ट्रॉफी में आन्ध्र प्रदेश राज्य क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष के दौरान श्री डी गुरुप्रसाद, शटल बैडमिंटन खिलाड़ी ने काकीकानाडा,

- Encouragement Prize under Region “C” by RBI under RBI Rajbhasha Shield Yojana.
- Sri G Ashok Kumar, Sr. Manager, Bengaluru, Circle Office, received 3rd Prize under “Rajbhasha Gaurav Puraskar Yojana” for the year 2014-15 from Hon’ble President of India on 14.09.2015 at Vigyan Bhavan, New Delhi’.

Promotion of Sports

The Bank has always encouraged and supported sports and contributed generously to the sporting activities all over the country by sponsoring tournaments and providing scholarship to talented sports personalities. A Sports Council at Head Office was set up in the year 1982 to monitor and encourage sports in the Bank.

The Bank has teams in 6 disciplines as under.

Athletics	Women	4 Members
Ball Badminton	Men	3 Members
Cricket	Men	16 Members
Hockey	Men	13 Members
Shuttle Badminton	Men	2 Members
Table Tennis	Men	3 Members

International Sportspersons in the Bank fold are Shri B K Venkatesh Prasad and Shri Sunil B Joshi (Cricket), Smt. M K Asha, Smt. Suma Gopalakrishna (Athletics), and Smt. H M Jyothi (Presently International Athlete), Shri P Shanmugam, Shri Bharath Kumar Chetri (Captain Indian Hockey Team, London Olympics-2012) and Shri K M Somanna (Senior-Hockey), Shri K P Dinesh (Junior-Hockey), Shri D Guruprasad, Shri Vineet Manuel (Shuttle Badminton) and Shri Nitin V Thiruvengadam (International Table Tennis Player). Some of the above sportspersons have earned laurels while representing the Bank in tournaments/competitions at the State/National level.

During the year, Smt. H M Jyothi secured Gold Medal in the 100 Meters Individual event in the National Senior Athletic Championship held at Chennai. She also secured Bronze Medal in the 100 Meters Individual event in the National Senior Athletic Championship held at Kolkata. She is the only Athletic from all the Public Sector Banks, who is one among the fastest three sprinters in the country at the moment. The Bank’s Cricket Team was Runner-up in the State Level T-20 Cricket tournament held at Mysuru. Shri D Siva Kumar Represented Andhra Pradesh State Cricket Team in the Ranji Trophy. During the year, Shri D Guruprasad secured Bronze Medal in the National Ranking Senior Shuttle Badminton

आन्ध्र प्रदेश और कोलकाता में आयोजित वरिष्ठ शटल बैडमिंटन रजत पदक प्राप्त किया। श्री विनीत मैनुअल ने बहरीन में आयोजित बहरीन अंतर्राष्ट्रीय सीरीज/ चैलेंज में रजत पदक जीता और लखनऊ में आयोजित होने वाली सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय शटल बैडमिंटन ग्रैंड प्रिक्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इन्होंने वर्ष 2015-16 में बरमिंघम, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होने वाली ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता में पहली बार प्रवेश सुरक्षित किया। श्री हेमंत एम गौड़ा पुदुच्चेरी में सम्पन्न हुई वरिष्ठ दक्षिणी क्षेत्र शटल बैडमिंटन के विजेता रहे। श्री नीतिन वी तिरुवेंगदम को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जर्मनी और नीदरलैंड में होने वाली उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चयन किया गया। बैंक की हॉकी टीम को विलपट्टी, तमिलनाडु में आयोजित 7वें ऑल इंडिया लक्ष्मी अम्मल हॉकी टूर्नामेंट की विजेता रही। वर्ष 2015-16 के लिए बैंक की टेबल टेनिस टीम कर्नाटक की नंबर एक टीम रही।

बैंक प्रधान कार्यालय की टीमों के अलावा अंचल कार्यालय स्तर पर बजट आबंटित करके खेलकूद को प्रोत्साहन देता है, जिसकी निगरानी अंचल स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा किया जाता है। बैंक के 50% से अधिक खिलाड़ी अपने संबंधित खेल क्षेत्रों में कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वित्तीय सुपरमार्केट

केनरा बैंक ने ग्राहकों हेतु 'सर्व सेवा बैंकिंग' प्रदान करने के उद्देश्य से 1980 दशक के अंत के दौरान अनुषंगियाँ खोलकर विविध कारोबार गतिविधियों में प्रवेश किया। आज, बैंक विविध क्षेत्रों में कम से कम नौ अनुषंगियाँ / प्रायोजित संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के साथ एक 'वित्तीय सुपरमार्केट' के रूप में कार्य कर रही है। बैंक के सभी सहायकी / प्रायोजित संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों ने वर्ष के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन दर्ज किया है।

केनफिन होम्स लिमिटेड (सीएफएचएल)

केनफिन होम्स लिमिटेड, जो केनरा बैंक की एक प्रायोजित संस्था है, प्रमुख आवास वित्त संस्थाओं में से एक है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान को सीएफएचएल में बैंक का शेयर 43.45% है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹4418 करोड़ के सवितरण राशि के साथ ₹3922 करोड़ के ऋण राशि की मंजूरी दी है। यथा मार्च 2016 को कुल बकाया ऋण ₹10643 करोड़ है। कंपनी ने पिछली वर्ष की ₹86.24 करोड़ की तुलना में 82% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹157.11 के कर पश्चात लाभ अर्जित किया है और 2015-16 हेतु 100% का लाभांश प्रस्तावित किया है।

tournaments held at Kakinada, Andhra Pradesh and Kolkata. Shri Vineeth Manuel secured Bronze Medal in the Bahrain International Series/Challenge held at Bahrain and reached up to Pre-Quarter Finals in the Syed Modi International Shuttle Badminton Grand Prix held at Lucknow. He also secured his maiden entry into All England Badminton Championship at Birmingham, United Kingdom during 2015-16. Shri Hemanth M Gowda was winner of Senior South Zone Shuttle Badminton Championship held at Puducherry. Shri Nitin V Thiruvengadam was shortlisted by the Table Tennis Federation of India for advanced training programme at Germany & Netherlands. The Bank's Hockey Team won 7th All India Lakshmi Ammal Hockey Tournament held at Kovilpatti, Tamil Nadu. The Bank's Table Tennis Team was ranked 1st in Karnataka during 2015-16.

Apart from the teams at the Head Office, the Bank is also encouraging sports at the Circle level by allotting annual budget for sports activities and sports competition for employees, monitored by the Circle Sports Council. More than 50 % of the Banks sports persons are representing the State in their respective sports discipline.

FINANCIAL SUPERMARKET

Canara Bank, with an objective of offering 'One Stop Banking' facilities for the customers, forayed into diversified business activities by opening subsidiaries during late 1980s. Today, the Bank functions as a 'Financial Supermarket', with as many as nine subsidiaries/ sponsored entities/ joint ventures in diversified fields. All the subsidiaries / sponsored entities/joint ventures of the Bank recorded satisfactory performance during the year 2015-16.

CANFIN HOMES LIMITED (CFHL)

Canfin Homes Limited, a sponsored entity of Canara Bank, is one of the premier housing finance entities in the country. The Bank's stake in the Company is at 43.45%. For FY 2015-16, the Company has sanctioned loans amounting to Rs.4418 crore and disbursed loans amounting to ₹3922 crore. The loan outstanding was at ₹10643 crore as on 31.3.2016. The Company earned a profit after tax of ₹157.11 crore against ₹86.24 crore in the previous year, with a growth of 82%. The Company has declared 100% dividend for the year 2015-16.

केनरा बैंक प्रतिभूति लिमिटेड (सीबीएसएल)

केनरा बैंक प्रतिभूति लिमिटेड बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई है। कंपनी संस्थागत व खुदरा ग्राहकों, दोनों के लिये स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएँ प्रदान करता है। खुदरा ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग काउंटर मुख्य उत्पाद है तथा मुद्रा व्युत्पन्नी सुविधा प्रदान करता है एवं कंपनी का ग्राहक आधार 39352 से अधिक है। वर्ष 2015-16 के लिये कंपनी ने ₹5.97 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है और 12% के लाभांश का भुगतान किया है।

केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (सीआरएएमसी)

वर्ष 2007 में केनरा बैंक ने आस्ति प्रबंधन कंपनी का 49% शेयर मेसर्स रोबेको समूह एन वी के पक्ष में विनिवेश किया था जिससे कि केनबैंक म्यूच्युअल फंड की आस्तियों के प्रबंधन हेतु एक संयुक्त उद्यम का निर्माण हुआ। तब से ही कंपनी को केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के रूप में पुनःनामित कर दिया गया था जिसमें 51% शेयर धारिता बैंक के पास थी। कंपनी के प्रबंधन के तहत 6.12 लाख के निवेशक आधार को कवर करते हुए आस्तियां ₹7526 करोड़ थी। वर्तमान में कंपनी, गोल्ड ईएफटी सहित 29 म्यूच्युअल फंड योजनाएं संभाल रही है। वर्ष 2015-16 के लिये कंपनी ने ₹15.20 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है और 10% के लाभांश का भुगतान किया।

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (सीएफएल)

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड बैंक की एक फैक्ट्रिंग अनुषंगी है जिसमें बैंक का 70% शेयर है। वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने ₹3119 करोड़ का कुल कारोबार प्राप्त किया है तथा वर्ष 2015-16 के दौरान ₹2.24 करोड़ के कर पश्चात लाभ अर्जित किया है। भारतीय साख रेटिंग सूचना सेवा (क्रिसिल) ने इनके अल्पावधि ऋण योजना को उच्चतम ए1+ रेटिंग प्रदान किया है।

केनरा एचएसबीसी ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित एचएसबीसी बीमा (एशिया पेसेफिक) होल्डिंग लिमिटेड व ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के सहयोग के साथ बैंक का बीमा संयुक्त उद्यम है। कंपनी सितम्बर 2007 के दौरान निगमित हुई थी और अपना कारोबार परिचालन 16.06.2008 से प्रारंभ किया था। कंपनी में बैंक का 51% की बहुमत शेयरधारण है और इसमें एच एस बी सी का 23 एवं ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का 23% शेयर है। वर्ष के दौरान कंपनी का ₹ 859 करोड़ का कारोबार प्रीमियम और कुल कारोबार प्रीमियम ₹ 2045 करोड़ तक पहुँचा तथा ₹ 126 करोड़ का संवैधानिक लाभ दर्ज किया।

केनबैंक वेंचर पूंजी कोष लिमिटेड (सीवीसीएफएल)

केनबैंक वेंचर पूंजी कोष लिमिटेड, केनबैंक वेंचर पूंजी कोष (सीवीसीएफ) का न्यासी व प्रबंधक है और बैंक का पूर्ण स्वामित्व वाला अनुषंगी है। कंपनी द्वारा अभी तक कुल आस्तियां ₹533 करोड़ प्रबंधन के अंतर्गत 5 फंड का प्रबंधन किया है। ₹436 करोड़ के

CANARA BANK SECURITIES LIMITED (CBSL)

Canara Bank Securities Limited is a wholly owned subsidiary of the Bank. The Company offers stock broking services to both institutional and retail clients. Online Trading Counter for retail customers is its flagship product and has diversified into Currency Derivatives, with a clientele base of 39352. The Company has posted a profit after tax of Rs. 5.97 crore for the year 2015-16. The Company has declared a dividend of 12% during the year.

CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LIMITED (CRAMC)

In the year 2007, Canara Bank divested 49% of its stake in Canbank Mutual Fund in favour of M/s Robeco Groep NV and formed a Joint Venture (JV) for managing the assets under Canara Robeco Asset Management Company Limited. The Bank's share in the JV is at 51%. Total Assets under management was at Rs.7526 crore, with investor base of 6.12 lakhs. The Company is currently managing 29 Mutual Fund Schemes, including Gold ETF. The Company posted a net profit of Rs.15.20 crore for the year 2015-16 and has declared a dividend of 10%.

CANBANK FACTORS LIMITED (CFL)

Canbank Factors Limited is a factoring subsidiary of the Bank, with a 70% stakeholding. During 2015-16, the Company has achieved a total business turnover of ₹3119 crore. The Company has earned profit after tax of ₹2.24 crore for the year 2015-16. The Company continues to enjoy the highest rating of "A1+" by CRISIL for its Short Term Debt Programme.

CANARA HSBC ORIENTAL BANK OF COMMERCE LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

A life insurance Joint Venture (JV) was floated by the Bank in association with HSBC Insurance (Asia Pacific) Holding Limited and Oriental Bank Commerce in the year 2007. The JV commenced its business operations from 16.06.2008. Canara Bank holds majority shareholding of 51%, followed by 26% by the HSBC and 23% by the Oriental Bank of Commerce. During the year, the Company recorded new business premium of ₹859 crore and gross premium of Rs.2045 crore. The Company achieved a statutory profit of Rs.126 crore for the year 2015-16.

CANBANK VENTURE CAPITAL FUND LIMITED (CVCFL)

Canbank Venture Capital Fund Limited is the Trustee and Manager of Canbank Venture Capital Fund and a wholly owned subsidiary of the Bank. The Company has managed 5 funds so far, with total assets under management of ₹553 crore. The latest fund is the Emerging India Growth Fund, with corpus of ₹436 crore. CVCFL has been appointed by the Department of

साथ नवीनतम फंड इमर्जिंग इंडिया ग्रोथ फंड है। ₹2200 करोड़ के साथ इलेक्ट्रॉनिक फंड का प्रबंधन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा सीवीसीएफ को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने कर के बाद ₹4.48 करोड़ का लाभ अर्जित किया है और 1000% के लाभांश का भुगतान किया है।

केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल)

केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड पूरे देश में यह एकमात्र सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रवर्तित है जिसमें बैंक का 69.13% शेयर है। केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड मुख्यतया सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास सेवा, प्रशिक्षण / परामर्शदात्री व रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंसी के रूप में कार्यरत है। कंपनी ने वर्ष 2015-16 के लिए ₹6.57 करोड़ के कर पश्चात लाभ अर्जित किया है और 50% के लाभांश का भुगतान किया है।

केनबैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड (केनफिना)

केनबैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड ने डिजिटल खातों के तहत पट्टा किराये की वसूली व अतिदेय की वसूली पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा अपनी गतिविधियों को प्रतिभूति में पिछले संव्यवहार से उत्पन्न कानूनी मामलों तक सीमित कर दिया है।

कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी (सीआईबीएल)

सीआईबीएल, केनरा बैंक व भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उद्यम है जो अप्रैल, 2004 से मॉस्को, रूस में कार्यरत है। कंपनी ने यथा 31 मार्च, 2016 को कर के पश्चात 3.94 मिलियन यूएस डॉलर का लाभ अर्जित किया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

यथा मार्च 2016 तक बैंक के दो प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, यथा केरल ग्रामीण बैंक, जो केरल के संपूर्ण 14 जिलों को 595 शाखाओं के साथ कवर करता है तथा पूर्वी कर्नाटक के 11 जिलों में 647 शाखाओं के साथ प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास कुल मिलाकर 1242 शाखाओं व 515 एटीएम का नेटवर्क है। वर्ष के दौरान, दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 32 शाखाएं तथा 103 एटीएम खोले।

यथा मार्च 2016 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समग्र कारोबार ₹48008 करोड़ है, जिसमें जमा के अंतर्गत ₹24957 करोड़ तथा अग्रिम के अंतर्गत ₹23051 करोड़ है। 24607 करोड़ के समग्र कारोबार के साथ केरल ग्रामीण बैंक का स्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच प्रथम रहा, जिसमें हमारा अपना प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक ₹23401 करोड़ के कारोबार के साथ प्रथम स्थान पर रहा। दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने प्राथमिकता क्षेत्र उधारी के अंतर्गत कुल अग्रिम के 75% के अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त किया। कुल अग्रिम के अंतर्गत सकल एनपीए व निवल एनपीए 5% के संतोषजनक स्तर से नीचे था।

वर्ष के दौरान, दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ₹398 करोड़ का सकल लाभ तथा ₹188 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। उनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% के अनिवार्य मानक से अधिक है।

Electronics and Information Technology, Govt. of India, to manage the Electronic Development Fund, with a corpus of ₹2200 crore. The Company recorded a profit after tax of Rs.4.88 crore for the year 2015-16 and has paid a dividend of 1000%.

CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED (CCSL)

Canbank Computer Services Limited is the only Software Company promoted by a Public Sector Bank in the country, with a majority 69.13% held by the Bank. The Company is primarily engaged in IT and Software development services, BPO services, Any Time Payment (ATP)/ATM services training / consultancy and Registrar & Share Transfer agency. The Company has achieved the profit after tax of Rs.6.57 crore for the year 2015-16 and declared a dividend of 50%.

CANBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED (CANFINA)

Canbank Financial Services Limited is confining its activities to legal matter arising out of past transactions in securities, besides concentrating on collection of lease rentals and recovery of dues under decreed accounts.

COMMERCIAL INDO BANK LLC (CIBL)

CIBL, a joint venture of Canara Bank and State Bank of India, has been operational since April, 2004 in Moscow, Russia. The Company earned a profit after tax of US\$3.94 million for the year ended 31st March, 2016.

Regional Rural Banks (RRBs)

As at March 2016, the Bank had two sponsored RRBs, viz., Kerala Gramin Bank (KGB), covering entire 14 districts of Kerala with 595 branches and Pragathi Krishna Gramin Bank (PKGB), covering 11 districts of eastern Karnataka with 647 branches. Both the RRBs together have a branch network of 1242 and 515 ATMs, of which 32 branches and 103 ATMs were opened during the year.

The aggregate business of the RRBs as at March 2016 stood at ₹48008 crore, comprising Rs.24957 crore under deposits and ₹23051 crore under advances. Kerala Gramin Bank, with a total business of ₹24607 crore, ranked 1st amongst RRBs, followed by the Pragathi Krishna Gramin Bank with ₹23401 crore business. Both the RRBs achieved the mandated target of 75% of total advances under priority sector lending. Gross NPA and Net NPA levels were below the tolerable level of 5% of their advances.

Both these RRBs were profit making and posted a gross profit of ₹398 crore and net profit of ₹188 crore during the year. Their capital adequacy ratios were above the mandatory norm of 9%.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीबीएस का 100% अनुपालन कर रहे हैं और प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर अपने समकक्षी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से आगे है। वे अपने ग्राहकों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों जैसे मोबाइल बैंकिंग, रुपे डेबिट कार्ड सेवा, चेक ट्रंकेशन प्रणाली, ई-केवाईसी तकनीकी, आधार समर्थित सेवा तथा नेफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से विप्रेषण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

केरल ग्रामीण बैंक को आई डी आर बी टी का बैंकिंग प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के लिए "सर्वोत्तम सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" पुरस्कार से नवाजा गया। एसोचैम द्वारा प्रदत्त "सर्वोत्तम सामाजिक बैंक-2015" और "सर्वोत्तम कृषि बैंक-2015" से कृष्णा ग्रामीण बैंक को नवाजा गया। भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रदत्त "सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी बैंक-2015" में प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक उप विजेता रही।

प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वित्तीय समावेशन व प्रधान मंत्री जन-धन योजना कार्यावयन की स्थिति

प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1041 कारोबार संपर्की (बीसी) के माध्यम से गांवों में आधारभूत बैंकिंग सेवा प्रदान कर रही हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के माध्यम से 22 वित्तीय साक्षरता परामर्शी केंद्र (एफएलसी) स्थापित किए हैं तथा वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन भी कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 9.30 लाख खाते खोले हैं तथा सभी खाता धारकों को रुपे कार्ड जारी किया। ई-केवाईसी तकनीकी व आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (ईपीएस) कार्यावित करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच उनका प्रथम स्थान है। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 10.50 लाख नामांकन किया है।

पुरस्कार / प्रशंसा

विभिन्न पहलों के मान्यता में, वर्ष के दौरान बैंक को कई पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें से मुख्य पुरस्कार निम्नवत हैं -

- निदेशक संस्थान नई दिल्ली द्वारा गोल्डन पीकाक कारोबार सर्वोत्कृष्टता पुरस्कार-2015
- कर्नाटक वाणिज्य व उद्योग संघ, बेंगलूर द्वारा सर्वश्रेष्ठ वित्तीय संस्थान, गोल्ड, 2015 के लिए विशेष पुरस्कार।
- स्काॅच समूह द्वारा 2014-15 के दौरान एसएमई के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट।
- स्काॅच समूह द्वारा 'एसएमई के लिए एसएमई समर्थकारी' शीर्ष बैंक स्काॅच एचीवर अवार्ड।

The sponsored RRBs are 100% CBS compliant and ahead of their peers under technology front, with extension of IT based products, like, Mobile Banking, RuPay Debit Card services, Cheque truncation system, eKYC technology, Aadhaar enabled services and remittance facilities through NEFT/RTGS to their customers.

Kerala Gramin Bank was awarded as the 'Best IT Enabled Regional Rural Bank' for the year 2014-15 under Banking Technology Excellence Awards of IDRBT. Pragathi Krishna Gramin Bank has received 'Best Social Bank-2015' and 'Best Agricultural Bank-2015' awards from ASSOCHAM. PKGB has also bagged 'Best Technology Bank for 2015' Runners-up from the Indian Banks Association (IBA).

Implementation of Financial Inclusion, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) & Social Security Schemes (SSS) in the Sponsored RRBs

The Bank's sponsored RRBs are extending basic banking services to villages through 1041 Business Correspondents (BCs). 22 Financial Literacy Counselling Centers (FLCs) were established by the RRBs and financial literacy camps were also conducted during the year.

Under PMJDY both the RRBs together have opened 9.30 lakh accounts and issued RuPay Cards to all the account holders. The Bank's sponsored RRBs were the first amongst RRBs to implement e-KYC technology and Aadhaar enabled Payment System (AEPS). Together, these RRBs had done 10.50 lakh enrollments under the Social Security Schemes.

AWARDS / ACCOLADES

In recognition of the varied initiatives, the Bank was conferred with the following major awards during the year:

- Golden Peacock Business Excellence Award (GPBEA), 2015, by the Institute of Directors, New Delhi.
- Special Award for the Best Financial Institution – Gold, 2015, by the Federation of Karnataka Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), Bengaluru.
- Order of Merit for SME Enablement, 2014-15, by SKOCH Group.
- 'SKOCH Achiever Award' as a top Bank in 'SME Enablement' by SKOTCH Group.

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में 'आईबीए बैंकिंग टेक्नॉलोजी सम्मेलन, एक्सपो व पुरस्कार-2014-15' में डिजिटल व चैनल टेक्नॉलोजी का सर्वोत्तम उपयोग हेतु पुरस्कार प्राप्त हुए।
- चैम्बर ऑफ़ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एनटरप्राइजेज (सीआईएमएसएमई) द्वारा स्थापित "सर्वोत्तम एमएसएमई बैंक अवार्ड"।
- कृषि बैंकिंग और सामाजिक बैंकिंग के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए सामाजिक बैंकिंग व कृषि के तहत एसोचैम के सर्वोत्तम बैंक पुरस्कार।
- सतत और बेहतर परिचालनात्मक प्रदर्शन के लिए "ग्लोबल विजा सर्विस क्वालिटी पर्फॉर्मेंस अवार्ड 2014"
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्राथमिकता क्षेत्र उधारी और उत्तम खुदरा वृद्धि कार्यनिष्पादन के तहत उत्तम बैंक के लिए डन व ब्राडस्टीट बैंकिंग अवार्ड 2015
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में सर्वश्रेष्ठ समग्र उत्कृष्टता के तहत वर्ल्ड सी एस आर कांग्रेस द्वारा गठित "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय अवार्ड 2015।
- एसोचैम के कृषि और उत्तम सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता अवार्ड 2015।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरसेटी के कार्यान्वयन के लिए श्रेष्ठ बैंक अवार्ड 2013-14।
- 5वीं वार्षिक ग्रीनटेक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गोल्ड अवार्ड 2015।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में समग्र कार्यनिष्पादन के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वर्ल्ड कांग्रेस अवार्ड।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के तहत अग्रणी कार्य करने के लिए गॉल्डन पीकॉक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार-2015।
- वित्तीय समावेशन के तहत सूक्ष्म वित्त व वित्तीय साक्षरता पर विशेष ध्यानाकर्षण हेतु ईएलटीएस टेक्नोमीडिया द्वारा सर्वोत्कृष्ट बैंकर अवार्ड
- शिक्षा में सीएसआर क्रियाकलाप व शारीरिक रूप से अक्षम के पुनर्वास हेतु प्रोजेक्ट केनरा सहारा के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय गोल्ड अवार्ड
- डब्ल्यूपीपीपीएलसी, एक वैश्विक संचार सेवा समूह द्वारा गठित व अनुसंधान एजेंसी मिलवार्ड ब्राउन द्वारा समेकित 50 सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रैंड 2015 में ब्रैंडज इंडिया 36 वाँ रैंकिंग
- आईबीसी इन्फोमीडिया व मीडिया रिसर्च ग्रुप (एमआरजी) द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में भारत के सर्वोत्कृष्ट बैंक श्रेणी में भारत के सबसे विश्वसनीय ब्रैंड-2015।
- 'Best Use of Digital and Channels Technology' award amongst large banks in IBA Banking Technology Awards, 2014-15.
- Best MSME Bank award by Chamber of Indian Micro, Small & medium Enterprises (CI MSME).
- "Agricultural and Best Social Bank" award (under large bank category) by ASSOCHAM, for its outstanding performance under Agricultural Banking and Social Banking.
- Global Visa Service Quality Performance Award, 2014, for consistent and superior operating performance.
- Dun & Bradstreet Banking Awards, 2015, for Best Bank under Priority Sector Lending and Best Retail Growth performer amongst the PSBs.
- National Awards for Excellence in CSR & Sustainability, 2015, constituted by World CSR Congress under Best Overall Excellence in CSR category.
- Agricultural and Best Social Banking Excellence Award, 2015, by ASSOCHAM.
- Best Bank Award for implementation of RSETIs, 2013-14, by the Ministry of Rural Development, Govt. of India.
- 5th Annual Greentech CSR Gold Award, 2015.
- CSR World Congress Award for overall excellence in CSR.
- Golden Peacock Award for 'Corporate Social Responsibility, 2015' in recognition of its pioneering work done through CSR initiatives.
- Best Banker Award instituted by Elets Technomedia under "Financial Inclusion" for special focus on Micro Finance & Financial Literacy.
- Pandit Madan Mohan Malaviya Gold Award for the project Canara Sahara, a CSR activity in education and rehabilitation of physically challenged.
- Awarded 36th Rank in Brandz India's 50 Most Valuable Indian Brands, 2015, compiled by the research agency Millward Brown and commissioned by WPP Plc, a worldwide communications service group.
- India's Most Trusted Brand-2015 under India's Best Banks Category, in a survey conducted by IBC Infomedia & Media Research Group (MRG).

- स्कॉच स्मार्ट तकनीकी पुरस्कार- 2015 ।
- बैंकिंग फ्रंटियर्स तथा मेसर्स डिलॉइट द्वारा संस्थापित प्रेरणादायक कार्यस्थल पुरस्कार 2015 ।
- भारतीय जनसंपर्क परिषद (पी आर सी आई) द्वारा कारोबार नेतृत्व में सर्वोत्कृष्टता के लिए चाणक्य पुरस्कार 2016 ।
- मेसर्स सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के संस्थान द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में श्रेष्ठ तृतीय के लिए “सतर्कता उत्कृष्टता अवार्ड 2015-16” ।
- “ग क्षेत्र” में राजभाषा के प्रभावी कार्यावयन के लिए वर्ष 2014-15 हेतु “राजभाषा कीर्ति पुरस्कार” द्वितीय पुरस्कार ।
- “ग क्षेत्र” में राजभाषा के प्रभावी कार्यावयन के लिए 2013-14 हेतु रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड ।
- ए बी सी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार के तहत गृह पत्रिका “श्रेयस” को फोटोग्राफी में स्वर्ण और स्पेशल क्लॉम (अंग्रेजी) और फीचर (अंग्रेजी) के लिए रजत पुरस्कार से नवाजा गया।
- वार्षिक रिपोर्ट की श्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार 2014 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग संस्थान के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट में द्वितीय उप विजेता पुरस्कार जीता।
- मेसर्स भारतीय उद्योग संघ द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग संस्थान के अंतर्गत आई.सी.सी. कॉर्पोरेट अभिशासन एवं स्थायित्व विजन अवार्ड, 2016।
- SKOCH Smart Technology Award, 2015.
- Inspiring Workplace Award, 2015, (PSBs), instituted by Banking Frontiers in partnership with M/s. Deloitte.
- Chanakya Award for Excellence in Business Leadership, 2016, by the Public Relations Council of India (PRCI).
- ‘Vigilance Excellence Award, 2015-16’, 3rd Best in Banking Sector, instituted by M/s Institute of Public Enterprise.
- 2nd Prize in Region ‘C’ under Rajbhasha Kirti Pursakar, 2014-15.
- Reserve Bank Rajbhasha Shield for effective implementation of Official Language in Region ‘C’ for the year 2013-14.
- House Journal “Shreyas”, won Gold in Photography and Silver in Special Column (English) and Features (English), instituted by the ABC.
- Annual Report won 2nd Runner-up under the category of Public Sector Banking Institutions for Best Presented Annual Report Awards, 2014.
- ICC Corporate Governance & Sustainability Vision Awards, 2016, under Public Sector Banking Institutions, instituted by M/s Indian Chamber of Commerce.

बैंक की विभिन्न नीतियाँ

बैंक की अच्छी तरह से परिभाषित नीतियाँ और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है। वर्ष के दौरान भारिबै के विनियामक आवश्यकताओं, भारत सरकार के दिशानिर्देशों व वर्तमान परिदृश्य में बैंक की आकस्मिक आवश्यकताओं की रोशनी में बैंक के नीतियों व प्रक्रियाओं को सुवीही बनाने हेतु ठोस प्रयास किये गये हैं। तदनुसार, अन्य के बीच, साख जोखिम प्रबन्धन, बाजार जोखिम प्रबन्धन, परिचालन जोखिम प्रबन्धन, आस्ति दायित्व प्रबन्धन, चलनिधि जोखिम प्रबन्धन, समूह जोखिम प्रबन्धन, देश जोखिम, प्रतिपक्षी बैंक जोखिम, कॉर्पोरेट प्रशासन, प्रकटन, संपार्श्विक प्रबन्धन, तनाव परीक्षण, अनुपालन कार्य, आपदा पुनर्प्राप्ति और कारोबार निरंतरता आयोजन, कारोबार लाइन, आउटसोर्सिंग और आईसीएपी, केवाईसी, एएमएल, वसूली, व निवेश के संबंध में नीतियों पर प्रखर ध्यान केंद्रित किया गया है।

VARIOUS POLICIES OF THE BANK

There is a system of well-defined policies and procedures of the Bank. During the year, concerted efforts were made to streamline the policies and procedures of the Bank in the light of regulatory requirements of the RBI, the directions of the Government of India and the emergent requirements of the Bank in the present day context. Accordingly, there has been a sharper focus on policies relating to, among others, Credit Risk Management, Market Risk Management, Operational Risk Management, Asset Liability Management, Liquidity Risk Management, Group Risk Management, Country Risk, Counterparty Bank Risk, Corporate Governance, Disclosures, Collateral Management, Stress Testing, Compliance Functions, Disaster Recovery and Business Continuity Planning, Business Lines, Outsourcing and ICAAP, KYC, AML, Recovery and Investments.

निदेशक मंडल में परिवर्तन

बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में वर्ष 2015-16 में निम्न परिवर्तन हैं।

अवधि के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशकों की कार्य अवधि समाप्त हो गई।

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि
श्री वी एस कृष्णकुमार	कार्यपालक निदेशक	04.04.2013	30.04.2015
श्री टी एन मनोहरन	अंशकालिक अनाधिकारिक निदेशक सह गैर कार्यकारी अध्यक्ष	14.08.2015	सेवा समाप्ति तिथि 13.08.2018
श्री राकेश शर्मा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	11.09.2015	सेवा समाप्ति तिथि 31.07.2018
डॉ. रजत भार्गव	भारत सरकार नामिति निदेशक	26.07.2013	13.12.2015
श्री पंकज जैन	भारत सरकार नामिति निदेशक	14.12.2015	01.05.2016
श्री दीनबन्धु महापात्र	कार्यपालक निदेशक	22.01.2016	सेवा समाप्ति तिथि 21.01.2019

वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के नवनियुक्त निदेशक मंडल का संक्षिप्त ब्यौर

श्री टी एन मनोहरन

श्री टी एन मनोहरन को 14.08.2015 से बैंक के निदेशक मंडल में गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है।

श्री टी एन मनोहरन ने वाणिज्य में स्नातकोत्तर, विधि स्नातक तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट के फेलो रहे हैं। आपका पेशेवर अनुभव 32 वर्षों का है। आप 2006-07 के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं। आप मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट के संस्थापक साझेदार रहे और कॉर्पोरेशन बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षा

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

The year 2015-16 saw the following changes in the composition of the Board of Directors of the Bank.

Changes in the Bank's Board of Directors during the year 2015 16

Name of the Director	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
Shri V.S. Krishna Kumar	Executive Director	04.04.2013	30.04.2015
Shri T.N. Manoharan	Part time Non official Director as well as Non Executive Chairman	14.08.2015	Tenure on the Board ending on 13.08.2018
Shri Rakesh Sharma	MD & CEO	11.09.2015	Tenure on the Board ending on 31.07.2018
Dr. Rajat Bhargava	GOI Nominee Director	26.07.2013	13.12.2015
Shri Pankaj Jain	GOI Nominee Director	14.12.2015	01.05.2016
Shri Dinabandhu Mohapatra	Executive Director	22.01.2016	Tenure on the Board ending on 21.01.2019

Brief Profile of the newly appointed Directors on the Board of the Bank during 2015-16

Shri T N Manoharan

Shri T N Manoharan has been appointed as the Non-Executive Chairman of the Canara Bank with effect from 14th August 2015.

Shri T N Manoharan, is a Post Graduate in Commerce, a Law graduate and a fellow Chartered Accountant by profession of 32 years standing. He was the President of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) during 2006-07. He is the founder partner of

से सहबद्ध रहे और दो दशकों तक विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शाखाओं का लेखा परीक्षा जैसे कि इंडियन ओवरसिज बैंक, पंजाब नेशनल और इंडियन बैंक से सहबद्ध रहे।

आप 2004 में लेखा परीक्षा के साउथ एशियन फेडरेशन के उत्कृष्टता केंद्र और शिक्षा पर समिति के अध्यक्ष रहे। आप वर्ष 2006-07 के दौरान आई एफ ए सी के अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा शिक्षा मानक के सदस्य रहे। आप वर्ष 2009-11 के दौरान भारतीय उद्योग संघ (सी आई आई) द्वारा लेखा परीक्षा मानदंड पर गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष रहे।

आप वर्ष 2009 से 2012 तक सत्यम कंपनी के पुनरुत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष निदेशक के रूप में नामित किए गए। आप वर्ष 2006 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के बोर्ड में रहे।

आप वर्ष 2012-14 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा गठित वाणिज्यिक एवं वित्तीय धोखाधड़ी (ए बी बी सी एफ एफ) के बैंक के परामर्शदात्री बोर्ड के सदस्य रहे। आप वर्ष 2011-14 के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अनुशासनात्मक तंत्र के संदर्भ में भारत सरकार गठित अपीलिय प्राधिकरण के सदस्य रहे। आपने भारतीय कर विधि पर पेशेवर और छात्रों के लिए पुस्तक की रचना की। आप जाने माने संस्थानों में आमंत्रित संकाय रहे।

आपको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपको अक्टूबर 2009 में कारोबार श्रेणी के अंतर्गत एन डी टी वी प्रोफिट के तत्वावधान में “कारोबार लीडरशीप अवार्ड” और सी एन एन आई बी एन के तत्वावधान में सत्यम पुनरुत्थान टीम के सदस्य के रूप में “इंडियन ऑफ द इयर 2009” से नवाजा गया। आपको 7 अप्रैल 2009 भारत के महामहिम द्वारा “पद्म श्री” नागरिक सम्मान से नवाजा गया।

श्री राकेश शर्मा

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त, 2015 द्वारा श्री राकेश शर्मा को, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि या 31.07.2018; अर्थात् अधिवार्षिकी तिथि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए हमारे बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। श्री राकेश शर्मा ने बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दिनांक 11.09.2015 को पदभार ग्रहण किया है।

श्री राकेश शर्मा, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर व भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणपत्रित एसोसिएट है, के पास बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में तीन दशकों से अधिक का बहुआयामी अनुभव है, जिसमें खुदरा व थोक

M/s Manohar Chowdhry & Associates and was associated with Central Statutory Audit of Corporation Bank and for about two decades with Branch Audits of various PSBs, such as, Indian Overseas Bank, Punjab National Bank and Indian Bank.

He was the Chairman of the Committee on Education and Centre for Excellence of South Asian Federation of Accountants in 2004. He was a member of the International Accounting Education Standards Board of IFAC during 2006-07 and Chairman of the National Committee on Accounting Standards constituted by the Confederation of Indian Industry (CII) during 2009-11.

Shri Manoharan was nominated by the Government of India as a Special Director for revival of Satyam Company from 2009 to 2012. He was on the Board of the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) in 2006.

Shri Manoharan was a Member of the Advisory Board on Banks, Commercial & Financial Frauds (ABBCFF) constituted by the CVC during 2012-14. He was a Member of the Appellate Authority, constituted by the Government with reference to the disciplinary mechanism for CAs during 2011-14. He has authored books for professionals and students on Indian Tax law. He was a visiting faculty of renowned Institutions.

Shri Manoharan is a recipient of many awards. He received the “Business Leadership Award” under the aegis of NDTV Profit in October, 2009 and in the Business category, the CNN IBN “Indian of the year 2009” as part of the Satyam Revival Team. Shri T N Manoharan was conferred the civilian honour “PADMA SHRI” award by the President of India on 7th April, 2010.

Shri Rakesh Sharma

Shri Rakesh Sharma has been appointed as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank, with effect from the date of his assumption of charge of the post and upto 31.07.2018, i.e., the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier, vide GOI Notification dated 14.08.2015. He has taken over charge on 11.09.2015.

Shri Rakesh Sharma, a Post Graduate in Economics and Certified Associate of the Indian Institute of Bankers, carries with him varied knowledge and multi-dimensional banking experience of over three decades, covering retail

बैंकिंग, आस्ति देयता प्रबंधन, ऋण समूहन, व्यापार वित्त, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व कार्मिक विकास शामिल है।

श्री राकेश शर्मा ने अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक में किया। भारतीय स्टेट बैंक में उन्होंने अधिकांशतः महत्वपूर्ण संविभागों का संचालन किया। आप आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में मिड-कॉर्पोरेट खातों के प्रमुख थे, राजस्थान, उत्तराखंड व पश्चिम उत्तरप्रदेश क्षेत्र में खुदरा परिचालन के पर्यवेक्षी थे। आपने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप (आईबीजी) हेतु बैंकिंग परिचालन का प्रशासन किया, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के सभी विदेशी कार्यालयों के तुलन-पत्र का समेकन शामिल था। आप जब टोकियो में पदस्थापित थे तो जापान स्थित भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं की कार्यप्रणाली के समग्र प्रभारी थे। आप अपनी विशेषज्ञताओं व अनुभवों से भारतीय स्टेट बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद तक पहुँचे।

श्री राकेश शर्मा 7 मार्च 2014 से, केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक, मेसर्स लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड में प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत थे।

श्री पंकज जैन

श्री पंकज जैन इस्टिंट्यूट ऑफ़ कॉस्ट एंड वक्सर्स एकाउन्टेन्ट के एसोसिएट है और एमबीए उपाधि प्राप्त की है। आपको सिडबी, एक्जिम बैंक, आई आई एफ सी एल और आई आई एफ सी (यू के) के बोर्ड में नामित किया गया है।

आपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, असम सरकार, मेघालय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय विकास प्रभाग के लिए भी पूर्व में काम किया है।

वर्तमान में, आप संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पद पर तैनात हैं।

श्री दीनबन्धु महापात्र

श्री दीनबन्धु महापात्र ने 1984 में सीधी भर्ती अधिकारी के तहत बैंक ऑफ़ इंडिया में नियुक्त हुए थे। तीन दशकों के अपने करियर के दौरान आपने देशभर में विभिन्न शाखाओं और विभागों में प्रमुख के तौर पर काम किया है।

आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और इकतीस वर्षों का बहुआयामी बैंकिंग का अनुभव है जिसमें बैंक ऑफ़ इंडिया के हांगकांग और सिंगापुर शाखा के प्रमुख के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है।

and wholesale banking, asset liability management, loan syndication, trade finance, international banking and personnel development.

Shri Rakesh Sharma started his banking career in State Bank of India (SBI). In SBI, he handled most of the important portfolios. He was the Head of the Mid-corporate Accounts in Andhra Pradesh region, overseeing the Retail Operations in the States of Rajasthan, Uttarakhand and Western U.P. regions. He administered banking operations for International Banking Group (IBG), encompassing consolidation of balance sheets for all the foreign offices of SBI. He was also in-charge of overall functioning of SBI branches in Japan, while posted at Tokyo. With his expertise and experience, he rose to the level of Chief General Manager in SBI.

Shri Rakesh Sharma also held the post of MD&CEO of M/s Lakshmi Vilas Bank Ltd. since 7th March 2014 till he took over charge as MD&CEO of Canara Bank.

श्री पंकज जैन

Shri Pankaj Jain is an Associate of Institute of Cost and Works Accountants and holds M.B.A Degree. He has been nominated on the Board of SIDBI, EXIM Bank, IIFCL and IIFC (UK).

Shri Pankaj Jain has also worked earlier in Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Government of Assam, Government of Meghalaya and Department for International Development.

Presently, he is holding the position of Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

श्री दीनबन्धु महापात्र

Shri Dinabandhu Mohapatra joined Bank of India as a Direct Recruit Officer in the year 1984. During his career spanning over three decades, he has headed various branches and departments across the country.

He carries with him vast knowledge and multi-dimensional banking experience, spanning over thirty one years, including international exposure as head of Hong Kong and Singapore branches of Bank of India.

आपने दिनांक 22 जनवरी 2016 को केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। आप वर्तमान में बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, समुद्रपारीय क्रेडिट, सामरिक आयोजना व विकास, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन एवं अनुषंगियाँ, प्राथमिकता साख व वित्तीय समावेशन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व लीड बैंक सहित, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, एम एस एम ई, खुदरा संसाधन, विपणन, विक्रय और प्रति विक्रय, सरकारी कारोबार और शुल्क आय, सी डी आर व दवाबग्रस्त खाते विभाग के पर्यवेक्षी हैं।


निदेशकों के दायित्व वक्तव्य

निदेशक, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में निम्न की पुष्टि करते हैं:

- वार्षिक लेखों की तैयारी में महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों सहित उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का पालन किया गया है।
- कि उन्होंने उन लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर अनुप्रयोग किया है और निर्णय लिए हैं तथा अनुमान किए हैं, जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और अवधि के दौरान बैंक के लाभ या हानि बैंक की स्थिति का सही एवं स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हो सके।
- कि उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और धोखाधड़ी और अन्य विसंगतियों का निवारण के लिए भारत में स्थित बैंकों के लिए लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।
- कि उन्होंने वार्षिक लेखों की तैयारी लाभकारी कारोबार वाली संस्था होने के आधार पर की है।

धन्यवाद

बोर्ड, विश्वास व तरक्की की खोज में पूर्ण सहयोग देने के लिए अपने ग्राहकों के सहयोग, शेयरधारकों के समर्थन, सरकारी प्राधिकारी व भारतीय रिज़र्व बैंक के मूल्यवान मार्गदर्शन व सहयोग, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूरा करने वाले निदेशकों, सहयोग व साख के लिए भारत व विदेश में बैंक संपर्ककर्ताओं और सभी कर्मचारियों की प्रशंसा करना चाहता है।



राकेश शर्मा

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Shri Dinabandhu Mohapatra joined Canara Bank as Executive Director on 22nd January 2016. He is presently overseeing International Operations, Overseas Credit, Strategic Planning & Development, Risk Management, Financial Management & Subsidiaries, Priority Credit & Financial Inclusion, including RRBs & LB, Corporate Social Responsibility, MSME, Retail Resources, Marketing, Selling & Cross-selling, Government Business and Fee Income, CDR & Stressed Accounts Wings of the Bank.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2016, confirm the following:

- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- That they had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the period.
- That they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That they had prepared the annual accounts on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the customers for their continued patronage, to the shareholders for their support, to the Government authorities and the Reserve Bank of India for their valuable guidance and support, to the Directors who completed their tenure during the financial year under review, to the Bank's Correspondents in India and abroad for their co-operation and goodwill and to all the Staff Members for their wholehearted support in the pursuit of organizational growth and excellence.



RAKESH SHARMA

MANAGING DIRECTOR & CEO

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट - 2015-16

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 34(2)(एफ) अनुसार

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) – लागू नहीं
2. कंपनी का नाम : केनरा बैंक
3. पंजीकृत पता : केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जे सी रोड, बेंगलूरु – 560002
4. वेबसाइट: www.canarabank.com
5. ई-मेल : edsrt2@canarabank.com
6. सूचित वित्तीय वर्ष : 2015-16
7. क्षेत्र जिसमें कंपनी कार्यरत है (उद्योग क्रियाकलाप कूट वार) : वित्तीय सेवाएं, मुख्य रूप से बैंकिंग
8. कंपनी द्वारा निर्मित / उपलब्ध कराए जा रहे तीन उत्पाद / सेवाएं (बैलेंस शीट में दिये गये अनुसार): 1. थोक बैंकिंग, 2. खुदरा बैंकिंग, 3. ग्रामीण व कृषि बैंकिंग
9. कंपनी द्वारा कितने स्थानों पर क्रियाकलाप किया जा रहा है
 - i. अंतर्राष्ट्रीय 8 स्थलों की संख्या (5 मुख्य स्थल बताएं)
यू के (लंदन व लीसेस्टर), हांगकांग, चीन (शंघाई), तथा बहरीन (मनामा)
 - ii. कुल राष्ट्रीय स्थलों की संख्या: 5841
10. कंपनी द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराने के मार्केट – राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय
उपरोक्त बिन्दु संख्या 9 (i) के तहत उल्लिखित स्थानों के अलावा, बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में है एवं मास्को, रूस में संयुक्त उद्यम बैंक है यथा, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, एलएलसी ।

भाग ख : कंपनी का वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी (₹में) ₹542.99 करोड़
2. कुल कारोबार (₹में) : कुल कारोबार ₹805000 करोड़ (कुल जमाएं: ₹480000 करोड़ + निवल अग्रिम ₹325000 करोड़)
3. कर पश्चात कुल हानि (₹ में) : ₹2813 करोड़
4. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल खर्च: (%): मंजूरीकृत परियोजना (%): संवितरण: (%)

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT - 2015-16

{As per the Regulation 34(2)(f) of SEBI(LODR) Regulations, 2015}

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company: Not Applicable
2. Name of the Company: Canara Bank
3. Registered Address: Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru - 560002
4. Website: www.canarabank.com
5. E-mail id: edsrt2@canarabank.com
6. Financial Year Reported: 2015-16
7. Sector(s) that the Company is engaged in (Industrial activity code-wise):
Financial Services, mainly banking.
8. List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet):
1. Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. Rural and Agri-Banking.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company
 - i. Number of International Locations 8 (Provide details of major 5)
UK (London and Leicester), Hong Kong, China (Shanghai) and Bahrain (Manama).
 - ii. Number of National Locations: 5841
10. Markets served by the Company – National and International
Besides locations mentioned under Point No.9 (i) above, the Bank has a Representative Office at Sharjah, UAE and a Joint Venture Bank in Moscow, Russia, viz., Commercial Bank of India, LLC. .

Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital (INR): ₹542.99 crore
2. Total Turnover (INR): Total Business: ₹805000 crore (Total Deposits: ₹480000 crore + Net Advances: ₹325000 crore)
3. Total loss after taxes (INR): ₹2813 crore
4. Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%): Not qualified since bank incurred loss.

5. वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसआर के तहत मंजूर गतिविधियों की सूची:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	क्रियाकलाप	प्रायोजित संख्या	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि
क	शिक्षा	9956	769.14	472.23
ख	स्वास्थ्य	36	166.92	131.92
ग	गरीबी और पोषण	22	35.84	35.84
घ	विकलांग व्यक्तियों व वृद्धावस्था	31	53.37	29.77
ङ	कौशल विकास	5	1459.87	1459.87
च	पर्यावरण सुरक्षा	3	37.11	37.11
छ	ग्रामीण विकास	160	799.52	795.85
ज	महिला सशक्तिकरण	287	65.00	53.00
झ	वित्तीय साक्षरता	65	262.60	262.60
	कुल	10543	3649.37	3278.19

स्वीकृत प्रायोजन का खंड-वार वर्गीकरण:

क) शिक्षा (₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि
1	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट (एसवीवाईएम) मैसूर	छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के द्वारा एमडीएम कार्यक्रम में छात्रों को प्रायोजित करना	9.00	9.00
2	मोहानी व अडबोडा सीएम द्वारा अपनाया गया ग्राम, उत्तरप्रदेश	स्कूलों में सौर दीपन की व्यवस्था	2.24	2.24
3	राजापुरा सारस्वत समाज, बेंगलूर	हॉस्टल बिल्डिंग का निर्माण	10.00	0
4	डॉ.कम्भापति हरिबाबू - स्वानिति पहल	स्कूल बेंच उपलब्ध कराना	4.91	0

5. List of activities sanctioned under CSR during 2015-16:

(₹ in lakh)

Sl No.	Activity	No. of Sponsorships	Amount Sanctioned	Amount utilized
a	Education	9956	769.14	472.23
b	Health	36	166.92	131.92
c	Poverty & Nutrition	22	35.84	35.84
d	Persons with Disability (PwD)& Old age	31	53.37	29.77
e	Skill Development	5	1459.87	1459.87
f	Environment Protection	3	37.11	37.11
g	Rural Development	160	799.52	795.85
h	Women Empowerment	287	65.00	53.00
i	Financial Literacy	65	262.60	262.60
	Total	10543	3649.37	3278.19

Segment-wise classification of Sponsorships sanctioned:

a. Education (₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount Sanctioned	Amount utilized
1	Swami Vivekananda Youth Movement (SVYM) Mysore	sponsoring students to MDM programme by providing scholarship	9.00	9.00
2	Mohani & Adboda CM's adopted villages, Uttar pradesh	Solar lights furnishings to Schools	2.24	2.24
3	Rajapura Saraswatha Samaja, Bangalore	construction of Hostel building	10.00	0
4	Dr Kambhpathi Haribabu - Swaniti Initiatives	supply of school benches	4.91	0

5	केनरा बैंक जुबली शिक्षा निधि, बेंगलूर	छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु समग्र निधि	10.00	10.00
6	बले राम ब्रिज भूषण सरस्वति शिशु मन्दिर इंटर कॉलेज मेरठ	स्कूल बस प्रायोजित करना	15.00	0
7	ग्राम पंचायत मडलुर - स्वर्ण गौरी प्रौडा शाले व सरकारी उच्च विद्यालय, स्कूल, येरेहल्ली, अर्सीकेरे, कर्नाटक	कंप्यूटर व अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध कराना	4.49	4.49
8	कृपा सामाजिक कल्याण समिति (केएसडब्ल्यूएस) उज्जैन, मध्य प्रदेश	बच्चे बचाव कार्य हेतु गैर-वातानुकूलित बोलेरो प्लस वाहन उपलब्ध कराना	5.00	0
9	केनरा विद्या ज्योति योजना	मेधावी अ.जा. / अ.ज.जा. छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना	630.00	368.00
10	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	फर्निचर, डेस्क व बेंच, कंप्यूटर, जल प्युरिफायर, नोटबुक, बैग आदि	78.50	78.50
	कुल		769.14	472.23

5	Canara Bank Jubilee Education Fund, Bengaluru	Corpus fund for scholarships to students	10.00	10.00
6	Bale Ram Brij Bhushan Saraswati Shishu Mandir Inter College Meerut	sponsoring school Bus	15.00	0
7	Gram Panchayat Madalur - Swarna Gowri Prouda Shaale and Govt. Higher school, Yerehalli, Arsikere, Karnataka	providing computers and accessories	4.49	4.49
8	Kripa Social Welfare Society (KSWS), Ujjain, Madhya Pradesh	providing Bolero Plus Non AC vehicle for children rescue operations	5.00	0
9	Canara Vidya Jyothi scheme	scholarship scheme to meritorious SC/ST girl students	630.00	368.00
10	Various branches of Canara Bank	Furniture items, Desk & benches, computers, water purifier, note books, bags etc.,	78.50	78.50
	Total		769.14	472.23

ख) स्वास्थ्य

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	प्रयुक्त राशि
1	श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम, श्रृंगेरी	रंगादोरे मेमोरियल अस्पताल को पूरी तरह से स्वचालित केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर	21.00	21.00

b. Health

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount Sanctioned	Amount utilized
1	Sri Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasansthanam, Sringeri	Fully Automated Chemistry & Electrolyte Analyser to Rangadorai Memorial Hospital	21.00	21.00

2	सेंट स्कॉलेस्टिक्स कॉन्वेंट, तोन्डेरनाडु, केरल	अस्पताल के लिए विंगर एम्बुलेंस	9.49	9.49
3	आवर लेडी ऑफ लॉर्ड्स चैरिटेबल हॉस्पिटल, धारवाड़	अस्पताल के लिए एम्बुलेंस	14.73	14.73
4	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा	विश्वविद्यालय के लिए एम्बुलेंस	9.95	9.95
5	श्री रामकृष्णा आश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल, त्रिवेन्द्रम	अस्पताल हेतु एम्बुलेंस	5.00	5.00
6	पार्वती महाबला शेटी चैरिटेबल ट्रस्ट	फेको आई केयर मशीन	14.50	14.50
7	ब्रह्म कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी, लातूर	अस्पताल हेतु एम्बुलेंस	15.00	15.00
8	कांची कामकोटी मेडिकल ट्रस्ट - शंकरा आई फाउन्डेशन, कोयम्बतूर	कैम्प से बेस अस्पताल हेतु रोगियों की सुविधा के लिये बस खरीदी हेतु	20.00	0.00
9	मॉडल ब्लड बैंक व ब्लड कॉम्पोनेंट सेंटर, गान्धी मेडिकल कॉलेज, भोपाल	ब्लड स्टोरेज उपकरण	5.00	0.00
10	जन कल्याण हेल्थ केयर सेंटर, दिल्ली	फेको मशीन	10.00	0.00
11	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, दंत जांच शिविर आयोजित करना, अस्पतालों आदि के लिए चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना	42.25	42.25
	कुल		166.92	131.92

2	St Scholastics Convent, Thondernadu, Kerala	Winger Ambulance for the Hospital	9.49	9.49
3	Our Lady of Lourds Charitable Hospital, Dharwad	Ambulance for the Hospital	14.73	14.73
4	Central University of Karnataka, Gulbarga	Ambulance for the University	9.95	9.95
5	Sri Ramakrishna Ashrama Charitable Hospital, Trivandrum	Ambulance for the Hospital	5.00	5.00
6	Parvathi Mahabala Shetty Charitable Trust	Phaco Eye Care Machine	14.50	14.50
7	Brahma Kumaris Educational Society, Latur	Ambulance for Hospital	15.00	15.00
8	Kanchi Kamakoti Medical Trust - Sankara Eye Foundation, Coimbatore	procuring Bus for conveyance of patients from camps to base hospital	20.00	0.00
9	Model Blood Bank & Blood component centre, Gandhi Medical College, Bhopal	Blood storage equipment	5.00	0.00
10	Jan Kalyan Health Care centre, Delhi	Phacco machine	10.00	0.00
11	Various branches of Canara Bank	Conducting health check up camps, blood donation camps, dental check up camps, providing medical instruments to hospitals etc.,	42.25	42.25
	Total		166.92	131.92

ग) गरीबी व पोषण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	प्रयुक्त राशि
1	श्री मरिकाम्बा देवस्थान, सिरसी	मिड-डे मील की आपूर्ति हेतु वाहन	9.90	9.90
2	अक्षय पात्र फाउन्डेशन, गुवाहाटी	मिड-डे मील स्कीम हेतु बोलेरो वाहन	10.94	10.94
3	लिटिल सिस्टर्स ऑफ द पूवर, बेंगलूर	वरिष्ठ नागरिकों हेतु शौचालय सहित कमरे का निर्माण	5.00	5.00
4	चेन्नई बाढ़ राहत उपाय		10.00	10.00
	कुल		35.84	35.84

c. Poverty & Nutrition:

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount Sanctioned	Amount Utilised
1	Sri Marikamba Devasthan, Sirsi	vehicle for supply of mid-day meal	9.90	9.90
2	Akshaya Patra Foundation, Guwahati	Bolero vehicle for mid day meal scheme	10.94	10.94
3	Little sisters of the poor, Bengaluru	Construction of double room with toilet for senior citizens	5.00	5.00
4	Chennai Flood Relief measures		10.00	10.00
	Total		35.84	35.84

घ) दिव्यांग व्यक्ति (पी डब्ल्यू डी)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	प्रयुक्त राशि
1	श्री वैष्णवी स्पेशल एजुकेशन एकेडमी रामनगर, कर्नाटक	मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए खेल का उपकरण	2.90	2.90
2	सेठ आनन्द लाल पोद्दार इंस्टिट्यूट ऑफ डेफ एंड ब्लाइंड बॉयस होस्टल	मरम्मत और पेंटिंग का काम	3.97	3.97
3	डेफ एयड सोसाइटी, बेंगलूर	शौचालयों की मरम्मत और नवीकरण	5.00	0.00
4	कर्नाटक वेलफेयर एशोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, बेंगलूर	अंध छात्रों की सुविधा के लिए टाटा विंगर वाहन उपलब्ध कराना	8.85	0.00

d. Persons With Disability (PWD):

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount Sanctioned	Amount utilised
1	Sri Vaishnavi Special Educational Academy Ramnagara, Karnataka	Playground equipments for mentally challenged children	2.90	2.90
2	Seth Anand Lal Poddar Institute of Deaf & Blind Boys Hostel	repair and painting work	3.97	3.97
3	Deaf Aid Society, Bangalore	renovation and repairs of toilets	5.00	0.00
4	Karnataka Welfare Association for the Blind, Bengaluru	providing Tata Winger vehicle for conveyance of blind students	8.85	0.00

5	ओडिशा सरकार, विकलांगों के सामाजिक सुरक्षा व सशक्तिकरण विभाग	मोटरयुक्त तिपहिया और व्हीलचेयर	9.75	0.00
6	स्नेहदीप ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड ब्लाइंड, बेंगलूर	अंधे छात्रों की सुविधा के लिए मारुति वैन आर की खरीद	4.98	4.98
7	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	शारीरिक रूप से / मानसिक रूप से अक्षम के लिए सहायता, वाहन, उपकरण, आदि उपलब्ध कराना	17.92	17.92
कुल			53.37	29.77

5	Govt. of Odisha, Dept of Social Security & Empowerment of PWDs	Motorised tricycle & wheel chairs	9.75	0.00
6	Snehadeep Trust for the disabled Blind Bengaluru	procuring Maruti Wagon R for conveyance of blind students	4.98	4.98
7	Various branches of Canara Bank	Assistance to physically/ mentally challenged, providing vehicles, equipments, etc.,	17.92	17.92
Total			53.37	29.77

ड कौशल विकास:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि	प्रयुक्त राशि
1	डीजीपी प्रिजन, स्पेशल प्रिजन फॉर विमेन, हैदराबाद	महिला हेतु विशेष कारागार को बुक मेकिंग मशीनरी उपलब्ध कराना	5.00	5.00
2	केनरा बैंक शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास (सीबीसीआरडी)	देश भर में 27 आरएसईटीआई, 3 कारीगर प्रशिक्षण संस्थान व 5 सीबीआईआईटी को प्रशिक्षण लागत उपलब्ध कराना	1064.75	1064.75
3	ग्रामीण विकास व स्वरोजगार प्रशिक्षण (आरयूडीएस ईटीआई)	देशभर में सभी 27 आरयूडीएसईटीआई का 40% प्रशिक्षण व्यय	340.21	340.21
4	देशपांडे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (डीआरएसईटी आई), हलियाल	देशपांडे आरएसईटीआई, हलियाल को प्रशिक्षण व्यय का 50% उपलब्ध कराना	41.20	41.20

e. Skill Development:

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount	Amount Utilised
1	DGP Prisons , Special Prison for women, Hyderabad	providing Book Making Machinery to Special Prison for Women	5.00	5.00
2	Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRD)	Providing training cost of 27 RSETIs, 3 Artisan Training Institutes and 5 CBIITs all over India	1064.75	1064.75
3	Rural Development & Self Employment training institute (RUDSETI)	40% training expenditure of all 27 RUDSETIs all over India	340.21	340.21
4	Deshpande Rural Self Employment Training Institute (DRSETI), Haliyal	Providing 50% of training expenditure of Deshpande RSETI, Haliyal	41.20	41.20

5	आन्ध्र प्रदेश बैंकर ग्रामीण व उद्यमिता विकास संस्थान (एपीबीआई आरईडी)	एपीबीआईआरईडी संस्थान को प्रशिक्षण लागत का 10% उपलब्ध कराना	8.71	8.71
कुल			1459.87	1459.87

5	Andhra Pradesh Bankers Institute of Rural and Entrepreneurship Dev (APBIRED)	Providing 10% of training cost of the APBIRED Institute	8.71	8.71
Total			1459.87	1459.87

च) पर्यावरण सुरक्षा:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि	प्रयुक्त राशि
1	मूंगीलपल्लम गाँव, कोडैकनाल तालुक में 28 आदिवासी परिवार	आदिवासी परिवारों को सौर लैंटर्न	2.11	2.11
2	मेनका गान्धी द्वारा गुलाडिया भूपसिंह गाँव, पिलिभित जिला में विकास कार्य	सौर स्ट्रीट लाइट	5.00	5.00
3	उत्तर कन्नड जिला, कर्नाटक में 2000 आदिवासी परिवार	2000 आदिवासी परिवारों को सौर लैंटर्न	30.00	30.00
कुल			37.11	37.11

f. Environment protection:

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of the Donee	Purpose	Amount Sanctioned	Amount Utilised
1	28 tribal families at Moongilpallam village, Kodaikanal taluk	Solar lanterns to tribal families	2.11	2.11
2	Development work at Guladia Bhupsingh village, Pilhibit dist. by Maneka Gandhi	Solar street lights	5.00	5.00
3	2000 tribal families in Uttara kannada Dist, Karnataka Sanctioned in (2014-15)	Solar lanterns to 2000 tribal families	30.00	30.00
Total			37.11	37.11

छ) ग्रामीण विकास

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि	प्रयुक्त राशि
1	साउथ अन्डमान जिला परिषद, पोर्ट ब्लेयर	फुटपाथ, शौचालय का विकास व निर्माण	10.00	10.00
2	मुल्की सुन्दर राम शेटी, मुल्की दक्षिण कन्नड जिला, कर्नाटक	कन्वेंशन सेंटर का निर्माण	10.00	10.00

g. Rural Development:

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount	Amount Utilised
1	South Andaman Zilla Parishath, Port Blair	development and construction of footpath, toilet	10.00	10.00
2	Mulki Sunder Ram Shetty, Mulki Dakshina Kannada District, Karantaka	construction of Convention centre	10.00	10.00

3	लेपाक्षी वीरभद्र स्वामी मन्दिर, लेपाक्षी, आन्ध्र प्रदेश	आरओ पेय जल प्लांट उपलब्ध कराना	3.67	0.00
4	आरओ पेय जल प्लांट (2014-15 में मंजूर)	कोलार व चिकबल्लापुर जिले के 217 गाँवों में आरओ पेय जल प्लांट की स्थापना	775.00	775.00
5	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (केनरा ग्रामोदया योजना)	गोद लिये गये 63 गाँवों में समग्र विकास	0.85	0.85
कुल			799.52	795.85

3	Lepakshi Veerabhadra Swamy Temple, Lepakshi, Andhra Pradesh	provided RO Drinking water plant	3.67	0.00
4	RO drinking water plants (sanctioned in 2014-15)	Installation of RO drinking water plants in 217 villages in Kolar & Chikkaballapur dist.	775.00	775.00
5	Integrated village development programme (Canara Gramodaya scheme)	Holistic development in adopted 63 villages	0.85	0.85
Total			799.52	795.85

ज) महिला सशक्तिकरण:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि	प्रयुक्त राशि
1	महिला सशक्तिकरण भवन, ओनगोल, आन्ध्र प्रदेश	महिला सशक्तिकरण की गतिविधियों हेतु भवन	5.00	0.00
2	केनरा बैंक प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय सीईडीडब्ल्यू केन्द्र	महिलाओं हेतु उद्यमी विकास कार्यक्रम, परामर्शदात्री सेवाएं, महिला उद्यमियों हेतु विपणन कैम्प आउटलेट आयोजित करना	60.00	53.00
कुल			65.00	53.00

h. Women Empowerment:

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount	Amount Utilised
1	Women Empowerment Bhavan at Ongole, AP	Building for activities of Women empowerment	5.00	0.00
2	Canara Bank's Head office, Circle offices CEDW centres	Organizing entrepreneurship development programmes to women, counseling of women, organizing marketing camps outlets for women entrepreneurs	60.00	53.00
Total			65.00	53.00

झ) वित्तीय साक्षरता:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना/ गतिविधि	उद्देश्य	राशि	प्रयुक्त राशि
1.	65 केन्द्रों पर वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी)	जनता को निःशुल्क परामर्शदात्री सेवाएं देने हेतु जिला/ ब्लॉक स्तर पर खुले 65 वित्तीय साक्षरता केन्द्र	262.60	262.60

भाग ग: अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी / कंपनियां हैं?

हां, कंपनी की सात घरेलू अनुषंगियां, एक सहयोगी कंपनी और विदेश में एक संयुक्त उद्यम है -

- क) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.
- ख) केनबैंक फैक्टर लि.
- ग) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि.
- घ) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लि. .
- ड) केनबैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लि.
- च) केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.
- छ) केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्श्यूरेंस कंपनी लि.
- ज) केन फिन होम्स लि. (सहयोगी कंपनी)
- झ) एसबीआई के साथ मॉस्को में कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी (सीआईबीएल) (संयुक्त उद्यम)

2. क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां बीआर पहल में पैतृक कंपनी के साथ भाग लेती हैं? यदि हाँ तो ऐसी अनुषंगी(यों) की संख्या दें

हाँ, एक अनुषंगी - केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्श्यूरेंस कंपनी लि. बीआर पहल में भाग लेती है।

3. क्या अन्य संस्था/संस्थाएं (यानी आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कि कंपनी के साथ कारोबार करते हैं, बी आर पहल में भाग लेते हैं? यदि हां तो ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत दर्शाएं (30% से कम, 30-60%, 60% से ज्यादा)

शून्य

i. Financial literacy :

(₹ in lakh)

Sl No.	Project/ Activity	Purpose	Amount	Amount Utilised
1.	Financial literacy centres at 65 centres (FLC)	65 Financial literacy centres opened at District/block levels for giving free counseling to public	262.60	262.60

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?

Yes. The Company has seven domestic subsidiaries, an associate company and a Joint Venture at an overseas destination, viz.,

- a) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- b) Canbank Factors Ltd.
- c) Canara Bank Securities Ltd.
- d) Canbank Computer Services Ltd.
- e) Canbank Financial Services Ltd.
- f) Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
- g) Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd.
- h) Canfin Homes Ltd., (Associate Company).
- i) Commercial Indo Bank LLC (CIBL) in Moscow in association with SBI (Joint Venture).

2. Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).

Yes. One Subsidiary, viz., Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. is involved in BR initiatives.

3. Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%].

Nil

भाग घ : कारोबार उत्तरदायित्व सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण
क) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू है तो)	06701854
2	नाम	श्री प्रद्युमन सिंह रावत
3	पदनाम	कार्यपालक निदेशक

ख) बीआर प्रधान का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो तो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री एस एस भट
3.	पदनाम	मुख्य महा प्रबंधक
4.	दूरभाष	080 22128840
5.	ई-मेल	pcfww@canarabank.com

Section D: BR Information

1. Details of Director/Directors responsible for BR
a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/policies

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	06701854
2.	Name	Shri P S Rawat
3.	Designation	Executive Director

b) Details of the BR head

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	Shri S S Bhat
3.	Designation	Chief General Manager
4.	Telephone number	080 22128840
5.	e-mail id	pcfww@canarabank.com

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियां (हां / नहीं में उत्तर)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास ---- के लिए नीति/नीतियां ---- है	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या नीति श्रेयधारकों के परामर्श के साथ बनायी गयी है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या नीति राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, बताएं (केवल 50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हां तो क्या यह एमडी/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी नीति के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए बोर्ड/निदेशक/ अधिकारी की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक दर्शाएं। \$	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या नीति को सभी आंतरिक तथा बाह्य श्रेयधारकों को सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी में नीति/नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक व्यवस्था है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में नीति/नीतियों से संबंधित श्रेयधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के क्रियान्वयन संबंधी ऑडिट/मूल्यांकन करवाया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

\$www.canarabank.com

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

S. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	Do you have a policy / policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Does the policy conform to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD / Owner / CEO / Appropriate Board Director.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Does the company have a specified committee of the Board/Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online? \$	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy / policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy / policies to address stakeholders' grievances related to the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit / evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

\$www.canarabank.com

2क) यदि क्र. सं 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर नहीं है तो कृपया कारण बताएं (दो विकल्पों तक (✓) चिह्न लगाएं)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी सिद्धांत को नहीं समझ पाई है									
2	कंपनी अभी उस स्थिति में नहीं है कि विनिर्दिष्ट सिद्धांत के लिए नीति बनाए व उसे लागू कर पाए।									
3	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय या मानवीय संसाधन नहीं है									
4	अगले 6 महीने में इसे करने की योजना है									
5	अगले 1 साल में इसे करने की योजना है									
6	अन्य कोई कारण (कृपया बताएं)	बैंक ने अपने सतत विकास तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को रूपायित किया है और इनके कार्यान्वयन की निगरानी, सतत विकास समिति तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति द्वारा किया जाएगा।								

2a. If answer to S.No.1 against any principle, is “No”, please explain why: (Tick up to 2 options)

S.No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The Company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within the next 1 year									
6	Any other reason (please specify)	Bank has formulated its Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Policy and the implementation of the same would be monitored by the Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Committee.								

3. बीआर से संबंधित अभिज्ञासन

- कंपनी के बीआर के निष्पादन का निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कितने अंतराल पर आकलन किया जाता है। 3 महीने में, 3-6 महीने में, सालाना, एक साल से ज्यादा 3-6 महीने
- क्या कंपनी एक बीआर या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए क्या हाईपरलिंक है? कितने अंतराल पर इसे प्रकाशित किया जाता है?
रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है और www.canarabank.com/english/scripts/Annualreport.aspx हाईपरलिंक पर उपलब्ध कराया गया है।

भाग ड. : सिद्धांत वार निष्पादन

सिद्धांत 1 : कारोबार नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए तथा नियंत्रित हो।

- क्या नैतिकता, रिश्तखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर ही प्रावित है? हाँ / नहीं

क्या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?

हाँ। बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित “कॉर्पोरेट प्रशासन नीति” है जो कि सभी श्रेयधारकों यानी जमाकर्ताओं, श्रेयधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को कॉर्पोरेट मूल्यों, आचार संहिताओं तथा अन्य उचित व्यवहार के मानकों का अनुसरण करते हुए सतत मूल्य का अनुकूलन करने के समग्र उद्देश्य के साथ तैयार की गयी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी अनुषंगियों पर भी लागू है।

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year
3-6 months
- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?
The Report published annually and made available under the hyperlink www.canarabank.com/english/scripts/Annualreport.aspx

Section E: Principle-wise Performance

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

- Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No.

Does it extend to the Group / Joint Ventures / Suppliers / Contractors / NGOs / Others?

Yes. The Bank is having a Board approved “Corporate Governance Policy”, which is drawn with an overall objective to optimize sustainable value to all stake holders viz., depositors, shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to corporate values, Codes of Conduct and other standards of appropriate behavior. The Corporate Governance Policy of the Bank extends to its subsidiaries also.

बोर्ड की अनुमति से बैंक ने समूह जोखिम प्रबंधन पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम / और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आते हैं।

जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के समय कुछेक स्टाफ खातों की जांच की जाती है। स्टाफ खातों में ₹50000/- से अधिक के लेनदेनों की निगरानी ऑफलाइन लेनदेन निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

बैंक में नियमित निरीक्षण (आरबीआईए) की प्रणाली है। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट आवधिकता पर शाखाओं/यूनिट/कार्यालयों का सूचना प्रणाली ऑडिट होती है। मासिक आधार पर चयनित शाखाओं/कार्यालयों की समवर्ती लेखापरीक्षा होती है।

2. विगत वित्तीय वर्ष में कितनी श्रेयधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन में से कितने प्रतिशत को संतुष्टिपूर्वक प्रबंधन द्वारा सुलझाया गया है? यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।

श्रेयधारक शिकायतें: वर्ष 2015-16 में बैंक ने श्रेयधारकों से 1186 अभ्यावेदन / शिकायतें प्राप्त की तथा सभी शिकायतों का निवारण संतुष्टिपूर्वक किया गया।

अधिकांश शिकायतें लाभांश प्राप्त नहीं होने से संबंधित है। इसका कारण संबंधित श्रेयधारक द्वारा अपने पते को अद्यतन नहीं करना है। शिकायतें दूर करते समय बैंक ने उनके पते अद्यतन करने, बैंक विवरण प्राप्त करने, ईसीएस अधिकार-पत्र (आवश्यक फार्म उपलब्ध कराकर) लेने जैसे कदम उठाए हैं ताकि दुबारा ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

ग्राहकों से 35862 (एटीएम से संबंधित 23455 शिकायतों सहित) शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें से 35746 (एटीएम से संबंधित 23788 शिकायतों सहित) शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। पिछले वर्ष के कुछ लंबित शिकायतों पर सुलझाई गई शिकायतें ज्यादा है।

ग्राहक शिकायतें: वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने 35862 शिकायतें प्राप्त की तथा 95.86% को संतुष्टिपूर्वक निपटाया गया। बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद / सेवाएं, उन्नत तकनीक, कर्मचारी प्रशिक्षण तथा ग्राहकों की पूछताछ का जवाब व ग्राहक शिकायतों को दूर करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

The Bank has put in place a Group Risk Management (GRM) Policy with the permission of the Board of the Bank. The GRM Policy of the Bank covers Subsidiaries/ Joint Ventures and the Regional Rural Banks sponsored by the Bank.

Scrutiny of staff accounts at random is undertaken at the time of RBIA (Risk Based Internal Audit) of the branches. The transactions above ₹50000 in staff accounts are monitored in Offline Transaction Monitoring system.

The Bank has a system of conducting regular inspection (RBIA) including Information System Audit at the branches / Units / Offices at specified periodical intervals. The Concurrent Audit of identified branches / offices is conducted on monthly basis.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Shareholders Complaints: The Bank received 1186 representations / grievances from Shareholders during 2015-16 and all the grievances have been resolved satisfactorily.

Majority of the representations is on account of non-receipt of Dividend Warrants. This is due to non-updation of the addresses by the concerned shareholders. While resolving the grievances, the Bank has been taking steps to update their addresses, bank details, ECS Mandate (by providing the necessary forms) so as to avoid recurrence of such instances.

35862 (including 23455 complaints related to ATMs) complaints were received from customers of which 35746 (including 23788 complaints related to ATMs) were resolved. The resolved complaints are more owing to previous years few pending complaints.

Customer Complaints: During 2015-16, the Bank received 35862 complaints and 95.86% of the complaints were satisfactorily redressed. The Bank is taking several measures to improve customer service by bringing in diversified products/services, updated technology, staff training and responding to customer's queries and redressal of customer complaints. .

सिद्धांत 2 : कारोबार ऐसे उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराए जो सुरक्षित हों तथा अपने जीवन चक्र में स्थिरता बनाए रखें ।

1. अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरण चिंताओं, जोखिम और/या अवसरों को शामिल किया गया है।

i. **वित्तीय समावेशन अभियान:** विभिन्न ग्रामीण क्रियाकलाप जैसे शाखाएं खोल कर बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, कारोबार संपर्कों के माध्यम से ज्यादा क्षेत्र तक फैलाव, सादा खाते खोलना, केसीसी व जीसीसी के द्वारा ऋण उपलब्ध कराना, छोटे बीमा उपलब्ध कराना, आधार का पंजीकरण, किसान क्लबों की स्थापना, वित्तीय साक्षरता के लिए ग्रामीण विकास वाहिनी चलाना और ग्रामीण जनता के लिए ऋण परामर्श देना।

ii. **ग्रामीण विकास** - बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 65 स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित/सह-प्रायोजित/सहायता प्रदान की है जो कि ग्रामीण युवकों में उद्यमिता विकास तथा उन्हें स्व-रोजगार क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन संस्थानों ने अब तक 6.78 लाख बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया है, जिनकी व्यवसाय प्राप्ति दर 72% है।

iii. **हरित बैंकिंग:** बैंक ने विभिन्न पर्यावरण अनुकूल कार्य किए हैं जैसे सीबीएस, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ग्रामीण जनता के लिए सौर ऊर्जा युक्त बायो-मेट्रिक एटीएम और कुछ आंतरिक कार्यकलाप। इसके अलावा, दो स्थानों पर एटीएम, नकद / चेक स्वीकर्ता, पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग और टेलिबैंकिंग जैसे उच्च तकनीक बैंकिंग सुविधाओं के साथ ई-लाउंज बैंक स्थापित किए हैं तथा वर्ष के दौरान ऐसे ही और ई-लाउंज की स्थापना करने की योजना है। आंतरिक रूप से, बैंक ने मानव संसाधन प्रबंधन व अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए ई-गवर्नेंस की शुरुआत की है।

सौर ऊर्जा, बायोगैस तथा पवन चक्की परियोजनाओं के वित्तीयन के द्वारा बैंक हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन दे रहा है ।

2. ऐसे सभी उत्पादों के लिए प्रयुक्त संसाधन के संबंध में निम्न सूचित करें (ऊर्जा, जल, कच्चा माल, आदि) (वैकल्पिक):

i. मूल्य श्रृंखला के दौरान पिछले वर्ष से लेकर अबतक सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के समय आई कमी?

लागू नहीं

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and / or opportunities.

i. **Financial Inclusion Campaign** - covering varied rural activities, such as, increasing access to banking services through opening branches, increasing coverage under Business Facilitators, mobilizing no-frill accounts, providing credit under KCCs and GCCs, credit linking SHGs, providing micro-insurance, Aadhar enrollment, forming farmers' clubs, deploying Gramin Vikas Vahini for enhancing financial literacy and credit counseling among rural folks.

ii. **Rural Development** - The Bank has sponsored / co-sponsored / supported 65 self employment training institutes in varied fields which promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them to take up self-employment activities. These Institutes have trained more than 6.78 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 72%.

iii. **Green Banking** - The Bank has introduced several environment friendly measures, viz., core banking solution, internet banking, telebanking, mobile banking, ATMs, solar powered biometric ATMs for the use of rural folk and certain back office operations. Further, the Bank has set up E-lounges with hi-tech banking facilities like ATM, cash/ cheque acceptor, passbook printing kiosk, internet banking, online trading and telebanking at two places and more such e-lounges are planned during the year. Internally, the Bank has implemented e-governance for its human resources management and certain other administrative areas.

Bank is encouraging green energy by financing solar, biogas and wind mill projects.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):

i. Reduction during sourcing/production/distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

Not Applicable

- ii. पिछले वर्ष से अबतक उपभोक्ता द्वारा प्रयोग (ऊर्जा, पानी) में आई कमी?

जल शोधन प्लांटों की स्थापना तथा हरित क्षेत्र में सुधार हेतु बागवानी के लिए अपशिष्ट पाने का उपयोग ।

3. क्या कंपनी में स्थायी सोर्सिंग के लिए कोई पद्धति है(परिवहन सहित) यदि हां तो निवेशित का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया है? 50 शब्दों में विवरण दें।

सोर्सिंग के लिए बैंक में निर्धारित नीति है, जिसके अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को ऊर्जा उत्पादन, प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए उचित तकनीक की पूर्ति करने की आवश्यकता है ।

4. क्या कंपनी स्थानीय व छोटे उत्पादकों जिसमें आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत समुदाय शामिल है, से माल व सेवाएं खरीदने के कदम उठाए हैं? यदि हां तो स्थानीय व छोटे वेंडरों की क्षमता व योग्यता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्थानीय तथा छोटे विक्रेताओं की धारिता तथा क्षमता को सुधारने के लिए बैंक उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों के प्रदर्शन सह बिक्री के लिए नियमित रूप से केनरा बाजारों का आयोजन करता है । बैंक “नम्मूरा संथे” चलाता है, एक मोबाइल बिक्री वैन, जो सौर ऊर्जा युक्त कस्टम बिल्ट है जिसमें स्वयं सहायता समूहों तथा महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन सह बिक्री होता है । दोनों सेवाएं बैंक द्वारा निःशुल्क दिया जाता है । बैंक के कुल अग्रिम से लघु व मध्यम उद्यम का हिस्सा 30% हैं ।

5. क्या कंपनी के उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्नवीनीकृत करने का कोई तंत्र है? यदि हां तो उत्पादों तथा अपशिष्ट का कितना प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है (5% से कम, 5-10%, 10% से अधिक, अलग – अलग बताएं) । 50 शब्दों में विवरण दें।

लागू नहीं

सिद्धांत 3 : कारोबार सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा दे

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं।

31.03.2016 को कुल कर्मचारियों की संख्या 54008 है।

2. कृपया अस्थायी/संविदा/आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।

अस्थायी/संविदा/आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या शून्य है ।

- ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

Setting up of water purification plants and using the waste water for gardening for improving the green cover.

3. Does the Company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

For sourcing, Bank has a set policy as per which the suppliers should meet the standards of energy generation, pollution free climate friendly technologies.

4. Has the Company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

To improve the capacity and capability of local and small vendors, Bank is regularly organizing Canara Bazaars for display cum sale of products made by them. Bank is running Nammura SanthRû - A mobile sales van which is solar powered custom made for display cum sale of the products made by Self Help Groups, women entrepreneurs. Both the services are offered free of cost by the Bank. Out of total advances of Bank, Small & Medium Enterprises constitute 30%.

5. Does the Company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable

Principle 3: Businesses should promote the wellbeing of all employees

1. Please indicate the total number of employees.

Total number of employees as at 31.03.2016 is 54008

2. Please indicate the total number of employees hired on temporary / contractual / casual basis.

Total number of employees hired on temporary / contractual / casual basis is NIL

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।
31.03.2016 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 15729 है।
4. कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।
31.03.2016 को स्थायी विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या 1175 है।
5. क्या आपके यहां कर्मचारी संगठन है जो कि प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है।
हमारे बैंक में प्रबन्धन द्वारा मान्यता-प्राप्त कामगार व अधिकारी कर्मचारियों हेतु क्रमशः ऐसे दो प्रमुख संघ / संगठन हैं, यथा, केनरा बैंक कर्मचारी संघ (पंजीकृत) व केनरा बैंक अधिकारी संघ (पंजीकृत)
6. आपके कितने प्रतिशत नियमित कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं?

अधिकारी संघ	87.56%
कर्मचारी यूनियन	72.06%

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित कितनी हैं।

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	5	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. निर्मांकित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा व कौशल उन्नयन प्रशिक्षण पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दिया गया?

स्थायी कर्मचारी	143%
नियमित महिला कर्मचारी	158%
आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	शून्य
विकलांग कर्मचारी	99%

3. Please indicate the number of permanent women employees.
The number of permanent women employees as at 31.03.2016 is 15729
4. Please indicate the number of permanent employees with disabilities.
The number of permanent employees with disabilities as at 31.03.2016 is 1175
5. Do you have an employee association that is recognized by management.
In our Bank Canara Bank Employees Union (Regd) and Canara Bank Officers' Association (Regd) are two majority Union/Association of workmen and officer employees respectively, which are recognized by Management.
6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?

Officers' Association	87.56%
Workmen Union	72.06%

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

S. No.	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of financial year
1	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL
2	Sexual harassment	5	NIL
3	Discriminatory employment	NIL	NIL

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

Permanent Employees	143%
Permanent Women Employees	158%
Casual / Temporary / Contractual Employees	NIL
Employees with Disabilities	99%

सिद्धांत 4: कारोबार सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करे तथा उनके प्रति संवेदनशील हो विशेषरूप से वंचित, कमजोर और उपेक्षित के प्रति।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को प्रतिचित्रित किया है? हाँ / नहीं

हाँ, बैंक के शेयरधारकों में सरकार, निवेशक, कर्मचारी तथा बैंक के ग्राहक हैं।

2. उक्त में से, क्या कंपनी ने कमजोर, वंचित व उपेक्षितों की पहचान की है?

हां.

3. क्या कंपनी वंचित, कमजोर व उपेक्षित शेयरधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की है? यदि हां तो 50 शब्दों में विवरण दें।

कर्मचारी: बैंक जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव और पूर्वाग्रह के बिना सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार की नीति अपनाता है। बैंक सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष लाभ/सुविधाओं सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, विकलांग कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समतुल्य पारिश्रमिक/ वेतन दिया जाता है। बैंक, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 'उद्दान' परियोजना के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर के बेरोजगार स्नातकों को प्रशिक्षित व भर्ती कर रहा है।

ग्राहक: समाज के उपेक्षित वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने, अन्य योजनाओं के साथ, सादा बचत खाता योजना, केनरा नयी दिशा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म पेंशन योजना, शहरी गरीब के लिए सूक्ष्म वित्त शाखाएं, किसानों के लिए किसान क्रेडिट, सामान्य क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों को ऋण, मनरेगा मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण, बायोमेट्रिक एटीएम, विभेदक ब्याज दर योजना के तहत ऋण, महिला उद्यमियों और, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सहायता के लिए ऋण योजनाएं शुरू की हैं।

सिद्धांत 5: कारोबार मानवाधिकार का सम्मान व प्रोत्साहन करे।

1. मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति क्या कंपनी पर ही लागू होती है या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?

बैंक भारत के संविधान में निहित मानव अधिकारों की विषयवस्तु से परिचित है तथा संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार का सम्मान करता है।

मानव संसाधन से संबंधित नीतियाँ केवल बैंक के परिचालन पर ही लागू है। इसके अलावा, बैंक की मानव संसाधन नीतियाँ सभी

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No

Yes. The stake holders of the Bank include Government, Investors, Employees and the Customers of the Bank.

2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders.

Yes.

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Employees: The Bank practices the policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits/ facilities/assistance to employees belonging to SC/ST category as per Government guidelines. Further, the wages/salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. The Bank, as part of Corporate Social Responsibility, is training and recruiting unemployed graduates from the State of Jammu and Kashmir under the project 'Udaan'.

Customers: In order to cater to the needs of marginalized segments of the society, the Bank has introduced, among others, No-frill Savings Accounts Scheme, Micro Insurance and Micro Pension under Canara Naye Disha Scheme, micro-finance branches for urban poor, kisan credit cards for farmers, general credit cards, loans to self help groups, electronic benefit transfer for payment of MGNREGA Wages and social security pension, biometric ATMs, loans under Differential Interest Rate Scheme, loans to women entrepreneurs and support to micro & small enterprises.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group / Joint Ventures / Suppliers / Contractors / NGOs/ Others?

The Bank is aware of the human rights content of the Constitution of India and respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.

The HR related policies cover the operations of the Bank only. Further, the HR policies of the Bank are

कर्मचारियों को समानता और उचित व्यवहार प्रदान करती हैं तथा कोई भेदभाव राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, उम्र, विकलांगता, कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति या कानून द्वारा निषिद्ध किसी अन्य आधार पर नहीं किया जाता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का निषेध करता है। सेवा शर्तों में, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रावधान हैं। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यौन उत्पीड़न की नीति लागू की गयी है। पॉलिसी के अनुसार, महा प्रबंधक की रैंक वाली महिला कार्यपालक की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है जिसमें अधिकांश सदस्य महिलाएं ही हैं और एक सदस्य गैर सरकारी संगठन से है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही बैंक कार्रवाई करता है। बैंक समय समय पर सेवा शर्तों, नियमों, महिला कर्मचारियों के लाभ, महिला कर्मचारियों के अधिकार तथा यौन उत्पीड़न को रोकथाम को प्रभावी बनाने के लिए परिपत्र जारी करता है।

कर्मचारी शिकायत निवारण नीति

बैंक ने सेवा शर्त से संबंधित वास्तविक व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य और उसके त्वरित समाधान के लिए कर्मचारी शिकायत निवारण नीति बनाई है। इस नीति के तहत शिकायतों का निर्धारित समय के भीतर निराकरण कर रहे हैं। अंचल स्तर निवारण समिति के निर्णय के खिलाफ अपील का भी प्रावधान है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की परिभाषा के अनुसार केनरा बैंक एक लोक प्राधिकरण है, इसलिए वह जनता को सूचना प्रदान करने के दायित्व के अधीन है।

विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेना:

बैंक अपने परिसर में सिविल निर्माण / विद्युत / रख-रखाव कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेते समय श्रम कानून विशेष तौर पर न्यूनतम मज़दूरी के भुगतान तथा अन्य संबंधित मानवाधिकारों का पालन करता है।

2) पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें आईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का निपटान प्रबंधन के द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया?

वर्ष के दौरान कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं।

सिद्धांत 6: कारोबार पर्यावरण को सम्मान, सुरक्षा और उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास करो

well laid out with equal and fair treatment of all the employees and no discrimination is made based on nationality, religion, gender, age, disabilities, social and economic status of the employees or any other basis prohibited by the law.

Prevention of Sexual Harassment

The Bank prohibits sexual harassment at work places. In the Service Conditions, there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at work places. The policy on sexual harassment has been implemented in terms of guidelines issued by Supreme Court of India in its landmark judgment in Visakha & Ors. Vs. State of Rajasthan & Ors. As per the policy, a Complaints Committee has been constituted headed by a lady Executive of the rank of General Manager with majority of lady members and an outside member from a reputed NGO. The action is taken based on the reports of the Committee. The Bank issues Circulars from time to time reinforcing service conditions, rules, benefits to women employees, right of women employees, prevention of sexual harassment.

Employees' Grievances Redressal Policy

The Bank has framed Employees' Grievance (s) Redressal Policy with a view to lend to the genuine individual grievances relating to service condition of the employees and for speedy resolution of the same. The complaints under this policy are redressed within the stipulated time. There is also an appeal provision against the decision of the Circle Level Redressal Committee.

Right to Information Act

Canara Bank is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and thus, is under obligation to provide the information to members of public.

Engaging Contractors for various works

While engaging the services of Contractors for the civil construction/electrical/maintenance works at its premises, the Bank follows the labor laws especially payment of minimum wages and other related human rights.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

No complaints have been received during the year.

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. सिद्धांत 6 से संबंधित कंपनी की नीति क्या कंपनी तक सीमित है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर-सरकारी संस्थान / अन्य पर भी लागू है?

नीति केवल बैंक तक ही सीमित है।

2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों जैसे पर्यावरण में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग आदि के लिए कोई योजना/पहल है ? हाँ / नहीं , यदि हाँ तो, कृपया वेबपेज का हाइपरलिंक दें।

हाँ

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के संदर्भ में, बैंक ऐसे नयी ईकाइयों की स्थापना के लिए ऋण प्रदान नहीं करता जिनके द्वारा ओजोन विच्छेदन पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लूरो कार्बन - 11 (सीएफसी-11), सी.एफ.सी.-12 और सी.एफ.सी. 11 और सी.एफ.सी. 12 का मिश्रण, सी.एफ.सी. - 113, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, फोम उत्पादन, रेफ्रिजरेटर और एयरकंडिशनर, एरोसॉल उत्पाद, सफाई के उत्पाद में प्रयुक्त सॉल्वेंट, अग्निशमन में प्रयुक्त हेलॉन - 1211, 1301, 2402, आदि का प्रयोग किया जाता है।

बैंक द्वारा उन छोटे / मझौले स्तर की इकाइयों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है जो सी.एफ.सी. का प्रयोग कर एरोसॉल इकाई के उत्पादन में लगे हुए हैं।

टॉक्सिक पदार्थों का उत्सर्जन करने वाले उत्पादन इकाइयों के ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय बैंक ऐसे प्रदूषित पदार्थों को वातावरण में छोड़ने से पूर्व प्रसंस्कृत करने के लिए जल शोधन इकाई की स्थापना के लिए दबाव डालता है तथा सुनिश्चित किया जाता है कि उधारकर्ता केन्द्र / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करती है? हाँ/नहीं

हाँ

4. क्या कंपनी स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें। और , यदि हाँ तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दायर की गयी है?

हाँ

बैंक द्वारा विभिन्न हरित बैंकिंग पहल जिसमें कोर बैंकिंग समाधान, इंटरनेट बैंकिंग, टेलिबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ग्रामीण जनता के उपयोग के लिए सौर ऊर्जा संचालित बायोमेट्रिक एटीएम, शाखाओं में ई- लाउंज और अपने स्टाफ तथा प्रशासनिक क्षेत्र के लिए ई गवर्नेंस और कागज रहित बैंकिंग शामिल को बढ़ावा देना शामिल है।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल शुरू की है? हाँ / नहीं, यदि हाँ तो वेबपेज का हाइपरलिंक दें।

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/others.

The Policy covers only the Bank.

2. Does the company have strategies / initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

Yes.

In terms of Credit Risk Management Policy, the Bank is not extending finance for setting up of new units consuming / producing Ozone Depleting Substances (ODS) such as Chlorofluoro carbon - 11 (CFC - 11), CFC - 12, Mixtures of CFC - 11 and CFC - 12, CFC - 113 Carbon Tetrachloride, Methyl Chloroform, Halons - 1211, 1301, 2402 used in Foam products, Refrigerators & Air conditioners, Aerosol products, Solvents in cleaning applications, Fire extinguishers.

No financial assistance is extended by Bank to small/ medium scale units engaged in the manufacture of the Aerosol Units using CFC.

While appraising the credit proposal, of manufacturing units, emitting toxic pollutants, the Bank insists upon installation of water treatment projects for processing of such pollutants before release into the environment and ensures that the borrower client also obtains NOC from Central/State Pollution Control Board.

3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N

Yes.

4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?

Yes.

Various green banking initiatives undertaken by the Bank include core banking solution, internet banking, telebanking, mobile banking, ATMs, solar powered biometric ATMs for the use of rural folk, E-lounges in branches and e-governance for its staff and administrative areas to promote paperless banking.

5. Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.

बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा दक्षता के कई पहल शुरू किये हैं। बैंक पर्यावरण के अनुकूल ऐसी हरित परियोजनाओं को प्राथमिकता व महत्व देता है जो कार्बन कम करते हैं, जैसे पवन मिल्स / सौर ऊर्जा परियोजनाएं आदि। बैंक को हरित व स्वच्छ तकनीकी परियोजनाओं को अधिमानी ऋण देने की योजनाएं हैं।

इसके अलावा, बैंक उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइटिंग) अपने सभी परिसर लगाने के लिए अग्रसर है। बैंक भी उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में रेटेड ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने की नीति का अनुसरण कर रहा है अर्थात् एयर कंडीशनर।

बैंक स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाते हुए जनरेटर के उपयोग में सीपीसीबी नियम (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) का पालन करता है। बैंक अपने विभिन्न स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित यूपीएस लगाने और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को भी अपनाने की प्रक्रिया में है।

6. क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/ अपशिष्ट सूचित वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं?

बैंक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है अतः यह लागू नहीं है।

7. वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कानूनी नोटिस/ कारण बताओ नोटिसों की संख्या जो कि लंबित हैं? (यानी संतुष्टि के स्तर तक नहीं निपटाया गया है)

शून्य

सिद्धांत 7: कारोबार, जब आम जनता और विनियामक नीतियों को प्रभावित करता है तो ऐसा जिम्मेदारीपूर्वक किया जाए

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेंबर या संघ का सदस्य है? यदि हां तो उन बड़ी संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार होता है?

हाँ।

- क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
- ख) भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)
- ग) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)
- घ) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)
- ड.) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(एनपीसीआई)
- च) भारतीय समाशोधन निगम(सीसीआई)
- छ) भारतीय निवेश बैंकर संघ, मुंबई

2. क्या आपने जनहित की उन्नति या सुधार के लिए ऊपर संघों के माध्यम से वकालत / पैरवी की है? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो मौटेतौर

Bank has undertaken a number of initiatives to promote clean technology and energy efficiency. Bank gives due weightage and preference to environment friendly green projects which earn the carbon credits, such as, Wind Mills/Solar Power projects. Bank has schemes of extending preferential credits to the Green and clean technology projects.

Further, the Bank is changing over to CFL's (Compact Fluorescent Lightings) in all its premises ensuring higher energy efficiency. The Bank is also following a policy of using Rated Energy Efficient Appliances, viz., Air Conditioners towards ensuring higher energy efficiency.

The Bank is complying with the CPCB rules (Central Pollution Control Board) in usage of generators adopting clean technology. The Bank is also in the process of deploying solar powered UPS for its various locations and adopting renewable energy usage.

6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

The Bank is engaged in providing financial services and hence not applicable.

7. Number of show cause / legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.

Nil

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:

Yes.

- a) Indian Banks' Association (IBA)
- b) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)
- c) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
- d) National Institute of Bank Management (NIBM)
- e) National Payments Corporation of India (NPCI)
- f) The Clearing Corporation of India (CCI)
- g) Association of Investment Bankers of India, Mumbai

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement

पर उन क्षेत्रों के बारे में बताएं (गवर्नेंस और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियों, ऊर्जा, सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यावसायिक सिद्धांत, अन्य)

सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण बैंक पर देश के सभी क्षेत्रों व सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसके अलावा, बैंक मोटे तौर पर देश के स्थायी विकास में योगदान के लिए आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, समावेशी विकास और समान विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों को शामिल करते हुए समय - समय पर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नीतिगत निर्देशों / नियामक दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है।

सिद्धांत 8: कारोबार समग्र विकास और समान विकास को संबल दे

1. क्या कंपनी में सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं हैं? हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

बैंक ने समावेशित वृद्धि व समान विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों/पहलों/परियोजनाओं को चलाया है।

विवरण निम्नवत है-

बैंक ने 848 ब्रिक व मोटार शाखाओं को खोलने के द्वारा व 2459 बीसी एजेंट को संलिप्त करने के द्वारा सभी आबंटित 10049 गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई है। उनके जीवन स्तर को सुधारने के क्रम में सस्ते दामों पर उन्हें बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। कार्यालयन दो मॉडलों के तहत हुआ है यथा, ब्रिक व मोटार मॉडल एवं कारोबार संवाददाता मॉडल।

जिला/ब्लॉक स्तर पर 65 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) खुले हैं। इस वर्ष के मार्च 2016 तक 13.14 लाख व्यक्तियों को शिक्षित किया गया है एवं 95523 व्यक्तियों को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।

2. क्या कार्यक्रम / परियोजना आंतरिक टीम / स्व संस्थान / बाह्य/ गैर सरकारी संस्था / सरकारी संस्था / या कोई अन्य संस्था के माध्यम से किए जाते हैं?

वित्तीय समावेशन परियोजना आंतरिक टीम की सहायता से लागू की गयी। बैंक में प्राथमिकता साख और वित्तीय समावेशन विभाग के अंतर्गत एक अलग वित्तीय समावेशन प्रभाग है जिसके प्रमुख एक महाप्रबंधक हैं। बैंक वित्तीय साक्षरता न्यास के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का प्रचार कर रहा है।

of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy, security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

The Bank, being one of the public sector banks of India, is driven by the social objective of extending the benefits of the banking services to all regions of the country and to all classes of people. Further, the Bank is adhering to all the policy directions/regulatory guidelines issued by Government of India and the Reserve Bank of India from time to time broadly covering the areas of economic and financial sector reforms, inclusive growth and equitable development, national priorities and food security contributing to sustainable development of the country.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

The Bank has undertaken various initiatives/ programmes/ projects in pursuit of inclusive growth and equitable development of the society.

The details are as under:

Bank has provided Banking facilities in all the allotted 10049 villages by opening 848 brick & mortar branches and engaging 2459 BC agents. The objectives are to provide them the banking services at affordable cost in order to improve their standard of living. The implementation was done under two models, viz., Brick and Mortar model and Business Correspondent model.

65 Financial literacy centres (FLCs) opened at District/ Block levels. 13.14 lac persons have been educated and 95523 persons have been counseled upto March 2016 this year.

2. Are the programmes / projects undertaken through in-house team / own foundation/external NGO/ government structures / any other organization?

The financial inclusion projects have been undertaken with the help of an in-house team. The Bank has a separate Financial Inclusion Division under Priority Credit and Financial Inclusion Wing, headed by a General Manager. Bank is propagating financial literacy through Financial Literacy Trust.

अन्य न्यासों / सोसाइटियों का नाम निम्नगत है जहाँ बैंक परियोजनाएं लागू करने के लिए सम्मिलित है, जिसने जनता तथा समाज की सेवा में प्रभाव उत्पन्न किया है :-

1. केनरा शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास
2. केनरा वित्तीय सलाहकारी न्यास
3. केनरा स्वर्ण जयंती शिक्षा निधि
4. केनरा राहत व कल्याण सोसाइटी

बैंक अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत इन्हीं न्यासों के क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेती है तथा निधीयन भी करता है।

3. क्या अपने प्रयास का आपने प्रभावी मूल्यांकन किया है ?

हाँ।

बैंक पहल के मुख्य प्रभाव अपने ग्राहकों को उत्पादों के वितरण में है। मुख्य डेलिवेरेबल्स हैं :-

बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान 17.13 लाख बैंकिंग सेवारहित लोगों तथा योजना की शुरुआत से लेकर अबतक 155.20 लाख बैंकिंग सेवारहित लोगों को मूलभूत बचत जमा खाता उपलब्ध कराया है।

वर्ष 2015-16 के दौरान हमारी 42 वित्तीय समावेशन शाखाएँ खुली हैं और 26922 खाते से ₹59.37 करोड़ का कारोबार किया तथा ' 30.61 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया जिससे 3792 लाख हिताधिकारी लाभान्वित हुए।

बैंकिंग सेवा रहित ग्रामीणों को मूलभूत बचत जमा खाता, अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, ऋण सुविधा जैसे सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना, विभिन्न ब्याज पर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऋण अदला-बदली (स्वैपिंग) योजना और कई साख उत्पाद उपलब्ध कराए गए।

बैंक ने हमारे मे. केनरा एचएसबीसी ओबीसी इंश्योरेंस कंपनी के समूह बीमा योजना के तहत ऋण प्रदत्त स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के जीवन को कवर किया गया है जिसमें प्रत्येक सदस्य के जीवन को ₹36,000 तक 100 के मामूली प्रीमियम के साथ कवर किया गया है। लगभग 13121 व्यक्ति इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं।

बैंक ने कर्नाटक के चार जिलों और तमिलनाडु के सभी जिलों में "एक जिला कई बैंक मॉडल" के तहत सरकारी लाभों जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन का इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तान्तरण के कार्यान्वयन में भाग लिया है। कर्नाटक के चार जिलों में मनरेगा

Following are the other Trusts/Societies wherein Bank is involved for taking up of the projects which have created an impact in serving the people and the society.

1. Canara Centenary Rural Development Trust
2. Canara Financial Advisory Trust
3. Canara Golden Jubilee Education Fund
4. Canara Relief & Welfare Society

Bank continues to actively fund and also involve in the activities of these Trusts under its CSR.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

Yes. Major impact of the Bank initiatives is the delivery of the products to its customers. The major deliverables are:

The Bank has provided Basic Savings Deposit accounts to 17.13 lakh unbanked people during the year 2015-16 and 155.20 lakh unbanked persons since inception of the Scheme.

During 2015-16, 42 FI Branches have been opened garnering a business of ₹59.37 crores in 26922 accounts and provided a credit of Rs.30.61crores benefitting 3792 lakh beneficiaries.

The unbanked rural people are provided with Basic Savings Deposit Accounts, Inbuilt Overdraft Facilities, credit facilities under products like General Credit Card Schemes, Differential Rate of Interest Scheme, Kisan Credit Card Scheme, Debt Swapping Scheme and various other credit products.

The Bank has also covered the lives of the members of credit linked SHGs under Group Insurance Scheme by M/s Canara HSBC OBC Insurance Company, covering the lives of the individual members to the extent of ₹36000 for a nominal premium of 100. About 13121 persons have been benefitted out of the Scheme.

The Bank has participated in implementation of Electronic Benefit Transfer of Govt. benefits like Social Security Pension in four districts of Karnataka and all districts of Tamil Nadu under "One District Many Bank Model". The enrollment is in progress for opening of accounts for disbursement of wages

के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए खातों के खोलने का कार्य प्रगति पर है। इस योजना से लाभार्थियों को उनके दरवाजे / गांवों में समय पर भुगतान प्राप्त करने में मदद मिली है।

बैंक ने सरकारी लाभ के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यावयन में भी हिस्सा लिया है। वर्ष 2015-16 के दौरान इस योजना के तहत हस्तांतरित लाभ ₹ 1215.90 करोड़ पहुंच गया है।

बैंक ने “केनरा ग्रामीण विकास वाहिनी वाहन” नामक समावेशी विकास वाहन एवं 48 वाहन प्रदान किए हैं। इन वाहनों में कृषि विस्तारण अधिकारी या सामान्य अधिकारी साथ जाते हैं, जिन्हें हमारी विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी होती है और ये नियमिततौर पर ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करने जाते हैं। इन वाहनों में खाता खोलने के फार्म तथा अन्य योजनाओं के पैम्फलेट्स होते हैं।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है – राशि रूपों में तथा परियोजनाओं का विवरण।

बैंक ने विभिन्न सामुदायिक विकास और सामाजिक – आर्थिक कल्याण गतिविधियों में लगे संगठनों को ₹ 36.49 करोड़ की राशि मंजूरित की। (कृपया बिंदु 5 का भाग ख का संदर्भ लें)

5. क्या इस समुदाय विकास की पहल को सफलतापूर्वक समुदाय द्वारा अपनाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए आपने कदम उठाए हैं? कृपया 50 शब्दों में बताएं।

बैंक दानग्राही संगठन / संस्थान से सनदी लेखाकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, जो पुष्टि करता है कि जिस उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा दान मंजूर किया गया था उसका अंतिम उपयोग किया गया है।

परियोजनाओं के लिए उपदान विभिन्न चरणों पर विकास कार्यों के प्रगति के आधार पर तथा साइट पर पूर्व-विकासात्मक व विकासोपरांत दौरों के पश्चात संवितरित किया जाता है। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करके समुदाय के लोगों को भी शामिल करके परियोजनाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करके सहायता वितरित किया जाता है।

यह सुनिश्चित करने हेतु बैंक के पास एक तंत्र है कि समुदाय विकासात्मक प्रक्रिया अपनाता है।

under MGNREGA in four districts of Karnataka. This has helped the beneficiaries under the Scheme in getting the timely payment at their doorsteps/villages.

The Bank has also participated in implementation of Direct Benefit Transfer of Govt. Benefits. During the year 2015-16, benefits transferred under the scheme to the tune of ₹ 1215.90 Crores.

The Bank has provided inclusive growth vehicles called “Canara Gramin Vikas Vahini Vehicles” & 48 vehicles are deployed across the country. These vehicles accompanied by an Agriculture Extension Officer or general officer who are well aware of the Bank’s various rural development schemes visit the villages regularly for creating awareness among the rural mass about banking. The vehicles are also provided with the account opening forms and pamphlets of various schemes.

4. What is your company’s direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken.

The Bank has sanctioned a sum of 36.49 Crores (sponsorships) engaged in various community development and socio-economic welfare activities (Pl. refer to Section B Point No.5).

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

The Bank is obtaining a Certificate issued by a Chartered Accountant of the donee organization/ Institute confirming the end use of the donation for the purpose for which the donation was sanctioned by the Bank.

The grants for the projects are disbursed in stages depending upon the progress of the developmental work and after conducting pre-developmental and post-developmental site visits. The assistance are handed over by organizing public function involving the community members ensuring their participation in the projects.

The Bank has a mechanism to ensure that the community adopts to the developmental process.

सिद्धांत 9: कारोबार जिम्मेदारी से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से जुड़े और उन्हें सम्मान प्रदान करो।

1. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/ उपभोक्ता प्रकरण लंबित हैं?

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 35862 ग्राहक शिकायतों की 4.32% (1550) लंबित थी।

2. क्या कंपनी, स्थानीय नियमों की अनिवार्यता के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की सूचना प्रदर्शित करती है? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणियाँ (अतिरिक्त सूचनाएं)

बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी पैम्फलेट्स और ब्रोशर के माध्यम से शाखाओं में उपलब्ध करायी जाती है और इसे बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध कराया गया है।

3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित कारोबार व्यवहार, गैर जिम्मेदारान विज्ञापन और / या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के किसी भी मामले के बारे में कंपनी के खिलाफ किसी भी श्रेयरधारक द्वारा मामला दायर किया गया है और जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें।

शून्य

4. क्या आपकी कंपनी ने किसी भी उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रुझान का पता लगाया है?

बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए और अपने ग्राहकों से सीधे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, एक स्व- निहित, स्टैंपयुक्त प्रश्नावली उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए ग्राहकों को वितरित करने लिए बैंक की शाखाओं को उपलब्ध कराया गया था। सर्वेक्षण के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1. 94% ग्राहक एटीएम संबंधित सेवाओं से संतुष्ट हैं।
2. 83% ग्राहक इंटरनेट सेवाओं से संतुष्ट हैं।
3. समग्र रूप से 91% ग्राहक बैंक की सेवाओं से संतुष्ट थे।

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.

4.32% (1550) of the 35862 customer complaints received were pending as at the end of the financial year.

2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks(additional information)

The information about the products and services offered by the Bank are made available in the branches through pamphlets and brochures and is also made available in the Bank's website.

3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Nil.

4. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

To assess the quality of customer service rendered by the Bank's branches and to get the feedback directly from the customers, a self contained, prestamped questionnaire was made available to all branches for distributing the same to customers for providing their feedback. The finding of the Survey is as under:

1. 94% of the customers were satisfied with ATM related services.
2. 83% of the customers were satisfied with internet services.
3. Overall 91% of the customers were satisfied with the Bank's services.



कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक
मंडल की रिपोर्ट
2015-2016



**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON
CORPORATE GOVERNANCE
2015-2016**

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1) कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर बैंक का दर्शन:

“कॉर्पोरेट अभिशासन सभी हितधारकों के सुस्थिर विकास हेतु संपदा के प्रभावी प्रबंधन और वितरण तथा सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन आचरणों का अनुप्रयोग, कानून का अक्षरशः अनुपालन एवं नैतिक मानकों का अनुसरण किया जाना है।”

केनरा बैंक की संकल्पना आस्ति संविभाग, ग्राहकोन्मुखता, उत्पाद नवोन्मेषण, लाभप्रदता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम आचरण तथा हितधारकों को संवर्धित मूल्य के साथ विश्व स्तरीय बैंक के रूप में उभरना है। इस संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों में बैंक कॉर्पोरेट अभिशासन की प्रभावी प्रणाली पर अधिकतम बल दे रहा है। निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र और कार्यपालकों के बीच की अंतः क्रिया ऐसे विन्यस्त है कि उनकी एक स्पष्ट और अलग भूमिका हो ताकि खास तौर पर अपने हितधारकों को और आमतौर पर जनता को संवर्धित मूल्य प्राप्त हो सके।

समग्र उद्देश्य कंपनी मूल्यों, आचार संहिताओं तथा समुचित व्यवहार के अन्य मानकों के पालन द्वारा समस्त हितधारकों—जमाकर्ताओं, शोयरधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को इष्टतम सुस्थिर मूल्य उपलब्ध कराना है।

2) निदेशक मंडल:

बैंक के निदेशक मंडल का गठन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 9(3) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के अनुसार किया गया है।

बैंक के बोर्ड में गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने बैंकिंग और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में अपने बहुविध एवं दीर्घकालिक अनुभवों से बैंक की प्रगति में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया है।

बोर्ड के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट “क” व “ख” में दिये गये हैं।

3) लेखापरीक्षा समिति:

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (ए सी बी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार की दिशानिर्देशों अनुसार किया गया है।

Report of the Board of Directors on Corporate Governance

1) Bank's philosophy on Corporate Governance:

“Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders.”

The vision of Canara Bank is to emerge as a World Class Bank with best practices in the realms of Asset Portfolio, Customer Orientation, Product Innovation, Profitability and enhanced value for stakeholders. In its endeavour to attain the goal visualized, the bank is laying maximum emphasis on the effective system of Corporate Governance. The interaction between the Board, Senior Management and the Executives is so configured as to have a distinctly demarcated role so as to derive enhanced value to its stakeholders in particular and society in general.

The overall objective is to optimize sustainable value to all stakeholders—depositors, Shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to Corporate values, Codes of conduct and other standards of appropriate behaviour.

2) Board of Directors:

The Board of the Bank has been constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of undertaking} Act 1970 (as amended) and Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended).

The Board of the Bank consists of eminent personalities, who through their rich and varied experiences in Banking and other related fields have made significant contribution towards the progress of the bank.

The composition of members of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

3) Audit Committee:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the bank as per guidelines of Reserve Bank of India and the Government of India.

- i) यह समिति बैंक के समग्र लेखापरीक्षा कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ निदेश भी प्रदान करती है।
- ii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का मुख्य कार्य निम्नवत हैं:
 - क. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना एवं सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना।
 - ख. लेखांकन नीतियों और व्यवहारों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखांकन मानदंडों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन तंत्र के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, तथा
 - ग. बाह्य एवं आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पहले बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना तथा बैंक की वित्त एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।
- iii) यह समिति बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा लॉन्ग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठाये गये मामलों के बारे में स्थिति की समीक्षा करती है।
- iv) यह समिति भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में उठाये गये सभी मामलों / टिप्पणियों का अनुवर्तन भी करती है।
- v) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन कक्ष, अंतर-शाखा लेखा समाधान अनुभाग आदि से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र आरबीआई/2010-11/269-डीबीएस. एआरएस.बीसी संख्या: 4/08.91.20/2010-11, दिनांक 10.11.2010 द्वारा समीक्षा कैलेण्डर सूचित किया है जिसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को अमल करना है। इन मदों को आवधिक समीक्षा के लिए बैंक की कॉर्पोरेट अभिज्ञासन नीति में शामिल किया गया है और इन्हें समीक्षा कैलेण्डर के मुताबिक लेखा परीक्षा समिति के सामने विधिवत रखा जाता है।

लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" में दिये गये हैं।

4) (i) नामांकन समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक की संसूचना डीबीओडी सं. बीसी सं. 47/29.39.001/2007-28 दिनांक 01.11.2007 के संदर्भ में बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों अनुसार मौजूदा निर्वाचित श्रेयधारक निदेशकों / प्रस्तावित उम्मीदवारों

- i) ACB provides directions and also oversees the operation of the total Audit function of the Bank.
- ii) The main functions of the committee are as under:
 - a. To oversee the bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
 - b. Reviewing with the management, the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance with accounting standards and other legal requirements, concerning financial statements and
 - c. Review the adequacy, quality and effectiveness of external and internal audit, internal control system, interaction with external auditors before finalization of Annual accounts and reports, review Bank's finance and risk management policies..
- iii) ACB reviews the position with regard to issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).
- iv) It follows up on all the issues / concerns raised in the Inspection Report of RBI.
- v) ACB also makes a review of reports received from Compliance Cell, Inter-Branch Account Reconciliation (IBAR) section, etc.

The Reserve Bank of India, vide their letter RBI/2010-11/269-DBS.ARS.BC.NO. 4/08.91.20/2010-11, dated 10.11.2010, conveyed the Calendar of Reviews to be followed by the Audit Committee of the Board. These items have been incorporated in the Corporate Governance Policy of the Bank for periodical review and are duly placed before the Audit Committee as per Calendar of Reviews.

The composition of members of Audit Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

4) (i) Nomination Committee:

In terms of RBI Communication DBOD No. BC.No. 47/29.39.001/2007-08, dated 01.11.2007, the Board of the Directors of the Bank had constituted

के “उपयुक्तता व माकूलता” स्थिति निर्धारित करने की समुचित प्रक्रिया शुरू करने के उद्देश्य से एक नामांकन समिति का गठन किया गया। समिति आवश्यकतानुसार बैठक आयोजित करेगी। शेयरधारक निदेशकों के निर्वाचन प्रक्रिया नहीं होने के कारण तथा निर्वाचित शेयरधारक निदेशकों द्वारा यथा 31.03.2015 को प्रस्तुत घोषणाओं (जीवन वृत्त) में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होने के कारण वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) पारिश्रमिक समिति:

भारत सरकार के पत्र एफ सं. 20/1/2005-बीओ.आई, दिनांक 09.03.2007 के संदर्भ में भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ बैंक के निदेशक मंडल ने पारिश्रमिक समिति गठित की है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक ने पूर्णकालिक निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2014-15 से संबंधित कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया। पारिश्रमिक समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण और बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध "क" तथा "ख" में दिये गये हैं।

5) निदेशकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान:

क) निदेशकों को पारिश्रमिक, भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार अदा किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त वेतन विवरण निम्नवत हैं:

नाम व पदनाम	राशि (₹)
श्री राकेश शर्मा प्रबंध निदेशक व मु.का.अ.	11,72,394.33
श्री प्रद्युमन सिंह रावत कार्यपालक निदेशक	23,10,864.10
श्री हरिदीश कुमार बी कार्यपालक निदेशक	18,26,956.94
श्री दीनबंधु महापात्र कार्यपालक निदेशक	3,51,769.73
श्री वी एस कृष्णकुमार भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक (दिनांक 30.04.2015 तक)	5,62,970.50
श्री राजीव किशोर दुबे भूतपूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (केवल प्रोत्साहन राशि)	3,00,822.00
श्री अशोक कुमार गुप्ता भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक (केवल प्रोत्साहन राशि)	2,34,521.00
कुल	67,60,298.60

a Nomination Committee to undertake a process of due diligence to determine the “Fit and Proper” status of the existing elected Shareholder Directors/ Proposed Candidates as per the guidelines of RBI. The Committee shall meet as and when required. It didn't meet during 2015-16, since there was no process of election of Shareholder Directors and also no significant changes in the declarations (bio-data) submitted by the elected Shareholder Directors as on 31.03.2015 for conducting due diligence exercise.

(ii) Remuneration Committee:

In terms of GOI Letter F.No 20/1/2005-BO.I Dt. 09.03.2007, the Board of Directors of the Bank had constituted a Remuneration Committee to evaluate the performance of whole time directors as per GOI guidelines. During the financial year 2015-16, the Bank has paid the performance linked incentives pertaining to the financial year 2014-15 to the Whole-time Directors. The composition of members of Remuneration Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

5) Remuneration to Directors:

a) Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of salary paid to the whole-time Directors of the Bank, during the year 2015-16 are as under:

Name & Designation	Amount (₹)
Shri Rakesh Sharma MD & CEO	11,72,394.33
Shri Pradyuman Singh Rawat Executive Director	23,10,864.10
Shri Harideesh Kumar B Executive Director	18,26,956.94
Shri Dinabandhu Mohapatra Executive Director	3,51,769.73
Shri V S Krishna Kumar Ex - Executive Director (up to 30.04.2015)	5,62,970.50
Shri R K Dubey Ex-Chairman & Managing Director (incentive only)	3,00,822.00
Shri Ashok Kumar Gupta Ex-Executive Director (incentive only)	2,34,521.00
TOTAL	67,60,298.60

क) गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक राशि नहीं दी जा रही है। स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क परिशिष्ट 'ग' में दी गई है।

b) Non- Executive Directors are not being paid any other remuneration except Sitting Fees as fixed by Government of India. The sitting fees paid to the Directors is given in the Appendix C.

6) हितधारक संबंध समिति (पूर्व में शेयर धारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति):

इस समिति द्वारा शेयरों का अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होना, घोषित लाभांश वारंट प्राप्त न होना आदि सहित प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण का अनुप्रवर्तन किया जाता है।

6) Stakeholders Relationship Committee:

The Committee monitors the redressal of the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer of shares, non- receipt of balance sheet, non-receipt of declared dividend warrants.

शेयरधारक शिकायत सांख्यिकी:	
प्राप्त शिकायतों की संख्या	1186
ऐसी शिकायतें जिनके समाधान से शेयरधारक संतुष्ट नहीं हुए	शून्य
लंबित शिकायतें	शून्य

Shareholders' Grievances Statistics:	
Complaints Received	1186
Complaints not solved to the satisfaction of shareholders	Nil
Pending complaints	Nil

उपर्युक्त शिकायतों में से एक भी शिकायत एक महीने से अधिक लंबित नहीं थी।

None of the above complaints were pending for more than a month.

सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 की विनियम 6 (1) के अनुसार श्री बी नागेश बाबू, कंपनी सचिव बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

In terms of Regulation 6(1) of SEBI(LODR) Regulations, 2015, Shri B Nagesh Babu, Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank.

हितधारक संबंध समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट "क" तथा "ख" में दिये गये हैं।

The Composition of members of Stakeholders Relationship Committee and details of attendance at the meeting are given in appendix A & B.

अन्य समितियाँ:

Other Committees:

(क) प्रबंधन समिति:

(a) Management Committee:

बोर्ड की प्रबंधन समिति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) की खंड 13 के प्रावधानों के अनुसार गठित की गई है। प्रबंधन समिति द्वारा साख प्रस्तावों की मंजूरी, ऋणों, बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव का समझौता / निपटान, पूंजी और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराये पर लेना, वादों / अपीलों को दायर करना, निवेश, दान और बोर्ड की समिति को संदर्भित या प्रत्यायोजित अन्य मामलों के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है।

The Management Committee of the Board is constituted as per the clause 13 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended). The Management Committee exercises all the powers vested with the Committee in respect of sanctioning of credit proposals, compromise/ settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing of suits/ appeals, investment, donations and any other matter referred to or delegated to the Committee by the Board.

प्रबंधन समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं।

The composition of members of Management Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A&B.

(ख) जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल और बैंक के परिचालन की व्याप्ति के अनुरूप बैंक ने उचित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ रूपायित की हैं।

बैंक के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन पद्धति हेतु नीति एवं रणनीति रूपायित करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

चूँकि जोखिम प्रबंधन पद्धति को समिति दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित करना है, तीन उच्च स्तरीय समितियाँ अर्थात् साख जोखिम प्रबंधन समिति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति एवं परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित हैं जो जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी सामान्य जोखिमों से प्रावरित मामलों को संभालती हैं। इन चारों समितियों के अध्यक्ष, बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक हैं तथा वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा इस मामले में उनकी सहायता की जाती है।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण और बैठक में उनकी उपस्थिति के विवरण अनुबंध 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं।

(ग) आस्ति देयता प्रबंधन समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के आधार पर बैंक ने आंतरिक आस्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्यों में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल होते हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्यों की व्याप्ति निम्नांकित है :

- क) तरलता जोखिम प्रबंधन
- ख) बाज़ार जोखिम प्रबंधन
- ग) व्यापारिक जोखिम प्रबंधन
- घ) निधीयन एवं पूंजी आयोजना
- ङ) लाभ आयोजना एवं विकास आयोजना

आस्ति देयता प्रबंधन समिति निवल ब्याज आय पर आस्ति व देयता दोनों की ब्याज दरों में परिवर्तन से होनेवाले प्रभाव एवं तरलता स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श करती है।

(b) Risk Management Committee:

The Bank has evolved suitable Risk Management Policies consistent with the size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank.

A Board Level Risk Management Committee has been formed, with the responsibility of devising policy and strategy for integrated Risk Management System for the Bank.

As the Risk Management system is required to be implemented through a Committee approach, four high level committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee and Group Risk Management Committee are in place to deal with the issues relating to Risk Management covering all generic risks. The MD&CEO or ED of the Bank is the Chairman for all the four Committees, assisted by the Senior Level Executives of the Bank.

The composition of members of Risk Management Committee of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

(c) Asset Liability Management Committee:

Based on RBI directives, the Bank has set up an internal Asset Liability Management Committee (ALCO) headed by MD&CEO or ED of the Bank. The other members of the Committee include the Senior Executives of the Bank.

The scope of ALCO functions is as follows:

- A) Liquidity risk management
- B) Management of market risk
- C) Trading risk management
- D) Funding and capital Planning
- E) Profit Planning & Growth Planning

The ALCO deliberates in detail over the liquidity position and the impact of changes in the interest rates of both assets and liabilities on the Net- Interest Income.

7) सामान्य बैठकें:

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं:

दिनांक	समय	स्थान
22.07.2013	10 पूर्वाह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूरु- 560 001
21.07.2014	3.30 अपराह्न	सभागृह - 1, निमहंस, कंवेसन सेंटर, होसूर मेन रोड, होम्बेगौड़ा नगर, बेंगलूरु - 560 029
14.07.2015	3.30 अपराह्न	सभागृह - 1, निमहंस, कंवेसन सेंटर, होसूर मेन रोड, होम्बेगौड़ा नगर, बेंगलूरु - 560 029

पिछली सामान्य वार्षिक बैठक (अर्थात दिनांक 14.07.2015 को आयोजित बैंक की बारहवीं सामान्य बैठक) में कोई विशेष संकल्प नहीं रखा गया था तथा डाक मतदान भी नहीं किया गया।

13वीं सामान्य बैठक में उपस्थित निदेशकों के विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिये गये हैं।

बैंक ने दिनांक 30.04.2015 तथा 29.09.2015 को ₹10 के अंकित मूल्य वाले 4 करोड़ ईक्विटी शेयर (₹370.08/- के प्रीमियम सहित ₹380.08/- की निर्गम मूल्य पर) तथा 2,77,94,083 ईक्विटी शेयर (₹330.72/- के प्रीमियम सहित ₹340.72/- की निर्गम मूल्य पर) क्रमशः जीवन बीमा निगम/ जीवन बीमा निगम की योजनाओं व भारत सरकार को अधिमानी आधार पर निर्गमित / आबंटित करने के लिए शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से एक विशेष संकल्प के माध्यम से एक असाधारण सामान्य बैठक आयोजित किया है।

8) संप्रेषण का माध्यम:

केनरा बैंक, बैंक से संबंधित जानकारी मुख्यतया बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के ज़रिए देता है, जिसमें कॉर्पोरेट अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा, नकद प्रवाह विवरण आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को अखबारों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंज को सूचना, प्रेस विज्ञप्तियाँ एवं बैंक की वेबसाइट आदि के ज़रिए भी जानकारी दी जाती है। बैंक, कार्यालयीन समाचार विज्ञप्तियाँ / प्रस्तुतीकरण भी वेबसाइट www.canarabank.com में प्रदर्शित करता है।

सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 की सूचीबद्धता सहमति खंड 41 / विनियम 33 के अनुसार वित्तीय परिणाम और मूल्य में संवेदनशीलता संबंधी अन्य सूचनाएं स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती हैं।

7) General Body meetings:

The details of last three Annual General Meetings held are furnished here below:

Date	Time	Venue
22.07.2013	10 am	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru - 560 001
21.07.2014	3.30 pm	Auditorium - 1, NIMHANS Convention Centre, Hombegowda Nagar, Hosur Main Road, Bengaluru - 560 029
14.07.2015	3.30 pm	Auditorium - 1, NIMHANS Convention Centre, Hombegowda Nagar, Hosur Main Road, Bengaluru - 560 029

One special resolution was put through in last Annual General Meeting (ie., 13th AGM of the Bank held on 14.07.2015) and there were no postal ballot exercise.

Details of attendance of Directors at the 13th Annual General Meeting are given in Appendix B.

The Bank has conducted two Extraordinary General Meetings on 30.04.2015 and 29.09.2015 for the purpose of obtaining consent of the shareholders by way of a Special Resolution to issue / allot 4.00 Crore equity shares (at an Issue Price of ₹ 380.08 including premium of ₹ 370.08) and 2,77,94,083 equity shares (at an Issue Price of ₹ 340.72 including premium of ₹ 330.72) of face value of ₹ 10/- to LIC of India / the schemes of LIC and the Government of India (GOI) respectively on preferential basis.

8) Means of communication:

Canara Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors report, audited accounts, cash flow statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances, through publication in news papers, intimation to stock exchanges, press releases and through website at www.canarabank.com. The Bank also displays official News releases, presentations in its website. :

In terms of Clause 41 of the Listing Agreement/ Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Financial Results and other price sensitive informations are furnished to Stock Exchanges.

परिणामों का प्रकाशन:

समाप्त तिमाही	प्रकाशन की तारीख	समाचार पत्र	
		देशी भाषाएं	राष्ट्रीय
31.03.2015	25.05.2015	प्रजावाणी	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेजी व हिन्दी), बिजनेस लाइन, इकोनॉमिक टाइम्स व फाइनेंसियल एक्सप्रेस
30.06.2015	05.08.2015	विजय कर्नाटका	बिजनेस स्टैण्डर्ड, नवभारत टाइम्स (हिन्दी)
30.09.2015	04.11.2015	प्रजावाणी	बिजनेस लाइन, मिंट, बिजनेस स्टैण्डर्ड (हिन्दी)
31.12.2015	12.02.2016	प्रजावाणी	बिजनेस स्टैण्डर्ड व मिंट

9) शेयरधारकों को सामान्य सूचना:

वित्तीय कैलेंडर:

वित्तीय वर्ष	2015-2016
बही बंद होने की तारीख (दोनों दिन सहित)	16.07.2016 - 26.07.2016
प्रॉक्सि फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21.07.2016
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख	26.07.2016

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण:

निम्नांकित स्टॉक एक्सचेंजों में केनरा बैंक के शेयरों का सूचीकरण किया गया है। संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों का स्टॉक कूट उनके नाम के आगे दिया गया है।

1	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	532483
2	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	CANBK

वर्ष 2015-16 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान निर्धारित देय तिथि के अंदर किया गया है।

Publication of Results:

Quarter Ended	Date of Publication	Newspaper	
		Vernacular	National
31.03.2015	25.05.2015	Prajavaani	Business Standard (English & Hindi), Business Line, Economic Times and Financial Express
30.06.2015	05.08.2015	Vijay Karnataka	Business Standard, Navabharat Times (Hindi)
30.09.2015	04.11.2015	Prajavaani	Business Line, Mint, Business Standard (Hindi)
31.12.2015	12.02.2016	Prajavaani	Business Standard and Mint

9) General Shareholders' Information:

Financial Calendar:

Financial year	2015-2016
Book Closure Date (Both days inclusive)	16.07.2016 - 26.07.2016
Last Date for receipt of proxy forms	21.07.2016
Date of Annual General Meeting	26.07.2016

Listing on Stock Exchanges:

Canara Bank shares are listed at the following Stock Exchanges. Stock Codes of respective stock exchanges are furnished against their names.

1	Bombay Stock Exchange Ltd.	532483
2	National Stock Exchange of India Limited	CANBK

Annual Listing fee to stock exchanges for the year 2015-16 has been paid within the prescribed due date.

बाजार मूल्य आंकड़े

माह	वर्ष	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.		
		अधि- कतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा	अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा
अप्रैल	2015	411	364	27,84,586	411	365	3,28,56,879
मई	2015	391	332	40,96,714	391	333	4,38,41,600
जून	2015	346	275	43,56,655	347	275	5,19,47,791
जुलाई	2015	303	254	37,39,455	303	254	4,19,76,918
अगस्त	2015	360	267	1,05,91,035	360	266	10,60,66,379
सितंबर	2015	290	251	67,90,461	290	251	6,48,78,473
अक्टूबर	2015	305	275	33,33,165	305	275	3,68,56,272
नवंबर	2015	284	262	40,89,118	284	262	3,33,49,122
दिसंबर	2015	274	233	37,61,638	274	232	3,32,50,482
जनवरी	2016	240	168	57,90,283	240	167	5,27,45,517
फरवरी	2016	208	156	1,00,58,215	208	156	8,78,76,113
मार्च	2016	195	158	69,16,599	195	159	6,32,08,391

Market Price Data

Month	Year	Bombay Stock Exchange Ltd.			National Stock Exchange of India Ltd.		
		High (₹)	Low (₹)	Volume No.	High (₹)	Low (₹)	Volume No.
April	2015	411	364	27,84,586	411	365	3,28,56,879
May	2015	391	332	40,96,714	391	333	4,38,41,600
June	2015	346	275	43,56,655	347	275	5,19,47,791
July	2015	303	254	37,39,455	303	254	4,19,76,918
August	2015	360	267	1,05,91,035	360	266	10,60,66,379
September	2015	290	251	67,90,461	290	251	6,48,78,473
October	2015	305	275	33,33,165	305	275	3,68,56,272
November	2015	284	262	40,89,118	284	262	3,33,49,122
December	2015	274	233	37,61,638	274	232	3,32,50,482
January	2016	240	168	57,90,283	240	167	5,27,45,517
February	2016	208	156	1,00,58,215	208	156	8,78,76,113
March	2016	195	158	69,16,599	195	159	6,32,08,391

अन्य प्रकटन:

सेबी ने अपने परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/10/2010 दिनांक 16.12.2010 द्वारा इक्विटी लिस्टिंग करार के खण्ड 5ए में संशोधन किया है। संशोधन अनुसार, सार्वजनिक या किसी अन्य निर्गम के परिणामस्वरूप भौतिक रूप में जारी किये गये शेयरों, जो अदावी रह जाते हैं, के लिए जारीकर्ता कंपनी द्वारा उसमें निर्धारित प्रक्रिया अपनानी है।

बैंक ने 2002-03 के दौरान आईपीओ जारी करके निवेशकों को ₹10/- अंकित मूल्य के 41 करोड़ इक्विटी शेयर भौतिक और डीमैट दोनों रूपों में जारी किये।

सेबी (एल ओ डी आर) विनियम की अनुसूची V की मद एफ के अनुसार, भौतिक शेयरों के मामले में अदावी शेयर जारीकर्ता बैंक द्वारा निक्षेपागार सहभागी के साथ खोले गए उचंत खाते में जमा किया जाना है। तदनुसार बैंक ने केनरा बैंक, डीपी कक्ष, बेंगलूरु में एक डीमैट खाता खोला है। तदसंबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

खाते का नाम: केनरा बैंक- अदावी उचंत खाते - भौतिक शेयर डीपीआईडी / ग्राहक पहचान संख्या : 301356 / 20552606

विवरण	शेयर प्रमाणपत्रों की संख्या	शेयरों की संख्या
यथा 01.04.2012 को	4 (Unclaimed)	2200
2012-13 में अदावी उचंत खाते को अंतरित (उपर्युक्तानुसार)	2	1200
पहचान किए गए / डी आर टी मामले	1	500
पहचान किए गए तथा 2013-14 में हस्तांतरित	1	500
यथा 31.03.2015 को लंबित	--	--

यथा 31.03.2016 को स्थिति शून्य है।

Other Disclosures:

The SEBI, vide its Circular CIR/CFD/DIL/10/2010, dated 16.12.2010, made amendments to Clause 5A of the Equity Listing Agreement. As per the amendment, for shares issued in physical form pursuant to a public issue or any other issue, which remain unclaimed, the issuer company has to follow the procedure prescribed therein.

The Bank had gone for IPO during 2002-03 and issued 41 Crore Equity Shares of face value of ₹ 10/- to the investors both under Physical mode and Demat mode.



In terms of Item F of Schedule V of SEBI (LODR) Regulations, the Unclaimed shares of the Bank in respect of Physical shares shall be credited to a demat suspense account opened by the issuer with one of the depository participants. Accordingly, the Bank had opened a Demat Account with Canara Bank, DP Cell, Bangalore. The details are as under:







Name of the Account: Canara Bank – Unclaimed Suspense Account – Physical Shares DPID / Client ID Number: 301356 / 20552606

Particulars	No. of Share Certificates	No. of Shares
As on 01.04.2012	4 (Unclaimed)	2200
Transferred to Unclaimed Suspense Account (as stated above) in 2012-13	2	1200
Identified / DRT Case	1	500
Identified & handed over in 2013-14	1	500
Pending as on 31.03.2016	--	--

As on 31.03.2016, the position is Nil

व्यापक आधार सूचकांकों के प्रति कार्यनिष्पादन / Performance in comparison to Broad Based Indices





रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट

कार्वा कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट: केनरा बैंक
कार्वा सेलिनियम टावर बी, प्लॉट सं. 31-32,
गाच्चीबोवली, नानाक्रमगुडा वित्तीय जिला
सेरिलिंगमपल्लि, हैदराबाद - 500 032

शेयर अंतरण प्रणाली

(क) भौतिक शेयर:

शेयरों के अंतरण / प्रेषण के लिए अंतरण विलेख के साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र, बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वा कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अग्रेषित करना चाहिए।

(ख) डीमैट रूप में शेयर:

विभौतिक रूप में शेयर हों तो, उनको अंतरित करने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी को सुपुर्दगी अनुदेश देने हैं।

शेयर धारण का सवितरण

श्रेणीवार

(31.03.2016)

क्र सं	श्रेणी	# शेयरों की संख्या	शेयर धारण का %
1	भारत सरकार	(*) 359991054	66.30
2	बैंक व वित्तीय संस्थाएं	3258881	0.60
3	बीमा कंपनियां	(**) 76534724	14.10
4	म्यूचुअल फंड	21032311	3.87
5	कॉर्पोरेट निकाय	6680296	1.23
6	एन आर आई / ओ सी बी	1066316	0.20
7	निवासी व्यक्ति / अविभक्त हिन्दू परिवार / न्यास आदि	35696798	6.57
8	विदेशी संस्थागत निवेशक	38730674	7.13
	कुल	542991054	100.00

प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य ₹10/- है

(*) नोट: बैंक ने दिनांक 30.09.2015 को अधिमानित आधार पर भारत सरकार को 2,77,94,083 इक्विटी शेयर निर्गमित / आबंटित किया है।

(**) The Bank had issued / allotted 4.00 Crore equity shares to LIC of India / the schemes of LIC on Preferential basis on 12.05.2015.

Registrar and transfer Agent

Karvy Computershare Pvt. Ltd
Unit: Canara Bank
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda
Serilingampally, HYDERABAD - 500 032

Share Transfer System

(a) Physical Shares:

The Original Share Certificates along with transfer deed should be forwarded to M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, Hyderabad, the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank for transfer / transmission of shares.

(b) Shares in Demat form:

In case the shares are in demat form, Delivery Instructions are to be given to the concerned Depository Participant (DP) for transfer of shares.

Distribution of Shareholding

Category wise

(31.03.2016)

Sl No.	Category	# No. of shares	% of share holding
1	Government of India	(*) 359991054	66.30
2	Banks & Financial Institutions	3258881	0.60
3	Insurance Companies	(**) 76534724	14.10
4	Mutual Funds	21032311	3.87
5	Bodies Corporate	6680296	1.23
6	NRIs / OCBs	1066316	0.20
7	Resident Individuals / HUF / Trust etc.	35696798	6.57
8	Foreign Institutional investors / FPIs	38730674	7.13
	TOTAL	542991054	100.00

Nominal value of each share is ₹10/-

(*) Note: The Bank had issued / allotted 2,77,94,083 equity shares to Government of India on Preferential basis on 30.09.2015.

(**) The Bank had issued / allotted 4.00 Crore equity shares to LIC of India / the schemes of LIC on Preferential basis on 12.05.2015.

मूल्य वार:

शेयर धारण	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5000 तक	161819	92.86	18869917	3.48
5001 से 10000	8584	4.92	6911300	1.27
10001 से 20000	2181	1.25	3219604	0.59
20001 से 30000	588	0.34	1488640	0.27
30001 से 40000	239	0.14	858405	0.16
40001 से 50000	166	0.10	754062	0.14
50001 से 100000	292	0.17	2143771	0.39
100001 व उससे अधिक	394	0.22	508745355	93.70
कुल	174263	100	542991054	100.00

Value wise:

Shareholding	No. of Shareholders	%	No. of Shares	%
Up to 5000	161819	92.86	18869917	3.48
5001 to 10000	8584	4.92	6911300	1.27
10001 to 20000	2181	1.25	3219604	0.59
20001 to 30000	588	0.34	1488640	0.27
30001 to 40000	239	0.14	858405	0.16
40001 to 50000	166	0.10	754062	0.14
50001 to 100000	292	0.17	2143771	0.39
100001 and above	394	0.22	508745355	93.70
TOTAL	174263	100	542991054	100.00

शेयरों का डीमैटीकरण व तरलता:

बैंक के शेयरों की खरीद-फरोख्त अनिवार्यतः डीमैट रूप में ही किया जाता है। अपने शेयर के डीमैटीकरण के लिए बैंक मेसर्स नैशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और मेसर्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) के साथ करार में प्रविष्ट हुआ। बैंक शेयर के लिए आर्बिटि आईएसआईएन आईएनई.476ए01014 है। शेयरों का डीमैटीकरण उनकी आसान तरलता सुनिश्चित करता है।

बैंक के शेयरों का डीमैट रूप में ही खरीद फरोख्त होने के कारण भौतिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारकों को किसी निक्षेपागार सहभागी के पास डीमैट खाता खोलकर शेयरों के डीमैट रूप में बदलने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी को भेजना है, जो उन्हें आगे मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को भेजेंगे, जो बैंक का रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट है।

विभौतिकीकृत / भौतिक रूप से धारण (31.03.2016)

	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भौतिक	26219	15.05	6001042	1.11
इलेक्ट्रॉनिक-एनएसडीएल	106512	61.12	168452885	31.02
इलेक्ट्रॉनिक-सीडीएसएल	41532	23.83	368537127	67.87
कुल	174263	100.00	542991054	100.00

जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखतें बकाया नहीं हैं।

पत्राचार का पता

केनरा बैंक
सचिवीय प्रभाग
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
का सचिवालय
प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड
बेंगलूरु - 560 002
ई-मेल पता: hosecretarial@canarabank.com

Dematerialisation of shares and liquidity:

The Bank's shares are traded compulsorily in dematerialized form only. The Bank has entered into agreement with M/s National Securities Depository Limited (NSDL) and M/s Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) for Dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN allotted to the Bank's shares is INE476A01014. Dematerialisation of the shares ensures easy liquidity.

Since the shares of the Bank are traded in demat mode, the shareholders holding shares in physical form, have to open Demat Accounts with any of the Depository Participant (DP) and surrender their original share certificates to the concerned Depository Participant (DP) for onward transmission to M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad, the R & T Agents of the Bank, for conversion of shares in demat form.

Demat / Physical Holding (31.03.2016)

	Number of Shareholders	%	Number of Shares	%
Physical	26219	15.05	6001042	1.11
Electronic-NSDL	106512	61.12	168452885	31.02
Electronic-CDSL	41532	23.83	368537127	67.87
TOTAL	174263	100.00	542991054	100.00

There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any convertible instruments

Address for Correspondence

CANARA BANK
SECRETARIAL DEPARTMENT
MD & CEO'S SECRETARIAT
HEAD OFFICE, 112, J C ROAD
BENGALURU - 560 002
EMAIL ID: hosecretarial@canarabank.com

10) प्रकटन:

- क) बैंक के संबंधित रिपोर्ट से लेन-देन यथा 31.03.2016 के तुलनपत्र के लेखा संबंधी टिप्पणी अनुसूची 18 में प्रकट किये गये हैं। आगे, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान भौतिक रूप से महत्वपूर्ण पार्टी संव्यवहार नहीं है।
- ख) बैंक ने अपने शेयरों का सूचीकरण कराने के बाद पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है। गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी अथवा किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर न कोई दंड लगाया गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।
- ग) बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई है तथा व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान किया गया है।
- घ) बैंक ने विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 की विनियम 27(1) की विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यावयन की मात्रा निम्नवत है:

10) Disclosures:

- a) The Related Party Transactions of the Bank are disclosed in the notes on accounts schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2016. Further, there are no materially significant related party transactions during the financial year 2015-16.
- b) The Bank has complied with all matters related to capital market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities on any matter related to capital Markets, during the last three years.
- c) The Bank has drawn Whistle Blower Policy as per the GOI guidelines and the protection has been extended to the Whistle Blower.
- d) The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities.

The extent of implementation of Discretionary Requirements of Regulation 27(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:

क्र सं	विवेकाधीन आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
क	बोर्ड गैर कार्यपालक अध्यक्ष, अध्यक्ष के कार्यालय को संभालने हेतु सूचीगत इकाई के खर्चे पर अर्ह होंगे तथा अपने कार्यनिष्पादन हेतु प्रतिपूर्ति के लिए अनुमत होंगे।	हां
ख	शेयर धारक के अधिकार	बैंक ने वर्ष के दौरान किए गए उल्लेखनीय विकासों से संबंधित सार संक्षेप सहित वार्षिक वित्तीय परिणाम सारे शेयरधारकों को भेजा है। आगे, वर्ष 2015-16 की पहली छ:माही में महत्वपूर्ण घटनाओं सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की घोषणा 19.11.2015 को ई-मेल संसूचना प्रेषित की है।
ग	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित विचार	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई विशिष्टता जारी नहीं की है।
घ	अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग-अलग पद	भारत सरकार ने अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक व मु.का.अ. के पद के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नामित किया है।
ङ	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग	महा प्रबंधक, निरीक्षण विभाग (आंतरिक लेखापरीक्षा) तथा उनके द्वारा नामांकित अधिकारियों को सभी अभिलेखों, आस्तियों, कार्यकलापों तथा कार्मिकों और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति व वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र में पूर्ण व अप्रतिबंधित अभिगम है।

SI No.	Discretionary Requirements	Status of Implementation
A	The Board A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Yes
B	Shareholder Rights	The Bank has sent Annual Financial Results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders. Further, the Bank has sent an e-mail communication on 19.11.2015 on Half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the first half year of 2015-16.
C	Modified opinion(s) in audit report	Statutory Auditors have not issued any qualifications in their audit report for the year ended 31.03.2015
D	Separate Posts of Chairman and CEO	The Government of India has nominated / appointed separate persons to the post of Chairperson and MD&CEO.
E	Reporting of Internal Auditor	The General Manager, Inspection Wing (Internal Audit) and the officials nominated by him have unrestricted access to all records, assets, functions and personnel & have full and free access to the Audit Committee of the Board and Senior Management

च) व छ) कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधित नीतियों के प्रावधानों को बैंक की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है तथा इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

About Us -----> Shareholder Information (Page)-
----> Policies

ज) जिस मूल्य जोखिम व जिस हेजिंग क्रियाकलाप का प्रकटन: लागू नहीं

e) & f) The policies related to the provisions of Corporate Governance have been uploaded on the site of the Bank and the same can be viewed at the following link:

About Us -----> Shareholder Information (Page)-
----> Policies

g) Disclosure of Commodity price risks and commodity hedging activities : Not Applicable

परिशिष्ट क

i. निदेशक मंडल का सम्मिश्रण (31.03.2016)

क्र सं	नाम	प्रकार	कार्यकाल	अन्य बोर्डों में सदस्यता
1.	श्री टी एन मनोहरन	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष	14.08.2015-13.08.2018	1
2.	श्री राकेश शर्मा	प्र नि व मु का अ	11.09.2015-31.07.2018	8
3.	श्री प्रद्युमन सिंह रावत	का नि	05.08.2013-31.05.2016	4
4.	श्री हरिदीश कुमार बी	का नि	11.03.2015-31.05.2017	5
5.	श्री दीनबंधु महापात्र	का नि	22.01.2016-21.01.2019	शून्य
6.	श्री पंकज जैन	भा स	14.12.2015 को नामांकित	8
7.	श्रीमती उमा शंकर	भा रि बैं	23.02.2015 को नामांकित	शून्य
8.	श्री जी वी मणिमारन	अ नि	03.01.2014-02.01.2017	शून्य
9.	श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा	गैर का नि- स ले	06.12.2013-05.12.2016	1 (शेयरधारण)
10.	श्री साईराम भास्कर मोचेरला	गैर का नि	05.12.2013-04.12.2016	2
11.	श्री रजिन्दर कुमार गोयल	शे नि	27.07.2013-26.07.2016	7
12.	श्री संजय जैन	शे नि	27.07.2013-26.07.2016	1 (साझेदार)

Appendix A

i. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS (31.03.2016)

SI No.	NAME	TYPE	TERM OF OFFICE	MEMBERSHIP OF OTHER BOARDS
1.	SHRI T N MANOHARAN	Non-Executive Chairman	14.08.2015-13.08.2018	1
2.	SHRI RAKESH SHARMA	MD&CEO	11.09.2015-31.07.2018	8
3.	SHRI PRADYUMAN SINGH RAWAT	ED	05.08.2013-31.05.2016	4
4.	SHRI HARIDEESH KUMAR B	ED	11.03.2015-31.05.2017	5
5.	SHRI DINABANDHU MOHAPATRA	ED	22.01.2016-21.01.2019	Nil
6.	SHRI PANKAJ JAIN	GOI	Nominated on 14.12.2015	8
7.	SMT UMA SHANKAR	RBI	Nominated on 23.02.2015	Nil
8.	SHRI G V MANIMARAN	OD	03.01.2014-02.01.2017	Nil
9.	SHRI SUNIL HUKUMCHAND KOCHETA	NED - CA	06.12.2013-05.12.2016	1 (shareholding)
10.	SHRI SAIRAM BHASKAR MOCHERLA	NED	05.12.2013-04.12.2016	2
11.	SHRI RAJINDER KUMAR GOEL	SD	27.07.2013-26.07.2016	7
12.	SHRI SANJAY JAIN	SD	27.07.2013-26.07.2016	1 (Partner)

ii. 2015-16 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों का ब्यौरा

1.	श्री वी एस कृष्ण कुमार	का नि	04.04.2013-30.04.2015	ला.न.
2.	श्री रजत भार्गव	भा स	26.07.2013-13.12.2015	ला.न.

ii. PARTICULARS OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2015-2016

1.	SHRI V S KRISHNA KUMAR	ED	04.04.2013-30.04.2015	NA
2.	DR. RAJAT BHARGAVA	GOI	26.07.2013-13.12.2015	NA

संकेत / KEY

प्र नि व मु का अ / MD & CEO	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी / Managing Director & Chief Executive Officer
का नि / ED	कार्यपालक निदेशक / Executive Director
भा स / GOI	भारत सरकार निदेशक / Government of India
भा रि बैं / RBI	भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक / Reserve Bank of India
अ नि / OD	अधिकारी निदेशक / Officer Director
गैर का नि / NED	गैर-कार्यपालक निदेशक / Non-Executive Director
शे नि / SD	शेयरधारक निदेशक / Shareholder Director
काम. नि / WD	कामगार निदेशक / Workmen Director
ला न / NA	लागू नहीं / Not Applicable

iii. बोर्ड की समितियों का सम्मिश्रण / iii. COMPOSITION OF COMMITTEES OF THE BOARD

समिति / COMMITTEE	अध्यक्ष / CHAIRMAN	सदस्य / MEMBERS
प्रबंधन समिति Management Committee	श्री राकेश शर्मा Shri Rakesh Sharma	श्री प्रद्युमन सिंह रावत / Shri Pradyuman Singh Rawat श्री हरिदीश कुमार बी / Shri Harideesh Kumar B श्री दीनबंधु महापात्र / Shri Dinabandhu Mohapatra श्रीमती उमा शंकर / Smt Uma Shankar श्री जी वी मणिमारन / Shri G V Manimaran श्री रजिन्दर कुमार गोयल / Shri Rajinder Kumar Goel श्री संजय जैन / Shri Sanjay Jain
जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	श्री टी एन मनोहरन Shri T N Manoharan	श्री राकेश शर्मा / Shri Rakesh Sharma श्री प्रद्युमन सिंह रावत / Shri Pradyuman Singh Rawat श्री हरिदीश कुमार बी / Shri Harideesh Kumar B श्री दीनबंधु महापात्र / Shri Dinabandhu Mohapatra श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा / Shri Sunil Hukumchand Kocheta श्री साईराम भास्कर मोचेरला / Shri Sairam Bhaskar Mocherla श्री संजय जैन / Shri Sanjay Jain
लेखापरीक्षा समिति Audit Committee	श्री साईराम भास्कर मोचेरला Shri Sairam Bhaskar Mocherla	श्री टी एन मनोहरन / Shri T N Manoharan श्री प्रद्युमन सिंह रावत / Shri Pradyuman Singh Rawat श्री हरिदीश कुमार बी / Shri Harideesh Kumar B श्री दीनबंधु महापात्र / Shri Dinabandhu Mohapatra श्री पंकज जैन / Shri Pankaj Jain श्रीमती उमा शंकर / Smt Uma Shankar श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा / Shri Sunil Hukumchand Kocheta
शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति Stakeholders Relationship Committee	श्री रजिन्दर कुमार गोयल Shri Rajinder Kumar Goel	श्री प्रद्युमन सिंह रावत / Shri Pradyuman Singh Rawat श्री हरिदीश कुमार बी / Shri Harideesh Kumar B श्री दीनबंधु महापात्र / Shri Dinabandhu Mohapatra श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा / Shri Sunil Hukumchand Kocheta
पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee	श्री टी एन मनोहरन Shri T N Manoharan	श्री पंकज जैन / Shri Pankaj Jain श्रीमती उमा शंकर / Smt Uma Shankar श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा / Shri Sunil Hukumchand Kocheta श्री रजिन्दर कुमार गोयल / Shri Rajinder Kumar Goel

परिशिष्ट ख

निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा

क्र सं	नाम	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा परीक्षा बैठक	एस.आर.सी.* बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक	धारित शेयरों की संख्या
		उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित		
1.	श्री टी एन मनोहरन	9/9	-	8/8	-	3/3	-	शून्य
2.	श्री राकेश शर्मा	8/8	13/13	-	-	5/5	-	1101
3.	श्री प्रद्युमन सिंह रावत	11/14	17/19	13/14	1/2	8/9	✓	शून्य
4.	श्री हरिदीश कुमार बी	13/14	19/19	13/14	1/2	9/9	✓	शून्य
5.	श्री दीनबंधु महापात्र	3/3	3/3	3/3	1/1	2/2	-	शून्य
6.	श्री पंकज जैन	3/4	-	0/4	-	-	-	शून्य
7.	श्रीमती उमा शंकर	13/14	12/19	10/14	-	-	X	शून्य
8.	श्री जी वी मणिमारन	14/14	19/19	-	-	-	✓	शून्य
9.	श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा	14/14	-	14/14	2/2	2/2	✓	शून्य
10.	श्री सार्डराम भास्कर मोचेरला	13/14	-	13/14	-	9/9	✓	शून्य
11.	श्री रजिन्द्र कुमार गोयल	14/14	19/19	-	2/2	8/8	✓	100
12.	श्री संजय जैन	14/14	19/19	-	-	9/9	✓	200

वर्ष 2015-2016 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा

1.	श्री वी एस कृष्ण कुमार	1/1	-	2/2	-	1/1	-	शून्य
2.	डॉ. रजत भार्गव	4/10	-	3/10	-	-	X	शून्य

विभिन्न बैठकों की तारीख								
	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा परीक्षा बैठक	एस.आर.सी.* बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	पिछ-ली वार्षिक सामान्य बैठक	ई जी एम	
	30.04.15	02.05.15	01.04.15	19.11.15	13.04.15	14.07.15	30.04.15	
	25.05.15	16.05.15	20.04.15	16.03.16	08.06.15		29.09.15	
	18.06.15	08.06.15	25.05.15		26.06.15			
	20.07.15	26.06.15	18.06.15		14.07.15			
	05.08.15	20.07.15	05.08.15		29.09.15			
	31.08.15	14.08.15	29.09.15		03.11.15			
	05.10.15	16.09.15	04.11.15		22.12.15			
	04.11.15	28.09.15	18.11.15		05.02.16			
	19.11.15	16.10.15	10.12.15		16.03.16			
	11.12.15	03.11.15	11.01.16					
	12.01.16	18.11.15	12.02.16					
	12.02.16	01.12.15	29.02.16					
	22.02.16	11.12.15	16.03.16					
	21.03.16	22.12.15						
		22.01.16						
		11.02.16						
		29.02.16						
		17.03.16						
		29.03.16						

कुंजी: एस. आर. सी. : हितधारक संबंध समिति की बैठक

ला न: लागू नहीं

Appendix B

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS

SL. NO.	NAME	BOARD MEETING	MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SRC* MEETING	RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	NO. OF SHARES HELD
		Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held		
1.	SHRI T N MANOHARAN	9/9	-	8/8	-	3/3	-	Nil
2.	SHRI RAKESH SHARMA	8/8	13/13	-	-	5/5	-	1101
3.	SHRI PRADYUMAN SINGH RAWAT	11/14	17/19	13/14	1/2	8/9	✓	Nil
4.	SHRI HARIDEESH KUMAR B	13/14	19/19	13/14	1/2	9/9	✓	Nil
5.	SHRI DINABANDHU MOHAPATRA	3/3	3/3	3/3	1/1	2/2	-	Nil
6.	SHRI PANKAJ JAIN	3/4	-	0/4	-	-	-	Nil
7.	SMT UMA SHANKAR	13/14	12/19	10/14	-	-	X	Nil
8.	SHRI G V MANIMARAN	14/14	19/19	-	-	-	✓	Nil
9.	SHRI SUNIL HUKUMCHAND KOCHETA	14/14	-	14/14	2/2	2/2	✓	Nil
10.	SHRI SAIRAM BHASKAR MOCHERLA	13/14	-	13/14	-	9/9	✓	Nil
11.	SHRI RAJINDER KUMAR GOEL	14/14	19/19	-	2/2	8/8	✓	100
12.	SHRI SANJAY JAIN	14/14	19/19	-	-	9/9	✓	200

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2015-2016

1.	SHRI V S KRISHNA KUMAR	1/1	-	2/2	-	1/1	-	Nil
2.	DR. RAJAT BHARGAVA	4/10	-	3/10	-	-	X	Nil

DATES OF VARIOUS MEETINGS							
	BOARD MEETING	MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SRC* MEETING	RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	EGM
	30.04.15	02.05.15	01.04.15	19.11.15	13.04.15	14.07.15	30.04.15
	25.05.15	16.05.15	20.04.15	16.03.16	08.06.15		29.09.15
	18.06.15	08.06.15	25.05.15		26.06.15		
	20.07.15	26.06.15	18.06.15		14.07.15		
	05.08.15	20.07.15	05.08.15		29.09.15		
	31.08.15	14.08.15	29.09.15		03.11.15		
	05.10.15	16.09.15	04.11.15		22.12.15		
	04.11.15	28.09.15	18.11.15		05.02.16		
	19.11.15	16.10.15	10.12.15		16.03.16		
	11.12.15	03.11.15	11.01.16				
	12.01.16	18.11.15	12.02.16				
	12.02.16	01.12.15	29.02.16				
	22.02.16	11.12.15	16.03.16				
	21.03.16	22.12.15					
		22.01.16					
		11.02.16					
		29.02.16					
		17.03.16					
		29.03.16					

KEY: SRC: Stakeholders Relationship Committee Meeting.

NA: Not Applicable

परिशिष्ट ग

वर्ष 2015-16 के लिए निदेशकों को प्रदत्त उपस्थिति शुल्क

क्र सं	निदेशक का नाम	प्रदत्त उपस्थिति शुल्क (₹)
1	श्री टी एन मनोहरन	3,80,000
2	श्री जी वी मणिमारन	5,55,000
3	श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा	5,45,000
4	श्री साईराम भास्कर मोचेरला	4,50,000
5	श्री रजिन्दर कुमार गोयल	6,00,000
6	श्री संजय जैन	6,25,000

Appendix C

SITTING FEES PAID TO DIRECTORS FOR THE YEAR 2015-16

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees paid (₹)
1	Shri T N Manoharan	3,80,000
2	Shri G.V.Manimaran	5,55,000
3	Shri Sunil Hukumchand Kocheta	5,45,000
4	Shri Sairam Bhaskar Mocherla	4,50,000
5	Shri Rajinder Kumar Goel	6,00,000
6	Shri Sanjay Jain	6,25,000

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी की घोषणा

बैंक के निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की आचरण संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06 मई, 2016

राकेश शर्मा

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

DECLARATION BY MD & CEO

The Board of Directors and the Senior Management Personnel of the Bank have affirmed confirming to the Code of Conduct of the Bank for the year ended 31.03.2016.



Place : Bengaluru
Date : 06th May, 2016

RAKESH SHARMA
Managing Director & CEO

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स संबंधी लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

हमने केनरा बैंक द्वारा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट संचालन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है, जैसाकि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों / प्रासंगिक विनियमनों के साथ उक्त बैंक के सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण, कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी क्रियाविधियों व उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही उस पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्डों व प्रलेखों तथा हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय में, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के तहत ऊपर उल्लिखित सूचीकरण करारों / प्रासंगिक विनियमनों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया है।

हम घोषित करते हैं कि हितधारकों के संबंध समिति द्वारा रखे गए रिकॉर्डों के अनुसार बैंक के खिलाफ एक महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी घोषित करते हैं कि ऐसा अनुपालन बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न कोई आश्वासन है और न ही वह बैंक की कार्य कुशलता या प्रभावशालिता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंध तंत्र ने बैंक का कारोबार चलाया है।

कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफआरएन संख्या 110266 डब्ल्यू)

बेंगलूरु
24.05.2016

सीए डेंसिल फर्नांडो
साझेदार
सदस्यता संख्या 208859

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members of Canara Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by CANARA BANK for the year ended 31st March, 2016 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges / relevant Regulations under SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement / relevant regulations under SEBI(LODR) Regulations, 2015 to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For J Singh & Associates
Chartered Accountants
(FRN No. 110266W)

Bengaluru
24.05.2016

CA Densil Fernando
Partner
Membership No. 208859



केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरण

2015-2016

**BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने यथा 31 मार्च 2016 को केनरा बैंक के संलग्न वित्त विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिनमें यथा 31 मार्च 2016 का तुलन पत्र तब समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य स्पष्टकारिणी जानकारियाँ (लेखा संबंधी टिप्पणियाँ) शामिल हैं। इन वित्त विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं की, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 3218 शाखाओं और स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 6 विदेशी शाखाओं की विवरणियाँ शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखायें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशों के मुताबिक बैंक द्वारा चयनित की गई हैं। इसमें लेखा परीक्षा नहीं की गई 2604 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल की हैं। लेखापरीक्षा नहीं की गई शाखायें 4.65% अग्रिम, 13.60% जमा, 3.89% ब्याज आय और 11.62% ब्याज गठित करती हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तंत्र का उत्तरदायित्व

2. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन तंत्र उत्तरदाई है। इस उत्तरदायित्व में धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, वस्तुपरक अपकथन से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए संबद्ध आंतरिक नियंत्रण, रूप-सज्जा और कार्यान्वयन भी समाहित होते हैं।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए, योजनाबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा आयोजित करें ताकि वित्त विवरणों के परिप्रेक्ष्य में संगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि वे वस्तुपरक अपकथन मुक्त हैं।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,

The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Canara Bank as on 31st March, 2016, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2016, Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us, 3218 branches audited by statutory branch auditors and 6 foreign branches audited by local auditors in respective countries. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2604 branches (including one overseas branch) which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 4.65 per cent of advances, 13.60 per cent of deposits, 3.89 per cent of interest income and 11.62 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The bank's management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank of India guidelines from time and time and Accounting Standards generally accepted in India. This responsibility of the Management includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियायें अपनाता होता है। चुनी गई प्रक्रियायें लेखा परीक्षक के न्याय-निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें धोखा-धड़ी के कारण हो या त्रुटि के वित्तीय विवरणों में वस्तुपरक अपकथन का जायजा लेने का जोखिम भी रहता है। इन जोखिमों का जायजा लेने में परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियायें आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की समुचितता प्रबंधन तंत्र द्वारा किये गये लेखा अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ वित्त विवरणों के समूचे प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है।
5. लेखा परीक्षा पर हमारा विचार व्यक्त करने के लिए हमने जो साक्ष्य एकत्रित किया है वह पर्याप्त और समुचित है – यह हमारा विश्वास है।

हमारा विचार

6. हमारा विचार है, जैसे बैंक बहियों में दिखाई देता है और हमारी जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार :-
 - I. लेखा नीतियों और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र संपूर्ण और संगत तुलन पत्र है जिसमें सारे आवश्यक विवरण सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार यथा 31 मार्च 2016 को बैंक के व्यवहारों का सही और उचित चित्र दर्शाया जा सका;
 - II. लेखा नीतियाँ और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि लेखा, उसके द्वारा प्रावर्तित वर्ष के लिए भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार लाभ का सही संतुलन दर्शाता है।
 - III. नकद प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही और उचित चित्र दर्शाता है।

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by the books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - I. The Balance sheet, read with the significant accounting policies and the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2016 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - II. The Profit and Loss Account, read with the significant accounting policies and the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - III. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

ध्यान देने योग्य बातें

7. हम अनुसूची 18: 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं :-
1. मूल्यहास प्रभारित करने की प्रक्रिया में परिवर्तन, कुछेक अचल आस्तियों के उपयोगिता अवधि में परिवर्तन तथा वित्तीय विवरणियों पर परिणामी प्रभाव से संबंधित लेखांकन नीतियों में परिवर्तन से संबंधित वित्तीय विवरण की नोट सं. 5.1.2.

उक्त मामलों के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाएँ:

8. तुलन पत्र और क्रमशः बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रपत्र 'क' व 'ख' में तैयार किये गये हैं।
9. उपर्युक्त 1 से 5 तक के परिच्छेदों में सूचित लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों के अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970/1980 द्वारा अपेक्षित अनुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटनों की सीमाओं के अधीन भी हम रिपोर्ट करते हैं कि :
- क. हमने अपने लेखा परीक्षा कार्य के लिए आवश्यक सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के मुताबिक अपने लेखा परीक्षा कार्य के लिए आवश्यक हैं और हमने उन्हें संतोक्षजनक पाया है।
- ख. बैंक के संव्यवहार जो हमारी जानकारी में आये हैं, उसके अधिकारों के अंतर्गत ही है।
- ग. हमारी लेखा परीक्षा के लिए बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ पर्याप्त पाई गई हैं।

10. आगे हमारा विचार है कि:

- क) तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा, इस रिपोर्ट के लेखा बहियों व विवरणियों के अनुसरण करते हैं;

Emphasis of Matter

7. We draw attention to the Schedule 18: 'Notes to Accounts' regarding:
1. Note No.5.1.2 to the financial statement regarding the change in the accounting policy w.r.t. change in the method of charging depreciation, change in the useful of life of certain fixed assets and the consequential effect on financial statements.

Our opinion is not qualified in respect of the above stated matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 and also subject to the limitations of disclosure required therein, we report that;
- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank;
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit;
10. We further report that:
- a) The Balance Sheet and Profit & Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

ख) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के आधार पर बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा / कार्यालयों के लेखा संबंधी रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा इस रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने उचित रूप से इस्तेमाल किया गया है।

ग) तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण प्रचलित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं – यह हमारा विचार है।

b) The report on the accounts of the Branch/Offices audited by the branch auditors of the Bank under Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते एस सी वासुदेवा एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या:
000235एन

कृते विनय कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या:
000719सी

राम राज एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या:
0028395

For S C Vasudeva & Co.
Chartered Accountants
FRN:000235N

For Vinay Kumar & Co.
Chartered Accountants
FRN:000719C

For Ram Raj & Co.
Chartered Accountants
FRN:0028395

संजय वासुदेव
साझेदार
सदस्यता संख्या.
090989

विनय कुमार अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या.
013795

पी करुणाकर नायडू
साझेदार
सदस्यता संख्या.
210603

Sanjay Vasudeva
Partner
Membership No.
090989

Vinay Kumar Agrawal
Partner
Membership No.
013795

P Karunakara Naidu
Partner
Membership No.
210603

कृते वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या:
002468एस

कृते जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 307092इ

कृते जे सिंग एण्ड एसोसीएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या:
110266डब्ल्यू

For V K Niranjana & Co.
Chartered Accountants
FRN:002468S

For J L Sengupta & Co.
Chartered Accountants
FRN:307092E

For J Singh & Associates
Chartered Accountants
FRN:110266W

निरंजन वी के
साझेदार
सदस्यता संख्या.
021432

पी पार्थसारथी
साझेदार
सदस्यता संख्या.
019410

जे सिंग
साझेदार
सदस्यता संख्या.
042023

Niranjana V K
Partner
Membership No.
021432

P Parthasarathy
Partner
Membership No.
019410

J Singh
Partner
Membership No.
042023

स्थान : बैंगलूरु
दिनांक : 27 मई, 2016

Place: Bangalore
Dated: May 27, 2016

यथा 31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	542 99 10	475 19 70
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	31060 20 95	31384 03 55
जमा / DEPOSITS	3	479791 56 21	473840 10 31
उधार / BORROWINGS	4	26873 31 64	25671 56 75
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	14692 69 93	16629 66 17
जोड़ / TOTAL		552960 77 83	548000 56 48
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	20664 05 10	21971 95 41
बैंकों में शेष और माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	36069 60 75	26669 14 03
निवेश / INVESTMENTS	8	142309 30 11	142061 42 36
अग्रिम / ADVANCES	9	324714 82 40	330035 51 45
स्थिर आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	7198 10 17	6949 44 73
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	22004 89 30	20313 08 50
जोड़ / TOTAL		552960 77 83	548000 56 48
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	287945 55 29	275355 21 88
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		26563 00 23	21903 47 31

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

वी रामाचन्द्रा
उप महा प्रबंधक

एन सेल्वरजन
महा प्रबंधक

दीनबन्धु महापात्र
कार्यपालक निदेशक

हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक

राकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

उमा शंकर
निदेशक

जी वी मणिमारन
निदेशक

सुनील हुक्मचंद कोचेटा
निदेशक

मोचरला साईराम भास्कर
निदेशक

रजिन्दर कुमार गोयल
निदेशक

संजय जैन
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
एस सी वासुदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
विनय कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
जे सिंह एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

संजय वासुदेव
साझेदार

विनय कुमार अग्रवाल
साझेदार

पी करुणाकर नायडू
साझेदार

निरंजन वी के
साझेदार

पी पार्थसारथी
साझेदार

जे सिंह
साझेदार

बेंगलूरु
27 मई, 2016

यथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2015 (₹ '000)
I. आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	44022 13 54	43750 04 26
अन्य आय / OTHER INCOME	14	4875 22 92	4550 25 03
जोड़ / TOTAL		48897 36 46	48300 29 29
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	34258 77 46	34086 37 44
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	7491 93 46	7263 55 13
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / PROVISIONS AND CONTINGENCIES		9959 47 83	4247 74 30
जोड़ / TOTAL		51710 18 75	45597 66 87
III. वर्ष का निवल लाभ / NET PROFIT FOR THE YEAR		(2812 82 29)	2702 62 42
IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
निम्नांकित को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVES		-	680 00 00
पूंजी आरक्षित निधियाँ / CAPITAL RESERVES		-	122 40 00
निवेश आरक्षित निधि खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		-	360 80 00
राजस्व आरक्षित निधि / REVENUE RESERVE		-	387 69 62
विशेष आरक्षित निधियाँ / SPECIAL RESERVE		-	500 00 00
अंतरिम लाभांश / INTERIM DIVIDEND		-	-
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		-	540 96 68
लाभांश कर / DIVIDEND TAX		-	110 76 12
जोड़ / TOTAL		-	2702 62 42
लेखांकन नीतियाँ / ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	18		
प्रति शेयर अर्जन (मूल व तनुकृत) / EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		(53.61)	58.59

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

V RAMACHANDRA
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

DINABANDHU MOHAPATRA
EXECUTIVE DIRECTOR

HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

P S RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF
EXECUTIVE OFFICER

T N MANOHARAN
CHAIRMAN

UMA SHANKAR
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

SUNIL HUKUMCHAND KOCHETA
DIRECTOR

MOCHERLA SAIRAM BHASKAR
DIRECTOR

RAJINDER KUMAR GOEL
DIRECTOR

SANJAY JAIN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
S C VASUDEVA & Co.
Chartered Accountants

For
VINAY KUMAR & Co.
Chartered Accountants

For
RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants

For
V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants

For
J L SENGUPTA & Co.
Chartered Accountants

For
J SINGH & ASSOCIATES
Chartered Accountants

SANJAY VASUDEVA
Partner

VINAY KUMAR AGRAWAL
Partner

P KARUNAKARA NAIDU
Partner

NIRANJAN V K
Partner

P PARTHASARATHY
Partner

J SINGH
Partner

Bengaluru
MAY 27, 2016

यथा 31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / AUTHORISED CAPITAL (प्रति शेयर ₹10/ के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर / (300,00,00,000 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH)	3000 00 00	3000 00 00
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त / ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP:		
i) केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 35,99,91,054 इक्विटी शेयर। पिछले वर्ष ₹10/- के 33,21,96,971 इक्विटी शेयर 35,99,91,054 EQUITY SHARES OF RS.10/- EACH PREVIOUS YEAR 33,21,96,971 EQUITY SHARE OF ₹10/- EACH HELD BY CENTRAL GOVERNMENT	359 99 10	332 19 70
ii) अन्य द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 18,30,00,000 इक्विटी शेयर 18,30,00,000 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH HELD BY OTHERS	183 00 00	143 00 00
	542 99 10	475 19 70
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVE (बैंकिंग विनियम 1949 की धारा 17 के अनुसार आरक्षित निधि) (RESERVE FUND IN TERMS OF SECTION 17 OF THE BANKING REGULATION ACT, 1949)		
अथशेष / OPENING BALANCE	7983 00 00	7303 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	-	680 00 00
जोड़ / TOTAL	7983 00 00	7983 00 00
II. पूँजी आरक्षित निधियाँ / CAPITAL RESERVE		
क. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ / a. REVALUATION RESERVE		
अथशेष / OPENING BALANCE	5405 85 08	5498 25 33
जोड़ें: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन / ADD : REVALUATION DURING THE YEAR	113 58 78	-
	5519 43 86	5498 25 33
घटायें: लाभ व हानि खाते का अंतरण / समायोजन LESS : ADJUSTMENTS / TRANSFER TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	74 77 56	92 40 25
जोड़ / TOTAL	5444 66 30	5405 85 08
ख. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियाँ / b. FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE		
अथशेष / OPENING BALANCE	196 62 03	221 67 98
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	50 65 88	-
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	-	25 05 95
जोड़ / TOTAL	247 27 91	196 62 03
ग. अन्य / c. OTHERS		
अथशेष / OPENING BALANCE	1478 67 07	1356 27 07
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	-	122 40 00
जोड़ / TOTAL	1478 67 07	1478 67 07

यथा 31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)
III शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM :		
अथशेष / OPENING BALANCE	3273 00 31	2716 94 12
वर्ष के दौरान प्राप्त / RECEIVED DURING THE YEAR	2399 52 59	556 06 19
जोड़ / TOTAL	5672 52 90	3273 00 31
IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ / REVENUE AND OTHER RESERVES		
क राजस्व आरक्षित निधियाँ / a. REVENUE RESERVE		
अथशेष / OPENING BALANCE	8481 09 06	8357 70 94
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	-	387 69 62
विशेष आरक्षित निधियों से अंतरित / TRANSFERRED FROM SPECIAL RESERVE	8481 09 06	8745 40 56
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	-	264 31 50
जोड़ / TOTAL	8481 09 06	8481 09 06
ख विशेष आरक्षित निधियाँ / b. SPECIAL RESERVE {आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (VIII) के अनुसार} {IN TERMS OF SECTION 36 (1)(VIII) OF THE INCOME TAX ACT, 1961}		
अथशेष / OPENING BALANCE	4000 00 00	3500 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ ADDITIONS DURING THE YEAR	-	500 00 00
जोड़ / TOTAL	4000 00 00	4000 00 00
ग निवेश आरक्षित निधि खाता / c. INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		
अथशेष / OPENING BALANCE	565 80 00	205 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	-	360 80 00
	565 80 00	565 80 00
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	-	-
जोड़ / TOTAL	565 80 00	565 80 00
घ लाभ व हानि खाते में शेष / d. BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT		
	(2812 82 29)	-
जोड़ / TOTAL	31060 20 95	31384 03 55

यथा 31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क. I. माँग जमा / A.I. DEMAND DEPOSITS		
i. बैंकों से / FROM BANKS	333 85 02	1042 08 10
ii. अन्य से / FROM OTHERS	19493 50 98	18803 83 00
जोड़ / Total	19827 36 00	19845 91 10
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	103714 84 91	93686 33 32
जोड़ / Total	103714 84 91	93686 33 32
III. सावधि जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंकों से / FROM BANKS	23963 31 34	28153 78 66
ii. अन्य से / FROM OTHERS	332286 03 96	332154 07 23
जोड़ / Total	356249 35 30	360307 85 89
जोड़ / Total	479791 56 21	473840 10 31
B. शाखाओं के जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	450788 12 50	444702 00 45
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	29003 43 71	29138 09 86
जोड़ / Total	479791 56 21	473840 10 31
अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	-	-
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	-	131 25 00
iii. अन्य संस्थाएँ तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	559 32 32	1915 69 68
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बांड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	11989 60 00	10514 60 00
जोड़ / Total	12548 92 32	12561 54 68
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	12668 03 48	11547 49 96
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बांड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण) (SUB-ORDINATED DEBT)	1656 35 84	1562 52 11
जोड़ / Total	14324 39 32	13110 02 07
जोड़ / Total	26873 31 64	25671 56 75

यथा 31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / BILLS PAYABLE	1270 23 99	1020 71 10
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	460 11 77	306 21 01
III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	1875 31 68	1711 54 72
IV. आस्थगित कर देयताएं / DEFERRED TAX LIABILITY	-	1406 83 00
V. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	11087 02 49	12184 36 34
जोड़ / TOTAL	14692 69 93	16629 66 17
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष / SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	2011 86 73	1850 63 10
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	18652 18 37	20121 32 31
अन्य खाते में / IN OTHER ACCOUNTS	-	-
जोड़ / TOTAL	18652 18 37	20121 32 31
जोड़ / TOTAL	20664 05 10	21971 95 41
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खाते में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	310 17 50	38 02 99
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	-	-
जोड़ / TOTAL	310 17 50	38 02 99
ii. माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	1200 00 00	-
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	-	-
जोड़ / TOTAL	1200 00 00	-
जोड़ / TOTAL	1510 17 50	38 02 99
II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA		
i. चालू खातों में / IN CURRENT ACCOUNTS	8675 13 75	4518 27 69
ii. अन्य जमा खातों में / IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	20444 98 12	21592 29 23
iii. माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	5439 31 38	520 54 12
जोड़ / TOTAL	34559 43 25	26631 11 04
जोड़ / TOTAL	36069 60 75	26669 14 03

यथा 31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश: सकल		
INVESTMENTS IN INDIA: GROSS	141679 09 18	141233 93 00
घटायें: मूल्यहास व एन पी आई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	365 25 92	109 06 10
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	141313 83 26	141124 86 90
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ GOVERNMENT SECURITIES	126882 35 19	125529 28 48
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ OTHER APPROVED SECURITIES	1 49 87	1 49 87
iii. शेयर SHARES	1718 23 89	1722 35 66
iv. डिबेंचर और बॉण्ड DEBENTURES AND BONDS	6416 16 85	7278 65 77
v. अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	796 06 80	796 06 80
vi. अन्य OTHERS	5499 50 66	5797 00 32
जोड़ / Total	141313 83 26	141124 86 90
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	102733 23 82	99833 96 46
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	38287 94 86	40343 46 21
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	292 64 58	947 44 23
जोड़ / Total	141313 83 26	141124 86 90
II. भारत के बाहर निवेश- सकल /		
INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	995 46 85	936 55 46
घटायें: मूल्यहास व एन पी आई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION	-	-
भारत के बाहर निवल निवेश /		
NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	995 46 85	936 55 46
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	89 32 73	20 76 39
ii. अनुषंगियाँ और/ या संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	73 22 11	73 22 11
iii. अन्य निवेश / OTHER INVESTMENTS	832 92 01	842 56 96
जोड़ / Total	995 46 85	936 55 46
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	134 60 95	98 75 46
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	860 85 90	837 80 00
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	-	-
जोड़ / Total	995 46 85	936 55 46
जोड़ / Total	142309 30 11	142061 42 36

यथा 31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क. i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल A. BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	10245 51 44	10644 88 62
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	131566 48 67	130964 98 18
iii. मीयादी ऋण / TERM LOANS	182902 82 29	188425 64 65
जोड़ / Total	324714 82 40	330035 51 45
ख. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS B. (बही ऋणों सहित / INCLUDING BOOK DEBTS)	265366 91 78	263935 17 80
ii. बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	14048 06 37	9364 08 69
iii. अप्रतिभूत / UNSECURED	45299 84 25	56736 24 96
जोड़ / Total	324714 82 40	330035 51 45
ग. I. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA C.		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR	124952 09 90	106928 90 32
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR	24180 47 26	31624 64 14
iii. बैंक / BANKS	17 54 92	2 49 69
iv. अन्य / OTHERS	153699 83 51	168786 72 14
जोड़ / Total	302849 95 59	307342 76 29
II. भारत से बाहर अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA (बैंकों के अलावा अन्य से बकाया) (DUE FROM OTHER THAN BANKS)		
i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	4137 55 93	3435 05 61
ii. मीयादी / समूहन ऋण TERM / SYNDICATED LOANS	9479 37 81	9354 61 82
iii. अन्य / OTHERS	8247 93 07	9903 07 73
जोड़ / Total	21864 86 81	22692 75 16
जोड़ / Total	324714 82 40	330035 51 45

यथा 31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 10- अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. परिसर / PREMISES		
लागत पर / पिछले तुलन पत्र के अनुसार मूल्यांकन AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	6648 97 84	6591 34 99
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	31 36 37	58 29 78
	6680 34 21	6649 64 77
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन REVALUATIONS MADE DURING THE YEAR	-	-
	6680 34 21	6649 64 77
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	26 94	66 93
	6680 07 27	6648 97 84
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	630 25 34	697 97 11
	6049 81 93	5951 00 73
II. अन्य अचल आस्तियाँ / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	3073 45 27	2385 81 67
वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITIONS DURING THE YEAR	364 50 39	779 98 38
	3437 95 66	3165 80 05
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	111 70 02	92 34 78
	3326 25 64	3073 45 27
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	2180 16 40	2077 20 27
	1146 09 24	996 25 00
III. पट्टागत आस्तियाँ / LEASED ASSETS		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	75 26 84	75 26 84
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	-	-
	75 26 84	75 26 84
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	3 49 56	-
	71 77 28	75 26 84
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	67 87 75	70 57 07
	3 89 53	4 69 77
घटाएं: पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	1 70 53	2 50 77
	2 19 00	2 19 00
जोड़ (I, II और III) / Total (I, II and III)	7198 10 17	6949 44 73

यथा 31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	4289 83 27	4450 75 55
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) TAX PAID IN ADVANCE/TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)	6301 79 57	6071 04 67
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प / STATIONERY AND STAMPS	13 04 36	11 58 88
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS	32 13	32 13
V. अन्य / OTHERS	11351 80 97	9779 37 27
VI. आस्थगित कर / DEFERRED TAX ASSETS	48 09 00	-
जोड़ / TOTAL	22004 89 30	20313 08 50
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	5816 69 18	8744 39 85
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं / LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS	36 00	36 00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	221936 97 80	207080 71 69
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
क. भारत में / a. IN INDIA	38766 70 07	39353 06 07
ख. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	132 92 76	98 31 86
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	38899 62 83	39451 37 93
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	19808 59 32	18578 35 95
क. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	-	-
ख. अन्य / b. OTHERS	1483 30 16	1500 00 46
	1483 30 16	1500 00 46
जोड़ / TOTAL	287945 55 29	275355 21 88

यथा 31 मार्च, 2016 को लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016 (₹ '000)		यथा 31.03.2015 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2015 (₹ '000)	
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट INTEREST / DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS		31377 24 66		32066 12 17
II. निवेशों पर आय / INCOME ON INVESTMENTS		11407 79 14		10649 69 36
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेषराशि और अंतर बैंक निधियों पर ब्याज / INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		879 50 16		759 79 04
IV. अन्य / OTHERS		357 59 58		274 43 69
जोड़ / TOTAL		44022 13 54		43750 04 26
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय, और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		917 47 58		928 60 19
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS				
लाभ / PROFIT	1018 14 71		1160 78 96	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	28 47 88	989 66 83	12 36 00	1148 42 96
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS				
लाभ / PROFIT	-			
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	-	-	103 48 53	(103 48 53)
IV. भूमि/ भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ PROFIT ON SALE OF LAND/BUILDINGS AND OTHER ASSETS				
लाभ / PROFIT	3 35 47		3 88 36	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	3 93 45	(57 98)	2 52 35	1 36 01
V. विनिमय लेन-देन पर निवल लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS-NET				
लाभ / PROFIT	673 97 21		781 73 03	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	5 00 60	668 96 61	-	781 73 03
VI. विदेश/ भारत में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES/COMPANIES AND/OR JOINT VENTURES ABROAD/IN INDIA		63 14 55		81 15 92
VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME		2236 55 33		1712 45 45
जोड़ / TOTAL		4875 22 92		4550 25 03

यथा 31 मार्च, 2016 को लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS	32350 02 35	32025 85 21
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA/ INTERBANK BORROWINGS	854 09 68	1103 96 57
III. अन्य (टीयर I तथा टीयर II बॉण्ड ब्याज सहित) OTHERS (INCLUDING TIER I & TIER II BOND INTEREST)	1054 65 43	956 55 66
जोड़ / TOTAL	34258 77 46	34086 37 44
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	4445 88 18	4274 25 70
II. किराया, कर, रोशनी / RENT, TAXES, LIGHTING	778 12 67	658 89 77
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY	44 04 75	51 41 98
IV. विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	30 35 01	43 74 07
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों से अंतरण के बाद का निवल) DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY (NET OF TRANSFER FROM REVALUATION RESERVE)	169 96 37	427 06 18
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	1 56 91	1 38 95
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDES FOR BRANCH AUDITORS)	59 18 93	51 45 83
VIII. विधि प्रभार / LAW CHARGES	33 56 99	27 16 44
IX. डाक, तार, टेलिफोन आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	53 70 06	52 50 44
X. मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE	206 74 35	199 01 17
XI. बीमा / INSURANCE	427 23 54	391 27 02
XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE	1241 55 70	1085 37 58
जोड़ / TOTAL	7491 93 46	7263 55 13

अनुसूची- 17

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

[1](क) लेखांकन की परंपरा:

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखाओं को तैयार किया गया है तथा ये अन्यथा सूचित को छोड़कर सांविधिक प्रावधानों व विद्यमान प्रणालियों के अनुरूप हैं।

(ख) अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरणी की तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता भी दी जाएगी।

[2] विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन

2.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को काल्पनिक दरों पर प्रारंभिक तौर पर अभिलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रकाशित दरों पर पुनः वर्णित किया गया है। पुनः वर्णन से उत्पन्न होनेवाली विनिमय अंतरों को त्रैमासिक दरों पर लाभ-हानि खाते में मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है।

2.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेनों एवं शेषों को अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देनों तथा शेष राशि को बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है।

परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण विदेशी विनिमय दरों पर भारतीय विदेशी मुद्रा विक्रेता संघ (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में घोषित किया जाता है। विदेशी शाखाओं के आय व व्यय मद, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (ए एस) 11 - "विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" एवं कथित मानक के अनुपालन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों अनुसार फेडाई द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर घोषित है।

परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षिति में जमा / नामे किया जाएगा।

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ADOPTED IN PREPARING FINANCIAL STATEMENTS

[1] (a) Basis of Preparation:

The accounts are prepared under the historical cost convention and conform to the statutory provisions and prevailing practices, except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

[2] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

2.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit and Loss Account.

2.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the bank on a quarterly basis.

Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter. Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11- "The effect of Changes in Foreign Exchange rates" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) regarding the compliance of the said standard.

The resultant exchange gain/loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

2.3 वायदा विनिमय संविदाएं

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनन को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित असामयिक रद्दकरण पर होनेवाले लाभ / हानि, यदि है तो, समाप्ति तारीख पर मान्यता दी गई। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, पर लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन फेडआई द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

[3] निवेश

3.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'व्यापार के लिए धारित'। इस तरह के वर्गीकरण को प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय पर निर्धारित किया गया है।

निवेशों को तुलन पत्र में छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड (ङ) अनुषंगियाँ तथा संयुक्त उद्यम व सहबद्ध संस्थाएं और (च) अन्य

3.2 निवेशों के अधिग्रहण लागत को निर्धारित करने के लिए :

क) प्रतिभूतियों की खरीदी के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसे लागतों को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

ख) अधिग्रहण / निपटान तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है।

3.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो यथानुसार है :

क) परिपक्वता के लिए धारित

परिपक्वता के लिए धारित वर्ग के तहत निवेश को अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो, के आधार पर किया जाना है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

2.3 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit/ Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

2.4 Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

[3] Investments

3.1 Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the bank is classified under three categories viz. 'Held to Maturity' (HTM), 'Available for Sale' (AFS) and 'Held for Trading' (HFT). Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Subsidiaries and Joint Ventures & Associates and (f) Others.

3.2. In determining the acquisition cost of investment:

(a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

(b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

3.3 The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

a) HELD TO MATURITY

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों व सहबद्ध संस्थाओं के निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में कोई भी स्थायी ह्रास हो तो उसका पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य न्यासी शेरों में निवेशों को रखाव लागत पर रखा जाता है।

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) की इकाइयों में दिनांक 23.08.2006 के बाद की गई निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है।

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेश त्रैमासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख (तुलन पत्र तारीख) को उपलब्ध बाजार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / कोट, भारतीय व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

जहाँ भी निवल मूल्यवृद्धि नकारी गई है, उसके लिये प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यह्रास पूर्ण रूप से उपलब्ध है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार के लिये अंकित किये जाने पर बही मूल्य का कोई परिवर्तन नहीं होता है।

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात एचटीएम वर्ग से अंतरित वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) के इकाइयों को वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तिथि पर 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी उपलब्ध नहीं है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूँजी निधि के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

ग) व्यापार हेतु धारित

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को बाजार कोट, साप्ताहिक आधार पर एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्य / प्रतिफल के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यह्रास को मान्यता दी गई तथा संवर्धन, यदि कोई है तो, को नकारा गया। बाजार के लिये अंकित किये जाने के पश्चात प्रत्येक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

Investments in Subsidiaries and Joint Ventures & Associates are valued at carrying cost. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost.

b) AVAILABLE FOR SALE

Investments classified under this category are marked to market on quarterly basis and valued as per Reserve Bank of India guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades/quotes on the stock exchanges, prices/yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the Reserve Bank of India guidelines.

The net depreciation under each category/classification is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at mark to market basis.

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years (Refer paragraph 3.3(a)) are valued at NAV as per the audited financial statements of Venture Capital Funds. In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at ₹ 1 per VCF.

c) HELD FOR TRADING

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations, price/yields declared by FIMMDA on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities do not undergo any change after being marked to market.

3.4 एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में श्रेयों का अंतरण निम्नानुसार किया जाता है:

- क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) / व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी को अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है। एच टी एम श्रेणी के तहत निवेशों को मूल रूप से प्रीमियम पर रखा जाता है तो परिशोधित लागत पर अंतरण किया जाता है।
- ख) ए एफ एस / एच एफ टी श्रेणी से एच टी एम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाजार मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जाता है।
- ग) ए एफ एस से एच टी एम श्रेणी या इसके विपरीत को रखाव लागत पर अंतरित किया जाता है। उपचित मूल्यहास, यदि कोई है तो, एच एफ टी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यहास के लिए प्रावधान को अंतरित किया जाता है, एवं इसके विपरीत।

3.5 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्रकं / पुकं) को बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक निवेश वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में प्रकं / पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को प्रतिभूति रसीद के प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ निम्नानुसार पेश किया जाता है :-

- क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर है तो, तदसंबंधी कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दिया जाता है।
- ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है, लेकिन प्रकं / पुकं को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होने वाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

3.6 तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल किए गए प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है तो अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक हास / प्रावधान बनाया जाता है। ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यहास को अन्य अर्जक आस्तियों के प्रति मूल्यवृद्धि से समंजन नहीं किया जाता है।

3.7 निवेशों की बिक्री पर लाभ

“बिक्री के लिए उपलब्ध” तथा “व्यापार के लिए धारित” श्रेणियों के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि खाते में मान्यता दिया जाता है।

3.4. Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis:

- (a) HTM to AFS/HFT category at acquisition price/ book value. In case the investments under HTM category are purchased at premium originally the transfer is made at amortised cost.
- (b) AFS/HFT to HTM category at lower of the book value or market value.
- (c) AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, is transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

3.5. Non performing Investments Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

- (a) If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.
- (b) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/RC.

3.6. Securities included in any of three categories where interest/principal is in arrears for a specified period, are classified as Non performing Investment. Interest Income on such securities is not recognised and appropriate depreciation/provision in value of Investments is made. Deprecation in respect of such Non Performing Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

3.7. Profit on sale of Investments

Profit on sale of Investments in respect of “Available for Sale” and “Held for Trading” categories is recognized in Profit & Loss Account.

“परिपक्वता के लिए धारित” श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित निधि (कर व आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है।

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दिया गया।

3.8 रेपो / प्रति रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

रेपो / प्रति रेपो के तहत सहमत शर्तों पर एक करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों (एलएएफ के अलावा) की पुनः खरीद को उधार के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

एलएएफ के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे / जमा किया जाता है और परिपक्वता में उसको वापस किया जाता है।

[4] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है। बैंक द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियों रुपया ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार है। बैंक द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां विकल्प और मुद्रा अदला-बदली है।

ऐसे व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

- क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियां बाज़ार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यहास की पहचान की गई है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नकारा गया है।
- ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियां निम्नानुसार हैं :
 - i. बाजार के लिए अंकित नहीं की जाती है, जब तक आधारभूत आस्तियां / देयताएं बाजार के लिए अंकित नहीं की गयी हैं।
 - ii. प्रतिरक्षा अदला-बदली के लिए उपचित आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया।

[5] अग्रिम

- 5.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों अनुसार अग्रिमों को अर्जक व अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया गया है।
- 5.2 अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया गया है।

Profit on sale of Investments in respect of “Held to Maturity” category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

Loss on sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

3.8. Accounting for Repo/Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

The securities purchased/sold with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo / Reverse Repo (other than LAF) are recognized as borrowing / lending.

The securities purchased/sold under LAF with RBI are debited/credited to Investment account and reversed on maturity.

[4] Derivative contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Options and Currency Swaps.

Such derivative contracts are valued as under:

- a. Derivative contracts dealt for trading are valued on mark to market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.
- b. Derivative contracts undertaken for hedging are:
 - i. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.
 - ii. Income / Expenditure is recognized on accrual basis for Hedging swaps.

[5] ADVANCES

- 5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.
- 5.2 Advances are classified into Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.

- 5.3 अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अग्रिमों हेतु प्रावधान किए गए हैं।
- 5.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय विनियम / उस देश के नियमों, जो भी अधिक कड़े हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार किए गए हैं।
- 5.5 तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम अनर्जक आस्तियों, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं।
- 5.6 अनर्जक अग्रिमों में किए गए आंशिक वसूलियों का समायोजन को प्रथमतः प्रभार व ब्याज, तत्पश्चात समझौता निपटान / कालातीत ऋणों के मूल धन के प्रति किया जाता है। वसूलियों को प्रथमतः मूल धन के साथ समायोजित किया जाता है।
- 5.7 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निमाण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन, आय निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
- [6] अचल परिसंपत्तियां**
- 6.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं। भूमि और भवनों का पूंजीकरण हस्तांतरण पत्र / आबंटन पत्र / पट्टा करारनामा, दीर्घावधि पट्टेवाली संपत्तियों और / या संपत्ति के भौतिक धारण के आधार पर होता है।
- 6.2 जहाँ पुनर्मूल्यांकन किया गया है उन्हें छोड़कर परिसर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा किया जाता है। संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यहास / परिशोधन का अंतरण पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से लाभ व हानि खाते में मूल्यहास में जमा किया जाएगा।
- [7] मूल्यहास**
- 7.1 कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल परिसंपत्तियों को मूल्यहासित मूल्य पद्धति के तहत तत्संबंधी परिसंपत्ति के उपयोग्य जीवन पर परिकल्पित मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों पर मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभासित करते हुए किया जाता है।
- 7.2 3 वर्ष या 5 वर्ष (उदाहरण कम्प्यूटर, सर्वर और ए टी एम इत्यादि) अनुमानित प्रयोज्य जीवन वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर जहाँ आस्तियों का कुल लागत प्रयोज्य जीवन से परिशोधित हो, सभी परिसंपत्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है।
- 5.3 Provisions for domestic advances are made for performing/non-performing advances in accordance with the RBI Guidelines.
- 5.4 Provisions for performing/ non-performing advances with foreign branches are made as per local regulations/ regulations of host country according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.
- 5.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.
- 5.6 Partial recoveries in Non Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of non performing advances involving compromise settlements/ "Loan Past Due" advances, the recoveries are first adjusted towards principal.
- 5.7 In case of financial assets sold to SC/ RC, the valuation, income recognition is being done as per RBI guidelines.
- [6] Fixed Assets**
- 6.1. The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalised based on the date of put to use.
- 6.2. Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value is transferred from Revaluation Reserve to the credit of Depreciation in the Profit and Loss Account.
- [7] Depreciation**
- 7.1. Fixed Assets are depreciated under Straight Line Method at the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets except for the Computers where as per the guidelines of RBI, depreciation is charged under straight line method at 33.33%.
- 7.2 5 percent residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life of 3 years or 5 years (Eg. computer, Servers and ATMs etc), where the entire cost of the asset is amortized over the useful life.

7.3 पूंजीकरण का अचल परिसंपत्तियों पर वर्ष में मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए वसूल की जाए यदि परिसंपत्ति का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए किया गया हो अन्यथा लागू दर के 50% हो। बिक्री / निपटान के वर्ष में कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया है।

7.4 पट्टादाई परिसरों पर प्रदत्त प्रीमियम उसकी पूरी पट्टादाई अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है।

7.5 विदेशी कार्यालयों में अनुरक्षित अचल संपत्तियों के संबंध में संबंधित देश के विनियमनों / मानदंडों अनुसार मूल्यहास उपलब्ध कराया जाता है।

[8] आस्तियों का अपक्षयन

प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं, का एक निर्धारण किया जाता है। यदि कोई संकेत पाया जाता है तो वसूली योग्य राशि का एक अनुमान बनाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है।

[9] राजस्व का परिकलन

9.1 आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया, निम्नलिखित को छोड़कर, उपचित आधार पर किया जाता है :

- क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों तथा अनर्जक निवेशों पर ब्याज को मान्यता दिया गया है।
- ख) अतिदेय बिलों, कमीशन (सरकारी कारोबार के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली पर किया गया है।
- ग) लाभांश की गणना तब किया जाएगा जब उसको प्राप्त करने की अधिकार स्थापित किया जाता है।
- घ) मुकदमा दायर किए गए लेखों के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाएगी।

[10] कर्मचारी लाभ

10.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दिया गया है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

10.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं

- क) उपदान : कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक के बाध्यताओं

7.3 Depreciation on fixed assets in the year of capitalization is charged for the full year if the asset is used for more than 180 days during that financial year; else it is provided at 50 percent of the applicable rate. No depreciation is provided for in the year of sale/disposal.

7.4 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period.

7.5 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries

[8] Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

[9] Revenue Recognition

9.1. Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

- a) Interest on Non-Performing advances and non performing investments is recognized as per norms laid down by Reserve Bank of India.
- b) Interest on overdue bills, Commission (other than Government business), Exchange, Brokerage and rent on lockers are accounted on realization.
- c) Dividend Income is recognized when the right to receive the same is established.
- d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

[10] Employee Benefits

10.1 Defined Contribution Plans

Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

10.2 Defined Benefit Plans

- a. Gratuity: The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value

के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत को बीमांकिक आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

- ख) पेंशन : कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।
- ग) ऋण परिशोधन : बैंक के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प देने से होनेवाली देयता / व्यय को तथा उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के पश्चात उपदान में होनेवाली संवर्धन को समान आधार पर वित्तीय वर्ष 2010-11 से शुरू होनेवाली वर्ष से पाँच वर्षों के लिए परिशोधित किया गया है।

10.3 विशेषाधिकार छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दिया जाता है।

[11] कराधान के लिए प्रावधान

- क) चालू तथा आस्थगित दोनों करों के लिए कर प्रावधान किया गया है।
- ख) समय-अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं, को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन-पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गयी है।
- ग) विभेदक कर आस्तियों को मान्यता तब तक नहीं दी जाती है जब तक यह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाता कि पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध हो जायेगी जिसके प्रति ऐसी विभेदक कर आस्तियों को मान्यता दी जायेगी।

[12] निवल लाभ

12.1 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

- i. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 "आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान" के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को मान्यता दिया गया, जब :-

of the Banks obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

- b. Pension: The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust. The present value of the Banks obligations under Pension is recognized on the basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.
- c. Amortization: The additional liability/ expenditure arising consequent upon the reopening of Pension Option to the employees of the bank and enhancement in gratuity limit pursuant to amendment to Payment of Gratuity Act, 1972 has been amortized equally over a period of five years beginning with the financial year 2010-11.

10.3 The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'Projected Unit Credit method' at each Balance Sheet date.

[11] Provision for Taxation

- a) Provision for tax is made for both Current and & Deferred Taxes.
- b) Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date.
- c) Deferred tax assets are not recognized unless there is virtual certainty that sufficient future taxable income would be available against which such deferred tax assets can be recognized.

[12] Net Profit

12.1 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- i. In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants Of India, the bank recognizes provision only when :

- क) पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान में कोई दायित्व हो
- ख) उस दायित्व को निभाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह हो
- ग) जब दायित्व राशि का उचित परिकलन किया जा सकता हो।

II. निम्नलिखितों के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया:

- क) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित दायित्व और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जो कि पूर्ण रूप से बैंक के नियंत्रण के भीतर हों, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी।
- ख) यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक हितों से सुसम्पन्न संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक हो अथवा
- ग) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया नहीं जा सकता।

ऐसे बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है। इसको नियमित अंतरालों पर निर्धारित किया जाता है तथा बाध्यता के उस हिस्से, जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह संभव है, के लिए प्रावधान दिया गया है। जहाँ पर विश्वसनीय अनुमान बनाया नहीं जा सकता, वहाँ प्रावधान नहीं दिया गया है।

III. आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दिया गया है।

12.2 निवल लाभ

लाभ-हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखितों के पश्चात है:

- क) निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- ख) कराधान के लिए प्रावधान
- ग) ऋण हानियों के लिए प्रावधान
- घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
- ङ) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान
- च) अन्य सामान्य व आवश्यक मदें

[13] प्रति शेयर अर्जन

बैंक, लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाए ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

- a. it has a present obligation as a result of past event.
- b. it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
- c. when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

II. No provision is recognized for:

- a. Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank.
- b. It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or
- c. A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

III. Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

12.2 Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:-

- a) Provision for depreciation on Investments.
- b) Provision for Taxation.
- c) Provision on loan losses
- d) Provision on Standard Assets.
- e) Provision for Non Performing Investments.
- f) Other usual & necessary Items.

[13] Earning per share:

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the Year.

अनुसूची 18

अनुसूची 18- लेखा संबंधी टिप्पणियां

1 निवेश:

यथा 31.03.2016 को “परिपक्वता के लिए धारित” वर्ग के तहत निवेश का प्रतिशत सांविधिक तरलता अनुपात (एस एल आर) बैंक की मांग और मीयादी देयता का 20.60% था (पिछले वर्ष 22.23%), जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अनुमत सीमा के भीतर है।

2 अंतर-शाखा लेनदेन:

31.03.2016 तक अंतर-शाखा लेनदेनों के अधीन समाधान के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय में प्राप्त प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान किया गया है। बैंक प्रविष्टियों को मिलान करने तथा शेष बकाया प्रविष्टि को घटाने के अपने प्रयास को जारी रख रहा है।

3 परिसर:

परिसर में ₹55.46 करोड़ की असल लागत वाली (पिछले वर्ष ₹211.35 करोड़) कुछ संपत्तियां शामिल हैं जिनके संदर्भ में बैंको के पक्ष में अंतरण विलेखों का निष्पादन लंबित है।

4 भारतीय रिज़र्व बैंक के आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण:

4.1 पूंजी:

(₹ करोड़ में)

	मदें	बासेल III	
		31.03.2016	31.03.2015
(i)	सी ई टी 1 पूंजी	8.18	7.37
(ii)	टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	8.80	8.02
(iii)	टीयर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.28	2.54
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	11.08	10.56
(v)	बैंक में भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	66.30	69.91
(vi)	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	2467.32	570.00
(vii)	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की राशि; जिसमें कि,	शून्य	1500.00
	बेमीयादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस):	शून्य	शून्य
	बेमीयादी कर्ज लिखत (पीडीआई):	शून्य	शून्य

SCHEDULE 18

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. Investments:

The percentage of investments under “Held to Maturity” category - SLR as on 31.03.2016 was 20.60% of Demand and Time Liability of the Bank (Previous year 22.23%), which is within the permissible limit as per RBI guidelines.

2. Inter-Branch Transactions:

The initial matching of entries received at Head Office for the purpose of reconciliation under Inter-Branch transactions upto 31.03.2016 has been done. However, Bank is continuing its efforts to reconcile and reduce the remaining outstanding entries.

3. Premises:

Premises include certain properties having original cost of ₹55.46 Crore (Previous year ₹211.35 Crore) in respect of which conveyance deeds are pending executions.

4. Disclosure as per RBI Requirements:

4.1 Capital:

(₹ in Crore)

	Particulars	Basel III	
		31.03.2016	31.03.2015
(i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	8.18	7.37
(ii)	Tier 1 Capital Ratio (%)	8.80	8.02
(iii)	Tier 2 Capital Ratio (%)	2.28	2.54
(iv)	Total Capital Ratio (%)	11.08	10.56
(v)	Percentage of Shareholding of the Government of India in the Bank	66.30	69.91
(vi)	Amount of Equity Capital raised	2467.32	570.00
(vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which,	NIL	1500.00
	Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS):	NIL	NIL
	Perpetual Debt Instruments (PDI):	NIL	NIL

(vii)	जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि; जिसमें कि,	2400.00	शून्य
	कर्ज पूंजी लिखत:	2400.00	शून्य
	अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : [बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)]	शून्य	शून्य

(vii)	Amount of Tier 2 capital raised; of which	2400.00	NIL
	Debt capital instrument:	2400.00	NIL
	Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)/ Redeemable Non Cumulative Preference Shares (RNCPS)/Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	NIL	NIL

4.2 निवेश:

(1) निवेशों का मूल्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i. निवेशों का सकल मूल्य	142674.56	142170.49
क. भारत में	141679.09	141233.93
ख. भारत से बाहर	995.47	936.56
ii. मूल्यहास, एन पी आई के लिए प्रावधान	365.26	109.06
क. भारत में	365.26	109.06
ख. भारत से बाहर	-	-
iii. निवेशों का निवल मूल्य	142309.30	142061.43
क. भारत में	141313.83	141124.87
ख. भारत से बाहर	995.47	936.56

(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधानों में उतार - चढ़ाव और एन पी आई:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i. प्रारंभिक शेष	109.06	847.92
ii. जोड़ें: वर्ष के दौरान बनाये गये प्रावधान	257.64	56.17
iii. घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना	1.44	795.03
iv. इति शेष	365.26	109.06

4.2 Investments:

(1) Value of Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i. Gross Value of Investments	142674.56	142170.49
a. In India	141679.09	141233.93
b. Outside India	995.47	936.56
ii. Provisions for Depreciation, NPI	365.26	109.06
a. In India	365.26	109.06
b. Outside India	-	-
iii. Net Value of Investments	142309.30	142061.43
a. In India	141313.83	141124.87
b. Outside India	995.47	936.56

(2) Movement of Provisions held towards depreciation and for NPI on Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i. Opening Balance	109.06	847.92
ii. Add: Provisions made during the year	257.64	56.17
iii. Less: Write back of excess provisions during the year	1.44	795.03
iv. Closing balance	365.26	109.06

4.2.1. पुनः खरीद (रेपो) लेनदेन:

i. बाजार रेपो

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31.03.2016 को
रेपो के तहत विक्रीत प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	25.00	3653.71	286.01	शून्य
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	40.00	6119.82	1117.40	शून्य
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.2.1 Repo Transactions:

i. Market REPO

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on 31.03.2016
Securities sold under repo				
i) Government Securities	25.00	3653.71	286.01	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	40.00	6119.82	1117.40	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31.03.2016
रेपो के तहत विक्रीत प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	520.00	10868.00	1509.76	6419.92
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	156.00	6240.00	860.39	624.00
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii. Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on 31.03.2016
Securities sold under repo				
i) Government Securities	520.00	10868.00	1509.76	6419.92
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	156.00	6240.00	860.39	624.00
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

4.2.2 गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग:

i) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश का जारीकर्ता विन्यास:

(₹ करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी स्थान नियोजन सीमा	“कम निवेश श्रेणी” प्रतिभूतियों की सीमा	“गैर-रेटेड” प्रतिभूतियों की सीमा	“असूचीगत” प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	4383.28	3702.52	0.00	0.00	10.56
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	1735.02	1132.41	0.00	0.00	0.00
(iii)	बैंक	4249.13	3461.19	10.00	33.13	33.13
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	1796.66	1051.78	104.00	0.00	0.00
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	869.29	869.29	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	10949.70	10684.46	0.00	0.00	0.00
(vii)	घटाएं : मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	23753.10	20901.65	114.00	33.13	43.69

कॉलम 4,5,6, व 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हैं।

4.2.2 Non-SLR Investment Portfolio:

i) Issuer composition of Non SLR Investments:

(₹ in Crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	4383.28	3702.52	0.00	0.00	10.56
(ii)	Fis	1735.02	1132.41	0.00	0.00	0.00
(iii)	Banks	4249.13	3461.19	10.00	33.13	33.13
(iv)	Private Corporate	1796.66	1051.78	104.00	0.00	0.00
(v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	869.29	869.29	0.00	0.00	0.00
(vi)	Others	10949.70	10684.46	0.00	0.00	0.00
(vii)	Less: Provision held towards depreciation and NPI	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	23753.10	20901.65	114.00	33.13	43.69

Amounts reported under columns 4,5,6 and 7 above are not mutually exclusive.

ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
प्रारंभिक शेष	331.56	284.81
1 अप्रैल 2015 के बाद वर्ष के दौरान संवर्धन	106.98	81.83
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौती	1.28	26.35
एक्सचेंज अस्थिरता	5.43	(8.73)
इति शेष	442.69	331.56
धारित कुल प्रावधान	330.03	281.40

ii) Non-Performing Non SLR Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Opening balance	331.56	284.81
Additions during the year since 1st April 2015	106.98	81.83
Reductions during the above period	1.28	26.35
Exchange Fluctuation	5.43	(8.73)
Closing balance	442.69	331.56
Total Provisions held	330.03	281.40

4.2.3 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्ग को / से बिक्री और अंतरण:

वर्ष के दौरान एच टी एम वर्ग को / से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य यथा 01.04.2015 तक एच टी एम वर्ग धारित निवेश के बही मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है।

4.2.3 Sale and transfers to/from HTM Category:

The value of sale and transfers of securities to/from HTM category during the year does not exceed five percent of the book value of the investment held in HTM category as on 01.04.2015.

4.3 व्युत्पन्नियाँ:

4.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i. विनिमय करार का कल्पित मूलधन	6956.77	6692.50
ii. करार के तहत बाध्यता को प्रति पक्ष द्वारा पूरा नहीं किये जाने पर हुई क्षति	204.71	230.23
iii. विनिमय में प्रवेश पर बैंक द्वारा संपार्श्विक की आवश्यकता	शून्य	शून्य
iv. विनिमय से होनेवाली साख जोखिम का संकेद्रण	शून्य	शून्य
v. विनिमय बही का उचित मूल्य	204.71	229.47

4.3 Derivatives:

4.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i. The notional principal of swap agreements	6956.77	6692.50
ii. Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	204.71	230.23
iii. Collateral required by the Bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv. Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v. The fair value of the swap book	204.71	229.47

4.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी :

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	राशि
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी के कल्पित मूलधन की राशि (लिखत-वार) a) 7.72 CL MAT 25.05.2025 b) 8.40 CL MAT 28.07.2024	35.68 771.01
(ii)	यथा 31 मार्च 2016 को विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्नी की कल्पित मूलधन राशि (लिखत-वार)	शून्य
(iii)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया की कल्पित मूलधन राशि तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत-वार)	शून्य
(iv)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया का दैनिक बाजार मूल्य तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत-वार)	शून्य

4.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in Crore)

Sl.No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (Instrument Wise) a) 7.72 CL MAT 25.05.2025 b) 8.40 CL MAT 28.07.2024	35.68 771.01
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2016 (instrument- wise)	NIL
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument- wise)	NIL
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL

4.3.3 व्युत्पन्नी में जोखिम सीमा संबंधी प्रकटीकरण:

I गुणात्मक प्रकटीकरण

बचाव व्यवस्था / व्यापार के लिए व्युत्पन्नी लिखतों के उपयोग संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित साख जोखिम प्रबंधन नीति स्थापित है।

- अ. बैंक के निवेश संविभाग में स्थिर ब्याज दर, जीरो कूपन और अस्थायी ब्याज दरों जैसी विशेषताओं वाली आस्तियां निहित हैं और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन है। बैंक ने टीयर I व टीयर II बांड भी जारी किये हैं और यह पूंजी लागत स्थिर दर पर है और इसमें बहिर्गमन विकल्प नहीं है। यह नीति इस देयता पर ब्याज दर से संबंधित जोखिमों से बचाव की भी अनुमति देती है।

न केवल निवेश संविभाग में बल्कि बाजार निर्माण में भी ब्याज दर जोखिम से बचाव के लिए बैंक को वायदा दर करार (एफ आर ए) और ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) (आई आर एस) और बिलकुल सादा (प्लेन वनिला) कारोबार का प्रयोग करने की अनुमति है।

4.3.3 Disclosure on risk exposure in derivatives:

I Qualitative Disclosure

The Credit Risk Management Policy approved by the Board of Directors, on the use of Derivative Instruments to hedge / trade is in place.

- A. The Investment Portfolio of the Bank consists of assets with characteristics such as fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank also has issued Tier I and Tier II bonds and this capital cost is at fixed rate with no exit option. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

Bank is permitted to use FRA and IRS (only plain vanilla transactions are permitted). These instruments are used not only for hedging the interest rate risk in the investment portfolio but also for market making.

वर्ष के दौरान, बैंक ने निवेश संविभाग के तहत आईआरएस में व्युत्पन्नी व्यापार नहीं किया है।

वर्ष के दौरान कोई ट्रेडिंग स्वैप / एफआरए नहीं किया गया है।

विदेशी मुद्रा देयताओं से संबंधित जोखिमों से बचाव के उद्देश्य से बैंक वायदा दर करार (एफ आर ए) और ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) (आई आर एस) जैसी व्युत्पन्नी का प्रयोग कर रहा है। परस्पर मुद्रा के आधार पर हमारे ग्राहकों की ओर से विकल्प और स्वैप का भी प्रयोग किया जा रहा है।

ऑ. बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे स्टॉप लॉस सीमाएं, प्रतिपक्ष जोखिम सीमाएं, पी वी 01, आदि कार्यशील हैं। इन जोखिम सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। जोखिम प्रबंधन समिति को प्रबंध सूचना प्रणाली / रिपोर्ट आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। बकाया व्युत्पन्नी व्यवहारों की बचाव व्यवस्था की प्रभावशीलता की निरंतर आधार पर अंतर्निहित आस्ति / देयता के संबंध में पखवाड़े आधार पर निगरानी की जाती है।

इ. लेखांकन नीति:

बचाव की स्थिति:

- ब्याज व्यय / आईआरएस पर आय के कारण उपचय को व्यय / आय के रूप में लेखांकित व मान्य किया जाएगा।
- बकाया व्युत्पन्नी कार्य की निगरानी अदला-बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य के संबंध में बचाव व्यवस्था व्यवहारों के द्वारा की जाती है। बैंक एफआईएमडीए मूल्यांकन पद्धति अर्थात् जी एसईसी प्रतिफल तथा कॉर्पोरेट मॉडल को अपनाते हुए अदला-बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य का निर्धारण करता है। अगर बचाव प्रभावकारी नहीं होता है तो बचाव अदला-बदली को ट्रेडिंग अदला-बदली के रूप में लिया जाता है। यदि परिपक्वता से पूर्व स्वैप को समाप्त कर दिया जाता है तो उस तारीख तक एम टी एम हानि / लाभ और उपचयों का ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) (आई आर एस) पर भुगतान की गई / प्राप्त ब्याज के तहत लेखांकन किया जाता है।

ट्रेडिंग की स्थिति

- सामान्य अंतरालों में ट्रेडिंग स्वैप को बाजार पर अंकित किया जाता है और आय विवरणों में परिवर्तनों को रिकॉर्ड किया जाता है।
- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर स्वैप (आई आर एस) पर आय को व्यय / आय माना जाता है।
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उक्त शीर्षक के तहत तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

During the year, the Bank has not undertaken Derivative Trades in IRS under the Investment portfolio.

No Trading Swaps / FRAs were undertaken during the year.

Bank has been undertaking derivatives trades like IRS and FRAs for the purpose of hedging the Bank's Foreign Currency liabilities also. Options and Swaps are also undertaken on behalf of clients on back to back basis.

B. The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counterparty exposure limits, PV01, etc. approved by the Board of Directors are in place. These risk limits are monitored and reviewed regularly. MIS/Reports are submitted periodically to Risk Management Committee. The hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the underlying asset/liability on fortnightly basis.

C. Accounting Policy:

Hedge Positions:

- Accrual on account of interest expenses/ income on the IRS are accounted and recognized as expense/ income.
- Hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the fair value of the swap and underlying asset/liability. The Bank has used the relevant INBMK yield + spread as declared by FIMMDA for arriving at the fair value of the underlying Asset/Liability. If the hedge is not effective, hedge swaps is accounted as trading swaps. If swap is terminated before maturity, the MTM loss / gain and accruals till such date are accounted as expense/income under Interest Paid / received on IRS.

Trading Positions

- Trading swaps are marked to market at frequent intervals and changes are recorded in the income statements.
- Accrual on account of interest expenses/ income on the IRS are accounted and recognized as expense / income.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expense under the above head.

II परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	व्युत्पन्नी (कल्पित मूलधन राशि)				
	- बचाव व्यवस्था	शून्य	शून्य	6956.77	6592.50
	- ट्रेडिंग	2597.73*	1121.32*	शून्य	100.00
2	बाजार स्थितियों को अंकित				
	- आस्तियाँ (+)	शून्य	शून्य	148.74	230.23
	- देयताएँ (-)	-0.03	-0.01	शून्य	-0.76
3	ऋण जोखिम	शून्य	शून्य	शून्य	0.65
		घरेलू		समुद्रपारीय	
		मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव [100*पीवी01] -				
	- बचाव व्यवस्था व्युत्पन्नियों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- ट्रेडिंग व्युत्पन्नियों पर	शून्य	शून्य	शून्य	0.0058
5	वर्ष के दौरान पाए गए अधिकतम व न्यूनतम 100*पीवी01				
	- बचाव व्यवस्था व्युत्पन्नियों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- ट्रेडिंग व्युत्पन्नियों पर	शून्य	शून्य	शून्य	0.0155/ 0.0055
6	वायदा सविदा [100*पीवी01] के तहत बकाया स्थिति पर विनिमय दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव: ₹1.06 करोड़ का लाभ (पिछले वर्ष: ₹0.41 करोड़ का लाभ)				

*एनएसई / एमसीएक्स में मुद्रा भविष्य

II Quantitative disclosure:

(₹ in Crore)

SI No	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives					
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016		31.03.2015			
1	Derivatives (Notional principal amount)								
	- Hedging	NIL	NIL			6956.77		6592.50	
	- Trading	2597.73*	1121.32*			NIL		100.00	
2	Marked to Market positions								
	- Assets (+)	NIL	NIL			148.74		230.23	
	- Liabilities (-)	-0.03	-0.01			NIL		-0.76	
3	Credit Exposure	NIL	NIL			NIL		0.65	
		Domestic				Overseas			
		Currency Derivative		Interest Rate Derivatives		Currency Derivative		Interest Rate Derivatives	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
4	Likely impact of one percentage change in interest rate [100*PV01]-								
	- on hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	1.01	1.01
	- on trading derivatives	NIL	NIL	NIL	0.0058	NIL	NIL	NIL	NIL
5	Maximum and minimum of 100*PV01 observed during the year.								
	- on hedging	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	- on trading	NIL	NIL	NIL	0.0155/ 0.0055	NIL	NIL	NIL	NIL
6	Likely impact of one percentage change in exchange rate on outstanding position under forward contract [100%PV01]: Gain of Rs.1.06 crore (Previous Year: Gain of ₹ 0.41 Crore)								

*Currency future in NSE/MCX

4.4 आस्ति गुणवत्ता:

4.4.1 अनर्जक आस्तियां:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2016	31.03.2015
(i)	निवल अग्रिम पर निवल एनपीए (%)	6.42	2.65
(ii)	एनपीए का उतार- चढ़ाव (सकल)		
	क. प्रारंभिक शेष	13039.96	7570.21
	ख. वर्ष के दौरान संवर्धन	24724.06	10869.53
	ग. वर्ष के दौरान कमी	6126.19	5399.78
	घ. इति शेष	31637.83	13039.96
(iii)	निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव		
	क. प्रारंभिक शेष	8740.09	5965.46
	ख. वर्ष के दौरान संवर्धन	18219.01	8174.41
	ग. वर्ष के दौरान कमी	6126.19	5399.78
	घ. इति शेष	20832.91	8740.09
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधान का उतार-चढ़ाव (मानक आस्ति संबंधी प्रावधान को छोड़कर)		
	क. प्रारंभिक शेष	4253.68	1560.84
	ख. मुद्रा अस्थिरता तथा अन्य के लिए प्रावधान	29.28	-3.25
	ग. वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	9856.97	4175.71
	घ. बट्टे खाते में डालना / अधिक प्रावधान वापस करना	3394.76	1479.62
	ड. इति शेष	10745.17	4253.68

4.4 Asset Quality:

4.4.1 Non-Performing Assets:

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2016	31.03.2015
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	6.42	2.65
(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	a. Opening balance	13039.96	7570.21
	b. Additions during the year	24724.06	10869.53
	c. Reductions during the year	6126.19	5399.78
	d. Closing balance	31637.83	13039.96
(iii)	Movement of Net NPAs		
	a. Opening balance	8740.09	5965.46
	b. Additions during the year	18219.01	8174.41
	c. Reductions during the year	6126.19	5399.78
	d. Closing balance	20832.91	8740.09
(iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding Provision on Standard Assets)		
	a. Opening balance	4253.68	1560.84
	b. Adjustment towards Exchange Fluctuation & others	29.28	-3.25
	c. Provisions made during the year	9856.97	4175.71
	d. Write off / (Write back) of excess provision	3394.76	1479.62
	e. Closing balance	10745.17	4253.68

4.4.2 पुनः संरचित खातों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. मांक	पुनःसंरचना का प्रकार		सीडीआर					एसएमई				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण											
1	यथा वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल को पुनःसंरचना खाते (प्रारंभिक आंकड़ा)	उधारकर्ताओं की संख्या	48	21	18	2	89	8287	2046	4306	2512	17151
		राशि	6905.67	1950.12	1404.46	361.52	10621.77	577.88	249.93	239.04	124.06	1190.92
		तद्संबंधी राशि	241.70	298.25	829.14	361.52	1730.60	20.23	39.86	121.33	124.06	305.48
2	वर्ष के दौरान नई पुनःसंरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	1	0	2	2846	352	33	2	3233
		राशि	375.69	0.00	69.27	0.00	444.96	313.35	105.00	4.23	0.07	422.66
		तद्संबंधी राशि	1.29	0.00	19.89	0.00	21.19	4.89	16.68	2.90	0.07	24.53
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंरचित मानक श्रेणी को स्तरोन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
		राशि	29.23	0.00	-29.23	0.00	0.00	4.22	-2.90	-1.32	0.00	0.00
		तद्संबंधी राशि	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण तथा/या अतिरिक्त जोखिम भार आकर्षित करनेवाली पुनःसंरचित मानक अग्रिमों को अगले वित्तीय वर्ष में पुनः संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
		राशि	2247.76	0.00	0.00	0.00	2247.76	64.05	0.00	0.00	0.00	64.05
		तद्संबंधी राशि	8.99	0.00	0.00	0.00	8.99	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		राशि	-2337.82	-502.28	2821.91	18.19	0.00	-106.59	-67.32	160.46	13.45	0.00
		तद्संबंधी राशि	0.00	186.97	1289.15	18.19	1494.31	0.00	8.60	72.24	13.45	94.29
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनःसंरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	2	0	2	76	74	182	160	492
		राशि	600.00	6.01	26.75	122.22	754.97	115.28	17.16	32.72	4.10	169.27
		तद्संबंधी राशि	0.00	0.00	0.00	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	4.10	4.10
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनःसंरचना खाते (इति आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	47	21	17	2	87	11057	2324	4157	2354	19892
		राशि	2125.01	1441.84	4239.66	257.49	8064.00	609.53	267.55	369.70	133.48	1380.26
		तद्संबंधी राशि	235.02	485.21	2138.18	257.49	3115.91	25.11	65.14	196.46	133.48	420.18

4.4.2 Particulars of Accounts Restructured:

(₹ in Crore)

Sl. No.	TYPE OF RESTRUCTURING		CDR					SME				
	ASSET CLASSIFICATION		STANDARD	SUB STANDARD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STANDARD	SUB STANDARD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
	DETAILS											
1	RESTRUCTURE ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY (OPENING FIGURES)	NO OF BORROWERS	48	21	18	2	89	8287	2046	4306	2512	17151
		AMOUNT OUTSTANDING	6905.67	1950.12	1404.46	361.52	10621.77	577.88	249.93	239.04	124.06	1190.92
		PROVISION THEREON	241.70	298.25	829.14	361.52	1730.60	20.23	39.86	121.33	124.06	305.48
2	FRESH RESTRUCTURED DURING THE YEAR	NO OF BORROWERS	1	0	1	0	2	2846	352	33	2	3233
		AMOUNT OUTSTANDING	375.69	0.00	69.27	0.00	444.96	313.35	105.00	4.23	0.07	422.66
		PROVISION THEREON	1.29	0.00	19.89	0.00	21.19	4.89	16.68	2.90	0.07	24.53
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO OF BORROWERS	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
		AMOUNT OUTSTANDING	29.23	0.00	-29.23	0.00	0.00	4.22	-2.90	-1.32	0.00	0.00
		PROVISION THEREON	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASES TO ATTRACT HIGHER PROVISIONING AND/OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO OF BORROWERS	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
		AMOUNT OUTSTANDING	2247.76	0.00	0.00	0.00	2247.76	64.05	0.00	0.00	0.00	64.05
		PROVISION THEREON	8.99	0.00	0.00	0.00	8.99	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AMOUNT OUTSTANDING	-2337.82	-502.28	2821.91	18.19	0.00	-106.59	-67.32	160.46	13.45	0.00
		PROVISION THEREON	0.00	186.97	1289.15	18.19	1494.31	0.00	8.60	72.24	13.45	94.29
6	WRITE OFFs OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	0	0	2	0	2	76	74	182	160	492
		AMOUNT OUTSTANDING	600.00	6.01	26.75	122.22	754.97	115.28	17.16	32.72	4.10	169.27
		PROVISION THEREON	0.00	0.00	0.00	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	4.10	4.10
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO OF BORROWERS	47	21	17	2	87	11057	2324	4157	2354	19892
		AMOUNT OUTSTANDING	2125.01	1441.84	4239.66	257.49	8064.00	609.53	267.55	369.70	133.48	1380.26
		PROVISION THEREON	235.02	485.21	2138.18	257.49	3115.91	25.11	65.14	196.46	133.48	420.18

(₹ करोड़ में)

क्र मांक	पुनःसंरचना का प्रकार		पुनःसंरचना का प्रकार				अन्य					
	आस्ति वर्गीकरण		आस्ति वर्गीकरण	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि
	विवरण											
1	यथा वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल को पुनःसंरचना खाते (प्रारंभिक आंकड़ा)	उधारकर्ताओं की संख्या	28238	2438	3196	1326	35198	36573	4505	7520	3840	52438
		राशि	19161.84	370.53	920.99	197.77	20651.12	26645.40	2570.59	2564.49	683.35	32463.82
		तद्संबंधी राशि	670.66	58.86	502.28	197.77	1429.57	932.59	396.97	1452.75	683.35	3465.65
2	वर्ष के दौरान नई पुनःसंरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	3855	354	26	7	4242	6702	706	60	9	7477
		राशि	1824.19	170.25	41.82	76.19	2112.44	2513.23	275.25	115.32	76.26	2980.06
		तद्संबंधी राशि	26.46	31.20	17.22	76.19	151.07	32.65	47.87	40.01	76.26	196.79
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंरचित मानक श्रेणी को स्तरोन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		राशि	47.92	-15.77	-29.69	-2.45	0.00	81.37	-18.67	-60.24	-2.45	0.00
		तद्संबंधी राशि	8.28	0.00	0.00	-2.45	5.83	9.45	0.00	0.00	-2.45	7.00
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण तथा / या अतिरिक्त जोखिम भार आकर्षित करनेवाली पुनःसंरचित मानक अग्रिमों को अगले वित्तीय वर्ष में पुनः संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की राशि	9	0	0	0	9	11	0	0	0	11
		राशि	2767.94	0.00	0.00	0.00	2767.94	5079.75	0.00	0.00	0.00	5079.75
		तद्संबंधी राशि	11.03	0.00	0.00	0.00	11.03	20.19	0.00	0.00	0.00	20.19
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		राशि	-1616.06	663.73	729.01	223.32	0.00	-4060.48	94.13	3711.39	254.96	0.00
		तद्संबंधी राशि	0.00	163.20	250.98	223.32	637.51	0.00	358.78	1612.37	254.96	2226.10
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़े खाते डाले गए पुनःसंरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	237	199	370	132	938	313	273	554	292	1432
		राशि	7416.61	30.18	77.90	7.92	7532.61	8131.88	53.35	137.37	134.25	8456.85
		तद्संबंधी राशि	0.00	0.00	0.00	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	134.25	134.25
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनःसंरचना खाते (इति आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	31847	2593	2852	1201	38493	42951	4938	7026	3557	58472
		राशि	9233.33	1158.56	1584.22	486.90	12463.01	11967.87	2867.94	6193.59	877.87	21907.27
		तद्संबंधी राशि	694.38	253.26	770.48	486.90	2205.02	954.50	803.62	3105.13	877.87	5741.12

(₹ in Crore)

Sl. No.	TYPE OF RESTRUCTURING		OTHERS					TOTAL				
	ASSET CLASSIFICATION		STANDARD	SUB STANDARD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STANDARD	SUB STANDARD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
	DETAILS											
1	RESTRUCTURE ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY (OPENING FIGURES)	NO OF BORROWERS	28238	2438	3196	1326	35198	36573	4505	7520	3840	52438
		AMOUNT	19161.84	370.53	920.99	197.77	20651.12	26645.40	2570.59	2564.49	683.35	32463.82
		PROVISION AMOUNT	670.66	58.86	502.28	197.77	1429.57	932.59	396.97	1452.75	683.35	3465.65
2	FRESH RESTRUCTURED DURING THE YEAR	NO OF BORROWERS	3855	354	26	7	4242	6702	706	60	9	7477
		AMOUNT	1824.19	170.25	41.82	76.19	2112.44	2513.23	275.25	115.32	76.26	2980.06
		PROVISION AMOUNT	26.46	31.20	17.22	76.19	151.07	32.65	47.87	40.01	76.26	196.79
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO OF BORROWERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AMOUNT	47.92	-15.77	-29.69	-2.45	0.00	81.37	-18.67	-60.24	-2.45	0.00
		PROVISION AMOUNT	8.28	0.00	0.00	-2.45	5.83	9.45	0.00	0.00	-2.45	7.00
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASE TO ATTRACT HIGHER PROVISIONING AND/OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO OF BORROWERS	9	0	0	0	9	11	0	0	0	11
		AMOUNT	2767.94	0.00	0.00	0.00	2767.94	5079.75	0.00	0.00	0.00	5079.75
		PROVISION AMOUNT	11.03	0.00	0.00	0.00	11.03	20.19	0.00	0.00	0.00	20.19
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AMOUNT	-1616.06	663.73	729.01	223.32	0.00	-4060.48	94.13	3711.39	254.96	0.00
		PROVISION AMOUNT	0.00	163.20	250.98	223.32	637.51	0.00	358.78	1612.37	254.96	2226.10
6	WRITE OFFS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	237	199	370	132	938	313	273	554	292	1432
		AMOUNT	7416.61	30.18	77.90	7.92	7532.61	8131.88	53.35	137.37	134.25	8456.85
		PROVISION AMOUNT	0.00	0.00	0.00	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	134.25	134.25
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO OF BORROWERS	31847	2593	2852	1201	38493	42951	4938	7026	3557	58472
		AMOUNT	9233.33	1158.56	1584.22	486.90	12463.01	11967.87	2867.94	6193.59	877.87	21907.27
		PROVISION AMOUNT	694.38	253.26	770.48	486.90	2205.02	954.50	803.62	3105.13	877.87	5741.12

4.4.3 आस्ति पुनःसंरचना के लिए कंपनी प्रतिभूतीकरण / कंपनी पुनःसंरचना को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण:

A. बिक्री का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i. खातों की संख्या	7	66
ii. एससी / आरसी को बेचे गये खातों का समग्र मूल्य (निवल प्रावधान)	36.81	497.51
iii. समग्र प्रतिफल	34.21	906.00
iv. पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
v. निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ	(2.60)	408.49

B. प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i. अंतर्निहित को बैंक द्वारा बिक्री व एनपीए द्वारा समर्थित	1967.75	1948.97
ii. अंतर्निहित को अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री व एनपीए द्वारा समर्थित	शून्य	शून्य
कुल	1967.75	1948.97

4.4.3 Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

A. Details of Sales

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i. No. of accounts	7	66
ii. Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	36.81	497.51
iii. Aggregate consideration	34.21	906.00
iv. Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
v. Aggregate Gain over Net Book Value	(2.60)	408.49

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i. Backed by NPAs sold by the bank as underlying	1967.75	1948.97
ii. Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	NIL	NIL
Total	1967.75	1948.97

प्रतिभूति रसीद पर बैंक ₹776.23 करोड़ का प्रावधान अनुरक्षित रखे हुए हैं। (पिछले वर्ष ₹773.99 करोड़)

4.4.4 खरीदी / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1 क. वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ख. समग्र प्रतिफल	शून्य	शून्य
2. क. उनमें से वर्ष के दौरान पुनसंरचनाकृत खातों की	शून्य	शून्य
ख. समग्र बकाया	शून्य	शून्य

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1 बेचे गये खातों की संख्या	7	66
2. समग्र अतिदेयता	151.47	1200.11
3. प्राप्त समग्र प्रतिफल	34.21	906.00

4.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
मानक आस्तियों पर प्रावधान	1413.09	1870.25

4.5 कारोबार संबंधी अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	8.11	8.88
ii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय (%)	0.90	0.92
iii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ (%)	1.32	1.41
iv. आस्तियों पर प्रतिफल (%)	(0.52)	0.55
v. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम को मिलाकर) [₹ लाखों में]	1444.62	1435.02
vi. प्रति कर्मचारी लाभ [₹ करोड़ में]	(0.05)	0.05

Bank is holding provision of ₹776.23 Crore on account of Security Receipts. (Previous year- ₹ 773.99 Crore)

4.4.4 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of non-performing financial assets purchased

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
1 a. No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
b. Aggregate consideration	NIL	NIL
2. a. Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
b. Aggregate outstanding	NIL	NIL

B. Details of non-performing financial assets sold

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
1 No. of accounts sold	7	66
2. Aggregate outstanding	151.47	1200.11
3. Aggregate consideration received	34.21	906.00

4.4.5 Provisions on Standard Asset:

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Provisions towards Standard Assets	1413.09	1870.25

4.5 Business Ratios:

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i. Interest income as a percentage to Working Funds (%)	8.11	8.88
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	0.90	0.92
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	1.32	1.41
iv. Return on Assets (%)	(0.52)	0.55
v. Business (Deposits plus Advances) per employee [₹ in lakhs]	1444.62	1435.02
vi. Profit per employee	(0.05)	0.05

4.6 आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति तथा देयता की कुछेक मदों का परिपक्वता स्वरूप:

(₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	5825.91 (4072.31)	9764.30 (17135.04)	445.76 (211.25)	0.00 (1100.00)	10365.97 (3600.93)	1472.76 (860.24)
2 से 07 दिनों तक	21929.52 (15662.94)	7937.15 (11513.17)	198.16 (2500.00)	337.24 (287.48)	1537.67 (1744.34)	2902.73 (3886.11)
8 से 14 दिनों तक	15420.38 (12729.60)	10056.91 (8622.58)	383.78 (5.00)	616.54 (0.00)	1244.02 (3073.59)	1224.56 (3287.62)
15 से 30 दिनों तक	16077.75 (16211.67)	9853.60 (14575.33)	279.70 (347.54)	480.35 (446.06)	3612.39 (2564.25)	3443.71 (2205.90)
31 दिनों से 2 महीने तक	26275.24 (*)	19515.60 (*)	1094.72 (*)	1420.58 (*)	5008.40 (*)	5728.80 (*)
2 महीने से 3 महीने तक	28855.36 (46182.82)	15596.44 (28135.10)	733.41 (6867.80)	1634.37 (3740.43)	7414.64 (9798.76)	4946.24 (11351.41)
3 महीने से 6 महीने तक	40479.94 (38531.94)	18253.19 (20837.77)	1121.30 (3394.47)	4330.69 (1347.27)	9179.74 (4882.25)	10134.91 (7781.87)
6 महीने से 1 वर्ष तक	85376.03 (132437.70)	28160.42 (47128.30)	3837.65 (5081.73)	1360.76 (1726.27)	9004.84 (10926.29)	7234.21 (9678.39)
1 वर्ष से 3 वर्षों तक	191141.03 (167375.63)	99680.66 (82604.60)	21690.60 (16868.52)	5046.82 (5984.34)	3194.35 (6240.47)	4988.11 (1506.87)
3 वर्ष से 5 वर्षों तक	27718.13 (21443.81)	43344.70 (35902.27)	28554.95 (32567.18)	0.00 (3450.09)	1166.38 (2874.14)	334.63 (4041.56)
5 वर्ष	20692.27 (19191.68)	62551.85 (63581.35)	83969.27 (77502.69)	11645.96 (7589.60)	2645.85 (3561.01)	3120.73 (4666.06)
कुल	479791.56 (473840.10)	324714.82 (330035.51)	142309.30 (145346.18)	26873.31 (25671.57)	54374.25 (49266.03)	45531.39 (49266.03)

(पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठकों में दिए गए हैं)

(*) पिछले वर्ष के आंकड़े 31 दिन से 2 माह बकेट में प्रदर्शित नहीं किये गये हैं, चूंकि भार.रि.बै. परिपत्र दिनांकित 23 मार्च, 2016 अनुसार बकेट परिवर्तित हुआ है।

4.6 Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(₹ in Crore)

Particulars	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign currency Liabilities
1 day	5825.91 (4072.31)	9764.30 (17135.04)	445.76 (211.25)	0.00 (1100.00)	10365.97 (3600.93)	1472.76 (860.24)
2 to 7 days	21929.52 (15662.94)	7937.15 (11513.17)	198.16 (2500.00)	337.24 (287.48)	1537.67 (1744.34)	2902.73 (3886.11)
8 to 14 days	15420.38 (12729.60)	10056.91 (8622.58)	383.78 (5.00)	616.54 (0.00)	1244.02 (3073.59)	1224.56 (3287.62)
15 to 30 days	16077.75 (16211.67)	9853.60 (14575.33)	279.70 (347.54)	480.35 (446.06)	3612.39 (2564.25)	3443.71 (2205.90)
31 days to 2 months	26275.24 (*)	19515.60 (*)	1094.72 (*)	1420.58 (*)	5008.40 (*)	5728.80 (*)
Over 2 months to 3 months	28855.36 (46182.82)	15596.44 (28135.10)	733.41 (6867.80)	1634.37 (3740.43)	7414.64 (9798.76)	4946.24 (11351.41)
Over 3 months to 6 months	40479.94 (38531.94)	18253.19 (20837.77)	1121.30 (3394.47)	4330.69 (1347.27)	9179.74 (4882.25)	10134.91 (7781.87)
Over 6 months to 1 year	85376.03 (132437.70)	28160.42 (47128.30)	3837.65 (5081.73)	1360.76 (1726.27)	9004.84 (10926.29)	7234.21 (9678.39)
Over 1 year to 3 years	191141.03 (167375.63)	99680.66 (82604.60)	21690.60 (16868.52)	5046.82 (5984.34)	3194.35 (6240.47)	4988.11 (1506.87)
Over 3 years to 5 years	27718.13 (21443.81)	43344.70 (35902.27)	28554.95 (32567.18)	0.00 (3450.09)	1166.38 (2874.14)	334.63 (4041.56)
Over 5 years	20692.27 (19191.68)	62551.85 (63581.35)	83969.27 (77502.69)	11645.96 (7589.60)	2645.85 (3561.01)	3120.73 (4666.06)
Total	479791.56 (473840.10)	324714.82 (330035.51)	142309.30 (145346.18)	26873.31 (25671.57)	54374.25 (49266.03)	45531.39 (49266.03)

(Figures in brackets relate to previous year)

(*) Previous year's figures are not shown in 31 days to 2 months bucket as bucketing is changed as per RBI circular dated 23rd March 2016.

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors)

4.7 ऋण जोखिम:

4.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में ऋण जोखिम:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी		31.03.2016	31.03.2015
क)	प्रत्यक्ष ऋण जोखिम	26587.44	21622.52
	आवासीय बंधक	22367.96	18019.93
	- आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूर्ण रूप से सुरक्षित है जो उधारकर्ता द्वारा अभिग्रहित किया जाएगा या किराए पर दिया गया है।		
	- जिसमें से व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए पात्र है	14728.75	9071.83
(ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा	4081.85	3601.96
	- वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक के द्वारा सुरक्षित उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्यी वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार निवास भवन, औद्योगिक या वेयरहाउस स्थान, होटल, भूमि अर्जन, विकास व संरचना आदि)। जोखिम में गैर-निधि आधारित सीमा भी शामिल हैं।		
(iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूति ऋण जोखिम	137.63	0.63
	क. आवासीय	120.52	0.63
	ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	17.11	NIL
ख)	अप्रत्यक्ष ऋण जोखिम	11561.45	7808.02
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) संबंधी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	11561.45	7808.02
	स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल ऋण जोखिम	38148.89	29430.54

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखा परीक्षकों द्वारा आश्रित)

4.7 Exposures:

4.7.1 Exposure to Real Estate Sector:

(₹ in Crore)

Category		31.03.2016	31.03.2015
a)	Direct Exposure	26587.44	21622.52
(i)	Residential Mortgages	22367.96	18019.93
	- lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented		
	- Of which, individual Housing Loans eligible for inclusion in priority sector advances	14728.75	9071.83
(ii)	Commercial Real Estate	4081.85	3601.96
	- Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc). Exposure also include non-fund based (NFB) limits.		
(iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -	137.63	0.63
	a. Residential	120.52	0.63
	b. Commercial Real Estate	17.11	NIL
b)	Indirect Exposure	11561.45	7808.02
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	11561.45	7808.02
	Total Exposure to Real Estate Sector	38148.89	29430.54

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors)

4.7.2 पूँजी बाजार में ऋण जोखिम:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i. ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आरंभिक निधि नितान्त रूप से नैगम ऋण में निविष्ट नहीं की गई	1418.64	1281.39
ii. शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में या बेजमानती आधार पर शेयरों (आई-पीओ/ईएसपीओ सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा म्यूचुअल फंड उन्मुख ईक्विटी इकाईयों में निवेश हेतु व्यष्टियों को दिया गया अग्रिम	10.56	10.30
iii. कसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बंधपत्र या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	62.06	61.40
iv. अग्रिमों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनियों की संपाक्षिर्क प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत किये जाने तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम यानि शेयर / प्रयोजन बांड / परिवर्तनीय डिबेंचर / ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनियों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया प्रावरित नहीं करती।	60.66	77.00
v. स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों विपणि निर्माताओं के पत्र में निर्गत गारंटियाँ	784.98	662.27
vi. स्रोतों को एकत्रित करने की प्रत्याशा में नई कंपनियों में ईक्विटी करने के लिए प्रायोजक का अंशदान पूरा करने के लिए शेयर / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के एवज में या बेशर्तिया कॉर्पोरेंटों को स्वीकृत अग्रिम।	3.10	0.10
vii. प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों / इश्युओं के एवज में कंपनियों को पूरक ऋण।	शून्य	शून्य
viii. शेयरों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनियों के आरंभिक इश्यू के मामले में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी वचनबद्धतायें।	शून्य	शून्य
ix. मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण	शून्य	शून्य
x. वेंचर पूँजी निधियों में सारे जोखिम पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों पूँजी बाजार में कुल जोखिम	327.69	363.96
पूँजी बाजार की कुल ऋण जोखिम	2667.69	2456.42

4.7.2 Exposure to Capital Market:

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2016	31.03.2015
i.	Direct Investment in Equity Shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	1418.64	1281.39
ii.	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	10.56	10.30
iii.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	62.06	61.40
iv.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	60.66	77.00
v.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	784.98	662.27
vi.	Loans sanctioned to corporate against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	3.10	0.10
vii.	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	NIL	NIL
viii.	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible –debentures or units of equity oriented mutual funds	NIL	NIL
ix.	Financing to stockbrokers for margin trading	NIL	NIL
x.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	327.69	363.96
Total Exposure to Capital Market		2667.69	2456.42

4.7.3 जोखिम श्रेणीवार देश की ऋण जोखिम:

ऐसे देशों के संदर्भ में जहाँ बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम उसकी कुल आस्तियों का 1% या ज्यादा है तो बैंक को देश-जोखिम का प्रावधान करने की आवश्यकता है। यथा 31.03.2016 को यूनाइटेड किंगडम (नगण्य जोखिम श्रेणी-ए1) व हांगकांग (निम्न जोखिम वर्ग -ए2) के साथ बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम इसकी कुल आस्तियों के 1% से ज्यादा हुआ है तथा आवश्यक प्रावधान बनाया गया है।

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	यथा 31.03.2016 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2016 को धारित प्रावधान	यथा 31.03.2015 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2015 को धारित प्रावधान
नगण्य	3434.88	-	12659.96	6.17
कम	33518.81	21.96	20367.49	8.12
सामान्य	1375.35	-	1568.85	शून्य
उच्च	0.00	-	7.05	शून्य
बहुत ज्यादा	103.75	-	96.61	शून्य
प्रतिबंधित	0.00	-	0.00	शून्य
ऑफ- क्रेडिट	3.98	-	2.73	शून्य
कुल	38436.77	21.96	34702.69	14.29

4.7.3 Risk Category-wise Country Exposure:

In respect of the Country for which the Bank's net funded exposure is 1% or more of its total assets, the Bank is required to make provision for Country Risk. As on 31.03.2016 in the case of United Kingdom (Insignificant Risk – A1) & Hong Kong (Low Risk category –A2) the Net funded exposure exceeds 1% of the total assets, for which the required provision is made.

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2016	Provision held as at 31.03.2016	Exposure (net) as at 31.03.2015	Provision held as at 31.03.2015
Insignificant	3434.88	-	12659.96	6.17
Low	33518.81	21.96	20367.49	8.12
Moderate	1375.35	-	1568.85	NIL
High	0.00	-	7.05	NIL
Very High	103.75	-	96.61	NIL
Restricted	0.00	-	0.00	NIL
Off-credit	3.98	-	2.73	NIL
TOTAL	38436.77	21.96	34702.69	14.29

4.7.4 बैंक द्वारा वृद्धि की गयी एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

बैंक का किसी भी समूह खातों के मामले में निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमा से अधिक नहीं है तथा आधारभूत संरचना परियोजनाओं में या ऑयल कंपनियों के लिए एकल उधारकर्ता को नियोजित किया गया है।

उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर सीमा	मंजूर कुल राशि	यथा 31.03.2016 को अतिदेयता
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.7.5 गैर जमानती अग्रिम:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
कुल गैर जमानती अग्रिम	45570.44	56736.25
जिसमें से		
i) संपार्श्विक के रूप में बैंक पर प्रभारित अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिमों की राशि	8303.03	5094.56
ii) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों (उक्त (i) के अनुसार) का संभावित मूल्य	9856.32	7689.29

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा आश्रित)

4.8 विविध:

4.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधानों की राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
आयकर हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	(372.95)	795.00

4.8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये दंड का प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 47ए(1) अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट नियम या शर्तों के अनुपालन नहीं किए जाने के लिए बैंक पर कोई दंड नहीं लगा है।

पिछले वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को ₹0.10 करोड़ की दंड राशि दी है।

4.7.4 Details of Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The Bank has not exceeded the prudential credit exposure limits prescribed for group accounts and single borrower engaged in infrastructure projects

Name of the Borrower	Exposure Limit	Total amount sanctioned	Outstanding as on 31.03.2016
NIL	NIL	NIL	NIL

4.7.5 Unsecured Advances:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Unsecured Advance	45570.44	56736.25
Out of which		
i) Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral	8303.03	5094.56
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	9856.32	7689.29

(As Compiled by Management and relied upon by Auditor)

4.8. Miscellaneous:

4.8.1 Amount of Provisions made for Income Tax during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Provision for Income Tax (including Wealth tax and Deferred tax)	(372.95)	795.00

4.8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI:

During the financial year 2015-16, there is no penalty in terms of Section 47A(1) of the Banking Regulation Act, 1949 for non-compliance of the Reserve Bank of India instructions.

Bank has paid penalty amount of ₹0.10 Crore to Reserve Bank of India during the previous year.

5. लेखांकन मानदंड:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए विविध लेखांकन मानदंडों के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में, निम्नलिखित सूचना का प्रकटीकरण किया जाता है:

5.1 लेखांकन मानदंड 5- निर्दिष्ट अवधि के लिए निवल लाभ / हानि, पूर्वावधि मर्दे और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

5.1.1 इसके पहले की अवधि की कोई मर्दे नहीं हैं।

5.1.2 लेखांकन नीति में परिवर्तन का प्रभाव – अचल संपत्ति पर मूल्यहास नीति

वर्ष के दौरान अचल संपत्ति पर मूल्यहास की पद्धति प्रयुक्त डब्ल्यूडीवी पद्धति के एवज में प्रबन्धन द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) में परिवर्तित हो गई है। बैंक ने भी वित्तीय वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम हेतु उपयोग के लिये तैयार आस्ति के सामान्य दर के 50% पर व 180 दिनों या अधिक हेतु उपयोग के लिये तैयार आस्ति के सामान्य दर के 100% पर पूंजीकरण के वर्ष में मूल्यहास प्रभारित करने की नीति अपनाई है। बैंक की पूर्व नीति उपयोग हेतु तैयार आस्ति के दिनों की संख्या के बावजूद पूंजीकरण के वर्ष के दौरान 100% के सामान्य दर पर मूल्यहास प्रभारित करना था। वित्तीय विवरणी के प्रस्तुतीकरण को और अधिक उपयुक्त बनाने हेतु ये परिवर्तन किये गये हैं एवं 01.04.2015 से प्रभावी हैं तथा तदनुसार मूल्यहास को संगणित किया गया है।

परिवर्तन के अनुवर्ती ₹171.39 करोड़ की राशि के पूर्व अवधि का मूल्यहास अधिकता में पाया गया है एवं वर्ष हेतु प्रभारित मूल्यहास ₹72.46 करोड़ से अधिक है। परिणामस्वरूप अचल संपत्ति व कर से पूर्व लाभ ₹243.85 करोड़ से अधिक है।

5.1.3 लेखांकन अनुमान में परिवर्तन:

वर्ष के दौरान कुछ आस्तियों का उपयोगी जीवन परिवर्तित हुआ है। ऐसे आस्तियों हेतु आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन हेतु गैर-परिशोधित मूल्यहास राशि को भावी रूप से परिशोधित कर दिया गया है।

5.2 लेखांकन मानदंड 15- कर्मचारी हितलाभ:

उपदान, पेंशन तथा विशेषाधिकार छुट्टी देयताओं के वर्तमान मूल्य और बैंक के योगदान का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानकों को निर्धारित कर निम्नलिखित के लिए बीमाकिक अनुमान किये गए हैं

5. Accounting Standards:

In compliance with the guidelines issued by the RBI regarding disclosure requirements of the various Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the following information is disclosed:

5.1 Accounting Standard 5 – Net Profit/Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

5.1.1 There are no material prior period items

5.1.2 Effect of Changes in Accounting Policies - Depreciation Policy on Fixed Assets.

During the year the method of depreciation on Fixed Assets has been changed to straight line method (SLM), on the basis of useful life determined by management, as against WDV method being used hitherto. Bank has also adopted a policy of charging depreciation in the year of capitalisation at 100 percent of the normal rate of assets ready for use for 180 days or more and at 50 percent of the normal rate of assets ready for use for less than 180 days during that financial year. The earlier policy of the Bank was to charge depreciation at 100 percent of the normal rate during the year of capitalisation irrespective of the number of days the assets was ready for use. The changes have been done to make more appropriate presentation of financial statements and have been effected from 01.04.2015 onwards and depreciation has been calculated accordingly.

Consequent to the change, depreciation of prior period amounting to ₹171.39 crores has been found to be in excess and depreciation charged for the year is higher by ₹72.46 crores. As a result, the fixed assets and the profit before tax are higher by ₹243.85 Crores.

5.1.3 Change in Accounting Estimates:

During the year, useful life of some of the assets has been changed. For those assets, unamortized depreciable amount has been amortized prospectively over the remaining useful life of the assets.

5.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits:

The actuarial assumptions in respect of gratuity, pension and privilege leave, for determining the present value of obligations and contributions of the bank, have been made by fixing various parameters for

- मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गए लेखांकन मानदंड 15(संशोधित) के अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए वेतन में बढ़ोत्तरी की जाती है।
- विगत वर्षों और प्रत्याशित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में ह्रास दर और इसमें मृत्यु को छोड़कर अन्य सभी आहरण लेकिन विकलांगता के कारण हुए आहरण शामिल हैं।
- अस्वस्थता अवकाश के लिए लेखा-बही में प्रावधान नहीं बनाए गए हैं क्योंकि इसका नकदीकरण नहीं किया जा सकता है, जब कोई कर्मचारी अस्वस्थता अवकाश लेता है तो उस कर्मचारी के बदले में कोई अतिरिक्त कर्मचारी प्रदान नहीं किया जाता है तथा अस्वस्थता अवकाश के लिए कोई एवजी भुगतान नहीं किया जाता है।
- Salary escalation by taking into account inflation, seniority, promotion and other factors mentioned in Accounting Standard 15(Revised) issued by ICAI.
- Attrition rate by reference to past experience and expected future experience and includes all types of withdrawals other than death but including those due to disability.
- Provision towards sick leave has not been made in the books of account due to the reason that the same is not encashable, no additional staff being provided when an employee avails sick leave and there will not be any pay out on account of sick leave.

मूलधन बीमांकिक अनुमान				
	विवरण	उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
	रियायती दर	8.00%	8.00%	8.00%
	आस्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	9.30%	9.30%	-
	वेतन में बढ़ोत्तरी	5.50%	5.50%	5.50%
	पेंशन में बढ़ोत्तरी	-	2.00%	-
	मृत्यु दर	आई ए एल एम (2006-08) आधारभूत	आई ए एल एम (2006-08) आधारभूत	आई ए एल एम (2006-08)आधारभूत

Principal Actuarial Assumptions				
	Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
	Discount Rate	8.00%	8.00%	8.00%
	Expected Return on Assets	9.30%	9.30%	-
	Salary Escalation	5.50%	5.50%	5.50%
	Pension Escalation	-	2.00%	-
	Mortality	IALM (2006-08)	IALM (2006-08)	IALM (2006-08)

दायित्वों तथा आस्तियों में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क. परिभाषित दायित्व लाभ में परिवर्तन		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्ष की शुरुआत में डी बी ओ	1664.54	9633.14	800.38
2	सेवा लागत	95.80	924.32	213.63
3	ब्याज लागत	102.02	728.17	64.03
4	बीमाकिक हानियाँ / (लाभ)	46.71	(249.35)	(184.12)
5	लाभ भुगतान	268.62	1062.00	-
6	वर्ष के अंत में डी बी ओ	1640.45	9974.28	893.92

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्ष की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1517.79	9200.16	-
2	योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	117.63	855.61	-
3	वास्तविक कंपनी अंशदान	56.74	523.00	-
4	बीमाकिक लाभ / (हानियाँ)	23.37	(177.77)	-
5	लाभ भुगतान	268.62	1062.00	-
6	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1446.91	9339.00	-

Change in obligation and assets over the year ending 31 Mar 2016

(₹ in Crore)

A Changes in Defined Benefit Obligation (DBO)		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	DBO at beginning of the year	1664.54	9633.14	800.38
2	Service Cost	95.80	924.32	213.63
3	Interest Cost	102.02	728.17	64.03
4	Actuarial Losses / (Gains)	46.71	(249.35)	(184.12)
5	Benefit Payments	268.62	1062.00	-
6	DBO at end of the year	1640.45	9974.28	893.92

(₹ in Crore)

B Changes in Fair Value of Assets		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Fair Value of Plan Assets at beginning of the year	1517.79	9200.16	-
2	Expected Return on plan assets	117.63	855.61	-
3	Actual company contributions	56.74	523.00	-
4	Actuarial Gain / (Loss)	23.37	(177.77)	-
5	Benefits payments	268.62	1062.00	-
6	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1446.91	9339.00	-

(₹ करोड़ में)

यथा 31 मार्च, 2016 को तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / देयता				
		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	1640.45	9974.28	893.92
2	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1446.91	9339.00	-
3	निधीयन स्थिति (अधिशेष / घाटा)	(193.54)	(635.28)	-
4	तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / (देयता)	(193.54)	(635.28)	893.92

(₹ in Crore)

Net Asset (Liability) Recognized in Balance Sheet - 31 March 2016				
		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Present value of Defined Benefit Obligation	1640.45	9974.28	893.92
2	Fair Value of Plan Assets	1446.91	9339.00	-
3	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	(193.54)	(635.28)	-
4	Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	(193.54)	(635.28)	893.92

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नियोक्ता व्यय प्रकटन

(₹ करोड़ में)

नियोक्ता व्यय के घटक				
		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्तमान सेवा लागत (पूर्णतया बीमाकृत सुविधाओं के लिए जोखिम प्रीमियम सहित)	95.80	924.32	213.64
2	ब्याज लागत	102.02	728.17	64.03
3	योजनागत आस्तियों में प्रत्याशित रिटर्न	117.63	855.61	-
4	बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	23.34	(71.57)	(184.13)
5	लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल नियोक्ता व्यय	103.53	725.30	93.54

कोई भुगतान न होने के बावजूद भी बैंक ने विवेकपूर्ण आधार के रूप में बीमारी छुट्टी पर ₹26.00 करोड़ उपलब्ध कराये हैं।

Disclosure of Employer Expense for the year ending 31 Mar 2016

(₹ in Crore)

Components of Employer Expense				
		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Current Service Cost (including risk premiums for fully insured benefits)	95.80	924.32	213.64
2	Interest Cost	102.02	728.17	64.03
3	Expected Return on Plan Assets	117.63	855.61	-
4	Actuarial Losses / (Gains)	23.34	(71.57)	(184.13)
5	Total Employer Expense recognized in P&L	103.53	725.30	93.54

Bank has provided ₹ 26.00 Crore toward Sick Leave as prudential basis though there is no payout.

वर्ष समापन 31 मार्च, 2016 हेतु तुलनपत्र में मान्यता-प्राप्त निवल आस्तियों / देयताओं का समाधान

(₹ करोड़ में)

		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	अवधि के आरंभ पर निवल आस्ति / (देयता)	146.75	432.99	800.38
2	नियोक्ता व्यय	103.53	725.30	93.54
3	नियोक्ता योगदान	56.74	523.00	-
4	अधिग्रहण / व्यापार युग्म	-	-	-
5	अवधि के समापन पर निवल आस्ति / (देयता)	193.54	635.28	893.92

Reconciliation of Net Assets/Liabilities recognized in Balance Sheet for the year ended 31.03.2016

(₹ in Crore)

		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Net Asset / (Liability) at the beginning of the period	146.75	432.99	800.38
2	Employer Expenses	103.53	725.30	93.54
3	Employer Contributions	56.74	523.00	-
4	Acquisitions / Business Combinations	-	-	-
5	Net Asset / (Liability) at the end of the period	193.54	635.28	893.92

5.3 लेखांकन मानदंड- 17- खंड रिपोर्टिंग:
भाग क - कारोबार खंड:

(₹ करोड़ में)

	कारोबार खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2016	31.03.2015
(क) खंड राजस्व			
1	राजकोष परिचालन	12811.13	12201.37
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	15459.48	12582.47
3	थोक बैंकिंग परिचालन	20382.09	22818.09
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आवंटित	244.66	698.36
	कुल	48897.36	48300.29
(ख) खंड परिणाम			
1	राजकोष परिचालन	2156.28	1569.12
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	2372.04	1221.35
3	थोक बैंकिंग परिचालन	2373.68	3548.66
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	6902.00	6339.13
(ग)	गैर आवंटित आय / व्यय	244.66	611.24
(घ) परिचालन लाभ		7146.66	6950.37
(ङ)	प्रावधान और आकस्मिकताएं	10332.43	3452.74
(च)	आय कर	(372.95)	795.00
(छ)	निवल लाभ	(2812.82)	2702.63
(ज) खंड आस्तियां*			
1	राजकोष परिचालन	197569.24	192632.54
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	135406.46	117466.87
3	थोक बैंकिंग परिचालन	195351.59	217195.46
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आवंटित आस्तियां	19188.83	15299.84
	कुल	547516.12	542594.71
(झ) खंड देयताएं			
1	राजकोष परिचालन	34649.32	50848.56
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	293171.08	251281.63
3	थोक बैंकिंग परिचालन	163892.51	183254.51
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आवंटित देयताएं	29644.67	30756.63
6	पूजी और आरक्षित निधियां*	26158.54	26453.38
	कुल	547516.12	542594.71

(*पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)

5.3 Accounting Standard-17 -Segment Reporting:
Part A – Business Segment:

(₹ in Crore)

	BUSINESS SEGMENT	Year ended	
		31.03.2016	31.03.2015
(a) Segment Revenue			
1 Treasury Operations		12811.13	12201.37
2 Retail Banking Operations		15459.48	12582.47
3 Wholesale Banking Operations		20382.09	22818.09
4 Other Banking Operations		0.00	0.00
5 Unallocated		244.66	698.36
Total		48897.36	48300.29
(b) Segment Results			
1 Treasury Operations		2156.28	1569.12
2 Retail Banking Operations		2372.04	1221.35
3 Wholesale Banking Operations		2373.68	3548.66
4 Other Banking Operations		0.00	0.00
Total		6902.00	6339.13
(c) Unallocated Income/Expenses		244.66	611.24
(d) Operating Profit		7146.66	6950.37
(e) Provisions and Contingencies		10332.43	3452.74
(f) Income Tax		(372.95)	795.00
(g) Net Profit		(2812.82)	2702.63
(h) Segment Assets*			
1 Treasury Operations		197569.24	192632.54
2 Retail Banking Operations		135406.46	117466.87
3 Wholesale Banking Operations		195351.59	217195.46
4 Other Banking Operations		0.00	0.00
5 Unallocated Assets		19188.83	15299.84
Total		547516.12	542594.71
(i) Segment Liabilities			
1 Treasury Operations		34649.32	50848.56
2 Retail Banking Operations		293171.08	251281.63
3 Wholesale Banking Operations		163892.51	183254.51
4 Other Banking Operations		0.00	0.00
5 Unallocated Liabilities		29644.67	30756.63
6 Capital and Reserves*		26158.54	26453.38
Total		547516.12	542594.71

(* Excluding Revaluation Reserve)

भाग ख: भौगोलिक खंड:

(₹ करोड़ में)

	भौगोलिक खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2016	31.03.2015
क	देशी परिचालन		
	राजस्व	47634.87	47101.13
	आस्तियाँ	493141.86	494678.72
ख	विदेशी परिचालन		
	राजस्व	1262.50	1199.16
	आस्तियाँ	54374.26	47915.99
ग	कुल		
	राजस्व	48897.37	48300.29
	आस्तियाँ*	547516.12	542594.71

(*पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)

Part B – Geographical Segment:

(₹ in Crore)

	GEOGRAPHICAL SEGMENT	Year ended	
		31.03.2016	31.03.2015
A	Domestic Operations		
	Revenue	47634.87	47101.13
	Assets	493141.86	494678.72
B	International Operations		
	Revenue	1262.50	1199.16
	Assets	54374.26	47915.99
C	Total		
	Revenue	48897.37	48300.29
	Assets*	547516.12	542594.71

(* Excluding Revaluation Reserve)

This has been prepared in terms of RBI Master Circular: DBR:BP:BC No.8/21.04.018/ 2015-16 dated 01.07.2015.

5.4 लेखांकन मानदंड-18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण: संबंधित पार्टियों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध – प्रधान – केनरा बैंक

5.4 Accounting Standard-18 - Related Party Disclosures: Names of Related parties and their relationship with the Bank - Parent - Canara Bank

5.4.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक –

- श्री राकेश शर्मा, प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- श्री प्रद्युमन सिंह रावत, कार्यपालक निदेशक
- श्री हरिदीशकुमार बी, कार्यपालक निदेशक
- श्री दीनबन्धु महापात्र, कार्यपालक निदेशक (22.01.2016 से)
- श्री वी एस कृष्णकुमार, कार्यपालक निदेशक (30.04.2015 तक)

5.4.1 Key Management Personnel –

- Shri. Rakesh Sharma, Managing Director & Chief Executive Officer
- Shri. Pradyuman Singh Rawat, Executive Director
- Shri. Hardeesh Kumar B, Executive Director
- Shri. Dinabandhu Mohapatra, Executive Director (from 22.01.2016)
- Shri. V S Krishnakumar, Executive Director (Till 30.04.2015)

5.4.2 प्रधान

- i) केनरा बैंक

5.4.3 अनुषंगियां

- i) केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि.
- ii) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.
- iii) केनबैंक फैक्टर्स लि.
- iv) केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.
- v) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि.
- vi) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लि. था)
- vii) केनरा एच एस बी सी ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाईफ इन्श्योरेंस कंपनी लि.

5.4.4 संयुक्त उद्यम

- i) कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (पूर्ववर्ती कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मॉस्को)

5.4.5 सहबद्ध संस्थाएं

- i) केनफिन होम्स लिमिटेड
- ii) कॉमनवेलथ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
- iii) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - क) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व प्रगति ग्रामीण बैंक)
 - ख) केरल ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व साऊथ मलाबार ग्रामीण बैंक)

5.4.6 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण निम्नवत् है:

- (i) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक – ₹0.68 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 0.88 करोड़)
- (ii) श्री प्रद्युमन सिंह रावत (कार्यपालक निदेशक) को कर्मचारी आवास ऋण ₹0.41 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹0.05 करोड़)

लेखांकन मानक 18 की पैरा 5 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों तथा उनके संबंधियों के लेन-देन सहित बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

5.4.2 Parent-

- i) Canara Bank

5.4.3 Subsidiaries –

- i) Canbank Financial Services Ltd.
- ii) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- iii) Canbank Factors Ltd.
- iv) Canara Robecco Asset Management Company Ltd.
- v) Canbank Computer Services Ltd.
- vi) Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd)
- vii) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd

5.4.4 Joint Ventures

- i) Commercial Indo Bank LLC., Moscow (formerly Commercial Bank of India LLC., Moscow)

5.4.5 Associates –

- i) Canfin Homes Ltd.
- ii) Commonwealth Trust (India) Ltd.
- iii) Regional Rural Banks sponsored by the Bank
 - a) Pragati Krishna Gramin Bank (Erstwhile Pragati Gramin Bank)
 - b) Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)

5.4.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

- i) Remuneration to Key Management Personnel ₹ 0.68 Crore (Previous Year: ₹0.88 Crore)
- (ii) Staff Housing Loan to Shri P S Rawat (Executive Director) ₹0.41 Crore (Previous Year ₹0.05 Crore)

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed

5.4.7 अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं एवं संयुक्त उद्यम के साथ संव्यवहार निम्नवत् है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुषंगियाँ	सहबद्ध संस्थाएं व संयुक्त उद्यम	महत्वपूर्ण कार्मिक प्रबंधन	महत्वपूर्ण कार्मिक प्रबंधन के संबंधी	कुल
उधार –					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	30.00 (30.00)	-	-	30.00 (30.00)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	30.00 (30.00)			30.00 (30.00)
जमाएं –					
यथा वर्षांत को बकाया	42.56 (136.98)	388.52 (2063.36)	-	-	431.08 (2200.34)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	63.41 (136.98)	1792.12 (2063.36)			1855.53 (2200.34)
जमाओं का नियोजन –					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	149.41 (140.94)	-	-	149.41 (140.94)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	149.41 (140.94)			149.41 (140.94)
अग्रिम –					
यथा वर्षांत को बकाया	537.29 (620.23)	2218.11 (2220.58)	-	-	2755.40 (2840.81)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	616.21 (620.23)	2972.25 (2220.58)			3588.46 (2840.81)
अचल संपत्ति की खरीद –					
यथा वर्षांत को बकाया	31.30 (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	31.30 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	31.30 (शून्य)	शून्य (शून्य)			31.30 (शून्य)
निवेश –					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)			शून्य (शून्य)
चालू खाता में शेष –					
यथा वर्षांत को बकाया	26.54 (14.45)	181.68 (106.05)	-	-	208.22 (120.50)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	48.03 (14.45)	282.32 (106.05)			330.35 (120.50)
अन्य प्राप्य –					
यथा वर्षांत को बकाया	20.02 (2.03)	शून्य (शून्य)	-	-	20.02 (2.03)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	20.02 (2.03)	शून्य (शून्य)			20.02 (2.03)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र जारी किए गए –					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)			शून्य (शून्य)

5.4.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures	Key Management Personnel (KMP)	Relatives of KMP	Total
Borrowings -					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	30.00 (30.00)	-	-	30.00 (30.00)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	30.00 (30.00)			30.00 (30.00)
Deposits-					
Outstanding as at the year end	42.56 (136.98)	388.52 (2063.36)	-	-	431.08 (2200.34)
Maximum outstanding during the year	63.41 (136.98)	1792.12 (2063.36)			1855.53 (2200.34)
Placement of Deposits –					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	149.41 (140.94)	-	-	149.41 (140.94)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	149.41 (140.94)			149.41 (140.94)
Advances-					
Outstanding as at the year end	537.29 (620.23)	2218.11 (2220.58)	-	-	2755.40 (2840.81)
Maximum outstanding during the year	616.21 (620.23)	2972.25 (2220.58)			3588.46 (2840.81)
Purchase of Fixed Assets-					
Outstanding as at the year end	31.30 (NIL)	NIL (NIL)	-	-	31.30 (NIL)
Maximum outstanding during the year	31.30 (NIL)	NIL (NIL)			31.30 (NIL)
Investments-					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)
Balance in current account					
Outstanding as at the year end	26.54 (14.45)	181.68 (106.05)	-	-	208.22 (120.50)
Maximum outstanding during the year	48.03 (14.45)	282.32 (106.05)			330.35 (120.50)
Other receivable-					
Outstanding as at the year end	20.02 (2.03)	NIL (NIL)	-	-	20.02 (2.03)
Maximum outstanding during the year	20.02 (2.03)	NIL (NIL)			20.02 (2.03)
Inter Bank Participation Certificate – Issued					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)

अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र प्रतिभागिता किए गए यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (744.43)	-	-	शून्य (744.43)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	400.00 (744.43)	-	-	400.00 (744.43)
कमीशन प्राप्य - यथा वर्षांत को बकाया	2.60 (शून्य)	0.11 (शून्य)	-	-	2.71 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	2.60 (शून्य)	0.11 (शून्य)	-	-	2.71 (शून्य)
अन्य देय - यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
प्रदत्त ब्याज	10.14 (10.86)	99.96 (104.22)	-	-	110.10 (115.08)
प्राप्त ब्याज	43.77 (40.66)	178.58 (236.65)	-	-	222.35 (277.31)
प्राप्त लाभांश	2.50 (7.50)	शून्य (शून्य)	-	-	2.50 (7.50)
मीयादी जमाओं / जमा प्रमाणपत्रों की चुकौती	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
मीयादी जमाओं / जमा प्रमाणपत्रों की स्वीकृती	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
प्रदत्त प्रीमियम	114.92 (62.39)	शून्य (शून्य)	-	-	114.92 (62.39)
सेवा उपलब्ध कराना	93.87 (34.86)	0.70 (0.93)	-	-	94.57 (35.79)
सेवा प्राप्त करना	0.32 (33.87)	0.01 (0.01)	-	-	0.33 (33.88)
निधीयन लागत तथा ब्याज सहित पी एस यू निपटान देयताओं के भुगतान	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
बीएसई को जारी अधिकार के संबंध में गारंटी	शून्य (शून्य)	1.39 (1.38)	-	-	1.39 (1.38)

प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को दिए गए वेतन इसमें नहीं दर्शाया गया है।

(कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं)

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखापरीक्षकों द्वारा आश्रित)

Inter Bank Participation Certificate – Participated					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (744.43)	-	-	NIL (744.43)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	400.00 (744.43)	-	-	400.00 (744.43)
Commission Receivable -					
Outstanding as at the year end	2.60 (NIL)	0.11 (NIL)	-	-	2.71 (NIL)
Maximum outstanding during the year	2.60 (NIL)	0.11 (NIL)	-	-	2.71 (NIL)
Other payable -					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Interest paid	10.14 (10.86)	99.96 (104.22)	-	-	110.10 (115.08)
Interest received	43.77 (40.66)	178.58 (236.65)	-	-	222.35 (277.31)
Dividend received	2.50 (7.50)	NIL (NIL)	-	-	2.50 (7.50)
Repayment of Fixed Deposits/Certificate of deposits	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Acceptance of Fixed Deposits/Certificate of deposits	NIL (NIL)	NIL (4.63)	-	-	NIL (4.63)
Premium Paid	114.92 (62.39)	NIL (NIL)	-	-	114.92 (62.39)
Rendering of Service	93.87 (34.86)	0.70 (0.93)	-	-	94.57 (35.79)
Receiving of Services	0.32 (33.87)	0.01 (0.01)	-	-	0.33 (33.88)
Repayment of PSU Settlement dues including funding cost and Interest	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Guarantee in respect of rights issued to BSE	NIL (NIL)	1.39 (1.38)	-	-	1.39 (1.38)

Salary to deputed staff is not shown as the same is reimbursed

(Figures in brackets relate to previous year).

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors).

5.4.8 आंतर-समूह जोखिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष 2015-16 के लिए	वर्ष 2014-15 के लिए
आंतर समूह जोखिम के लिए कुल राशि	2937.53	3728.20
उच्चतम -20 आंतर-समूह जोखिम की कुल राशि	2937.53	3728.20
उधारकर्ता/ग्राहक पर बैंक के कुल जोखिम से आंतर समूह जोखिम का प्रतिशत	0.48%	0.61%
आंतर-समूह जोखिम पर सीमा का उल्लंघन तथा उसपर विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणित तथा लेखा-परीक्षक द्वारा आश्रित)

5.5 लेखा मानक-20-प्रति शेयर अर्जन:

मूल एवं तनुकृत ई पी एस की गणना लेखांकन मानक 20- "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार की गई है।

मूल प्रति शेयर अर्जन का परिकलन निम्नानुसार है:

	विवरण	2015-16	2014-2015
A	इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ (₹ करोड़ में)	(2812.82)	2702.63
B	इक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में)	54.30	47.52
C	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	52.47	46.13
D	प्रति शेयर मूल्य व तनुकृत अर्जन (₹ / ग) (₹)	(53.61)	58.59
E	प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	10/-	10/-

5.6 लेखा मानक- 22- आय पर करों का लेखांकन:

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं (डी टी ए / डी टी एल) का निर्धारण किया है और यथा 31.03.2016 को निवल आस्थगित कर देयता का निम्न प्रकार से लेखांकन किया है:

5.4.8 Intra-Group Exposures

(₹ in Crore)

Particulars	For the Year 2015-16	For the Year 2014-15
Total amount of intra-group exposures	2937.53	3728.20
Total amount of top-20 intra-group exposures	2937.53	3728.20
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.48%	0.61%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	NIL	NIL

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors.)

5.5 Accounting Standard-20 - Earnings Per Share:

Basic and diluted earnings per equity share are computed in accordance with Accounting Standard 20, "Earnings per Share".

The Computation of EPS is given below:

	Particulars	2015-16	2014-2015
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ In Crore)	(2812.82)	2702.63
B	Number of Equity Shares (In Crore)	54.30	47.52
C	Weighted Average Number of Equity Shares (In Crore)	52.47	46.13
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A/C) (₹)	(53.61)	58.59
E	Nominal Value per Share (₹)	10/-	10/-

5.6 Accounting Standard-22 – Accounting for Taxes on Income:

The Bank has recognized Deferred Tax Assets / Liabilities (DTA / DTL) and has accounted for the Net Deferred Tax as on 31.03.2016 as under:

आस्थगित कर आस्तियों व आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
प्रतिभूतियों पर उपचित परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं		-	849.68	933.77
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	309.38	315.00		
स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास		55.06	17.40	
निवेश पर मूल्यहास			1705.10	
वायदा संविदा पर अप्राप्य अभिलाभ	-	-	52.94	22.82
अग्रिमों हेतु किये गये प्रावधान	3748.15	391.00		
विशेष आरक्षित निधियों पर			1384.32	1211.28
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	4057.53	761.06	4009.44	2167.87

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
Interest accrued but not due on securities		-	849.68	933.77
Provision for Leave Encashment	309.38	315.00		
Depreciation on Fixed Assets		55.06	17.40	
Depreciation on Investments			1705.10	
Unrealised gain on Forward contacts	-	-	52.94	22.82
Provision made for advances	3748.15	391.00		
On Special Reserve@			1384.32	1211.28
Deferred Tax Asset/ Liability	4057.53	761.06	4009.44	2167.87

@ पिछले वर्ष के दौरान विशेष आरक्षित निधियों को अंतरित राशि पर सहित डीटीएल

यथा 31 मार्च, 2016 को निवल आस्थगित कर आस्तियां: ₹48.09 करोड़ (पिछले वर्ष निवल आस्थगित कर देयताएं ₹1406.81 करोड़)

5.7 लेखांकन मानक- 27- संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग

निवेश में कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल.एल.सी. (रूस में निगमित) ₹73.22 करोड़ शामिल है (लेन-देन की तारीख की विनिमय दर पर) जिसमें बैंक का 40% हिस्सा है।

ए एस 27 की अपेक्षानुसार (संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हित ₹40%) से संबंधित परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय की समग्र राशि का प्रकटन अधोलिखित किया गया है

@ DTL includes on the amount transferred to Special Reserve during last year

Net Deferred Tax Assets as on March 31, 2016: ₹48.09 Crore (Previous year: Net Deferred Tax Liability ₹1406.81 Crore)

5.7 Accounting Standard 27 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Investments include ₹73.22 Crore (at the exchange rate of the transaction date) in the Commercial Indo Bank LLC (Incorporated in Russia) wherein the Bank owns 40% of the equity.

As required by AS 27 the aggregate amount of the assets, liabilities, income and expenses (Bank's interest @ 40% in jointly controlled entity) is disclosed as under:

कमर्शियल इन्डो बैंक एल.एल.सी. – परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय का ब्यौरा

विवरण	31.03.2016 को समाप्त चालू वर्ष	31.03.2016 को समाप्त चालू वर्ष	बैंक का शेयर @ 40%	31.03.2015 को समाप्त गत वर्ष	31.03.2015 को समाप्त गत वर्ष	बैंक का शेयर @ 40%
	अमेरिकी डॉलर '000 में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	अमेरिकी डॉलर '000 में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
कुल पूँजी व आरक्षित निधियाँ	26,361	174.65	69.86	18,975	118.59	47.44
कुल देयताएं	68,908	456.55	182.62	72,470	452.94	181.18
कुल आस्तियाँ	95,269	631.20	252.48	91,445	571.53	228.61
कुल आय	6,408	42.46	16.98	7,450	45.55	18.22
कुल व्यय	2,468	16.35	6.54	6,403	39.43	15.77
लाभ	3,940	26.10	10.44	1,047	6.11	2.44

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखापरीक्षकों द्वारा आश्रित)

Commercial Indo Bank LLC - Details of Assets, Liabilities, Income & Expenses

Particulars	Current year ended 31/03/2016	Current year ended 31/03/2016	Bank's share@ 40%	Previous year ended 31/03/2015	Previous year ended 31/03/2015	Bank's share @ 40%
	In '000 US Dollars	₹ in Crore	₹ in Crore	In '000 US Dollars	₹ in Crore	₹ in Crore
Aggregate Capital and Reserves	26,361	174.65	69.86	18,975	118.59	47.44
Aggregate Liabilities	68,908	456.55	182.62	72,470	452.94	181.18
Aggregate Assets	95,269	631.20	252.48	91,445	571.53	228.61
Aggregate Income	6,408	42.46	16.98	7,450	45.55	18.22
Aggregate Expenditure	2,468	16.35	6.54	6,403	39.43	15.77
Profit	3,940	26.10	10.44	1,047	6.11	2.44

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors)

5.8 लेखांकन मानक – 28 – आस्तियों की क्षति:

प्रबंधन की राय में, 31.03.2016 तक विस्तारित इसकी अचल संपत्ति की किसी भी सामग्री पर कोई क्षति का संकेत नहीं है जिसकी इन्स्टिट्यूट ऑफ चाटर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा प्रणाली मानक 28 के निबंधन में निर्धारण की जरूरत है।

5.8 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

In the opinion of the Management, there is no indication of impairment of any of its Fixed Asset as at 31.03.2016 requiring recognition in terms of Accounting Standard 28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

5.9 लेखांकन मानक – 29 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2015 को प्रारंभ	वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	वापस / समायोजित किए गये प्रावधान	31.03.2016 को समापन
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान का चलन	56.24	581.00	56.00	581.24

5.9 Accounting Standard 29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2015	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2016
Movement of Provision for Contingent Liabilities	56.24	581.00	56.00	581.24

6. अतिरिक्त प्रकटीकरण

6.1 वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान और आकस्मिक व्यय का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
निवेश मूल्यहास / एन पी आई के लिए प्रावधान	(657.76)	692.42
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	3770.87	2135.04
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	153.73	478.41
कर के लिए प्रावधान – (आस्थगित कर देयता सहित)	795.00	625.00
उचित मूल्य में हास के लिए प्रावधान	(41.42)	(6.32)
परिसंपत्ति की शक वसूली के लिए प्रावधान	(12.00)	8.00
देश ऋण जोखिम के लिए प्रावधान	7.30	7.00
अन्य आकस्मिकताओं तथा एफ आई टी एल के लिए प्रावधान	232.00	418.45
कुल	4247.74	4358.00

6.2 अस्थाई प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान संवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरित राशि	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

6. Additional Disclosures

6.1 Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Provision for Depreciation on Investment and NPI	267.75	(657.76)
Provision towards NPA	9608.16	3770.87
Provision towards Standard Asset	(459.20)	153.73
Provision for Tax (includes Deferred Tax Liability)	(372.95)	795.00
Provision for Diminution in Fair Value	531.29	(41.42)
Provision for Asset Doubt Of Recovery	4.80	(12.00)
Provision for Country Risk Exposure	8.00	7.30
Provision for FITL and other contingencies	371.63	232.00
TOTAL	9959.48	4247.74

6.2 Floating Provision:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Opening Balance	NIL	NIL
Addition during the year	NIL	NIL
Draw down during the year.	NIL	NIL
Closing Balance	NIL	NIL

6.3 शिकायतों / बैंकिंग लोकपाल के निर्णयों के गैर कार्यान्वयन का प्रकटीकरण :

A. ग्राहक शिकायतें (एटीएम संबंधित शिकायतों सहित):

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(a)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1534	1265
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	35862	108836
(c)	वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	35846	108567
(d)	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	1550	1534

B. बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णय

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(a)	वर्ष के आरंभ में गैर-कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	2*
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त निर्णयों की संख्या	07	14
(c)	वर्ष के दौरान निवारित निर्णयों की संख्या	07	16
(d)	वर्ष के अंत तक लंबित अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य

*दोनों गैर कार्यान्वित निर्णयों की तिथि 25.04.2014 तथा 28.04.2014 है।

स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) कार्ड से संबंधित सभी ग्राहक शिकायतें समाहित हैं। सभी एटीएम शिकायतें अधिग्रहण मुद्दों से संबंधित हैं।

6.4 चुकौती आश्वासन पत्र जारी करना

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ₹33422.21 करोड़ के 3361 चुकौती आश्वासन पत्र जारी किये गये। यथा 31.03.2016 को उक्त पत्रों की संचित बकाया स्थिति ₹7480.61 करोड़ के 838 है। इनके अलावा बैंक द्वारा निम्नांकित विनियामकों को चुकौती आश्वासन पत्र जारी किये गये

6.3 Disclosure of Complaints / unimplemented awards of Banking Ombudsmen:

A. Customer Complaints (including ATM related complaints):

Sl. No	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
(a)	Number of complaints pending at the beginning of the year	1534	1265
(b)	Number of complaints received during the year	35862	108836
(c)	Number of complaints redressed during the year	35846	108567
(d)	Number of complaints pending at the end of the year	1550	1534

B. Awards passed by the Banking Ombudsmen

Sl. No	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
(a)	Number of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL	2*
(b)	Number of Awards received during the year	07	14
(c)	Number of Awards redressed during the year	07	16
(d)	Number of unimplemented Awards pending at the end of the year	NIL	NIL

*Both the unimplemented awards were honoured on 25.04.2014 and 28.04.2014

All customer complaints pertaining to Automated Teller Machine (ATM) cards are included. All the ATM complaints pertain to Acquire issues.

6.4 Issuance of Letter of Comfort:

Bank has issued 3361 No. of Letters of Comfort to the tune of ₹33422.21 Crore during the financial year. The cumulative outstanding position of 838 No. of LOC as on 31.03.2016 is ₹7480.61 Crore. Apart from this, Bank has also issued Letter of Comfort to the following regulators during previous years:

समुद्रपारीय:

वर्ष 2015-2016 के दौरान जारी चुकौती आवश्यकन पत्र:

- शून्य

पहले जारी किए गए चुकौती आवश्यकन पत्र

- चीन बैंकिंग रेग्युलेटरी कमीशन, चीन (शंघाई शाखा की ओर से) – दिनांकित 29.03.2008 के आदेश द्वारा
- यू ए ई का सेंट्रल बैंक (हमारे प्रतिनिधि कार्यालय, शारजाह की ओर से) – दिनांकित 04.06.2009 के आदेश द्वारा
- बहरीन का सेंट्रल बैंक (हमारे मनामा शाखा, बहरीन की ओर से) – दिनांकित 15.01.2010 के आदेश द्वारा
- दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक (जॉहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका की ओर से) – दिनांकित 19.11.2011 के आदेश से)

वित्तीय प्रभाव:

बैंक द्वारा साख पत्र/घोषणा-पत्र पर वित्तीय प्रभाव, बैंक के अनुषंगियों या संयुक्त उद्यमों की ओर से जारी साख पत्र के मामले में होता है। बैंक ने अबतक न तो कोई समुद्रपारीय अनुषंगियां स्थापित की हैं और न ही अनुषंगियों या संयुक्त उद्यमों की ओर साख पत्र जारी किया है।

शाखाओं के संबंध में, समुद्रपारीय शाखाओं की आस्तियों व देयताओं का विलय घरेलू परिचालन के साथ कर दिया गया है तथा बैंक के लिए एक समेकित तुलन-पत्र बनाया गया है। समुद्रपारीय शाखाओं की कुल देयताएं बैंक के वार्षिक तुलन-पत्र की देयताओं का एक भाग है।

अतः शाखाओं की ओर से जारी साख पत्र का कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं है। प्रतिनिधि कार्यालयों के संबंध में, कोई वाणिज्यिक परिचालन नहीं किया गया है तथा इसलिए मेज़बान देशों के विनियामकों को जारी साख पत्र का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

यथा 31 मार्च 2016 को, हमारे बैंक के लिए समुद्रपारीय विनियामकों के पक्ष में जारी साख पत्र का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है क्योंकि इसे शाखाओं व प्रतिनिधि कार्यालयों की ओर से जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के संबंध में, हम अबतक बैंक द्वारा जारी साख पत्र के विवरणों का खुलासा करना प्रस्तावित करते हैं तथा यथा मार्च 2016 को तुलन-पत्र में “खातों के नोट्स” के अंतर्गत ऐसे साख पत्रों की ओर से “शून्य” वित्तीय प्रभाव है।

Overseas:

LOC issued during the year 2015-16:

- NIL

LOC issued in the past:

- China Banking Regulatory Commission, China (on behalf of our Shanghai Branch) – vide order dated 29.03.2008
- Central Bank of the UAE (on behalf of our Representative office, Sharjah) – Vide order dated 04.06.2009
- Central Bank of Bahrain (on behalf of our Manama branch, Bahrain) – Vide order dated 15.01.2010 and
- South African Reserve Bank (on behalf of our Johannesburg branch, South Africa) – Vide order dated 19.11.2011

Financial Impact:

The financial impact on issue of LOC/undertaking by the Bank exists in case of LOCs issued on behalf of the subsidiaries or Joint Ventures (JVs) of the Bank. Bank has so far not issued any LOC on behalf of subsidiaries or JV.

With regard to branches the assets and liabilities of overseas branches are merged with the domestic operation and a consolidated Balance Sheet is drawn for the Bank as a whole. The total liability of overseas branches forms part of the liabilities of the Banks annual balance sheet.

Hence, there is no additional financial impact of LOCs issued on behalf of branches. In respect of representative Office, there are no commercial operations undertaken and hence no financial impacts of LOC issued to host country regulators.

As at 31st March 2016, there is no financial impact of LOCs issued favoring the overseas Regulators for our Bank since the same are issued on behalf of branches and Representative offices. In terms of RBI guidelines, we propose to disclose the details of LOCs issued by the Bank so far and “NIL” financial impact on account of such LOCs, under “Notes to Accounts” in the Balance Sheet as at March 2016.

6.4.1 यथा 31.03.2016 को प्रावधान कवरेज अनुपात 50.11% है (पिछले वर्ष 57.29%)

6.4.1 Provision Coverage Ratio is 50.11% as on 31.03.2016 (Previous Year 57.29%):

6.5 बैंक द्वारा बैंकएश्यूरेंस कारोबार आदि से प्राप्त शुल्क / मानदेय:

6.5 Fees/Remuneration received by the Bank from Bancassurance Business etc:

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

क्रम सं.	आय का प्रकार	31.03.2016	31.03.2015
1	जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय	26.20	26.56
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय	17.16	15.39
3	म्युचुअल फंड उत्पाद का विक्रय	10.07	10.90
4	अन्य (स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी)	10.67	5.50
5	पीएमजेजेबीवाई	5.50	NA
6	पीएमएसबीवाई	0.70	NA
	कुल	70.30	58.35

Sl. No.	Nature of Income	31.03.2016	31.03.2015
1	For selling Life Insurance Policies	26.20	26.56
2	For selling Non Life Insurance Policies	17.16	15.39
3	For selling Mutual Funds Products	10.07	10.90
4	Other (Health Insurance Policies)	10.67	5.50
5	PMJBY	5.50	NA
6	PMSBY	0.70	NA
	TOTAL	70.30	58.35

6.6 जमाओं, अग्रिमों, निवेशों व एन पी ए का केंद्रीकरण

6.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

6.6.1 जमाओं का केंद्रीकरण :

6.6.1 Concentration of Deposits:

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
बीस बड़े जमाकर्ताओं के कुल जमा	65542.30	61078.00
बैंक के कुल जमाओं में से बीस बड़े जमाकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	13.66%	12.89%

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Deposits of twenty largest depositors	65542.30	61078.00
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	13.66%	12.89%

6.6.1 अग्रिमों का केंद्रीकरण

6.6.2 Concentration of Advances:

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	28865.40	32236.39
बैंक के कुल अग्रिम में से बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	8.89%	9.77%

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Advances to twenty largest borrowers	28865.40	32236.39
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	8.89%	9.77%

6.6.3 एक्सपोजर का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल एक्सपोजर	56608.69	55951.79
बैंक के कुल एक्सपोजर में से बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	9.20%	9.10%

6.6.3 Concentration of Exposures:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	56608.69	55951.79
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the bank on borrowers / customers	9.20%	9.10%

6.6.4 एन पी ए का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
प्रथम चार एनपीए खातों का कुल निवेश	7391.30	1885.38

6.6.4 Concentration of NPAs:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Exposure to top four NPA accounts	7391.30	1885.38

6.6.5 क्षेत्र - वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से एन पी ए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से एन पी ए का प्रतिशत
ए	प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि व संबद्ध क्रिया कलाप	67176.00	2159.30	3.21%	58868.00	1410.31	2.40%
2	उद्योग (सूक्ष्म व लघु, मध्यम तथा बड़े)	35433.00	4663.07	13.16%	23922.68	3047.58	12.74%
3	सेवाएं	25798.00	588.31	2.28%	20327.98	379.66	1.87%
4	व्यक्तिगत ऋण	17151.00	-	-	15115.00	--	-
	उप- कुल (ए)	145558.00	7410.68	5.09%	118233.66	4837.55	4.09%
बी	गैर प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि व संबद्ध क्रिया कलाप	23.00	-	-	-	-	-
2	उद्योग	143935.70	19519.92	13.56%	143949.41	6644.39	4.62%
3	सेवाएं	22780.53	4392.74	19.28%	45581.21	1342.39	2.95%
4	व्यक्तिगत ऋण	24250.64	314.49	1.30%	27183.00	215.63	0.79%
	उप- कुल (बी)	190989.87	24227.15	12.69%	216713.62	8202.41	3.78%
	कुल (ए+बी)	336547.87	31637.83	9.40%	334947.28	13039.96	3.89%

6.6.5 Sector-wise Advances

(₹ in Crore)

Sl No	Sector*	Current Year			Previous Year		
		Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector
A	Priority sector						
1	Agriculture and allied activities	67176.00	2159.30	3.21%	58868.00	1410.31	2.40%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	35433.00	4663.07	13.16%	23922.68	3047.58	12.74%
3	Services	25798.00	588.31	2.28%	20327.98	379.66	1.87%
4	Personal loans	17151.00	-	-	15115.00	--	-
	Sub total (A)	145558.00	7410.68	5.09%	118233.66	4837.55	4.09%
B	Non Priority sector						
1	Agriculture and allied activities	23.00	-	-	-	-	-
2	Industries	143935.70	19519.92	13.56%	143949.41	6644.39	4.62%
3	Services	22780.53	4392.74	19.28%	45581.21	1342.39	2.95%
4	Personal loans	24250.64	314.49	1.30%	27183.00	215.63	0.79%
	Sub total (B)	190989.87	24227.15	12.69%	216713.62	8202.41	3.78%
	Total (A+B)	336547.87	31637.83	9.40%	334947.28	13039.96	3.89%

उद्यम के उप-क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम क्षेत्र के कुल अग्रिम के 10% से अधिक है।

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	उप- क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से एन पी ए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से एन पी ए का प्रतिशत
1	आधारभूत धातु व धातु के उत्पाद	18965.65	9912.30	52.26%	17768.52	1533.00	8.63%
2	बुनियादी संरचना	54287.36	3291.73	6.06%	64713.17	1732.00	2.68%

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखापरीक्षकों द्वारा अश्रित)

Sub sector of industries where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances of the sector.

(₹ in Crore)

Sl No	Sub Sector	Current Year			Previous Year		
		Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector
1	Basic metal and metal products	18965.65	9912.30	52.26%	17768.52	1533.00	8.63%
2	Infrastructure	54287.36	3291.73	6.06%	64713.17	1732.00	2.68%

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors.)

6.7 एन पी ए का अंतरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
यथा 1 अप्रैल 2015 तक सकल एन पी ए (आरंभिक शेष)	13039.96	7570.21
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एन पी ए)	24724.06	10869.53
उप - कुल (क)	37764.02	18439.74
घटाएं:-		
(i) अद्यतन	1460.14	2031.11
(ii) वसूलियाँ (अद्यतनित खातों से की गई वसूलियों के अलावा)	1279.08	1896.45
(iii) तकनीकी / प्रुडेंशियल बट्टे खाते में डालना	2911.93	1111.75
(iv) उक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते	475.04	360.47
उप कुल (ख)	6126.19	5399.78
यथा 31 मार्च 2016 तक सकल एन पी ए (इति शेष) (क-ख)	31637.83	13039.96

6.8 तकनीकी बट्टे खाते में डालना तथा तत्पश्चात बनाए वसूली का उतार-चढ़ाव:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
यथा अप्रैल 1 को तकनीकी / प्रुडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों के प्रारंभिक शेष	7423.21	7384.76
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी / प्रुडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खाते*	2911.93	1119.15
उप कुल (क)	10335.14	8503.91
घटाव: वर्ष के दौरान तकनीकी / प्रुडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों से पहले की गई वसूली (ख)	398.83	1080.70
यथा मार्च 31 को इति शेष (क - ख)	9936.31	7423.21

*विनिमय उतार-चढ़ाव सहित

6.7 Movement of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Gross NPAs as on 1st April 2015 (Opening Balance)	13039.96	7570.21
Additions (Fresh NPAs) during the year	24724.06	10869.53
Sub-total (A)	37764.02	18439.74
Less:-		
(i) Upgradations	1460.14	2031.11
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1279.08	1896.45
(iii) Technical/ Prudential Write-offs	2911.93	1111.75
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	475.04	360.47
Sub-total (B)	6126.19	5399.78
Gross NPAs as on 31st March 2016 (closing balance) (A-B)	31637.83	13039.96

6.8 Movement of Technical Write off and the recoveries made thereon:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at April 1	7423.21	7384.76
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year*	2911.93	1119.15
Sub-total (A)	10335.14	8503.91
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year (B)	398.83	1080.70
Closing balance as at March 31 (A-B)	9936.31	7423.21

* including exchange fluctuation

6.9 समुद्रपारीय आस्तियाँ, एन पी ए व राजस्व

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
कुल आस्तियाँ	54374.25	48219.67
कुल एन पी ए : सकल	2477.89	533.87
निवल	1532.16	243.31
कुल राजस्व	1262.50	1199.16

6.10 तुलन पत्र में शामिल न होने वाले प्रायोजित एस पी वी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है)

प्रायोजित एस पी वी के नाम	
घरेलू	समुद्रपारीय
शून्य	शून्य

6.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Assets	54374.25	48219.67
Total NPAs : Gross	2477.89	533.87
Net	1532.16	243.31
Total Revenue	1262.50	1199.16

6.10 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

6.11 प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	संख्या / राशि
1.	प्रतिभूतीकरण संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की संख्या	
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतीकृत आस्तियों की कुल राशि	
3.	यथा तुलन पत्र की तारीख को एम आर आर की अनुपालनार्थ बैंक द्वारा प्रतिधारित निवेश की कुल राशि	
	क) तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलन पत्र में शामिल होनेवाली निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
4.	एम आर आर के अलावा प्रतिभूतीकरण संव्यवहारों की राशि	
	क) तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली निवेश	
	i) प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलन पत्र में शामिल होनेवाली निवेश	
	i) प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	

शून्य

6.11 Disclosure relating to Securitisation:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	No./ Amount
1.	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transaction	
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	
	a) Off-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR	
	a) Off-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Others	
	ii) Exposure to third party securitizations	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Others	
	ii) Exposure to third party securitizations	
	First loss	
	Others	

NIL

6.12 ऋण डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस): शून्य

6.12 Credit Default Swaps (CDS): NIL

6.13 जमाकर्ता शिक्षा व जागरूकता निधि को हस्तांतरण (डीईएफ)

6.13 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
डीईएफ को हस्तांतरित राशि का आरंभिक शेष	847.99	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएफ को हस्तांतरित राशि जोड़ें	140.04	855.25
घटाएं : दावों के निपटान के लिए डीईएफ द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए दावे	10.74	7.26
डीईएफ को हस्तांतरित राशि का अंतिम शेष	977.29	847.99

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Opening balance of amounts transferred to DEAF	847.99	-
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	140.04	855.25
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	10.74	7.26
Closing balance of amounts transferred to DEAF	977.29	847.99

6.14 भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी संसूचना संख्या डीबीओडी.नं. बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांकित 15 जनवरी 2014 द्वारा बैंकों को निर्देश दिया है कि अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के साथ निकायों को बैंक के एक्सपोजर से संबंधित वेतन वृद्धि व पूंजी प्रदान करे। तदनुसार, वित्त वर्ष 2015-16 के लिए, बैंक ने अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए 37.69 करोड़ (84.56 करोड़) का वेतन वृद्धि प्रावधान किया है। आगे, यथा 31.03.2016 को बैंक के पास अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर जोखिम हेतु 118.21 करोड़ (250.98 करोड़) की पूंजी है।

6.14 Reserve Bank of India vide its communication Number DBOD.No.BP.BC. 85 /21.06.200/2013-14 dated January 15 2014 advised the Bank to provide incremental provision and capital with regard to bank's exposure to entities with unhedged foreign currency exposures. Accordingly for the financial year 2015-16 bank has made incremental provision of ₹37.69 Crore (₹ 84.56 Crore) towards unhedged foreign currency exposure. Further Bank is also holding a capital of ₹118.21 Crore (₹250.98 Crore) as on 31.03.2016 towards the risk on unhedged foreign currency exposure.

अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में ऋण जोखिम मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां :

Policies to manage currency induced credit risk with regard to Unhedged Foreign Currency Exposure:

उधारकर्ता निकायों के संबंध में जिनका विदेशी मुद्रा एक्सपोजर है, बैंक द्वारा अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीडी); ब्याज पर वार्षिक आय व मूल्यहास (ईबीआईडी); सलाना अस्थिरता का उपयोग करते हुए यूएसडी-आईएनआर विनिमय दर में परिवर्तन के मामले में अनुमानित हानि की गणना की जाती है। विनिमय दर में परिवर्तन के कारण अनुमानित हानि को ईबीआईडी के प्रतिशत यानि अनुमानित हानि/ईबीआईडी प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। विवेकपूर्ण उपाय के तौर पर, बैंक द्वारा ऐसे निकायों को विशेषीकृत दर पर कुल ऋण जोखिम पर वेतन वृद्धि पूंजी व वेतन वृद्धि प्रावधानीकरण (वर्तमान मानक आस्ति प्रावधानीकरण के अतिरिक्त) किया जाता है।

In respect of borrower entities having foreign currency exposure Bank is computing Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE); Annual Earnings before interest and Depreciation (EBID); expected loss in case of movement in USD-INR exchange rate using annualized volatilities. Expected loss on account of exchange rate movements is expressed as a percentage of EBID i.e likely loss/EBID percentage. As a prudential measure Bank is holding incremental capital and made incremental provisioning (over and above the extant standard assets provisioning) on the total credit exposure to such entities at the specified rates.

6.15. चलनिधि कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

क्र सं.		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्ति					
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्ति (एचक्यूएलए)		77186.04		67627.22
नकद बहिर्प्रवाह					
2	खुदरा जमा व छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमा, जिनमें से	235838.02	20037.78	217083.26	18428.03
(i)	स्थिर जमा	70920.44	3546.02	65606.01	3280.30
(ii)	कम स्थिर जमा	164917.58	16491.76	151477.25	15147.73
3	गैर प्रतिभूतीकृत थोक निधियन, जिसमें से	120248.60	70308.92	143561.92	84374.15
(i)	परिचालनात्मक जमा (सभी प्रतिपक्ष)	8.59	0.43	4045.30	991.36
(ii)	गैर-परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	116941.26	67009.74	130955.62	74821.79
(iii)	गैर-प्रतिभूतीकृत उधारी	3298.75	3298.75	8561.00	8561.00
4	प्रतिभूतीकृत संपूर्ण निधियन	5692.00	3870.81	6253.57	4007.47
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	42610.89	12448.87	44506.39	12833.70
(i)	व्युत्पन्नी एक्सपोजरों व अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	0.84	0.84	4.96	4.96
(ii)	उधारी उत्पादों पर निधियन हानि संबंधी बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण व चलनिधि सुविधाएं	42610.05	12448.03	44501.43	12828.74
6	अन्य संविदात्मक निधियन प्रतिज्ञा-पत्र	478.26	478.26	500.00	500.00
7	अन्य आकस्मिक निधियन प्रतिज्ञा-पत्र	62107.45	3007.53	61230.88	3061.54
8	कुल नकद बहिर्वाह	466975.22	110152.17	473136.02	123204.88
9	प्रतिभूतीकृत उधारी (उदाहरण : रिवर्स रेपो)	545.66	0.00	2178.94	13.31
10	संपूर्ण कार्यनिष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	27612.99	18123.49	28970.92	18035.12
11	अन्य नकद अंतर्वाह	1251.13	1135.18	1105.20	1037.81
12	कुल नकद अंतर्वाह	29409.79	19258.68	32255.06	19086.23
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एच क्यू एल ए		77186.04		67627.22
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		90893.49		104118.65
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		84.92%		64.95%

6.15 Liquidity Coverage Ratio

(₹ in Crore)

Sl No		Current year		Previous Year	
		Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		77186.04		67627.22
Cash Outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:	235838.02	20037.78	217083.26	18428.03
(i)	Stable deposits	70920.44	3546.02	65606.01	3280.30
(ii)	Less stable deposits	164917.58	16491.76	151477.25	15147.73
3	Unsecured wholesale funding of which:	120248.60	70308.92	143561.92	84374.15
(i)	Operational deposits (all counterparties)	8.59	0.43	4045.30	991.36
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	116941.26	67009.74	130955.62	74821.79
(iii)	Unsecured debt	3298.75	3298.75	8561.00	8561.00
4	Secured wholesale funding	5692.00	3870.81	6253.57	4007.47
5	Additional requirements of which	42610.89	12448.87	44506.39	12833.70
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.84	0.84	4.96	4.96
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	42610.05	12448.03	44501.43	12828.74
6	Other contractual funding obligations	478.26	478.26	500.00	500.00
7	Other contingent funding obligations	62107.45	3007.53	61230.88	3061.54
8	Total Cash Outflows	466975.22	110152.17	473136.02	123204.88
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	545.66	0.00	2178.94	13.31
10	Inflows from fully performing exposures	27612.99	18123.49	28970.92	18035.12
11	Other cash inflows	1251.13	1135.18	1105.20	1037.81
12	Total Cash Inflows	29409.79	19258.68	32255.06	19086.23
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
13	TOTAL HQLA		77186.04		67627.22
14	Total Net Cash Outflows		90893.49		104118.65
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		84.92%		64.95%

एलसीआर के पास गुणात्मक प्रकटन

कुल चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), बैंक की चलनिधि जोखिम प्रोफाइल की लघु अवधि तन्मता के प्रवर्तन के लिए है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने न्यूनतम आवश्यकता क्रमशः 60% (कैलेंडर वर्ष 2015 हेतु लागू) व 70% (कैलेंडर वर्ष 2016 हेतु लागू) से अधिक का एलसीआर अनुरक्षित रखा है।

एलसीआर, सामान्य तौर पर सुनिश्चित करता है कि बैंक उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्ति (एचक्यूएलए) प्रभारित आस्ति का पर्याप्त स्टॉक का रखरखाव करता है जिसे 30 दिनों की चलनिधि दबावग्रस्त स्थिति आसानी के लिए चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। एचक्यूएलए में स्तर1, स्तर2ए व स्तर 2बी आस्तियाँ समाहित हैं।

स्तर 1 आस्ति 0% मार्जिन (कुल एचक्यूएलए का 95.10% समाहित है) आकृष्ट करता है एवं इसमें नकद, अधिक सीआरआर, अधिक एसएलआर प्रतिभूतियाँ, मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) [वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 2%] एवं चलनिधि कवरेज अनुपात हेतु चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एफएलएलसीआर) [वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 8%] के तहत भा.रि.बै. द्वारा अनुमत सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

स्तर 2ए 15% मार्जिन (कुल एचक्यूएलए का 4.70% समाहित है) आकृष्ट करता है एवं इसमें सॉवरेन गारंटीकृत विपणन प्रतिभूतियों, एए+ रेटेड व वित्तीय संस्थानों के अलावा अन्य द्वारा जारी कॉर्पोरेट बॉन्ड या वाणिज्यिक पेपर शामिल हैं।

स्तर 2बी 50% का मार्जिन आकृष्ट करता है एवं इसमें एनएसई सीएनएक्स नीफ्टी और/या एस व पी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक में शामिल सामान्य इक्विटी शेयर में निवेश समाहित है।

एलसीआर को प्रभावित करने वाला प्रमुख परिवर्ती अधिक सीआरआर व अधिक एसएलआर का स्तर है एवं एचक्यूएलए का भाग बनाता है। दबावग्रस्त के तहत निवल नकद बहिर्वाह को खुदरा जमा (संख्या, भूगोल, राशि व कार्यकाल के आधार पर विविध माना गया है) के प्रतिशत में संवृद्धि द्वारा व थोक जमा पर निर्भर को कम करने के द्वारा घटाया जा सकता है।

Qualitative disclosure around LCR

The liquidity coverage ratio (LCR) is to promote the short term resilience of the liquidity risk profile of the banks.

During the Financial Year 2015-16, the Bank maintained LCR above the minimum requirement of 60% (applicable for calendar year 2015) and 70% (applicable for calendar year 2016) respectively.

LCR ensures the Bank maintains an adequate stock of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted easily and immediately into cash to meet liquidity needs (net cash outflows) for a 30 calendar day liquidity stress scenario. HQLA comprises of Level 1, Level 2A and Level 2B assets.

Level 1 assets attracts 0% Hair-cut (constituting 95.10% of total HQLA) and comprises of cash, excess CRR, excess SLR securities, Government Securities to the extent allowed by RBI, under Marginal Standing Facility (MSF) [presently 2% of the Bank's NDTL] and under Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) [presently 8% of the Bank's NDTL].

Level 2A assets attracts 15% Hair-cut (constituting 4.70% of total HQLA) and comprises of Sovereign Guaranteed Marketable Securities, Corporate Bonds or Commercial Papers which are rated AA+ and are issued other than by Financial Institutions.

Level 2B assets attract 50% Hair-cut and include investment in Common Equity Shares included in NSE CNX NIFTY and / or S&P BSE Sensex Indices.

The Prime variable which impacts the LCR is the level of excess CRR and excess SLR securities and forms part of HQLA. The net cash outflows under stress may be reduced with increase in percentage of Retail Deposits (considered to be well diversified in terms of number, geography, amount and tenor) and reducing the dependency on Wholesale Deposits.

बैंक के खुदरा जमा का अनुपात संवृद्ध हुआ है एवं कुल घरेलू जमा का 50% समाहित किये हुए है। बैंक ने अपने एलसीआर को सुधारने हेतु पिछले एक वर्ष के दौरान जमा प्रमाणपत्र (असुरक्षित ऋण) सहित मुख्य रूप से थोक जमा पर अपनी निर्भरता कम की है।

उच्च मूल्य जमा हेतु बैंक ने किसी भी बैंक या बाज़र विशिष्ट चलनिधि दबावग्रस्त परिदृश्य के कारण हुए प्रमुख निधि बहिर्वाह को सीमित करने के क्रम में बिना किसी परिपक्वतापूर्ण आहरण खंड (गैर-प्रतिदेय) के अलग से उत्पाद का आरंभ किया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 (वित्तीय वर्ष की सभी चार तिमाहियों) के दौरान दबावग्रस्त के तहत संभावित निवल नकद बहिर्वाह में वित्तीय वर्ष 2014-15 (केवल अंतिम तिमाही जनवरी 15 व मार्च 15) की तुलना में कमी आई है जो कि खुदरा सावधि जमा के शेयर में संवृद्धि, गैर-प्रतिदेय जमा में संवृद्धि व असुरक्षित कर्ज पर निर्भरता में कमी के कारण हुई है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक द्वारा अनुरक्षित एचक्यूएलए का स्तर एलसीआर आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त है।

बैंक के एलसीआर पर व्युत्पन्नी एक्सपोज़र, अनुमानित संपार्श्विक कॉल व मुद्रा बेमेल का प्रभाव निरर्थक है।

6.16 इक्विटी शेयर पूंजी का नया निर्गमन :

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्न पक्षों को इक्विटी शेयर जारी व आबंटित किया है।

- 30.04.2015 को आयोजित बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों की सहमति के साथ 12.05.2015 को अधिमानी तौर पर एलआईसी की योजनाओं / भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को ₹370.08 के प्रीमियम सहित ₹380.08 के इश्यू मूल्य पर नकद हेतु प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य के 40000000 इक्विटी शेयर

The proportion of Retail Deposits of the Bank has grown and constitutes around 50% of the total domestic deposits. Bank has considerably reduced its dependency on bulk deposits including Certificate of Deposits (Unsecured Debts) over the past one year in order to improve its LCR.

For High value Deposits, the Bank has introduced separate product with no premature withdrawal clause (non-callable) in order to limit major funds outflows caused due to any Bank or market specific liquidity stress scenarios.

The expected net cash outflows under stress during the FY 2015-16 (all the four quarters of FY) has shown a decline as compared to FY 2014-15 (only the last quarter Jan15 to March 15) due to increase in the share of Retail Term Deposits, increase in non-callable deposits and reduce dependency on unsecured debts.

The level of HQLA maintained by the Bank during the FY 2015-16 remain adequate to meet the LCR requirement.

The impact of Derivative Exposure, potential collateral calls and currency mismatch on the LCR of the Bank remained insignificant.

6.16 Fresh Issue of Equity Share Capital:

During the year Bank had issued and allotted Equity Shares to the following parties:

- 40000000 Equity shares of face value of ₹ 10 each for cash at an issue price of ₹380.08 including premium of ₹370.08 to the Life Insurance Corporation of India (LIC)/Schemes of LIC on preferential basis on 12.05.2015 with the consent of the Shareholders of the Bank by way of Special Resolution passed in the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 30.04.2015

ii) 29.09.2015 को आयोजित बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों की सहमति के साथ 30.09.2015 को अधिमानी तौर पर भारत सरकार (जीओआई) को ₹330.72 के प्रीमियम सहित ₹340.72 के इश्यू मूल्य पर नकद हेतु प्रत्येक ₹10 के अंकित मूल्य के 27794083 इक्विटी शेयर

ii) 27794083 Equity shares of face value of ₹10 each for cash at an issue price of ₹340.72 including premium of ₹330.72 to the Government of India (GOI) on preferential basis on 30.09.2015 with the consent of the Shareholders of the Bank by way of Special Resolution passed in the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 29.09.2015

6.17 31 मार्च 2016 समापन तिमाही हेतु वित्तीय परिणाम को 'आय प्राप्ति, आस्ति वर्गीकरण व प्रावधानीकरण' हेतु विवेकपूर्ण मानदंड व आयकर व आस्थगित कर हेतु प्रावधान, निवेश व अचल संपत्ति पर मूल्यहास व गैर-बचावरहित विदेशी मुद्रा के साथ इकाई को एक्सपोजर के लिये प्रावधान व अन्य आवश्यक प्रावधान पर भा.रि.बै. के निर्देशों एवं मौजूदा दिशानिर्देशों अनुसार ऋण हानि हेतु प्रावधान को विचारार्थ लेने के पश्चात संगणित किया गया है।

6.17. The Financial results for the quarter ended 31st March 2016 have been arrived at after considering provision for Loan Losses in accordance with the extant guidelines and directions of RBI on Prudential Norms for 'Income Recognition, Asset Classification and Provisioning' and Provision for Income Tax and Deferred Tax, Depreciation on Investments and Fixed Assets, provision for exposure to entities with unhedged foreign currency and other necessary provisions. The Bank has made additional provision of Rs.1486 Crore being 5% on the liability of the Sub-standard Advances and 10% on the liability of Doubtful II category.

6.18 वर्ष के दौरान, आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के भाग के रूप में दो तिमाही समापनों 31.12.2015 व 31.03.2016 को कुछ अग्रिम खातों के संबंध में वर्गीकरण / प्रावधान को संशोधित करने हेतु भा.रि.बै. ने बैंक को सलाह दी है, जिसे कि बैंक ने तदनुसार कार्यावित किया है।

6.18 During the year, as a part of Asset Quality Review, RBI has advised the Bank to revise Classification/provisions in respect of certain advance accounts over the two quarters ending 31.12.2015 and 31.03.2016 which the Bank has implemented accordingly.

6.19 उज्ज्वल डिसकॉम एश्योरेंस योजना (उदय) योजना पर भा. रि.बै. पत्र डीबीआर.बीएनपी.सं.11643/21.04.132/2015-16 दिनांक 17.03.2016 के अनुपालन में बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में एसडीएल में परिवर्तित न होने हेतु प्रकल्पित खंड के संबंध में ₹399.36 करोड़ का प्रावधान किया है एवं ऋण / डिस्कॉम बॉन्ड के अंकित मूल्य में हास हेतु ₹131.01 करोड़ का प्रावधान किया है।

6.19 In compliance to the RBI letter DBR.BNP. NO.11643/21.04.132/2015-16 dated 17.03.2016 on Ujwal Discom Assurance Yojna (UDAY) scheme, the Bank has made a provision of ₹399.36 Crore in respect of segment not envisaged to be converted into SDL in FY 2016-17 and ₹131.01 Crore for diminution in the fair value of loan / Discom Bonds.

6.20 भा.रि.बै. पत्र दिनांकित 12.04.2016 अनुसार बैंक ने पंजाब राज्य सरकार द्वारा प्राप्त खाद्य ऋण के तहत 31.03.2016 को ₹2233.86 करोड़ की अतिदेय राशि का 15%, जो कि ₹335.08 करोड़ की राशि है, उपलब्ध कराया है। भा.रि.बै. निर्देशों अनुसार कथित प्रावधानों को दो तिमाहियों में किये जाने के आवश्यकता थी यथा, मार्च 2016 में 7.5% व जून 2016 में 7.5%। यद्यपि, बैंक ने मार्च 2016 तिमाही में पूर्ण आवश्यक प्रावधान करने का निर्णय लिया है।

7. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

6.20 In accordance with the RBI letter dated 12.04.2016, the Bank has provided a sum of ₹335.08 Crore being 15% of the outstanding amount of ₹2233.86 Crore as on 31.03.2016 under food credit availed by State Government of Punjab. As per the RBI direction, said provision was required to be made in two quarters i.e., 7.5% in March, 2016 and 7.5% in June, 2016. However, bank has decided to make full required provision in March 2016 quarter.

7. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक

हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

जी वी मणिमरान
निदेशक

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक

सुनील हुक्मचंद कोचेटा
निदेशक

वी रामाचन्द्रा
उप महा प्रबंधक

रकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मोचेरला साईराम भास्कर
निदेशक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

रजिन्दर कुमार गोयल
निदेशक

दीनबन्धु महापात्र
कार्यपालक निदेशक

उमा शंकर
निदेशक

संजय जैन
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
एस सी वासुदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

संजय वासुदेव
साझेदार

कृते
विनय कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

विनय कुमार अग्रवाल
साझेदार

कृते
राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

पी करुणाकर नायडू
साझेदार

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार

निरंजन वी के
साझेदार

कृते
जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं
सनदी लेखाकार

पी पार्थसारथी
साझेदार

कृते
जे सिंह एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

जे सिंह
साझेदार

बेंगलूरु
27 मई, 2016

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER

HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

P S RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR

SUNIL HUKUMCHAND KOCHETA
DIRECTOR

V RAMACHANDRA
DEPUTY GENERAL MANAGER

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF
EXECUTIVE OFFICER

MOCHERLA SAIRAM BHASKAR
DIRECTOR

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

T N MANOHARAN
CHAIRMAN

RAJINDER KUMAR GOEL
DIRECTOR

DINABANDHU MOHAPATRA
EXECUTIVE DIRECTOR

UMA SHANKAR
DIRECTOR

SANJAY JAIN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
S C VASUDEVA & Co.
Chartered Accountants

SANJAY VASUDEVA
Partner

For
VINAY KUMAR & Co.
Chartered Accountants

VINAY KUMAR AGRAWAL
Partner

For
RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants

P KARUNAKARA NAIDU
Partner

For
V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants

NIRANJAN V K
Partner

For
J L SENGUPTA & Co.
Chartered Accountants

P PARTHASARATHY
Partner

For
J SINGH & ASSOCIATES
Chartered Accountants

J SINGH
Partner

Bengaluru
MAY 27, 2016

यथा 31.03.2016 को स्तंभ 3 – बासेल III प्रकटन
प्रकटन प्रपत्र तालिका 1: अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

बैंक का नाम जिसके लिए यह ढाँचा लागू है: केनरा बैंक

(i) गुणात्मक प्रकटन

क. समेकन के लिए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ (निगमन का देश))	क्या निकाय को समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	क्या निकाय को समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	समेकन की प्रक्रिया में अंतर के कारणों का विवरण	यदि समेकन किसी क्षेत्र के तहत किया गया है तो उसका विवरण दें
केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनरा रोबेक्को आस्ति प्रबंधन कंपनी लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनरा बैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय अनुषंगी। समूह की समेकित विनियामक पूंजी से निकाली गई

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURES AS ON 31.03.2016

TABLE DF – 1: SCOPE OF APPLICATION

Name of the head of the banking group to which the framework applies: Canara Bank

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Canbank Financial Services Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canbank Venture Capital Fund Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canbank Factors Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canara Robeco Asset Management Company Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canbank Computer Services Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Non Financial Subsidiary. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.

निकाय का नाम/ (निगमन का देश))	क्या निकाय को समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	क्या निकाय को समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	समेकन की प्रक्रिया में अंतर के कारणों का विवरण	यदि समेकन किसी क्षेत्र के तहत किया गया है तो उसका विवरण दें
केनरा बैंक सेक्यूरिटीज़ लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनरा एच एस बी सी ओ बी सी जीवन बीमा कंपनी लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा अनुषंगी। समूह की समेकित विनियामक पूंजी से निकाली गई
कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, माँस्को (रूस)	हां	संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक - 27 के अनुसार	नहीं	संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक - 27 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनफिन होम्स लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों में संबद्धों में निवेश के लिए लेखांकन पर लेखांकन मानक - 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	केनफिन होम्स लि. में बैंक का निवेश पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए जोखिम भारित है
प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों में संबद्धों में निवेश के लिए लेखांकन पर लेखांकन मानक - 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक में बैंक का निवेश पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए जोखिम भारित है

Name of the entity / (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Canara Bank Securities Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Insurance Subsidiary. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.
Commercial Indo Bank LLC., Moscow (Russia)	Yes	As per Accounting Standard -27 on Financial Reporting of Interest in Joint Venture	Yes	As per Accounting Standard -27 on Financial Reporting of Interest in Joint Venture	N.A	N.A
Canfin Homes Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard -23 on Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Bank's investment in Canfin Homes Ltd, has been Risk weighted for capital adequacy purposes
Pragathi Krishna Gramin Bank (India)	Yes	As per Accounting Standard -23 on Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Bank's investment in Pragathi Krishna Gramin Bank, has been Risk weighted for capital adequacy purposes

निकाय का नाम/ (निगमन का देश))	क्या निकाय को समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	क्या निकाय को समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	समेकन की प्रक्रिया में अंतर के कारणों का विवरण	यदि समेकन किसी क्षेत्र के तहत किया गया है तो उसका विवरण दें
केरल ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों में संबद्धों में निवेश के लिए लेखांकन पर लेखांकन मानक - 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	केरल ग्रामीण बैंक में बैंक का निवेश पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए जोखिम भारित है

Name of the entity / (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Kerala Gramin Bank (India)	Yes	As per Accounting Standard -23 on Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Bank's investment in Kerala Gramin Bank, has been Risk weighted for capital adequacy purposes

ख. उन समूह निकायों की सूची जिन्हें समेकन के लिए लेखांकन और समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र दोनों में नहीं रखा है।

ऐसे कोई समूह निकाय नहीं हैं जिन्हें समेकन के लिए लेखांकन और समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र दोनों में नहीं रखा है।

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no entities in the group which are not considered for consolidation under both accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

(ii) परिमाणात्मक प्रकटन

ग. समेकन के लिए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमित देश (जैसे ऊपर (क) में दर्शाया गया है)	निकाय की मुख्य गतिविधि	31 मार्च 2016 तक कुल तुलन पत्र इक्विटी (₹ मिलियन में)	31 मार्च 2016 तक कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (₹ मिलियन में)
केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि. (इंडिया) कारोबार के	विस्तारण / कारोबार शुरू करने के लिए इक्विटी समर्थन	2.50	368.31
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (इंडिया)	फैक्टरिंग के कारोबार में लगे हैं	200.00	8314.16
केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि. (इंडिया)	म्यूचुअल फंड के आस्तियों का प्रबंधन	498.54	1450.46
केनरा बैंक सेक्यूरिटीज़ लि. (इंडिया)	स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं व ऑनलाइन व्यापार उपलब्ध कराने का कारोबार /	400.00	1267.52
केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि. (इंडिया)	पोर्टफोलियो प्रबंधन व लीज वित्त में लिप्त परंतु इसकी मालियत पूर्ण रूप से खत्म हो गई है और वर्तमान में यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की किसी गतिविधियों में नहीं लगा है	300.00	300.43
कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (रूस)	बैंकिंग	2429.37 (36.67 मिलियन यूएसडी)	6312.05 (91.45 मिलियन यूएसडी)

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of Incorporation (as indicated in (a) above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity as on 31st March 2016 Amount (₹ in Millions)	Total balance sheet assets as on 31st March 2016 Amount (₹ in Millions)
Canbank Venture Capital Fund Ltd. (India)	Equity support for Expansion/ Start up of Business.	2.50	368.31
Canbank Factors Ltd. (India)	Engaged in the business of Factoring	200.00	8314.16
Canara Robeco Asset Management Company Ltd. (India)	Managing assets of Mutual Fund	498.54	1450.46
Canara Bank Securities Ltd. (India)	Business of Providing Stock Broking services and online trading.	400.00	1267.52
Canbank Financial Services Ltd. (India)	Engaged in Portfolio Management and lease Finance but Its net-worth is totally eroded and currently it is not engaged in any of the activities of a non-banking financial company	300.00	300.43
Commercial Indo Bank LLC., Moscow (Russia)	Banking	2429.37 (36.67 Mn USD)	6312.05 (91.45 Mn USD)

घ. समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं की गई अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि यानि जिन्हें काटा गया है

यथा मार्च 31, 2016 तक बैंक की अनुषंगियों में कोई पूंजी कमी नहीं है जिसे समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं किया है

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in the subsidiaries of the Bank which are not included in the regulatory scope of consolidation as on March 31, 2016.

ड.) बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की कुल राशि (उदाहरण: चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारत है

बीमा निकायों/ निगमित देश का नाम	निकाय की मुख्य गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी राशि (वैध निकाय के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार) (₹ मिलियन में)	कुल इक्विटी/ मतदान अधिकार के अनुपात में बैंक की धारिता का %	जोखिम भारत पद्धति बनाम पूर्ण कटौती पद्धति का इस्तेमाल करने से विनियम पूंजी पर पडने वाला परिमाणात्मक प्रभाव
केनरा एच एस बी सी ओ बी सी जीवन बीमा कंपनी लि. (इंडिया)	बीमा कारोबार	₹9,500	51%	सीआरएआर पर 10 बीपीएस सकारात्मक प्रभाव

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities/ Country of Incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Amount (₹ in Millions)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd. (India)	Insurance Business	₹9,500 Mn	51%	10 bps positive impact on CRAR

च) बैंकिंग समूह में निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं:

बैंकिंग समूह में निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं नहीं हैं।

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

प्रकटन प्रपत्र तालिका-2: पूंजी पर्याप्तता

(i) गुणात्मक प्रकटन

पूंजी आयोजन प्रक्रिया में, बैंक ने निम्न समीक्षा की है :

- बैंक की वर्तमान पूंजी आवश्यकता
- कारोबार रणनीति व जोखिम वहन क्षमता के अनुसार लक्षित और टिकाऊ पूंजी

पूंजी आवश्यकता व पूंजी इष्टतमीकरण की सावधिक रूप से पूंजी आयोजन समिति द्वारा निगरानी की जा रही है जिसमें कि उच्चतम कार्यपालक हैं। आगे, पूंजी आयोजना की निगरानी प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक व दो स्वतंत्र निदेशकों वाले बोर्ड स्तर पर होगी। अग्रिमों, निवेशों व सहायक / संयुक्त उद्यमों के निवेशों, आदि में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी आवश्यकता को तिमाही आधार पर प्रोजेक्ट किया गया है। कारोबार वृद्धि और पूंजी इष्टतमीकरण हेतु विधिवत परिदृश्य का विश्लेषण करते हुए पूंजी संरचना को पंक्ति में लाने के साथ पूंजी आवर्धन हेतु समिति उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रख रही है।

TABLE DF – 2: CAPITAL ADEQUACY

(i) Qualitative Disclosures

In Capital Planning process the Bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital need and capital optimization are monitored periodically by the Capital Planning Committee comprising Top Executives. Further the committee is being monitored at Board level, with members of the Board in the committee comprising of Managing Director & CEO, Executive Directors and two independent Directors. Capital requirement is projected quarterly considering the expected growth in advances, investments and investments in Subsidiaries /Joint Ventures, etc. Committee takes into consideration various options available for capital augmentation in tune with business growth and realignment of Capital structure, duly undertaking the scenario analysis for capital optimization in tune with its long term goals enumerated in ICAAP and Vision documents of the Bank.

परिमाणात्मक प्रकटन

क्रमांक	मद	राशि (₹ मिलियन में)	
		31.03.2016	31.03.2015
(बी)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता		
	• मानक दृष्टिकोण के अधीन संविभाग	274,173.83	270,810.53
	• प्रतिभूतिकरण प्रकटन	0.00	0.00
(सी)	बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता		
	• मानक अवधि दृष्टिकोण		
	– ब्याज दर जोखिम	18,209.50	13,551.90
	– विदेश विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	65.00	375.90
	– इक्विटी जोखिम	7,859.10	7,510.60
(डी)	परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं		
	• मूल सूचक दृष्टिकोण	22,288.23	16,803.04
(ई)	सामान्य इक्विटी टीयर 1, टीयर 1 और कुल पूंजी		
	• समूह		
	– सीईटी 1 पूंजी	276,979.47	255,678.73
	– टीयर 1 पूंजी	297,849.65	278,483.17
	– टीयर 2 पूंजी	76,594.88	87,236.43
	– कुल पूंजी	374,444.53	365,719.60
	• एकल (मूल बैंक)		
	– सीईटी 1 पूंजी	273,078.70	252,216.43
	– टीयर 1 पूंजी	293,715.04	274,593.14
	– टीयर 2 पूंजी	76,333.89	86,775.02
	– कुल पूंजी	370,048.93	361,368.16
(एफ)	सामान्य इक्विटी टीयर 1, टीयर 1 और कुल पूंजी अनुपात		
	• समूह सीआरएआर		
	– सीईटी 1 अनुपात	8.26%	7.45%
	– टीयर 1 अनुपात	8.89%	8.11%
	– टीयर 2 अनुपात	2.29%	2.54%
	– सी आर ए आर	11.17%	10.65%
	• स्टैंड अलोन (मुख्य बैंक) सी आर ए आर		
	– सीईटी 1 अनुपात	8.18%	7.37%
	– टीयर 1 अनुपात	8.80%	8.02%
	– टीयर 2 अनुपात	2.28%	2.54%
	– सी आर ए आर (जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात)	11.08%	10.56%

Quantitative disclosures

SI No	Items	Amount (₹ in Millions)	
		31.03.2016	31.03.2015
(b)	Capital requirements for Credit Risk		
	• Portfolios subject to Standardized Approach	274,173.83	270,810.53
	• Securitization Exposures	0.00	0.00
(c)	Capital requirements for Market Risk		
	• Standardized Duration Approach		
	- Interest Rate Risk	18,209.50	13,551.90
	- Foreign Exchange Risk (including Gold)	65.00	375.90
	- Equity Risk	7,859.10	7,510.60
(d)	Capital requirements for Operational Risk		
	• Basic Indicator Approach	22,288.23	16,803.04
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital		
	• Group		
	- CET 1 Capital	276,979.47	255,678.73
	- Tier 1 Capital	297,849.65	278,483.17
	- Tier 2 Capital	76,594.88	87,236.43
	- Total Capital	374,444.53	365,719.60
	• Stand alone (Parent Bank)		
	- CET 1 Capital	273,078.70	252,216.43
	- Tier 1 Capital	293,715.04	274,593.14
	- Tier 2 Capital	76,333.89	86,775.02
	- Total Capital	370,048.93	361,368.16
(f)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios:		
	• Group CRAR		
	- CET 1 Ratio	8.26%	7.45%
	- Tier 1 Ratio	8.89%	8.11%
	- Tier 2 Ratio	2.29%	2.54%
	- CRAR	11.17%	10.65%
	• Stand alone (Parent Bank) CRAR		
	- CET 1 Ratio	8.18%	7.37%
	- Tier 1 Ratio	8.80%	8.02%
	- Tier 2 Ratio	2.28%	2.54%
	- CRAR	11.08%	10.56%

प्रकटन प्रपत्र तालिका-3: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित साख जोखिम प्रबन्धन नीति (सीआरएम नीति) को स्थापित किया है जो कि सभी साख जोखिम संबंधित पहलुओं को शासित करती है। सीआरएम नीति बैंक में साख जोखिम प्रबन्धन के मूल सिद्धांतों, मानकों एवं दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। सक्रिय रूप से साख जोखिमों को प्रबन्धित करने हेतु, संसाधनों को संवृद्ध करने हेतु एवं बैंक को प्रतिकूल साख स्थितियों में सुरक्षित करने हेतु यह प्रणाली, प्रक्रिया, नियंत्रण व उपायों को संस्थापित करती है। साख सीमा के अनुमोदन हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होगा।

बैंक की नीति जोखिम व रिटर्न के बीच मध्यम जोखिम लेने की क्षमता व स्वस्थ संतुलन रखती है। स्वीकार्य मानदंडों के अन्दर शेर धारक हेतु मूल्य को संवर्धित करना और विनियामक प्राधिकरण, जमाकर्ता व अन्य शेरधारकों की आवश्यकताओं को उपयुक्त रूप से देखना प्राथमिक जोखिम प्रबन्धन उद्देश्य हैं। बैंक के जोखिम प्रबन्धन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनियामक व वैध आवश्यकताओं सहित अनुपालन, जोखिम व रिटर्न में संतुलन प्राप्त करना, जोखिम कार्यों के स्वायत्ता सुनिश्चित करना तथा जोखिम प्रबन्धन व कारोबार उद्देश्यों को एक पंक्ति में लाना समाहित है। कॉर्पोरेट मूल्यों, व्यवहार, दक्षताओं, कारोबार आसूचना उपकरण का नियोजन, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग व आकस्मिक योजना सहित मजबूत संगठनात्मक संस्कृति व ध्वनि संचालन प्रक्रियाओं द्वारा बैंक की साख जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया संचालित होती है।

बैंक के साख जोखिम प्रबन्धन का सम्यक उद्देश्य निम्न:

- साख वृद्धि सुनिश्चित करें, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही, जो कि जोखिम के इष्टतम विसर्जन के साथ क्षेत्रवार संतुलित व विविधतापूर्ण होगा।
- जोखिम व पोर्टफोलियो पर विनियामक विवेकपूर्ण मानदंडों की अनुपालनता सुनिश्चित करें।
- साख जोखिम में विभिन्न जोखिमों की उपयुक्त रूप से मूल्यवर्ग निर्धारण करें।
- पहचान, मापना, निगरानी व नियंत्रण को शामिल करते हुए जोखिम प्रबन्धन के एकीकृत प्रणाली का भाग बनाये।

TABLE DF – 3: CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

(i) Qualitative Disclosures

Bank's policy governs all credit risk related aspects. CRM Policy outlines the principles, standards and approach for credit risk management at the Bank. It establishes systems, procedures, controls and measures to actively manage the credit risks, optimize resources and protect the bank against adverse credit situations.

The Bank's policies assume moderate risk appetite and healthy balance between risk and return. The primary risk management goals are to maximize value for shareholders within acceptable parameters and adequately addressing the requirements of regulatory authorities, depositors and other stakeholders. The guiding principles in risk management of the Bank comprise of Compliance with regulatory and legal requirements, achieving a balance between risk and return, ensuring independence of risk functions, and aligning risk management and business objectives. The Credit Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, employment of business intelligence tools, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning.

The overall objectives of Bank's Credit Risk Management are to:

- Ensure credit growth, both qualitatively and quantitatively that would be sectorally balanced, diversified with optimum dispersal of risk.
- Ensure adherence to regulatory prudential norms on exposures and portfolios.
- Adequately pricing various risks in the credit exposure.
- Form part of an integrated system of risk management encompassing identification, measurement, monitoring and control.

रणनीति व प्रक्रियाएं:

साख जोखिम प्रबन्धन के उपरोक्त उद्देश्यों को एहसास करने के क्रम में बैंक साख जोखिम पहचान, मापने, ग्रेडिंग व समकेन तकनीक, निगरानी व रिपोर्टिंग, जोखिम नियंत्रण / शमन तकनीकों और समस्यामूलक ऋण / साख के प्रबन्धन हेतु बैंक विभिन्न पद्धतियां निर्धारित करता है। बैंक ने लक्ष्य बाजार, जोखिम स्वीकार्य मानदंड, साख मंजूरी प्राधिकरण व साख व्युत्पत्ति / अनुरक्षण प्रक्रिया पर दिशानिर्देशों को भी परिभाषित किया है।

साख जोखिम शमन हेतु विभिन्न उपायों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई गई है, जिसमें कि महत्ववाले क्षेत्र व लक्ष्य बाजार की पहचान, विनियामक दिशानिर्देशों व बैंक के जोखिम क्षुधा पर आधारित जोखिम सीमा तय करना, एकाग्रता जोखिम को न्यूनतम करना और रेटिंग पर आधारित मूल्यवर्ग तय करना शामिल है।

बैंक समय-समय पर ऋण देने हेतु संभाव्य व उत्पादन क्षेत्रों की पहचान करेगा जो कि खंड के निष्पादन व अर्थव्यवस्था के मांगों पर निर्भर होगा। मौजूदा अर्थव्यवस्था परिदृश्य, आदि पर आधारित बैंक के औद्योगिक / क्षेत्र के मूल्यांकन के आधार पर बैंक उन क्षेत्रों में अपने जोखिम को प्रतिबन्धित करेगा जिसमें कि वृद्धि संभाव्य नहीं है।

साख से संबंधित बैंक के परिचालन प्रक्रियाएं व प्रणाली सही साख जोखिम प्रबन्धन सिद्धांतों पर तैयार किये जायेंगे और सावधिक समीक्षा के विषयक होंगे।

साख प्रस्तावों पर यथोचित विवेक के भाग के रूप में बैंक के पास विस्तृत साख जोखिम पहचान प्रक्रियाएं हैं।

साख जोखिम प्रबन्धन कार्य की संरचना व संगठन: बैंक में साख जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्न है:

- i. निदेशक मंडल
- ii. बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसीबी)
- iii. साख जोखिम प्रबन्धन समिति (सीआरएमसी)
- iv. मॉडल समीक्षा तकनीकी कार्यकारी समूह (एमआरटीडब्ल्यूजी)
- v. महा प्रबन्धक - जोखिम प्रबन्धन विभाग, प्र.का. (मुख्य जोखिम अधिकारी)

Strategies and processes:

In order to realize the above objectives of Credit Risk Management, the Bank prescribes various methods for Credit Risk identification, measurement, grading and aggregation techniques, monitoring and reporting, risk control/ mitigation techniques and management of problem loans/ credits. The Bank has also defined target markets, risk acceptance criteria, credit approval authorities, and guidelines on credit origination/ maintenance procedures.

The strategies are framed keeping in view various measures for Credit Risk Mitigation, which includes identification of thrust areas and target markets, fixing of exposure ceiling based on regulatory guidelines and risk appetite of the Bank, Minimizing Concentration Risk, and pricing based on rating.

Bank from time to time would identify the potential and productive sectors for lending, based on the performance of the segments and demands of the economy. The Bank restricts its exposures in sectors which do not have growth potentials, based on the Bank's evaluation of industries/ sectors based on the prevailing economic scenario prospects, etc.

The operational processes and systems of the Bank relating to credit are framed on sound Credit Risk Management Principles and are subjected to periodical review.

The Bank has comprehensive credit risk identification processes as part of due diligence on credit proposals.

The structure and organization of the Credit Risk Management Function: Credit Risk Management Structure in the Bank is as under-

- i. Board of Directors
- ii. Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- iii. Credit Risk Management Committee (CRMC)
- iv. Model Review Technical Working Group (MRTWG)
- v. General Manager-Risk Management Wing, H.O (Chief Risk Officer)

- vi. उप महा प्रबन्धक (I व II), जोखिम प्रबन्धन विभाग
- vi. साख जोखिम प्रबन्धन प्रभाग, जोखिम प्रबन्धन विभाग
- vii. साख जोखिम प्रबन्धन प्रभाग में साख नीति अनुभाग, साख सांख्यिकी अनुभाग व साख जोखिम प्रबन्धन अनुभाग समाहित हैं। साख जोखिम प्रबन्धन अनुभाग के तीन कार्यकारी डेस्क हैं, साख जोखिम प्रबन्धन डेस्क, साख जोखिम रेटिंग डेस्क व औद्योगिक अनुसन्धान डेस्क।
- viii. मॉडल वैधता दल (एमवीटी)
- ix. मॉडल विकास दल
- x. अंचल कार्यालयों पर जोखिम प्रबन्धन व साख समीक्षा अनुभाग।

- vi. Deputy General Manager (I&II), Risk Management Wing
- vii. Credit Risk Management Department comprising of Credit Policy Section, Credit Statistics Section and Credit Risk Management Section. The Credit Risk Management Section has three functional desks, the Credit Risk Management Desk, Credit Risk Rating Desk and Industry Research Desk.
- viii Model Development Team
- ix. Model Validation Team (MVT)
- x. Risk Management & Credit Review Section at Circle Offices.

जोखिम रिपोर्टिंग और / या माप प्रणाली का स्कोप और प्रकृति:

बैंक की उपयुक्त साख जोखिम माप व निगरानी प्रक्रिया है। जोखिम का माप, साख जोखिम रेटिंग के पूर्व-मंजूरी अभ्यास व बैंक द्वारा स्थान पर रखे गये स्कोरिंग मॉडल के माध्यम से है। इन हर एक जोखिम जो कि भारत स्कोर को निर्दिष्ट करने के अलावा और उन्हें स्केल। से VII पर रेटिंग करने के तहत मानदंडों की पहचान हेतु बैंक की एक अलग से जोखिम रेटिंग नीति है। ग्रेड VIII या उच्चतम जोखिम ग्रेड III को डिफॉल्ट ग्रेड कहते हैं। पूंजी संगणना व साथ ही मूल्य निर्धारण उद्देश्यों हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण पर भारिबै के दिशानिर्देशों अनुसार पात्र साख जोखिम के लिये जोखिम भारितों को निर्धारित करने हेतु मान्यताप्राप्त ईसीएआई (बाह्य साख मूल्यांकन संस्थान) द्वारा दिये गये रेटिंग के प्रयोग / मैपिंग के दिशानिर्देशों पर भी जोखिम रेटिंग नीति जोर देती है।

साख जोखिम माप हेतु संपूर्ण साख पोर्टफोलियो के लिये बैंक ने 'मानकीकृत दृष्टिकोण' अपनाया है। बैंक आईआरबी दृष्टिकोण की ओर बढ़ने हेतु प्रयास कर रहा है और इस संबंध में सभी आवश्यक कोशिशों की जा रही हैं।

बैंक ने सभी एमआईएस आवश्यकताओं, जोखिम भारत आस्तियों की संगणना (आरडब्ल्यूए), एक्सपोजर व निगरानी की समीक्षा हेतु विभिन्न साख संबंधित रिपोर्टों को उत्पन्न करने, और विभिन्न कोणों से साख पोर्टफोलियो के विश्लेषण करने हेतु एक रोबस्ट साख डेटा वेयरहाउस स्थापित करने के लिये प्रणाली समर्थन प्राप्त करने हेतु सॉफ्टवेयर साल्यूशन शुरू किया है।

The scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

Bank has an appropriate credit risk measurement and monitoring processes. The measurement of risk is through a pre-sanction exercise of credit risk rating and scoring models put in place by the Bank. The Bank has a separate Risk Rating Policy for identifying the parameters under each of these risks as also assigning weighted scores thereto and rating them on a scale of I to VII. Grade VIII or High Risk Grade III is termed as default grade. The risk rating policy also entails the guidelines on usage/mapping of ratings assigned by the recognized ECAs (External Credit Assessment Institutions) for assigning risk weights for the eligible credit exposures as per the guidelines of the RBI on standardized approach for capital computation and also for pricing purposes.

The Bank has adopted 'Standardized Approach' for entire credit portfolio for credit risk measurement. The bank is endeavouring to move towards IRB approaches and made all necessary efforts in this regard.

The Bank has embarked upon implementation of a software solution to get system support for establishing a robust credit data warehouse for all MIS requirements, computation of Risk Weighted Assets (RWA), generate various credit related reports for review of exposure and monitoring, and conducting analysis of credit portfolio from various angles.

प्रतिरक्षा / शमन की जारी प्रभाविकता की निगरानी हेतु जोखिम व रणनीति व प्रक्रिया के प्रतिरक्षा और / या शमन के लिये नीति:

बैंक प्राथमिक रूप से साख अनुमोदित करते समय उधारकर्ता के वित्तीय शक्ति व कर्ज सर्विसिंग क्षमता पर निर्भर करता है। बैंक चुकौती के स्रोत के रूप में या उधारकर्ता की उधार पात्रता को मूल्यांकित करने हेतु एक विकल्प के रूप में अधिकतम संपार्श्विक या गारंटी पर निर्भर नहीं होता। पर्याप्त संपार्श्विक की आवश्यकता के कारण मात्र बैंक उन साख पात्र को साख सुविधा प्रदान करने में मना नहीं करता।

बैंक के साख जोखिम एक्सपोजर को प्रबन्धित करने के क्रम में बैंक ने अन्य कार्यकारी विभागों के साथ परामर्श में प्रधान कार्यालय पर जोखिम प्रबन्धन विभाग द्वारा किये जाने वाले समीक्षा व अद्यतन साख मूल्यांकन व मंजूर नीतियों को अपना लिया है। साख मूल्यांकन व मंजूरी प्रक्रिया विस्तृत रूप से क्रेडिट व्युत्पत्ति, मूल्यांकन, निर्धारण, व मंजूरी और वितरण में विभाजित है।

कॉर्पोरेट वित्त व परियोजना वित्त ऋण आम तौर पर अचल संपत्तियों, सामान्यतः संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर एक पहली ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित है। विक्रेय प्रतिभूति जैसी वित्तीय आस्ति के गिरवी की प्रतिभूति भी बैंक रखता है और जहाँ भी उपयुक्त हो कॉर्पोरेट गारंटी व व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त करता है। वर्तमान आस्ति के पहले ग्रहणाधिकार द्वारा कार्यकारी पूंजी ऋण सुरक्षित रखा जाता है जिसमें कि सामान्यतः सूची और प्राप्तियां शामिल हैं।

संपार्श्विक पर बैंक के प्रभार की वैधता सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेजीकरण पर बैंक ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये हैं।

उस उद्योग के विकास व लाभार्जन और बैंक के जोखिम क्षुधा के परिदृश्य में विशिष्ट उद्योग / क्षेत्र में पोर्टफोलियो विविधता व संपूर्ण एक्सपोजर सुनिश्चित करना बैंक की नीति है। बैंक अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के एक्सपोजर की निगरानी करता है और खासकर विभिन्न उद्योगों व संवेदनशील क्षेत्रों के एक्सपोजर की। औद्योगिक गतिविधियों का एक्सपोजर उद्योग के कार्यनिष्पादन के विश्लेषण पर आधारित बैंक द्वारा तय साख एक्सपोजर सीमा के विषयक है। बैंक की एकल व समूह उधारकर्ताओं के एक्सपोजर के साथ-साथ पर्याप्त एक्सपोजर भी उधारकर्ता के जोखिम रेटिंग अनुसार तय होता है तथा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सुझावित विवेकपूर्ण सीमा मानदंडों के अंदर एक्सपोजर स्तर को संभालने के क्रम में सावधिक तौर पर निगरानी की जाती है।

साख व्युत्पत्ति शाखा के निवल कार्य व अंचल कार्यालय द्वारा किये गये सहयोग से आरंभिक स्तर पर किया जाता है। पहचान, आवेदन की प्रक्रिया गहरी मूल्यांकन, यथोचित विवेक व आकलन शुरु करने से पहले किया जाता है।

Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants:

Bank primarily relies on the borrower's financial strength and debt servicing capacity while approving credits. Bank does not excessively rely on collaterals or guarantees as a source of repayment or as a substitute for evaluating borrower's creditworthiness. The Bank does not deny credit facilities to those assessed as credit worthy for mere want of adequate collaterals.

In order to manage the Bank's credit risk exposure, the Bank has adopted credit appraisal and approval policies and procedures that are reviewed and updated by the Risk Management Wing at Head office in consultation with other functional wings. The credit appraisal and approval process is broadly divided into credit origination, appraisal, assessment and approval, and dispensation.

Corporate finance and project finance loans are typically secured by a first lien on fixed assets, normally consisting of property, plant and equipment. The Bank also takes security of pledge of financial assets like marketable securities and obtains corporate guarantees and personal guarantees wherever appropriate. Working Capital loans are typically secured by a first lien on current assets, which normally consist of inventory and receivables.

Bank has laid down detailed guidelines on documentation to ensure legal certainty of Bank's charge on collaterals.

The Bank's policy is to ensure portfolio diversification and evaluate overall exposure in a particular industry / sector in the light of forecasts of growth and profitability for that industry, and the risk appetite of the Bank. The Bank monitors exposures to major sectors of the economy and specifically exposure to various industries and sensitive sectors. Exposure to industrial activities is subjected to the credit exposure ceilings fixed by the Bank based on the analysis on performance of the industry. The Bank's exposures to single and group borrowers as also substantial exposure is fixed as per the risk rating of the borrowers and monitored periodically in order to keep the exposure level within the prudential ceiling norms advised by Reserve Bank of India from time to time.

The credit origination is through the grass root level ably assisted by the branch net work and Circle Offices. The process of identification, application is carried out before commencing an in depth appraisal, due diligence and assessment.

साख अनुमोदन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण घटक है और एक पूर्व-मंजूरी अभ्यास के रूप में उधारकर्ता के अनिवार्य साख जोखिम रेटिंग के साथ शुरू होता है। उधारकर्ता से संबंधित साख जोखिम का माप, सूचक घटकों को मूल्यांकित करता है यथा, उधारकर्ता की आर्थिक स्थिति, नकद प्रवाह, गतिविधि, वर्तमान बाजार प्रचलन, भूतपूर्व प्रचलन, प्रबन्धन सक्षमता, संबद्ध कारोबार इकाईयों के साथ अनुभव, सुविधा की प्रकृति, आदि। उधारकर्ता के आंतरिक जोखिम रेटिंग वर्ग पर आधारित विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित साख अनुमोदन शक्तियां पहले से ही स्थान पर हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना अनुसार, बैंक ने प्रधान कार्यालय व अंचल कार्यालय स्तर पर साख अनुमोदन समिति का गठन किया है। प्रशासनिक इकाईयों पर सभी मंजूरी प्राधिकारियों के साख अनुमोदन शक्तियों को वापस ले लिया गया है तथा साख मंजूरी हेतु समिति के दृष्टिकोण को स्थान पर रख दिया गया है। चयनित शहरों में साख संवितरण टर्नएराउंड समय को आसान करने हेतु व विशेष ध्यान सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने विशेषीकृत शाखाओं यथा, केंद्रीकृत प्रसंस्करण इकाईयों (सीपीयू), खुदरा आस्ति हब (आरएएच), व एसएमई सुलभ, को सही स्थान पर रख दिया है।

नियंत्रण उपायों को संवर्धित करने हेतु एक अलग से साख प्रशासन व निगरानी विभाग को गठित किया गया है ताकि विशिष्ट ऋण समीक्षा की जा सके, समस्या खातों, क्रेडिट ऑडिट, आदि की निगरानी की जा सके। यह ऋण के पोस्ट मंजूरी निगरानी पर अधिक जोर को सुनिश्चित करता है और ऋण समीक्षा तंत्र पर बैंक की नीतियों के तहत उपलब्ध विभिन्न उपकरणों के प्रबंध को मजबूत करता है।

प्रभावी ऋण समीक्षा हेतु, बैंक ने निम्नलिखित को स्थान पर रखा है

- मंजूर नियम व शर्तों के अनुपालन हेतु पूर्व-जारी लेखापरीक्षा प्रणाली, संवितरण से पहले प्रतिभूतियों की पूर्णता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पावती आदि
- गैर-अनुपालनता की घटनाओं को पहचानने हेतु, विश्लेषित करने हेतु एवं ₹5 करोड़ की साख सीमा के साथ मंजूर सभी प्रकार की साख सुविधाओं के लिये सुधार हेतु साख लेखापरीक्षा प्रणाली
- अगले उच्चतम प्राधिकारी द्वारा हर एक मंजूरी प्राधिकारी द्वारा मंजूर ऋण की समीक्षा।
- एक्सपोजर के एक विशेष स्तर से परे उधारकर्ता खाते की मध्यावधि समीक्षा।
- विभिन्न स्तरों पर विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) की निगरानी, संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) का गठन व समय-पूर्व सुधार या पुनर्गठन हेतु संघीय / जेएलए खातों के मामले में सुधारात्मक कार्यवाही योजना (कैप) की संगणना

The credit approval process is a critical factor and commences with the mandatory credit risk rating of the borrower as a pre sanction exercise. The measurement of Credit Risk associated with the borrower evaluates indicative factors like; borrowers' financial position, cash flows, activity, current market trends, past trends, management capabilities, experience with associated business entities, nature of facilities etc. The credit sanctioning powers delegated to the various authorities based on internal risk rating categories of the borrower already put in place. In terms of the Ministry of Finance notifications, Bank has set up Credit Approval Committees at HO and circle levels. The credit sanctioning powers of all the sanctioning authorities at administrative units (i.e., besides branch powers) are withdrawn and the committee approach for credit approval has been put in place. The Bank has in place specialized branches viz. Centralized Processing Units (CPUs), Retail Asset Hubs (RAHs) and SME Sulabhs at select cities to ease credit dispensation turnaround time and ensure specialized attention.

To enhance the control measures, a separate Credit Administration and Monitoring Wing is in place to undertake exclusive loan review, monitoring problem accounts, credit audit, etc. This ensures greater thrust on post sanction monitoring of loans and strengthen administering the various tools available under the Banks' policies on loan review mechanism.

For effective loan review, the Bank has the following in place:

- Pre-release Audit System for compliance to sanction terms and conditions, obtention of stipulated collateral securities ensuring perfection of securities before disbursement etc.
- Credit Audit System to identify, analyze instances of non-compliance and rectification for all types of credit facilities sanctioned with credit limit of ₹ 5 crore.
- Review of loan sanctioned by each sanctioning authority by the next higher authority.
- Mid Term Review of borrowal accounts beyond a certain level of exposure.
- Monitoring of Special Mention Accounts (SMA) at various levels. formation of a Joint Lenders' Forum (JLF) and formulation of Corrective Action Plan (CAP) in the case of consortium/JLA accounts, for early rectification or restructuring

- उपकरण यथा, क्रेडिट निगरानी फॉर्मेट (वेब आधारित), तिमाही सूचना प्रणाली, अर्द्ध वार्षिक परिचालन प्रणाली, स्टॉक ऑडिट, विशेष वॉच सूची खातों, आदि की निगरानी।
- शाखाओं पर निगरानी कार्य के प्रभारी साख निगरानी अधिकारी।
- जो इन समस्या खातों की पूर्व-पहचान, व्यवहार्य माने जाने वाले खातों का पुनर्गठन और उधारदाताओं द्वारा वसूली या बिक्री हेतु त्वरित उपाय किये जाने जिससे कि बैंक में बन्द खाते शुरु हो जायें, को प्रोत्साहित करेंगे, ऐसी सुधारात्मक कार्रवाई की योजना की रूपरेखा तैयार करते हुए एक ढांचा विकसित किया गया है।

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की परिभाषा व वर्गीकरण:

बैंक मौजूदा भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार अपने अग्रिमों (अग्रिमों की प्रवृत्ति में स्थापित ऋण व साख) को अर्जक व अनर्जक ऋण में वर्गीकृत करता है। अनर्जक आस्ति (एनपीए) वह ऋण या अग्रिम है, जिसमें कि :

- सावधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रहने वाले मूल का ब्याज और / या किस्त।
- ओवरड्रॉफ्ट / नकद क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाते 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहेंगे। एक खाते को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जायेगा जब अतिदेय शेष लगातार मंजूर सीमा / आहरण शक्ति से 90 दिनों हेतु अधिकता में रहे। उस मामले में जहाँ प्राथमिक परिचालन खाते में अतिदेय शेष मंजूर सीमा / आहरण शक्ति से कम है, परंतु बैलेंस शीट की तिथि पर लगातार 90 दिनों हेतु कोई क्रेडिट नहीं है या उसी समय के दौरान डेबिट ब्याज को कवर करने हेतु क्रेडिट पर्याप्त नहीं है, उन खातों को 'आउट ऑफ ऑर्डर' के रूप में लिया जायेगा।
- खरीदी या रियायती बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिये बिल अतिदेय रहेगा।
- कृषि अग्रिमों के मामले में, मूल का ब्याज और / या किस्त 2 फसल मौसम (अल्पावधि फसल के संबंध में) हेतु व 1 फसल मौसम (लंबी अवधि फसल के संबंध में) हेतु अतिदेय रहेगा।
- प्रतिभूतिकरण दिनांकित 01.02.2006 पर दिशानिर्देशों अनुसार किये गये प्रतिभूतिकरण संव्यवहार के संबंध में 90 दिनों से अधिक हेतु अतिदेय रहे चलनिधि सुविधा की राशि

- Monitoring tools like Credit Monitoring Format (web-based), Quarterly Information Systems, Half Yearly Operation Systems, Stock Audits etc.
- Credit Monitoring Officers at branches in charge of monitoring functions.
- A framework has been developed outlining a corrective action plan that will incentivize early identification of problem account, timely restructuring of accounts which are considered to be viable and taking prompt steps by lenders for recovery or sale thereby revitalizing the distressed accounts in the Bank.

Definition and classification of Non-Performing Assets (NPAs):

The Bank classifies its advances (loans and credit substitutes in the nature of an advance) into performing and non-performing loans in accordance with the extant RBI guidelines. A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

- Interest and/or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan.
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC). An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period.
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted.
- The instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops, and for one crop season for long duration crops.

- व्युत्पन्नी संव्यवहार के संबंध में भुगतान हेतु निर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों की अवधि हेतु यदि ये शेष अप्रदत्त रहते हैं तो व्युत्पन्नी संविदा के सकारात्मक मार्क टू मार्केट वैल्यू का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिदेय प्राप्य ।
- व्युत्पन्नी संव्यवहार के संबंध में यदि भुगतान हेतु निर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों की अवधि हेतु ये शेष अप्रदत्त रहता है तो व्युत्पन्नी संविदा के सकारात्मक मार्क टू मार्केट वैल्यू का प्रतिनिधित्व करते हुए अतिदेय प्राप्य ।

यदि बैंक द्वारा स्थायी तिथि पर इसे प्रदत्त नहीं किया जाता है तो किसी भी साख सुविधा के तहत बैंक को देय कोई भी राशि “अतिदेय” है । आस्ति वर्गीकरण को उधारकर्ता-वार किया गया है न कि सुविधा-वार । अन्य शब्दों में, जब उधारकर्ता की कोई विशिष्ट सुविधा अनर्जक होती है तो उधारकर्ता को बैंक द्वारा अनुमोदित सभी सुविधाएं एनपीए के रूप में वर्गीकृत होंगी ।

वसूली के रिकॉर्ड के बावजूद बैंक तब ही किसी उधारकर्ता के खाते को एनपीए के रूप में पहचानकृत करेगा जब वह उपरोक्त उल्लिखित मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा हो, जहाँ,

- उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण बारंबार पुनर्गठित हो रहा हो अन्यथा विनियामक द्वारा अनुमत हो ।
- उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत हो रहा हो ।
- परियोजना कार्यावित्त करने के उद्देश्य हेतु उधारकर्ता को विस्तारित ऋण के संबंध में भा.रि.बै. दिशानिर्देशों के तहत अनुमत समय-सीमा के अन्दर परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन आरंभ न हुआ हो ।
- उधारकर्ता द्वारा जारी व बैंक द्वारा अनुरक्षित डिबेंचर / बॉन्ड / इक्विटी शेयर की प्रवृत्ति में कोई भी प्रतिभूति जो अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत हुई हो ।

समुद्रपारीय शाखाओं में अनुरक्षित ऋण हेतु एनपीए की पहचान गृह देश विनियमन (भा.रि.बै. दिशानिर्देश) या मेजबान देश विनियमन (समुद्रपारीय शाखा विनियामक के दिशानिर्देश), जो भी महत्वपूर्ण हो, के आधार पर होगी ।

आगे, एनपीए भा.रि.बै. द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर उप-मानक, संदिग्ध व हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत हुए हैं । उप-मानक आस्ति वह है जो 12 माह की अवधि के समतुल्य या कम हेतु एनपीए के रूप में हो । आस्ति को संदिग्ध के रूप में तब वर्गीकृत

- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of securitisation transaction undertaken in terms of guidelines on securitisation dated February 1, 2006.
- In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contracts, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

Any amount due to Bank under any credit facility is ‘overdue’ if it is not paid on the due date fixed by the Bank. Assets classification has been made borrower-wise and not facility-wise. In other words, when a particular facility of a borrower has become non-performing, all the facilities granted by the Bank to the borrower will be classified as NPA.

Irrespective of record of recovery, the bank identifies a borrower account as a NPA even if it does not meet any of the above mention criteria, where:

- Loan availed by a borrower are repeatedly restructured unless otherwise permitted by regulations;
- Loans availed by a borrowers are classified as fraud;
- Project does not commence commercial operations within the timelines permitted under the RBI guidelines in respect of loans extended to a borrower for the purpose of implementing a project; and
- Any security in nature of debenture/bonds/equity shares issued by a borrower and held by the Bank is classified as non-performing investment.

For loans held at the overseas branches, identification of NPA is based on the home country regulations (RBI Guidelines) or the host country regulations (overseas branch regulator’s guidelines), whichever is more stringent.

Further, NPA are classified into sub-standard, doubtful and loss assets based on the criteria stipulated by RBI. A sub-standard asset is one, which has remained a NPA for a period less than or equal to twelve month. An asset is classified as doubtful if it has remained in the

क्रिया जाएगा जब वह 12 माह से अधिक हेतु उप-मानक वर्ग में रहा हो। हानि आस्ति वह है जहाँ बैंक या आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षक द्वारा या भा.रि.बै. निरीक्षण के दौरान हानि के रूप में पहचानकृत हुआ हो परंतु राशि पूर्णतया अपलिखित नहीं हुई हो।

ii) मात्रात्मक प्रकटन

(b) कुल सकल ऋण जोखिम प्रकटन

राशि (₹ मिलियन में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
निधि आधारित प्रकटन	3,373,626.94	3,358,258.70
गैर-निधि आधारित प्रकटन	2,821,512.57	2,666,121.07
कुल सकल ऋण प्रकटन	6,195,139.51	6,024,379.77

sub-standard category for more than 12 months. A loss asset is one where loss has been identified by the Bank or internal or external auditors or during RBI inspection but the amount has not been written off fully.

(ii) Quantitative Disclosures

(b) Total Gross Credit Risk Exposure:

Amount (₹ in Millions)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Fund Based Exposures	3,373,626.94	3,358,258.70
Non-fund Based Exposures	2,821,512.57	2,666,121.07
Total Gross Credit Exposures	6,195,139.51	6,024,379.77

ख. प्रकटनों का भौगोलिक संवितरण:

प्रकटन	राशि (₹ मिलियन में)			
	निधि आधारित एक्सपोजर		गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
घरेलु परिचालन	3,152,722.61	3,129,728.90	2,715,801.98	2,548,434.52
समुद्रपारीय परिचालन	220,904.33	228,529.80	105,710.59	117,686.55
कुल	3,373,626.94	3,358,258.70	2,821,512.57	2,666,121.07

(c) Geographic Distribution of Exposures:

Exposures	Amount (₹ in Millions)			
	Fund Based Exposures		Non-fund Based Exposures	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
Domestic operations	3,152,722.61	3,129,728.90	2,715,801.98	2,548,434.52
Overseas operations	220,904.33	228,529.80	105,710.59	117,686.55
Total	3,373,626.94	3,358,258.70	2,821,512.57	2,666,121.07

(d) प्रकटन का उद्योग प्रकार संवितरण (वैश्विक)

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	उद्योग	निधि आधारित एक्सपोजर		गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1.1	खनन और उत्खनन	31,824.17	30,570.80	7,062.20	6,601.60
1.2	खाद्य संसाधन	107,385.40	93,182.50	4,039.50	4,287.30
	1.2.1 चीनी	22,324.10	23,253.50	606.50	562.30
	1.2.2 खाद्य तेल व वनस्पति	5,258.40	4,186.20	1,288.60	562.70
	1.2.3 चाय	1,426.70	1,796.00	30.30	629.80
	1.2.4 अन्य	78,376.20	63,946.80	2,114.10	2,532.50
1.3	पेय पदार्थ व तंबाकू	8,067.20	8,590.80	507.10	571.30
1.4	कपड़ा	156,209.28	157,142.50	23,102.40	9,890.20
	1.4.1 सूती कपड़ा	69,781.48	72,451.20	3,023.50	3,813.60
	1.4.2 पटसन का कपड़ा	2,570.30	1,451.00	333.70	182.30
	1.4.3 अन्य कपड़ा	83,857.50	83,240.30	19,745.20	5,894.30
1.5	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	11,761.90	11,993.50	722.30	237.90
1.6	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	7,461.60	6,210.00	869.30	975.50
1.7	कागज़ और कागज़ उत्पाद	27,560.80	25,940.80	2,883.50	6,089.90
1.8	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	51,160.70	33,696.50	32,522.00	23,214.90
1.9	रसायन और रसायन उत्पाद	55,383.30	57,789.90	5,647.60	6,965.80
	1.9.1 खाद	9,314.00	3,293.20	2,332.20	2,252.10
	1.9.2 औषधि और फार्मास्यूटिकल्स	20,302.60	25,839.70	1,339.70	1,860.40
	1.9.3 पेट्रो केमिकल	4,029.10	5,881.10	106.50	253.30
	1.9.4 अन्य	21,737.60	22,775.90	1,869.20	2,600.00
1.10	रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	19,372.40	17,059.20	2,860.10	2,366.80
1.11	कांच और कांच के बने सामान	1,683.80	1,735.10	22.20	17.60
1.12	सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	21,394.00	23,347.00	1,251.40	1,060.40
1.13	मूल धातु और धातु उत्पाद	212,777.29	202,598.50	48,044.80	60,524.90
	1.13.1 लौह और इस्पात	156,226.50	131,819.10	35,993.00	46,229.30
	1.13.2 अन्य धातु और धातु उत्पाद	56,550.79	70,779.40	12,051.80	14,295.60
1.14	सभी अभियांत्रिकी	85,755.80	80,144.50	157,408.50	157,519.20
	1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	10,091.60	11,968.10	11,761.00	24,467.40
	1.14.2 विद्युत	24,990.10	22,008.20	54,051.80	62,510.80
	1.14.3 अन्य	50,674.10	46,168.20	91,595.70	70,541.00
1.15	वाहन, वाहन के भाग और वाहन उपकरण	40,746.40	41,194.50	14,430.70	16,002.30
1.16	रत्न और आभूषण	16,956.80	11,696.20	12,138.70	11,063.90
1.17	निर्माण	67,964.50	57,841.50	72,760.10	64,131.60

(d) Industry Type Distribution of Exposures (Global):

Amount (₹ in Millions)

SI No.	INDUSTRY	Fund Based Exposure		Non Fund Based exposure	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1.1	Mining and Quarrying	31,824.17	30,570.80	7,062.20	6,601.60
1.2	Food Processing	107,385.40	93,182.50	4,039.50	4,287.30
	1.2.1 Sugar	22,324.10	23,253.50	606.50	562.30
	1.2.2 Edible Oils and Vanaspati	5,258.40	4,186.20	1,288.60	562.70
	1.2.3 Tea	1,426.70	1,796.00	30.30	629.80
	1.2.4 Others	78,376.20	63,946.80	2,114.10	2,532.50
1.3	Beverage & Tobacco	8,067.20	8,590.80	507.10	571.30
1.4	Textiles	156,209.28	157,142.50	23,102.40	9,890.20
	1.4.1 Cotton Textiles	69,781.48	72,451.20	3,023.50	3,813.60
	1.4.2 Jute Textiles	2,570.30	1,451.00	333.70	182.30
	1.4.3 Other Textiles	83,857.50	83,240.30	19,745.20	5,894.30
1.5	Leather & Leather Products	11,761.90	11,993.50	722.30	237.90
1.6	Wood and Wood Products	7,461.60	6,210.00	869.30	975.50
1.7	Paper & Paper Products	27,560.80	25,940.80	2,883.50	6,089.90
1.8	Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	51,160.70	33,696.50	32,522.00	23,214.90
1.9	Chemicals and Chemical Products	55,383.30	57,789.90	5,647.60	6,965.80
	1.9.1 Fertilizer	9,314.00	3,293.20	2,332.20	2,252.10
	1.9.2 Drugs & Pharmaceuticals	20,302.60	25,839.70	1,339.70	1,860.40
	1.9.3 Petro Chemicals	4,029.10	5,881.10	106.50	253.30
	1.9.4 Others	21,737.60	22,775.90	1,869.20	2,600.00
1.10	Rubber, Plastic & their Products	19,372.40	17,059.20	2,860.10	2,366.80
1.11	Glass and Glassware	1,683.80	1,735.10	22.20	17.60
1.12	Cement and Cement Products	21,394.00	23,347.00	1,251.40	1,060.40
1.13	Basic Metal and Metal Products	212,777.29	202,598.50	48,044.80	60,524.90
	1.13.1 Iron and Steel	156,226.50	131,819.10	35,993.00	46,229.30
	1.13.2 Other Metal and Metal Products	56,550.79	70,779.40	12,051.80	14,295.60
1.14	All Engineering	85,755.80	80,144.50	157,408.50	157,519.20
	1.14.1 Electronics	10,091.60	11,968.10	11,761.00	24,467.40
	1.14.2 Electricity	24,990.10	22,008.20	54,051.80	62,510.80
	1.14.3 Others	50,674.10	46,168.20	91,595.70	70,541.00
1.15	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	40,746.40	41,194.50	14,430.70	16,002.30
1.16	Gems & Jewellery	16,956.80	11,696.20	12,138.70	11,063.90
1.17	Construction	67,964.50	57,841.50	72,760.10	64,131.60

1.18	संरचना	680,683.06	849,647.70	80,679.60	68,191.00
	1.18.1 बिजली	425,499.76	531,704.10	45,761.90	41,390.30
	1.18.2 टेलीकॉम्युनिकेशनस	68,835.30	79,195.30	26,056.40	23,648.60
	1.18.3 रोड	98,353.50	103,778.70	2,571.90	821.90
	1.18.4 हवाई अड्डा	19,169.10	13,768.90	159.00	0.00
	1.18.5 बंदरगाह	5,073.10	10,716.20	0.00	108.00
	1.18.6 रेलवे (भारतीय रेलवे के अलावा)	49,082.00	39,994.20	4,116.90	922.20
	1.18.7 अन्य संरचना	14,670.30	70,490.30	2,013.50	1,300.00
1.19	अन्य उद्योग	96,086.34	104,901.20	7,441.30	7,408.90
	उद्योग (लघु, मध्यम और बृहत का कुल)	1,700,234.74	1,815,282.70	474,393.30	447,121.00

1.18	Infrastructure	680,683.06	849,647.70	80,679.60	68,191.00
	1.18.1 Power	425,499.76	531,704.10	45,761.90	41,390.30
	1.18.2 Telecommunications	68,835.30	79,195.30	26,056.40	23,648.60
	1.18.3 Roads	98,353.50	103,778.70	2,571.90	821.90
	1.18.4 Airports	19,169.10	13,768.90	159.00	0.00
	1.18.5 Ports	5,073.10	10,716.20	0.00	108.00
	1.18.6 Railways (other than Indian Railways)	49,082.00	39,994.20	4,116.90	922.20
	1.18.7 Other Infrastructure	14,670.30	70,490.30	2,013.50	1,300.00
1.19	Other Industries	96,086.34	104,901.20	7,441.30	7,408.90
	INDUSTRY (Total of Small, Medium and Large Scale)	1,700,234.74	1,815,282.70	474,393.30	447,121.00

उद्योगों का ऋण प्रकटन जहां बकाया प्रकटन बैंक के कुल सकल ऋण प्रकटन के 5% से अधिक है, वो निम्नवत हैं

क्रमांक	उद्योग	कुल प्रकटन (₹ मिलियन में)	कुल सकल ऋण प्रकटन का %
1	बिजली	471,261.66	7.61

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

SI No	Industry	Total Exposure (₹ in Millions)	% of Total Gross Credit Exposure
1	Power	471,261.66	7.61

(ड) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण

राशि (₹ मिलियन में)

सावधि	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियां
	31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016
0 से 1 दिन	98,153.80 (171,404.10)	4,786.06 (3,343.10)	103,723.02 (37,063.20)
2 से 7 दिन	79,740.40 (115,131.70)	2,008.93 (25,019.93)	15,376.70 (17,443.40)
8 से 14 दिन	100,855.20 (86,225.80)	3,837.80 (50.00)	13,022.44 (30,741.80)
15 से 30 दिन	98,628.60 (145,753.42)	2,907.12 (3,475.43)	36,187.62 (26,057.00)
31 दिनों से 2 माह	195,167.70 (281,390.71)	10,947.25 (68,678.63)	50,085.60 (98,018.90)
2 माह से अधिक और 3 माह तक	155,972.50 (*)	7,334.10 (*)	74,146.40 (*)
3 माह से अधिक और 6 माह तक	182,543.50 (216,184.54)	11,213.02 (33,944.66)	91,799.80 (48,830.30)
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	281,622.70 (472,352.16)	38,683.66 (50,903.18)	90,109.56 (109,365.80)
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्षों तक	996,862.60 (826,288.00)	217,305.38 (169,812.43)	32,500.57 (63,843.20)
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्षों तक	433,478.90 (359,058.61)	285,551.21 (325,672.85)	11,671.24 (28,745.30)
5 वर्षों से अधिक	626,897.80 (635,822.33)	684,567.05 (741,583.47)	27,644.72 (38,266.70)
बिना परिपक्वता के	0.00 (0.00)	157,047.80 (36,767.61)	0.00 (0.00)
कुल	3,249,923.60 (3,309,611.36)	1,426,189.37 (1,459,251.29)	546,267.66 (498,375.60)

नोट: ब्रैकेट () में दिये गये आँकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

*पिछले वर्ष के आँकड़े तुलना-योग्य नहीं हैं।

(e) Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets:

Amount (₹ in Millions)

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency Assets
	31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016
0 to 1 day	98,153.80 (171,404.10)	4,786.06 (3,343.10)	103,723.02 (37,063.20)
2 to 7 days	79,740.40 (115,131.70)	2,008.93 (25,019.93)	15,376.70 (17,443.40)
8 to 14 days	100,855.20 (86,225.80)	3,837.80 (50.00)	13,022.44 (30,741.80)
15 to 30 days	98,628.60 (145,753.42)	2,907.12 (3,475.43)	36,187.62 (26,057.00)
31 days to 2 months	195,167.70 (281,390.71)	10,947.25 (68,678.63)	50,085.60 (98,018.90)
Over 2 months & upto 3 months	155,972.50 (*)	7,334.10 (*)	74,146.40 (*)
Over 3 months & upto 6 months	182,543.50 (216,184.54)	11,213.02 (33,944.66)	91,799.80 (48,830.30)
Over 6 months & upto 1 year	281,622.70 (472,352.16)	38,683.66 (50,903.18)	90,109.56 (109,365.80)
Over 1 year & upto 3 years	996,862.60 (826,288.00)	217,305.38 (169,812.43)	32,500.57 (63,843.20)
Over 3 year & upto 5 years	433,478.90 (359,058.61)	285,551.21 (325,672.85)	11,671.24 (28,745.30)
Over 5 years	626,897.80 (635,822.33)	684,567.05 (741,583.47)	27,644.72 (38,266.70)
Without Maturity	0.00 (0.00)	157,047.80 (36,767.61)	0.00 (0.00)
Total	3,249,923.60 (3,309,611.36)	1,426,189.37 (1,459,251.29)	546,267.66 (498,375.60)

Note: The figures in brackets () relates to previous year

* Previous year's figure is not comparable.

(च) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल)

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	मद	31.03.2016	31.03.2015
ए)	सकल अनर्जक आस्तियां	318,523.40	131,736.10
	• अव – मानक	174,977.40	71,441.50
	• संदिग्ध 1	81,167.80	33,031.10
	• संदिग्ध 2	62,378.20	27,263.50
	• संदिग्ध 3	0.00	0.00
	• हानि	0.00	0.00
बी)	निवल अनर्जक आस्तियां	209,672.10	88,265.70
सी)	अनर्जक आस्तियां अनुपात		
	• सकल अनर्जक आस्तियों से सकल अग्रिम (%)	9.44	3.92
	• निवल अनर्जक आस्तियों से निवल अग्रिम (%)	6.44	2.67
डी)	अनर्जक आस्तियों की गति (सकल)		
	• आरंभिक शेष	131,736.10	77,001.70
	• परिवर्धन	248,177.70	109,077.20
	• कटौती	61,390.40	54,342.80
	• अंतिम शेष	318,523.40	131,736.10
ई)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों की गति		
	• आरंभिक शेष	43,008.40	16,260.30
	• मुद्रा के उतार-चढ़ाव व अन्य	890.30	(32.50)
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	98,904.70	41,857.63
	• बढ़े खाते डालना	33,805.30	15,077.03
	• अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	146.80	0.00
	• अंतिम शेष	108,851.30	43,008.40
एफ)	अनर्जक निवेशों की राशि	3,877.44	2,820.41
जी)	अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि	2,750.84	2,318.76
एच)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों की गति		
	• आरंभिक शेष	2,318.76	1,636.54
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	489.84	807.23
	• बढ़े खाते डालना	0.00	0.00
	• अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	57.76	125.01
	• अंतिम शेष	2,750.84	2,318.76

(f) Amount of Non-Performing Assets (Gross):

Amount (₹ in Millions)

Sl No	Items	31.03.2016	31.03.2015
a)	Gross NPAs	318,523.40	131,736.10
	• Sub-Standard	174,977.40	71,441.50
	• Doubtful 1	81,167.80	33,031.10
	• Doubtful 2	62,378.20	27,263.50
	• Doubtful 3	0.00	0.00
	• Loss	0.00	0.00
b)	Net NPAs	209,672.10	88,265.70
c)	NPA Ratios		
	• Gross NPAs to Gross Advances (%)	9.44	3.92
	• Net NPAs to Net Advances (%)	6.44	2.67
d)	Movement of NPAs (gross)		
	• Opening balance	131,736.10	77,001.70
	• Additions	248,177.70	109,077.20
	• Reductions	61,390.40	54,342.80
	• Closing Balance	318,523.40	131,736.10
e)	Movement of Provisions for NPAs		
	• Opening Balance	43,008.40	16,260.30
	• Exchange Fluctuations & Others	890.30	(32.50)
	• Provisions made during the period	98,904.70	41,857.63
	• Write-off	33,805.30	15,077.03
	• Write back of excess provisions	146.80	0.00
	• Closing Balance	108,851.30	43,008.40
f)	Amount of Non-Performing Investments	3,877.44	2,820.41
g)	Amount of Provisions held for Non-Performing Investments	2,750.84	2,318.76
h)	Movement of Provisions for Depreciation on Investments		
	• Opening Balance	2,318.76	1,636.54
	• Provisions made during the period	489.84	807.23
	• Write-off	0.00	0.00
	• Write Back of excess Provisions	57.76	125.01
	• Closing Balance	2,750.84	2,318.76

(छ) प्रमुख उद्योग या काउंटरपक्ष प्रकार द्वारा

31.03.2016 को राशि (₹ मिलियन में)

क्र.सं.	उद्योग / काउंटर पक्ष	एनपीए	विशिष्ट व सामान्य प्रावधान	वर्तमान अवधि के दौरान विशिष्ट प्रावधान व अपलिखित
1	मूल धातु व धातु उत्पाद	99,123.00	25,842.00	20,110.50
2	वस्त्र	12,134.30	5,658.00	7,460.90
3	विनिर्माण	17,923.10	3,479.40	2,922.00
4	अवसंरचना	32,919.70	9,762.40	9,090.90
5	खाद्य प्रसंस्करण	9,091.80	2,128.20	2,946.20

(ज) महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र-वार

31.03.2016 को राशि (₹ मिलियन में)

क्र.सं.	महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र	एनपीए	विशिष्ट व सामान्य प्रावधान*
1	घरेलू	294,346.60	105,517.00
2	समुद्रपारीय	22,031.70	1,934.70

*31.03.2016 को एनपीए हेतु अतिदेय प्रावधान

- भौगोलिक क्षेत्र को गैर-आबंटित सामान्य प्रावधान का अंश - शून्य

i) By major Industry or Counter party type

Amount (₹ in Millions) as at 31.03.2016

SI No	Industry /counterparty	NPA	Specific & General Provisions	Specific provisions and write offs during the current period.
1	Basic Metal & Metal Products	99,123.00	25,842.00	20,110.50
2	Textiles	12,134.30	5,658.00	7,460.90
3	Construction	17,923.10	3,479.40	2,922.00
4	Infrastructure	32,919.70	9,762.40	9,090.90
5	Food Processing	9,091.80	2,128.20	2,946.20

j) By Significant Geographical area wise

Amount (₹ in Millions) as at 31.03.2016

SI No	Significant Geographical area	NPA	Specific & General Provisions*
1	Domestic	294,346.60	105,517.00
2	Overseas	22,031.70	1,934.70

* Outstanding provision for NPA as at 31.03.2016

- Portion of General Provision that is not allocated to a geographical area - Nil

तालिका डी एफ-4: साख जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

(ए) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए:

- बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पूंजी प्रभार के अभिकलन हेतु एक्सपोजर की रेटिंग व जोखिम भारिता प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की पहचान की है।

घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां :

- ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)
- क्रेडिट विश्लेषण व अनुसन्धान लिमिटेड (सीएआरई)
- क्रिसिल लिमिटेड
- आईसीआरए लिमिटेड
- इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में फिच इंडिया)
- एस एम ई आर ए रेटिंग्स लिमिटेड

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां:

- स्टैन्डर्ड एंड पूअर
- मूडीस
- एफ आई टी सी एच (फिच)

एक्सपोजर के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया जाता है:

उपर्युक्त सभी एजेंसियां सभी प्रकार के एक्सपोजर की रेटिंग के लिए मानित हैं।

पब्लिक इश्यू रेटिंग को बैंकिंग बुक में तुलनीय आस्तियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का विवरण:

- बैंक केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अनुरोध रेटिंग का प्रयोग करते हैं जो मान्य है और जिनकी मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा समीक्षा की गई है को बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान से सन्दर्भित किया गया है।
- बैंक उधारकर्ता के एक्सपोजर के लिए जोखिम भारिता हेतु बैंक ऋण रेटिंग का प्रयोग करता है। जहां जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध है बैंक इस प्रकार की रेटिंग प्रयोग करता है जबतक कि बैंक ऋण विशेष रूप से रेटेड न हो।

TABLE DF – 4: CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

(i) Qualitative Disclosures

(a) FOR PORTFOLIOS UNDER THE STANDARDIZED APPROACH:

- The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic Credit Rating Agencies:

- Brickwork Ratings India Private Limited (Brickwork),
- Credit Analysis & Research Limited (CARE),
- CRISIL Limited,
- ICRA Limited,
- India Ratings and Research Private Limited (Formerly FITCH India)
- SMERA Ratings Limited

International Credit Rating Agencies:

- Standard & Poor,
- Moody's,
- FITCH

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- The Bank uses only publicly available solicited ratings that are valid and reviewed by the recognized External Credit Rating Agencies, referred as External Credit Assessment Institutions (ECAI).
- Bank uses Bank Loan Rating for risk weighting the borrower's exposures. Where Issuer Rating is available, the Bank uses such ratings unless the bank loan is specifically rated.

- बैंक एक ही उधारकर्ता के लिए एक एक्सपोजर के लिए एक रेटिंग एजेंसी और और दूसरे के लिए दूसरी बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थाओं का एक ही साथ प्रयोग नहीं कर सकती जबतक कि सम्बन्धित एक्सपोजर रेटिंग चयनित केवल एक ही बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्था द्वारा किया गया हो। इसके अतिरिक्त एक कॉर्पोरेट समूह के अन्दर किसी विशेष संस्था को सौंपे गए रेटिंग को उसी समूह की दूसरी संस्था के जोखिम भारिता के लिए प्रयोग नहीं कर सकते।
- चालू सीमा जैसे नकद क्रेडिट को दीर्घ अवधि एक्सपोजर माना जाता है और तदनुसार इस प्रकार के एक्सपोजर को जोखिम भारिता प्रदान करने के लिए दीर्घ अवधि रेटिंग का प्रयोग किया जाता है।
- बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्था द्वारा दिए गए रेटिंग को जोखिम निर्धारण / लागू करते समय बैंक विनियामक दिशा निर्देश / बैंक की बोर्ड अनुमोदन प्रस्ताव से निर्देशित होते हैं।
- जहां एक्सपोजर/ उधारकर्ता को चयनित बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्था से कई रेटिंग प्राप्त हो वहां बैंक ने जोखिम भारिता की गणना हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई है:
 - यदि चयनित बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान द्वारा दो रेटिंग दिया गया हो जो विभिन्न जोखिम भार के लिए हो वहां उच्च जोखिम भार को लागू किया जाता है।
 - यदि चयनित बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान द्वारा तीन या उससे अधिक रेटिंग दिया गया हो और जो विभिन्न जोखिम भार के लिए हो वहां न्यूनतम 02 रेटिंग का सन्दर्भ लिया जाता है और उन दो जोखिम भारन में से उच्च जोखिम भार को लागू किया जाता है।
- The Bank does not simultaneously use the rating of one ECAI for one exposure and that of another ECAI for another exposure of the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen ECAIs. Further, the Bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.
- Running limits such as Cash Credit are treated as long term exposures and accordingly, long term ratings are used for assigning risk weights for such exposures.
- While mapping/applying the ratings assigned by the ECAIs, the Bank is guided by regulatory guidelines/ Bank's Board approved Policy.
- Where exposures/ borrowers have multiple ratings from the chosen ECAIs, the Bank has adopted the following procedure for risk weight calculations:
 - If there are two ratings accorded by chosen ECAIs, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied.
 - If there are three or more ratings accorded by the chosen ECAIs which map into different risk weights, the ratings corresponding to the lowest 2 ratings are referred to and higher of those two risk weights is applied.

(ii) परिमाणात्मक प्रकटन:

(बी) बैंक एक्सपोजर की राशि: मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम न्यूनीकरण फैक्टरिंग के बाद(यथा सम्पार्थिक) मुख्य जोखिम बकेट में सकल अग्रिम (रेटेड व अनरेटेड):

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	निधि आधारित		गैर-निधि आधारित	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	100% जोखिमभार से कम	3,673,760.65	3,603,584.38	783,352.73	727,213.70
2	100% जोखिम भार	900,448.68	957,355.85	509,397.14	359,422.44
3	100% जोखिम भार से अधिक	517,227.13	612,343.16	213,097.09	277,485.17
4	घटाए गए	442,949.78	426,444.09	159,061.72	130,655.51
5	कुल	4,648,486.68	4,746,839.30	1,346,785.24	1,233,465.80

(ii) Quantitative Disclosures

(b) Amount of the Bank's Exposures – Gross Advances (Rated & Unrated) in Major Risk Buckets – under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):

Amount (₹ in Millions)

Sl No	Particulars	FUND BASED		NON-FUND BASED	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	Below 100% Risk Weight	3,673,760.65	3,603,584.38	783,352.73	727,213.70
2	100% Risk Weight	900,448.68	957,355.85	509,397.14	359,422.44
3	More than 100% Risk Weight	517,227.13	612,343.16	213,097.09	277,485.17
4	Deducted	442,949.78	426,444.09	159,061.72	130,655.51
5	TOTAL	4,648,486.68	4,746,839.30	1,346,785.24	1,233,465.80

तालिका डी एफ-5: साख जोखिम न्यूनीकरण – मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

सम्पार्श्विक मूल्यांकन व प्रबन्धन के लिए नीति व प्रक्रिया: प्रभावी सम्पार्श्विक प्रबन्धन के लिए बैंक की बोर्ड से अनुमोदित सम्पार्श्विक प्रबन्धन नीति है जो प्रक्रिया, उद्देश्य, सम्पार्श्विक के स्वीकार्य प्रकार और उपयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली सहित रूपरेखा पर बल देती है। ठीक से लिया गया व प्रबंधित संपार्श्विक और गारंटी से सहायता होगी:

- अपेक्षित नकद प्रवाह में कमी के कारण उधारकर्ता द्वारा साख सुविधा में चूक की स्थिति में द्वितीयक श्रोत द्वारा पुनर्भुगतान उपलब्ध करा कर जोखिम को कम करना।
- चूक की स्थिति में पुनर्भुगतान की श्रोत को नियंत्रण में लेना।
- उधारकर्ता की घटती पुनर्भुगतान क्षमता के लिए पूर्व चेतावनी उपलब्ध कराना।
- जोखिम भारित आस्तियों को इष्टतम करना और अवशिष्ट जोखिम का पर्याप्त रूप से समाधान करना।

बैंक साख जोखिम, जिससे वो एक्सपोज्ड हैं, उसको कम करने के लिए कई तकनीक का प्रयोग करते हैं। संशोधित दृष्टिकोण भारत में बैंक को व्यापक दृष्टिकोण (मानकीकृत और आईआरबी दृष्टिकोण के तहत) अपना देने की अनुमति देता है जो एक्सपोजर के विरुद्ध सम्पार्श्विक के लिए निर्धारित मूल्य के लिए प्रभावी ढंग से जोखिम राशि को कम करने खिलाफ संपार्श्विक की पूरी भरपाई की अनुमति देता है। इस दृष्टिकोण के तहत बैंक जो योग्य वित्तीय संपार्श्विक ग्रहण करता है उन्हें संपार्श्विक की जोखिम प्रभाव कम करने को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पूंजी की गणना करते समय प्रतिपक्ष से जोखिम एक्सपोजर कम करने की अनुमति है।

बैंक की सम्पार्श्विक प्रबन्धन प्रक्रिया व प्रथा में जमानत मूल्य के सुरक्षा और संरक्षण, संपार्श्विक की गारंटी, मूल्यांकन / आवधिक निरीक्षण सहित सम्पूर्ण गतिविधि शामिल है।

मूल्यांकन: द्वारा अनुमोदित ऋण को सुरक्षित करने के लिये प्राप्त स्थायी व चालू आस्तियां, दोनों ही बैंकिंग द्वारा सूचीबद्ध मूल्य निर्धारकों से मूल्यांकन के विषयक है। खाते की मौद्रिक सीमा, उधारकर्ता का आस्ति वर्गीकरण जो कि मूल्यांकन, मूल्यांकन की सावधि, के विषयक

TABLE DF – 5: CREDIT RISK MITIGATION – DISCLOSURES FOR STANDARDIZED APPROACHES

(i) Qualitative disclosures

Policies and processes for collateral valuation and management: The Bank is having a Board approved collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management. The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Bank uses a number of techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed. The revised approach allows banks in India to adopt the Comprehensive Approach (under both the Standardized and IRB approaches) which allows fuller offset of collateral against exposures by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. Under this approach, banks, which take eligible financial collateral, are allowed to reduce their credit exposure to the counterparty when calculating their capital requirements by taking into account the risk mitigating effect of the collateral.

Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation / periodical inspection.

Valuation: Both the Fixed and the Current Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower,

है, बैंक के नीति दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है। बैंक मूल्यांकन पर दिशानिर्देशों की सावधिक तौर पर समीक्षा करता है।

बैंक द्वारा लिये गये संपार्श्विक के प्रमुख प्रकार का विवरण: बैंक द्वारा जोखिम शमक के रूप में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला संपार्श्विक, वित्तीय संपार्श्विक (यथा, नकद, बैंक जमा, जीवन बीमा पॉलिसी, एनएससी, केवीपी, डाक विभाग द्वारा / प्रत्यक्ष रूप से जारी सरकारी प्रतिभूतियां, बैंक के अलावा व बैंक द्वारा मंजूर अन्य लिमिटेड कंपनी के इक्विटी शेयर, डिबेंचर, म्युचुअल फंड, कर्ज प्रतिभूति आदि), विभिन्न प्रकार के चल आस्तियों और अचल आस्तियों / संपत्तियों आदि को समाहित किये हुए है। यद्यपि, मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत आवश्यक पूंजी की संगणना के उद्देश्य हेतु कुछ विशिष्ट वित्तीय संपार्श्विकों को पात्र संपार्श्विक के रूप में मान्यता दी गयी है।

गारंटर प्रतिपक्ष और उनकी उधार पात्रता: बैंक राष्ट्रिक, राष्ट्रिक इकाई (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, व यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ बहुपक्षीय विकास बैंक, ईसीजीसी, व सीजीटीएमएसई सहित) की गारंटी प्राप्त / स्वीकार करता है। इसके अलावा, बैंक उपयुक्त निवल मूल्य वाले व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट गारंटी को भी, साख जोखिम के शमक हेतु अतिरिक्त आराम के रूप में, जो कि गारंटर पर प्रत्यक्ष दावे में परिवर्तित किया जा सकता है और ये बिना शर्त व अटल है, को प्राप्त करता है। गारंटर की उधार पात्रता सामान्य रूप से उधारकर्ता के वित्तीय स्थिति से लिंक नहीं है या प्रभावित नहीं होती है। बैंक राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये गारंटी को भी प्रतिभूति कम्फर्ट के रूप में स्वीकार करता है। ऐसी गारंटी लगातार प्रभावित रहती हैं, जब तक कि कवर सुविधा पूर्ण रूप से चुका नहीं दी जाये या निपटान या रिहा न कर दी जाये।

नयी पूंजी उपयुक्तता रूपरेखा (बासेल III मानदंड) के तहत पूंजी आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य हेतु बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त साख जोखिम शमन: नयी पूंजी उपयुक्तता रूपरेखा (बासेल III मानदंड) के तहत पूंजी आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य हेतु बैंक ने साख जोखिम शमन के रूप में नकद, बैंक के स्वयं के जमा, स्वर्ण व स्वर्ण आभूषण को मान्यता दी है।

लिये गये शमन के अंदर जोखिम एकाग्रता के बारे में सूचना: बैंक ने पहले ही साख जोखिम के प्रबन्धन की सुविधा देने हेतु व संपार्श्विक के जोखिम एकाग्रता सहित संपार्श्विक प्रबन्धन की प्रभाविकता के मूल्यांकन हेतु रोबस्ट प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिये एक डेटा वेयरहाउस को स्थान पर लाने के लिये कदम उठाये हैं।

which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Bank's policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.

Description of the main types of collateral taken by the Bank: The collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of Financial Collaterals (i.e. Cash, Bank deposits, Life Insurance policies, NSC, KVP, Government securities issued directly / by postal departments, equity shares of limited companies other than the Bank and approved by the Bank, debentures, units of mutual funds, debt securities etc.), different categories of moveable assets and immovable assets / properties etc. However, for the purpose of computation of capital required under Standardized Approach, certain specific financial collaterals have been recognized as eligible collateral.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness: Bank obtains/ accepts guarantees of sovereign, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European community as well as Multilateral Development Banks, ECGC and CGTMSE). Besides this, Bank also obtains Personal or Corporate guarantee having adequate net worth, as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor, and are unconditional and irrevocable. The Creditworthiness of the guarantor is normally not linked to or affected by the borrower's financial position. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort. Such Guarantees remain continually effective until the facility covered is fully repaid or settled or released.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework (Basel III Norms): The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework (Basel III Norms).

Information about risk concentration within the mitigation taken: The Bank has already initiated steps for putting in place a data warehouse for a robust Management Information System (MIS) to facilitate management of Credit Risk and evaluation of effectiveness of collateral management including risk concentrations of collaterals.

(ii) परिमाणात्मक प्रकटन

क्रमांक	विवरण	राशि (₹ मिलियन में)	
		31.03.2016	31.03.2015
(बी)	हर एक अलग से प्रकटन किये गये साख जोखिम पोर्टफोलियो हेतु हेयरकट के आवेदन के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विकों द्वारा कवर किये जाने वाला कुल एक्सपोजर (पश्चात, जहाँ लागू हो, ऑन- या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग)।	518,708.73	522,612.83
(सी)	हर एक अलग से प्रकटन किये गये पोर्टफोलियो हेतु गारंटी / साख व्युत्पन्नियों (जब भी भारिबै द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमत किया गया हो) द्वारा कवर किये जाने वाला कुल एक्सपोजर (पश्चात, जहाँ लागू हो, ऑन- या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग)।	267,495.20	283,554.84

(ii) Quantitative Disclosures

SI No.	PARTICULARS	Amount (₹ in Millions)	
		31.03.2016	31.03.2015
(b)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	518,708.73	522,612.83
(c)	The total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/ credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	267,495.20	283,554.84

तालिका डी एफ-6: प्रतिभूतीकरण
एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

नीति दिशानिर्देश, प्रतिभूतीकरण व नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन और बिना संसाधन आधार के माध्यम से आस्तियों के अंतरण को समाहित किये हुए दिशानिर्देशों को कवर करता है।

TABLE DF – 6: SECURITIZATION
EXPOSURES: DISCLOSURE FOR
STANDARDIZED APPROACH

(i) Qualitative disclosures

The policy guidelines cover guidelines involving transfer of assets through Securitisation and direct assignment of cash flows and are on without recourse basis.

मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर बैंक के दिशानिर्देशों में निम्न समाहित है:

- आस्तियों के प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रावधान
- नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से मानक आस्तियों के अंतरण से संबंधित निर्धारण।

बैंक के वर्तमान नीतिगत दिशानिर्देश एक प्रवर्तक (बैंक, एन बी एफ सी / एफ आई) से सामूहिक निधि की खरीद का कार्य करता है। प्रवर्तक बैंक / एन बी एफ सी / एफ आई से नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से आस्तियों की खरीद "एए" तथा उससे ऊपर मूल्यवाले से हों। बैंक आवास ऋण, संपत्ति के एवज में ऋण, केवल अस्थिर दर मंजूर एम एस एम ई, से संबंधित आधारभूत आस्तियों के पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियों के अंश को खरीदता है।

बैंक द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं को नीति रेखांकित करता है यथा, ऋण की खरीद पर प्रतिबन्ध, पूल में पात्र उधारकर्ताओं को समाविष्ट करना, यथोचित विवेक- केवाईसी अनुपालन हेतु मानक, खरीदे गये आस्तियों के पूल में उधारकर्ताओं के संबंध में संवितरण से पहले अनुपालित की जाने वाली आवश्यकताएं, मूलकर्ता का यथोचित विवेक, तनाव परीक्षण, साख निगरानी।

बैंक भारत में अन्य बैंकों / एफआई / एनबीएफसी से ऋण केवल तभी खरीद सकता है जब विक्रेता ने स्पष्ट रूप से बैंक को यह प्रकट किया हो कि वह निरंतर आधार पर न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता का अनुपालन करेंगे एवं नीति में निर्धारित अनुसार न्यूनतम होल्डिंग अवधि मानदंड का अनुपालन प्रकट करेंगे।

कुछ अंतरालों पर निरंतर आधार पर बैंक खरीद संव्यवहारों की निगरानी करेगा एवं जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ उचित कार्यवाही करेगा। ऋण समीक्षा तंत्र व निगरानी के संबंध में साख जोखिम प्रबन्धन पर मास्टर नीति में उल्लिखित सामान्य निर्धारण प्रतिभूतीकरण संव्यवहारों पर लागू है।

मूलकर्ता पर एक्सपोजर बैंक द्वारा निर्धारित विवेक सम्मत एक्सपोजर सीमा के अंदर होगा।

The guidelines to banks on securitisation of standard assets contain:

- The provisions relating to securitization of assets.
- Stipulations regarding transfer of standard assets through direct assignment of cash flows.

The bank's existing policy guidelines deals with purchase of pools from an originator (Bank/NBFC/FI). Purchase of assets through Direct Assignment of cash flows from originating NBFCs/Banks/FIs shall be only from those rated 'AA' and above. The Bank shall purchase a portfolio or a part of portfolio of standard assets under Housing Loan; Loans against property and MSME sanctioned at floating rates only.

Policy sets out requirements like restrictions on purchase of loans; constitution of eligible borrowers in the pool; standards for due diligence - KYC compliance, requirements to be complied with prior to disbursement in respect of borrowers in the purchased pool of assets; due diligence of the originator, Stress testing; credit monitoring.

Bank can purchase loans from other banks/FIs/NBFCs in India only if the seller has explicitly disclosed to the bank that it will adhere to the Minimum Retention Requirement on an ongoing basis and disclosed the adherence to the Minimum holding period criteria as prescribed in the policy.

The bank monitors the purchase transactions on an ongoing basis at certain intervals and takes appropriate action wherever required. The general prescription laid down in the Master policy on Credit Risk Management with regard to loan review mechanism and monitoring is applicable to securitization transactions.

The exposure to the originator shall be within the prudential exposure ceilings stipulated by the Bank.

(ii) प्रमानात्मक प्रकटीकरण

(i) बैंकिंग बही

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(डी)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की कुल रकम	शून्य	शून्य
(ई)	वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचान की गई प्रतिभूतिकृत अलग अलग एक्सपोजर वार(जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादि प्रतिभूति विवरण सहित) हानि	शून्य	शून्य
(एफ)	वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की रकम	शून्य	शून्य
(जी)	सी में से प्रतिभूतिकरण पूर्व एक वर्ष के भीतर आस्तियों की रकम	शून्य	शून्य
(एच)	प्रतिभूतिकृत रकम एक्सपोजर की कुल रकम व एक्सपोजर के विक्रय द्वारा पहचान रहित लाभ या हानि / की	शून्य	शून्य
(आई)	का कुल रकम		
	• अलग अलग एक्सपोजर के लिए रखे गए या क्रय किए गए ऑन बैलेंस शीट प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	• ऑफ बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण अलग अलग एक्सपोजर	शून्य	शून्य
(जे)	(i) खरीदे गए या रखे गए प्रतिभूतिकरण की सकल राशि व अलग अलग एक्सपोजर के लिए सम्मिलित पूंजी प्रभार तथा यथा 31.03.2014 को प्रत्येक विनियाम पूंजी की अलग अलग जोखिम धारिता	शून्य	शून्य
	(ii) एक्सपोजर जो पूरी तरह टियर I पूंजी से घटाए गए, ऋण संवर्धन, कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोजर	शून्य	शून्य

(ii) व्यापारिक बही

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(के)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की सकल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रखे हैं तथा जो बाजार जोखिम के अधीन हैं	19,677.44	19,489.70
(एल)	का कुल रकम		
	• ऑन बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर रखे गए या क्रय किए गए अलग अलग प्रकार के एक्सपोजर	19,677.44	19,489.70
	• ऑफ बैलेंस शीट प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर अलग अलग प्रकार के	शून्य	शून्य
(एम)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की सकल राशि रखी गई या अलग से क्रय की गई		
	• बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की सकल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रखे हैं तथा जो विशेष जोखिम के लिए विस्तृत जोखिम उपाय जोखिम के अधीन हैं तथा	19,677.44	19,489.70

(ii) Quantitative Disclosures

(i) Banking Book:

₹ In Millions

Sl No	PARTICULARS	31.03.2016	31.03.2015
(d)	The total amount of exposures securitized by the Bank.	Nil	Nil
(e)	For exposures securitized losses recognized by the Bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit Cards, Housing Loans, Auto Loans etc. detailed by underlying security):	Nil	Nil
(f)	Amount of assets intended to be securitized within a year	Nil	Nil
(g)	Of (c), amount of assets originated within a year before Securitisation.	Nil	Nil
(h)	The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	Nil	Nil
(i)	Aggregate amount of:		
	• On-balance sheet Securitisation Exposures retained or purchased broken down by exposure type:	Nil	Nil
	• Off-balance sheet Securitisation Exposures broken down by exposure type	Nil	Nil
(j)	(i) Aggregate amount of Securitisation Exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	Nil	Nil
	(ii) Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 Capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	Nil	Nil

(ii) Trading Book:

₹ In Millions

Sl No	PARTICULARS	31.03.2016	31.03.2015
(k)	Aggregate amount of exposures Securitized by the Bank for which the Bank has retained some exposures and which is subject to the Market Risk approach, by exposure type.	19,677.44	19,489.70
(l)	Aggregate amount of:		
	• On-balance sheet Securitisation Exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	19,677.44	19,489.70
	• Off-balance sheet Securitisation Exposures broken down by exposure type	NIL	NIL
(m)	Aggregate amount of Securitisation Exposures retained or purchased separately for:		
	• Securitisation Exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for Specific Risk; and	19,677.44	19,489.70

- प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर जो अलग अलग जोखिम धारिता के प्रतिभूतिकरण संरचना के अधीन हैं:

क्रमांक	जोखिम धारिता बैंड	यथा को एक्सपोजर	
		31.03.2016	31.03.2015
1	<100% जोखिम धारिता	0.00	0.00
2	100% जोखिम धारिता	0.00	0.00
3	>100% जोखिम धारिता	19,677.44	19,489.70
4	कुल	19,677.44	19,489.70

(एन) की सकल राशि

- प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर हेतु पूंजी आवश्यकता प्रतिभूतिकृत संरचना के विभिन्न अलग अलग जोखिम धारिता बैंड के अधीन

क्रमांक	जोखिम धारिता बैंड	यथा को आवश्यकता	
		31.03.2016	31.03.2015
1	<100% जोखिम धारिता	0.00	0.00
2	100% जोखिम धारिता	0.00	0.00
3	>100% जोखिम धारिता	2656.50	2,631.10
4	कुल	2656.50	2,631.10

- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जो पूरी तरह टियर I पूंजी, ऋण संवर्धन, व कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोजर

शून्य

शून्य

- Securitization Exposures subject to the securitisation framework for Specific Risk broken down into different risk weight bands.

Sl No	Risk Weight Bands	Exposure	
		31.03.2016	31.03.2015
1	<100% Risk Weight	0.00	0.00
2	100% Risk Weight	0.00	0.00
3	>100% Risk Weight	19,677.44	19,489.70
4	Total	19,677.44	19,489.70

- (n) Aggregate amount of:
- The capital requirements for the Securitisation Exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands.

Sl No	Risk Weight Bands	Capital Requirement	
		31.03.2016	31.03.2015
1	< 100% Risk Weight	0.00	0.00
2	100% Risk Weight	0.00	0.00
3	> 100% Risk Weight	2656.50	2,631.10
4	Total	2656.50	2,631.10

- Securitisation Exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).

NIL

NIL

तालिका डी एफ-7: व्यापार बही में बाजार जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटन

रणनीति व प्रक्रियाएं: बाजार जोखिम प्रबन्धन का सम्यक उद्देश्य बैंक के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को सुधारने के द्वारा व सभी प्रकार के बाजार जोखिम हानि घटनाओं से हानि को कम करने के द्वारा शेरधारक मूल्य को निर्मित करना है।

- जब सम्यक लिडरशिप व जोखिम प्रबन्धन रूपरेखा का नियंत्रण, जोखिम प्रबन्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तब कारोबार इकाई जोखिम लेने हेतु रणनीति तय करने व जोखिम को प्रबन्धित करने के लिये सशक्त होते हैं।
- पूर्व-निर्धारित तीव्रता के सभी मुद्दे व सीमा उल्लंघन जोखिम प्रबन्धन विभाग को परिवर्धित कर दिया जाता है जहाँ उन्हें संबोधित करने वाली कार्यवाही उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगी। लिये गये निर्णय के कार्यावयन हेतु कारोबार इकाई उत्तरदायी होगा।

प्रक्रिया का उद्देश्य है:

- बाजार जोखिम गतिविधियों को कवर करने के लिये एक प्रोजेक्टिव बाजार जोखिम प्रबन्धन संस्कृति को स्थापित किया जाये।
- बाजार जोखिम से संबंधित सभी प्रासंगिक विधानों व विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।
- बाजार जोखिम की पहचान, माप, प्रबन्धन, निगरानी, नियंत्रण व समीक्षा के संबंध में नीतियों व प्रक्रियाओं को उजागर करने में सुसंगत गुण को विकसित करें।
- विभिन्न प्रकार के बाजार जोखिम हेतु सीमा संरचना व ट्रिगर को स्थापित करें।
- एक मजबूत रिपोर्टिंग प्रणाली को स्थापित करने के द्वारा प्रभावकारी निगरानी तंत्र को स्थापित करें।
- बाजार जोखिम उपायों के स्वतंत्र व नियमित मूल्यांकन को अपनायें।

प्रासंगिक जोखिम प्रबन्धन कार्यों की संरचना व संगठन: बैंक की बाजार जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नलिखित है –

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति

TABLE DF – 7: MARKET RISK IN TRADING BOOK

(i) Qualitative disclosures

Strategies and processes: The overall objective of market risk management is to create shareholder value by improving the Bank's competitive advantage and reducing loss from all types of market risk loss events.

- While overall leadership and control of the risk management framework is provided by Risk Management Wing, the business units are empowered to set strategy for taking risks and manage the risks
- All issues or limit violations of a pre-determined severity (materiality, frequency, nature) are escalated to the Risk Management Wing where the actions to address them are determined by the appropriate authorities. The business units are responsible for implementing the decision taken.

The process aims to:

- Establish a pro-active market risk management culture to cover market risk activities.
- Comply with all relevant legislation and regulatory requirements relating to Market Risk.
- Develop consistent qualities in evolving policies & procedures relating to identification, measurement, management, monitoring, controlling and reviewing of Market Risk.
- Establish limit structure and triggers for various kinds of market risk factors.
- Establish efficient monitoring mechanism by setting up a strong reporting system.
- Adopt independent and regular evaluation of the market risk measures.

The structure and organization of the relevant risk management function: Market Risk Management structure of the Bank is as under–

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board

- आस्ति दायित्व प्रबन्धन समिति (एएलसीओ)
- बाजार जोखिम प्रबन्धन समिति (एमआरएमसी)
- महा प्रबन्धक – आरएम विभाग (मुख्य जोखिम अधिकारी) – प्रधान कार्यालय
- बाजार जोखिम प्रबन्धन प्रभाग, जोखिम प्रबन्धन विभाग, प्रका
 - एकीकृत मिड कार्यालय
 - मिड कार्यालय – एकीकृत कोष
 - आस्ति दायित्व प्रबन्धन अनुभाग

- Asset Liability Management Committee (ALCO)
- Market Risk Management Committee (MRMC)
- General Manager – RM Wing (Chief Risk officer) Head Office
- Market Risk Management Department, Risk Management Wing, HO
 - Integrated Mid Office
 - Mid Office – Integrated Treasury
 - Asset Liability Management Section

जोखिम रिपोर्टिंग और / या माप प्रणाली का दायरा व प्रवृत्ति:

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems:

- बैंक ने बाजार जोखिम प्रबन्धन हेतु कई एक्सपोजर सीमाएं निर्दिष्ट की हैं यथा, ओवरनाइट सीमा, इंट्राडेय सीमा, सकल गैप सीमा, स्टॉप हानि सीमा, वार सीमा, ब्रोकर टर्नओवर सीमा, पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा, एक्सपोजर सीमा, उत्पाद-वार एक्सपोजर सीमा, जारीकर्ता-वार एक्सपोजर सीमा, आदि
- ट्रेडिंग डेस्क से ले कर बोर्ड स्तर तक के बैंक के विभिन्न स्तरों पर जोखिम सीमा की निगरानी हेतु जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली को स्थापित किया गया है।
- जोखिम प्रबन्धन या लेखांकन गतिविधियों हेतु बाजार में मार्किंग के लिये प्रयुक्त दर स्वतंत्र रूप से सत्यापित होंगे।
- रिपोर्ट का प्रयोग कार्यनिष्पादन व जोखिम, बैंक की रणनीति के अनुरूप कारोबार गतिविधियों के प्रबन्धन में होता है।
- रिपोर्टिंग प्रणाली समयसीमा, स्वचालन के साथ उचित सटीकता, हाईलाइट पोर्टफोलियो जोखिम एकाग्रता को सुनिश्चित करती है और लिखित कमेंटरी को समाहित करती है।
- विस्तृत जोखिम रिपोर्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया का संवर्धन करती है।
- कक्ष गतिविधियों से निपटना केंद्रीकृत हैं और विभिन्न जोखिम सीमा की निगरानी हेतु प्रणाली को स्थापित किया गया है।
- रिपोर्टिंग फॉर्मेट व आवृत्ति की सावधिक तौर पर समीक्षा की गयी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बैंक के जोखिम निगरानी, माप व शमन आवश्यकता को पूरा करते हैं।

- The Bank has put in place various exposure limits for market risk management such as Overnight limit, Intraday limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit, Broker Turnover limit, Capital Market Exposure limit, Product-wise Exposure limit, Issuer-wise Exposure limit, etc.
- A risk reporting system is in place for monitoring the risk limits across different levels of the Bank from trading desk to the Board level.
- The rates used for marking to market for risk management or accounting purposes are independently verified.
- The reports are used to monitor performance and risk, manage business activities in accordance with the Bank's strategy.
- The reporting system ensures timelines, reasonable accuracy with automation, highlight portfolio risk concentrations, and include written commentary.
- The detailed risk reports enhance the decision-making process.
- Dealing room activities are centralized, and system is in place to monitor the various risk limits.
- The reporting formats & the frequency are periodically reviewed to ensure that they suffice for risk monitoring, measuring and mitigation requirements of the Bank.

बचाव / शमन के जारी प्रभावशीलता की निगरानी हेतु जोखिम व रणनीति व प्रक्रिया के बचाव और / या शमन के लिये नीति: विभिन्न बोर्ड मंजूर नीतियां यथा, बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति (देशज जोखिम प्रबन्धन व प्रतिपक्ष बैंक जोखिम प्रबन्धन सहित), निवेश नीति, फोरेक्स डिलिंग व ट्रेडिंग परिचालन नीति, और एएलएम नीति, को बाजार जोखिम प्रबन्धन हेतु स्थापित किया गया है। बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति, जोखिम मूल्यांकन, पहचान व माप और शमन, जोखिम सीमा व ट्रिगर, जोखिम निगरानी व रिपोर्टिंग के लिये रूपरेखा प्रदान करता है।

बैंक ने विभिन्न देशों तक एक्सपोजर ले जाने हेतु सीमा आबंटित करने के लिये देशों के जोखिम वर्गीकरण हेतु विभिन्न मापदंडों यथा, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, ट्रेड बैलेंस आदि पर आधारित देशज जोखिम रेटिंग के लिये एक आंतरिक मॉडल तैयार किया है।

विदेशी बैंकों के वर्गीकरण हेतु बैंक ने स्कोरिंग मॉडल स्थापित किया है। विभिन्न एक्सपोजर सीमाओं को स्कोरिंग मैट्रिक्स अनुसार प्रतिपक्षों द्वारा सुरक्षित अकों पर आधारित करके तय किया गया है।

एएलएम नीति ब्याज दर जोखिम व चलनिधि जोखिम के प्रबन्धन पर गौर करता है। नीति ने विभिन्न दिशानिर्देश दिये हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आकस्मिक वित्तपोषण प्लान को सूत्रित करने के द्वारा तनाव के समय में चलनिधि स्थिति आरामदायक है। हर एक समय ढाचें के तहत सहिष्णुता स्तर को निगमित किया गया है और इसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन एक आगामी चलनिधि की कमी का संकेत देगा।

(ii) गुणात्मक प्रकटन

क्रमांक	विवरण	पूँजी आवश्यकता की राशि विवरण (₹ मिलियन में)	
		31.03.2016	31.03.2015
(ए)	ब्याज दर जोखिम	18,209.50	13,551.90
(बी)	ईक्विटी स्थिति जोखिम	7,859.10	7,510.60
(सी)	विदेश विनिमय जोखिम	65.00	375.90

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants: Various Board approved policies viz., Market Risk Management Policy (Including Country Risk Management and Counterparty Bank Risk Management), Investment Policy, Forex dealing and trading operations Policy and ALM Policy are put in place for market risk management. Market Risk Management Policy provides the framework for risk assessment, identification and measurement and mitigation, risk limits & triggers, risk monitoring and reporting.

The Bank has developed an internal model for country risk rating based on various parameters like GDP growth, inflation, trade balance etc for risk categorization of the countries to allocate limit for taking exposure to various countries.

The Bank has in place a scoring model for categorization of foreign banks. The various exposure limits are set based on the points secured by the counterparties as per the scoring matrix.

The ALM Policy deals with management of Interest Rate Risk and Liquidity Risk. The Policy lays down various guidelines to ensure that the liquidity position is comfortable at times of stress by formulating contingency funding plan. Tolerance levels are incorporated under each timeframe and any breach of it would signal a forthcoming liquidity constraint.

(ii) Quantitative Disclosures

Sl No	Particulars	Amount of capital requirement (₹ in Millions)	
		31.03.2016	31.03.2015
(a)	Interest Rate Risk	18,209.50	13,551.90
(b)	Equity Position Risk	7,859.10	7,510.60
(c)	Foreign Exchange Risk	65.00	375.90

तालिका डी एफ-8: परिचालन जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटन

रणनीतियां व प्रक्रियाएं: बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, मजबूत संगठनात्मक संस्कृति व योग्य परिचालन कार्यविधियों से निहित है जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धात्मकता, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग व आकस्मिक योजना, नीतियां निर्धारित हैं जिससे कि बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

संगत जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा व गठन: बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा निम्नानुसार है:

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- प्रमुख / महा प्रबंधक-जोखिम प्रबंधन / मुख्य जोखिम अधिकारी
- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग (ओआरएमडी), प्र का
- अंचलों के मनोनित कार्यपालक
- अंचलों में जोखिम प्रबंधन अनुभाग

जोखिम रिपोर्टिंग तथा / या परिमाण प्रणालियों की व्याप्ति एवं प्रकार: जोखिम रिपोर्टिंग में, शाखाओं/कार्यालयों में लोगों, प्रक्रिया, तकनीक व बाहरी कार्यक्रमों के संबंध में घटित परिचालन जोखिम हानि संबंधी घटनाएं शामिल हैं। विभिन्न स्रोतों से संग्रह किये गये डाटा का प्रयोग प्रणाली में मूल कारण / गैप को विश्लेषित करने में किया जाता है एवं इस तरह से उल्लिखित प्रणाली व प्रक्रिया को सुधारता है / सशक्त करता है। हानि घटनाएं भी हानि डेटा में प्रगणित की गई है जिसे कि उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए) के न्यूनीकरण में प्रचालनात्मक जोखिम पूंजी प्रभार को संगणित करने हेतु प्रयुक्त किया जाएगा।

बचाव-व्यवस्था और / या जोखिम शमन करने के संबंध में नीतियां तथा बचाव-व्यवस्था / प्रशमन की लगातार जारी प्रभाविकता पर निगरानी रखने हेतु रणनीतियां व प्रक्रियाएं: बैंक ने परिचालन जोखिम के प्रबंधन में नीतियां निर्धारित की हैं। नीति संबंधी ढांचे में अभिनिर्धारण, प्रबंधन, निगरानी व प्रशमन जैसे परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन संबंधी विभिन्न पहलू शामिल हैं।

TABLE DF – 8: OPERATIONAL RISK

(i) Qualitative Disclosures

Strategies and processes: The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function: The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- Head / General Manager – Risk Management / Chief Risk Officer
- Operational Risk Management Department (ORMD), Head Office
- Executives at Circles overseeing Risk Management Section.
- Risk Management Sections at Circles.

The scope and nature of risk reporting and / or measurement systems: The Risk reporting consists of operational risk loss incidents / events occurred in branches / offices relating to people, process, technology and external events. The data collected from different sources are used for analyzing the root cause/gaps in the system and thereby improve/strengthen the laid down system and procedures. The loss incidents are also incorporated in loss data base which shall be used for computing Operational Risk Capital Charge on migrating to Advanced Measurement Approach (AMA).

Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants: Bank has put in place policies for management of Operational Risk management. The policy framework contains various aspects of Operational risk management such as identification, management, monitoring & mitigation of Operational risk areas.

क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिमों के निवारण के लिए बैंक ने आउटसोर्सिंग जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां निर्धारित की हैं।

परिचालन जोखिम पूंजी मूल्यांकन: बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार परिकलित करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बेसिक इंडिकेटर अप्रोच) को अपनाया है।

बैंक उन्नत माप दृष्टिकोण ("एएमए") में विस्थापित होने को इच्छुक है।

गुणात्मक प्रकटन:

मूल संकेतक दृष्टिकोण (बेसिक इंडिकेटर अप्रोच) का तहत परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षा ₹22,288.23 मिलियन है।

तालिका डी एफ-9: बैंकिंग पुस्तिका में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

(i) गुणात्मक प्रकटन

बैंकिंग पुस्तिका में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जहां बाजार ब्याज दरों में परिवर्तनों से बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है। चूंकि, विभिन्न परिपक्वता/पुनर्मूल्यन, मुद्रा, बाजार व बेंचमार्क दर की तुलना पत्र की मर्दों व तुलना पत्र की इतर मर्दों के संबंध में बैंक की दर संवेदनशील बनी रहती है और इन मानदंडों में किसी प्रकार के प्रतिकूल स्वरूप के उचार-चढ़ाव से बैंक, ब्याज दर जोखिम से ग्रस्त होता है। बैंकिंग पुस्तिका में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक के उपार्जन (लघु-अवधि का प्रभाव) पर होनेवाले प्रभाव तथा निवल मालियत (दीर्घावधि का प्रभाव) के बारे में पता चलता है और इसे मासिक आधार पर आंका जाता है।

संगठनात्मक ढांचा

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), निदेशक मंडल द्वारा/जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा स्थापित जोखिम सहन स्तर के अनुसार ब्याज दर जोखिम प्रबंधन रणनीति विकसित करने और उसे कार्यान्वित करने, सीमा के आर-पार व कारोबारी क्षेत्रों में तथा कानूनी इकाइयों के यहां विभिन्न मुद्राओं में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है। एएलसीओ, बैंक का ब्याज दर दृष्टिकोण भी नियत करता है और भावी कारोबार रणनीति के लिए अपने निर्णय के संबंध में आधार तैयार करता है। निधीकरण नीति के संबंध में, आस्ति निर्माण करने के संबंध में स्रोत व देयताओं का सही मिश्रण निर्धारित करना उसकी जिम्मेदारी है। एएलसीओ द्वारा निदेशक मंडल द्वारा स्थापित विभिन्न ऋण सीमाओं की निगरानी रखी जाती है और ऋण सीमा में किसी प्रकार का लोप होने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

In order to address risks involved in Outsourcing of activities, bank has put in place policies for management of Outsourcing Risk.

Operational Risk capital assessment: The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

Bank intends to migrate to the Advanced Measurement Approach ("AMA").

Quantitative Disclosure:

The capital requirement for Operational Risk under Basic Indicator Approach is ₹ 22,288.23 Millions.

TABLE DF – 9: INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

(i) Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest Rate Risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. As the bank holds rate sensitive on and off balance-sheets items of different maturity/re-pricing, currencies, markets and benchmark rates, and any adverse movement in these parameters exposes bank to interest rate risk. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) reveals the impact on bank's earnings (short-term impact) and net-worth (long-term impact) due to adverse movement of interest rates and is measured on a monthly basis.

Organizational Framework

Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible for developing and implementing interest rate risk management strategy, managing interest rate risk in different currencies, across borders and across business lines and legal entities as per the risk tolerance established by the Board of Directors/Risk Management Committee. The ALCO also articulates interest rate view of the bank and bases its decisions for future business strategy. In respect of the funding policy, it decides on source and mix of liabilities for creation of assets. It monitors the various limits established by the Board for interest rate risk and takes corrective action if there is any breach in the limit.

रणनीतियां व प्रक्रियाएं

बैंक अपनी आस्तियों व देयताओं के कीमतों को समकक्ष बनाने के साथ-साथ उपयुक्त समरूपता प्रदान करने का प्रयास करता है जिससे कि परिपक्व होने वाले या पुनर्मूल्यित होनेवाले विभिन्न समय-अवधि वाले आस्ति व देयताओं में अंतर को कम किया जा सके। ब्याज दर जोखिम के मापन व प्रबंधन के लिए बैंक अपनी आस्ति व देयताओं व तुलन-पत्र रहित मदों की वैश्विक स्थिति जो कि दर संवेदी हैं, के प्रति दोनों पारंपरिक अंतर विश्लेषण (टीजीए) और अवधि अंतर विश्लेषण (डीजीए) अपनाता है।

बैंक, दर संवेदनशील आस्तियों/देयताओं/तुलन-पत्र इतर मदों के संबंध में टीजीए व डीजीए लागू करते हुए हर मुद्रा में प्रत्येक ब्याज दर जोखिम स्थिति का परिकलन उस मुद्रा, जहां या तो आस्तियां अथवा देयताएं बैंक की वैश्विक आस्तियों या वैश्विक देयताओं के कुल योग के मतुकाबले 5 प्रतिशत या उससे अधिक हों, में करता है। अन्य सभी अवशिष्ट मुद्राओं में ब्याज दर जोखिम की स्थिति का परिकलन अलग से समग्र आधार पर किया जाता है। गैर-परिपक्वता अवधि की जमाओं का वर्गीकरण बैंक के आचरण अध्ययन के अनुसार किया जायेगा।

ब्याज दर जोखिम, कीमत-निर्धारण, आय वक्र परिवर्तन, आधारभूत जोखिम व वैकल्पिक जोखिम के कारण पेश आता है। बैंक का उद्देश्य परिपक्वता व कीमत-निर्धारण के संतुलन से पेश आनेवाली जोखिमों को दोनों आय उपाजन के परिप्रेक्ष्य व आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य से पता लगाना है जिसमें निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग हो, यानी।

1. **अंतर विश्लेषण:** ब्याज दर जोखिम आंकने के लिए मूल साधन का प्रयोग, अवशिष्ट परिपक्वता अवधि अथवा अगले कीमत निर्धारण, इनमें से जो भी पहले हो, के अनुसार, दर संवेदनशील आस्तियों (आरएसए) व दर संवेदनशील देयताओं (आरएसएल) की विभिन्न मदों तथा तुलन-पत्र इतर मदों को भिन्न-भिन्न समय अवधियों में समूहीकरण करने के ज़रिए ब्याज दर संवेदनशील विवरण (आईआरएस) तैयार कर निवल अंतर (यानी आरएसए – आरएसएल) का पता लगाना होगा। सकारात्मक अथवा आस्ति संवेदनशील अंतर का यह आशय है कि यदि बाजार ब्याज दरों में वृद्धि होती है तो परिणामस्वरूप एनआईआई में भी वृद्धि होगी। इसके विपरीत, नकारात्मक या देयता संवेदनशील अंतर का तात्पर्य है कि बाजार की ब्याज दरों में वृद्धि के कारण बैंक के एनआईआई घट सकता है।
2. **आय अर्जन में जोखिम (ईएआर):** ब्याज दर में समानांतर परिवर्तन के फलस्वरूप आय-अर्जन पर कीमत निर्धारण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन विभिन्न दर प्रहारों के संबंध में किया जाता है। आय वक्र परिवर्तन व आधार जोखिम के संबंध में आय-अर्जन के प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है।

Strategies and Processes

The Bank strives to match the price of its assets and liabilities coupled with proper maturity matching in order to reduce the gap in different time buckets which are maturing or getting re-priced. For measurement and management of interest rate risk, Bank adopts both the Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to its global position of assets, liabilities and off-balance sheet items, which are rate sensitive.

The Bank compute its interest rate risk position in each currency applying the TGA and DGA to the rate sensitive assets/ liabilities/ off balance sheet items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the Bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk position in all other residual currencies is computed separately on an aggregate basis. The non-maturing deposits are classified as per the behavioural study of the Bank.

The interest rate risk arises on account of re-pricing, yield curve change, basis risk and options risk. The Bank aims at capturing these risks arising from the maturity and re-pricing mismatches both from earnings perspective and economic value perspective using techniques viz.,

1. **Gap Analysis:** The basic tool for measuring interest rate risk is preparation of Interest Rate Sensitivity Statement (IRS) by grouping various items of Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) and off balance-sheet items into different time buckets according to the residual maturity or next re-pricing, whichever is earlier and arriving at the net gap (i.e., RSA – RSL). A positive or Asset Sensitive Gap means that an increase in market interest rates result in an increase in NII. Conversely, a negative or liability sensitive Gap implies that the Bank's NII could decline as a result of increase in market interest rates.
2. **Earnings at Risk (EaR):** Earnings at Risk (EaR) indicate the impact of repricing risk on the earnings due to the parallel shift in interest rate assessed for different rate shocks. Impact on the earnings is also estimated for yield curve change and basis risk.

3. बाजार का इक्विटी मूल्य (एमवीई): परिवर्तनशील ब्याज दरों का दीर्घावधि प्रभाव बैंक बाजार के इक्विटी मूल्य (एमवीई) या निवल मालियत पर होता है क्योंकि बैंक की आस्तियों, देयताओं के आर्थिक मूल्य और तुलन-पत्र इतर स्थितियां, बाजार की ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन के कारण से प्रभावित होती हैं। समूचे बैंक में ब्याज दर संवेदनशील स्थितियों के परिवर्तनों से होनेवाले निर्धारित दर प्रहार के कारण इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) में अनुमानित गिरावट का प्राक्कलन अवधि अंतर विश्लेषण (डीजीए) से किया जाता है।

3. Market Value of Equity (MVE): A long-term impact of changing interest rates is on bank's Market Value of Equity (MVE) or Net-worth as the economic value of bank's assets, liabilities and off-balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates. The estimated drop in the Market Value of Equity (MVE) as a result of prescribed rate shock arising from changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole Bank is estimated by the Duration Gap Analysis (DGA).

(ii) परिमाणात्मक प्रकटन

आय अर्जन में जोखिम (ईएआर)

निम्नलिखित तालिका में यथा 31.03.2016 को सभी मुद्राओं में एक वर्ष तक की अवधि के लिए ब्याज दर में कल्पित 100 आधार बिंदु (बीपीएस) समानांतर परिवर्तन के संबंध में बैंक की निवल ब्याज आय पर होनेवाले प्रभाव की जानकारी है:

राशि (₹ मिलियन में)

मुद्रा	1 वर्ष तक ब्याज दर में परिवर्तन	
	31.03.2016	
	-100 बीपीएस	+100 बीपीएस
आईएनआर	(3525.20)	3525.20
यूएसडी	(1212.30)	1212.30
अन्य	(4.80)	4.80
कुल	(4742.30)	4742.30

इक्विटी का आर्थिक मूल्य

निम्नलिखित तालिका में यथा 31.03.2016 को बैंकिंग बही पर कल्पित 200 आधार बिंदु (बीपीएस) के संबंध में इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर होनेवाले प्रभाव की जानकारी है:

इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	-200 बीपीएस	+200 बीपीएस
		10.87%

(ii) Quantitative Disclosures

EARNINGS AT RISK

The following table presents the impact on net interest income of the Bank for an assumed parallel shift of 100 bps in interest rate up to one year across currencies as at 31.03.2016.

Amount (₹ in Millions)

Currencies	Change in interest rate up to 1 Year	
	31.03.2016	
	-100 bps	+100 bps
INR	(3525.20)	3525.20
USD	(1212.30)	1212.30
Others	(4.80)	4.80
Total	(4742.30)	4742.30

ECONOMIC VALUE OF EQUITY

The table reveals the impact on Economic Value of Equity for an assumed rate shock of 200 bps on the Banking Book as at 31.03.2016

Change in Economic Value of Equity	-200 bps	+200 bps
		10.87%

तालिका डी एफ-10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के संबंध में सामान्य प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

बैंक में, प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम प्रबंधन के संबंध में नीति है जिसपर निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त है। इस नीति में, बैंक में प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम प्रबंधन के संबंध में मानकों व दिशानिर्देश निर्धारित की गयी है। इस नीति के ज़रिए बैंक को विभिन्न घटकों व जोखिमों के संगत स्रोतों को प्रावित करते हुए बाजार व्यापारित लिखतों में सीसीआर की पहचान करने के लिए मानकों व दिशानिर्देशों को स्थापित करना होगा। इसके ज़रिए निपटान-पूर्व जोखिम, निपटान जोखिम व गलत प्रकार की जोखिम का समाधान होता है।

बैंक की सीमा सेटिंग व निगरानी प्रमुख रूप से मौजूदा नीतियों यथा, ऋण नीति, साख जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, बाजार जोखिम हेतु मास्टर नीति, काउंटरपक्ष बैंकों के एक्सपोजर सीमा पर नीति एवं ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर पर नीति द्वारा प्रावित है।

(ii) परिमाणत्मक प्रकटन

राशि (₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	कल्पित राशि		चालू लेनदेन (एक्सपोजर)	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	विदेशी विनिमय ठेके	1,877,040.00	1,832,011.90	20,934.10	14,068.80
2	परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	0.00	15.60	0.00	0.00
3	एकल मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	69,567.10	65,625.90	1,487.40	3,412.00
4	कुल योग	1,946,607.10	1,897,653.40	22,421.50	17,480.80

(ii) Quantitative disclosure

Amount (₹ in Millions)

Sl No	Particulars	Notional Amount		Current Exposure	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	Foreign Exchange Contracts	1,877,040.00	1,832,011.90	20,934.10	14,068.80
2	Cross Currency Interest rate Swaps	0.00	15.60	0.00	0.00
3	Single Currency Interest Rate Swaps	69,567.10	65,625.90	1,487.40	3,412.00
4	Total	1,946,607.10	1,897,653.40	22,421.50	17,480.80

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संघटन

भाग II: बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट (संक्रमणकालीन अवधि - 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसम्बर, 2017 तक)

₹ मिलियन में

मद	पात्र राशि	पूर्व बेसल III व्यवहार के अधीन राशि	संदर्भ संख्या
सामान्य इक्विटी स्तर 1 पूंजी: साधन तथा भंडार			
1 प्रत्यक्षतः जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी + संबंधित अतिरिक्त स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	62,176.55		ए=ए1+ए2
2 रोक रखी गई आय	193,614.85		बी=बी1+बी2+बी3+बी4
3 संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य भंडार)	25,690.43		
4 सीईटी 1 से समाप्ति के अधीन प्रत्यक्षतः जारी पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के लिये लागू)	-		
1 जनवरी 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी अंतःक्षेपण पुरानी इकाइयां			
5 सहयोगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्षों द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी1 समूह में अनुमत राशि)	200.29		सी1
6 विनियामक समायोजन के समक्ष सामान्य इक्विटी स्तर 1 पूंजी	281,682.13		
सामान्य इक्विटी स्तर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
7 विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	-		
8 साख (संबंधित कर देयता का निवल)	-		
9 बंधक शोधन अधिकार के अलावा अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	535.17	133.79	डी
10 आस्थगित कर आस्तियां	-		
11 नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	-		
12 सामग्रियों के संभावित नुकसान में कमी	-		
13 बिक्री पर प्रतिभूतिकृत प्राप्ति	-		
14 उचित मूल्य की देयताओं पर स्वयं साख जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ व हानि	-		
15 निर्धारित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	-		
16 स्वयं के शेयर में निवेश (रिपोर्ट किये गये तुलन पत्र पर भुगतान की गई पूंजी को बंद नहीं किया गया)	-		
17 सामान्य इक्विटी में विपरीत प्रतिधारिता	273.57	68.39	ई

TABLE DF – 11: COMPOSITION OF CAPITAL

Part II: Basel III common disclosure template (Transitional Period- from April 1, 2013 to December 31, 2017)

₹ in Millions

Items		Eligible Amount	Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves				
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	62,176.55		a=a1+a2
2	Retained earnings	193,614.85		b=b1+b2+b3+b4
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	25,690.43		
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-		
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018			
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	200.29		c1
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	281,682.13		
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	Prudential valuation adjustments	-		
8	Goodwill (net of related tax liability)	-		
9	Intangibles other than mortgage servicing rights (net of related tax liability)	535.17	133.79	d
10	Deferred tax assets	-		
11	Cash-flow hedge reserve	-		
12	Shortfall of provisions to expected losses	-		
13	Securitisation gain on sale	-		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-		
15	Defined-benefit pension fund net assets	-		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	273.57	68.39	e

18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा निकायों की पूंजी में निवेश जो नियामक विमर्श के दायरे से बाहर है, निवल पात्र स्थितियां, जहां बैंक जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक पर स्वामित्व नहीं रखता (शुरुआती 10% से अधिक की राशि)	-		
19	बैंकिंग, वित्तीय व बीमा निकाय जो कुल पात्र स्थिति में विनियामक विमर्श के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (10% की शुरुआती राशि से अधिक)	-		
20	बंधक शोधन अधिकार(10% की शुरुआती राशि से अधिक)	-		
21	अस्थाई अंतर के कारण आस्थगित कर आस्तियां (10% की शुरुआती राशि से अधिक, संबंधित कर देयता का निवल)	-		
22	15% की शुरुआती राशि से अधिक	-		
23	जिसमें : वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	-		
24	जिसमें : बंधक शोधन अधिकार	-		
25	जिसमें: अस्थाई अंतर के कारण आस्थगित कर आस्तियां	-		
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	3,893.92		
26a	जिसमें: गैर समेकित बीमा सहायकों के इक्विटी पूंजी में निवेश	3,876.00	969.00	एफ1
26b	जिसमें: गैर समेकित गैर वित्तीय सहायकों के इक्विटी पूंजी में निवेश	17.92	4.48	एफ2
26c	जिसमें: अधिकांश वित्तीय निकायों जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है उनकी इक्विटी पूंजी में निवेश			
26d	जिसमें : गैर परिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	0.00	एच
	पूर्व-बासेल III व्यवहार के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी स्तर 1 के लिये लागू विनियामक समायोजन	-		
27	अपर्याप्त अतिरिक्त स्तर 1 तथा स्तर 2 के घटाव को प्रावरित करने के कारण सामान्य इक्विटी स्तर 1 के लिये विनियामक समायोजन	-		
28	सामान्य इक्विटी स्तर 1 को कुल विनियामक समायोजन	4,702.66		
29	सामान्य इक्विटी स्तर 1 पूंजी (सीईटी)	276,979.47		

18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-		
22	Amount exceeding the 15% threshold	-		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	-		
24	of which: mortgage servicing rights	-		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	-		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	3,893.92		
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	3,876.00	969.00	f1
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	17.92	4.48	f2
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	0.00	h
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-		
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	4,702.66		
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	276,979.47		

अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी: लिखत				
30	प्रत्यक्षतः जारी अर्हकारी अतिरिक्त स्तर 1 लिखत + अतिरिक्त संबंधित स्टॉक (31+32)	15,000.00		आई 2
31	जिसमें : लागू लेखांकन मानक के अंतर्गत इक्विटी की तरह वर्गीकृत (बेमियादी गैर संचयी तरजीही शेयर)	0.00		
32	जिसमें : लागू लेखांकन स्तर के अंतर्गत देयता की तरह वर्गीकृत (बेमियादी ऋण लिखत)	15,000.00		
33	अतिरिक्त स्तर 1 से हटाए जाने के अधीन प्रत्यक्षतः जारी पूंजी लिखत	9,537.60		आई 1
34	सहायकों द्वारा जारी तथा तृतीय पक्ष द्वारा रखी गई (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त स्तर 1 लिखत (तथा सीईटी1 लिखत को पंक्ति 5 में शामिल नहीं किया गया है)	37.56		सी 2
35	जिसमें : हटाए जाने के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत	-		
36	विनियामक समायोजन के समक्ष अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी	24,575.16		
अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन				
37	स्वयं के अतिरिक्त स्तर 1 लिखतों में निवेश	-		
38	अतिरिक्त स्तर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता	3,218.24	804.56	j
39	विनियामक विमर्श के दायरे के बाहर बैंकिंग, वित्तीय व बीमा निकायों की पूंजी में निवेश, पात्र स्थिति का निवल जहां बैंक के पास निकाय के जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं हो (10% की शुरुआती सीमा से अधिक)	0.00		
40	बैंकिंग, वित्तीय व बीमा निकाय जो कुल पात्र स्थिति में विनियामक विमर्श के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (10% की शुरुआती राशि से अधिक)	0.00		

Additional Tier 1 capital: instruments				
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	15,000.00		i2
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	15,000.00		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	9,537.60		i1
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	37.56		c2
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	24,575.16		
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments				
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	-		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	3,218.24	804.56	j
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		

41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	-		
41a	गैर समेकित बीमा सहायकों के अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी में निवेश	-		
41b	अधिकांश वित्तीय निकायों, जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है, उनके अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी में कमी	-		
	पूर्व-बासेल III व्यवहार के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी स्तर 1 के लिये लागू विनियामक समायोजन	486.74		एफ3
42	अपर्याप्त अतिरिक्त स्तर 1 तथा स्तर 2 के घटाव को प्रावरित करने के कारण सामान्य इक्विटी स्तर 1 के लिये विनियामक समायोजन	-		
43	सामान्य इक्विटी स्तर 1 को कुल विनियामक समायोजन	3,704.98		
44	अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी (एटी1)	20,870.18		
44a	पूंजी पर्याप्ता के लिये संगणित अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी	20,870.18		
45	स्तर 1 पूंजी (टी1=सीईटी1+एटी1) (29+44ए)	297,849.65		
स्तर 2 पूंजी : पूंजी लिखत व प्रावधान				
46	प्रत्यक्षतः जारी अर्हकारी अतिरिक्त स्तर 1 लिखत + अतिरिक्त संबंधित स्टॉक (31+32)	49,000.00		के2
47	स्तर 2 से हटाए जाने के अधीन प्रत्यक्षतः जारी पूंजी लिखत	8,700.00		के1
48	सहायकों द्वारा जारी तथा तृतीय पक्षों द्वारा रखे गये (समूह स्तर 2 में अनुमत राशि) स्तर 2 लिखत (तथा पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी1 तथा एटी1 लिखत)	47.34		सी3
49	जिसमें : हटाए जाने के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत	0.00		
50	प्रावधान	20,029.31		एल= एल1+एल2+एल3+ एल4
51	विनियामक समायोजन के समक्ष स्तर 2 पूंजी	77,776.65		
स्तर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन				
52	स्वयं के स्तर 2 लिखतों में निवेश	0.00		
53	अतिरिक्त स्तर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	695.03	173.76	एम

41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-		
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of un-consolidated insurance subsidiaries	-		
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	486.74		f3
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	3,704.98		
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	20,870.18		
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	20,870.18		
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	297,849.65		
Tier 2 capital: instruments and provisions				
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	49,000.00		k2
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	8,700.00		k1
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	47.34		c3
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
50	Provisions	20,029.31		l= 1+ 2+ 3+ 4
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	77,776.65		
Tier 2 capital: regulatory adjustments				
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	695.03	173.76	m

54	विनियामक विमर्श के दायरे के बाहर बैंकिंग, वित्तीय व बीमा निकायों की पूंजी में निवेश, पात्र स्थिति का निवल जहां बैंक के पास निकाय के जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं हो (10% की शुरुआती सीमा से अधिक)	0.00		
55	बैंकिंग, वित्तीय व बीमा निकाय जो कुल पात्र स्थिति में विनियामक विमर्श के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (10% की शुरुआती राशि से अधिक)	0.00		
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0.00		
56a	जिसका : असमेकित सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	0.00		
56b	जिसका : जो बैंक के साथ समेकित नहीं किये गये हैं, उन बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी	0.00		
	पूर्व बेसल III के उपचार के अधीन राशियों के संबंध में टियर 2 के लिए लागू विनियामक समायोजन	486.74		एफ4
57	टियर 2 के लिए कुल नियामक समायोजन	1,181.77		
58	पूंजी टियर 2 पूंजी (टी 2)	76,594.88		
58a	पूंजी पर्याप्तता के लिए संगणित टियर 2 पूंजी	76,594.88		
58b	टियर 2 पूंजी के रूप में संगणित अधिकता में अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	0.00		
58c	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58ए + 58बी)	76,594.88		
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)	374,444.53		
	पूर्व बेसल III के उपचार के अधीन राशियों के संबंध में जोखिम युक्त आस्तियां			
60	कुल जोखिम भारित परिसंपत्ति (60ए + 60बी + 60सी)	3,351,643.09		
60a	जिसका : कुल ऋण जोखिम भारित संपत्ति	2,848,559.29		
60b	जिसका : कुल बाजार जोखिम भारित संपत्ति	271,517.82		
60c	जिसका कि : कुल परिचालन जोखिम भारित संपत्ति	231,565.98		

54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00		
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	486.74		f4
57	Total regulatory adjustments to Tier 2	1,181.77		
58	Tier 2 capital (T2)	76,594.88		
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	76,594.88		
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0.00		
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	76,594.88		
59	Total Capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	374,444.53		
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts subject to Pre-Basel III Treatment			
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	3,351,643.09		
60a	of which: total credit risk weighted assets	2,848,559.29		
60b	of which: total market risk weighted assets	271,517.82		
60c	of which: total operational risk weighted assets	231,565.98		

पूंजी अनुपात				
61	सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में)	8.26%		
62	टीयर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में)	8.89%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में)	11.17%		
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता प्लस पूंजी संरक्षण और काउंटरसिक्लिक्ल बफर आवश्यकताओं, जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	5.50%		
65	जिसका : पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	2.50%		
66	जिसका : बैंक विशिष्ट काउंटरसिक्लिक्ल बफर आवश्यकता	0.00		
67	जिसका : जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00		
68	(जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में) बफर्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1	0.00		
राष्ट्रीय न्यूनतम (बेसल III से अगर भिन्न है तो)				
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से अगर भिन्न है तो)	5.50%		
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल III के न्यूनतम से भिन्न है तो)	7.00%		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल III के न्यूनतम से भिन्न है तो)	9.00%		
कटौती के लिए सीमा से नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)				
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	16,665.51		
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	2,071.90		
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00		
75	अस्थायी मतभेद से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00		
टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन पर लागू ऊपरी सीमा				
76	मानकीकृत दृष्टिकोण (ऊपरी सीमा के आवेदन से पहले) के विषयक एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में समावेशन हेतु पात्र प्रावधान	20,029.31		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन पर ऊपरी सीमा	35,606.99		

Capital ratios				
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.26%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.89%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.17%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.50%		
65	of which: capital conservation buffer requirement	2.50%		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00		
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.00		
National minima (if different from Basel III)				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)				
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	16,665.51		
73	Significant investments in the common stock of financial entities	2,071.90		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00		
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	20,029.31		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach	35,606.99		

78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (ऊपरी सीमा के आवेदन से पहले) के विषयक एक्सपोज़र के संबंध में टियर 2 में समावेशन हेतु पात्र प्रावधान	0.00		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन हेतु ऊपरी सीमा	0.00		
समाप्त किए जाने की व्यवस्थाओं के अधीन पूंजी लिखत (सिर्फ मार्च 31, 2017 और मार्च 31, 2022 के बीच लागू)				
80	समाप्त किए जाने की व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी1 लिखतों पर चालू ऊपरी सीमा	लागू नहीं		
81	ऊपरी सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाली गई राशि (शोधनों और परिपक्वता के बाद ऊपरी सीमा से अधिक)	लागू नहीं		
82	समाप्त किए जाने की व्यवस्थाओं के अधीन एटी1 लिखतों पर चालू ऊपरी सीमा	9,537.60		
83	ऊपरी सीमा के कारण एटी1 से निकाली गई राशि (शोधनों और परिपक्वता के बाद ऊपरी सीमा से अधिक)	6,358.40		
84	समाप्त किए जाने की व्यवस्थाओं के अधीन टी2 लिखतों पर चालू ऊपरी सीमा	8,700.00		
85	ऊपरी सीमा के कारण टी2 से निकाली गई राशि (शोधनों और परिपक्वता के बाद ऊपरी सीमा से अधिक)	2,000.00		

78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	0.00		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	0.00		
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)				
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	9,537.60		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	6,358.40		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	8,700.00		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	2,000.00		

तालिका डीएफ – 12: पूंजी का संघटन – समाधान की आवश्यकताएं

पहला चरण

(₹ मिलियन में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र 31 मार्च 2016 तक	विनियामक विमर्श दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र 31 मार्च 2016 तक
A	पूंजी व देयताएं		
i	चुकता पूंजी	5,429.91	5,429.91
	आरक्षित निधि व अतिरिक्त निधि	318,666.83	312,399.81
	अल्पांश ब्याज	4,492.31	1,277.20
	कुल पूंजी	328,589.06	319,106.92
ii	जमा	4,797,489.38	4,797,861.75
	जिसमें: बैंक से जमा	242,975.77	242,975.77
	जिसमें: ग्राहक जमा	1,231,948.50	1,232,189.65
	जिसमें: सावधि जमा – अन्य	3,322,565.11	3,322,696.33
iii	उधार	269,634.23	269,634.23
	जिसमें: भा.रि.बैंक से	0.00	0.00
	जिसमें: बैंकों से	127,581.42	127,581.42
	जिसमें: अन्य संस्थानों व एजेंसियों से	5,593.23	5,593.23
	जिसमें: गैर प्रतिभूतीकृत प्रतिदेय बॉन्ड	136,459.58	136,459.58
iv	अन्य देयताएं व प्रावधान	241,536.57	148,614.31
	कुल	5,637,249.24	5,535,217.21
B	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे नकद व शेष	206,650.32	206,645.34
	बैंकों के साथ रखा गया शेष तथा मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेयराशि	360,787.14	360,965.23
ii	निवेश	1,524,698.03	1,424,029.72
	जिसमें: सरकारी प्रतिभूतियां	1,301,373.99	1,270,278.26
	जिसमें: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,868.94	14.99
	जिसमें: शेयर	54,498.48	17,184.89
	जिसमें: डिबेंचर व बॉन्ड	81,695.22	64,161.69
	जिसमें: सहायक/संयुक्त उद्यम/सहभागी	9,541.79	6,730.07
	जिसमें: अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज, म्युचुअल फंड, इत्यादि)	75,719.63	65,659.83
iii	ऋण व अग्रिम	3,249,923.62	3,249,923.62
	जिसमें: बैंकों को ऋण व अग्रिम	175.49	175.49
	जिसमें: ग्राहकों को ऋण व अग्रिम	3,249,748.13	3,249,748.13
iv	नियत आस्तियां	72,057.61	71,940.14
	जिसमें: अमूर्त आस्तियाँ	668.96	668.96
v	अन्य आस्तियां	223,132.52	221,713.17
	जिसमें: आस्थगित कर आस्तियां	702.21	703.03
vi	साख समेकन	शून्य	शून्य
vii	लाभ व हानि खाता में नामे शेष	शून्य	शून्य
	कुल आस्ति	5,637,249.24	5,535,217.22

TABLE DF – 12: COMPOSITION OF CAPITAL – RECONCILIATION REQUIREMENTS

Step 1

(₹in Million)

		Balance sheet as in Financial Statements	Balance sheet under regulatory scope of Consolidation
		As at 31st March 2016	As at 31st March 2016
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	5,429.91	5,429.91
	Reserves & Surplus	318,666.83	312,399.81
	Minority Interest	4,492.31	1,277.20
	Total Capital	328,589.06	319,106.92
ii	Deposits	4,797,489.38	4,797,861.75
	of which: Deposits from banks	242,975.77	242,975.77
	of which: Customer deposits	1,231,948.50	1,232,189.65
	of which: Term Deposits – Others	3,322,565.11	3,322,696.33
iii	Borrowings	269,634.23	269,634.23
	of which: From RBI	0.00	0.00
	of which: From banks	127,581.42	127,581.42
	of which: From other institutions & agencies	5,593.23	5,593.23
	of which: Unsecured Redeemable Bonds	136,459.58	136,459.58
iv	Other liabilities & provisions	241,536.57	148,614.31
	Total	5,637,249.24	5,535,217.21
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	206,650.32	206,645.34
	Balance with banks and money at call and short notice	360,787.14	360,965.23
ii	Investments:	1,524,698.03	1,424,029.72
	of which: Government securities	1,301,373.99	1,270,278.26
	of which: Other approved securities	1,868.94	14.99
	of which: Shares	54,498.48	17,184.89
	of which: Debentures & Bonds	81,695.22	64,161.69
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	9,541.79	6,730.07
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	75,719.63	65,659.83
iii	Loans and advances	3,249,923.62	3,249,923.62
	of which: Loans and advances to banks	175.49	175.49
	of which: Loans and advances to customers	3,249,748.13	3,249,748.13
iv	Fixed assets	72,057.61	71,940.14
	of which: Intangible Assets	668.96	668.96
v	Other assets	223,132.52	221,713.17
	of which: Deferred tax assets	702.21	703.03
vi	Goodwill on consolidation	NIL	NIL
vii	Debit balance in Profit & Loss account	NIL	NIL
	Total Assets	5,637,249.24	5,535,217.22

दूसरा चरण

(₹ मिलियन में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	विनियामक दायरे के विमर्श के अंतर्गत तुलन पत्र	संदर्भ संख्या
A	पूंजी व देयताएं	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2016 तक	
i	चुकता पूंजी	5,429.91	5,429.91	
	सीईटी 1 के लिये पात्र राशि	5,429.91	5,429.91	ए1
	जिसमें: एटी 1 के लिये पात्र राशि	0.00	0.00	
	आरक्षित निधि व अतिरिक्त निधि	318,666.83	312,399.81	
	जिसमें:			
	- वैधानिक आरक्षित निधि	80,330.60	80,330.60	बी1
	- शेयर प्रीमियम	57,996.64	56,746.64	ए2
	- पूंजी भंडार	14,786.71	14,786.71	बी2
	- राजस्व भंडार	63,512.05	58,497.54	बी3
	- विशेष भंडार	40,000.00	40,000.00	बी4
	- विदेशी मुद्रा भंडार	1,908.29	1,908.29	एन1 (75%)
	- पुनर्मूल्यांकित भंडार	54,446.63	54,446.63	एन2 (45%)
	- निवेश आरक्षित निधि खाता	5,658.00	5,658.00	एल2
	- विचारार्थ पूंजी भंडार	27.91	25.40	
	- लाभ हानि खाता शेष	4,492.31	1,277.20	
	अल्पांश ब्याज	0.00	200.29	सी1
	जिसमें: सामान्य इक्विटी टीयर 1 के लिए पात्र	0.00	37.56	सी2
	जिसमें: सामान्य इक्विटी टीयर 2 के लिए पात्र	0.00	47.34	सी3
	जिसमें: टीयर 2 के लिए पात्र	328,589.05	319,106.92	
	कुल पूंजी	328,703.59	321,448.98	
ii	जमा	4,797,489.38	4,797,861.75	
	जिसमें: बैंकों से जमा	242,975.77	242,975.77	
	जिसमें: ग्राहक जमा	1,231,948.50	1,232,189.65	
	जिसमें: सावधि जमा - अन्य	3,322,565.11	3,322,696.33	
iii	उधार	269,634.23	269,634.23	
	जिसमें: भा.रि.बैंक से	0.00	0.00	
	जिसमें: बैंकों से	127,581.42	127,581.42	
	जिसमें: अन्य संस्थानों व एजेंसियों से	5,593.23	5,593.23	
	जिसमें: गैर प्रतिभूतीकृत प्रतिदेय बॉन्ड	136,459.58	136,459.58	
	जिसमें: पात्र अतिरिक्त टीयर 1 लिखत	9,537.60	9,537.60	आई1
	जिसमें: समाप्त नहीं किये जानेवाले पात्र अतिरिक्त टीयर 1 लिखत	15,000.00	15,000.00	आई2
	जिसमें: पात्र टीयर II बॉण्ड	8,700.00	8,700.00	के1
	जिसमें: समाप्त नहीं किए जाने वाले पात्र टीयर II बॉण्ड	49,000.00	49,000.00	के2

Step 2

(₹in Million)

		Balance sheet as in Financial Statements	Balance sheet under regulatory scope of Consolidation	Ref No.
A	Capital & Liabilities	As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2016	
i	Paid-up Capital	5,429.91	5,429.91	
	of which: Amount eligible for CET1	5,429.91	5,429.91	a1
	of which: Amount eligible for AT1	0.00	0.00	
	Reserves & Surplus	318,666.83	312,399.81	
	of which:			
	- Statutory Reserve	80,330.60	80,330.60	b1
	- Share Premium	57,996.64	56,746.64	a2
	- Capital Reserve	14,786.71	14,786.71	b2
	- Revenue Reserve	63,512.05	58,497.54	b3
	- Special Reserve	40,000.00	40,000.00	b4
	- Foreign Currency Translation Reserve	1,908.29	1,908.29	n1 (75%)
	- Revaluation Reserve	54,446.63	54,446.63	n2 (45%)
	- Investment Reserve Account	5,658.00	5,658.00	l2
	- Capital Reserve on Consolidation	27.91	25.40	
	- Balance in Profit and Loss Account	4,492.31	1,277.20	
	Minority Interest	0.00	200.29	c1
	of which eligible for Common Equity Tier 1	0.00	37.56	c2
	of which eligible for Additional Tier 1	0.00	47.34	c3
	of which eligible for Tier 2	328,589.05	319,106.92	
	Total Capital	328,703.59	321,448.98	
ii	Deposits	4,797,489.38	4,797,861.75	
	of which: Deposits from banks	242,975.77	242,975.77	
	of which: Customer deposits	1,231,948.50	1,232,189.65	
	of which: Term Deposits - Others	3,322,565.11	3,322,696.33	
iii	Borrowings	269,634.23	269,634.23	
	of which: From RBI	0.00	0.00	
	of which: From banks	127,581.42	127,581.42	
	of which: From other institutions & agencies	5,593.23	5,593.23	
	of which: Unsecured Redeemable Bonds	136,459.58	136,459.58	
	of which: Eligible AT 1 Instruments	9,537.60	9,537.60	i1
	of which: Eligible AT 1 Instruments not subject to phased out	15,000.00	15,000.00	i2
	of which: Eligible Tier II Bonds	8,700.00	8,700.00	k1
	of which: Eligible Tier II Bonds not subject to phased out	49,000.00	49,000.00	k2

iv	अन्य देयताएं व प्रावधान	241,536.57	148,614.31	
	जिसमें: साख से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00	
	जिसमें: अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00	
	जिसमें: मानक आस्ति प्रावधान	14,148.31	14,148.31	एल1
	जिसमें : देशीय जोखिम प्रावधान	223.00	223.00	एल4
	कुल	5,637,249.23	5,535,217.21	
B	आस्ति			
i	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद व शेष	206,650.32	206,645.34	
	बैंकों के साथ रखी गई राशि तथा मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय	360,787.14	360,965.23	
ii	निवेश	1,524,698.03	1,424,029.72	
	जिसमें : सरकारी प्रतिभूतियां	1,301,373.99	1,270,278.26	
	जिसमें: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,868.94	14.99	
	जिसमें : शेष	54,498.48	17,184.89	
	जिसमें: सीईटी 1 पूंजी लिखतों में पात्र विपरीत प्रतिधारिता	341.96	341.96	ई
	जिसमें डिबेंचर व बॉन्ड	81,695.22	64,161.69	
	जिसमें : एटी1 पूंजी लिखतों में पात्र विपरीत प्रतिधारिता	4,022.80	4,022.80	जे
	जिसमें : स्तर 2 पूंजी लिखतों में पात्र विपरीत प्रतिधारिता	868.78	868.78	एम
	जिसमें : सहायक/ संयुक्त उद्यम/ सहभागी	9,541.79	6,730.07	
	जिसमें : असम्मिलित बीमा सहायकों की इक्विटी पूंजी में निवेश	4,845.00	4,845.00	जी=
	जिसमें : असम्मिलित गैर वित्तीय सहायकों की इक्विटी पूंजी में निवेश	22.40	22.40	एफ1+एफ2+ एफ3+एफ4
	जिसमें : अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज़, म्युचुअल फंड, इत्यादि)	7,519.62	65,659.83	
iii	ऋण व अग्रिम	3,249,923.62	3,249,923.62	
	जिसमें : बैंकों को ऋण व अग्रिम	175.49	175.49	
	जिसमें : ग्राहकों को ऋण व अग्रिम	3,249,748.13	3,249,748.13	
iv	नियत आस्तियां	72,057.61	71,940.14	
	जिसमें : अमूर्त आस्तियों की पात्र राशि	668.96	668.96	डी
v	अन्य आस्तियां	223,132.52	221,713.17	
	जिसमें : साख व अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00	
	आस्थगित कर आस्तियां	702.21	703.03	एन3
	अपरिशोधित पेंशन व उपदान	0.00	0.00	एच
vi	विचारार्थ साख	0.00	0.00	
vii	लाभ व हानि खाता में नामे शेष	0.00	0.00	
	कुल आस्ति	5,637,249.24	5,535,217.22	

iv	Other liabilities & provisions	241,536.57	148,614.31	
	of which: DTLs related to goodwill	0.00	0.00	
	of which: DTLs related to intangible assets	0.00	0.00	
	of which: Standard Assets Provision	14,148.31	14,148.31	l1
	of which: Country Risk Provision	223.00	223.00	l4
	Total	5,637,249.23	5,535,217.21	
B	Assets			
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	206,650.32	206,645.34	
	Balance with banks and money at call and short notice	360,787.14	360,965.23	
ii	Investments	1,524,698.03	1,424,029.72	
	of which: Government securities	1,301,373.99	1,270,278.26	
	of which: Other approved securities	1,868.94	14.99	
	of which: Shares	54,498.48	17,184.89	
	of which: Eligible Reciprocal Cross Holding in CET 1 Capital instruments	341.96	341.96	e
	of which: Debentures & Bonds	81,695.22	64,161.69	
	of which: Eligible Reciprocal Cross Holding in AT1 capital instruments	4,022.80	4,022.80	j
	of which: Eligible Reciprocal Cross Holding in Tier 2 capital instruments	868.78	868.78	m
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	9,541.79	6,730.07	
	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	4,845.00	4,845.00	
	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated Non financial subsidiaries	22.40	22.40	g= f1+f2+f3+f4
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	7,519.62	65,659.83	
iii	Loans and advances	3,249,923.62	3,249,923.62	
	of which: Loans and advances to banks	175.49	175.49	
	of which: Loans and advances to customers	3,249,748.13	3,249,748.13	
iv	Fixed assets	72,057.61	71,940.14	
	of which: Eligible amount of Intangible assets	668.96	668.96	d
v	Other assets	223,132.52	221,713.17	
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00	
	of which: Deferred tax assets	702.21	703.03	n3
	of which: Unamortised Pension and Gratuity	0.00	0.00	h
vi	of which: Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii	of which: Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	Total Assets	5,637,249.24	5,535,217.22	

चरण 3

बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट का सार (जोड़े गये कॉलम के साथ) – सारणी डीएफ-11 (भाग I / भाग II, जो भी लागू हो)			
सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी: लिखत व रिज़र्व			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गयी विनियामक पूंजी का घटक	चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के तहत बैलेंस शीट के सन्दर्भ संख्या / पत्रों पर आधारित स्रोत
1	अर्हकारी सामान्य शेयर (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनी हेतु समतुल्य) पूंजी प्लस संबंधित स्टॉक अधिशेष प्रत्यक्ष रूप से जारी किया गया	62,176.55	ए1+ए2
2	प्रतिधारित उपार्जन	193,614.85	बी1+बी2+बी3+बी4
3	अन्य व्यापक आय संचित किया (और अन्य रिज़र्व)	-	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध करने के विषयक प्रत्यक्ष रूप से पूंजी जारी की (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनी पर लागू)	-	
5	सहायक कंपनियों द्वारा सामान्य शेयर पूंजी जारी किया और तृतीय पक्ष द्वारा रखा गया (समूह सीईटी 1 में राशि को अनुमत किया गया)	200.29	सी 1
6	विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी	281,682.13	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	
8	सुनाम (संबंधित कर दायित्व का निवल)	-	

Step 3

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I/ Part II whichever applicable)			
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference number/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	62,176.55	a1+a2
2	Retained Earnings	193,614.85	b1+b2+b3+b4
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	-	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET 1 (only applicable to non-joint stock companies)	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	200.29	c1
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	281,682.13	
7	Prudential valuation adjustments	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	-	

तालिका डीएफ-13: नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

1. लिखत: इक्विटी शेयर

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएसआईएन – आईएनई 476ए01014
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 तथा केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2000
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
5	परिवर्तन-पश्चात बेसल III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
6	एकल/ सामूहिक /सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	इक्विटी शेयर
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	5,429.91
9	लिखत का सममूल्य	5,429.91 (अंकित मूल्य – 10 रुपये)
10	लेखांकन वर्गीकरण	इक्विटी शेयर पूंजी
11	जारी होने की मूल तिथि	निम्न अनुलग्नक में दी गई विभिन्न तारीख
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	लागू नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	लागू नहीं
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	लागू नहीं
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	संपूर्ण विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय,, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं

DF – 13: MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

1. INSTRUMENT: Equity Shares

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	ISIN - INE476A01014
3	Governing law(s) of the instrument	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Equity Shares
8	Amount recognized in regulatory capital (₹in million, as of most recent - reporting date)	5,429.91
9	Par value of instrument	5,429.91 (Face Value – Rs. 10/- per share)
10	Accounting classification	Equity Share Capital
11	Original date of issuance	Various dates as given in the annexure below
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Not Applicable
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable

28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, लेखन प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	अधिकतर अधिनस्थ दावे परिशोधन में
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

अनुबंध:

क्रमां	वर्ष	विवरण	इक्विटी शेयरों का संचयी संख्या
1	31.03.1999	भारत सरकार द्वारा धारित	300,000,000
2	14.12.2002	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) इक्विटी शेयरों का स्थानन	410,000,000
3	15.03.2011	अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन	443,000,000
4	31.12.2013	भारत सरकार को अधिमानी आबंटन	461,258,837
5	31.03.2015	भारत सरकार को अधिमानी आबंटन	475,196,971
6	12.05.2015	भारतीय जीवन बीमा निगम / एल आई सी की योजनाओं को अधिमानी आबंटन	515,196,971
7	30.09.2015	भारत सरकार को अधिमानी आबंटन	542,991,054

28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Represents the most subordinated claim in liquidation
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Annexure:

Sl No	Year	Particulars	Cumulative number of Equity Shares
1	31.03.1999	Held by Government of India	300,000,000
2	14.12.2002	Initial Public Offer (IPO) Placement of Equity Shares	410,000,000
3	15.03.2011	Qualified Institutional Placement (QIP)	443,000,000
4	31.12.2013	Preferential Allotment to Government of India	461,258,837
5	31.03.2015	Preferential Allotment to Government of India	475,196,971
6	12.05.2015	Preferential Allotment to Life Insurance Corporation of India/Schemes of LIC	515,196,971
7	30.09.2015	Preferential Allotment to Government of India	542,991,054

2. लिखत: नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) – स्तर I (सीरीज I)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09207
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	अतिरिक्त स्तर 1
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	1441.80
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	30/03/2009
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	30/03/2019
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.00
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा अमूर्त रूप में जारी कर रहे / व्यापार कर रहे सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

2. INSTRUMENT: Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) – Tier I (Series I)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09207
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1,441.80
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	30-March-2009
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	30-March-2019
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors Issuance/Trading in Dematerialized form.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

3. लिखत: नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) – स्तर I (सीरीज II)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09215
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
	<i>विनियामक व्यवस्था</i>	
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	अतिरिक्त स्तर 1
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	3600.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	21/08/2009
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	21/08/2019
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
	<i>कूपन / लाभांश</i>	
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9. 10
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा अमूर्त रूप में जारी कर रहे / व्यापार कर रहे सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

3. INSTRUMENT: Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) – Tier I (Series II)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09215
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
<i>Regulatory treatment</i>		
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	3,600.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	21-Aug-2009
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	21-Aug-2019
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
<i>Coupons / dividends</i>		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.10
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors Issuance/ Trading in Dematerialized form.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

4. लिखत: नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) – स्तर I (सीरीज III)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09223
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भार.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	अतिरिक्त स्तर 1
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	4495.80
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	03/08/2010
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	03/08/2010
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.05
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा अमूर्त रूप में जारी कर रहे / व्यापार कर रहे सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

4. INSTRUMENT: Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) – Tier I (Series III)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09223
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	4,495.80
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	03-Aug-2010
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	03-Aug-2020
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.05
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors Issuance/Trading in Dematerialized form.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

5. लिखत: बासेल III शिकायत अतिरिक्त टायर I

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए08035
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	अतिरिक्त टायर 1
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	15000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	05/03/2015
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	05/03/2015
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.55
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	संपूर्ण विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	हां
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर व बेमियादी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा; (बी) जमाकर्ताओं, सामान्य ऋणदाताओं व बैंक के अधीनस्थ कर्ज के अधीन होगा (सी) जारीकर्ता के गारंटी द्वारा न तो सुरक्षित न ही कवर एवं ना ही संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था जो कानूनी रूप से या अधिक रूप से ऋणदाता की वरिष्ठता को संवर्धित करता है।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

5. INSTRUMENT: Basel III Compliant Additional Tier I

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A08035
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	15,000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	05-March-2015
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	05-March-2025
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India.
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.55
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down triggers (s)	As per RBI guidelines on Basel III
32	If write-down, full or partial	As per RBI guidelines on Basel III
33	If write-down, permanent or temporary	As per RBI guidelines on Basel III
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines on Basel III
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares; (b) subordinated to claims of depositors, general creditors and subordinated debt of the bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legal or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

6. लिखत: ऊपरी स्तर II बॉन्ड (सीरीज I)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09157
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण)
	<i>विनियामक व्यवस्था</i>	
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	स्तर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी स्तर 2 पूंजी लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	00.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	16/09/2021
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	16/09/2021
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
	<i>कूपन / लाभांश</i>	
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.00
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन क्रिया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

6. INSTRUMENT: Upper Tier II Bonds (Series I)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09157
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	0.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	16-Sep-2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	16-Sep-2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	16-Sep-2016
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

7. लिखत: ऊपरी स्तर II बॉन्ड (सीरीज II)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09165
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	स्तर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी स्तर 2 पूंजी लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	00.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	23/03/2007
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	23/03/2017
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	10.00
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

7. INSTRUMENT: Upper Tier II Bonds (Series II)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09165
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	0.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	23-March-2007
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	23-March-2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	23-March-2017
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
Coupons / dividends		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	10.00
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

8. लिखत: ऊपरी स्तर II बॉन्ड (सीरीज III)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएसई476ए09231
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	स्तर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी स्तर 2 पूंजी लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	6000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	29/09/2010
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	29/09/2020
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.62
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में स्तर। पूंजी के समावेशन के लिये पात्र लिखत में दावे से उच्च होगा तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

8. INSTRUMENT: Upper Tier II Bonds (Series III)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09231
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	6,000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	29-Sep-2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	29-Sep-2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	29-Sep-2020
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.62
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

9. लिखत: अपर टीयर II बॉन्ड (एफ सी बॉन्ड्स)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक की लंदन शाखा
2	अद्वितीय पहचानकर्ता (उदाहरणस्वरूप. प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएसआईएन एक्सएस0276148847
3	लिखत के लिये लागू नियम	अंग्रेजी कानून
	<i>विनियामक व्यवस्था</i>	
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	अपर टीयर
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	00.00
9	लिखत का सममूल्य	यूएसडी
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी होने की मूल तिथि	27/11/2006
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	28/11/2021
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	28/11/2016
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
	<i>कूपन / लाभांश</i>	
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थाई
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	6.3650 (यूएस- ट्रेजरी)
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	अनिवार्य
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इक्विटी से उपर या उच्च
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

9. INSTRUMENT: Upper Tier II Bonds (FC Bonds)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	Canara Bank through its London branch
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	ISIN XS0276148847
3	Governing law(s) of the instrument	English Law
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Upper Tier II
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	0.00
9	Par value of instrument	USD 100
10	Accounting classification	Borrowing
11	Original date of issuance	27/11/2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28/11/2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	28/11/2016
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	6.3650 (US-Treasury)
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Senior to Equity
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

10. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉन्ड्स (सीरीज IX ए)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अद्वितीय पहचानकर्ता (उदाहरणस्वरूप. प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09140
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	0.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	15/09/2006
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	15/09/2016
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.85
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचय
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हाँ, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

10. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series IX A)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09140
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	0.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	15-Sep-2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	15-Sep-2016
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
Coupons / dividends		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.85
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital & subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

11. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉण्ड्स (सीरीज X)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अद्वितीय पहचानकर्ता (उदाहरण स्वरूप. प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09173
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	00.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	30/03/2007
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	30/03/2017
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.90
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचई
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हाँ, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

11. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series X)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09173
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	0.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	30-March-2007
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	30-March-2017
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
Coupons / dividends		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.90
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital & subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

12. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉण्ड्स (सीरीज XI)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अद्वितीय पहचानकर्ता (उदाहरण स्वरूप, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09181
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	1400.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	09/01/2008
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	09/01/2018
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.00
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्ड
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

12. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series XI)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09181
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1,400.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	09-Jan-2008
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	09-Jan-2018
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
Coupons / dividends		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital & subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

13. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉन्ड्स (सीरीज XII)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अद्वितीय पहचानकर्ता (उदाहरण स्वरूप. प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09199
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	1300.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	16/01/2009
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	16/01/2019
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थाई
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.08
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्ड
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

13. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series XII)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09199
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1,300.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	16-Jan-2009
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	16-Jan-2019
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
Coupons / dividends		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.08
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

14. लिखत: बेसल III के अनुरूप टीयर II बॉन्ड्स (सीरीज I)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09249
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	टीयर 2
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	15,000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	03/01/2014
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	03/01/2024
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थाई
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.73
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
34	यदि अस्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

14. BASEL III Compliant Tier II Bonds (Series I)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09249
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	15000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	03-Jan-2014
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	03-Jan-2024
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.73
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down triggers (s)	As per RBI guidelines on Basel III
32	If write-down, full or partial	As per RBI guidelines on Basel III
33	If write-down, permanent or temporary	As per RBI guidelines on Basel III
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines on Basel III
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all depositors and general creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

15. लिखत: बेसल III के अनुरूप टीयर II बॉन्ड्स (सीरीज I)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09256
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	टीयर 2
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	1,000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	27/03/2014
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	27/03/2024
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.70
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

15. INSTRUMENT: BASEL III Compliant Tier II Bonds (Series II)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09256
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	10000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	27/03/2014
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	27/03/2024
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.70
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all depositors and general creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

16. लिखत: बेसल III के अनुरूप टीयर II बॉन्ड्स (सीरीज II)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09264
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	टीयर 2
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	15,000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	31.12.2025
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	31.12.2025
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थाई
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.40
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
34	यदि अस्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

16. INSTRUMENT: BASEL III Compliant Tier II Bonds (Series I)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09264
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	15,000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	31-Dec-2015
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	31-Dec-2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.40
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down triggers (s)	As per RBI guidelines on Basel III
32	If write-down, full or partial	As per RBI guidelines on Basel III
33	If write-down, permanent or temporary	As per RBI guidelines on Basel III
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines on Basel III
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all depositors and general creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

17. लिखत: बेसल III के अनुरूप टीयर II बॉन्ड्स (सीरीज I)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए08043
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
	<i>विनियामक व्यवस्था</i>	
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	टीयर 2
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	9000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	07.01.2016
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	07.01.2026
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
	<i>कूपन / लाभांश</i>	
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थाई
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.40
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय

17. INSTRUMENT: BASEL III Compliant Tier II Bonds (Series I)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A08043
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	9,000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	7-Jan-2016
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	7-Jan-2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.40
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible

24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

सारणी डी एफ – 14: विनियामक पूंजी लिखतों की संपूर्ण नियम व शर्तें

विनियामक पूंजी लिखतों के संपूर्ण नियम व शर्तों के सम्बन्ध में प्रकटीकरण 'नियामक प्रकटीकरण धारा' के तहत बैंक के वेबसाइट पर अलग से दी गई है। इस धारा के लिए लिंक है : <http://www.canarabank.com/English/Scripts/BaselIIIDisclosures.aspx>

सारणी डी एफ – 15: पारिश्रमिक हेतु प्रकटन आवश्यकताएं

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीसी. 72/29.67.001/2001-12 दिनांक 13.01.2012 अनुसार सारणी डीएफ 15 हम पर लागू नहीं है।

24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down triggers (s)	As per RBI guidelines on Basel III
32	If write-down, full or partial	As per RBI guidelines on Basel III
33	If write-down, permanent or temporary	As per RBI guidelines on Basel III
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines on Basel III
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all depositors and general creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

TABLE DF – 14: FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosures pertaining to full terms and conditions of regulatory Capital Instruments have been disclosed separately on the Bank's Website under 'Regulatory Disclosure Section'. The link to this section is <http://www.canarabank.com/English/Scripts/BaselIIDisclosures.aspx>

TABLE DF-15: DISCLOSURE REQUIREMENTS FOR REMUNERATION

Being a Public Sector bank Table DF -15 is not applicable to us as per Circular No DBOD.NO.BC.72/29.67.001/2001-12 dated January 13, 2012 of the Reserve Bank of India.

सारणी डी एफ – 16: इक्विटी – बैंकिंग बही स्थिति हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन											
1	जिन पर पूंजी लाभ की संभावना है एवं जिन्हें संबंध व रणनीति कारणों हेतु सहित अन्य उद्देश्यों के तहत लिये गये हैं, उन होल्डिंग का अंतर	सभी इक्विटी एचटीएम निवेश अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, एसोसियेट्स व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किये गये हैं। ये प्रवृत्ति में सामरिक हैं।									
2	बैंकिंग बही में इक्विटी होल्डिंग के मूल्यांकन व लेखांकन को कवर करती हुई महत्वपूर्ण नीतियों पर परिचर्चा। इसमें प्रमुख अनुमान व इन अभ्यासों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ-साथ मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले अभ्यास सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीक व मूल्यांकन पद्धति समाहित हैं।	प्रमुख अनुमान व इन अभ्यासों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ-साथ मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले अभ्यास सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीक व मूल्यांकन पद्धति "महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ" लेखा पर नोट पर निर्धारण अनुसार है।									
मात्रात्मक प्रकटन		(राशि ₹ मिलियन में)									
1	निवेश के बैलेंस शीट में प्रकट मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों का उचित मूल्य; उद्धृत प्रतिभूति हेतु, जहाँ शेयर मूल्य उचित मूल्य से भिन्न है, जन उद्धृत शेयर की तुलना	निवेश का बही मूल्य: ₹ 8692.90 मिलियन <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>बही मूल्य</th> <th>उचित मूल्य</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>उद्धृत प्रतिभूति</td> <td>1610.40</td> <td>13352.30</td> </tr> <tr> <td>गैर-उद्धृत प्रतिभूति</td> <td>7082.50</td> <td>13096.70</td> </tr> </tbody> </table>		बही मूल्य	उचित मूल्य	उद्धृत प्रतिभूति	1610.40	13352.30	गैर-उद्धृत प्रतिभूति	7082.50	13096.70
	बही मूल्य	उचित मूल्य									
उद्धृत प्रतिभूति	1610.40	13352.30									
गैर-उद्धृत प्रतिभूति	7082.50	13096.70									
2	निम्न के रूप में वर्गीकृत हो सकने वाले राशि सहित निवेश के प्रकार व प्रवृत्ति सार्वजनिक कारोबारी निजी रूप से अनुरक्षित	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>बही मूल्य</th> <th>उचित मूल्य</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>उद्धृत प्रतिभूति</td> <td>1610.40</td> <td>13352.30</td> </tr> <tr> <td>गैर-उद्धृत प्रतिभूति</td> <td>7082.50</td> <td>13096.70</td> </tr> </tbody> </table>		बही मूल्य	उचित मूल्य	उद्धृत प्रतिभूति	1610.40	13352.30	गैर-उद्धृत प्रतिभूति	7082.50	13096.70
	बही मूल्य	उचित मूल्य									
उद्धृत प्रतिभूति	1610.40	13352.30									
गैर-उद्धृत प्रतिभूति	7082.50	13096.70									
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री व चलनिधि से उत्पन्न संचयी प्राप्य अभिलाभ (हानि)	0.00									
4	कुल अप्राप्य अभिलाभ (हानि)	0.00									
5	कुल अप्रकट पुनर्मूल्यांकन अभिलाभ (हानि)	17756.10									
6	टीयर 1 और/या टीयर 2 पूंजी में समाहित उपरोक्त में से कोई भी राशि	0.00									
7	बैंक की पद्धति के साथ-साथ समग्र राशि व इक्विटी निवेश के प्रकार के साथ संगत, उचित इक्विटी समूहन द्वारा तोड़ी गई पूंजी आवश्यकता, एवं विनियामक पूंजी आवश्यकता के संबंध में किसी भी पर्यवेक्षी संक्रमण या प्रमुख प्रावधानों के अधीन										

सारणी डी एफ – 17: लेखांकन आस्तियों की लीवरेज अनुपात माप के साथ संक्षिप्त तुलना

क्र.सं.	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणी अनुसार कुल समेकित आस्तियाँ	54,62,581.88
2	उन बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक इकाई में निवेश हेतु समाशोधन जो कि लेखांकन उद्देश्य हेतु समेकित हैं परंतु विनियामक समेकन के दायरे के बाहर।	0.00
3	परिचालन लेखांकन रूपरेखा के अनुसार बैलेंस शीट पर प्राप्य प्रत्ययी आस्तियों हेतु समाशोधन परंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र माप से अपवर्जित	- 8,407.64
4	व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों हेतु समाशोधन	45,547.10
5	संव्यवहारों को वित्तपोषित कर रहे प्रतिभूतियों हेतु समाशोधन (यथा, रेपो व समान सुरक्षित उधारी)	72,635.34
6	ऑफ-बैलेंस शीट मदों हेतु समाशोधन (यथा, ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र का साख समतुल्य राशि में परिवर्तन)	5,00,830.00
7	अन्य समाशोधन	0.00
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र	6,073,186.68

TABLE DF-16: EQUITIES- DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Qualitative Disclosures:											
1	Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons;	All equity HTM investments are in Subsidiaries, Joint Ventures, Associates & Regional Rural Banks. These are strategic in nature.									
2	Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices	The accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices is as per schedule on Notes on Accounts "Significant Accounting Policies".									
Quantitative Disclosures		(Amount in ₹ Mn.)									
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	<p>Book Value of Investments: ₹ 8692.90 Mn</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Book Value</th> <th>Fair Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quoted Security</td> <td>1610.40</td> <td>13352.30</td> </tr> <tr> <td>Unquoted Security</td> <td>7082.50</td> <td>13096.70</td> </tr> </tbody> </table>		Book Value	Fair Value	Quoted Security	1610.40	13352.30	Unquoted Security	7082.50	13096.70
	Book Value	Fair Value									
Quoted Security	1610.40	13352.30									
Unquoted Security	7082.50	13096.70									
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: Publicly traded and Privately held	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Book Value</th> <th>Fair Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Publicly Traded</td> <td>1610.40</td> <td>13352.30</td> </tr> <tr> <td>Privately Traded</td> <td>7082.50</td> <td>13096.70</td> </tr> </tbody> </table>		Book Value	Fair Value	Publicly Traded	1610.40	13352.30	Privately Traded	7082.50	13096.70
	Book Value	Fair Value									
Publicly Traded	1610.40	13352.30									
Privately Traded	7082.50	13096.70									
3	The cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	0.00									
4	Total unrealized gains (losses)	0.00									
5	Total latent revaluation gains (losses)	17756.10									
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital	0.00									
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements										

DF-17- SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE

Sl No.	Item	(₹ in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	54,62,581.88
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	0.00
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	- 8,407.64
4	Adjustments for derivative financial instruments	45,547.10
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	72,635.34
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	5,00,830.00
7	Other adjustments	0.00
8	Leverage ratio exposure	6,073,186.68

सारणी डी एफ – 18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट

क्र.सं.	मद	लीवरेज अनुपात (₹ मिलियन में)
ऑन बैलेंश शीट एक्सपोज़र		
1	ऑन बैलेंश शीट मद (व्युत्पन्नी व एसएफटी के अलावा परंतु संपार्श्विक सहित)	5,462,581.88
2	(बेसल III टीयर 1 पूंजी की संगणना में कटौती किये गये आस्ति राशि)	- 8 407.64
3	कुल ऑन बैलेंश शीट एक्सपोज़र (व्युत्पन्नी व एसएफटी के अलावा) (लाइन 1 व 2 का जोड़)	5,454,174.24
व्युत्पन्नी एक्सपोज़र		
4	सभी व्युत्पन्नी संव्यवहारों के साथ संबद्ध प्रतिस्थापना लागत (यथा, पात्र नकद परिवर्तन मार्जिन का निवल)	30,357.80
5	सभी व्युत्पन्नी संव्यवहारों के साथ संबद्ध पीएफई हेतु ऐड-ऑन राशि	15,189.30
6	परिचालन लेखांकन रूपरेखा के अनुसार बैलेंश शीट आस्तियों से जहाँ कटौती की गई है, उपलब्ध व्युत्पन्नी संपार्श्विक हेतु सकल	0.00
7	(व्युत्पन्नी संव्यवहार में उपलब्ध नकद परिवर्तन मार्जिन हेतु प्राप्त आस्तियों की कटौती	0.00
8	(ग्राहक-समाशोधित ट्रेड एक्सपोज़र के सीसीपी लेग में छूट)	0.00
9	लिखित साख व्युत्पन्नी के प्रकल्पित राशि का समाशोधन	0.00
10	(लिखित साख व्युत्पन्नी हेतु ऐड-ऑन कटौती व प्रकल्पित ऑफसेट का समाशोधन	0.00
11	कुल व्युत्पन्नी एक्सपोज़र (लाइन 4 से 10 तक जोड़)	45,547.10
संव्यवहार एक्सपोज़र को वित्तपोषित कर रही प्रतिभूतियाँ		
12	सकल एसएफटी आस्तियाँ (अज्ञात), बिक्री लेखांकन संव्यवहार हेतु समाशोधन के पश्चात	72,635.34
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के देय नकद व प्राप्य नकद की ज्ञात राशि)	0.00
14	एसएफटी आस्तियों हेतु सीसीआर एक्सपोज़र	0.00
15	एजेंट संव्यवहार एक्सपोज़र	0.00
16	संव्यवहार एक्सपोज़र को वित्तपोषित कर रही कुल प्रतिभूति (12 से 15 का जोड़)	72,635.34
अन्य ऑफ बैलेंश शीट एक्सपोज़र		
17	सकल प्रकल्पित राशि पर ऑफ बैलेंश शीट एक्सपोज़र	1,377,540.00
18	(क्रेडिट समतुल्य राशि में परिवर्तन हेतु समाशोधन)	876,710.00
19	ऑफ-बैलेंश शीट मद (पंक्ति 17 व 18 का जोड़)	500,830.00
एक्सपोज़र		
20	टीयर 1 पूंजी	297,849.65
21	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 व 19 का जोड़)	6,073,186.68
लीवरेज अनुपात		
	बेसल III लीवरेज अनुपात	4.90%

सामान्य सूचना के रूप में नोट करें

पिछले वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक है, पुनःसमूहन / पुनःव्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

DF - 18 - Leverage Ratio Common disclosure template

Sl No.	Item	Leverage ratio (₹ in Mn)
On-balance sheet exposures		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	5,462,581.88
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	- 8 407.64
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	5,454,174.24
Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	30,357.80
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	15,189.30
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0.00
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0.00
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	45,547.10
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	72,635.34
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0.00
14	CCR exposure for SFT assets	0.00
15	Agent transaction exposures	0.00
16	Total securities financing transaction exposures (sum of 12 to 15)	72,635.34
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	1,377,540.00
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	876,710.00
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	500,830.00
Capital and total exposures		
20	Tier 1 capital	297,849.65
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	6,073,186.68
Leverage ratio		
	Basel III leverage ratio	4.90%

Note as general information:

Figures of the previous year have been regrouped/rearranged/reclassified wherever necessary.

यथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरणी
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2016	31.03.2015
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर के बाद निवल लाभ / NET PROFIT AFTER TAX	-2812.82	2702.63
के लिए समायोजन / ADJUSTMENTS FOR:		
कर के लिए प्रावधान / PROVISION FOR TAX	-372.95	795
मूल्यहास / DEPRECIATION	169.96	427.06
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS	0	103.48
अनर्जक आस्तियों के लिए तथा उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान PROVISION FOR DIMINUTION IN FAIR VALUE AND NPAs	10139.45	3729.46
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR STANDARD ASSETS	-459.20	153.73
टीयर I व टीयर II बांडों पर ब्याज / INTEREST ON TIER I AND TIER II BONDS	1053.08	937.15
आकस्मिकताएं व अन्यो के लिए प्रावधान / PROVISION FOR CONTINGENCIES AND OTHERS	384.42	227.4
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि / PROFIT / LOSS ON SALE OF FIXED ASSETS	0.58	-1.36
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों आदि में निवेश से आय INCOME FROM INVESTMENT IN SUBSIDIARIES, JVS, ETC.	-63.14	-81.16
निवेश मूल्यहास / (मूल्यवृद्धि) के लिए प्रावधान PROVISION FOR INVESTMENT DEPRECIATION/ (APPRECIATION)	267.75	-657.85
उप कुल / SUB TOTAL	11119.95	5632.91
के लिए समायोजन / ADJUSTMENTS FOR:		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी / (INCREASE) / DECREASE IN INVESTMENTS	-515.63	-17833.48
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी / (INCREASE) / DECREASE IN ADVANCES	-4768.1	-32722.55
उधारों में वृद्धि / (कमी) / INCREASE / (DECREASE) IN BORROWINGS	-367.09	-2360.21
जमाओं में वृद्धि / (कमी) / INCREASE / (DECREASE) IN DEPOSITS	5951.46	53117.28
अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी) / (INCREASE) / DECREASE IN OTHER ASSETS	-191.80	-2872.48
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / INCREASE / (DECREASE) IN OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	-837.52	482.99
	-728.68	-2188.45
घटायें: प्रदत्त अग्रिम कर / LESS: ADVANCE TAX PAID	1500.00	1600.00
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकद (क) / CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	6078.45	4547.09
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
अनुषंगियों और / या संयुक्त उद्यमों में निवेश से आय / INCOME FROM INVESTMENT IN SUBSIDIARIES AND/OR JVS	63.14	81.16
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों आदि में निवेश / INVESTMENT IN JVS, SUBSIDIARIES, ETC	0	-130.07
अचल आस्तियों की बिक्री / खरीद से निधियों का निवल आगमन / बहिर्गमन / NET INFLOW/ OUTFLOW FROM SALE/ PURCHASE OF FIXED ASSETS	-380.38	-825.99
निवेश गतिविधियों से सृजित नकद (ख) / CASH GENERATED FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	-317.24	-874.90
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
नए सिरे से पूंजी का निर्गम / FRESH ISSUE OF CAPITAL	67.79	13.94
शेयरों के निर्गम से प्राप्त प्रीमियम / PREMIUM RECEIVED ON ISSUE OF SHARE	2399.53	556.06
प्रदत्त लाभांश व डी डी टी / DIVIDEND AND DDT PAID	-651.72	-293.80
टीयर I व टीयर II बांडों पर ब्याज का भुगतान / PAYMENT OF INTEREST ON TIER I AND TIER II BONDS	-1053.08	-937.15

अधीनस्थ ऋण सहित नए बांडों के निर्गम FRESH ISSUE OF BONDS INCLUDING SUB-ORDINATED DEBTS	1568.84	801.14
वित्तीय गतिविधियों से सृजित नकद (ग) / CASH GENERATED FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	2331.36	140.19
नकद व नकद समतुल्य (ए+बी+सी) में निवल संवृद्धि / (कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)	8092.57	3812.38
अथ नकद व नकद समतुल्य / OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS	48641.09	44828.71
इति नकद व नकद समतुल्य / CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS	56733.66	48641.09

नोट / Notes:

नकद व नकद समतुल्य में मौजूदा नकद, भारतीय रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों में शेष और माँग और अल्प नोटिस पर धन / Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice

नकद व नकद समतुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	31.03.2016	31.03.2015
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद व शेष / CASH & BALANCE WITH RBI	20664.05	21971.95
अल्प सूचना व माँग पर व बैंकों के साथ शेष BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	36069.61	26669.14
कुल / TOTAL	56733.66	48641.09

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक

हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

जी वी मणिमरान
निदेशक

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक

सुनील हुक्मचंद कोचेटा
निदेशक

वी रामाचन्द्रा
उप महा प्रबंधक

राकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मोचेरला साईराम भास्कर
निदेशक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

रजिन्दर कुमार गोयल
निदेशक

दीनबन्धु महापात्रा
कार्यपालक निदेशक

उमा शंकर
निदेशक

संजय जैन
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
एस सी वासुदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
विनय कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
जे सिंह एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

संजय वासुदेव
साझेदार

विनय कुमार अग्रवाल
साझेदार

पी करुणाकर नायडू
साझेदार

निरंजन वी के
साझेदार

पी पार्थसारथी
साझेदार

जे सिंह
साझेदार

बेंगलूरु
27 मई, 2016

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER

HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

P S RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR

SUNIL HUKUMCHAND KOCHETA
DIRECTOR

V RAMACHANDRA
DEPUTY GENERAL MANAGER

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF
EXECUTIVE OFFICER

MOCHERLA SAIRAM BHASKAR
DIRECTOR

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

T N MANOHARAN
CHAIRMAN

RAJINDER KUMAR GOEL
DIRECTOR

DINABANDHU MOHAPATRA
EXECUTIVE DIRECTOR

UMA SHANKAR
DIRECTOR

SANJAY JAIN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
S C VASUDEVA & Co.
Chartered Accountants

For
VINAY KUMAR & Co.
Chartered Accountants

For
RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants

For
V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants

For
J L SENGUPTA & Co.
Chartered Accountants

For
J SINGH & ASSOCIATES
Chartered Accountants

SANJAY VASUDEVA
Partner

VINAY KUMAR AGRAWAL
Partner

P KARUNAKARA NAIDU
Partner

NIRANJAN V K
Partner

P PARTHASARATHY
Partner

J SINGH
Partner

Bengaluru
MAY 27, 2016



केनरा बैंक का समेकित
तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरण

2015-2016



**CONSOLIDATED
BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK
2015-2016**

समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
केनरा बैंक

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने केनरा बैंक (आगे "बैंक" कहा जाएगा), उसकी अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों (आगे "समूह" कहा जाएगा) के यथा 31 मार्च, 2016 के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उसके साथ जोड़े गए उस तारीख को समाप्त वर्ष की समेकित लाभ व हानि लेखा और समेकित नकद प्रवाह विवरण का और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों (आगे "समेकित वित्तीय विवरणियाँ" कहा जाएगा) व अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखापरीक्षा किया है, जिसमें शामिल है :

- हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई केनरा बैंक की लेखा परीक्षित लेखा
- अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई सात (7) अनुषंगियों तथा एक (1) संयुक्त उद्यम की लेखा परीक्षित लेखा
- बिना जांच खातो वाले दो (2) एसोसीएट्स और एक (1) सन्युक्त रूप से नियंत्रित इकाई

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तंत्र का उत्तरदायित्व

- ये समेकित वित्तीय विवरण समूह के प्रबंधन का दायित्व है और उन्हें अलग वित्तीय विवरणों और घटकों से संबंधित अन्य वित्त सूचना के आधार पर प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया है। इस उत्तरदायित्व में धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, वस्तुपरक अपकथन से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए संबद्ध आंतरिक नियंत्रण, रूप-सज्जा और कार्यान्वयन भी समाहित होते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक (एएस) 21- "समेकित वित्तीय विवरणियाँ", लेखांकन मानक (एएस) 23- "समेकित वित्तीय विवरणियों में सहबद्ध संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन" तथा लेखांकन मानक (एएस) 27 - "संयुक्त

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To
The Board of Directors
Canara Bank

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Canara Bank (hereinafter referred to as "the Bank"), in which are incorporated the financial statements of its subsidiaries, associates, and jointly controlled entity (together referred to as "the Group"). The consolidated financial statements comprise of the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2016, the Consolidated Profit & Loss Account, the Consolidated Cash Flow Statement for the Year ended on that date annexed thereto, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements"). In the Consolidated Financial Statements referred to herein above are incorporated:

- Audited financial statements of Canara Bank audited by us.
- Audited financial statements of Seven (7) Subsidiaries, and One (1) Associate audited by other auditors.
- Unaudited accounts of Two (2) associates and One (1) Jointly Controlled Entity.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

- The Consolidated Financial Statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the Management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding Subsidiaries, Associates and Joint Ventures. Our responsibility is to express our opinion on these Consolidated Financial Statements based on our audit.
- The consolidated financial statements have been prepared by the management of the Bank in accordance with the requirement of the accounting Standard (AS) 21- "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard (AS) 23 - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard (AS) 27 - "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered

उद्यमों में हित का वित्तीय रिपोर्टिंग”, और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत लागू लेखांकन मानकों तथा लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की।

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए, योजनाबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा आयोजित करें ताकि वित्त विवरणों के परिप्रेक्ष्य में संगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि वे वस्तुपरक अपकथन मुक्त हैं।

- लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ अपनाता होता है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के न्याय-निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें धोखा-धड़ी के कारण हो या त्रुटि के वित्तीय विवरणों में वस्तुपरक अपकथन का जायजा लेने का जोखिम भी रहता है। इन जोखिमों का जायजा लेने में परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की समुचितता प्रबंधन तंत्र द्वारा किये गये लेखा अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ वित्त विवरणों के समूचे प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है।

लेखा परीक्षा पर हमारा विचार व्यक्त करने के लिए हमने तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा जो साक्ष्य एकत्रित किया है वह समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारे विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त और समुचित है – यह हमारा विश्वास है।

अन्य मामले

- हमने सात (7) अनुषंगियों (जिनके वित्तीय विवरणियाँ यथा 31 मार्च, 2016 को ₹11339.95 करोड़ की कुल आस्तियों, ₹691.65 करोड़ की कुल राजस्व तथा ' 100.53 करोड़ की निवल नकद

Accountants of India and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditors' Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these Consolidated Financial Statements based on our audit of the accounts of the Bank. While conducting the audit we have taken into account the applicable accounting standards and the standards of auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend upon the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal financial control relevant to the Bank's preparation and presentation of the consolidated financial statements that gives a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness on the Bank's internal financial controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Bank's management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

Other Matters

- We did not audit the financial statements of Seven (7) subsidiaries (whose financial statements reflect total assets of ₹11339.05 Crore as at 31st March

प्रवाह को प्रतिबिंबित करते हैं), तीन (3) सहबद्ध संस्थाओं (जिनके वित्तीय विवरणियाँ यथा 31 मार्च, 2016 को ₹42584.75 करोड़ की कुल आस्तियों, ₹4047.08 करोड़ की कुल राजस्व तथा ₹660.27 करोड़ की निवल नकद प्रवाह को प्रतिबिंबित करते हैं) तथा एक (1) संयुक्त उद्यम (जिनके वित्तीय विवरणियाँ यथा 31 मार्च, 2016 को ₹631.20 करोड़ की कुल आस्तियों, ₹41.74 करोड़ की कुल राजस्व तथा ₹60.88 करोड़ की निवल नकद प्रवाह को प्रतिबिंबित करते हैं)। इन वित्तीय विवरणों और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई सात अनुषंगियों व एक सहबद्ध संस्था के अन्य वित्त सूचनाओं की रिपोर्ट और दो सहबद्ध संस्थाओं व एक संयुक्त उद्यम के अलेखापरीक्षित लेखा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और अन्य निकायों के मामले में शामिल की गई राशियों से जहाँ तक संबंध है, हमारा विचार है कि वे अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों पर नितांत निर्भर है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के संबंध में हमारे विचार तथा अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं पर निम्नलिखित हमारी रिपोर्ट को, उक्त मामलों के संबंध अन्य लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट व उनके द्वारा किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता में, संशोधित नहीं किया गया है।

ध्यान देने योग्य बातें

7. हम अनुसूची 19: समेकित वित्तीय विवरणियों के लेखा संबंधी टिप्पणियों की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं :-
 - i) मूल्यहास प्रभारित करने की प्रक्रिया में परिवर्तन, कुछेक अचल आस्तियों के उपयोगिता अवधि में परिवर्तन तथा वित्तीय विवरणियों पर परिणामी प्रभाव से संबंधित लेखांकन नीतियों में परिवर्तन से संबंधित वित्तीय विवरण की नोट सं. 5.2.

उक्त मामलों के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

हमारा विचार

8. हमें दिए गए जानकारियों और स्पष्टीकरण के आधार पर हमारा विचार है कि :
 - i) लेखा नीतियों और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र संपूर्ण और संगत तुलन पत्र है जिसमें सारे आवश्यक विवरण सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार

2016, total revenues of ₹ 691.65 Crore and net cash flows of ₹ (100.53) Crore for the year then ended), Three (3) Associates (whose financial statements reflect total assets of ₹42584.75 Crore as at 31st March 2016, total revenues of ₹4047.08 Crore and net cash flows of ₹(660.27) Crore for the year then ended) and One (1) Jointly Controlled Entity (whose financial statements reflect total assets of ₹631.20 Crore as at 31st March 2016, total revenues of ₹41.74 Crore and net cash flows of ₹60.88 Crore for the year then ended). These financial statements and other financial information of seven Subsidiaries and one Associate have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Bank's management and unaudited accounts of two Associates and one Jointly controlled entity have been furnished to us. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries, associates and jointly controlled entity, is based solely on the report of the other auditors and unaudited financial statements respectively.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

Emphasis of Matter

7. We draw attention to Schedule 19: Notes on Accounts of the Consolidated Financial Statements, regarding:
 - i) Note No.5.2 to the financial statement regarding the change in the accounting policy with respect to the change in the method of charging depreciation, change in the useful life of certain fixed assets and the consequential effect on financial statements ;

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Opinion

8. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i) the Consolidated Balance Sheet, read with the accounting policies and notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Group as at 31st March 2016 in conformity

यथा 31 मार्च 2014 को बैंक के व्यवहारों का सही और उचित चित्र दर्शाया जा सका;

- ii) लेखा नीतियाँ और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि लेखा, उसके द्वारा प्रावरित वर्ष के लिए भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार समूह के लाभ का सही संतुलन दर्शाता है।
- iii) नकद प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही और उचित चित्र दर्शाता है।

अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. i) तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा क्रमशः बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रपत्र 'क' व 'ख' में तैयार किये गये हैं।
- ii) समूह के समेकित तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण प्रचलित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं - यह हमारा विचार है।

with accounting principles generally accepted in India;

- ii) the Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Profit of the Group, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- iii) the Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. i) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- ii) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement of the Group comply with the applicable Accounting Standards.

कृते एस सी वासुदेवा एण्ड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या: 000235एन	कृते विनय कुमार एण्ड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या: 000719सी	राम राज एण्ड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या: 0028395	For S C Vasudeva & Co. Chartered Accountants FRN: 000235N	For Vinay Kumar & Co. Chartered Accountants FRN: 000719C	For Ram Raj & Co. Chartered Accountants FRN: 002839S
संजय वासुदेव साझेदार सदस्यता संख्या. 090989	विनय कुमार अग्रवाल साझेदार सदस्यता संख्या. 013795	पी करुणाकर नायडू साझेदार सदस्यता संख्या. 210603	Sanjay Vasudeva Partner Membership No. 090989	Vinay Kumar Agrawal Partner Membership No. 013795	P Karunakara Naidu Partner Membership No. 210603
कृते वी के निरंजन एण्ड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या: 002468एस	कृते जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या: 307092इ	कृते जे सिंग एण्ड एसोसीएट्स सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या: 110266डब्ल्यू	For V K Niranjana & Co. Chartered Accountants FRN: 002468S	For J L Sengupta & Co. Chartered Accountants FRN: 307092E	For J Singh & Associates Chartered Accountants FRN: 110266W
निरंजन वी के साझेदार सदस्यता संख्या. 021432	पी पार्थसाथी साझेदार सदस्यता संख्या. 019410	जे सिंग साझेदार सदस्यता संख्या. 042023	Niranjana V K Partner Membership No. 021432	P Parthasarathy Partner Membership No. 019410	J Singh Partner Membership No. 042023

स्थान : बंगलूरु
दिनांक : 27 मई, 2016

Place: Bangalore
Date: 27th May, 2016

यथा 31 मार्च, 2016 को समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	542 99 10	475 19 70
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	31866 68 32	32016 51 10
अल्पसंख्यक हित / MINORITY INTEREST	2ए / 2A	449 23 13	378 65 11
जमा / DEPOSITS	3	479748 93 75	473724 98 98
उधार / BORROWINGS	4	26963 42 32	25762 82 06
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	24153 65 70	26199 37 74
जोड़ / TOTAL		563724 92 32	558557 54 69
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	20665 03 17	21976 76 34
बैंकों में शेष और माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	36078 71 36	26670 79 73
निवेश / INVESTMENTS	8	152469 80 33	152121 70 41
अग्रिम / ADVANCES	9	324992 36 19	330293 86 96
स्थिर आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	7205 76 12	6969 98 89
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	22313 25 15	20524 42 36
जोड़ / TOTAL		563724 92 32	558557 54 69
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	288149 12 66	275666 83 26
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		26563 00 23	21903 47 31
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	19		

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

वी रामाचन्द्रा
उप महा प्रबंधक

एन सेल्वरजन
महा प्रबंधक

दीनबन्धु महापात्रा
कार्यपालक निदेशक

हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक

राकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

उमा शंकर
निदेशक

जी वी मणिमारन
निदेशक

सुनील हुक्मचंद कोचेटा
निदेशक

मोचरला साईराम भास्कर
निदेशक

रजिन्दर कुमार गोयल
निदेशक

संजय जैन
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
एस सी वासुदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
विनय कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
जे सिंह एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

संजय वासुदेव
साझेदार

विनय कुमार अग्रवाल
साझेदार

पी करुणाकर नायडू
साझेदार

निरंजन वी के
साझेदार

पी पार्थसारथी
साझेदार

जे सिंह
साझेदार

बेंगलूरू
27 मई, 2016

यथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2015 (₹ '000)
I. आय / I. INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	44039 48 67	43813 37 23
अन्य आय / OTHER INCOME	14	5131 25 80	4733 44 70
जोड़ / TOTAL		49170 74 47	48546 81 93
II. व्यय / II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	34262 99 15	34133 12 36
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	7591 93 76	7266 02 70
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / PROVISIONS AND CONTINGENCIES		9986 11 28	4289 64 91
जोड़ / TOTAL		51841 04 19	45688 79 97
सहयोगी संस्थाओं में अर्जन की हिस्सेदारी / SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES	17	135 17 71	73 03 38
अल्पसंख्यक हित हटाने से पहले वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ / CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR BEFORE DEDUCTING MINORITIES' INTEREST		-2535 12 01	2931 05 34
घटाएं: अल्पसंख्यक हित (निवल हानि) LESS: MINORITY INTEREST (NET LOSS)		71 88 78	66 38 56
समूह के फलस्वरूप वर्ष के लिए समेकित लाभ / CONSOLIDATED PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO THE GROUP		-2607 00 79	2864 66 78
III. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
निम्नांकित को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVE		45 00	682 97 00
पूंजी आरक्षित निधियाँ / CAPITAL RESERVE		-	122 40 00
निवेश आरक्षित निधि / INVESTMENT RESERVE		-	360 80 00
विशेष आरक्षित निधियाँ / SPECIAL RESERVE		-	500 00 00
अंतरिम लाभांश / INTERIM DIVIDEND		-	-
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		-	540 96 68
लाभांश कर / DIVIDEND TAX		-	110 76 12
राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियों में अग्रोषित शेष / BALANCE CARRIED OVER TO REVENUE AND OTHER RESERVES		-2607 45 79	546 76 98
जोड़ / TOTAL		-2607 00 79	2864 66 78
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	19		
प्रति शेयर अर्जन (मूल व तनुकृत) / EARNINGS PER SHARE (SHARE BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		-49.69	62.10

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

V RAMACHANDRA
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

DINABANDHU MOHAPATRA
EXECUTIVE DIRECTOR

HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

P S RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF
EXECUTIVE OFFICER

T N MANOHARAN
CHAIRMAN

UMA SHANKAR
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

SUNIL HUKUMCHAND KOCHETA
DIRECTOR

MOCHERLA SAIRAM BHASKAR
DIRECTOR

RAJINDER KUMAR GOEL
DIRECTOR

SANJAY JAIN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
S C VASUDEVA & Co.
Chartered Accountants

For
VINAY KUMAR & Co.
Chartered Accountants

For
RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants

For
V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants

For
J L SENGUPTA & Co.
Chartered Accountants

For
J SINGH & ASSOCIATES
Chartered Accountants

SANJAY VASUDEVA
Partner

VINAY KUMAR AGRAWAL
Partner

P KARUNAKARA NAIDU
Partner

NIRANJAN V K
Partner

P PARTHASARATHY
Partner

J SINGH
Partner

Bengaluru
MAY 27, 2016

यथा 31 मार्च, 2016 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital	3000 00 00	3000 00 00
(प्रति शेयर ₹ 10/- के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर / (300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)		
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त / Issued,Subscribed and Paid up:		
i) केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 35,99,91,054 ईक्विटी शेयर । पिछले वर्ष ₹10/- के 33,21,96,971 ईक्विटी शेयर		
i) 35,99,91,054 Equity Shares of ₹10/- each. Previous year 33,21,96,971 Equity Shares of ₹10/- each held by Central Government	359 99 10	332 19 70
ii) अन्यो द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 18,30,00,000 ईक्विटी शेयर		
ii) 18,30,00,000 Equity Shares of ₹10/- each held by others	183 00 00	143 00 00
	542 99 10	475 19 70
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ / Statutory Reserves	8033 06 00	8032 61 00
II. पूँजी आरक्षित निधियाँ / Capital Reserves	1478 67 07	1478 67 07
III. समेकन पर पूँजी आरक्षित निधियाँ / Capital Reserves on Consolidation	2 79 18	2 79 18
IV. शेयर प्रीमीयम / Share Premium	5799 66 41	3400 13 81
V. विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधियाँ / Foreign Currency Translation Reserve	190 82 85	149 36 18
VI. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ / Revaluation Reserve	5444 66 30	5405 85 08
VII. निवेश आरक्षित निधि / Investment Reserve	565 80 00	565 80 00
VIII. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार विशेष आरक्षित निधियाँ / Special Reserve in terms of Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	4000 00 00	4000 00 00
IX. राजस्व व अन्य आरक्षित निधियाँ / Revenue and Other Reserves	6351 20 51	8981 28 78
जोड़ / TOTAL	31866 68 32	32016 51 10
अनुसूची 2ए - अल्पसंख्यक हित / SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST		
I. मूल - अनुषंगी संबंध आनेवाले दिन का अल्पसंख्यक हित / Minority Interest at the date on which the parent- Subsidiary relationship came into existence	110 15 12	110 15 12
II. उत्तरवर्ती वृद्धि/(कमी) / Subsequent Increase / (Decrease)	339 08 01	268 49 99
जोड़ / TOTAL	449 23 13	378 65 11

यथा 31 मार्च, 2016 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क. I. माँग जमा / DEMAND DEPOSITS		
A.		
i. बैंक से / FROM BANKS	334 26 36	1054 08 35
अन्यों से / FROM OTHERS	19480 00 09	18670 32 42
जोड़ / Total	19814 26 45	19724 40 77
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	103714 84 91	93686 33 32
जोड़ / Total	103714 84 91	93686 33 32
III. सावधि जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	23963 31 34	28153 78 66
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	332256 51 05	332160 46 23
जोड़ / Total	356219 82 39	360314 24 89
जोड़ (I, II और III) / Total (I, II & III)	479748 93 75	473724 98 98
ख. B. शाखाओं की जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	450719 78 55	444561 07 62
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	29029 15 20	29163 91 36
जोड़ / Total	479748 93 75	473724 98 98
अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA	--	--
ii. अन्य बैंक / OTHER BANKS	--	131 25 31
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	559 32 32	1915 69 68
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	11989 60 00	10514 60 00
जोड़ / Total	12548 92 32	12561 54 99
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / OTHER BANKS	12758 14 16	11638 74 96
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण / SUB-ORDINATED DEBT)	1656 35 84	1562 52 11
जोड़ / Total	14414 50 00	13201 27 07
जोड़ / Total	26963 42 32	25762 82 06

यथा 31 मार्च, 2016 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / BILLS PAYABLE	1270 24 52	1020 71 10
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	460 11 77	306 21 01
III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	1875 60 04	1712 23 34
IV. आस्थगित कर देयताएँ / DEFERRED TAX LIABILITY		1396 15 42
V. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	20547 69 37	21764 06 87
जोड़ / TOTAL	24153 65 70	26199 37 74
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष SCHEDULE 6-CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	2012 84 80	1855 44 03
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	18652 18 37	20121 32 31
जोड़ / TOTAL	18652 18 37	20121 32 31
जोड़ / TOTAL	20665 03 17	21976 76 34
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खाते में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	280 30 52	31 11 96
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	13 02 52	6 87 23
जोड़ / TOTAL	293 33 04	37 99 19
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	1200 00 00	-
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS		-
जोड़ / TOTAL	1200 00 00	-
जोड़ / TOTAL	1493 33 04	37 99 19
II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों में शेष / i. BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	8712 63 52	4534 43 94
ख. जमा खातों में / b. IN DEPOSIT ACCOUNTS	20433 43 42	21577 82 48
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	5439 31 38	520 54 12
जोड़ / TOTAL	34585 38 32	26632 80 54
जोड़ / TOTAL	36078 71 36	26670 79 73

यथा 31 मार्च, 2016 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश: सकल INVESTMENTS IN INDIA: GROSS:	151777 99 87	151226 09 54
घटायें: मूल्यहास व एन पी आई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	374 64 55	118 44 73
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	151403 35 32	151107 64 81
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ GOVERNMENT SECURITIES	129991 92 42	128056 55 19
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ OTHER APPROVED SECURITIES	186 89 42	182 15 22
iii. शेयर SHARES	5449 84 76	6484 77 13
iv. डिबेंचर और बाण्ड DEBENTURES AND BONDS	8169 52 21	8734 91 39
v. सहयोगी संस्थाओं में निवेश INVESTMENTS IN ASSOCIATES	954 17 85	861 49 92
vi. अन्य (एम एफ, वी सी एफ, सी डी, सी पी आदि) OTHERS (MFs, VCF, CDs, CP ETC.)	6650 98 66	6787 75 96
जोड़ / Total	151403 35 32	151107 64 81
II. भारत के बाहर निवेश- सकल INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	1076 92 37	1014 05 60
घटायें: मूल्यहास के लिए प्रावधान LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION	10 47 36	
भारत के बाहर निवल निवेश NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	1066 45 01	1014 05 60
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	145 47 44	49 36 25
ii. अन्य (बांड आदि) OTHERS (BONDS ETC.)	920 97 57	964 69 35
जोड़ / Total	1066 45 01	1014 05 60
जोड़ / Total	152469 80 33	152121 70 41

यथा 31 मार्च, 2016 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क. A. i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	11039 30 97	11504 77 13
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	131029 19 20	130344 75 18
iii. मीयादी ऋण / iii. TERM LOANS	182923 86 02	188444 34 65
जोड़ / Total	324992 36 19	330293 86 96
ख. B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋणों के प्रति अग्रिम सहित / INCLUDING ADVANCES AGAINST BOOK DEBTS)	265373 85 60	263940 68 30
ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	14048 06 37	9364 08 69
iii. अप्रतिभूत / UNSECURED	45570 44 22	56989 09 97
जोड़ / Total	324992 36 19	330293 86 96
सी. C. I. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR	124952 09 90	106928 90 32
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR	24180 47 26	31624 64 14
iii. बैंक / BANKS	17 54 92	2 49 69
iv. अन्य / OTHERS	153956 33 57	169026 37 65
जोड़ / Total	303106 45 65	307582 41 80
II. भारत से बाहर / ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों से देय / Due from Banks	13 25 10	
ii. अन्य से देय / Due from Others		
क. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल a. BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	4137 55 93	3435 05 61
ख. मीयादी / समूहन ऋण / b. TERM / SYNDICATED LOANS	9479 37 81	9354 61 82
ग. अन्य / c. OTHERS	8255 71 70	9921 77 73
जोड़ / Total	21885 90 54	22711 45 16
जोड़ / Total	324992 36 19	330293 86 96

यथा 31 मार्च, 2016 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)		यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	
अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
I. परिसर / PREMISES				
लागत पर/ तथा पिछले तुलन पत्र के अनुसार मूल्यांकन / AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	6650 07 43		6597 55 59	
वर्ष के दौरान संवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	31 36 37		58 29 78	
	6681 43 80		6655 85 37	
वर्ष के दौरान किए गए पुनर्मूल्यांकन REVALUATION MADE DURING THE YEAR				
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	32 18		5 77 94	
	6681 11 62		6650 07 43	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	630 89 48	6050 22 14	698 64 14	5951 43 29
II. अन्य अचल आस्तियाँ / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित) (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	3214 43 60		2519 09 66	
वर्ष के दौरान संवर्धन ADDITIONS DURING THE YEAR	369 87 29		790 83 14	
	3584 30 89		3309 92 80	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	123 08 94		95 49 20	
	3461 21 95		3214 43 60	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	2310 37 77	1150 84 18	2201 52 32	1012 91 28
III. पट्टागत आस्तियाँ / LEASED ASSETS				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	96 28 48		96 28 92	
वर्ष के दौरान संवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	95 25		95 94	
	97 23 73		97 24 86	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	3 88 78		96 38	
	93 34 95		96 28 48	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	86 09 21		88 19 27	
	7 25 74		8 09 21	
घटाएं: पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	2 68 36	4 57 38	3 50 30	4 58 91
IV. प्रगतिस्त पूँजी / CAPITAL WORK IN PROGRESS		12 42		1 05 41
जोड़ / TOTAL		7205 76 12		6969 98 89

यथा 31 मार्च, 2016 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)		यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS				
I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED		4362 23 16		4503 22 91
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/स्रोत पर कर कटौती (निवल) TAX PAID IN ADVANCE/TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)		6323 06 49		6093 89 45
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प STATIONERY AND STAMPS		13 40 67		11 96 63
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS		32 13		32 13
V. अन्य / OTHERS		11544 00 61		9915 01 24
VI. आस्थगित कर / DEFERRED TAX ASSETS		70 22 09		-
जोड़ / TOTAL		22313 25 15		20524 42 36
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES				
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS		5997 79 40		9055 00 99
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS		36 00		
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS		221936 97 80		207080 71 69
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS				
क. भारत में / a. IN INDIA	38771 32 57		39353 13 56	
ख. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	132 92 76		98 31 86	
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS		38904 25 33		39451 45 42
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिकता के लिए उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE		19821 44 14		18579 64 70
क. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	-		--	
ख. अन्य / b. OTHERS	1488 29 99		1500 00 46	
जोड़ / TOTAL		1488 29 99		1500 00 46
		288149 12 66		275666 83 26

यथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016 (₹ '000)		यथा 31.03.2015 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2015 (₹ '000)	
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/डिस्काउंट INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES/BILLS		31334 73 55		32066 49 38
II. निवेशों पर आय / INCOME ON INVESTMENTS		11458 61 19		10696 13 63
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेषराशि और अंतर बैंक निधियों पर ब्याज / INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		884 37 80		764 78 18
IV. अन्य / OTHERS		361 76 13		285 96 04
जोड़ / TOTAL		44039 48 67		43813 37 23
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय, और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		994 26 75		996 96 33
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS				
लाभ / PROFIT	969 67 32		1179 44 18	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	28 47 88	998 15 20	12 36 00	1167 08 18
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS				
घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि LESS: LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS			103 48 53	(1034853)
IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ PROFIT ON SALE OF LAND/BUILDINGS AND OTHER ASSETS				
लाभ / PROFIT	3 35 56		17 78 10	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	-3 93 45	- 57 89	2 52 35	15 25 75
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS				
लाभ / PROFIT	674 51 57		781 86 95	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	-5 00 60	669 50 97		781 86 95
VI. लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND		68 42 06		79 37 74
VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME		2401 48 71		1796 38 28
जोड़ / TOTAL		5131 25 80		4733 44 70
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED				
I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS		32340 31 85		32024 70 01
भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज				
II. INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTERBANK BORROWINGS		867 82 14		1145 86 27
III. अन्य / OTHERS		1054 85 16		962 56 08
जोड़ / TOTAL		34262 99 15		34133 12 36

यथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

	यथा 31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016 (₹ '000)		यथा 31.03.2015 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2015 (₹ '000)	
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय				
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES				
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	4489 51 92		4313 30 14	
II. किराया, कर, रोशनी / RENT, TAXES, LIGHTING	785 32 80		666 16 68	
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY	43 46 53		51 93 28	
IV. विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	30 62 76		44 27 52	
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों से अंतरण के बाद का निवल) / DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY (NET OF TRANSFER FROM REVALUATION RESERVE)	172 02 98		428 90 55	
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	1 83 29		1 59 99	
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS' FEES AND EXPENSES)	59 40 03		51 65 03	
VIII. विधि प्रभार / LAW CHARGES	37 41 33		30 82 90	
IX. डाक, तार, टेलिफोन आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	55 22 04		53 82 73	
X. मरम्मत और अनुसंधान / REPAIRS AND MAINTENANCE	210 16 52		202 69 03	
XI. बीमा / INSURANCE	427 32 47		328 92 94	
XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE	1279 61 09		1091 91 91	
जोड़ / TOTAL	7591 93 76		7266 02 70	
अनुसूची 17 - सहयोगी संस्थाओं में आय का अंश / (हानि)				
SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS / (LOSS) IN ASSOCIATES				
I. केनफिन होम्स लिमिटेड / CANFIN HOMES LTD	68 26 22		37 47 26	
II. कॉमनवेल्थ ट्रस्ट इंडिया लिमिटेड COMMONWEALTH TRUST INDIA LTD	--		--	
III. ऋण विश्लेषण व अनुसंधान लिमिटेड CREDIT ANALYSIS AND RESEARCH LTD	--		--	
IV. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / REGIONAL RURAL BANKS				
क. प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक A. PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK	40 56 44		21 37 81	
ख. केरल ग्रामीण बैंक B. KERALA GRAMIN BANK	26 35 06		14 18 31	
जोड़ / TOTAL	135 17 72		73 03 38	

अनुसूची- 18

यथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. क) समेकित वित्तीय विवरणी तैयार करने का आधार:

बैंक (प्रधान), इनके अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं (समूह) तथा संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणी ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किया गया है और अन्यथा किये गये वक्तव्यों को छोड़कर भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, संबंधित सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक अपेक्षाओं/ दिशानिर्देशों, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई लेखांकन मानकों और संबंधित उद्योग / कारोबार के प्रचलित प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्यों के अनुरूप है।

ख) अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरणी की तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों के किसी भी संशोधनों को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता दी जाएगी।

[2] समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह (7 अनुषंगियों, 3 सहबद्ध संस्थाओं तथा 1 संयुक्त उद्यम) के समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी निम्नलिखितों के आधार पर की गई:

क. केनरा बैंक (प्रधान) के लेखापरीक्षित लेखा

ख. बैंक और उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरणी एक रूपी लेखा नीतियों के अनुरूप होने के लिए आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी राशियों को एक जोड़कर अंतरासामूहिक लेन देनों और उगाहे नहीं गये लाभ/हानि को हटाने के बाद और जहाँ कहीं आचरणीय हो आवश्यक परिवर्तन करके पंक्ति दर पंक्ति आधार पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक (ए एस)21 (समेकित वित्तीय विवरणी) के अनुरूप तैयार किये गये हैं।

SCHEDULE – 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

1. a) Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Group) are drawn up on historical cost convention and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act, 2013, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevalent market practices, in the respective industry / business except as otherwise stated.

b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

[2] Consolidation procedure

2.1 CFS of the Group [comprising of Seven (7) Subsidiaries, Three (3) Associates and One (1) Joint Venture] have been prepared on the basis of:

a) Audited accounts of Canara Bank (Parent).

b) Line by line aggregation of each item of asset / liability / income / expense of the Subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit / loss and making necessary adjustments wherever required for all significant non-uniform accounting policies as per Accounting Standard (AS) 21 (Consolidated Financial Statements) issued by ICAI.

- ग) सहबद्ध संस्थाओं में की गई दीर्घावधि निवेश के लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई लेखांकन मानक-23 (सहबद्ध संस्थाओं में निवेशों की लेखांकन के लिए समेकित वित्तीय विवरणी) द्वारा सहबद्ध संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर किया गया है। सहबद्ध संस्थाओं के परिचालन परिणामों के निवेशक के हिस्से को समेकित लाभ व हानि लेखा में अलग से दर्शाया गया है।
- घ) संयुक्त उद्यम के मामले में "समनुपातिक समेकन पद्धति" में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक 27 (संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) के अनुसार समेकित किया गया है।
- 2.2 समेकित वित्तीय परिणाम में अल्पसंख्यक हित से तात्पर्य अनुषंगियों में निवल ईक्विटी / लाभ में अल्पसंख्यक शेरधारकों के हिस्से से है।
- 2.3 अनुषंगियों में उसके निवेशों के साथ प्रधान संस्था की लागत तथा अनुषंगियों के ईक्विटी में प्रधान के हिस्से के बीच के अंतर को मामलानुसार साख / पूँजी आरक्षित निधि के रूप में मान्यता दी गई।
- [3] विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन :**
- 3.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को काल्पनिक दरों पर प्रारंभिक तौर पर अभिलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित दरों पर पुनः वर्णित किया गया है। पुनः वर्णन से उत्पन्न होनेवाली विनिमय अंतरों को त्रैमासिक दरों पर लाभ-हानि खाते में मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है।
- 3.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेनों एवं शेषों को अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देनों तथा शेष राशि को बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है।
- परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण विदेशी विनिमय दरों पर भारतीय विदेशी मुद्रा विक्रेता संघ (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में घोषित किया जाता है। विदेशी शाखाओं के आय व व्यय मद, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (ए एस) 11 – "विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" एवं कथित मानक के अनुपालन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों अनुसार फेडाई द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर घोषित है।
- c) Long Term Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the Audited Financial Statements of the Associates. The investor's share of the result of the operations of the Associates is reflected separately in the Consolidated Profit & Loss Account.
- d) Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate consolidation method' as prescribed in Accounting Standard (AS) 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.
- 2.2 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.
- 2.3 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill / capital reserve as the case may be.
- [3] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies**
- 3.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit & Loss Account.
- 3.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the Bank (Parent) on quarterly basis.
- Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 (The effect of Changes in Foreign Exchange rates) issued by the ICAI and as per the guidelines of RBI regarding the compliance of the said standard.

परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षिति में जमा / नामे किया जाएगा।

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

3.4 वायदा विनिमय संविदाएं

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनन को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित असामयिक रद्दकरण पर होनेवाले लाभ / हानि, यदि है तो, रद्दकरण तारीख पर मान्यता दी गई। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, पर लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई।

3.4 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Loss arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on forward contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

3.5 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन अंतिम फेडाई दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

3.5 Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

[4] निवेश

[4] Investments

4.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'व्यापार के लिए धारित' जिसे प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय पर निर्धारित किया गया है। एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में श्रेयों का अंतरण, यदि कोई है तो, ऐसा अंतरण, अति कम अभिग्रहण लागत / बही मूल्य / उस दिन के बाजार मूल्य पर किया जाता है और वैसे अंतरण के लिए मूल्यहास का, यदि हो, संपूर्ण प्रावधान किया जाता है।

4.1 Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the Parent is classified under three categories viz. 'Held to Maturity (HTM)', 'Available for Sale (AFS)' and 'Held for Trading (HFT)'. Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

निवेशों को तुलन पत्र में छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड (ङ) सहबद्ध संस्थाओं में निवेश और (च) अन्य

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities, (b) Other approved securities, (c) Shares, (d) Debentures & Bonds, (e) Investments in Associates and (f) Others.

4.2 निवेशों के अधिग्रहण लागत को निर्धारित करने के लिए :

4.2 In determining the acquisition cost of investment:

क) प्रतिभूतियों की खरीदी के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसे लागतों को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

ख) अधिग्रहण / निपटान तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है।

b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

4.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो यथानुसार है :

4.3 The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

क) परिपक्वता के लिए धारित (एच टी एम)

a) Held to Maturity (HTM)

परिपक्वता के लिए धारित वर्ग के तहत निवेश को अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो के आधार पर किया जाना है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

सहबद्ध सस्थाओं में निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में कोई भी स्थायी ह्रास हो तो उसका पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य न्यासी श्रेणियों में निवेशों को रखाव लागत पर रखा जाता है।

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) की इकाइयों में दिनांक 23.08.2006 के बाद की गई निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है।

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध (ए एफ एस)

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेश त्रैमासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख (तुलन पत्र तारीख) को उपलब्ध बाजार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / कोट, भारतीय व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

जहाँ भी निवल मूल्यवृद्धि नकारी गई है, उसके लिये प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यह्रास पूर्ण रूप से उपलब्ध है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार के लिये अंकित किये जाने पर बही मूल्य का कोई परिवर्तन नहीं होता है।

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात एचटीएम वर्ग से अंतरित वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) के इकाइयों को वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तिथि पर 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी उपलब्ध नहीं है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूँजी निधि के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

ग) व्यापार हेतु धारित (एच एफ टी)

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को बाजार कोट, साप्ताहिक आधार पर एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्य / प्रतिफल के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यह्रास को मान्यता दी गई तथा संवर्धन, यदि कोई है तो, को नकारा गया। बाजार के लिये अंकित किये जाने के पश्चात प्रत्येक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

4.4 एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में श्रेणियों का अंतरण निम्नानुसार किया जाता है:

Investments in Associates are valued under equity method. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost.

b) Available for Sale (AFS)

Investments classified under this category are marked to market on quarterly basis and valued as per RBI guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades / quotes on the stock exchanges, prices / yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the RBI guidelines.

The net depreciation under each category / classification is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at Mark-to-Market basis.

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years [Refer section 4.3 (a) above] are valued at Net Asset Value (NAV) as per the audited financial statements of Venture Capital Funds. In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at ₹1 per VCF.

c) Held for Trading (HFT)

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations, price / yields declared by FIMMDA on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marked to market.

4.4 Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis:

क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) / व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी को अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है। एच टी एम श्रेणी के तहत निवेशों को मूल रूप से प्रीमियम पर रखा जाता है तो परिशोधित लागत पर अंतरण किया जाता है।

ख) ए एफ एस / एच एफ टी श्रेणी से एच टी एम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाजार मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जाता है।

ग) ए एफ एस से एच टी एम श्रेणी या इसके विपरीत को रखा व लागत पर अंतरित किया जाता है। उपचित मूल्यहास, यदि कोई है तो, एच एफ टी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यहास के लिए प्रावधान को अंतरित किया जाता है एवं इसके विपरीत।

4.5 प्रतिभूतीकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्रकं / पुकं) को बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक निवेश वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में प्रकं / पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को प्रतिभूति रसीद के प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ निम्नानुसार पेश किया जाता है :-

क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर है तो, तदसंबंधी कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दिया जाता है।

ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है, लेकिन प्रकं / पुकं को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होनेवाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

4.6 तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल किए गए प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है तो अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक हास / प्रावधान बनाया जाता है। ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यहास को अन्य अर्जक आस्तियों के प्रति मूल्यवृद्धि से समंजन नहीं किया जाता है।

4.7 निवेशों की बिक्री पर लाभ

“बिक्री के लिए उपलब्ध” तथा “व्यापार के लिए धारित” श्रेणियों के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि खाते में मान्यता दिया जाता है।

“परिपक्वता के लिए धारित” श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित निधि (कर व आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है।

a) HTM to AFS / HFT category at acquisition price / book value. In case the investments under HTM category are placed at premium originally the transfer is made at amortised cost.

b) AFS / HFT to HTM category at lower of the book value or market value.

c) AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

4.5 Non-Performing Investments Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC / RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC / RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

a) If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.

b) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to meet shortfall / loss on account of sale of other financial assets to SC / RC.

4.6 Securities included in any of three categories where interest / principal is in arrears for a specified period, are classified as Non-Performing Investment. Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation / provision in value of Investments is made. Depreciation in respect of such Non-Performing Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

4.7 Profit on sale of Investments

Profit on sale of Investments in respect of ‘Available for Sale’ and ‘Held for Trading’ categories is recognized in Profit & Loss Account.

Profit on sale of Investments in respect of ‘Held to Maturity’ category is first taken to the Profit and Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दिया गया।

4.8 रेपो / प्रति रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

रेपो / प्रति रेपो के तहत सहमत शर्तों पर एक करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों (एलएएफ के अलावा) की पुनः खरीद को उधार के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

एलएएफ के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे / जमा किया जाता है और परिपक्वता में उसको वापस किया जाता है।

[5] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है। बैंक द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियों रुपया ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार है। बैंक द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां विकल्प और मुद्रा अदला-बदली है।

ऐसे व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यंकित किया जाता है :

- क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियां बाज़ार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यहास की पहचान की गई है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नकारा गया है।
- ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियां निम्नानुसार हैं :
 - i) बाजार के लिए अंकित नहीं की जाती है, जब तक आधारभूत आस्तियां / देयताएं बाजार के लिए अंकित नहीं की गयी हैं।
 - ii) प्रतिरक्षा अदला-बदली के लिए उपचित आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया।

[6] अग्रिम

- 6.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों अनुसार अग्रिमों को अर्जक व अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया गया है।
- 6.2 अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया गया है।
- 6.3 अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अग्रिमों हेतु प्रावधान किए गए हैं।
- 6.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय विनियम / उस देश के नियमों, जो भी अधिक कड़े हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार किए गए हैं।

Loss on sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

4.8 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

The securities purchased / sold with an agreement to repurchase on the agreed terms under Repo / Reverse Repo (other than LAF) are recognized as borrowing / lending.

The securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment account and reversed on maturity.

[5] Derivative contracts

The Bank (Parent) deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank (Parent) are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank (Parent) are Options and Currency Swaps.

Such derivative contracts are valued as under:

- a) Derivative contracts dealt for trading are valued on mark-to-market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.
- b) Derivative contracts undertaken for hedging are:
 - i) Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.
 - ii) Income / Expenditure is recognized on accrual basis for Hedging Swaps.

[6] Advances

- 6.1 Advances are classified as Performing and Non-Performing Assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.
- 6.2 Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.
- 6.3 Provisions for Domestic Advances are made for Performing / Non-Performing Advances in accordance with the RBI Guidelines.
- 6.4 Provisions for Performing / Non-Performing Advances with foreign branches are made as per local regulations / regulations of host country according to the norms prescribed by RBI whichever is more stringent.

- 6.5 तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम अनर्जक आस्तियों, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं।
- 6.6 अनर्जक अग्रिमों में किए गए आंशिक वसूलियों का समायोजन को प्रथमतः प्रभार व ब्याज, तत्पश्चात समझौता निपटान / कालातीत ऋणों के मूल धन के प्रति किया जाता है। वसूलियों को प्रथमतः मूल धन के साथ समायोजित किया जाता है।
- 6.7 प्रतिभूतीकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन, आय निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

[7] अचल परिसंपत्तियां

- 7.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं। भूमि और भवनों का पूंजीकरण हस्तांतरण पत्र / आबंटन पत्र / पट्टा करारनामा, दीर्घावधि पट्टेवाली संपत्तियों और / या संपत्ति के भौतिक धारण के आधार पर होता है।
- 7.2 जहाँ पुनर्मूल्यांकन किया गया है उन्हें छोड़कर परिसर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा किया जाता है। संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यहास / परिशोधन का अंतरण पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से लाभ व हानि खाते में मूल्यहास में जमा किया जाएगा।

[8] मूल्यहास

8.1 मूल बैंक:

- 8.1.1 कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल परिसंपत्तियों को मूल्यहासित मूल्य पद्धति के तहत तत्संबंधी परिसंपत्ति के उपयोग्य जीवन पर परिकलित मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों पर मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभारित करते हुए किया जाता है।
- 8.1.2 3 वर्ष या 5 वर्ष (उदाहरण कम्प्यूटर, सर्वर और ए टी एम इत्यादि) अनुमानित प्रयोज्य जीवन वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर जहाँ आस्तियों का कुल लागत प्रयोज्य जीवन से परिशोधित हो सभी परिसंपत्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है।
- 8.1.3 पूंजीकरण का अचल परिसंपत्तियों पर वर्ष में मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए वसूल की जाए यदि परिसंपत्ति का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए किया गया हो अन्यथा लागू दर के 50% हो। बिक्री / निपटान के वर्ष में कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया है।

- 6.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.
- 6.6 Partial recoveries in Non-Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of Non-Performing advances involving compromise settlements / 'Loan Past Due' advances, where the recoveries are first adjusted towards principal.
- 6.7 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation and income recognition are done as per RBI guidelines.

[7] Fixed Assets

- 7.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalised based on the date of put to use.
- 7.2. Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value is transferred from Revaluation Reserve to the credit of Depreciation in the Profit and Loss Account.

[8] Depreciation

8.1 Parent:

- 8.1.1 Fixed Assets are depreciated under Straight Line Method at the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets except for the Computers where as per the guidelines of RBI, depreciation is charged under straight line method at 33.33%.
- 8.1.2 5 percent residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life of 3 years or 5 years (Eg. computer, Servers and ATMs etc), where the entire cost of the asset is amortized over the useful life.
- 8.1.3 Depreciation on fixed assets in the year of capitalization is charged for the full year if the asset is used for more than 180 days during that financial year; else it is provided at 50 percent of the applicable rate. No depreciation is provided for in the year of sale/disposal.

8.1.4 पट्टेदाई परिसरों पर प्रदत्त प्रीमियम उसकी पूरी पट्टेदाई अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है।

8.1.5 विदेशी कार्यालयों में अनुरक्षित अचल संपत्तियों के संबंध में संबंधित देश के विनियमनों / मानदंडों अनुसार मूल्यहास उपलब्ध कराया जाता है।

8.2 अनुषंगियां:

क) घरेलू अनुषंगियों की स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों पर किया गया।

ख) सॉफ्टवेयर खरीदी / विकास तथा लाइसेंस लागत आदि जैसे अमूर्त आस्तियों के मूल्यहास सीधी लाइन आधार पर सॉफ्टवेयर के उपयोग्य जीवन के अनुसार सॉफ्टवेयर के प्रथम उपयोग से अधिकतम 3 वर्षों के लिए मूल्यहासित किया गया है।

ग) पट्टेदारी परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों पर या करारों के अनुसार पट्टेदारी की पूरी प्राथमिक / द्वितीयक अवधि के लिए पट्टेदारी किरायों को वर्ष के दौरान संचित पट्टेदारी किरायों का अनुपात, दोनों में जो अधिक हो उस दर पर किया गया है।

8.3 विदेशी निकायों स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास स्थानिक कानून के अनुसार किया गया है।

[9] आस्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं का एक निर्धारण किया जाता है। यदि कोई संकेत पाया जाता है तो वसूली योग्य राशि का एक अनुमान बनाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है।

[10] राजस्व मान्यता

निम्नलिखितों को छोड़कर आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है।

क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों तथा अनर्जक निवेशों पर ब्याज को मान्यता दिया गया है।

ख) अतिदेय बिलों, कमीशन (सरकारी कारोबार के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली पर किया गया है।

ग) लाभांश की गणना तब किया जाएगा जब उसको प्राप्त करने की अधिकार स्थापित किया जाता है।

8.1.4 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period.

8.1.5 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries

8.2 Subsidiaries:

a) Fixed Assets of the domestic subsidiaries are depreciated as provided in the Schedule II of the Companies Act, 2013.

b) Intangible assets comprising of software purchase / developed and licensing cost are depreciated on straight-line method over the useful life of the software upto a maximum of 3 years commencing from the date on which software is first utilized.

c) In respect of leased assets depreciation is charged either as per the method and rates prescribed under the Companies Act, 2013 or in the ratio of lease rentals accrued during the year to lease rentals for the entire primary / secondary period of the lease, as per agreements, whichever is higher.

8.3 Depreciation on Fixed Assets of the foreign entities is charged as per local laws.

[9] Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

[10] Revenue Recognition

Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

a) Interest on Non-Performing advances and Non-Performing Investments is recognized as per norms laid down by the RBI.

b) Interest on overdue bills, Commission (other than Government business), Exchange, Brokerage and rent on lockers are accounted on realization.

c) Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

घ) मुकदमा दायर किए गए लेखों के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाएगी।

[11] जीवन बीमा कंपनी:

क) प्रीमियम:

वसूली की उचित निश्चितता है तो, पॉलिसीधारकों से देय रहने पर प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता दिया गया है। इकाई संबद्ध कारोबार के लिए इकाइयों के आबंटन पर आय को मान्यता दिया गया है। व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को पॉलिसियाँ बहाल होने पर आय के रूप में मान्यता दिया गया है। प्रीमियम को सेवा कर के निवल के रूप में मान्यता दिया गया है। टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में माना गया है।

ख) संबद्ध कारोबार से आय:

निधि प्रबंधन प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, मृत्यु दर प्रभार और अन्य प्रभार उत्पाद विशेषताओं के अनुसार संबद्ध निधियों से पॉलिसी के नियम व शर्तों के आधार पर वसूल किया जाता है तथा देय होने पर मान्यता दिया गया है।

ग) पुनर्बीमा प्रीमियम:

पुनर्बीमा प्रीमियम का भुगतान का लेखांकन पुनः बीमा कंपनी के साथ की गई व्यवस्था या संधि के अनुसार किया जाता है।

घ) प्रदत्त लाभ(दावे सहित):

दावों के लागत में पॉलिसी से लाभ की राशि तथा दावा निपटान लागत, जहाँ लागू हो, शामिल होता है। मृत्यु दावों तथा राइडर दावों की लेखांकन सूचना प्राप्ति के बाद की जाता है।

उत्तरजीवी लाभ दावों तथा परिपक्वता दावों का लेखांकन भुगतान के लिए देय होने पर किया जाता है।

यूनिट लिंक पॉलिसियों के अंतर्गत अभ्यर्पण तथा आहरण का लेखांकन, संबद्ध यूनिटों के रद्द होने पर किया जाता है। परंपरागत पॉलिसियों के अंतर्गत इनका लेखांकन अभ्यर्पण की सूचना प्राप्ति तथा स्वीकार किए जाने पर किया जाता है।

लॉक इन अवधि के अंतर्गत संबद्ध पॉलिसियों के मामले में, अर्थात् पॉलिसी जारी किए जाने की तिथि से 5 वर्ष (1सितंबर 2010 के बाद जारी की गई पॉलिसियों के मामले में), वैसे पॉलिसियों के अभ्यर्पण मूल्य को एक नामोद्दिष्ट निधि "यूएल व्यतिक्रम पॉलिसी निधि" में निवेशित किया जाता है तथा पॉलिसी धारक को, लॉक इन

(d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

[11] Life Insurance Company:

(a) Premium:

Premium is recognised as income when due from policy holders, if there is a reasonable certainty of collectability. For unit linked business, income is recognized when the units are allocated. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Premiums are recognized net of service tax. Top-up premium is considered as single premium.

(b) Income from Linked Business:

Fund management charges, administrative charges, mortality charges and other charges as per the product feature are recovered from linked funds in accordance with terms and conditions of policies and are recognized when due.

(c) Reinsurance Premium:

Reinsurance premium ceded is accounted in accordance with the treaty or in principle arrangement with the re-insurer.

(d) Benefits paid (including claims):

Claims costs consist of the policy benefit amount and claim settlement costs, where applicable. Death claims and rider claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due for payment.

Surrenders and withdrawals (net of charges) under unit linked policies are accounted for when associated units are cancelled. Under traditional policies these are accounted for when the intimation for the surrender is received and accepted.

In case of surrender of linked policy within the lock-in period i.e., 5 years from the date of issue of policy (in case of policies issued after 1st September 2010), the surrender value of such policies is invested in a designated fund

अवधि के समाप्ती के बाद न्यूनतम निश्चित प्रतिलाभ या वास्तविक प्रतिलाभ, दोनों में जो अधिक हो, का भुगतान किया जाता है।

बीमित प्रस्तावक के मृत्यु उपरान्त यदि बीमा उत्पादों में आगामी प्रीमियम शेष में छूट का प्रावधान हो तो बीमित प्रस्तावक के मृत्यु पर लाभ भुगतान के अंतर्गत देनदारी के रूप में कुल आगामी प्रीमियम माफ कर दी जाएगी। जब आगामी मॉडल प्रीमियम देय हो जाता है तो उक्त प्रीमियम को उक्त दायित्व को कम करते हुए वित्त पोषित किया जाता है और प्रीमियम आय समान रूप से मान्य होता है।

दावों पर पुनर्बीमित वसूली का लेखांकन संबंधित दावों की अवधि में किया जाता है।

ड) अधिग्रहण लागत:

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो प्राथमिक रूप से बीमा संविदा अधिग्रहण से संबंधित होता है तथा जिस अवधि में खर्च होना होता है उसी अवधि में खर्च किया जाता है, जिससे यह परिवर्तित होता रहता है। प्रथम वर्ष में भुगतान की गई कमीशन की वसूली किसी चापलूसी के कारण की गई हो, यदि कोई हो तो, भविष्य में उसकी लेखांकन उस वर्ष में की जाती है जिसमें उसकी वसूली देय होती है।

च) जीवित पॉलिसियों की देयताएं:

देयताओं के मूल्य का निर्धारण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ता के अस्तित्वा, देयताएं तथा शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 तथा इरडा द्वारा जारी अन्य संबंधित विनियम, समय-समय पर संशोधित, भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी मानक (ए पी एस 2 व ए पी एस 7) बीमांकक प्रथा तथा भारत में सामान्य तौर से मान्य बिमांकक सिद्धांतों के अनुसार होता है।

[12] कर्मचारी हित

क) परिभाषित अंशदान योजनाएं: परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दिया गया है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

called 'UL Discontinued Policy Fund' and is paid to the policyholder on the expiry of the lock-in period along with minimum guaranteed return or actual return, whichever is higher.

In case of insurance products having the feature of waiver of the balance future premiums on the death of the life proposer, the entire future premiums waived are recognised as liability under the benefits paid on the occurrence of death of the life proposer. When the subsequent modal premium becomes due, the said premiums are funded by reducing the aforesaid liability and the premium income is recognized for the same.

Re-insurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

e) Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs which vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed off in the period in which they are incurred. Recovery on account of claw back of the first year commission paid, if any, in future is accounted in the year in which its recovery is due.

f) Liability for life policies:

The value of liabilities is determined in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities and Solvency Margin of insurers) Regulations, 2000 and other relevant Regulations issued by IRDA as amended from time to time, the Actuarial Practice Standards (APS 2 and APS 7) issued by the Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial principles in India.

[12] Employee Benefits

(a) Defined Contribution Plans: Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं

- (i) **उपदान:** कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक (मूल बैंक) द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।
 - (ii) **पेंशन:** कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक (मूल बैंक) द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।
 - (iii) **ऋण परिशोधन:** बैंक के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प देने से होनेवाली देयता / व्यय को तथा उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के पश्चात उपदान में होनेवाली संवर्धन को समान आधार पर वित्तीय वर्ष 2010-11 से शुरू होनेवाली वर्ष से पाँच वर्षों के लिए परिशोधित किया गया है।
- (ग) विशेषाधिकार छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दिया जाता है।

[13] कराधान के लिए प्रावधान

- क) चालू तथा आस्थगित दोनों करों के लिए कर प्रावधान किया गया है।
- ख) समय-अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं, को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन-पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गयी है।
- ग) विभेदक कर आस्तियों को मान्यता तब तक नहीं दी जाती है जब तक यह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाता कि पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध हो जायेगी जिसके प्रति ऐसी विभेदक कर आस्तियों को मान्यता दी जायेगी।

(b) Defined Benefit Plans:

- (i) **Gratuity:** The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Bank's (Parent) obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.
 - (ii) **Pension:** The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust. The present value of the Bank's (Parent) obligations under Pension is recognized on the basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.
 - (iii) **Amortization:** The additional liability / expenditure arising consequent upon the reopening of Pension Option to the employees of the Bank (Parent) and enhancement in gratuity limit pursuant to amendment to Payment of Gratuity Act, 1972 has been amortized equally over a period of five years beginning with the financial year 2010-11.
- (c) The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'projected Unit credit method' at each Balance Sheet date.

[13] Provision for Taxation

- (a) Provision for tax is made for both Current and Deferred Taxes.
- (b) Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date
- (c) Deferred tax assets are not recognized unless there is virtual certainty that sufficient future taxable income would be available against which such deferred tax assets can be recognized.

[14] प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

- क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 "आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान" के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को मान्यता दिया गया, जब :-
- पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान में कोई दायित्व हो
 - उस दायित्व को निभाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह हो
 - जब दायित्व राशि का उचित परिकलन किया जा सकता हो।
- ख) निम्नलिखितों के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया :-
- पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित दायित्व और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक के नियंत्रण के भीतर हों, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी।
 - यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक हितों से सुसम्पन्न संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक हो अथवा
 - दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया नहीं जा सकता।

ऐसे बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है। इसको नियमित अंतरालों पर निर्धारित किया जाता है तथा बाध्यता के उस हिस्से, जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह संभव है, के लिए प्रावधान दिया गया है। जहाँ पर विश्वसनीय अनुमान बनाया नहीं जा सकता, वहाँ प्रावधान नहीं दिया गया है।

- ग) आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दिया गया है।

[15] निवल लाभ

लाभ-हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखितों के पश्चात है :

- निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- कराधान के लिए प्रावधान
- ऋण हानियों के लिए प्रावधान

[14] Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets

- a) In conformity with Accounting Standard (AS) 29 (Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets) issued by ICAI, the Bank (Parent) recognizes provision only when :
- It has a present obligation as a result of past event.
 - It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
 - When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- b) No provision is recognized for:
- Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank (parent).
 - It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or
 - A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

- c) Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

[15] Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:-

- Provision for Depreciation on Investments.
- Provision for Taxation.
- Provision on Loan Losses

- घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
- ड) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान
- च) अन्य सामान्य व आवश्यक मदें

- d) Provision on Standard Assets.
- e) Provision for Non-Performing Investments.
- f) Other usual & necessary items.

[16] प्रति शेयर अर्जन:

बैंक (प्रधान), लेखांकन मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाए ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

[16] Earnings per share:

The Bank (Parent) reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with Accounting Standard (AS) 20 (Earnings per Share). Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the Year.

अनुसूची – 19 / SCHEDULE – 19

यथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा संबंधी टिप्पणियां NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016

1. समेकित वित्तीय विवरणी केनरा बैंक (प्रधान) व उसकी निम्नलिखित अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं व संयुक्त उद्यम का परिणाम है। अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं व संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणी केनरा बैंक के वित्तीय परिणाम, अर्थात 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की उसी रिपोर्टिंग अवधि तक तैयार किया गया है।

1.1 अनुषंगियाँ:

निम्न अनुषंगियों को उनके लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर समेकित किया गया है:

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	निगमित देश	यथा 31.03.2016 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2015 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1	केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.	भारत	100.00%	100.00%
2	केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि.	भारत	100.00%	100.00%
3	केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि.	भारत	100.00%	100.00%
4	केनबैंक फैक्टर्स लि.	भारत	70.00%	70.00%
5	केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लि.	भारत	69.14%	69.14%
6	केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.	भारत	51.00%	51.00%
7	केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि	भारत	51.00%	51.00%

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprises the result of the Canara Bank (Parent) and following Subsidiaries, Associates and Joint venture. The financial statements of the Subsidiaries/Associates/Joint venture are drawn upto the same reporting date as that of the Parent i.e. year ended March 31, 2016.

1.1 Subsidiaries:

The following subsidiaries have been consolidated based on their Audited Financial Statements:

Sl. No.	Name of the Subsidiary	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2016	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2015
1.	Canbank Venture Capital Fund Ltd	India	100.00%	100.00%
2.	Canbank Financial Services Ltd	India	100.00%	100.00%
3.	Canara Bank Securities Ltd	India	100.00%	100.00%
4.	Canbank Factors Ltd	India	70.00%	70.00%
5.	Canbank Computer Services Ltd	India	69.14%	69.14%
6.	Canara Robeco Asset Management Company Ltd	India	51.00%	51.00%
7.	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd	India	51.00%	51.00%

1.2. सहबद्ध संस्थाएं :

समेकन के उद्देश्य से निम्नलिखित सहबद्ध संस्थाओं के केनफिन होम्स लिमिटेड के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों और प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक और केरला ग्रामीण बैंक के गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर उनमें किए गए निवेश पर विचार किया गया:

क्रमांक	सहयोग संस्थाओं के नाम	निगमिति देश	यथा 31.03.2016 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2015 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1	केनफिन होम्स लि	भारत	43.45%	43.45%
2	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%
3	केरल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%

1.2 Associates:

- The investment in the following Associates have been considered for the purpose of consolidation based on the Audited Financial Statements of Canfin Homes Ltd and unaudited financial statement of Pragathi Krishna Gramin Bank and Kerala Gramin Bank.

Sl. No.	Name of the Associates	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2016	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2015
1.	Canfin Homes Ltd.	India	43.45%	43.45%
2.	Pragathi Krishna Gramin Bank	India	35.00%	35.00%
3.	Kerala Gramin Bank	India	35.00%	35.00%

II. कॉमनवेल्थ न्यास (भारत) लिमिटेड, एक सहबद्ध संस्थान, जहाँ पर मूल बैंक का 30% धारण है, इसकी वित्तीय विवरणी दिनांक 31 मार्च, 2014 तक उपलब्ध होने के कारण समेकन कार्य के लिए विचार नहीं किया गया है। सहबद्ध संस्थान का पहले से निम्न स्तर का परिचालन होने के कारण तथा यथा 31.03.2014 को उपलब्ध अंतिम अपर्याप्त वित्तीय विवरणी पर विचार करते हुए, समेकित वित्तीय विवरणी में, इसके निवेशों को शामिल नहीं करने से, कोई प्रभाव नहीं होगा।

II. Commonwealth Trust (India) Ltd., an Associate, in which Parent has 30% holding, could not be considered for consolidation as its financial statements are available only upto 31st March 2014. Considering the unsubstantial financials the Associate as per the last available financial statements as at 31.03.2014, there is no material impact of non-inclusion of its investments in the Consolidated Financial Statements.

1.3 संयुक्त उद्यम:

क. रूस में निगमित कॉमर्शियल इंडो बैंक एल एल सी, संयुक्त उद्यम संस्था के संबंध में जिसमें बैंक का 40% हित है, समेकन 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर किया गया है। संयुक्त उद्यम के लिए लेखा वर्ष दिसंबर 31 को समाप्त होगा।

1.3 Joint Venture:

a. In respect of Commercial Indo Bank LLC, the Joint Venture entity, incorporated in Russia wherein the Bank has 40% interest, consolidation has been done based on unaudited accounts for the year ended 31st March, 2016. The Accounting year for the joint venture ends on 31st December.

ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक - 27" संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" की आवश्यकता के अनुसार उक्त संयुक्त उद्यम में आस्तियों, देयताओं, आय व व्यय राशि में मूल बैंक के शेयर निम्नवत हैं:-

b. As required by Accounting Standard (AS) - 27 - "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) the amount of the Assets, Liabilities, Income and Expenses of Parent's share in the said Joint Venture is as under:-

क. तुलन पत्र:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
पूँजी व देयताएं		
पूँजी	97.17	91.67
आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष	(27.31)	(44.23)
जमा	26.13	25.82
उधार	149.87	147.62
अन्य देयताएं व प्रावधान	0.58	7.74
कुल	246.44	228.62
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	0.46	0.29
बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर राशि	85.81	58.12
निवेश	144.20	150.72
अग्रिम	21.04	18.70
अचल आस्तियाँ	0.11	0.10
अन्य आस्तियाँ	(5.18)	0.69
कुल	246.44	228.62
आकस्मिक देयताएं	17.85	1.29

ख. लाभ और हानि खाता:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
आय		
अर्जित ब्याज	17.00	17.69
अन्य आय	1.47	0.53
कुल	18.47	18.22
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	2.77	2.27
परिचालन व्यय	3.67	4.05
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	(0.01)	9.46
कुल	6.43	15.78
लाभ	12.04	2.44

A. Balance Sheet:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Capital & Liabilities		
Capital	97.17	91.67
Reserve & Surplus	(27.31)	(44.23)
Deposits	26.13	25.82
Borrowings	149.87	147.62
Other Liabilities and Provisions	0.58	7.74
TOTAL	246.44	228.62
Assets		
Cash & Balance with RBI	0.46	0.29
Balance with Banks & Money at Call and Short Notice	85.81	58.12
Investments	144.20	150.72
Advances	21.04	18.70
Fixed Assets	0.11	0.10
Other Assets	(5.18)	0.69
TOTAL	246.44	228.62
Contingent Liabilities	17.85	1.29

B. Profit & Loss Account:

(₹ in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Income		
Interest Earned	17.00	17.69
Other Income	1.47	0.53
TOTAL	18.47	18.22
Expenditure		
Interest Expended	2.77	2.27
Operating Expenses	3.67	4.05
Provision and Contingencies	(0.01)	9.46
TOTAL	6.43	15.78
PROFIT	12.04	2.44

2. अनुषंगियाँ व संयुक्त उद्यम प्रचलित सिद्धांत व पद्धति के अनुसार लेखांकन नीतियों का अनुसरण कर रही हैं जो संबंधित कारोबारी आवश्यकताओं के कारण मूल बैंक से कुछ मामलों में अलग हैं। प्रबंधन की राय है, चूंकि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, जिसे समेकित वित्तीय विवरणी में समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
3. विभिन्न अनुषंगियों के अधिग्रहण से प्राप्त पूंजी आरक्षित निधियां / (साख) का अलग विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी का नाम	31.03.2016	31.03.2015
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड	2.54	2.54
केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लि.	0.25	0.25
निवल पूंजी आरक्षित निधियां	2.79	2.79

4. अंतरशाखा लेनदेन और शेषों का पुष्टिकरण:

31.03.2016 तक अंतर शाखा लेनदेनों के अधीन समाधान के उद्देश्य से मूल बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान किया गया है। तथापि, मूल बैंक ने शेष बकाया प्रविष्टियों के समाधान, निकासी और उन्हें कम करने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा है।

कुछ अनुषंगियों के संबंध में फुटकर लेनदार, फुटकर देनदार, ऋण और अग्रिम आदि के शेषों का पुष्टिकरण किया जाना है।

5. अचल आस्तियाँ

5.1 परिसर में प्रधान बैंक के ₹55.46 करोड़ (पिछले वर्ष ₹211.35 करोड़) मूल लागत युक्त कुछ संपत्तियाँ भी शामिल है जिसके संबंध में हस्तांतरण प्रलेख निष्पादन के लिए लंबित है।

5.2 प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रयोज्य जीवन के आधार पर अचल परिसंपत्तियां पर मूल बैंक का वर्ष के दौरान मूल्यहास की विधि को स्ट्रेट लाइन विधि में परिवर्तित कर दिया गया है, अबतक इसके बदले डब्ल्यू डी वी विधि का प्रयोग किया जाता था। वित्तीय वर्ष के दौरान मूल्यहास के लिए पूंजीकरण के वर्ष में परिसम्पत्ति के सामान्य दर का 100% यदि वह 180 दिनों या इससे अधिक

2. The Subsidiaries, Associates and Joint Venture are following Accounting Policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from Parent in a few cases because of respective industry / business requirements. In the opinion of the management, as the impact of the same is not material, no adjustment is required in Consolidated Financial Statements.
3. The breakup of Capital Reserve / (Goodwill) arising on the acquisition of various Subsidiaries is as under:

(₹ in Crore)

Name of the Subsidiary	31.03.2016	31.03.2015
Canbank Factors Limited	2.54	2.54
Canbank Computer Services Ltd.	0.25	0.25
Net Capital Reserve	2.79	2.79

4. Inter Branch transactions and confirmation of balances:

The initial matching of entries received at the Head Office of Parent for the purpose of reconciliation under Inter-Branch transactions up to 31.03.2016 has been done. However, Parent is continuing its efforts to reconcile and reduce the remaining outstanding entries.

In some of the Subsidiaries, balances in Sundry Creditors, Sundry Debtors, Loans and Advances etc. are subject to confirmation.

5. Fixed Assets:

5.1 Premises include having original cost of ₹ 55.46 Crore (Previous year ₹ 211.35 Crore) in certain properties respect of which conveyance deeds is pending execution.

5.2 During the year the method of depreciation of Parent Bank on Fixed Assets has been changed to straight line method (SLM), on the basis of useful life determined by management, as against WDV method being used hitherto. Bank has also adopted a policy of charging depreciation in the year of capitalisation at 100 percent of the normal rate of assets ready for use for

के लिए प्रयुक्त हो और परिसम्पत्ति के सामान्य दर का 50% यदि वह 180 दिनों से कम के लिए प्रयुक्त हो, के लिए बैंक ने एक नीति को स्वीकार किया है। पूर्व की नीति के अनुसार मूल्यहास परिसंपत्तियों के प्रयुक्त दिनों की संख्या के आधार पर नहीं बल्कि पूंजीकरण के वर्ष के दौरान सामान्य दर के 100% पर वसूला जाता था। परिवर्तन वित्तीय विवरणी को अधिक उचित प्रस्तुति के लिए किया गया है जो कि दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी है और इसी के अनुसार मूल्यहास की गणना की जाती है।

परिवर्तन के परिणामस्वरूप, पूर्व की अवधि के लिए मूल्यहास ₹171.39 करोड़ अधिक पाया और वर्ष के लिए मूल्यहास ₹72.46 करोड़ अधिक वसूला गया। फलस्वरूप, अचल परिसंपत्तियां और कर से पहले का लाभ ₹243.85 करोड़ अधिक है।

5.3 लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन:

वर्ष के दौरान कुछ आस्तियों के उपयोगी जीवन को परिवर्तित किया गया है। ऐसे आस्तियों हेतु आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन के लिए अपरिशोधित मूल्यहास राशि को संभावित रूप से परिशोधित किया गया है।

6. केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड (केनफिना):

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में केनफिना पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, जिसकी निवल कीमत पूर्णरूप से समाप्त हो गई है वह किसी भी अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में नहीं लगी है। आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने केनफिना की सभी वित्तीय आस्तियों के निपटान के लिए समय को दो वर्षों के लिए, अर्थात् 31 जनवरी, 2017 तक बढ़ा दिया है। उक्त अवधि के दौरान कंपनी कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का क्रियाकलाप नहीं करने के शर्तों के अधीन विस्तारण अवधि बढ़ायी गयी है। तथापि, 31.01.2017 तक अनुमत की गई विस्तारण को ध्यान में रखकर केनफिना के वित्त का समेकन क्रियाशील इकाई के रूप में किया गया है।

7. इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गमन :

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निम्न पार्टियों को इक्विटी शेयर जारी और आबंटित किया गया:

180 days or more and at 50 percent of the normal rate of assets ready for use for less than 180 days during that financial year. The earlier policy of the Bank was to charge depreciation at 100 percent of the normal rate during the year of capitalisation irrespective of the number of days the assets was ready for use. The changes have been done to make more appropriate presentation of financial statements and have been effected from 01.04.2015 onwards and depreciation has been calculated accordingly.

Consequent to the change, depreciation of prior period amounting to ₹171.39 crores has been found to be in excess and depreciation charged for the year is higher by ₹72.46 crores. As a result, the fixed assets and the profit before tax are higher by ₹243.85 Crores.

5.3 Change in Accounting Estimates:

During the year, useful life of some of the assets has been changed. For those assets, unamortized depreciable amount has been amortized prospectively over the remaining useful life of the assets.

6. Canbank Financial Services Limited (CANFINA):

Pursuant to the directions of the Reserve Bank of India, Canbank Financial Services Ltd. (CANFINA), a wholly owned Subsidiary whose net worth is totally eroded is not engaged in any of the activities of a Non Banking Financial Company. Further, Reserve Bank of India, has permitted CANFINA a further extension of two years i.e up to January 31, 2017 to dispose off the financial assets. The extension of time is subject to the condition that the company shall not undertake any NBFC type of activity during the period. However, considering the extension permitted upto 31.01.2017, the financials of CANFINA have been consolidated on going concern basis.

7. Fresh Issue of Equity Share Capital:

During the year Bank had issued and allotted Equity Shares to the following parties:

- i) वर्ष के दौरान मूल बैंक ने दिनांक 30.04.2015 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में बैंक के शेयरधारकों की सहमति द्वारा पारित की गई विशेष संकल्प के अनुसार दिनांक 12.05.2015 को ₹10/- अंकित मूल्य के 4,00,00,000 ईक्विटी शेयर ₹370.08/- के प्रीमियम सहित ₹380.08/- की निर्गम मूल्य पर भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी)/ एल आई सी की योजना को अधिमानित आधार पर निर्गमित किया।
- ii) वर्ष के दौरान मूल बैंक ने दिनांक 29.09.2015 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में बैंक के शेयरधारकों की सहमति द्वारा पारित की गई विशेष संकल्प के अनुसार दिनांक 30.09.2015 को ₹10/- अंकित मूल्य के 2,77,94,083 ईक्विटी शेयर ₹330.72/- के प्रीमियम सहित ₹340.72/- की निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानित आधार पर निर्गमित किया।

8 संबद्ध पार्टी का प्रकटन:

8.1 संबद्ध पार्टियों की सूची और बैंक के साथ उनका संबंध- प्रधान - केनरा बैंक

8.1.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक -

- i) श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- ii) श्री प्रद्युमन सिंह रावत, कार्यपालक निदेशक
- iii) श्री हरिदीश कुमार बी, कार्यपालक निदेशक
- iv) श्री दीनबन्धु महापात्र, कार्यपालक निदेशक (22.01.2016 से)
- v) श्री वी एस कृष्णकुमार (30.04.2015 तक)

8.1.2 प्रधान -

- i) केनरा बैंक

8.1.3 अनुषंगियाँ-

- i) केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड
- ii) केनबैंक वेंचर कैपिटल फण्ड लिमिटेड
- iii) केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
- iv) केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड
- v) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लिमिटेड
- vi) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज़ लिमिटेड (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज़ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)

- i) 40000000 Equity shares of face value of ₹10 each for cash at an issue price of ₹380.08 including premium of ₹370.08 to the Life Insurance Corporation of India (LIC)/Schemes of LIC on preferential basis on 12.05.2015 with the consent of the Shareholders of the Bank by way of Special Resolution passed in the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 30.04.2015
- ii) 27794083 Equity shares of face value of ₹10 each for cash at an issue price of ₹.340.72 including premium of ₹330.72 to the Government of India (GOI) on preferential basis on 30.09.2015 with the consent of the Shareholders of the Bank by way of Special Resolution passed in the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 29.09.2015.

8. Related Party Disclosures:

8.1 Names of Related parties and their relationship with the Bank- Parent - Canara Bank

8.1.1 Key Management Personnel -

- i) Shri. Rakesh Sharma, Managing Director & Chief Executive Officer
- ii) Shri. Pradyuman Singh Rawat, Executive Director
- iii) Shri. Harideesh Kumar B, Executive Director
- iv) Shri. Dinabandhu Mohapatra, Executive Director (from 22.01.2016)
- v) Shri. V S Krishnakumar, Executive Director (Till 30.04.2015)

8.1.2 Parent-

- i) Canara Bank

8.1.3 Subsidiaries -

- i) Canbank Financial Services Ltd.
- ii) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- iii) Canbank Factors Ltd.
- iv) Canara Robecco Asset Management Company Ltd.
- v) Canbank Computer Services Ltd.
- vi) Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd)

vii) केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड

vii) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd

8.1.4 संयुक्त उद्यम

i) कॉमर्शियल इंडो बैंक एल एल सी, मॉस्को (पूर्व में कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल एल सी, मॉस्को)

8.1.4 Joint Ventures

i) Commercial Indo Bank LLC., Moscow (formerly Commercial Bank of India LLC., Moscow)

8.1.5 सहबद्ध संस्थाएं

- i) केनफिन होम्स लिमिटेड
- ii) कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
- iii) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - क) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (तत्कालीन प्रगति ग्रामीण बैंक)
 - ख) केरल ग्रामीण बैंक (तत्कालीन साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक)

8.1.5 Associates

- i) Canfin Homes Ltd.
- ii) Commonwealth Trust (India) Ltd.
- iii) Regional Rural Banks sponsored by the Bank
 - a) Pragati Krishna Gramin Bank (Erstwhile Pragati Gramin Bank)
 - b) Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)

8.1.6 मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संव्यवहारों का प्रकटीकरण निम्नवत है:

- i) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक: ₹ 0.68 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.88 करोड़)
- ii) श्री प्रद्युमन सिंह रावत (कार्यपालक निदेशक) को कर्मचारी आवास ऋण ₹0.41 करोड़ (पिछले वर्ष-₹0.05 करोड़)

लेखांकन मानक 18 की पैरा 5 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों तथा उनके संबंधियों के लेन-देन सहित बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

8.1.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

- i) Remuneration to Key Management Personnel ₹ 0.68 Crore (Previous Year: ₹ 0.88 Crore)
- ii) Staff Housing Loan to Shri P S Rawat (Executive Director) ₹ 0.41 Crore (Previous Year ₹0.05 Crore)

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed

8.1.7 अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों के साथ लेन देन निम्नवत हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुषंगियाँ	सहबद्ध संस्थाएं व संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संबंधी	कुल
उधार –					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	30.00 (30.00)	---	---	30.00 (30.00)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	30.00 (30.00)			30.00 (30.00)
जमाएँ					
यथा वर्षांत को बकाया	42.56 (136.98)	388.52 (2063.36)	---	---	431.08 (2200.34)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	63.41 (136.98)	1792.12 (2063.36)			1855.53 (2200.34)
जमाओं का नियोजन –					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	149.41 (140.94)	---	---	149.41 (140.94)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	149.41 (140.94)			149.41 (140.94)
अग्रिम –					
यथा वर्षांत को बकाया	537.29 (620.23)	2218.11 (2220.58)	---	---	2755.40 (2840.81)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	616.21 (620.23)	2972.25 (2220.58)			3588.46 (2840.81)
अचल संपत्तियों की खरीद –					
यथा वर्षांत को बकाया	31.30 (NIL)	शून्य (शून्य)	---	---	31.30 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	31.30 (NIL)	शून्य (शून्य)			31.30 (शून्य)
निवेश –					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	---	---	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)			शून्य (शून्य)
चालू खाता में शेष –					
यथा वर्षांत को बकाया	26.54 (14.45)	181.68 (106.05)	---	---	208.22 (120.50)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	48.03 (14.45)	282.32 (106.05)			330.35 (120.50)
अन्य प्राप्य –					
यथा वर्षांत को बकाया	20.02 (2.03)	शून्य (शून्य)	---	---	20.02 (2.03)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	20.02 (2.03)	शून्य (शून्य)			20.02 (2.03)

8.1.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures	Key Management Personnel (KMP)	Relatives of KMP	Total
Borrowings –					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	30.00 (30.00)	---	---	30.00 (30.00)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	30.00 (30.00)			30.00 (30.00)
Deposits-					
Outstanding as at the year end	42.56 (136.98)	388.52 (2063.36)	---	---	431.08 (2200.34)
Maximum outstanding during the year	63.41 (136.98)	1792.12 (2063.36)			1855.53 (2200.34)
Placement of Deposits –					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	149.41 (140.94)	---	---	149.41 (140.94)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	149.41 (140.94)			149.41 (140.94)
Advances-					
Outstanding as at the year end	537.29 (620.23)	2218.11 (2220.58)	---	---	2755.40 (2840.81)
Maximum outstanding during the year	616.21 (620.23)	2972.25 (2220.58)			3588.46 (2840.81)
Purchase of Fixed Assets-					
Outstanding as at the year end	31.30 (NIL)	NIL (NIL)	---	---	31.30 (NIL)
Maximum outstanding during the year	31.30 (NIL)	NIL (NIL)			31.30 (NIL)
Investment-					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	---	---	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)
Balance in current account					
Outstanding as at the year end	26.54 (14.45)	181.68 (106.05)	----	---	208.22 (120.50)
Maximum outstanding during the year	48.03 (14.45)	282.32 (106.05)			330.35 (120.50)
Other receivable-					
Outstanding as at the year end	20.02 (2.03)	NIL (NIL)	---	---	20.02 (2.03)
Maximum outstanding during the year	20.02 (2.03)	NIL (NIL)			20.02 (2.03)

अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र- निर्गमित - यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	---	---	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	---	---	शून्य (शून्य)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र- प्रतिभागिता किए गए - यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (744.43)	---	---	शून्य (744.43)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	400.00 (744.43)	---	---	400.00 (744.43)
कमीशन प्राप्त - यथा वर्षांत को बकाया	2.60 (शून्य)	0.11 (शून्य)	---	---	2.71 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	2.60 (शून्य)	0.11 (शून्य)	---	---	2.71 (शून्य)
अन्य देय - यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	---	---	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	---	---	शून्य (शून्य)
प्रदत्त ब्याज	10.14 (10.86)	99.96 (104.22)	---	---	110.10 (115.08)
प्राप्त ब्याज	43.77 (40.66)	178.58 (236.65)	---	---	222.35 (277.31)
प्राप्त लाभांश	2.50 (7.50)	शून्य (शून्य)	---	---	2.50 (7.50)
मीयादी जमाओं / जमा प्रमाणपत्रों की चुकौती	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	---	---	शून्य (शून्य)
मीयादी जमाओं / जमा प्रमाणपत्रों की स्वीकृती	शून्य (शून्य)	शून्य (4.63)	---	---	शून्य (4.63)
प्रदत्त प्रीमियम	114.92 (62.39)	शून्य (शून्य)	---	---	114.92 (62.39)
सेवा उपलब्ध कराना	93.87 (34.86)	0.70 (0.93)	---	---	94.57 (35.79)
सेवाओं के लिए प्रदत्त	0.32 (33.87)	0.01 (0.01)	---	---	0.33 (33.88)
निधियन लागत तथा ब्याज सहित पी एस यू निपटान देयताओं के भुगतान	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	---	---	शून्य (शून्य)
बी एस ई को निर्गमित अधिकारों के संबंध में गारंटी	शून्य (शून्य)	1.39 (1.38)	---	---	1.39 (1.38)

प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को दिया गया वेतन इसमें नहीं दर्शाया गया है।
कोष्ठकों में दिए गये आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं
(प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत और लेखापरीक्षकों द्वारा अवलंबित के अनुसार)

Inter Bank Participation Certificate – Issued					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	---	---	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)
Inter Bank Participation Certificate – Participated					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (744.43)			NIL (744.43)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	400.00 (744.43)	---	---	400.00 (744.43)
Commission Receivable-					
Outstanding as at the year end	2.60 (NIL)	0.11 (NIL)	---	---	2.71 (NIL)
Maximum outstanding during the year	2.60 (NIL)	0.11 (NIL)			2.71 (NIL)
Other payable					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	---	---	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)
Interest paid	10.14 (10.86)	99.96 (104.22)	---	---	110.10 (115.08)
Interest received	43.77 (40.66)	178.58 (236.65)	---	---	222.35 (277.31)
Dividend received	2.50 (7.50)	NIL (NIL)	---	---	2.50 (7.50)
Repayment of Fixed Deposits/Certificate of deposits	NIL (NIL)	NIL (NIL)	---	---	NIL (NIL)
Acceptance of Fixed Deposits/Certificate of deposits	NIL (NIL)	NIL (4.63)	---	---	NIL (4.63)
Premium Paid	114.92 (62.39)	NIL (NIL)	---	---	114.92 (62.39)
Rendering of Service	93.87 (34.86)	0.70 (0.93)	---	---	94.57 (35.79)
Receiving for Services	0.32 (33.87)	0.01 (0.01)	---	---	0.33 (33.88)
Repayment of PSU Settlement dues including funding cost and Interest	NIL (NIL)	NIL (NIL)	---	---	NIL (NIL)
Guarantee in respect of rights issued to BSE	NIL (NIL)	1.39 (1.38)	---	---	1.39 (1.38)

Salary to deputed staff is not shown as the same is reimbursed
 Figures in brackets relate to previous year.
 (As compiled and certified by the Management and relied upon by the Auditors.)

9. प्रति शेयर अर्जन :

9.1 प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन

विवरण	2015-2016	2014-2015
मूल और तनुकृत ई पी एस (₹)	(49.69)	62.10

9.2 प्रति शेयर अर्जन का परिकलन:

	विवरण	2015-2016	2014-2015
क	ईक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ (₹) (करोड़ में)	(2607.01)	2864.66
ख	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़)	52.47	46.13
ग	यथा 31 मार्च, 2015 को बकाया शेयरों की संख्या (करोड़)	54.30	47.52
घ	प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन (क/ख) (₹)	(49.69)	62.10
ङ	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

9. Earnings Per Share:

9.1 Basic and Diluted Earnings Per Share:

Particulars	2015-2016	2014-2015
Basic and Diluted EPS (₹)	(49.69)	62.10

9.2 Computation of EPS:

	Particulars	2015-2016	2014-2015
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in Crore)	(2607.01)	2864.66
B	Weighted Average Number of Equity Shares (Crore)	52.47	46.13
C	No. of Shares outstanding as on 31st March 2015 (Crore)	54.30	47.52
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	(49.69)	62.10
E	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

10. आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं:

यथा 31.03.2016 को निवल आस्थगित कर देयता ₹ 70.21 करोड़ थी (यथा 31.03.2015 को ₹ 1396.15 आस्थगित कर आस्तियां व आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयता	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
उपचित ब्याज लेकिन प्रतिभूतियों पर देय नहीं		शून्य	849.68	933.77
छुट्टी नकदीकरण / उपदान	309.40	315.18		0.02
अचल आस्तियों पर मूल्यहास		55.19	17.00	0.13
निवेश पर मूल्यहास			1705.10	
वायदा संविदा पर अप्राप्य लाभ			52.94	
अग्रिम के लिए प्रावधान	3775.42			
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधियों पर डीटीएल		शून्य	1384.32	1211.28
एफ आई टी एल के लिए प्रावधान		391.00		शून्य
अन्य		16.53	5.57	28.85
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	4084.82	777.90	4014.61	2174.05

10. Deferred Tax Assets and Liabilities:

Net Net Deferred Tax Assets computed as on 31.03.2016 amounted to ₹ 70.21 Crore (Deferred Tax Liabilities of ₹1396.15 Crore as on 31.03.2015). The components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:-

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
Interest accrued but not due on securities		NIL	849.68	933.77
Leave Encashment / Gratuity	309.40	315.18		0.02
Depreciation on Fixed Assets		55.19	17.00	0.13
Depreciation on Investments			1705.10	
Unrealised gain on Forward contracts			52.94	
Provision made for advances	3775.42			
DTL on Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of IT Act,1961		NIL	1384.32	1211.28
Provision for FITL		391.00		Nil
Others		16.53	5.57	28.85
Deferred Tax Asset / Liability	4084.82	777.90	4014.61	2174.05

11. वर्ष के दौरान बनाई गई प्रावधानों व आकस्मिकताओं का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
निवेश व एन पी आई में मूल्यहास के लिए प्रावधान	267.75	(657.75)
एन पी ए के प्रति प्रावधान	9641.37	3780.92
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	(459.29)	155.32
कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	(378.52)	825.26
उचित मूल्य के हास के लिए प्रावधान	531.29	(41.42)
परिसंपत्ति की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	4.80	(12.00)
देश ऋण जोखिम के लिए प्रावधान	8.00	7.30
अन्य आकस्मिकताओं तथा प्रावधान- निवल	370.71	232.02
कुल	9986.11	4289.65

11. Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Provision for Depreciation on Investment and NPI	267.75	(657.75)
Provision towards NPA	9641.37	3780.92
Provision towards Standard Asset	(459.29)	155.32
Provision for Tax (Including Deferred Tax)	(378.52)	825.26
Provision for Diminution in Fair Value	531.29	(41.42)
Provision for assets doubtful of recovery	4.80	(12.00)
Provision for Country Risk Exposure	8.00	7.30
Other Provision and Contingencies –Net	370.71	232.02
TOTAL	9986.11	4289.65

12. समेकित खण्ड रिपोर्टिंग

भाग क-कारोबार खण्ड (₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2016	31.03.2015
I	खण्ड राजस्व		
क	राजकोषीय परिचालन	12811.13	12201.37
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	15459.48	12582.47
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	20382.09	22818.09
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित	518.05	944.89
	कुल	49170.75	48546.82
II	खण्ड परिणाम		
क	राजकोषीय परिचालन	2156.28	1569.12
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	2372.04	1221.35
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	2373.68	3548.66
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित	0.00	0.00
	कुल	6902.00	6339.13
III	गैर आबंटित आय / (व्यय)	413.82	808.54
IV	परिचालन लाभ	7315.82	7147.67
V	प्रावधान और आकस्मिकताएं	10364.63	3464.39
VI	आय कर	(378.52)	825.26
VII	असाधारण मद	0.00	0.00
VIII	वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि	(2670.29)	2858.02
IX	जोड़ें: सहबद्ध संस्थाओं में अर्जन का हिस्सा	135.17	73.03
X	घटाएं: अल्पसंख्यक हित (निवल हानि)	71.89	66.39
XI	समूह के कारण वर्ष के लिए समेकित लाभ	(2607.01)	2864.66
	अन्य सूचना		
XII	खण्ड आस्तियाँ		
क	राजकोषीय परिचालन	197569.24	192632.54
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	135406.46	117466.87
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	195351.59	217195.46
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित आस्तियाँ	29952.97	25856.83
	कुल	558280.26	553151.70
XIII	खण्ड देयताएं		
क	राजकोषीय परिचालन	34649.32	50848.56
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	293171.08	251281.63
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	163892.51	183254.51
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित देयताएं	39602.34	40681.14
च	पूँजी और आरक्षित निधियाँ*	26965.01	27085.86
	कुल	558280.26	553151.70

(*पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को छोड़कर)

12. Consolidated Segment Reporting

Part A-Business Segment (₹ in Crore)

	PARTICULARS	Year ended	
		31.03.2016	31.03.2015
I	Segment Revenue		
a	Treasury Operations	12811.13	12201.37
b	Retail Banking Operations	15459.48	12582.47
c	Wholesale Banking Operations	20382.09	22818.09
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated	518.05	944.89
	Total	49170.75	48546.82
II	Segment Results		
a	Treasury Operations	2156.28	1569.12
b	Retail Banking Operations	2372.04	1221.35
c	Wholesale Banking Operations	2373.68	3548.66
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated	0.00	0.00
	Total	6902.00	6339.13
III	Unallocated Income/ (Expenses)	413.82	808.54
IV	Operating Profit	7315.82	7147.67
V	Provisions and Contingencies	10364.63	3464.39
VI	Income Tax	(378.52)	825.26
VII	Extraordinary Items	0.00	0.00
VIII	Net Profit / (Loss) for the Year	(2670.29)	2858.02
IX	Add:-Share of Earnings in Associates	135.17	73.03
X	Less:-Minority Interest (Net Loss)	71.89	66.39
XI	Consolidated Profit/(Loss) for the Year attributable to the Group	(2607.01)	2864.66
	Other Information		
XII	Segment Assets		
a	Treasury Operations	197569.24	192632.54
b	Retail Banking Operations	135406.46	117466.87
c	Wholesale Banking Operations	195351.59	217195.46
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated Assets	29952.97	25856.83
	Total	558280.26	553151.70
XIII	Segment Liabilities		
a	Treasury Operations	34649.32	50848.56
b	Retail Banking Operations	293171.08	251281.63
c	Wholesale Banking Operations	163892.51	183254.51
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated Liabilities	39602.34	40681.14
f	Capital and Reserves *	26965.01	27085.86
	Total	558280.26	553151.70

(* Excluding Revaluation Reserve)

भाग ख-भौगोलिक खण्ड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2016	31.03.2015
क	घरेलू परिचालन		
	राजस्व	47908.25	47330.27
	आस्तियां	503906.00	505063.47
ख	अंतर्राष्ट्रीय परिचालन		
	राजस्व	1262.50	1216.55
	आस्तियां	54374.26	48088.23
ग	कुल		
	राजस्व	49170.75	48546.82
	आस्तियां	558280.26	553151.70

Part B – Geographical Segment:

(₹ in Crore)

	Particulars	Year ended	
		31.03.2016	31.03.2015
a	Domestic Operations		
	Revenue	47908.25	47330.27
	Assets	503906.00	505063.47
b	International Operations		
	Revenue	1262.50	1216.55
	Assets	54374.26	48088.23
c	Total		
	Revenue	49170.75	48546.82
	Assets	558280.26	553151.70

13. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहबद्ध संस्थाओं के संचित लाभ / हानि में मूल संस्था का हिस्सा आँकने के बाद समूह की समेकित आरक्षित निधियां ₹31866.68 करोड़ है जिनमें से ₹31060.21 करोड़ मूल संस्था के हैं और अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व सहबद्ध संस्थाओं के ₹806.47 करोड़ हैं। (पिछले वर्ष ₹32016.51 करोड़ जिसमें से ₹31384.04 करोड़ मूल संस्था का तथा शेष ₹632.47 करोड़ अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व सहबद्ध संस्थाओं के थे)

14. मूल संस्था और अनुषंगियों के प्रत्येक वित्तीय विवरणी में प्रकटित अतिरिक्त सांविधिक सूचना के समेकित वित्तीय विवरणी का सच्ची एवं निष्पक्ष राय पर कोई प्रभाव नहीं है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए उन मदों की सूचना का, जो महत्वपूर्ण नहीं है, समेकित वित्तीय विवरणियों में प्रकटन नहीं किया है।

13. The consolidated Reserves of the Group after reckoning Parent's share of accumulated profit / loss of Subsidiaries, Associates and Joint Venture amount to ₹31866.68 Crore of which ₹31060.21 Crore relate to the Parent and the balance ₹ 806.47 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Previous year ₹32016.51Crore of which ₹ 31384.04 Crore relate to the Parent and the balance ₹ 632.47 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture).

14. Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

15. लेखांकन मानक 28- आस्तियों की हानि :

प्रबंधन के विचारानुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई लेखांकन मानक (एएस) 28 के अनुसार यथा 31.03.2016 को वास्तविक आधार पर मान्यता की आवश्यकतायुक्त अचल आस्तियों की कोई हानि नहीं हुई है।

16. आय निर्धारण, परिसंपत्तियां वर्गीकरण और प्रावधान, आयकर और आस्थगित कर के लिए प्रावधान, निवेश और अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, अरक्षित विदेशी मुद्रा के साथ इकाईयों के लिए एक्सपोजर और अन्य आवश्यक प्रावधानों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का दिशानिर्देश और निर्देश की सीमा का अनुपालन में ऋण हानियों के लिए प्रावधानों को स्वीकार करने के उपरांत 31 मार्च 2016 को आये वित्तीय परिणाम आया है। अवमानक अग्रिमों के देनदारियों पर 5% और संदिग्ध II श्रेणी के देनदारियों पर 10% के लिए मूल बैंक द्वारा अतिरिक्त ₹1486 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

17. वर्ष के दौरान, परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा के खंड के रूप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल बैंक को सलाह दिया गया है कि 31.12.2015 और 31.03.2016 को समाप्त होने वाली दो तिमाहियों में कुछ अग्रिम खातों के संबंध में वर्गीकरण और प्रावधानों को संशोधित किया जाना, जिसका की मूल बैंक द्वारा तदनुसार अनुपालन किया गया।

18. उज्ज्वल डिस्कॉम एश्यूरेंस योजना (उदय) योजना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या डीबीआर.बीएनपी. संख्या.11643/21.04.132/2015-16 दिनांक 17.03.2016 के द्वारा जारी पत्र के अनुरूप मूल बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में जो खंड परिकल्पित नहीं की गई, को एस डी एल में परिवर्तित करने के लिए ₹399.36 करोड़ और ऋण का उचित मूल्य / डिस्कॉम बांड्स के लिए ₹131.01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

19. भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र दिनांक 12.04.2016 के अनुपालन में मूल बैंक द्वारा पंजाब राज्य सरकार द्वारा उठाये गए खाद्य ऋण का लाभ के अंतर्गत दिनांक 31.03.2016 तक बकाया राशि ₹2233.86 करोड़ का 15% राशि ₹335.08 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार उक्त प्रावधान

15. Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

In the opinion of the Management, there is no indication of impairment of any of its Fixed Asset as at 31.03.2016 requiring recognition in terms of Accounting Standard 28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

16. The Financial results for the quarter ended 31st March 2016 have been arrived at after considering provision for Loan Losses in accordance with the extant guidelines and directions of RBI on Prudential Norms for 'Income Recognition, Asset Classification and Provisioning' and Provision for Income Tax and Deferred Tax, Depreciation on Investments and Fixed Assets, provision for exposure to entities with unhedged foreign currency and other necessary provisions. The Parent Bank has made additional provision of ₹1486 Crore being 5% on the liability of the Sub-standard Advances and 10% on the liability of Doubtful II category.

17. During the year, as a part of Asset Quality Review, RBI has advised the Parent Bank to revise Classification/provisions in respect of certain advance accounts over the two quarters ending 31.12.2015 and 31.03.2016 which the Parent Bank has implemented accordingly.

18. In compliance to the RBI letter DBR.BNP. NO.11643/21.04.132/2015-16 dated 17.03.2016 on Ujwal Discom Assurance Yojna (UDAY) scheme, the Parent Bank has made a provision of ₹399.36 Crore in respect of segment not envisaged to be converted into SDL in FY 2016-17 and ₹131.01 Crore for diminution in the fair value of loan / Discom Bonds.

19 In accordance with the RBI letter dated 12.04.2016, the Parent Bank has provided a sum of ₹335.08 Crore being 15% of the outstanding amount of ₹2233.86 Crore as on 31.03.2016 under food credit availed by State Government of Punjab. As per the RBI direction, said provision was required to be made in two

की आवश्यकता दो तिमाहियों अर्थात मार्च, 2016 में 7.5% और जून 2016 में 7.5% तथापि, मूल बैंक द्वारा पूर्ण आवश्यक प्रावधान को मार्च 2016 के लिए निर्धारित किया है।

quarters i.e., 7.5% in March, 2016 and 7.5% in June, 2016. However, Parent Bank has decided to make full required provision in March 2016 quarter.

20. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

20. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

एम स्वामिनाथन मंडल प्रबंधक	वी सुकुमार मंडल प्रबंधक	वी रामाचन्द्रा उप महा प्रबंधक	एन सेल्वराजन महा प्रबंधक	दीनबन्धु महापात्र कार्यपालक निदेशक
हरिदीश कुमार बी कार्यपालक निदेशक	प्रद्युमन सिंह रावत कार्यपालक निदेशक	राकेश शर्मा प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	टी एन मनोहरन अध्यक्ष	उमा शंकर निदेशक
जी वी मणिमरान निदेशक	सुनील हुक्मचंद कोचेटा निदेशक	मोचेरला साईराम भास्कर निदेशक	रजिन्दर कुमार गोयल निदेशक	संजय जैन निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस सी वासुदेव एण्ड कं. सनदी लेखाकार	कृते विनय कुमार एण्ड कं. सनदी लेखाकार	कृते राम राज एण्ड कं. सनदी लेखाकार	कृते वी के निरंजन एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते जे सिंह एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार
संजय वासुदेव साझेदार	विनय कुमार अग्रवाल साझेदार	पी करुणाकर नायडू साझेदार	निरंजन वी के साझेदार	पी पार्थसारथी साझेदार	जे सिंह साझेदार

बेंगलूरु
27 मई, 2016

M SWAMINATHAN DIVISIONAL MANAGER	V SUKUMAR DIVISIONAL MANAGER	V RAMACHANDRA DEPUTY GENERAL MANAGER	N SELVARAJAN GENERAL MANAGER	DINABANDHU MOHAPATRA EXECUTIVE DIRECTOR
HARIDEESH KUMAR B EXECUTIVE DIRECTOR	P S RAWAT EXECUTIVE DIRECTOR	RAKESH SHARMA MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER	T N MANOHARAN CHAIRMAN	UMA SHANKAR DIRECTOR
G V MANIMARAN DIRECTOR	SUNIL HUKUMCHAND KOCHETA DIRECTOR	MOCHERLA SAIRAM BHASKAR DIRECTOR	RAJINDER KUMAR GOEL DIRECTOR	SANJAY JAIN DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For S C VASUDEVA & Co. Chartered Accountants	For VINAY KUMAR & Co. Chartered Accountants	For RAM RAJ & Co. Chartered Accountants	For V K NIRANJAN & Co. Chartered Accountants	For J L SENGUPTA & Co. Chartered Accountants	For J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants
SANJAY VASUDEVA Partner	VINAY KUMAR AGRAWAL Partner	P KARUNAKARA NAIDU Partner	NIRANJAN V K Partner	P PARTHASARATHY Partner	J SINGH Partner

Bengaluru
MAY 27, 2016

यथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकद प्रवाह विवरणी
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

	31.03.2016	31.03.2015
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Operating activities		
कर के बाद निवल लाभ / Net profit after Tax	-2607.01	2864.67
के लिए समायोजन / Adjustments for:		
कर के लिए प्रावधान / Provision for Tax	-378.52	825.26
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Provision for Depreciation on Investments	267.75	-728.16
अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing Advances	9641.37	3780.92
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	-459.28	155.32
आकस्मिकताएं व अन्य के लिए प्रावधान / Provisions for Contingencies and Others	914.79	256.30
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	172.03	428.91
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on revaluation of Investments	0.00	103.49
टीयर I व टीयर II बांडों पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds	1053.08	937.14
निवेशों की बिक्री पर (लाभ) / हानि / (Profit)/ loss on sale of Investments	-998.15	-1167.08
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि / (Profit) / loss on sale of Fixed Assets	0.58	-15.26
उप कुल / Sub total	7606.64	7441.51
के लिए समायोजन / Adjustments for:		
जमाओं में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in Deposits	6023.95	53121.31
उधारी में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in Borrowings	2769.44	-745.77
निवेशों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Investments	742.73	-18718.48
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Advances	5301.51	-28967.85
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Other assets	-279.55	-2843.53
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Other liabilities and provisions	-11380.10	-1397.07
अल्पसंख्यक हित में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Minority Interest	70.58	65.10
कराधान के पूर्व परिचालनात्मक गतिविधियों से नकद प्रवाह	10855.20	7955.22
Cash Flow from Operating Activity before taxation		
घटायें: प्रदत्त अग्रिम कर / Less: Advance Tax paid	1509.28	1611.47
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकद / Cash generated from Operating Activities (क) / (A)	9345.92	6343.75
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Investing activities		
अनुषंगियों / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेश में (वृद्धि) / कमी (Increase) / Decrease in Investments in Subsidiaries / Associates / JVs	-92.68	-179.04
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Fixed Assets	-369.57	-814.06
अन्य आरक्षित निधियों में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in Other Reserve	-22.62	-44.43
निवेशक गतिविधियों से सृजित नकद / Cash generated from Investing activities (ख) / (B)	-484.87	-1037.53
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Financing activities		
शेयर पूंजी / Share Capital	67.79	13.94
शेयर प्रीमियम / Share Premium	2399.53	556.06
अधीनस्थ बांडों में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in Subordinated Bonds	-1568.84	-801.14
टीयर I व टीयर II बांडों पर ब्याज का भुगतान / Payment of interest on Tier I and Tier II bonds	-1053.08	-937.15
तत्पश्चात प्रदत्त कर सहित प्रदत्त लाभांश / Dividends Paid including Tax Paid thereon	-651.73	-295.61
वित्तीय गतिविधियों से सृजित नकद / Cash generated from Financing activities (ग) / (C)	-806.33	-1463.89

विनिमय उतार चढ़ाव के कारण नकद प्रवाह / Cash Flow on account of Exchange Fluctuation		
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव की आरक्षित निधि / Reserves of Foreign Currency Fluctuation	41.46	-66.35
विनिमय उतार चढ़ाव से सृजित नकद (घ)		
Net Cash Flows on Account Of Exchange Fluctuation (D)	41.46	-66.35
नकद और नकद समतुल्य (क+ख+ग+घ) में निवल वृद्धि / (कमी)		
Net Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C+D)	8096.18	3775.98
अथ नकद व नकद समतुल्य / Opening Cash and Cash equivalents	48647.56	44871.58
इति नकद व नकद समतुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents	56743.75	48647.56

नोट / Notes:

- नकद प्रवाह विवरणी अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत तैयार किया गया है तथा आवश्यकतानुसार आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है। / The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method and figures has been re-grouped wherever necessary.
- नकद व नकद समतुल्य में मौजूदा नकद, भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य बैंकों में शेष और माँग और अल्प नोटिस पर धन शामिल है। / Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice

नकद व नकद समतुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	31.03.2016	31.03.2015
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद व शेष / Cash & Balance with RBI	20665.03	21976.76
बैंकों के साथ शेष एवं माँग पर व अल्प नोटिस पर निधि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	3.61	26670.80
कुल / Total	20668.64	48647.56

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक
हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक
प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक

वी रामाचन्द्रा
उप महा प्रबंधक
राकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मोचरला साईराम भास्कर
निदेशक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक
टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

दीनबन्धु महापात्र
कार्यपालक निदेशक
उमा शंकर
निदेशक

जी वी मणिमारन
निदेशक

सुनील हुक्मचंद कोचेटा
निदेशक

रजिन्दर कुमार गोयल
निदेशक

संजय जैन
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
एस सी वासुदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
विनय कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
जे सिंह एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

संजय वासुदेव
साझेदार

विनय कुमार अग्रवाल
साझेदार

पी करुणाकर नायडू
साझेदार

निरंजन वी के
साझेदार

पी पार्थसारथी
साझेदार

जे सिंह
साझेदार

बेंगलूरु
27 मई, 2016

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER
HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER
P S RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR

V RAMACHANDRA
DEPUTY GENERAL MANAGER
RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF
EXECUTIVE OFFICER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER
T N MANOHARAN
CHAIRMAN

DINABANDHU MOHAPATRA
EXECUTIVE DIRECTOR
UMA SHANKAR
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

SUNIL HUKUMCHAND KOCHETA
DIRECTOR

MOCHERLA SAIRAM BHASKAR
DIRECTOR

RAJINDER KUMAR GOEL
DIRECTOR

SANJAY JAIN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
S C VASUDEVA & Co.
Chartered Accountants

For
VINAY KUMAR & Co.
Chartered Accountants

For
RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants

For
V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants

For
J L SENGUPTA & Co.
Chartered Accountants

For
J SINGH & ASSOCIATES
Chartered Accountants

SANJAY VASUDEVA
Partner

VINAY KUMAR AGRAWAL
Partner

P KARUNAKARA NAIDU
Partner

NIRANJAN V K
Partner

P PARTHASARATHY
Partner

J SINGH
Partner

Bengaluru
MAY 27, 2016

प्रिय शेयरधारक

हमारे बैंक के सम्मानित शेयरधारक के रूप में आपसे बात करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप जैसे लोगों के सहयोग और सहायता के सहारे ही हमारा (आपका) बैंक मज़बूती के साथ दिन प्रतिदिन निरंतर प्रगति कर रहा है।

आप कृपया इस बात से अवगत हों कि खरीद-फरोख्त या बंधक रखने के लिए शेयरों का डी-मैट रूप में होना अनिवार्य है। आगे, डी-मैट रूप में शेयरों की खरीद-फरोख्त के लिए निक्षेपागार प्रतिभागी के पास डी-मैट खाता होना भी आवश्यक है। एक निक्षेपागार प्रतिभागी के रूप में आपको निक्षेपागार सेवायें भी उपलब्ध कराने में हमें खुशी है।

शेयरों को डी-मैट रूप में रखने के अनेक लाभ हैं। जैसे:-

- शेयर डी-मैट रूप में रखे जाते हैं (अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप में)
- शेयर प्रमाणपत्रों की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है।
- भौतिक प्रमाणपत्रों से संबंधित जोखिमों जैसे दोषयुक्त शेयर की डिलीवरी, कहीं भेजने पर खो जाने / नष्ट होने / खराब होने की संभावना आदि से छुटकारा।
- प्रतिभूतियों का तत्काल अंतरण अर्थात् शेयरों / प्रतिभूतियों का त्वरित अंतरण / वितरण
- प्रतिभूतियों के अंतरण पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं
- शेयर अंतरण में कोई कागज़ी काम नहीं
- कम लेन-देन लागत
- नामांकन सुविधा की उपलब्धता
- विभिन्न कंपनियों की रिकॉर्ड तिथि याद रखने की आवश्यकता नहीं
- लाभांश आपके खाते में ई सी एस प्रक्रिया के माध्यम से स्वचालित रूप से जमा होगा।

आगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग के कुछ फायदे इस प्रकार हैं:-

- इक्विटी व इक्विटी/करेंसी डेरिवेटिव में ऑनलाइन ट्रेडिंग
- इंटरनेट / टॉल फ्री टेलिफोन के माध्यम से अपनी इच्छानुसार शेयरों की खरीद-फरोख्त करें
- आई पी ओ के ऑनलाइन सबस्क्रिप्शन
- म्यूचुअल फंड के ऑनलाइन सबस्क्रिप्शन
- प्रतिस्पर्धात्मक दलाली के विकल्प


हमारे अभिलेखों में यह पाया गया है कि आपके पास बैंक के शेयर अभी भी भौतिक रूप में हैं। अतः आपको डी-मैट / ऑनलाइन ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए अपनी सेवायें उपलब्ध कराने हेतु हम पुनः इस अवसर का सदुपयोग करेंगे।

आपकी जानकारी के लिए निक्षेपागार सेवायें उपलब्ध कराने हेतु नामोद्दिष्ट शाखाओं की सूची इसके साथ संलग्न की गई है। अपना मूल्यवान डी-मैट/ऑनलाइन ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए आप इनमें से किसी भी शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। घोषित लाभांश का समय पर जमा होना सुनिश्चित करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा(ई सी एस) का उपयोग करने का अनुरोध करते हैं जिससे आपकी लाभांश राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा होने में सहायता होगी। यदि आपने कथित सेवाओं का विकल्प नहीं दिया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा(ई सी एस) अधिदेश दे सकते हैं, जिसे डी-मैट खाता खोलते समय निक्षेपागार प्रतिभागी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

हमेशा उत्तम सेवाओं का आश्वासन सहित धन्यवाद ...

आपका,



रकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Dear Shareholder,

It gives us immense pleasure to reach you as our esteemed Shareholder of our Bank. It is with the support and help of people like you, (y)our bank has been growing steadily day by day with strong basics.

You are kindly aware that holding of shares only in DEMAT form is a must for trading or pledging the same. Further, it is necessary to have a DEMAT Account with any of the Depository Participant (DP) for trading the shares in the DEMAT form. We, as one of the Depository Participants, are glad to extend the Depository Services also.

There are many advantages of holding shares in DEMAT mode Account. Some of the advantages are :

- Shares are held in DEMAT form (ie., electronically)
- No need to safe keep of share certificates
- Elimination of risks associated with physical certificates such as bad delivery, possibility of interception in transit / loss / mutilation, etc.,
- Immediate transfer of securities ie., instant transfers / deliveries of shares / securities
- No stamp duty on transfer of securities
- No paper work on share transfer
- Reduced transaction cost
- Nomination facility is available
- No need to remember the records dates of various companies
- Dividend will be automatically credited to your Bank account through ECS process

Further, the following are some of the advantages of Online Trading :

- Online trading in Equity and Equity/Currency derivatives.
- Buy and Sell shares at your will through Internet / Toll free telephone
- Online subscription to Initial Public Offer (IPO)
- Online subscription to Mutual Funds (MF)
- Competitive brokerage options

It is observed from our records that you are still holding the bank's shares in physical form. Hence, we once again take this opportunity to extend to you our services for opening the Demat Account / Online Trading Account.

A list of Designated Branches for Depository Services is attached for your information. You may approach any of these branches for the purpose of opening of your valuable Demat Account / Online Trading Account.

Equally important aspect is that receiving the returns on your investment. For ensuring the timely credit of the dividends declared, it is a novel idea to have the Electronic Clearing Service (ECS) which indeed helps you to get the dividend amount credited to your bank account directly without any hassles. In case you have not opted for the said service, you may avail the services of ECS Mandate, which is extended simultaneously by the Depository Participant while opening the Demat Account.

Thanking you and assuring you of our best services always...

Yours sincerely,



Rakesh Sharma
Managing Director & CEO

निक्षेपागार सेवा केंद्रों की सूची

क्रम संख्या	निक्षेपागार सेवा केन्द्र का नाम	पता	दूरभाष संख्या
1	आगरा - एम जी रोड	71, नेहरू नगर, एम जी रोड, आगरा - 282002	0562-2527427/ 2527428
2	आश्रम रोड, अहमदाबाद	नारायणा चेंबर्स, नेहरू पुल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380009	079-26577487 / 26575497
3	बेंगलुरु केन्द्रीय डी पी	बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, सं.51, I क्रॉस, जे सी रोड, बेंगलुरु - 560027	080-22105148 / 22116082
4	बेंगलुरु - विजयनगर	48, मागडी कोर्ड रोड, विजयनगर, बेंगलुरु - 560040	080-23387255 / 23351891
5	भोपाल - अरेरा कॉलोनी	ई-5/8-9, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के सामने, भोपाल - 462016	0755-2465350
6	कालीकट - वेस्ट हिल	वेस्ट हिल रोड, सुदर्शन बिल्डिंग, कालीकट - 673005	0495-2367750
7	चंडीगढ़ 17 - सी	सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़ - 160017	0172-2702065 / 2702116
8	चेन्नई - डी पी	सं. 150, हबीबुल्ला रोड, चेन्नई - 600017	044- 28345454
9	चेन्नई - तेनामपेट	563/1, भूतल, वेंकटरमणा सेंटर, अण्णा शालै, तेनामपेट, चेन्नई - 600018	0 44-24313662/ 24312001
10	चेन्नई अण्णानगर पूर्व	ए-12/13, II एवेन्यू, अण्णा नगर पूर्व, चेन्नई - 600102	044-26261627
11	कोयंबतूर - आर एस पुरम	100, दीवान बहादुर रोड, आर एस पुरम, कोयंबतूर - 641002	0422-2552237/ 2552543
12	पार्क रोड - ईरोड	सी.डी. बिल्डिंग, 47ए, पार्क रोड, ईरोड - 638003	0424-2210445
13	दिल्ली डी पी	एन-1, बी एम सी हाउस, तृतीय तल, कनाॅट सर्कस, नई दिल्ली - 110001	011- 23321726
14	दिल्ली - हौज़ खास	ए-27, हौज़ खास, नई दिल्ली - 110016	011-26964090/ 26568680
15	दिल्ली - आर के पुरम	12, आराधना एन्क्लेव, सेक्टर 13, आर. के. पुरम, नई दिल्ली - 110066	011-24122203/ 24122204
16	एरणाकुलम - ब्रॉड वे	प्रथम तल, शेनॉई चेंबर्स, शन्मुखम रोड, कोच्चि - 682031	0484-2351255/ 2355641
17	बिग बाज़ार - पालक्काड	अज़ीज़ बिल्डिंग, बी ओ सी रोड, बिग बाज़ार, पालक्काड - 678014	0491-2502152
18	गुडगाँव	एस जी 27-28, गलेरिया, डी एल एफ फेस - IV, गुडगाँव - 122002	0124-2572932 / 257933
19	गुवाहाटी - दिसपुर	प्रथम तल, एच/274, वार्ड 34, दिसपुर, गुवाहाटी - 781005	0361-2262100
20	गोवा - मडगाँव	कमता हाउस, लूयिस मिरांडा रोड, मडगाँव - 403601	0832-2715607 / 2737977
21	हुबली - ट्रैफिक आइलैंड	प्रथम तल, देवी कॉम्प्लेक्स, क्लब रोड, ट्रैफिक आइलैंड, हुबली - 580029	0836-2351198
22	हैदराबाद - नारायणगुडा	3-5-168-1234, शांति टॉकीज के सामने, नारायणगुडा, हैदराबाद - 500029	040- 23438649/ 23438650
23	जयपुर - अरविंदमार्ग	अनुकंपा मैन्शन, एम आई रोड, अजमेरी गेट के पास, जयपुर - 302001	0141- 2362374, 2368154
24	जालंधर - बी एम सी चौक	बी एम सी चौक, लालंधर - 144001	0181-2223154/2225920

LIST OF DP SERVICE CENTRES

Sl. No.	Name of DP Service Center	Address	Tel No.
1	Agra - M G Road	71, Nehru Nagar, M. G. Road, Agra - 282002	0562-2527427/ 2527428
2	Ashram Road Ahmedabad	Narayana Chambers, Near Nehru Bridge Ashram Road, Ahmedabad - 380009	079-26577487 / 26575497
3	Bengaluru - Central DP	Bengaluru Stock Exchange Building, No. 51 I Cross, J. C. Road, Bengaluru - 560027	080-22105148 / 22116082
4	Bengaluru - Vijayanagar	48, Magadi Chord Road, Vijayanagar Bengaluru - 560040	080-23387255 / 23351891
5	Bhopal- Arera Colony	E-5/8-9, Area Colony, Opp. Habibganj Police Station, Bhopal - 462016	0755-2465350
6	Calicut - West Hill	West Hill Road, Sudarsan Bluiding Kozhikode - 673005	0495-2367750
7	Chandigarh 17-C	Sector 17 C, Chandigarh - 160017	0172-2702065 /2702116
8	Chennai - DP	No. 150, Habibullah Road, Chennai - 600017	044- 28345454
9	Chennai - Teynampet	563/1, Ground Floor, Venkatramana Center Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600018	0 44-24313662/ 24312001
10	Chennai Annanagar East	A-12/13, II Avenue, Anna Nagar East, Chennai - 600102	044-26261627
11	Coimbatore - R S Puram	100, Dewan Bahaddur Road R. S. Puram, Coimbatore - 641002	0422-2552237/ 2552543
12	Park Road - Erode	C. D. Building, 47A, Park Road, Erode - 638003	0424-2210445
13	Delhi DP	N-1, BMC House, 3rd Floor, Connaught Circus, New Delhi - 110001	011- 23321726
14	Delhi - Hauz Khas	A-27, Hauz Khas, New Delhi - 110016	011-26964090/ 26568680
15	Delhi - R K Puram	12, Aradhana Enclave, Sector 13, R. K. Puram New Delhi - 110066	011-24122203/ 24122204
16	Ernakulam - Broadway	1st Floor, Shenoy Chambers,\ Shanmugam Road, Kochi - 682031	0484-2351255/ 2355641
17	Big Bazaar, - Palakkad	Azeez Building, BOC Road, Big Bazaar Pallakkad - 678014	0491-2502152
18	Gurgaon	SG 27-28, Galleria, DLF Phase - IV Gurgaon - 122002	0124-2572932 / 257933
19	Guwahati - Dispur	1st Floor, H/274, Ward 34, Dispur Guwahati - 781005	0361-2262100
20	Goa - Marga	Kamatha House, Luis Miranda Road Margaon - 403601	0832-2715607 / 2737977
21	Hubballi - Traffic Island	1st Floor, Devi Complex, Club Road Traffic Island, Hubballi - 580029	0836-2351198
22	Hyderabad - N'guda	3-5-168-1234, Opp. Shanthi Talkies Narayanaguda, Hyderabad - 500029	040- 23438649/ 23438650
23	Jaipur - Arvindmarg	Anukampa Mansion, M. I. Road, Near Ajmeri Gate, Jaipur - 302001	0141- 2362374, 2368154
24	Jalandhar - BMC Chowk	B. M. C. Chowk, Jalandhar - 144001	0181-2223154/ 2225920

निक्षेपागार सेवा केंद्रों की सूची

क्रम संख्या	निक्षेपागार सेवा केन्द्र का नाम	पता	दूरभाष संख्या
25	कोलकाता डी पी	सं. 9, लाला लाजपतराय सरणी, कोलकाता - 700020	033-22832901
26	मदुरै - ग्रैंड सेंट्रल	118/बी, वेस्ट पेरुमाल मिस्त्री स्ट्रीट, मदुरै - 625001	0452-2343191
27	मंगलूर - हम्पनकट्टा	गोकुल मार्केट, पुराने बस स्टैंड के पास, हम्पनकट्टा, मंगलूर - 575001	0824-2440084
28	उडुप्पी - मारुति वीथिका	मारुति वीथिका, उडुप्पी - 576101	0820-2521429 / 2520833
29	नोएडा मुख्य	सी-3, सेक्टर 1, नोएडा - 201301	0120-2529164
30	मुंबई डी पी	स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज शाखा, नंबर 115, अटलांटा भवन, 11 वीं मंजिल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021	022-22023168 / 22023170
31	मुंबई - घाटकोपर (प)	आर.डी. शाह बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन के सामने, घाटकोपर पश्चिम, मुंबई - 400086	022-25158852
32	मुंबई - एस एस बी	सिमेंट चॉल सं. 1, जयप्रकाश रोड, अन्धेरी पश्चिम, मुंबई - 400058	022-26289946 / 26239585
33	मुंबई - विले पार्ले	38, ब्रिजभुवन, नेहरू रोड, मुंबई - 400057	022-26175655 / 26143615
34	हासन मुख्य	एन.आर. सर्किल, एच.एन. पुरा रोड, हासन - 573201	8172-268973
35	मैसूर - नज़रबाद	सं. 26/ए, गेस्ट हाउस रोड, नज़रबाद, मैसूर - 570010	0821-2528269
36	नागपुर - इटवारी	यमुना सदन, तांगा स्टैंड, सर्राफा बाज़ार, इटवारी, नागपुर - 440002	0712-2764744 / 2773991
37	पटना - बुद्धमार्ग	बुद्ध मार्ग, पटना-गया रोड, पटना - 800001	0612-2222813
38	पुणे - कैप	पोस्ट बॉक्स सं. 21, जी पी ओ कैप, 11, एम जी रोड, रेड क्रॉस बिल्डिंग, पुणे - 411001	020-26131833 / 26053222
39	राँची - डोरंडा	डोरंडा, राँची - 834002	0651-2480415 / 2481221
40	सेलम अलगापुरम	प्रथम तल, शारदा विद्यालय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कॉम्पाउंड, फेयरलैंड्स, सेलम - 636016	0427-2448605
41	नेल्ली सौधा - शिमोगा	नेल्ली सौधा, कुवेम्पु रोड, शिमोगा - 577210	08182-223673
42	कोट्टयम - के के रोड मुख्य	के.के. रोड, कोट्टयम - 686001	0481-2563645 / 2563565
43	तिरुवनंतपुरम - कैट	एम जी रोड, स्पेंसर जंक्शन, तिरुवनंतपुरम - 695001	0471-2330441 / 2325335
44	तिरुच्ची - तिल्लै नगर	आनंद टावर्स, 11, शास्त्री रोड, तिल्लै नगर, तिरुच्ची - 620018	0431-2741990
45	विशाखपट्टणम - दाबा गार्डन	30-15-160, वार्ड सं. 17, पेन स्कूल के पास, दाबा गार्डन्स मेन रोड, सूर्यबाग, विशाखपट्टणम - 530020	0891-2547927 / 2547928
46	वाराणसी लंका	लंका संकट मोचन वाराणसी - 221 005, उत्तर प्रदेश	0542-2310367
47	सी बी एस एल, मुंबई (फ्रेंचाइज़ी कार्यालय)	सातवाँ तल, मेकर चेंबर्स III, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021	022-22802400 / 43603800 Toll free Nos: 1800220369 / 18001031369

LIST OF DP SERVICE CENTRES

Sl. No.	Name of DP Service Center	Address	Tel No.
25	Kolkata DP	No. 9, Lala Lajpatrai Sarani, Kolkata - 700020	033-22832901
26	Madurai - Grand Central	118/B, West Perumal Maistry Street Madurai - 625001	0452-2343191
27	Mangaluru - H'katta	Gokul Market, Near Old Bus Stand Hampankatta, Mangaluru - 575001	0824-2440084
28	Udupi - Maruthi Veethika	Maruthi Veethika, Udupi- 576101	0820-2521429 / 2520833
29	Noida Main	C-3, Sector 1, Noida - 201301	0120-2529164
30	Mumbai DP	Stock and Commodity Exchange Branch No. 115, Atlanta Building, 11 th Floor Nariman Point, Mumbai - 400021	022-22023168 / 22023170
31	Mumbai - Ghatkopar (w)	R. D. Shah Building, Opp. Railway Station Ghatkopar West, Mumbai - 400086	022-25158852
32	Mumbai - SSB	Cement Chawl No. 1, Jayaprakash Road Andheri West, Mumbai - 400058	022-26289946 / 26239585
33	Mumbai - Vile Parle	38, Brijbhuvan, Nehru Road Mumbai - 400057	022-26175655 / 26143615
34	Hassan Main	N. R. Circle, H. N. Pura Road, Hassan - 573201	8172-268973
35	Mysuru - Nazarabad	No. 26/A, Guest House Road, Nazarabad Mysuru - 70010	0821-2528269
36	Nagpur - Itwari	Yamuna Sadan, Tangastand, Sarafa Bazar Itwari, Nagpur - 440002	0712-2764744 / 2773991
37	Patna - Budhmarg	Budh Marg, Patna-Gaya Road, Patna 800001	0612-2222813
38	Pune - Camp	P. B. No. 21, GPO Camp, 11, M. G. Road Red Cross Bulding, Pune - 411001	020-26131833 / 26053222
39	Ranchi - Daronda	Doranda, Ranchi - 834002	0651-2480415 / 2481221
40	Salem Alagapuram	1st Floor, Sarada Vidyalaya Girls Hr. Sec. School Compound, Fairlands, Salem - 636016	0427-2448605
41	Nelli Soudha Shivamogga	Nelli Soudha, Kuvempu Road, Shivamogga - 577210	08182-223673
42	Kottayam - KK Road Main	K. K. Road, Kottayam - 686001	0481-2563645 / 2563565
43	Trivandrum - Cant	M. G. Road, Spencer Junction, Thiruvananthapuram 695001	0471-2330441 / 2325335
44	Trichy - T hillai Nagar	Anand Towers, 11, Sastry Road Thillai Nagar, Trichy - 620018	0431-2741990
45	V Patnam - Daba Gardens	30-15-160, Ward No.17, Beside Pen School Dabagardens Main Road, Suryabagh Visakhapatnam - 530020	0891-2547927/ 2547928
46	Varanasi Lanka	Lanka Sankat Mochan, Varanasi - 221 005 Uttar Pradesh	0542-2310367
47	CBSL, Mumbai (Franchisee office)	Seventh Floor, Maker Chambers III Nariman Point, Mumbai - 400 021	022-22802400 / 43603800 Toll free Nos: 1800220369 / 18001031369

नामांकन पत्र

सेवा में,
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
केनरा बैंक,
प्रधान कार्यालय: बेंगलुरु
प्रिय महोदय,

निदेशकों का निर्वाचन

आपके नोटिस दिनांक 03-06-2016 के संदर्भ में चुनाव में भाग लेने के लिए यथा शुक्रवार, 24 जून 2016, को (यथा) चुनाव में भाग लेने हेतु आंतरिक कट-ऑफ तिथि को केनरा बैंक के प्रत्येक ₹10/- के ईक्विटी शेयरधारण में मैं,..... बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले निदेशक के रूप में मंगलवार, 26 जुलाई 2016, को होने वाले बैंक शेयरधारकों की 14वीं वार्षिक आम बैठक में चुने जाने के लिए के निवासी श्री / श्रीमती पुत्र / पुत्री / पत्नी को एतद्वारा नामित करता हूँ ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलिओ संख्या (अभौतिकृत हो तो)	
डीपी आईडी संख्या तथा ग्राहक आईडी संख्या (भौतिकृत हो तो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियाँ:

1. नैगम निकाय का नामांकन है तो नामांकन के साथ जिस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति होनी चाहिए ।
2. प्रत्याशी का नामांकन करनेवाले शेयरधारकों के हस्ताक्षरों को बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट के पास उपलब्ध हस्ताक्षर के साथ मेल खाना चाहिए ।
3. उपर्युक्त में से किसी कॉलम को रिक्त छोड़ दिए जाने पर या ब्यौरे को गलत पाए जाने पर नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

NOMINATION FORM

To
The Managing Director & CEO
CANARA BANK
Head office: Bengaluru - 560 002

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your notice dated 03-06-2016, I,a shareholder of Canara Bank holding equity shares of ₹10/- each as on Friday, the 24th June 2016 (i.e.) the Internal Cut-Off date for participating in the Election do hereby nominate Sri/ Smt..... son/daughter/wife of residing at..... for being elected as a Director of Canara Bank representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3) (i) of The Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the 14th Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Tuesday, the 26th July, 2016.

Signature	
Name	
Number of shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

1. In case of nomination by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the Meeting at which it was passed.
2. Signature of the Shareholders nominating the candidate should match with the specimen signature available with the share transfer agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

घोषणा

(प्रत्याशी द्वारा)
(विनियमों के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री / श्रीमती निवासी
..... एतद्द्वारा पुष्टि करता / करती हूँ कि:

- क. मैं निर्वाचन में भाग लेने के लिए यथा अर्थात् आंतरिक कट-ऑफ तिथि **शुक्रवार 24, जून, 2016** को बैंक के प्रत्येक के ₹ 10/- के ईक्विटी शेयरों का धारक हूँ, तथा
- ख. * मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग या (भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार में बैंक को उपयोगी होनेवाला विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है) और अधिनियम की उप धारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं व किसानों, श्रमिकों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और उसके साक्ष्य के रूप में मैं एतद्द्वारा संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता / करती हूँ; और
- ग. मैं संख्यक नामांकनों को स्वीकृत करता / करती हूँ; और
- घ. मैं केनरा बैंक के निदेशक के लिए चुनाव में भाग लेना चाहूँगा / चाहूँगी; और
- ङ. मुझे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970, केनरा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 (शेयर व बैठकें) विनियमन व इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संसूचनाओं व सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के गैर-आधिकारिक निदेशक के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने से अयोग्य नहीं बनाया गया; और
- च. मैं न तो किसी लाभदायक पद पर हूँ और न ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 द्वारा परिभाषित अनुषंगी बैंक का / की कर्मचारी हूँ; और
- छ. मुझे किसी भी समय में दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या मुझ पर कोई निलंबित भुगतान या लेनदार नहीं है ;
- ज. मेरी दिमागी हालत बिल्कुल सही है व ऐसा ही सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित है एवं नैतिक अधमता वाले किसी भी अपराध में फ़ौजदारी अदालत द्वारा मैं दोषी नहीं हूँ ।
- झ. मैं किसी भी वर्ग के तहत किसी भी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान या भारि.बै. या बीमा कंपनी का निदेशक नहीं हूँ ।
- ञ. मैं किसी भी किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैसा-बैंकिंग गतिविधियों के साथ जुड़ा नहीं हूँ, और ना ही मैं एक सांसद / विधायक / विधान परिषद का सदस्य / शेयर दलाल हूँ;
- ट. मैं विगत समय में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या भारि.बै. या बीमा कंपनी में दो अवधि या छ वर्षों हेतु किसी भी वर्ग के तहत, जो भी दीर्घ हो व चाहे निरंतर हो या मध्यस्थ, के बोर्ड का निदेशक नहीं रहा हूँ ।
- ठ. मुझे वित्त अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्धोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है ।
- ड. मैं इस घोषणा के बाद घटित होनेवाली घटनाओं के बारे में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैंक को पूर्णतया सूचित रखने और बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता / देती हूँ ।
- ढ. मैं बैंक के निदेशक का पद संभालने तक सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता), 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ ।

DECLARATION

(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt _____ son / daughter / wife of Shri / Smt. _____
_____, a resident of _____ hereby confirm that:

- a. I am a shareholder holding _____ equity shares of ₹10/- each of the Bank as on **Friday, the 24th June, 2016** i.e., the Internal Cut-Off date for participating in the elections, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, it elected as a Director of the Bank.
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
- c. I accept the nominations numbering _____ ;
- d. I am willing to contest for the election of Directors of Canara Bank,
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations and Notifications issued by Reserve Bank of India in this regard and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks;
- f. I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;
- g. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors;
- h. I have not been found to be of unsound mind and stand so declared by a competent court and has not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude.
- i. I am not a Director of any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company under any category;
- j. I am not connected with any hire-purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP / MLA / MLC / Stock Broker;
- k. I have not been a Director on the Board of any Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years, whichever is longer and whether continuously or intermittently;
- l. I have not been declared as proclaimed offender by an Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court;
- m. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
- n. I undertake to comply relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 till I hold the position as a Director of the Bank.

ण. मैं संलग्नित पीडीयू प्रपत्र – व्यक्तिगत सूचना, घोषणा व वचन में अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्नित करता हूँ, जो कि मेरी जानकारी और समझ में सभी पहलों में पूर्ण व सही है।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलिओ संख्या (अभौतिकृत हो तो)	
डीपी आईडी संख्या तथा ग्राहक आईडी संख्या (भौतिकृत हो तो)	
स्थान	
दिनांक	

जज, मैजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित अधिकारी या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी या (भारत के किसी बैंक या कोई राष्ट्रीयकृत बैंक) के मुहर सहित हस्ताक्षर

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए

*जो लागू हो उस पर ✓ करें।

हस्ताक्षर व मुहर – दिनांक सहित

o. I enclose my personal details in the enclosed PDU Form – Personal Information, Declaration and Undertaking, which are to the best of my knowledge and belief true and complete, in all respects;

Name	
Signature	
No of Shares	
Regd. Folio No (If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No (if dematerialised)	
Place	
Date	

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India, Canara Bank or any nationalised bank.

The above declaration was signed before me.

* Tick whichever is applicable

Signature and Seal with Date

अभ्यर्थी के जीवनवृत्त का प्रारूप

(व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा वचन पत्र)

अभ्यर्थी का फोटो
चिपकाएं

I. प्रत्याशी का व्यक्तिगत ब्यौरा		
क	पूरा नाम पिता का नाम	
ख	जन्म तिथि	
ग	राष्ट्रीयता	
घ	शैक्षणिक योग्यता	
ङ	संबद्ध पृष्ठभूमि तथा अनुभव	
च	स्थायी पता	
छ	वर्तमान पता	
ज	ई-मेल पता / दूरभाष संख्या	
झ	आय कर अधिनियम के तहत स्थायी लेखा संख्या तथा आय कर सर्कल का नाम व पता	
ञ	संबद्ध ज्ञान और अनुभव (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें)	
ट	बैंक के निदेशक के लिए संबद्ध कोई अन्य सूचना	
II. निदेशक के संबद्ध रिश्तेदारी		
क	प्रत्याशी के रिश्तेदारों की सूची जो बैंक से संबंध रखते हों। (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1 ए का संदर्भ लें)	
ख	ऐसे निकायों की सूची जिनमें प्रत्याशी को हितैषी माना जाता है (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 299 (3) (ए) और धारा 300 का संदर्भ लें)	
ग	ऐसे निकायों की सूची जिनमें प्रत्याशी को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 5(एन ई) के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त हित धारक माना जाता है।	
घ	बैंक का नाम जिसमें प्रत्याशी बोर्ड का सदस्य हो या रहा हो (पदधारण की अवधि का ब्यौरा दें)।	
ङ	प्रत्याशी या उपर्युक्त II के (ख) व (ग) में सूचीबद्ध निकायों में से संप्रति उपभुक्त निधि और निधितर सुविधाएं।	

FORMAT FOR BIODATA OF THE CANDIDATE

(Personal Information, Declaration and Undertaking)

Affix
Candidate's
photo here

I. Personal details of Candidate		
a.	Full name Father' Name	
b.	Date of Birth	
c.	Nationality	
d.	Educational Qualifications	
e.	Relevant Background and Experience	
f.	Permanent Address	
g.	Present Address	
h.	E-mail Address Telephone Number - Landline Mobile Number	
i.	Permanent Account Number under the Income Tax Act and name and address of Income Tax Circle	
j.	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980	
k.	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II. Relevant Relationships of Candidate		
a.	List of Relatives if any who are connected with the Bank {Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013}	
b.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested {Refer Section 184 and Section 2(49)of the Companies Act, 2013}	
c.	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
d.	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank	

च.	बैंक या किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मामले में प्रत्याशी या उपर्युक्त (ख) व (ग) में सूचीबद्ध निकाय चूककर्ता हों या पहले रहें हो।	
III. व्यावसायिक उपलब्धियों के कीर्तिमान		
क.	संबद्ध व्यावसायिक उपलब्धियाँ (समर्थित दस्तावेजों की प्रतियाँ संल्लनित की जारी है)	
IV. प्रत्याशी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हो तो		
क	प्रत्याशी किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य हो तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई विलंबित या शुरू की गई या पूर्व में दोषी ठहराया गया या प्रत्याशी को किसी व्यवसाय/पेशे में प्रविष्ट होने से रोका गया है।	
ख	आर्थिक विधियों और विनियमों का उल्लंघन करने के कारण प्रत्याशी या / और उपर्युक्त II के (ख) व (ग) में सूचीबद्ध निकायों के विरुद्ध विलंबित या शुरू या पूर्व में दोषी ठहराया गया है तो उनका ब्यौरा।	
ग	निदेशक के विरुद्ध विलंबित या शुरू या पूर्व में दोषी ठहराये गये आपराधिक मामलों का ब्यौरा।	
घ	क्या प्रत्याशी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 में रूपायित अनुसार अयोग्य ठहराया गया है!	
ङ	सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर क्या प्रत्याशी या उपर्युक्त II के (ख) व (ग) में सूचीबद्ध निकायों के विरुद्ध कोई जाँच पड़ताल की गई है ?	
च	क्या प्रत्याशी को सीमा शुल्क / उत्पाद कर / आयकर / विदेश विनियम / अन्य राजस्व प्राधिकारों द्वारा नियमों / विनियमों / विधार्थ अपेक्षाओं का उल्लंघन का दोषी पाया गया ? हाँ तो ब्यौरा दें।	
छ	प्रत्याशी कभी भी सेबी, आई आर डी ए, डी सी ए, एम सी ए, भा.रि.बैंक फेमा सेबित आदि जैसे नियंत्रकों का प्रति दृष्टिपात हुआ ? (यद्यपि किसी प्रत्याशी के लिए विनियामकों द्वारा की गई आदेशों तथा जांचों को जिन्हें बाद में पूरी तरह से वापस ले लिया गया हो तो उसे वर्णित किया जाना आवश्यक नहीं होगा, तथापि वैसे वापसी जो तकनीकी कारण जैसे सीमित या क्षेत्राधिकार की कमी इत्यादि के कारण हो तथा योग्यता के आधार पर नहीं हो तो उसे वर्णित किया जाना आवश्यक होगा। यदि विनियामकों का आदेश अस्थायी रूप से आस्थगित किया गया है तथा अपीलिय / न्यायालय की कार्यवाही लंबित है तो उसका वर्णन किया जाना चाहिए।)	
v	उपर्युक्त I से III तक की मदों से संबंधित कोई अन्य स्पष्टीकरण / सूचना एवं योग्य और उचित मानी गई संबद्ध अन्य सूचना।	

f.	Cases, if any, where the candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III. Records of professional achievements		
a.	Professional achievements relevant (copies of supporting documents to be enclosed)	
IV. Proceedings, if any, against the Candidate		
a.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/ occupation at any time.	
b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations.	
c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate	
d.	Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act 2013?	
e.	Has the candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f.	Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars.	
g.	Whether the candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, MCA, RBI, FEMA, CIBIL etc., (Though it shall not be necessarily for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto., it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc., and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate /court proceedings are pending, the same also should be mentioned.)	
V.	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper.	

VI.	क्या प्रत्याशी ने अपने / अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बैंक के साथ कोई कारोबार किया है ? यदि ऐसा है तो, विवरण दें ।	
VII.	अपना / अपनी दायित्व निभाने में क्या प्रत्याशी / निदेशक किसी व्यक्ति या संस्थान या बैंक या कंपनी आदि के निर्देशों या अनुदेशों पर कार्य कर रहा है ? यदि ऐसा है तो, विवरण दें ।	
	घोषणा	
	मैं पुष्टि करता / करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी मेरे विश्वास के हद तक सही व पूर्ण है। इस घोषणा के बाद घटित होनेवाली घटनाओं के बारे में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैंक को पूर्णतया सूचित रखने का वचन देता / देती हूँ ।	
	मैं बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का भी वचन देता / देती हूँ ।	
	स्थान :	
	दिनांक :	प्रत्याशी के हस्ताक्षर
<p>अनुलग्नक : 1. जहाँ पर जगह पर्याप्त नहीं है, वहाँ पर सूचना अनुलग्नक के तौर पर कालक्रमानुसार उचित संदर्भों के साथ प्रदान करें । 2. प्रत्येक पृष्ठ (अनुलग्नक सहित) पर प्रत्याशी हस्ताक्षर करें ।</p>		

नामांकन समिति की टिप्पणियाँ / अभ्युक्तियाँ

नामांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर	नामांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर	नामांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर
स्थान : दिनांक :	स्थान : दिनांक :	स्थान : दिनांक :

VI.	Has the candidate in his / her individual capacity undertaken any business with the Bank ? If so, give particulars	
VII.	In carrying out his / her duties, will the candidate / director be acting on the directions or instructions of any individual or institution or bank or companies etc., If so, give particulars.	
	Undertaking	
	I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.	
	I also undertake to execute the deed of covenants required to be executed by the directors of the Bank.	
	Place :	Signature of the Candidate
	Date :	
Enclosures : 1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference. 2. Each pages (including annexure) are required to signed by the Candidate.		

Observations / Remarks of the Nomination Committee

Signature of Nomination Committee member	Signature of Nomination Committee member	Signature of Nomination Committee member
Place :	Place :	Place :
Date :	Date :	Date :



(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर - 560 002

उपस्थिति पर्चा
चौदहवीं वार्षिक आम बैठक - 26.07.2016

(कृपया हाजिरी पर्चा भरकर उसे बैठक हॉल के प्रवेश द्वार पर दे दें)

दिनांक:		समय:	
स्थान:	बेंगलूर		
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकृत हो तो)		डी.पी.आई.डी. सं.	
		ग्राहक आई.डी. सं.	
			(भौतिकृत हो तो)
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			



Cut here



प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर - 560 002

प्रवेश पास
चौदहवीं वार्षिक आम बैठक - 26.07.2016

(पूरी बैठक के दौरान पास रखना है)

शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकृत हो तो)		डी.पी.आई.डी. सं.	
		ग्राहक आई.डी. सं.	
			(भौतिकृत हो तो)
उपस्थित प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

बैठक स्थल में प्रवेश करने के लिए शेयरधारकों / शेयरधारक के प्रॉक्सी / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक के पास पंजीकृत अपने नमूने हस्ताक्षरों के अनुरूप उपर्युक्त उपस्थिति पर्चा, प्रवेश पास के साथ दिखाएं। शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश अनुमत किया जाना आवश्यक समझे जानेवाले सत्यापन / जांचों के अधीन होगा और उनको सूचित किया जाता है कि वे पहचान का विधिमाम्य साक्ष्य यानि वॉटर आई.डी. कार्ड / नियोक्ता पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि अपने साथ रखें। **किसी भी हालत में बैठक स्थान में किसी प्रकार की डुप्लिकेट उपस्थिति पर्चा जारी नहीं की जाएगी।**



Cut here



प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर - 560 002

चौदहवीं वार्षिक आम बैठक - 26.07.2016

(मतदान पत्र / ओटीपी जारी कराने के लिए मतदान काउंटर पर प्रस्तुत करें)

शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकृत हो तो)		ग्राहक आई.डी.	
			(भौतिकृत हो तो)
उपस्थित प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			



(A Government of India undertaking)
Head Office: 112 J C Road, Bengaluru- 560 002

ATTENDANCE SLIP
14th ANNUAL GENERAL MEETING - 26.07.2016
(to be surrendered at the time of entry)

Date:		Time :	
Place:	Bengaluru		
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			
Regd. Folio (if not dematerialised)	DPID No.		
	Client ID No.		
		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

----- ✂ ----- Cut here ----- ✂ -----



Head Office: 112 J C Road, Bengaluru- 560 002

ENTRY PASS
14th ANNUAL GENERAL MEETING - 26.07.2016
(to be retained throughout the meeting)

Name of the Shareholder			
Number of shares			
Regd. Folio (if not dematerialised)	DPID No.		
	Client ID No.		
		(If dematerialised)	
Name of the Proxy/Representative present			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised representative			

Shareholders/Proxy or representative of Shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. **UNDER NO CIRCUMSTANCES, ANY DUPLICATE ATTENDANCE SLIP WILL BE ISSUED AT THE VENUE.**

----- ✂ ----- Cut here ----- ✂ -----



Head Office: 112 J C Road, Bengaluru- 560 002

14th ANNUAL GENERAL MEETING - 26.07.2016
(to be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper / OTP)

Name of the Shareholder			
Number of shares			
Regd. Folio (if not dematerialised)	Client ID No.		
		(If dematerialised)	
Name of the Proxy/Representative present			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised representative			



(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002

चौदहवीं वार्षिक सामान्य बैठक – 26.07.2016

फॉर्म "बी"

प्रॉक्सी फार्म


(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

मैं / हम निवासी जिला राज्य केनरा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री / श्रीमती निवासी जिला राज्य को, अथवा इनके न होने पर, श्री / श्रीमती निवासी जिला राज्य को सभागृह सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर - 560001 में दिनांक 26 जुलाई 2016, मंगलवार को प्रातः 10.30 बजे होनेवाली केनरा बैंक के शेयरधारकों की चौदहवीं वार्षिक आम बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे / हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं ।

आज वर्ष 2016 माह के दिन को हस्ताक्षरित पंजीकृत फोलियो संख्या / ग्राहक आई डी शेयरों की संख्या :

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम और पता:



.....
प्रथम नामित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि,
 - एकल शेयरधारक के मामले में उस पर उनके द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
 - एक निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
- यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो प्रतिनिधि लिखत में उसका हस्ताक्षर तब पर्याप्त माना जाएगा, यदि उस पर उसका निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी जज, मैजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या फिर केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो ।
- प्रॉक्सी फॉर्म,
 - मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार (यदि कोई हो), जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
 - किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति के साथ वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, के चार दिन के पूर्व अर्थात् गुरुवार 21 जुलाई 2016 के समापन समय के पहले केनरा बैंक के सचिवीय प्रभाग, प्रथम तल, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002 में जमा किया जाए ।
- यदि संबंधित मुख्तारनामा केनरा बैंक या शेयर अंतरण एजेंट के साथ पंजीकृत किया गया हो, तो मुख्तारनामा का पंजीयन संख्या और ऐसे पंजीयन का दिनांक सृजित करना होगा ।
- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि वह फार्म 'बी' में न हो और उसको विधिवत् स्टाम्पित न किया गया हो ।
- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगी ।
- यदि कोई प्रॉक्सी लिखत, दो ग्राहियों के पक्ष में दी गई है तो एक से ज्यादा फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता।
- एक प्रॉक्सी लिखत का निष्पादन करनेवाले शेयरधारक को उस असाधारण आम सभा में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है ।
- ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो केनरा बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।



(A Government of India Undertaking)
HO : # 112, J C ROAD BENGALURU - 560 002

14th Annual General Meeting – 26.07.2016

FORM 'B'

FORM OF PROXY

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We.....Resident ofin
the district of..... in the State of being a shareholder /shareholders of the Canara Bank, hereby appoint
Shri/Smt resident of.....in the district ofin the State of
.....or failing him/her, Shri/Smt resident of in the district of
..... in the State of as my / our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the
Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank to be held on Tuesday, the 26thJuly, 2016 at 10.30 A.M.
at JNANAJYOTHI AUDITORIUM, Central College, Palace Road, Bengaluru – 560 001 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2016

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares

Signature of Proxy

Name & Address:.....

Please affix
Rs. 1.00
Revenue Stamp

Signature of the first named / sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Canara Bank, Secretarial Department, First Floor, Head Office 112, J C Road Bengaluru – 560 002** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of Thursday, the 21st July, 2016.
- In case the relevant Power of Attorney is already registered with Canara Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.



श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनांक 12 फरवरी, 2016 को बैंक की तीसरी तिमाही का परिणाम घोषित करने के बाद प्रेस बैठक को संबोधित करते हुए। तस्वीर में कार्यपालक निदेशकगण श्री पी एस रावत, श्री हरिदीश कुमार बी और श्री दीनबन्धु महापात्र भी उपस्थित है ।

Shri Rakesh Sharma, M D & CEO addressing the Press Meet at Bengaluru on 12.02.2016 after announcing the Bank's Q3 Results. EDs Shri P S Rawat, Shri Harideesh Kumar B and Shri Dinabandhu Mohapatra are also seen.



श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी 19 नवंबर, 2015 को संस्थापक दिवस समारोह के अवसर पर विद्या ज्योति योजना के तहत लाभार्थी छात्र को छात्रवृत्ति वितरित करते हुए।

Shri Rakesh Sharma, Managing Director & CEO handing over scholarship to the beneficiary student under Canara VidyaJyothi Scholarship Scheme on 19th November, 2015, Founder's Day.

श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनांक 18 सितम्बर, 2015 को श्री टी एन मनोहरन, अध्यक्ष, श्री पी एस रावत, कार्यपालक निदेशक, श्री जी वी मणिमरान, निदेशक और श्री आर मधुसूदन, महाप्रबंधक, एम एस एम ई, विभाग, प्रधान कार्यालय की उपस्थिति में मुद्रा रूपे कार्ड का शुभारंभ करते हुए।



Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, launching Mudra Rupay Debit Card at Head Office on 18th September, 2015, in the presence of Shri T N Manoharan, Chairman, Shri P S Rawat, Executive Director, Shri G V Manimaran, Director and Shri R Madhusudhan, General Manager, MSME Wing, Head Office

श्री हरिदीश कुमार बी, कार्यपालक निदेशक दिनांक 19 जून, 2015 को "ग" क्षेत्र में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डॉ. रघुराम राजन, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के कर- कमलों से रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए।



Shri Harideesh Kumar B, Executive Director, receiving Reserve Bank Rajbhasha Shield, for effective implementation of Official Language in 'C' Region, from the hands of Dr. Raghuram Rajan, Governor, RBI on 19th June, 2015 at Mumbai.

दिनांक 09.02.2016 को सूरी में आयोजित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलाप के दौरान जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित करते हुए श्री दीनबन्धु महापात्र, कार्यपालक निदेशक।



Shri Dinabandhu Mohapatra, Executive Director, participating in CSR activity held at Suri on 09.02.2016 where sewing machines were distributed among needy ladies.



केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु

Canara Bank Head Office, Bengaluru

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम



Canara Bank

A Government of India Undertaking

Together We Can

प्रधान कार्यालय: मध्या 112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560 002 Head Office: No. 112, J C Road, Bengaluru - 560 002